विजया बैंक
VIJAYA BANK
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
A friend you can bank upon

डिजिटल बैंकिंग
DIGITAL BANKING

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2016 - 2017

मंडल के निदेशक
Board of Directors

श्री जी नारायणन
गैर कार्यपालक अध्यक्ष
Shri G Narayanan
Non-Executive Chairman

डॉ. किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Dr. Kishore Sansi
Managing Director & CEO

श्री बी एस रामा राव
कार्यकारी निदेशक
Shri B S Rama Rao
Executive Director

श्री नागेश्वर राव वाई
कार्यकारी निदेशक
Shri Y Nageswara Rao
Executive Director

श्री संजय कुमार
सरकारी नामिती निदेशक
Shri Sanjay Kumar
Govt. Nominee Director

श्री जी पी बोरा
भा.रि.बैं. नामिती निदेशक
Shri G P Borah
R.B.I. Nominee Director

श्री एम भगवंत राव
गैर अधिकारी निदेशक
Shri M. Bhagavantha Rao
Non Official Director

श्री वी वी आर शास्त्री
गैर अधिकारी निदेशक
Shri V V R Shastry
Non Official Director

श्री एस रघुनाथ
अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशक
Shri S Raghunath
Part-Time Non official Director

इस वर्ष पदमुक्त हुए मंडल के निदेशक
Board of Directors who demitted office this year

श्रीमती भारती राव
शेयरधारक निदेशक
Smt. Bharathi Rao
Shareholder Director

श्री पी वैद्यनाथन
शेयरधारक निदेशक
Shri P Vaidyanathan
Shareholder Director

श्रीमती सुमा वर्मा
भा.रि.बैं. नामिती निदेशक
Smt. Suma Varma
R.B.I. Nominee Director

श्री वाई.मुरलीकृष्णा
कामगार निदेशक
Shri Y Muralikrishna
Workmen Director

विषय वस्तु	पृष्ठ सं.	CONTENTS	Page No.
सूचना	2	Notice	165
निष्पादन वैशिष्ट्य 2016-17	7	Performance Highlights 2016-17	171
निष्पादन की एक झलक	9	Performance at a glance	173
शेयरधारकों को अध्यक्ष का संदेश	10	Message from the Chairman to Shareholders	174
शेयरधारकों को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश	12	Message from the Managing Director & CEO to Shareholders	176
निदेशकों की रिपोर्ट	15	Directors' Report	179
व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट	48	Business Responsibility Report	217
कंपनी शासन रिपोर्ट	58	Corporate Governance Report	229
कंपनी शासन रिपोर्ट पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र	83	Auditor's Certificate on Corporate Governance Report	255
तुलन पत्र	84	Balance Sheet	256
लाभ व हानि लेखा	85	Profit & Loss Account	257
तुलन पत्र व लाभ व हानि लेखे की अनुसूचियां	86	Schedules to Balance Sheet and Profit & Loss Account	258
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	94	Significant Accounting Policies	266
लेखों पर टिप्पणियां	101	Notes on Accounts	274
नकदी प्रवाह विवरण	130	Cash Flow Statement	304
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	132	Independent Auditors' Report	306
बेसल प्रकटीकरण दस्तावेज	134	Basel Disclosure Document	308
अविस्मरणीय घटनाओं की झलकियाँ	161	Glimpses of Memorable Events	161
एनईसीएस फार्म	337	NECs Form	338
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश फार्म	339	Attendance Slip cum Entry Form	340
प्रॉक्सी फॉर्म	341	Proxy Form	342

वार्षिक सामान्य बैठक
दिनांक : 23 जून, 2017 समय : 10.00 बजे
स्थान : मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह,
विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, एम. जी. रोड, बेंगलूरु - 560 001

ANNUAL GENERAL MEETING
Date : 23rd June, 2017 Time : 10.00 a.m.
Place : Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium,
Vijaya Bank Head Office, M.G. Road, Bengaluru - 560001

लेखा परीक्षक
AUDITORS

मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी
M/s. PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP
कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेश्वरन
For M/s. Jagannathan & Sarabeswaran
कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं.
For M/s. Shiv Jindal & Co
कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं.
For M/s. O P BAGLA & Co.

पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट
REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
M/s. Link Intime India Private Limited
ईकाई : विजया बैंक
Unit: Vijaya Bank
सी -13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड
C-13, Pannalal Silk Mills Compound,
एल.बी.एस.रोड, भांडूप (पश्चिम), मुंबई - 400 078
L B S Road, Bhandup (West), Mumbai - 400 078
दूरभाष Phone : (022) 25946970, फैक्स Fax : (022) 25946969
ई-मेल E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

विजया बैंक VIJAYA BANK

(भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking)
प्रधान कार्यालय Head Office No. 41/2, एम.जी.रोड, M.G. Road, बेंगलूरु Bengaluru - 560 001
दूरभाष Phone : 080 - 2558 4066 (20 लाईन्स lines) फैक्स Phone : 080 - 255994737
वेबसाईट Website : www.vijayabank.com

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय : बेंगलूरु - 560001

सूचना

यह नोटिस दिया जाता है कि विजया बैंक (शेयर व बैठक) विनियमावली 2008 के नियम 56 के अंतर्गत विजया बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवी वार्षिक सामान्य बैठक, शुक्रवार, 23 जून, 2017 को सुबह 10.00 बजे मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर - 560001 में आयोजित की जाएगी जिसमें नीचे उल्लिखित कारोबार किया जाएगा :

सामान्य कारोबार

मद सं.1 : 31 मार्च 2017 तक के लेखापरीक्षित बैंक के तुलन-पत्र, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ व हानि लेखा एवं लेखों से संबंधित अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, अनुमोदित करना तथा अंगीकार करना.

मद सं.2 : वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए बैंक के शेयरों पर लाभांश की घोषणा.

विशेष कारोबार

मद सं.3 : निम्नलिखित पर एक विशेष संकल्प (संकल्पों) के रूप में विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन पारित करना :

''**संकल्प किया जाता है** कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (विनियमन अधिनियम), विजया बैंक (शेयर एवं बैठकें संशोधन) विनियम, 2008 (बैंक विनियम), विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनिमय, 2009 (सेबी आई.सी.डी.आर. विनियम), विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण एवं निर्गम) विनिमय, 2000, समय-समय पर संशोधनों के यथा लागू प्रावधानों तथा भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्गम नियम एवं विनियम, दिशानिर्देशों, परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों और/अथवा अन्य कोई सक्षम प्राधिकरण और यथा लागू कानून, नियम एवं विनिमय (फिलहाल उनमें हुए संशोधन अथवा प्रवर्तनों को शामिल करके), सेबी (दायित्व तथा प्रकटीकरण अपेक्षाओं को सूची में सम्मिलित करना) विनियम, 2015, स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ बैंक द्वारा किए गए करारों, भारत सरकार और/अथवा भारतीय रिजर्व बैंक और/अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के यथा लागू एवं आवश्यक किसी अनुमोदन, सहमति, अनुमति अथवा स्वीकृति, भारत अथवा बाहरी देश तथा इस संबंध में जैसा भी आवश्यक हो, के अधीन किसी प्राधिकरण के अनुमोदन सहमति, अनुमति अथवा स्वीकृति अथवा निदेशक मंडल (जिसे अब से ''बोर्ड'' कहा गया है, जिस शब्द में बोर्ड द्वारा गठित कोई समिति शामिल है) शेयरधारकों की सहमति आई.सी.डी.आर. विनियम के अध्याय तखखख के अनुसार एतद्वारा सृजन,प्रस्ताव,निर्गम तथा आबंटन हेतु बोर्ड को अर्हक संस्थागत संस्थापक द्वारा सेबी आई.सी.डी.आर. विनियम के अध्याय तखखख में परिभाषित तथा ऐसे निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य एक या अधिक संस्थापकों के माध्यम से बोर्ड द्वारा जैसा भी निर्णय लिया जाये और लागू कानून एवं विनियमों में अनुमत होगा, चालू बाजार की स्थिति एवं अन्य संगत तथ्यों पर विचार करते हुए और जहां आवश्यक हो अग्रणी प्रबंधक/कों और/अथवा हामीदार और/अथवा सलाहकारों के परामर्श से ऐसे समय या समयों पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर उन नियम एवं शर्तों पर, इस ऑफर, निर्गम एवं आबंटन के समय निवेशकों की ऑफर, निर्गम एवं आबंटन किया जाना है, उनकी श्रेणी निर्धारित करने के विवेकाधिकार सहित इस प्रकार प्रीमियम मूल्यों को शामिल करके कुल रु 1000 करोड (रूपए एक हजार करोड मात्र) की राशि जुटाने तक के शेयर निर्माण, प्रस्तुत, निर्गत एवं आबंटित करने की सहमति दी जाती है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि निर्गम ईक्विटी शेयर की रैंकिंग बैंक के लाभांश युक्त वर्तमान शेयरों के समरूप होगी और घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के शेयर घोषित लाभांश के हकदार होंगे.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय viii के अनुसरण में पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में :

क. आईसीडीआर विनियम के अध्याय viii के अनुसार प्रतिभूतियों का आवंटन केवल पात्र संस्थागत खरीदारों के लिए किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णत: प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों के आवंटन के इस संकल्प के दिनांक से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा.

ख. आई.सी.डी.आर. के विनियमन 85(1) के प्रावधान के आगे, बैंक को विनियम के अनुसार निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम पांच प्रतिशत की रियायत में शेयर उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.

ग. प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण के लिए सुसंगत दिनांक आईसीडीआर विनियम के अनुसार होगा.

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि उक्त संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड को बैंक के निमित्त अधिकृत किया जाए, कि वह सभी कार्य, करार, कार्रवाई करें जिसमें मसौदे को तैयार करने और अनुमोदन देने के साथ-साथ निर्गम के प्रारूप और प्रक्रिया को निर्धारित करना, अंतिम ऑफर दस्तावेज हेतु निर्गम का फार्म एवं उसे निर्गम करने की प्रक्रिया तय करना,

जिसमें उन निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें ईक्विटी शेयर निर्गम एवं आबंटित किए जाने हैं, आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम का प्रीमियम मूल्य, शामिल होंगे, जैसा कि संपूर्ण विवेकाधिकार में समुचित प्रतीत हो और सभी प्रश्नों, कठिनाइयों अथवा संदेह, जो शेयरों के निर्गम, ऑफर अथवा आबंटन के समय प्रस्तुत हों और निर्गम प्राप्तियों का सदुपयोग, इसके सदस्यों की सहमति अथवा अनुमोदन की अपेक्षा किए बिना या अन्यथा, इस आशय से कि सदस्यों द्वारा इस संकल्प के माध्यम से अपना अनुमोदन अभिव्यक्त कर दिया गया है, जैसा कि संपूर्ण विवेकाधिकार में समुचित प्रतीत हों.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बोर्ड को, एतद्वारा अग्रणी प्रबंधकों/विधिक सलाहकारों, हामीदारों, बैंकरों, परामर्शदाताओं को जरूरत के अनुसार काम पर रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और इस प्रकार के अभिकरणों को ईक्विटी शेयरों को प्रस्तावित करने और इससे संबंधित कार्यों में शामिल किया जाएगा और श्रमपूर्ति कमीशन, दलाली, शुल्क या इसी तरह के व्यय और वे ऐसे अभिकरणों के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, समझौतों ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि का निष्पादन भी करेंगे और जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं उन स्टॉक एक्सचेंजों में ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने का प्रयास करेंगे.''

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा निदेशकों की समिति को गठित करने, निदेशकों की समिति/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपनी सभी या कुछ शक्तियां प्रदत्त करने तथा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक(कों) उपरोक्त संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए तथा ऐसे सभी कार्यों, प्रलेखों, मामलों तथा अन्य कार्यों को करने एवं ऐसे परिवर्तनों या संशोधनों को स्वीकार करने जो उचित और विधिवत हों, और ईक्विटी शेयर के आबंटन के संबंध में किसी प्रश्न या कठिनाई निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देशों के सहित या रहित प्राधिकृत किया जाता है :

- आवश्यकता के अनुसार ड्राफ्ट को अनुमोदित करना/अंतिम रूप से प्रस्तावित दस्तावेजों को किसी अन्य प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष दायर करना ;
- निर्गम मूल्य, शेयरों के आबंटन की संख्या, निर्गम समय रेखा का अनुमोदन, ईक्विटी शेयरों के विनियोजन और आबंटन का आधार ;
- ईक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित सभी करारों, समझौतों तथा सभी वांछनीय दस्तावेजों, कार्यों एवं प्रपत्रों के निष्पादन एवं सुपुर्दगी की व्यवस्था एवं प्रबंध करना ;
- ऐसे बैंक खाते खोलना जो ऑफर के संदर्भ में आवश्यक हों ;
- ऐसे सभी कार्यों, मामलों व अन्य कार्यों को करना तथा सभी दस्तावेजों को निष्पादित करना और ऐसे सभी शुल्कों का भुगतान करना जो संपूर्ण विवेक में आवश्यक प्रतीत होते हों, और संव्यवहारों के प्रयोजन से वांछनीय हों ;
- उचित प्राधिकारियों से ऐसे सभी आवश्यक आवेदन करना तथा इस संबंध में विनियामक पूर्ति के आवश्यक कार्य करना ;
- बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज(जों) को आवेदन देना जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं.''

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते विजया बैंक

ह/–

स्थान : बेंगलूर — **(डॉ. किशोर सांसी)**

दिनांक : 09.05.2017 — **प्रबंध निदेशक एवं सीईओ**

टिप्पणियां

मद संख्या 3 के संबंध में भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने के लिए विवरणात्मक ब्यौरा इसके साथ संलग्न है.

1. **प्रॉक्सी की नियुक्ति :**

बैठक में भाग लेकर वोट देने के हकदार शेयरधारक, खुद के बजाय बैठक में भाग लेकर वोट देने के लिए किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने का भी हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक के शेयरधारक होने की ज़रूरत नहीं है. तथापि, ऐसे प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं है. विजया बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता. प्रॉक्सी फार्म तभी प्रभावी होगा जब उसे वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात शाम 5.00 बजे शनिवार, 17 जून, 2017 को या उससे पहले यानी समापन घंटों तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, विजया बैंक, मंडल सचिवालय, 41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूर – 560001 को जमा/प्रस्तुत किया गया हो.

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी व्यक्ति, किसी ऐसी कंपनी या कंपनी निकाय, जो बैंक का शेयरधारक हो, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या वोट देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करते हुए संकल्प की ऐसी प्रतिलिपि जिसे उस बैठक के अध्यक्ष ने, जिसमें उसे पारित किया गया हो, सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया हो, बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात शाम 5.00 बजे शनिवार, 17 जून, 2017 को या उससे पहले यानी समापन घंटों तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, विजया बैंक, मंडल सचिवालय, 41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूर – 560001 को जमा/प्रस्तुत की गयी हो.

3. **उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पर्ची**

शेयर धारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पर्ची संलग्न की गयी है. शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे संलग्न पर्ची भरें और उसमें निर्दिष्ट स्थान में अपने हस्ताक्षर कर उसे बैठक के स्थान में अभ्यर्पित करें. शेयर धारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को चाहिए कि वह उपस्थिति–सह–प्रवेश पर्ची पर यह उल्लेख करें कि वह 'प्रॉक्सी' है या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जो भी मामला हो.

4. **सदस्यों के रजिस्टर के बंद होना :**

सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में और शेयरधारकों को अंतिम लाभांश पाने के लिए हकदार बनाने के लिए विजया बैंक (शेयरों और बैठक) विनियम 2003 के खंड 12 के अनुसरण में, सदस्यों के रजिस्टर और बैंक शेयर आंतरण बहियां शनिवार 17 जून 2017 से शुक्रवार 23 जून 2017 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी.

5. **मताधिकार**

अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक जो अंतिम दिनांक यानि शुक्रवार, 16 जून 2017 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा.

विजया बैंक (शेयर और बैठकें संशोधन) विनियम, 2003 के विनियम 10 के अनुसार कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है, मतदान के संबंध में, उसको एकमात्र शेयरधारक माना जाएगा.

6. **ई–वोटिंग: सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार**

नोटीस में सूचित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने हेतु बैंक के शेयरधारकों को अपने अधिकार के प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने मे बैंक सहर्ष है. अपने मतदान करने के लिए सक्षम बनाने के लिए सभी शेयरधारकों को एक अलग सूचना प्रेषित की जाएगी

रिमोट ई–मतदान की अवधि 20.06.2017 (मंगलवार) को सुबह 10.00 बजे से शुरू होती है और 22.06.2017 (गुरुवार) शाम 5.00 बजे समाप्त होती है. शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों के ई–वोटिंग अधिकारों को उन द्वारा यथा 16 जून 2017, जो इस उद्देश्य के लिए अंतिम दिनांक है. अंतिम तारीख को, भौतिक या अमूर्त रूप में बैंक के शेयर धारित शेयरधारक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मत डाल सकते हैं.

7. **लाभांश का भुगतान**

मंडल की सिफारिश के अनुसार तथा वार्षिक सामान्य बैठक में घोषित लाभांश, घोषणा के 30 दिनों के अंदर उन सभी को लाभांश अदा किया जाएगा जो बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है :

क) अमूर्त रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में 16 जून, 2017 को कारोबार घंटों की समाप्ति पर राष्ट्रीय सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) प्रस्तुत की गयी सूची के अनुसार हितकारी मालिक हैं.

ख) शेयरधारक , जिनके नाम यथा शुक्रवार, 16 जून 2017 को बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है.

ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट ईसीएस या बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़रिए शेयर अंतरण एजेंट अर्थात मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के माध्यम से घोषणा के 30 दिनों के अंदर अर्थात 22 जुलाई, 2017 के अंदर भेजा/जमा किया जाएगा.

8. **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) द्वारा लाभांश का भुगतान**

यदि शेयरधारक जिन्होंने अब तक हमारे रजिस्ट्रार, मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या निक्षेपागार प्रतिभागी (डीमैट होल्डिंग्स के मामले में) को एनईसीएस / बैंक खाता विवरण नहीं भेजा है तो, हम अनुरोध करते हैं कि उक्त ब्योरे संलग्न प्रारूप में दें, ताकि लाभांश का शीघ्र, सुरक्षित और सही भुगतान किया जा सके.

9. **दावा रहित लाभांश, यदि कोई हो तो :**

पिछली अवधियों के लिए जिन शेयरधारकों ने लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है/भुनाया नहीं है, अगर कोई हो तो, से अनुरोध है कि बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें.

घोषणा के दिनांक से 30 दिनों की समाप्ति के बाद 7 दिनों के अंदर यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश भुनाया/का दावा न किया हो तो बैंक लाभांश खाते से ऐसी राशि का एक अलग खाते ..... वर्ष के लिए विजया बैंक का अदत्त लाभांश खाता'' में अंतरण कर दिया जाएगा.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10(ख) के अनुसार 7 वर्षों तक अदत्त या दावा रहित लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा संस्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा तथा इसके बाद बैंक या आईईपीएफ से इसकी अदायगी का दावा नहीं किया जा सकता है.

(भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2009-10 के लिए बैंक के पास स्थित अदत्त/ दावा रहित लाभांश को 13.08.2017 को आईईपीएफ को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सभी संबंधित शेयरधारकों को 15-07-2017 तक उनके दावे भेजने के लिए अनुरोध करते हुए अनुस्मारक पत्र भेजे जा रहे हैं. अगर दावा नहीं किया जाता है तो इस खाते में बची हुई शेष राशि को आईईपीएफ खाते में आंतरित कर दिया जाएगा और उसके बाद उस संबंध में मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कोई भी दावा शेयरधारकों को उपलब्ध नहीं होगा)

10. शेयरधारकों से अनुरोध

10.1 तुलन पत्र की प्रतियां

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सामान्य बैठक में वितरित नहीं की जाएगी अत: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ में लाएं जो बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर डाक द्वारा भेजी जाती है.

10.2 शेयरों का अमूर्तीकरण

उन शेयरधारकों से जिनके शेयर प्रमाणपत्र अब भी मूर्त रूप में है, अनुरोध है कि अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा लें, चूंकि सेबी ने हमारे बैंक का नाम अनिवार्य रूप से अमूर्त रूप में शेयरों का व्यापार करने की सूची में जोडा है.

10.3 पते में परिवर्तन अधिसूचित करना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि पते में परिवर्तन/बैंक खाते में परिवर्तन होने पर तत्काल इसकी सूचना निम्न को दें.

क) अमूर्त रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी.

ख) मूर्त रूप में धारित शेयरों के संबंध में शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : विजया बैंक, सी-101, 247 पार्क एलबीएस रोड,विखरोली (प), मुंबई - 400083.

ग) भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से यह अनुरोध भी है कि वे अपना ई-मेइल पता बैंक/ आर व टी एजेंट के साथ पंजीकृत करवाए/अद्यतन करवाए ताकि बैंक सभी सूचना/वार्षिक रिपोर्ट आदि ई-मेइल के जरिए प्रेषित कर सकें. डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपोसिटरी पार्टिसिपन्ट के साथ ई-मेइल पता अद्यतन करवाएं. यह, कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरु किए गए कंपनी मामलों में हरित पहल को लागू करने की योजना के अनुसार है.

10.4 फोलियो का समेकन:

शेयरधारक जो समान नाम या संयुक्त नाम पर उसी नाम क्रम में अलग-अलग फोलियो में मूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं उनसे अनुरोध है कि शेयर प्रमाणपत्र बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम प्राइवेट लिमिटेड को भेजें ताकि एक ही फोलियो के रूप में समेकन हो सके.

10.5 स्थिति में परिवर्तन का अभिलेखन

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को तत्काल निम्न सूचना दें :

क) स्थाई निवास के लिए भारत लौटते समय निवासीय स्थिति में परिवर्तन.

ख) भारत में स्थित बैंक खाते के विवरण जैसे पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार तथा खाते की संख्या आईएफएससी कूट व एमआईसीआर कूट और पिन सहित बैंक का पता, अगर पहले नहीं दिया हो तो.

10.6 लेखों की सूचना

खातों की सूचना चाहनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक को पत्र लिखें, जो वार्षिक सामान्य बैठक के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पहले बैंक को पहुंच जाता है जिससे प्रबंधन सूचना तैयार करके रख सके. उत्तर केवल वार्षिक सामान्य बैठक में ही उपलब्ध कराया जाएगा.

11. अन्य सूचना

11.1 हरित पहल का समर्थन करते हुए बैंक ने यह निर्णय लिया है कि जिन शेयरधारकों ने अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण अभिकर्ता के साथ अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत किया है, उनको वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिए भेजी जाएगी.

11.2 शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के दौरान कोई उपहार/ उपहार कूपन वितरित नहीं किया जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते विजया बैंक

ह/-

स्थान : बेंगलूर **(डॉ. किशोर सांसी)**

दिनांक : 09.05.2017 **प्रबंध निदेशक एवं सीईओ**

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या. 3:

बैंक के पूंजी जुटाने का कार्यक्रम

i. बैंक बैंकिंग और संबंधित गतिविधियों का कारोबार करता है. वर्तमान में बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु.3000 करोड़ है और बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु.998.85 करोड़ है और यथा 31 मार्च 2017 को बेसल III के तहत बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 12.73% है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 10.25% से अधिक है.

ii. बेसल III पूंजी विनियमों के अनुसार धन की बढ़ती पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए और बोर्ड द्वारा तय किए जाने वाले सामान्य ऋण उद्देश्यों के लिए, बैंक की पूंजी पर्याप्तता में सुधार करने और बैंक के सामान्य व्यवसाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए बैंक का प्रस्ताव है.

iii. प्रस्तावित विशेष संकल्प, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव, अधिकार निर्गम, अर्हक संस्थागत स्थानन के माध्यम से इक्विटी शेयर/अधिमान शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम तथा आबंटन हेतु सदस्यों से किसी आगे के अनुमोदन की आवश्यकता के बिना निदेशक मंडल (मंडल) को बैंक के सदस्यों के प्राधिकार को सक्षम बनाने की अनुमति चाहता है.

iv. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2 ख) (ग) के अनुसार, बैंक की प्रदत्त पूंजी बढाने के लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करेगा. सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर अधिमान्य / क्यूआईपी आधार पर रु. 1000 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी (प्रीमियम सहित) निर्गम करने का बैंक का प्रस्ताव है, जो उस तरीके से कि भारत सरकार का शेयर पूंजी 52% से कम नहीं है.

v. सेबी (एलओडीआर) विनियमक 2015 की विनियम 41 (4) प्रदान करता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई आगे की निर्गम या प्रस्ताव किया जा रहा हो तो जब तक कि सामान्य बैठक में शेयरधारकों को अन्यथा तय नहीं किया जाता मौजूदा शेयरधारकों को समान आधार पर प्रस्तावित किया जाना चाहिए. यदि उक्त संकल्प पारित किया जाता है तो, बैंक की तरफ से बोर्ड को मौजूदा शेयरधारकों को अन्यथा यथानुपात आधार पर प्रतिभूतियों को निर्गम करने और आवंटित करने की अनुमति दी जाएगी.

vi. नोटिस की मद सं. 3 में निहित विशेष संकल्प चाहता है कि बैंक को अर्हक संस्थागत स्थानन के माध्यम से क्यूआईबी सहित विभिन्न तरीकों के द्वारा गैर-शेयरधारकों सहित व्यक्तियों को इक्विटी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम तथा आबंटन करने में बैंक सक्षम हो.

vii. क्यूआईबी (अर्ह संस्थागत खरीदार) के साथ अधिकार निर्गम/ एफपीओ/क्यूआईपी (अर्ह संस्थागत स्थानन) सहित विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत पूंजी जुटाने के लिए बैंक की 16 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य सभा की मंजूरी प्राप्त की गई थी. दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे निर्गम के लिए प्रस्तावों की वैधता एक वर्ष तक सीमित है. भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एक बार फिर सामान्य सभा का अनुमोदन मांगा गया है.

viii. आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIIIV के अनुसार, क्यूआईपी के आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम केवल उस मूल्य में होना चाहिए जो सुसंगत दिनांक से पूर्व दो सप्ताह के दौरान शेयर बाजार में उद्धृत शेयरों के अंतिम मूल्य के उच्च और कम के औसत से कम न हो.

ix. सुसंगत दिनांक का अर्थ उस बैठक का दिनांक होगा जिसमें बैंक का बोर्ड या समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेती है.

x. इक्विटी शेयरों के निर्गम के लिए विस्तृत नियम और शर्तें, मंडल द्वारा मर्चेंट बैंकरों, अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों और ऐसे अन्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो प्रचलित बाजार शर्तों और अन्य सुसंगत कारकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा निर्धारित किया जाना है.

xi. चूंकि बाद की स्थिति के अलावा प्रस्ताव का मूल्य निर्धारण का निर्णय नहीं लिया जा सकता है, शेयरों की कीमत सूचित करना संभव नहीं है. तथापि, यह आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा. जैसे मंडल अपने संपूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझता है, संकल्प, ऐसे समय या समयों में ऐसे मूल्य या मूल्यों में बोर्ड / निर्गम समिति को एक या अधिक हिस्सों में उसमें सूचित निवेशकों के लिए इक्विटी शेयरों को जारी करने के अधिकार देने की इच्छा करता है. पूर्वोक्त कारणों के लिए, हमें पर्याप्त लचीलापन और निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए मंडल को विवेकाधिकार देने के लिए एक सक्षम संकल्प प्रस्तावित किया गया है.

xii. जारी किए गए इक्विटी शेयर, लाभांश सहित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी प्रकार से समान स्तर में रहेंगे.

आपके निदेशक नोटीस की मद सं. 3 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करते हैं.

बैंक के किसी भी निदेशक को बैंक में अपने शेयरधारिता की सीमा के अलावा, उपर्युक्त संकल्प(पों) में न रुचि है या वे उससे संबंधित हैं.

कार्य निष्पादन की झलकियाँ : 2016–17

व्यापार वृद्धि

- बैंक का कुल कारोबार ₹ 2,29,833 करोड़ के अभी तक के सबसे उच्चतम पर पहुँच गया है.
- कुल जमाएँ यथा 31.03.2016 के ₹ 12,5441 करोड़ से बढकर यथा 31.03.2017 को 6.04% की, वृद्धि के साथ ₹ 1,33,012 करोड़ हो गया है.
- बचत बैंक जमा 28.41% सुदृढ़ वृद्धि के साथ दिनांक 31.03.2017 को बचत बैंक जमा ₹ 28,835 करोड हो गया है.
- चालू खाता जमा 28.41% सुदृढ़ वृद्धि के साथ दिनांक 31.03.2017 को ₹ 8,564 करोड हो गया है.
- कासा जमा 28.41% की वृद्धि के साथ ₹ 37,398 करोड़ हो गया है.
- कुल जमाओं का कासा प्रतिशत 23.22% से 28.12% बढ़ गया है.
- खुदरा मीयादी जमा अग्रिम 31 मार्च, 2016 के ₹ 44,269 करोड़ से 31 मार्च 2017 तक 7.30% प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ ₹ 47,514 करोड़ हो गए हैं.
- अग्रिम 31.03.2016 के ₹ 90,765 करोड़ से 31.03.2017 तक 6.67% प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ ₹ 96,821 करोड हो गया है.
- खुदरा अग्रिम 31.03.2016 के ₹ 23,593 करोड़ से 31.03.2017 तक 24.33% बढ़ोत्तरी के साथ ₹ 29,335 करोड़ हो गए हैं.
- कुल अग्रिम का खुदरा अग्रिम का प्रतिशत यथा 31.03.2016 के 26% से बढ़कर यथा 31.03.2017 को 30.29% हुआ है.
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आवास ऋण और शिक्षा ऋण क्रमश: 29.09% तथा 21.35% की सुदृढ वृद्धि दर्ज किया है.
- ऋण जमा अनुपात में 31.03.2017 को 72.79% प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ सुधार हुआ है.

आय और लाभप्रदता

- बैंक का परिचालन लाभ ₹ 2421.15 करोड़ से 56.32% प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ ₹1548.87 करोड़ हो गया है.
- बैंक का निवल लाभ 96.56% की वृद्धि के साथ ₹ 381.80 करोड़ से ₹ 750.48 करोड़ रहा.
- शुल्क आधारित आय 35.12% की वृद्धि के साथ ₹ 528.66 करोड़ से ₹ 714.30 करोड़ रहा.
- बैंक की निवल ब्याज आय 27.01% की बढोत्तरी के साथ ₹ 2760.83 करोड़ से ₹ 3506.44 करोड़ रहा.
- निवल ब्याज मार्जिन में 2.27% से 2.77% तक 50 बीपीएस की बढोत्तरी हुई है.
- कुल अन्य आय 88.96% की बढोत्तरी के साथ ₹ 873.86 करोड़ से ₹ 1651.26 करोड़ रहा.

आस्ति गुणवत्ता

- यथा 31 मार्च 2016 के बैंक का सकल एनपीए अनुपात 6.64% प्रतिशत से यथा 31 मार्च 2017 को 6.59% के साथ सुधार हुआ है.
- यथा 31 मार्च 2016 के बैंक का निवल एनपीए अनुपात 4.81% प्रतिशत से यथा 31 मार्च 2017 को 4.36% के साथ सुधार हुआ है.
- प्रावधान कवरेज अनुपात में 58.15% तक बढोत्तरी हुई है.

प्राथमिकता क्षेत्र संचालन

- प्राथमिकता क्षेत्र संविभाग दिनांक 31.03.2016 के ₹ 38,003 करोड़ से दिनांक 31.03.2017 को बढ़कर ₹ 40,594 करोड़ रहा.
- बैंक ने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 41.35% प्रतिशत तक संविभाग को पहुँचाकर प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल किया है.
- वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के कृषि ऋण 13.51% प्रतिशत की वृद्धि के साथ, कमजोर वर्ग हेतु अग्रिम ₹ 15,632 करोड़ रहा.
- कमजोर वर्ग के अग्रिम ₹ 13,149 करोड रहा, जो 10% के मानदंड के प्रति एएनबीसी के 13.39% रहा.
- महिला हिताधिकारियों के लिए अग्रिम यथा 31 मार्च 2016 के ₹ 7,790 करोड के प्रति यथा 31 मार्च 2017 को 22% की वृद्धि दर दर्ज करके ₹ 9,500 करोड़ रहा. बैंक ने एएनबीसी के 5% के निर्धारित लक्ष्य के प्रति एएनबीसी के 9.68% हासिल किया है.

वित्तीय समावेशन

- बैंक ने ग्रामीण जनता को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए अपना विजया वित्तीय साक्षरता न्यास (वीएफएलटी) का गठन किया हैं. वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, बैंक ने 3 नए वित्तीय साक्षरता केंन्द्र खोले हैं इसके साथ बैंक के कुल 18 केन्द्र हो गए हैं.

- वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने सभी प्रकार के बचत बैंक खातों में आधार विवरण जोड़ने के लिए आधार दर्ज करने का अभियान शुरू किया था. वित्तीय वर्ष 2016-17 तक बैंक ने परिचालन पीएमजेडीवाई खातों में 88% हासिल किया है, केन्द्र शासित क्षेत्र में 72% परिचालन बचत बैंक खाते और सभी बचत बैंक परिचालन खातों में 62% रहा.
- पीएमजेडीवाई खाताधारकों के लिए बैंक के सभी एटीएम में स्वचालन ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
- सभी शाखाओं में और हैंड होल्ड मशीन / माइक्रो एटीएम में भी ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
- बैंक ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ₹ 191.41 करोड़ के कुल बचत के साथ 14.90 लाख मूल बचत बँक खाता खोला है, बेसिक बचत बैंक जमा खातों को खोला है और सभी खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्डों को प्रदान किया गया है. 12.93 लाख खाते में आधार संख्या दर्ज की गई हैं. बैंक ने ₹104.81 लाख के साथ ओवरड्राफ्ट सुविधा 6107 पीएमजेडीवाई खाता धारकों को मंजूर की है.

इन्फोटेक प्रगति

- वर्ष के दौरान, बैंक ने कई आईटी आधारित उत्पादों जैसे साफ्टवेयर टोकन - दो कारक प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त माध्यम, ग्राहक के द्वारा अपने आप इंटरनेट बैंकिंग (वी-नेट बैंक) को सक्षम और असक्षम सुविधा प्रदान करने के लिए टॉगल वी-नेट बैंकिंग का प्रारंभ किया है.
- बैंक ने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्ड इन, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में अपनी उपस्थिति के साथ सोशियल मीडिया बैंकिंग में कदम रखा है.
- डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति करते हुए बैंक ने डिजिटल गांव प्रारंभ किया है और यह पहल शुरू करने वाले के उद्योग में हम ही सर्वप्रथम हैं.
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड कारोबार में 87.75% की वृद्धि हुई है.
- बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष के 10.76 लाख कार्डों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14.46 लाख कुल डेबिट कार्ड जारी किया है.

पूंजी-पर्याप्तता

- बैंक ने बेसल III मानदंडों का अनुपालन किया है और यथा 31.03.2017 को 10.25% के न्यूनतम विनियामक पूंजी के प्रति सकल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.73% (टियर I - 9.96%, टियर - II 2.77%) है.
- बैंक ने बेसल II मानदंडों का भी अनुपालन किया है और यथा 31.03.2017 को समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.95% रहा है, जिसका न्यूनतम निर्धारित मानदंड 9% है.
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बेसल III अनुरूप अतिरिक्त टियर-बांड के जरिए अतिरिक्त टीयर I की ₹ 325 करोड़ राशि को बढाते हुए बैंक अपनी पूंजी की स्थिति संवर्धित की है और आंतरिक संचय के जरिए ₹ 420.12 करोड़ तक उपार्जन (विनियामक पूंजी हेतु गणना) बरकरार रखा है.
- यथा 31.03.2017 के न्यूनतम एलसीआर के 80% के प्रति यथा 31.03.2017 को बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) 160.47% रहा और भारतीय रिज़र्व बैंक के 4.50% के सूचक अनुपात के प्रति यथा 31.03.2017 को बैंक के लीवरेज अनुपात 5.36% रहा.

निष्पादन की एक झलक

(₹ करोड़ों में)

प्रमुख मानदंड	2014–15	2015–16	2016–17
शाखाओं की संख्या	1618	1863	2031
एटीएम की संख्या	1383	1651	2001
आरक्षिति और अधिशेष	5301	6472	7153
सकल लाभ	1259	1549	2421
निवल लाभ	439	382	750
कुल जमाराशियां	126343	125441	133012
वृद्धि %	6.39	3.50	6.04
कासा जमाराशियां	25721	29125	37398
वृद्धि %	12.52	13.23	28.41
कुल जमाराशियों का %	20.37	23.22	28.12
सकल ऋण	87692	90765	96821
वृद्धि %	6.39	3.50	6.67
कुल कारोबार	214035	216206	229833
वृद्धि %	3.47	1.01	6.30
सकल एनपीए	2443	6027	6382
(%)	2.78	6.64	6.59
निवल एनपीए	1660	4277	4118
(%)	1.92	4.81	4.36
निवेश	40934	42178	44425
प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम	30714	38003	40594
एएनबीसी के प्रति %	35.97	41.54	41.35
कुल कर्मचारी	13617	14544	15679
प्रति कर्मचारी कारोबार	14.96	14.58	15.51
प्रमुख अनुपात (%)			
जमा लागत	8.10	7.34	6.50
अग्रिमों पर आय	11.34	10.52	9.89
निवल ब्याज मार्जिन	1.93	2.27	2.77
आस्तियों पर आय	0.33	0.28	0.49
पूंजी पर्याप्तता अनुपात % (बेसल III)	11.43	12.58	12.73

शेयरधारकों को अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

विजया बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन की ओर से मुझे वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक की प्रगति तथा निष्पादन को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है.

अधोमुख पण्य कीमत और अस्थिर वित्तीय बाजार की पृष्ठभूमि में न्यूनतर विकास के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति कमजोर रहेगी. अनेक अग्रणी और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने वर्ष के दौरान आर्थिक निष्पादन में गिरावट दर्शाई है जिसका उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन का निर्णय यूरोपीय यूनियन को छोड़ना है और अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का परिणाम है. वर्ष के दौरान उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्था ने निष्पादन को कम दिखाया है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमी विकास के संदर्भ में, भारत का विभिन्न कठिनाइयों और अधोगामी दबावों के बावजूद सतत् आर्थिक विकास हुआ है. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, अर्थव्यवस्था वर्ष 2016-17 में 7.1% की जीडीपी वृद्धि दर दर्ज किया जाना अपेक्षित था. बैंकिंग क्षेत्र के लिए, वित्तीय वर्ष 2016-17 दबाव तथा चुनौतियों का वर्ष था, बैंक की आस्ति गुणवत्ता ने दबाव में वृद्धि दर्शाई है जो कि लाभप्रदता को प्रभावित करते हैं. कई बैंकों ने गैर-निष्पादनक ऋणों के लिए अधिक प्रावधान करने के पश्चात हानि दर्शाई है.

विजया बैंक परिचालन क्षमता में लक्षित विवेकपूर्ण नीतियों के साथ दूरदर्शी विकास के कारोबार रणनीति को अपनाते हुए इन चुनौतियों से पार पा सका है, हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम हुआ. बैंक ने लागत, विकास और जोखिम प्रबंधन के संबध में ध्यान रखा और अनुशासित दृष्टिकोण अपनाया.

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने अपने कारोबार संविभाग को मजबूत करने, पूरे देश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने तथा ग्राहक आधार बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक पहल किए हैं. हमने नेटवर्क को मजबूत किया है, हमारे कारोबार, लाभप्रदता को बढ़ाया है और प्रौद्योगिकीय उन्नति के माध्यम से कॉरपोरेट मूल्य बढ़ाया है.

बैंक का कुल कारोबार 31 मार्च 2017 को अब तक का सर्वाधिक होकर ₹ 2,29,833 करोड़ तक पहुँच गया. वर्ष के दौरान, बैंक ने खुदरा कारोबार संविभाग के आस्ति और देयता दोनों खंडों में उल्लेखनीय प्रगति की है. बैंक का खुदरा बैंकिंग संविभाग और 24.33% के मजबूत विकास के साथ बाजार में उत्कृष्ट निष्पादन करना जारी रखा है और बैंक का खुदरा अग्रिम कारोबार सकल ऋण का 30.29% तक हुआ है. बचत जमाराशि तथा चालू खाता जमाराशि में क्रमशः 28.41% और 28.41% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है तथा वर्ष-दर-वर्ष कासा अनुपात 4.90% बढ़कर 28.12% हो गया है.

बैंक ने प्रत्येक तिमाही में निरंतर लाभ दर्शाया है जबकि बैंकिंग उद्योग खराब आस्ति गुणवत्ता और कमजोर कारोबार विकास के कारण विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा था. प्रावधानों से पूर्व परिचालनगत लाभ वर्ष-दर-वर्ष 56.32% बढ़कर ₹ 2421 करोड़ हो गया है. इस वर्ष का निवल लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 96.56% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹750.48 करोड़ हो गया है. बैंक ने अनेक लाभप्रदता मानदंडों जैसे निवल ब्याज मार्जिन, आस्तियों पर प्रतिलाभ आदि में प्रगति करते हुए लाभप्रदता में सकारात्मक प्रगति की है.

सक्रिय जोखिम उपाय के रूप में बैंक ने उच्च जोखिम पर अपनी नजर बनाए रखी तथा आस्तियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय पर सुधारात्मक उपाय करता रहा. ऋण नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई तथा बैंक के समग्र जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को सरेखित करने के लिए नियमित रूप से अद्यतन किया गया. बैंक ने सावधानीपूर्वक ऋण एक्सपोजर को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा तथा नियामक सीमाओं को बरकरार रखा.

आस्ति गुणवत्ता के मामले में बैंक ने ऋण संविभाग को सुधारने के लिए कई उपाय किए हैं तथा गैर-निष्पादक अग्रिमों की वसूली के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए हैं. इसके परिणामस्वरूप बैंक की आस्ति गुणवत्ता बाजार प्रवृत्तियों के प्रति स्थिर रही है. विगत वर्ष की समाप्ति पर कुल ऋणों की तुलना में निवल गैर निष्पादनकारी ऋण 4.81% से घटकर 4.36% हो गया है.

बैंक ने अपने वित्तीय शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपनी सशक्त तरलता और पूंजी स्थितियों को बनाए रखा है. बैंक ने बेसल III के अनुसार 12.73% की पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ बेहतर रूप में पूंजीकरण किया है जो कि न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं से काफी अधिक है.

वर्ष के दौरान, प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने के लिए संगठनात्मक संरचनाओं को सरल और कारगर बनाया गया है तथा बैंक ने डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने और ऑनलाइन तथा मोबाइल तकनीकी प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने के लिए उपाय किए हैं. बैंक ने स्टाफ संलग्नता स्तर को बढ़ाने के लिए और बेहतर उत्पाद तथा सेवाएँ देने के लिए व्यापक मानव विकास पहलों को अपनाया है. बैंक ने वर्ष के दौरान स्वैच्छिक रूप से विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में सक्रियता से कार्य किया है जिसके लिए इसे सभी तिमाहियों में प्रशंसा प्राप्त हुई है.

जटिल समष्टि स्थितियों के बावजूद बैंक ने उच्च-स्तरीय वृद्धि दर बनाए रखा, अच्छा प्रदर्शन किया तथा बाजार की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है.

वित्तीय वर्ष 2017-18 चुनौतियों तथा अवसर के साथ शुरू हुआ है. भारत के लिए विकास का दृष्टिकोण और समष्टि अर्थव्यवस्था स्थिरता सकारात्मक तथा अनुकूल है. बैंकिंग कारोबार चुनौतियों से भरा रहेगा. आस्ति गुणवत्ता बनाए रखना और कारोबार विकास के समर्थन के लिए पूंजी प्राप्त करना तथा विनियामक निर्धारण महत्वपूर्ण चुनौती होगी. अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ आने वाले नए आगंतुकों से बाजार में बने रहने के लिए नया खतरा पैदा होगा. हो सकता है कि भारतीय बैंक इन चुनौतियों को पूरा करने के

लिए परिवर्तनकारी परिवर्तन करेंगे और समेकन की रूप रेखा भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में कट्टरपंथी परिवर्तन ला सकता है. केवल योग्य व कुशल जो परिवर्तनों को तुरन्त स्वीकार करने के लिए तैयार होगा वही बना रहेगा.

आगे बढ़ते हुए, हम, हमारे विकास की गति को बनाए रखने के लिए अपनी दूरदर्शी रणनीति के साथ चलेंगे. बैंक का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य लाभप्रद कारोबार मॉडल का निर्माण, वृहत्त ग्राहक नीति, ब्रांड इक्विटी का लाभ उठाने और वृहद प्रौद्योगिकी अप्लीकेशन के क्रम में सहायता प्रदान करने की है. बैंक अपनी क्षमता बढ़ाने और ग्राहक के अनुभवों को विभिन्न स्तर पर सुगम और उपयोगकर्ता को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों के अद्यतन की प्रक्रिया हेतु प्रतिबद्ध है. बैंक ने अपने विस्तार योजनाओं सहित खुदरा बैंकिंग परिचालनों, अपने वित्तीय ऋण-शोधन क्षमता बढ़ाने और अपनी आस्ति संविभाग की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु अपनी प्रतिबद्धता के लिए व्यापक योजनाएं बनाई हैं. कारोबार रणनीति जोखिम पर प्रभावी नियंत्रण पर केन्द्रित है और सभी शेयरधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दीर्घावधि वृद्धि बनाए रखना है.

मैं आश्वस्त हूँ कि विजया बैंक नवाचार और और अनूठी पद्धति के साथ इन योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो सकेगा.

निदेशक मण्डल बैंक के शेयरधारकों, मूल्यवान ग्राहकों और अन्य शेयरधारकों को उनके विश्वास और सहयोग के लिए उनके प्रति अपना हार्दिक आभार और प्रशंसा व्यक्त करता है. मैं, इस अवसर पर बैंक प्रबंधन और स्टाफ को बैंक के विकास के प्रति उनके प्रयासों और समर्पण के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ.

जी नारायणन
अध्यक्ष

शेयरधारकों को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण आर्थिक विकास की समीक्षा को आपके साथ साझा करने के लिए मुझे बहुत खुशी है, जिसने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान हमारे बैंक के परिचालन वातावरण और बैंक के प्रदर्शन को एक नया स्वरूप दिया है.

वर्ष 2016-17 के दौरान, वैश्विक अर्थव्यवस्था और धीमी हो गई, जिसमें कई उन्नत और साथ ही उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन अपेक्षानुरुप नहीं था. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में मजबूत अमेरिकी डॉलर, उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और अभूतपूर्व भू-राजनीतिक बदलाव जैसे कई कारकों के साथ उच्च स्तर की अस्थिरता दर्ज की गई है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति वैश्विक अनिश्चितताओं के संचयी प्रभाव से प्रभावित हुई है और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में निरंतर मंदी आई है. पिछले वर्ष जीडीपी विकास दर 7.9% से घटकर 7.1% हो गई, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के रूप में बनी रही. मूलभूत आर्थिक संकेतकों जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), निर्यात और आयात वृद्धि, सकल स्थिर पूंजी संरचना आदि ने एक मध्यम विकास दर्शाया है.

वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई और मार्च 2017 के लिए उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 5% के लक्ष्य के अंदर सहजरूप से बनी रही. मार्च 2017 में खुदरा मुद्रास्फीति 3.81% थी जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 4.83% दर्ज की गई थी. हालांकि, मार्च 2016 से मार्च 2017 के अंत तक 5.70% के साथ मुद्रास्फीति में (-) 0.45% की गिरावट आई है, जो कि मुख्य रूप से ईंधन और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है.

भारत में बैंकों स आर्थिक पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और आर्थिक गतिविधियों के व्यापक स्पेक्ट्रम में विकास को बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है. हालांकि, गिरती आर्थिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा.

2016-17 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विकास की गति को समर्थन देने के लिए एक मौद्रिक नीति उद्देश्य अपनायी है. वितीय वर्ष 2016-17 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि में गिरावट देखी गई, जबकि कुल जमाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

2016-17 के दौरान, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में जारी मंदी की वजह से, बैंकों की सकल गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) के साथ बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों की गुणवत्ता में कमी दर्ज की गई है. परिणामस्वरूप, वितीय वर्ष 2016-17 में भारत के बैंकिंग क्षेत्र ने ऋण संविभाग की गुणवत्ता का समर्थन करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक से अधिक प्रावधानों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया है. अधिक संख्या में चूक और उच्च स्तर के एनपीए ने कई बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित किया है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विजया बैंक के लिए, मुख्य चुनौती, इस चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल में बैंक को विकसित और मजबूत बनाने के लिए अपनी ताकत पर पूंजीकरण करके प्रतिस्पर्धी के रूप में टिके रहना था. वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया तथा भारत में एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने हेतु वितरण चैनलों का विस्तार करते हुए, प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार करना जारी रखा.

इस पृष्ठभूमि के साथ, वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा.

प्रमुख उपलब्धियों और कई महत्वपूर्ण मील के पत्थरों के साथ वितीय वर्ष 2016-17, विजया बैंक के लिए एक उत्कृष्ट वर्ष था. बैंक ने अपने विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के साथ चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल का सामना किया और अपने ठोस और स्थिर व्यवसाय मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक प्रतिकूल परिवेश से मजबूती के साथ उबर रहा है .

वर्ष के दौरान, चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थितियों के बावजूद, हमारे परिचालन प्रदर्शन में प्रगति, गुणवत्ता, नवाचार और स्थिरता के आधार पर एक अच्छी प्रगति होती रही. बैंक ने अपने कारोबार संविभाग को और अधिक मजबूत करने के लिए कई नई पहलों की शुरूआत की है तथा तुलन पत्र को मजबूत बनाने के लिए अनुशासित और विवेकपूर्ण रणनीति के साथ संरचना अनुकूलन, परिचालन परिवर्तन और जोखिम के प्रति सतर्क दृष्टिकोण के साथ सक्रिय प्रयास किए हैं.

बैंक का परिचालन कार्यनिष्पादन भारत में एक अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में स्थिति को मजबूत करने में अपनी शक्ति को दर्शाता है. मुख्य कारोबार संचालन और गैर-ब्याज आय पूल के कुशल प्रबंधन में निरंतर बढ़ोत्तरी ने बैंक को एक मजबूत आधार बनाए रखते हुए शीर्ष पंक्ति की आय में वृद्धि के लिए मदद की है.

बैंक द्वारा दर्ज मजबूत वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन सभी कारोबार क्षेत्रों में प्रदर्शित असाधारण प्रदर्शन के कारण था. हमने परिचालन लाभ में 56.32% की वृद्धि के साथ 2421.15 करोड़ रूपए के उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद परिचालन लाभप्रदता के मजबूत स्तर को सतत बनाए रखा. बैंक ने वर्ष के दौरान हर तिमाही में लाभ दर्ज किया और बैंक का निवल लाभ 31 मार्च, 2017 तक 96.56% बढ़कर 750.48 करोड़ रुपये हो गया, जो कि बैंक के इतिहास में सर्वाधिक है.

बैंक ने लाभप्रदता स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार किए हैं. लाभप्रदता में सुदृढ़ता कई लाभप्रदता संबंधी मापदंडों जैसे कि, निवल ब्याज आय (27.01% की वृद्धि के साथ 3506.44 करोड़ रुपये तक), एनआईएम (मार्च 2016 के 2.27% से बढ़कर मार्च 2017 में 2.77%) और आरओए (मार्च 2016 के 0.28% से बढ़कर मार्च 2017 में 0.49%) में सुधार में अच्छी तरह से परिलक्षित हुए हैं.

कठिन बाह्य कारोबारी परिवेश ने बैंक के कारोबारी विकास को प्रभावित किया. हालांकि, 31 मार्च 2017 तक बैंक का कुल कारोबार अब तक के सबसे उच्च स्तर 2,29,833 करोड़ रूपये पर पहुंच गया.

बैंक ने अपनी तरलता को सफलतापूर्वक व्यवस्थित और सुधार किया तथा जमाराशि लागत में कमी लाई और संमिश्र जमा राशि में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. 31 मार्च 2017 तक बैंक की कुल जमाराशि 1,33,012 करोड़ रुपये तक पहुँच गई वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंक की चालू खाता जमाराशि 28.41% की वृद्धि के साथ 8564 करोड़ रुपये तक पहुँची और बचत बैंक जमाराशि में 28.41% की मजबूत वृद्धि के साथ 28835 करोड़ रुपये की पहुँच गई मार्च 2017 में 490 आधार अंक तक बढ़ने के साथ कुल जमा राशि में कासा जमाराशि का हिस्सा 28.12% तक पहुँच गया है. अधिमानी ब्याज दर और सीडी के साथ थोक जमाराशि का अनुपात 31 मार्च 2017 को कुल जमा राशि में से घटकर 3.70% हो गया है.

बैंक का ऋण संविभाग 6.67% के वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि के साथ बढ़कर 96821 करोड़ रुपये हो गया जिससे ऋण-जमा अनुपात 72.79% रहा. बैंक के विविध ऋण संविभाग में कृषि, उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), कॉर्पोरेट, बुनियादी ढांचा क्षेत्र और खुदरा जैसे अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक खंड सम्मिलित हैं.

वर्ष के दौरान, बैंक ने खुदरा अग्रिम संविभाग की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए कई उपाय किए, जिसके परिणामस्वरूप इस श्रेणी के तहत बकाया अग्रिम बढ़कर 29335 करोड़ रुपये हो गया; जो कि कुल सकल ऋण का 30.29% हिस्सा है, यह उपलब्धि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच सर्वाधिक है. आवास ऋण संविभाग 29.09% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ 11,306 करोड़ रुपये तक पहुँचा, वाहन ऋण संविभाग 29.86% की वृद्धि के साथ 2714 करोड़ रुपये तक पहुँचा और शिक्षा ऋण संविभाग 21.35% की वृद्धि के साथ 1358 करोड़ रुपये तक पहुँचा.

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम पर कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में 6.82% की बढ़ोतरी के साथ मार्च 2016 के 38003 करोड़ रुपये की तुलना में मार्च 2017 में 40594 करोड़ रुपये हो गया. प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में 40% के लक्ष्य के प्रति समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 41.35% का रहा. बैंक का कृषि अग्रिम 13.51% की वृद्धि के साथ 15632 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि पिछले वर्ष 13771 करोड़ रुपये था.

काफी मुश्किल हालातों के बावजूद, बैंक ने बेहतर आस्ति गुणवत्ता के साथ वर्ष का समापन किया. वर्ष के दौरान, बैंक ने सोच-विचार कर कदम उठाए और बहु-आयामी दृष्टिकोण के साथ आस्ति की गुणवत्ता के मुद्दों और ऋण एक्सपोजर प्रबंधन को दिन-प्रतिदिन मजबूत बनाया. इस दिशा में, बैंक ने ऋण संविभाग की गुणवत्ता पर निरंतर निगरानी की और गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) की वसूली पर विशेष बल दिया है. बैंक ने एनपीए के विभिन्न क्षेत्रों की समुचित जाँच करके और गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) की वसूली द्वारा एक बेहतर और कुशल एनपीए प्रबंधन सुनिश्चित किया. मार्च 2017 में बैंक का सकल एनपीए स्तर 6.59% के अनुपात पर 6382 करोड़ रुपये रहा. निवल एनपीए स्तर 4118 करोड़ रुपये था और निवल एनपीए अनुपात 4.36% था. प्रावधान कवरेज अनुपात मार्च 2016 के 50.08% की तुलना में बढ़कर मार्च 2017 में 58.15% हो गया .

सबसे पहले ग्राहक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और बैंक की रणनीतिक के अनुरूप बैंक की स्थिति को मजबूत करने के लिए वितरण चैनलों का और अधिक विस्तार किया गया है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंक ने 170 शाखाएं खोलीं और शाखा नेटवर्क को 2031 शाखाओं तक पहुँचाकर 2000 के मील का पत्थर पार किया. वैकल्पिक वितरण चैनलों के तहत संतुलित विकास के लिए रणनीतियाँ बनाई गई. वर्ष के दौरान बैंक ने 350 नए एटीएम खोले गए और 31 मार्च 2017 तक बैंक में 2001 एटीएम थे. मोबाइल बैंकिंग में सुधार के लिए बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के कारण मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता आधार की संख्या 13 लाख को पार किया जो वार्षिक आधार पर 162% की वृद्धि दर्शाता है. बैंक के इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों की संख्या 8 लाख को पार किया और इंटरनेट बैंकिंग मॉड्यूल को नवीनतम और उत्तरदायी विशेषताओं के साथ उपलब्ध कराया गया.

वर्ष 2016-17 में बैंक अपनी डिजिटल बैंकिंग रणनीति पर पूंजीकरण का भी गवाह रहा. बैंक ने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्ड-इन, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ सोशल मीडिया बैंकिंग में प्रवेश करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए. डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणी रहते हुए, बैंक ने डिजिटल गाँव की योजना की शुरूआत की है और हम इस पहल को शुरू करने औद्योगिक जगत में पहले हैं.

देश के समावेशी विकास ढाँचे के अनुरूप, बैंक वित्तीय समावेशन के कार्यसूची का सक्रिय रूप से अनुपालन कर रहा है. इस दिशा में की जाने वाली पहल के रूप में बैंक द्वारा वित्तीय सशक्तीकरण और ग्रामीण जनता तक बैंकिंग सेवाओं को पहुँचाने का लक्ष्य है. 1000 रुपये और 500 रुपये के बैंक नोटों विमुद्रीकरण के दौरान, बैंक ने प्रतिबद्धता के अपवादस्वरूप स्तर का प्रदर्शन किया है और स्थिति को चतुराई से संभालना है. इसके लिए हमें आम जनता से सार्वजनिक तजवीज मिली है और समग्र भारत में सभी स्तरों पर प्रशंसा मिली है.

बैंक ने विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन स्वरूप विकसित किया है जिसमें बेसल ढाँचा और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वैश्विक सर्वोत्तम कार्य शामिल है. चयनित ऋण खंडों के लिए निर्धारित वर्धित जोखिम भारिता के बावजूद बैंक का पूंजी जोखिम भारिता आस्ति अनुपात (सीआरएआर) यथा दिनांक 31 मार्च 2017 को 12.73% (बेसल III) रहा और यह विनियामक स्तर से बहुत ऊपर है. वर्ष के दौरान, बैंक ने एक कुशल परिचालन परिवेश के निर्माण के लिए आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत और

विकसित किया है.

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, बैंक ने सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर महत्वपूर्ण योगदान देते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह किया और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दिया है. बैंक ने बालिकाओं को शिक्षित करने के अपने मिशन को अनवरत रूप से जारी रखा है और अब तक 1163 बालिकाओं को गोद लिया गया है. हमने प्रत्येक एटीएम लेनदेन को सीएसआर की गतिविधियों के साथ जोड़ा है और हमारे बैंक के एटीएम पर हर लेनदेन के लिए सामाजिक कार्य के लिए 50 पैसे का योगदान दिया जाता है. हमने कम विशेषाधिकार वाली कल्याणकारी संस्थाओं, सरकारी स्कूलों और संचालित ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सालयों को भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है.

बैंक की सफलता, हर क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार और अवसर भी पैदा कर रही है और हमने पिछले वर्ष 1800 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती की है.

वर्ष के दौरान विभिन्न प्रयासों और नवीनतम पहलों से बैंक के प्रोफाइल को ऊपर उठाते हुए वर्ष का समापन हुआ और भविष्य की किसी भी चुनौतियों का सामना करने और विकास के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए बैंक को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया.

बाजार ने हमारी प्रगति को पहचाना है, जैसा कि वर्ष 2016-17 में हमारे शेयरों की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई पड़ी है. बैंक का प्रभावशाली प्रदर्शन को विभिन्न उद्योग निकायों और नियामक प्राधिकरणों द्वारा अच्छी तरह से सराहा गया. बैंक को 40 से अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

आगे बढ़ते हुए, बैंक स्थिर कारोबार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा और सभी प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए मजबूत आधार बनाना जारी रखेगा. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, हमने लाभप्रदता, परिचालन दक्षता, आस्ति गुणवत्ता, जोखिम प्रबंधन और पहुंच के विस्तार के आधार पर एक स्वस्थ व्यापार मॉडल की कल्पना की है. उत्पादों के चयनात्मक भूमिका और प्रौद्योगिकी के निरंतर उन्नयन के माध्यम से सेवा स्तर में और अधिक सुधार के लिए ध्यान दिया जाएगा. 100 नई शाखाओं के साथ अधिक एटीएम तथा अन्य ग्राहक आधार जोड़कर नेटवर्क में विस्तार करने का हमारा प्रस्ताव है. हम अपने कारोबार मिश्रण में खुदरा केंद्रित लक्ष्य जारी रखेंगे ताकि एक लाभदायक विकास पथ सुनिश्चित किया जा सके. हम अपनी डिजिटल क्षमताएं और उत्पाद प्रसार सुधारने में संसाधनों का निवेश जारी रखने की भी योजना बना रहे है.

आस्ति गुणवत्ता में सबसे प्रथम हमारा कॉर्पोरेट लक्ष्य सकल गैर निष्पादक आस्तियों को मात्रा-वार और प्रतिशत-वार नीचे लाने के लिए उत्तरोत्तर प्रयास करना है.

वर्ष 2017-18 में अनेकों अवसर और महत्वपूर्ण चुनौतियां आए. चुनौतियों के बावजूद, हमारा मानना है कि भारत में बैंकों के लिए समग्र आर्थिक और कारोबारी परिवेश, चयनात्मक वृद्धि के लिए विभिन्न अवसर है. विजया बैंक कॉर्पोरेट कारोबारी आत्मविश्वास में अपेक्षित सुधार से लाभ प्राप्त करेगा और मुझे विश्वास है कि हम बैंकिंग क्षेत्र के रोमांचक अवसरों का लाभ उठाने के लिए विशेष रूप से तैयार हैं. अवसरों को भुनाने के लिए बैंक के पास विकास की अपनी स्पष्ट रणनीति है. मैं आने वाले वर्ष के हमारे कारोबारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ. आपके सतत समर्थन और संरक्षण के साथ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि चालू वर्ष के दौरान हमारा बैंक और अधिक ऊँचाई को छुएगा.

मैं भाग्यशाली हूं कि बैंक के पास बहुत ही बढ़िया पेशेवर मंडल है और वर्ष के दौरान हमारे बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए उनका समय पर मार्गनिर्देश और योगदान के लिए मैं आभारी हूं. मैं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य विनियामकों को उनके द्वारा दिए गए मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए प्रशंसा करता हूं.

मैं अपने सभी महत्वपूर्ण धारकों को उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ .

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

डॉ. किशोर सांसी

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

निदेशकों की रिपोर्ट 2016–17

निदेशक मंडल, लेखा परीक्षित तुलन–पत्र एवं 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लाभ–हानि लेखा सहित, बैंक की 37वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है.

वृहत परिदृश्य 2016–17

कमजोर वैश्विक मांग, निवेश का निम्न स्तर, घटती विश्व व्यापार वृद्धि, बढ़ती संरक्षणवाद की प्रवृत्ति, मंद उत्पादकता विकास को फ़्लैग करना और ऋण के उच्च स्तर के संयुक्त प्रभाव से वैश्विक आर्थिक विकास धीमा हो गया और 2016 के दौरान वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ीं. प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में भी में निवेश की वृद्धि में काफी धीमी हुई है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) के मुताबिक, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2015 में 3.4 % की तुलना में 2016 में 3.1% की मध्यम विकास दर की साक्षी रही है. जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2015 में 2.1% की तुलना में 2016 में 1.7 % की वृद्धि हुई तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 2015 में 4.2 % की तुलना में 2016 में 4.1% की साधारण वृद्धि हुई. 2016 में विश्व व्यापार की मात्रा में सिर्फ 1.2% की वृद्धि हुई, जो पिछले तीन दशकों में तीसरी सबसे कम दर है. वर्ष के दौरान वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है और औसत वैश्विक मुद्रास्फीति 2015 में 2.1% से 2016 में 2.4% की अनुमानित दर तक थोडी वृद्धि हुई. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में मुख्य रूप से राजनीतिक जोखिमों के संबंध में जैसे कि ब्रेक्सिट रोडमैप, आर्थिक नीतियों पर अनिश्चितता विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में और लगातार कमजोर वैश्विक वसूली पर वर्धित उथल पुथल देखी गई.

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 गतिशील वर्ष था. वर्ष में अर्थव्यवस्था के मूलतत्वों में सुधार के लिए भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए प्रमुख ऐतिहासिक नीतिगत विकास पाए गए. भारतीय अर्थव्यवस्था में सामान्यतया निरंतर संचालन रहा. संरचनात्मक सुधारों का त्वरण और वस्तु की कम कीमत वर्ष के दौरान उत्तम वृद्धि प्रदान की है और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में रिकार्ड स्थापित किया है. काले धन पर प्रतिबंध लगाने और नकली मुद्रा का उन्मूलन के लिए विमद्रीकरण योजना को कार्यान्वयन, नकद रहित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उठाए गए उपाय, समावेशी विकास के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, आदि असामान्य पथों के माध्यम से ले लिया, जो कभी नहीं पार किया. तथापि, अर्थव्यवस्था में अधोमुखी दबाव और कई कठिनाइयां थीं. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ), द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान (एई) के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में पिछले वर्ष की 7.9% वृद्धि की तुलना में 2016–17 के दौरान 7.1% की दर्ज करने का अनुमान लगाया गया है.

औद्यौगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापे गए औद्यौगिक क्षेत्र के विकास में 2015–16 की 3.4 % की तुलना में 2016–17 में 5% की वृद्धि देखी गई है. सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) द्वारा दर्शाए गए अनुसार पूंजी निर्माण में अर्थव्यवस्था में निवेश दर में मंदी के साथ गिरावट आई, जो कि वि.व. 2015–16 में जीडीपी की 29.3% की तुलना में 26.6% जीडीपी नीचे आ गई है.

थोक मूल्य और खुदरा मूल्य द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति का वर्ष के दौरान परिकल्पित पथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है. सीपीआई मुद्रास्फीति लगभग +/– 2% के बैंड के साथ आरबीआई का लक्ष्य स्तर 4% रही. खुदरा मुद्रास्फीति पिछले वर्ष में इसी माह में 4.83% की तुलना में मार्च 2017 में 3.81% दर्ज की गई. तथापि, सकल मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति मार्च 2016 में (–) 0.45% से मार्च 2017 के अंत में 5.70% तक वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से ईंधन और निर्मित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई है.

बाह्य क्षेत्र में, व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2015–16 में 117.1 बिलियन यूएसडी से वित्त वर्ष 2016–17 में 105.9 बिलियन यूएसडी से कम हुई. वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान, व्यापारिक निर्यात में वृद्धि देखी गई है. वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल – मार्च 2016–17 के दौरान, भारत का व्यापारिक निर्यात 276.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 4% की वृद्धि हुई और व्यापारिक आयात में 380.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 0.17% गिरावट हुई.

भारत में वित्तीय बाजार वैश्विक व घरेलू मोर्चे पर चहुँ ओर विकास का साक्षी रहा है. वर्ष के दौरान, घरेलू वित्तीय बाजारों पर मुख्य रूप से विमुद्रीकरण, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणाम का प्रभाव पडा. केंद्रीय बजट घोषणाओं और रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति रुख में बदलाव का भी बाजार चलन पर प्रभाव पडा. विमुद्रीकरण और अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचलन के परिणामस्वरूप बाजार मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2015 –16 में 10% से मार्च 2017 के अंत तक 7.3% में गिरावट हुई.

2016–17 के दौरान गुणवत्ता के मामले में निवल पूंजी/वित्तीय प्रवाह दोनों में काफी सुधार हुआ है. 2016–17 में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का प्रवाह 60.08 बिलियन डॉलर के नए उच्चतम स्तर को छुआ. अंतर्वाह में 2015–16 में दर्ज किए गए 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पिछले उच्च की तुलना में 8% वृद्धि हुई. भारत का विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि मार्च 2017 के अंत में 369.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया.

2016–17 के दौरान रुपयों की विनिमय दर में उतार–चढाव की श्रृंखला का अनुभव किया, बाहरी घटनाक्रमों के कारण विनिमय दर पर वैश्विक वित्तीय बाजारों में दबाव के बढने से अनिश्चितता का माहौल बना रहा. रुपया अमेरिकी डॉलर के प्रति एक संकीर्ण सीमा में बदला और 2016 – 17 की दूसरी छमाही में यूरो और पाउंड स्टर्लिंग के प्रति रुपये के मूल्य में वृद्धि हुई. निम्न चालू खाता घाटा, 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य पर मौद्रिक नीति का जोर,

आर्थिक गतिविधियों पर विमुद्रीकरण के अल्पकालिक प्रभाव और केंद्रीय बजट में घोषित वित्तीय विवेक के प्रति प्रतिबद्धता जैसे कारक वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में विनिमय दर में स्थिरता प्रदान किए हैं.

बैंकिंग परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए चुनौती भरा वर्ष था. बैंकिंग क्षेत्र में तुलन पत्र के विकास में कमी देखी गई है और उनके आरओए में काफी हद तक कमी होने के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की लाभप्रदता में कमी आई है. दवाबग्रस्त आस्तियों की मात्रा एवं अनुपात में बढ़ने के साथ वर्ष के दौरान बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में काफी कमी आई है. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादक अग्रिमों में वर्ष के दौरान कुल अग्रिम की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है.

विकास की गति को समर्थन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अधिकांशतः अनुकूल मौद्रिक नीति जारी किया है. अप्रैल 2016 और अक्तूबर 2016 में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दो बार भारिबैंक ने ब्याज दरों में परिवर्तन किया है. इन निर्णयों के पीछे मूल्य मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रवृत्ति महत्वपूर्ण कारक रही है. तथापि, अपने छठें द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरणी में भारिबैंक ने मुद्रास्फीति पर विमुद्रीकरण के अतिरिक्त प्रभाव को समाप्त करने के लिए अपने रुख को समायोजित से तटस्थ के रूप में परिवर्तित किया है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशि में पिछले वर्ष के 9.1% की तुलना में बढ़कर 11.8% हुआ है. तथापि, वर्ष के दौरान ऋण के विकास में ऐतिहासिक कमी हुई है. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 10.3% की तुलना में कम होकर 5.1% रहा है. कृषि, खुदरा व सेवा संविभागों के ऋण विकास में मंदी देखी गई है, फिर भी सकारात्मक विकास दर रहा है. उद्योग के मामले में ऋण के विकास में मंदी रही थी. आर्थिक गतिविधि में मंदी और विमुद्रीकरण का ऋण के विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है.

वर्ष 2016-17 के दौरान तरलता की स्थिति आमतौर पर बेहतर रही है. तथापि, बैंकिंग प्रणाली में व्यवस्थित तरलता नकद जमाराशि और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडारण में वृद्धि हुई है. वर्धित तरलता बैंक की जमाराशि और ब्याज दरों के लिए त्वरित नीति दर संचरण की सुविधा प्रदान करती है.

दृष्टिकोण

वर्ष 2017 में अस्थिर विकास की लंबी अवधि के बाद वैश्विक विकास की संभावनाओं को मजबूत बनाने की उम्मीद है. भू-राजनीतिक जोखिम के बावजूद वैश्विक विकास के लिए तत्काल दृष्टिकोण सकारात्मक रहा है. उन्नत अर्थव्यवस्था और उभरते बाजार दोनों के बीच मजबूत उपभोक्ता व्यय और बेहतर कारोबार निवेश द्वारा वैश्विक विकास समर्थित है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल 2017 के लिए अपने विश्व आर्थिक दृष्टिकोण में वर्ष 2017 के लिए 3.5% और वर्ष 2018 के लिए 3.6% के वैश्विक विकास का अनुमान किया है. उभरते अर्थव्यवस्था से यह आशा की जा रही है कि वर्ष 2017 और 2018 दोनों में उच्चतम विकास दर दर्ज करने के साथ भारत में पहले से बेहतर विकास दर होगी. तथापि, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के अधीन रहेंगे और जोखिम मुख्यतः वित्तीय बाजार अस्थिरता से रहेगी, महत्वपूर्ण आर्थिक बढ़ी हुई भू-राजनीतिक अस्थिरताएं मुद्रा नीति कार्य में महत्वपूर्ण होंगे.

भारत की आर्थिक विकास की गति वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान मजबूत बने रहने का अनुमान है. विवेकाधीन ग्राहक के मांग में विमुद्रीकरण द्वारा रुकावटें डालना और विगत नीति दरों के हस्तांतरण में तेजी से सुधार से खपत और निवेश मांग में बढ़ोत्तरी की आशा की जाती है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सूक्ष्म, लघु व मध्यम ईकाई (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में किए गए उपाय तथा न्यून लागत आवास घरेलू मांग को मजबूत करने में मदद करेगा. भारतीय अर्थव्यवस्था को भी सामान्य मानसून की संभावना, विदेशी मुद्रा पूंजी भंडारण में वृद्धि, काफी हद तक स्थिर मुद्रा, व्यापार में सीमित घाटा और चालू खाता में कमी, कम ब्याज दर व्यवस्था, सहायक नीतियां तथा राजस्व अनुशासन को अपनाने सहित सरकारी पहल से लाभांवित होंगे.

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मध्यावधि के लिए 4% के ग्राहक मूल्य सूचकांक को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. मुद्रास्फीति नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करने से नीति निर्माण के लिए पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और परिणामस्वरूप स्थिर और न्यून मुद्रा स्फीति परिवेश होगा. तथापि, वैश्विक पण्य मूल्यों में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान चिंता का विषय होगा. वर्ष 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक परिदृश्य में सितारे की तरह चमकेगा और विश्व में तेजी से उभरते बाजार की ओर बढ़ेगा. वर्ष 2017-18 की मुख्य चुनौतियां जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से अपर्याप्त समर्थन, प्रमुख क्षेत्रों में निवेश मांग में सीमित संग्रहण, कॉर्पोरेट तुलन पत्र में दुर्बलता और बैंकिंग प्रणाली में सतत् दबाव हैं.

अनुकूल नीति परिवेश, सकारात्मक घरेलू दृष्टिकोण और चयनात्मक विकास के लिए उपलब्ध अवसर को देखते हुए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को वर्ष 2017-18 में और अधिक बेहतर होने की आशा है. सेवा क्षेत्र में नियमित बढ़ोत्तरी, औद्योगिक विकास में अनुमानित बदलाव, ठप परियोजनाओं का निर्गम, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को बढ़ाने और समग्र कारोबार आबोहवा में सुधार के लिए केंद्रीय बजट में सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के दौरान बेहतर ऋण विकास होगा. न्यून नकदी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना लेनदेन के डिजिटल माध्यम को बढ़ाने में प्रोत्साहित करेगा और राष्ट्रीय दिवालियापन कानून के अधिनियम अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जो बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति में मदद करेंगे. सूक्ष्म आर्थिक स्थिति में सकारात्मक विकास के साथ बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार की आशा है.

वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक का निष्पादन वैशिष्ट्य

पूंजी, आरक्षितियां व निवल मूल्य

बैंक की प्राधिकृत पूंजी संप्रति ₹ 3000 करोड़ है जो ₹ 10/– शेयर के 300 करोड़ पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों में विभाजित है. संप्रति, भारत सरकार बैंक की 70.33% ईक्विटी शेयर पूंजी धारित करती है. बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी ₹ 998.84 करोड़ है. मार्च 2017 में बैंक ने प्रत्येक ₹ 10/– के 6,62,85,025 ईक्विटी शेयर अधिमानी आधार पर ₹ 220 करोड़ के कुल प्रवाह के साथ ₹ 23.19 प्रति शेयर के प्रीमियम पर भारत सरकार को आबंटित किया. 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए कुल आरक्षितियां और अधिशेष ₹ 7152.64 करोड़ है. बैंक का निवल मूल्य ₹ 6550.50 करोड़ से बढ़कर ₹ 6976.90 करोड़ हो गया है.

लाभांश

समग्र लाभप्रदता पर विचार करते हुए निदेशक मंडल ने वर्ष 2016–17 के लिए प्रति शेयर ₹ 1.50 (15%) के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है. वर्ष 2016–17 के लिए लाभांश कर सहित ईक्विटी लाभांश की कुल राशि ₹ 180.32 करोड़ है.

कार्यकारी परिणाम

वर्ष 2016–17 के लिए बैंक द्वारा दर्ज निवल लाभ यथा दिनांक 31.03.2016 के ₹ 382 करोड़ से बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2017 को ₹ 750 करोड़ हो गया है जो कि वर्ष दर वर्ष विकास दर 96.56% रहा. बैंक का परिचालन लाभ 56.32% की वृद्धि दर्ज करके यथा 31.03.2016 के ₹ 1549 करोड़ से बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2017 को ₹ 2421 करोड़ रहा. बैंक का सकल जमाराशि यथा दिनांक 31.03.2016 के ₹ 125441 करोड़ से बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2017 को ₹ 133012 करोड़ रहा. बैंक का खुदरा जमाराशि यथा दिनांक 31.03.2016 के ₹ 44269 करोड़ से बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2017 को ₹ 47514 करोड़ रहा. बैंक का सकल अग्रिम यथा दिनांक 31.03.2016 के ₹ 90765 करोड़ से बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2017 को ₹ 96821 करोड़ रहा. बैंक का खुदरा अग्रिम यथा दिनांक 31.03.2016 के ₹ 23593 करोड़ से बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2017 को ₹ 29335 करोड़ रहा. बैंक का कुल कारोबार यथा दिनांक 31.03.2016 के ₹ 216206 करोड़ से बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2017 को ₹ 229833 करोड़ रहा. जमाओं की औसत लागत 2015–16 के 7.34% से घटकर 2016–17 में 6.50% रहा. बैंक का निवल ब्याज मार्जिन यथा दिनांक 31.03.2016 के 2.27% से बढ़कर यथा दिनांक 31.03.2017 को 2.77% रहा.

बैंक के वित्तीय परिणामों की प्रवृत्तियां नीचे दी गई तालिकाओं में दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	मद	2015–16	2016–17	वार्षिक वृद्धि (%)
1	ब्याज आय	12083.58	12379.46	2.45%
2	ब्याज खर्च	9322.74	8873.02	–4.82%
3	निवल ब्याज आय (1–2)	2760.84	3506.44	27.01%
4	गैर ब्याज आय	873.86	1651.26	88.96%
	i. निवेशों की बिक्री पर लाभ	182.41	768.99	321.57%
	ii. अन्य गैर ब्याज आय	691.45	882.27	27.60%
5	निवल कुल आय (3+4)	3634.70	5157.70	41.90%
6	परिचालन खर्च	2085.82	2736.55	31.20%
	i. स्टाफ से संबंधित खर्च	1246.97	1747.89	40.17%
	ii. अन्य परिचालन खर्च	838.85	988.66	17.86%
7	परिचालन लाभ	1548.89	2421.15	56.32%
8	परिचालन लाभ (खज़ाना लाभ को छोडकर)	1366.46	1652.17	20.91%
9	प्रावधान और आकस्मिक खर्च	1167.07	1670.67	43.15%
10	निवल लाभ	381.80	750.48	96.56%

प्रमुख लाभप्रदता अनुपात

क्रम सं.	मद	2015–16 (%)	2016–17 (%)
1	निधि पर प्रतिफल	8.77	8.14
2	निधि लागत	6.77	5.83
3	ब्याज विस्तार (1–2)	2.00	2.31
4	अग्रिम पर प्रतिफल	10.52	9.89
5	जमा लागत	7.34	6.50
6	निवेश पर प्रतिफल (आरआईडीएफ को छोडकर) क्रय लाभ को छोडकर क्रय लाभ सहित	 7.60 8.07	 7.65 9.32
7	औसत कार्यकारी निधि की तुलना में अन्य परिचालन खर्च	0.61	0.65
8	लागत–आय अनुपात	57.39	53.06
9	औसत कार्यकारी निधि की तुलना में स्थापना लागत	0.91	1.15

जमा संग्रहण

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक की कासा जमाराशि में वर्ष-दर-वर्ष आधार में 28.41% की वृद्धि के साथ यथा 31.03.2016 के ₹ 29,125 करोड़ की तुलना में ₹ 37,398 करोड़ रहा. उसमें से बचत बैंक जमाराशि में वर्ष के दौरान ₹28,835 करोड तक वृद्धि हुई और चालू खाता जमाराशि में ₹ 8,564 करोड तक वृद्धि हुई, जो क्रमश: 28.41% एवं 28.41% ठोस वृद्धि है. कुल जमाराशि के कासा में 31.03.2016 के 23.22% से 31.03.2017 में 28.12% की वृद्धि हुई. बैंक की कुल जमाराशियां यथा 31.03.2017 को ₹ 125441 से ₹ 1,33,012 करोड़ रही तथा खुदरा मीयादी जमा यथा 31.03.2017 को ₹ 44269 करोड़ से ₹ 47517 करोड रही, जिसमें क्रमश: 6.01% तथा 7.34 की वृद्धि हुई.

कर्मचारी व शाखा की उत्पादकता

प्रति कर्मचारी कारोबार में मार्च 2016 में ₹ 14.58 करोड से यथा मार्च 2017 में ₹ 15.51तक वृद्धि हुई. बैंक का प्रति कर्मचारी का लाभ यथा मार्च 2016 में ₹ 2.62 लाख रहा तथा मार्च 2017 को ₹ 4.79 लाख रहा. प्रति शाखा कारोबार ₹ 113.34 करोड रहा.

शाखा नेटवर्क

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने पूरे भारत में 170 शाखाएं खोला है तथा एक कार्पोरेट बैंकिंग शाखा तथा एक विशेष माइक्रो वित्तीय शाखा के विलय के साथ कुल शाखाओं का नेटवर्क 2031 हो गया है. वर्ष 2016-17 के अंत तक 13 विस्तार काउंटर है. बैंक ने लुधियाना में 1 नया क्षेत्रीय कार्यालय भी खोला है, जिससे क्षेत्रीय कार्यालयों की कुल संख्या 32 हुई.

खुदरा ऋण

खुदरा उधार को जोखिम फैलाव, बेहतरीन प्रतिफल तथा बडी मात्रा में ऋण मंजूरी जैसे निहित लाभ के कारण ऋण के विकास के लिए इसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है.

यथा मार्च 2017 के अंत तक 24.34% वृद्धि दर दर्ज करके खुदरा ऋण के अंतर्गत ₹ 29,335 बकाया राशि है. खुदरा ऋण संविभाग बैंक के सकल ऋण का 30.29% बनता है, जिससे 29% के केपीआई (प्रमुख निष्पादन संकेतक) लक्ष्य पार किया है.

आवास ऋण व वाहन ऋण संविभाग दोनों यथा 31 मार्च, 2017 को क्रमश: ₹ 11306 करोड व ₹ 2714 करोड के बकाया स्तर के साथ 29.09% तथा 29.82% की प्रभावशाली वृद्धि दर रिकार्ड किया है.

वर्ष के दौरान आवास ऋण के अंतर्गत 22004 उधारकर्ताओं के लिए ₹ 3848.00 करोड राशि और वाहन ऋण के अंतर्गत 36,529 उधारकर्ताओं के लिए ₹1391 करोड़ राशि की नई मंजूरी दी गई है.

क्षेत्र कार्यकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना लाने और अधिक से अधिक कारोबार हासिल करने के लिए वर्ष के दौरान विविध उत्पादों के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे. लक्ष्य पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान नए ऋण उत्पाद जैसे वी-काँबो ऋण, विजया आवास ऋण प्लस, वी-एलाइट आवास ऋण तथा वी-लेखा परीक्षक शुरू किए गए थे.

पीएमएवाई (प्रधान मंत्री आवास योजना) के अंतर्गत सीएलएसएस(ऋण संबद्ध सहायिकी योजना) - आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग / निम्न आय वर्ग के लिए सभी के लिए आवास योजना के अंतर्गत बैंक ने 301 लाभांवितों के लिए ₹ 23.71 करोड़ वितरित किया. उक्त योजना के लिए 25.04.2017 को एचयूडीसीओ द्वारा उत्कृष्ट निष्पादन हेतु बैंक को पहचाना गया.

शिक्षा ऋण :

योग्य मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्व दिया जाता है. शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो में यथा 31-03-2017 को ₹ 1358 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचने के लिए 21.32% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए ₹ 239 की वृद्धि हुई.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र के अंतर्गत कार्य निष्पादन :

बैंक, एमएसएमई की प्रगति पर जोर देने के लिए भारत सरकार की पहल जैसे 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'प्रधान मंत्री मुद्रा योजना', 'स्टैण्ड अप इंडिया' आदि के साथ नवोन्मेष योजनाओं को प्रारंभ किया है. बैंक ने मुद्रा योजना के अंतर्गत रोजगार सृजित करने के लिए बुनकरों तथा टैक्सी चालकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए दो नए उत्पाद 'वी-मुद्रा बुनकर कार्ड' तथा वी-कैब्स की शुरुआत की है.

हमारा बैंक एमएसएमई ऋण के सह वित्तपोषण/ पुनर्वित्त के लिए सिडबी के साथ 1 वर्ष के एमसीएलआर दर पर हस्ताक्षर करने वाला पहला बैंक है. भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा वितरण योजनाओं को बढ़ाने के लिए पीएमएमवाई और स्टैन्ड अप इंडिया योजनाओं के तहत विशेष अभियान शुरू की गईं.

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और विमुद्रीकरण के प्रभाव से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को एमएसएमई से कृषि में पुनर्वर्गीकरण करने के बावजूद, एमएसएमई अग्रिम मार्च 2017 के अंत में 6.69% ₹ 19811 करोड की राशि का बकाया स्तर तक पहुंचा है. बैंक, यथा मार्च 2017 को सूक्ष्म, लघु व मध्यम ईकाई (एमएसएमई) के अंतर्गत 8.66% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 16,126 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया. यथा मार्च 2017 की समाप्ति तक प्रधानमंत्री के कार्यदल के अधीन निष्पादन निम्नानुसार है

क्र.सं.	विवरण	मार्च 2017 को उपलब्धि
लक्ष्य 1	यथा 31 मार्च के पहले एमएसई क्षेत्र के कुल ऋण में से माइक्रो उद्यमों के लिए 60%	54.25%
लक्ष्य 2	माइक्रो उद्यमों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि	13.55%
लक्ष्य 3	एमएसई क्षेत्र के ऋण में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि	8.66%

बैंक द्वारा, ₹ 2300 करोड के लक्ष्य के प्रति ₹ 2067.00 करोड के संवितरण के साथ, वि.व. 2016-17 में 1.23 लाख उद्यमियों को कवर करते हुए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया है, जिससे लक्ष्य का 89.86 % प्राप्त किया गया है.

बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत 858 उद्यमियों, जिनमें 706 महिला उद्यमि शामिल हैं, को ₹ 159 करोड़ के वितरण करते हुए उल्लेखनीय निष्पादन दर्शाया है.

ऋण विस्तार

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में केन्द्र सरकार के उज्जवल डिसकॉम बीमा योजना के अंतर्गत ₹ 1246 करोड़ कुल ऋण का बॉण्ड में परिवर्तन के बावजूद बैंक का कुल उधार 6.67% की वृद्धि दर्ज करके यथा 31.03.2016 के ₹ 90756 से बढ़कर यथा 31.03.2017 को ₹ 96821 हो गया. चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिवेश पर विचार करते बैंक बड़े ऋण प्रस्तावों के अनुमोदन में बहुत ही चयनात्मक हो गया था. बैंक ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक प्राप्त दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन और ऋण प्रस्तावों की स्क्रीनिंग हेतु समुचित सावधानीतंत्र अपनाया है. बैंक, वित्त मंत्रालय के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर ऋण अनुमोदनों को निपटाने के लिए समिति दृष्टिकोण का पालन कर रहा है. ऋण निर्णय के लिए लगने वाले समय को कम करने के लिए जहां तक संभव है समिति बार-बार बैठक करती है.

अच्छे मानक ऋण प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने 2016-17 के दौरान सीए/आईसीडब्ल्यूए/ सीएस/एमबीए के व्यावसायिकों को भर्ती करने की रणनीति को जारी रखा.

बैंक के ऋण विभाग को ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्थान (बीएसआई) द्वारा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणीकीकरण से अधिकृत किया गया.

बाजार प्रवृत्ति के अनुसार, बैंक ने कई नए उत्पादों की शुरुआत की तथा ग्राहकों की आवश्कतानुसार मौजूदा उत्पाद भी परिष्कृत किए गए.

बडे और मझौले कॉर्पोरेट

बैंक ने कार्पोरेट ऋण के संवितरण में लगने वाले समय को कम करने के अलावा बड़े अग्रिमों पर बेहतर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने हेतु विभिन्न भौगोलिक स्थानों में 14 नए कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखाओं का गठन किया है. इसके साथ साथ मझौले कॉर्पोरेट व एसएमई ग्राहकों को उनके नकद प्रबंधन, फॉरेक्स, खजाना उत्पाद, व्यापार वित्त, जमाराशियां, खुदरा बैंकिंग, आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक की एसएमई शाखाएं देशभर में कार्यरत हैं.

बैंक के कार्पोरेट/एसएमई/आईएफबी बैंकिंग शाखाएं मीयादी ऋण, मांग ऋण, कॉर्पोरेट ऋण, अल्पावधि ऋण, कार्यकारी पूंजी सुविधाएं (निधि आधारित + गैर निधि आधारित) व्यापार वित्त उत्पाद, ब्रिज ऋण, समूहन ऋण, मूलभूत सुविधा ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, भावी पर्याप्य किराए के प्रति ऋण, जैसे कई ऋण उत्पाद व सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ और कॉर्पोरेट ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर और भी कई सुविधाएं प्रदान करती है.

बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र हेतु ऋण प्रवाह में सुधार लाने के लिए सभी प्रमुख केन्द्रों में एमएसएमई कक्ष स्थापित किया है. वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत एमएसई क्षेत्र में उत्कृष्टता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है. वर्ष के दौरान, जेम व जेवेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिलस इंडिया द्वारा हमारे बैंक को जेम्स और जेवेलरी सेग्मेंट वित्तपोषण के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में पुरस्कृत किया गया है. पिछले कुछ वर्षों में, बैंक ने कई बहुराष्ट्रीय, घरेलू व्यापारिक घरानों और प्रधान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ स्वस्थ व्यापार संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति किया है.

बैंक ने अच्छी तरह से मूल्यांकित कंपनियों, सरकारी उपक्रमों आदि पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक रणनीति का विकास किया है. तदनुसार, सरकारी उपक्रमों का एक डाटाबेस सृजित किया गया है और इन संस्थाओं के साथ बैंकिंग संबंध को एक्सप्लोर करने और संबंध स्थापित करने हेतु क्षेत्र कार्यकर्ताओं को प्रदान किया है.

वर्ष के दौरान, 'तनावग्रस्त आस्तियों' के स्थायी संरचना (एस4-ए) योजना के विषय पर दि. 07.01.2017 से 09.01.2017 तक बेंगलूर में हुई अधीनस्थ विधायी समिति, राज्यसभा की बैठक में भाग लिया है.

वर्ष के दौरान, बैंक ने सतर्कता से उच्च मूल्य अग्रिम के लिए अपने एक्सपोजर को कम किया है अर्थात वित्तीय वर्ष 2016 की तुलना में ₹ 50.00 करोड और उससे अधिक मंजूरी सीमा के साथ ऋण में 8.69% कम किया है और ₹ 50.00 करोड तक की मंजूरी सीमा वाले ऋण पर अधिक ध्यान दिया गया है जो वित्तीय वर्ष 2016 की तुलना में 22.20% तक बढ़ गया था.

बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्त

इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र द्वारा दवाब का सामना किया जा रहा है, पर विचार करते हुए बैंक ने इस क्षेत्र हेतु वित्तपोषण करते समय सतर्क दृष्टिकोण अपनाया गया है. अत: आवश्यक वित्त के साथ अच्छा और व्यवहार्य परियोजनाओं को विस्तारित किया गया है. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के अंतर्गत कुल अग्रिम के 21.99% कुल बकाया है और इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत कुल एक्सपोजर निर्धारित क्षेत्रीय एक्सपोजर कैप के 32 % के अंदर है.

ऋण के मामले में प्रशिक्षण

पूर्व ऋण अधिकारियों की सेवानिवृत्ति और पदोन्नति के कारण, बैंक ने अच्छी तरह से प्रशिक्षित ऋण अधिकारियों के बारे में सोचा है. उपरोक्त की दिशा में, बैंक में प्रशिक्षित ऋण अधिकारियों का एक पूल निर्माण करने के लिए, बैंक ने देशभर के विभिन्न शाखा और नियंत्रण कार्यालय से चयनित अधिकारियों को वर्ष 2015-16 से तीन महीने के गहन ऋण प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी. इसी तरह का प्रशिक्षण का आयोजन भी

वर्ष 2016-17 के दौरान किया गया है. वर्ष 2015-16 के दौरान 66 अधिकारी और वर्ष 2016-17 के दौरान चौवालीस अधिकारी ऋण हेतु गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित हुए हैं.

अनाहरित एक्सपोजर का निरसन करना

बेसल-III पूंजी पर्याप्तता ढांचा के अंतर्गत पूंजी परिवर्तन को बढ़ाने की हमारी प्रयास, बडे मूल्य के अनाहरित एक्सपोजर का निरसन पर बैंक ध्यान केन्द्रित कर रहा है. इस तरह के दृष्टिकोण से दो आयामी प्रभाव होगा, अर्थात लाभदायक उद्यम में निवेश के लिए संसाधनों की उपलब्धता और कम पूंजी आबंटन.

खजाना और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

खजाना विभाग गतिशील बाजार शक्तियों के साथ संपर्क कर, उन्हें समझने और बैंक के लिए लाभ में ऐसी समझ को बदलने का महत्वपूर्ण कार्य करता है. खजाना विभाग बैंक को अपने बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिसंपत्ति और दायित्व के अंतर को प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण बाजार निविष्टियाँ और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है.

खजाना विभाग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सांविधिक आरक्षित निधि के सीआरआर और एसएलआर का रखरखाव करता है, घरेलू और विदेशी मुद्रा में बैंक की अल्पावधि की तरलता आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करता है, बैंक के एसएलआर और गैर एसएलआर निवेश बही का प्रबंधन करता है, ब्याज दर, इक्विटी और विदेशी मुद्रा के प्रपत्र का लेनदेन करता है , बाजारों में उपलब्ध अंतरपणन अवसरों का उपयोग करता है और बैंक के परिसंपत्ति देयता प्रबंधन में महत्वपूर्ण बाजार से संबंधित इनपुट भी प्रदान करता है.

खजाना विभाग कार्यात्मक रूप से फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस और मिड-ऑफिस के रूप में विभाजित किया गया है. फ्रंट ऑफिस में उधार गतिविधियों का कार्य करता है, जबकि बैक ऑफिस में फ्रंट ऑफिस लेनदेन के लेखांकन, मूल्यांकन और समाधान का कार्य किया जाता है. मिड-ऑफिस खजाना के लेन-देन गतिविधियों की निगरानी करने के लिए सुनिश्चित करता है कि वे निर्धारित निवेश नीति और नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं. निगरानी में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, मिड-ऑफिस, जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रमुख को रिपोर्ट करता है.

वर्ष 2016-17 के दौरान खजाना परिचालन का सार निम्नानुसार है:

बाजार परिदृश्य:

भा.रि.बैं. द्वारा की गई दर कटौती, मौद्रिक नीति के अनुकूल रुख और विमुद्रीकरण की वजह से हुई आसान तरलता से 2016-17 के अधिकांश भाग में ब्याज दर परिदृश्य अच्छी थी. 10 साल के बेंच मार्क, 31 मार्च 2016 में 7.46% से 25/11/2016 में 6.18% की गिरावट के साथ कम हो गया. फेड दर में बढ़ोतरी की चिंता और वृद्धिशील सीआरआर के साथ-साथ सीएमबी के जरिये अतिरिक्त नकदी प्रवाह को कम करने के भारिबैं के उपायों के कारण बाजार 6.20 से 6.45% तक की सीमा में रोक दिया था. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनकी फरवरी 2017 की नीति में नीतिगत रुख में परिवर्तन से लाभ में 6.90 - 6.95% के उच्च स्तर तक वृद्धि हुई. वर्ष में बाद के दिनों में बाजार संवेदन शीलता में सुधार हुई और सुधारित एफआईआई प्रवाह के साथ 10 वर्ष बांड का लाभ 6.69% में समाप्त हुआ.

भारतीय शेयर बाजार वर्ष के दौरान सर्वाधिक स्तर पर पहुंचा, इसके साथ साथ आंतरिक तरलता, निवल एफआईआई प्रवाह और चुनाव के परिणाम के कारण उत्पन्न कारोबार सकारात्मक विचार 12 महीने की अवधि के दौरान 18% का प्रतिफल दी. ब्रेक्सिट की नकारात्मक खबर, भू राजनीतिक अनिश्चितता के साथ-साथ विमुद्रीकरण के सुस्त प्रभाव से प्रगति हुई है.

रुपये का मूल्य नवंबर 2016 तक अमेरिकन डॉलर के 66.40 से 67.50 तक पहुंच गया था. तथापि, भू राजनीतिक विकास और विमुद्रीकरण प्रभाव के कारण रुपए में गिरावट आई और एक बार फिर 68.80 की गिरावट में पहुंचा, चूंकि अमेरिकन डॉलर विश्वभर के बाजार में तेजी से बढ़ोतरी पाया. रुपया ने अपनी चढ़ाव का दावा किया तथा भू राजनीतिक विकास के प्रभाव के कारण 16 दिसंबर और 17 जनवरी के दौरान 67.50 और 68.50 के स्तर में रोक दिया. अमेरिकी फेडरल की अपेक्षाकृत कम उम्मीद से रुपए की सहायता हुई. रुपया 31.03.2017 को 64.85 पर समाप्त हुआ.

निवेश बुक

बैंक के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा खजाना द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 35.89% के औसत निवेश जमा अनुपात से स्पष्ट है.

वर्ष के दौरान, निवेश बुक यथा 31.03.2016 को ₹ 42,178.12 करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2017 को ₹ 44,786.97 करोड़ हुआ. एसएलआर निवेश ₹ 35,166.04 करोड़ से बढ़कर ₹ 40,057.39 करोड़ हुआ, जबकि गैर-एसएलआर निवेश ₹ 7,012.18 करोड़ से घटकर ₹ 4,729.58 करोड़ रहा. गैर-एसएलआर निवेश में कमी का मुख्य कारण यूडीवाई योजना के तहत जारी विशेष राज्य प्रतिभूतियों में कमी है, जो यथा 31.03.2016 को ₹ 4,029.17 करोड़ से लेकर यथा 31.03.2017 को ₹ 1414.98 करोड़ है.

औसत निवेश 2015-16 की तुलना में ₹ 38,866.93 करोड़ के प्रति 2016-17 में ₹ 44,275.16 करोड़ था.

निवेश पर आय

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निवेश पर आय 7.59% था, जो वित्त वर्ष 2015-16 में 7.60% की तुलना में अधिक या कम अपरिवर्तित है. बैंक अपनी एसएलआर पोर्टफोलियो में गिल्ट्स और एसडीएल की समझदारी से चयन के साथ-साथ अपने गैर-एसएलआर पोर्टफोलियो में उच्च आय देने वाले विशेष एसडीएल और अन्य बॉन्ड और डिबेंचर के जरिये अपने निवेश पोर्टफोलियो पर आय को बनाए रखने में सक्षम है.

खजाना परिचालन से ब्याज की आय

बैंक की ब्याज आय में यथा ₹ 2015-16 में 2,955.23 करोड़ से बढ़कर यथा 2016-17 में ₹ 3,359.09 करोड़ रहा, जो कि निवेश संविभाग में वृद्धि के अनुरूप है.

खजाना परिचालन से लाभ

2016-17 के दौरान, खजाने के लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 268.64% की वृद्धि पाई गई है. खजाना विभाग ने जी-सेक, इक्विटी और विदेशी मुद्रा डेस्क में कारोबार गतिविधियों से 2015-16 के दौरान ₹ 215.58 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष में ₹ 794.71 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया. बैंक ने अपने पोर्टफोलियो के कारोबार करने और अधिक लाभ हासिल करने के लिए ब्याज दर की स्थिति का पूरा फायदा उठाया है, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां तक संभव हो पोर्टफोलियो, आय की वृद्धि के लिए लचीला है.

ईक्विटी से लाभांश आय

बैंक ने वित्त वर्ष 2015-16 में ₹ 3.70 करोड़ की मुकाबले अपने इक्विटी निवेश से वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 2.82 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया है.

निधीयन कार्यविधियां

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान औसत निवल उधार वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 7.01% की दर से ₹ 4,315.83 करोड़ की तुलना में 6.27% की दर से ₹ 6,962 करोड़ था. भा.रि.बैं द्वारा दर में क्रमिक कटौती के साथ-साथ विमुद्रीकरण से नकदी की कमी के कारण वित्त वर्ष 2017 में 50 बीपीएस कम होने से उधार लागत कम हुई है. इसके अतिरिक्त एसएलआर पोर्टफोलियो का लाभ उठाने के अलावा, बैंक अपने विशेष एसडीएल होल्डिंग्स के प्रति उधार लेने के लिए, सस्ती कीमत पर मुद्रा बाजार से संसाधन जुटाने में सक्षम था, जिससे लाभ में वृद्धि हुई.

सीआरआर / एसएलआर का अनुरक्षण

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू वर्ष के दौरान लगाई गई सीआरआर अपेक्षाओं सहित सीआरआर / एसएलआर अपेक्षाओं का अनुपालन किया है .

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत भार यथा 31 मार्च 2016 को ₹ 7319 करोड के आरडब्ल्यूए सहित ₹ 586 करोड़ की तुलना में यथा 31 मार्च 2017 को ₹ 8750 करोड़ के आरडब्ल्यूए सहित ₹ 700 करोड़ था. आरडब्ल्यूए में यह वृद्धि निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि के कारण है.

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

31.03.2017 को बैंक का निर्यात ऋण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4.65% वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 1649.22 करोड रहा. यह वैश्विक मंदी व पूरे देश की नकारात्मक वृद्धि के बावजूद है. उपर्युक्त में से, विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण की मात्रा यूएसडी 37.99 मिलियन रहा. यथा मार्च 2017 को, बैंक का विदेशी विनिमय कारोबार पण्यावर्त पिछले वित्तीय वर्ष से 13.24% की वार्षिक वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 25,144.25 करोड रहा.

बैंक की कुल एनआरआई जमाराशियां यथा 31.03.2017 को 9.76% की वृद्धि दर्ज करते हुए, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक ₹ 3658.32 करोड के प्रति ₹ 4015.22 करोड रहा. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, खाडी देशों से एनआरआई को भारत में हमारी किसी भी शाखाओं में उनके खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधि विप्रेषण करने हेतु बैंक ने यूएई विनिमय केंद्र एलएलसी, अल अनसारी विनिमय यूएई, वाल स्ट्रीट एक्सचेंज, यूएई एण्ड अल बदर एक्सचेंज, यूएई के लिए ''स्पीड/फ्लैश विप्रेषण'' सुविधा प्रदान की है. इसके अलावा, बैंक को भारत में अनुरक्षित खातों में रुपया प्रेषित करने हेतु ओमान युनाईटेड कंपनी एलएलसी, ओमान के साथ रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) भी है. बैंक द्वारा हमारे अनिवासी ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्र.का., बेंगलूर में विशेष अनिवासी ग्राहक कक्ष की स्थापना की गयी.

बैंक ने डीएमएस सॉफ्टवेयर के जरिए सीबीएस में विदेशी मुद्रा लेनदेन के प्रक्रिया प्रवाह के एकीकरण, भा.रि.बैं के ईडीपीएमएस पोर्टल में वृद्धि, आयात संबंधित लेनदेन आदि को कैप्चर करने और निगरानी करने के लिए आईडीपीएमएस का कार्यान्वयन, आदि के माध्यम से, विभिन्न तकनीकी समर्थन सिस्टम को सफलतापूर्वक अपग्रेड किया है. आगे, एसडब्ल्यूआईएफटी परिचालन में साइबर सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान किए गए हैं और पूर्ण रूप से तैयार है.

लेनदेन के त्वरित व कुशल वितरण के साथ प्रधान कार्यालय के केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा प्रोसेसिंग कक्ष के जरिए पूरे देश के ग्राहकों को समग्र विदेशी मुद्रा कारोबार आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ विभाग लेन-देन की ऐसी जटिल और विविध प्रकार के निष्पादन की अनुकूलतम अनुपालन जांच भी सुनिश्चित करती है.

आस्ति गुणवत्ता

बैंक नए फिसलन को रोकने तथा लगातार आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने पर ज़ोर देता रहा है. इस दिशा में बैंक ने विभिन्न उपायों को लागू किया है जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- तनाव के लक्षण दर्शानेवाले/देय राशि में चूक होनेवाले खातों को पहचाना गया और उन्हें विशेष निगरानी खाते की श्रेणी में रखा गया. जहां कहीं भी संभव था ऐसी आस्तियों की पुनर्संरचना की गयी, योग्य मामलों में आवश्यकता आधारित अतिरिक्त ऋण सीमाओं पर विचार किया गया. एनपीए में फिसलन हुए एमएसएमई खातों के संबंध में लाभप्रदता अध्ययन किया जाना है तथा जहां कहीं संभव हो, निर्धारित समय सीमा में निगरानी पर ध्यान दिया जाए.
- एनपीए खातों के व्यवस्थित अनुवर्तन हेतु क्षे. का. में विशेष वसूली कक्षों का गठन किया गया. जिन केंद्रों में ऋण वसूली प्राधिकरण

कार्यरत हैं वहां नोडल अधिकारियों को पदनामित किया गया है जो मामलों के शीघ्र निपटान हेतु पीठासीन अधिकारी तथा बैंक के अधिवक्ता के साथ नियमित रूप से संपर्क रखते हैं.

- इरादतन चूककर्ताओं के मामले में प्रतिभूतिकरण जैसे कानूनी विकल्प सहित भा.रि.बैं. को नाम देना आदि कठोर वसूली उपाय तत्काल करते हैं.
- अनर्जक ऋणों की त्वरित वसूली हेतु लोक अदालत की सेवाएं ली जाती है तथा 746 खाते लोक अदालत में निपटाए गए हैं.
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत एनपीए खातों की वसूली के लिए कारोबार संवाददाता नियुक्त हुए और 2632 खातों में ₹ 11.46 करोड की वसूली हुई.
- हासन, हुब्ली, कल्बुर्गी और मैसूर में चार वसूली केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें प्रत्येक केंद्र में 1 केंद्र प्रभारी और 3 वसूली अधिकारी हैं.
- क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ वीडियो कान्फरेंस के माध्यम से त्वरित वसूली के लिए उन्हें मार्गदर्शन देते हुए उच्च प्रबंधन द्वारा 10 लाख तथा उससे अधिक के सभी एनपीए खातों की समीक्षा की जाती है.
- त्वरित वसूली की सुविधा हेतु, बैंक की वसूली नीति के अधीन विभिन्न केंद्रों में बडी संख्या के एनपीए खातों की शाखाओं के समूह के लिए नियमित रूप से विजया अदालत का आयोजन किया जाता है, जहां पर खातों का निपटान उसी जगह पर किया जाता है. वर्ष के दौरान, 31.03.2017 तक बैंक ने समझौता के द्वारा 2504 खातों में ₹ 146.79 करोड निपटान किया है.
- बैंक की नीति के अनुसार, बैंक के देय की वसूली हेतु हमारे बैंक / सार्वजनिक बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी नियुक्त किया है.
- केवल एमएसएमई क्षेत्र के एनपीए की वसूली हेतु एक विशेष एकबारगी निपटान योजना तैयार की गई थी, जो 31.03.2017 तक लागू थी.
- सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कवर नहीं किए गए एनपीए खातों के संबंध में वसूली एजेंटों को नियुक्त किया गया है.
- सरफेसी के तहत शुरू की कार्रवाई को या तो वसूली या खाते के उन्नयन के साथ समाप्त किया गया. बैंक ने वर्ष के दौरान 31.03.2017 तक 2559 खातों में ₹ 396.20 करोड़ वसूल किया.
- कम मूल्य के एनपीए खातों में त्वरित वसूली हेतु, जहां बडी संख्या के एनपीए खाते हैं, उन पहचानित केन्द्रों में 10 वसूली अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.
- ₹ 5.00 लाख तक की मंजूरी सीमा के कृषि ऋण के लिए विशेष उदारीकृत ओटीएस योजना वित्तीय वर्ष 16-17 में भी विस्तारित की गई है और ऐसे कृषकों के योग्यता के आधार पर नए कृषि ऋण पर भी विचार किया जा सकता है.
- बैंक ने 10 अधिकारियों के साथ विशेष रूप से नामित एनपीए वार रूम का गठन किया है और नए और पुराने एनपीए की वसूली हेतु और 13 अधिकारियों को शामिल किया है.

यथा मार्च 2017 को कुल अग्रिमों के बैंक का सकल गैर-निष्पादन आस्ति 6.59% रहा, जबकि निवल अग्रिमों से निवल एनपीए अनुपात 4.36 % था. वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक को ₹ 863.80 करोड की कुल नकद वसूली हुई (ब्याज सहित) तथा ₹ 895.44 करोड के एनपीए का उन्नयन किया गया. आगे, बैंक ने यथा 31 मार्च 2017 को ₹ 71.35 करोड के अस्थिर प्रावधानीकरण के अलावा अप्रत्याशित चूक के लिए ₹2121.23 करोड का प्रावधानीकरण भी किया. यथा मार्च 2017 को प्रावधान प्रावरण अनुपात (पीडब्ल्यूओ सहित) 58.15 % रहा.

जोखिम प्रबंधन

विजया बैंक ने एक अच्छी तरह से परिभाषित और मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा अपनाया है. जोखिम और रिटर्न के बीच एक उचित व्यापार के साथ, ड्राइविंग वैल्यू के दौरान, पूंजी को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय कार्य के साथ साझेदार के रूप में जोखिम प्रबंधन कार्य करता है. जोखिम प्रबंधन कार्य को बेसल / दिशानिर्देशों अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम और चलनिधि जोखिम के तहत परिभाषित सिद्धांत जोखिमों के आधार पर विभाजित किया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार बैंक ने नई पूंजी पर्याप्तता ढांचे को लागू किया है. हालांकि, बैंक ने शुरुआत में, क्रेडिट जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि विधि और परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है, अब तक किए गए / अनुमानित पहल बेसल दिशानिर्देशों में और अधिक उन्नत पूंजी माप के दृष्टिकोण हेतु बैंकों को निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में सक्षम बनाने के लिए तैयार हैं. बैंकिंग उद्योग में सर्वोत्तम आईएसएमएस प्रथाओं के लिए बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग को प्रतिष्ठित आईएसओ 27001: 2013 से सम्मानित किया गया है.

जोखिम प्रबंधन को और मजबूत बनाने के एक हिस्से के रूप में, बैंक ने 2016-17 के वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल शुरू की है.

- बैंक खुदरा पोर्टफोलियो पर ध्यान देने के साथ बैंक के लक्ष्य और जोखिम प्रोफ़ाइल के साथ संरेखित करने के लिए पूंजी अनुकूलन तकनीक का लाभ उठाता हैं
- पात्र बाह्यत: मूल्यांकित खातों के कवरेज में निरंतर सुधार
- बेहतर गुणवत्ता वाले ऋण पोर्टफोलियो के लिए कम गुणवत्ता ऋण पोर्टफोलियो का मंथन
- एकल और समूह उधारकर्ताओं के लिए अलग अलग एक्सपोजर अधिकतम सीमा लागू करने हेतु, सेक्टोरियल कैप का अनुरक्षण जैसे मानदण्ड

- तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक्सपोजर सीमित करना
- ऋण खातों के लिए जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण करना
- रेटिंग मॉडलों को मजबूत करने के लिए रेटिंग मॉडलों के बाहरी और आंतरिक वैधीकरण
- प्रशिक्षण और ई-शिक्षा के माध्यम से जोखिम प्रबंधन पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की संवेदनशीलता
- बीमा कवर, नए सुरक्षा उपायों जैसे उचित जोखिम निवारण उपायों के लिए अनुशंसा द्वारा बैंक की आस्तियों की सुरक्षा
- सुधारात्मक कार्रवाई योजनाओं की परिनियोजन के द्वारा प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार
- जोखिम माप प्रणाली को भी सभी राजकोष संबंधित उत्पादों अर्थात खजाना नीति में अनुमोदित डेरिवेटिव, इक्विटी, जी-सेक, विदेशी मुद्रा के लिए रखा गया है,
- आरबीआई के तनाव परीक्षण ढांचे के अनुसार व्यापार बही के लिए दबाव परीक्षण नियमित रूप से आयोजित किया जाता है और बैंक ने आरबीआई के आईएमए दिशानिर्देशों के तहत दबाव परीक्षण के लिए अपने स्वयं के परिदृश्य भी बनाए हैं.
- पुन: परीक्षण नियमित रूप से सभी वीएआर मॉडलों के लिए जैसे ऐतिहासिक सिमुलेशन दृष्टिकोण, विरिएंस कोवेरियंस दृष्टिकोण और मोंटे कार्लो सिमुलेशन दृष्टिकोण आयोजित किया जाता है.
- ग्राहकों के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए बैंक नियामक दिशानिर्देशों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्य को लागू करके सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा कार्य को कार्यान्वित करने की निरंतर प्रक्रिया में है.

ऋण जोखिम

बैंक ने व्यापक उधार नीति तथा ऋण जोखिम प्रबंधन नीति बनाई हैं जिनमें विभिन्न पहलुओं को जैसे जोखिम की प्रवृत्ति, जोखिम आधारित मूल्यन, जोखिम विविधीकरण/निवारण कार्य नीति, यथोचित सीमाएं, पर्याप्त ऋण सीमाएं, समूह ऋण सीमाएं, रेटिंगवार ऋण सीमाएं, अधिमान्य क्षेत्र वृद्धि की कार्यनीति, ऋण अनुमोदन प्रक्रिया, प्रलेखन व सुरक्षा मानक, सुरक्षा मूल्यांकन आदि को शामिल किया गया है. बैंक के कारोबार योजना व कार्पोरेट लक्ष्य के आधार पर ये नीतियां समय समय पर संशोधित की जाती है.

ऋण संविभाग के लिए तनाव, जैसे कि एनपीए में बढोत्तरी, पुनर्गठित मानक खातों की फिसलन, काउंटर पार्टी रेटिंग में गिरावट, संपार्श्विक की कमी, आदि के कारण ऋण जोखिम के लिए तनाव परीक्षण अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है.

आगे, बैंक ने व्यापक जोखिम रेटिंग/स्कोरिंग प्रणाली बनायी है जो प्रतिपक्ष पर विविध जोखिम कारकों का एकल बिंदु सूचक है तथा उचित तथा स्थिर रूप से ऋण निर्णय लेने के लिए उपयोगी है. आवास व अन्य खुदरा क्षेत्रों के लिए अलग जोखिम स्कोरिंग मॉडल को भी तैयार किया है ताकि जोखिम रेटिंग कार्य का अधिकतम प्रावरण सुनिश्चित किया जा सके. ₹ 1.00 करोड से अधिक उधार के संबंध में अर्ध-वार्षिक तौर पर अभिगमन विश्लेषण किया गया है. बैंक ने क्रिसिल रॉम साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सभी खुदरा व गैर-खुदरा ऋणों के जोखिम रेटिंग की शुरुआत की है, जो बेसल II समर्थक है. यह साफ्टवेयर बैंक के सभी प्रकार के ऋण को मंजूरी से पहले ऋण श्रेणीकरण के अधीन प्रावरित करता है, ताकि ऋण की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही बेसल II के उच्च स्तरीय दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हो सकें. बैंक ने ऋण जोखिम में एफआईआरबी (आंतरिक रेटिंग आधारित नींव) दृष्टिकोण की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं हैं. इस संबंध में ऋण जोखिम के लिए रेटिंग मॉडल का सत्यापन किया गया है और बैंक विभिन्न जोखिम ग्रेड के लिए नपे तुले मानदंडों की प्रक्रिया में है.

आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) व बाज़ार जोखिम

बैंक के एएलएम तथा बाजार जोखिम का प्रबंधन क्रमश: आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तथा बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) द्वारा किया जाता है. चल निधि व ब्याज दर जोखिम दोनों विभिन्न साम्यिक खंडों में असमानताओं के लिए उपयुक्त सहनशील सीमाएं निर्धारित की गयी है. 15 दिनों के अंतराल में इसका अनुवर्तन किया जाता है और निदेशक मंडल को अवगत कराया जाता है.

बाजार जोखिम ऋण वीएआर (जोखिम पर मूल्य), एजीएल (कुल अंतर सीमा) तथा अवधि अंतर विश्लेषण जैसे साधनों से मापा जाता है. देश जोखिम निगरानी के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन हेतु सभी देशों के लिए समूह सीमाएं निर्धारित किए गए हैं. नियमित आधार पर अनुपालन की निगरानी के लिए मध्य कार्यालय बारीकी से खजाना लेनदेनों की निगरानी करता है और सुधारात्मक कार्रवाई लेने के लिए परामर्श दिया जाता है.

बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (उन्नत दृष्टिकोण) को लागू करने के लिए बैंक ने भा.रि.बैं. से अनुमति मांगी है.

ब्याज दर मोड पर 200 आधार बिंदु शॉक का प्रयोग करते हुए ईक्विटी (निवल मूल्य) पर संभाव्य बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए समय के अंतराल विश्लेषण का अनुपालन किया जाता है.

पूरे पोर्टफोलियो पर ब्याज दर जोखिम पहचानी गई है और जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के माध्यम से मापित की गई है. शीर्ष प्रबंधन द्वारा संवेदनशीलता विश्लेषण भी आयोजित किया जाता है और समीक्षा की जाती है. आकस्मिकता निधीयन योजना, विवेकपूर्ण अनुपात / सीमाएं निर्धारित की गई हैं और चल निधि जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में वास्तविक स्थिति की निगरानी की जाती है. विभिन्न परिस्थितियों में ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम आदि पर त्रैमासिक आधार पर तनाव

परीक्षण किया जाता है और आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का मूल्यांकन किया जाता है. अल्पावधि तरलता की निगरानी करने के लिए, बैंक दैनिक आधार पर संरचनात्मक तरलता के एएलएम विवरण तैयार कर रहा है.

शाखा लाभप्रदता के वैधानिक रूप से निर्धारण के लिए निधि अंतरण मूल्य, अंतरण मूल्यन तंत्र का नया तंत्रज्ञान है, को क्रियान्वित किया गया है.

बैंक निर्धारित अंतराल में चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) व लीवरेज अनुपात का परिकलन करता है. बैंक के चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) यथा 31.03.2017 के न्यूनतम एलसीआर के 80% के प्रति यथा 31.03.2017 को 160.47% रहा और बैंक के लीवरेज अनुपात भा.रि.बैंक की सांकेतिक दर के 4.50% के प्रति यथा 31.03.2017 को 5.36% रहा.

परिचालनात्मक जोखिम

प्रभावी ढंग से परिचालन जोखिम की पहचान, प्रबंधन तथा निपटान करने के लिए बैंक में एक बेहतर परिचालन जोखिम प्रबंधन ढ़ांचा तैयार किया है. बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक ढ़ांचा भी बनायी है. परिचालन जोखिम प्रबंधन का नियंत्रण परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) द्वारा किया जाता है, जो परिचालन जोखिम हानि संबंधित आंकडे, नए उत्पाद, बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और प्रणालियों की समीक्षा करता है और आंतरिक प्रणाली एवं प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए सुधारात्मक / निवारक उपायों की सुझाव प्रदान करता है. परिचालन जोखिम को कम करने के लिए, ऋण और जमा संविभागों में की गई धोखाधड़ी के बारे में कई विषयगत अध्ययन आयोजित किए गए ताकि जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण से प्रणालीगत कमियों को पहचान सके. आगे, सुधारित दृष्टिकोण को अपनाने के क्रम में, बैंक ने जोखिम नियंत्रण स्व मूल्यांकन (आरसीएसए) और प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआईएस) के लिए रूपरेखा बनाई है. समीक्षा द्वारा आरसीएसए और प्रमुख जोखिम संकेतक को मजबूत करने और परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए कवरेज क्षेत्र में सुधार लाने हेतु बैंक द्वारा कदम उठाई जा रही हैं. जोखिम के कारण और परिचालन जोखिम हानि के मूल कारण की पहचान की गई है और अनुपालन के लिए उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण योजना तैयार की गई है और हितधारकों को सूचित की गई है.

बैंक, मेसर्स कार्डेक्स इंडिया प्रा. लि. का एक स्थापना सदस्य है, बैंक के आंतरिक हानि डाटाबेस को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से भारतीय बैंक संघ के तत्वावधान में हानि डाटाबेस संघ गठित किया है.

मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) के तहत परिचालन जोखिम पूंजी के आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को सहमति प्राप्त हुई है – (मार्च 2015 से समानांतर प्रभाव)

बेसल II और बेसल III का अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि के अंतराल और परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है. बैंक ने बेसल III के मानदंडों का पालन किया है और यथा 31 मार्च, 17 को कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.73% (सीसीबी सहित) रहा, जो कि पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित 10.25% के न्यूनतम निर्धारित मानक से अधिक है. आगे, बैंक ने बेसल II मानदंडों का भी अनुपालन किया है और यथा 31 मार्च 2017 को कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.95% रहा, जो 9% के न्यूनतम निर्धारित मानक से अधिक है.

बैंक ने अपनी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति तैयार की है जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में संशोधन, उद्योग की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और आईसीएएपी दस्तावेजों के बाहरी सत्यापन में संशोधन के आधार पर संशोधित है. आईसीएएपी दस्तावेज़ संकलित किया गया है और अर्ध वार्षिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है. आईसीएएपी ढांचे के बाहरी सत्यापन आयोजित किया जाता है और बाहरी एजेंसी की सिफारिश उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक के प्रयास के हिस्से के रूप में शामिल की जाती है.

एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) परियोजना

बेसल-II मानदंडों की सरल और प्रभावी अनुपालन की सुविधा के लिए, बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) का कार्यान्वयन शुरू किया है.

विशिष्ट आईआरएमएस परियोजना में छह समाधान होते हैं, जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन (सीआरएम), बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम), परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम), ऋण जोखिम रेटिंग सोल्यूशन (सीआरआर) (खुदरा एवं गैर खुदरा), आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) और निधि आंतरण मूल्य निर्धारण (एफ़टीपी) समाधान.

जोखिम प्रबंधन के लिए कार्यान्वयन और अविरत जागरुकता अभियान के रूप में, बैंक ने 32 क्षेत्रों में नोडल अधिकारियों की पहचान की है जो जोखिम प्रबंधन पहल के कार्यान्वयन में सहायमता करते हैं. प्रशिक्षणकर्ता को प्रशिक्षण की अवधारणा के माध्यम से जोखिम प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर नोडल अधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया है.

बेसल III तथा पूंजी पर्याप्तता

बेसल II के तहत 10.25% की न्यूनतम नियामक पूंजी के प्रति 12.73% के सीआरएआर अनुपात के साथ बैंक की पूंजी बेहतर है. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने बेसल-III अनुरूप अतिरिक्त टियर- I बांड जारी करते हुए ₹ 325 करोड का टियर- I पूंजी बढ़ाई है तथा आंतरिक

उपचय द्वारा ₹ 420.12 करोड़ का अर्जन (नियामक पूंजी के लिए संगणित) बनाए रखा है. बेसल–II मानक के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.90% (यथा 31.03.2016) की तुलना में 12.95% (यथा 31.03.2017) तक बढा है. आगे, बेसल–III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता यथा 31.03.2016 को 12.58 से 31.03.217 को 12.73 तक वृद्धि हुई है. बैंक की पूंजी स्थिति नीचे सारणीबद्ध है :

(₹ करोड़ो में)

बेसल–II	31.03.2016		31.03.2017	
	राशि	अनुपात	राशि	अनुपात
सामान्य ईक्विटी टियर- I पूंजी*	6973.50	8.31%	7327.49	8.44%
अतिरिक्त टियर- I पूंजी	955.84	1.14%	1319.89	1.52%
टियर- I पूंजी*	7929.34	9.45%	8647.38	9.96%
टियर- I I पूंजी	2621.07	3.13%	2404.11	2.77%
कुल पूंजी*	**10550.41**	**12.58%**	**11051.49**	**12.73%**
जोखिम भारित आस्तियां	83883.21			86798.93

* पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 31.03.2016 को 0.625% और 31.03.2017 को 1.25% सहित.

राष्ट्रीय प्राथमिकता

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

बैंक का कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम की वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक मानदण्ड के 40% के प्रति समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 41.34% दर्शाते हुए मार्च 2017 के अंत में ₹ 40590 करोड़ रहा. कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में मार्च–2016 की तुलना में ₹ 2587 करोड की वृद्धि हुई.

कृषि वित्त

बैंक का कृषि अग्रिम मार्च 2017 को ₹ 15632 करोड़ रहा, जो समायोजित निवल बैंक ऋण का 15.92% बनता है. कृषि ऋण में ₹1861 करोड़ की समग्र वृद्धि के साथ 13.51% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्शायी गई है.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

यथा 31.03.2017 को वीकेसी का बकाया स्तर 160947 खातों के जरिए ₹ 2868 करोड़ रहा. विजया किसान कार्ड (वीकेसी) अब रुपे प्लैटफार्म के अधीन एटीएम समर्थित हैं .

कमज़ोर वर्गों को अग्रिम

यथा मार्च 2017, बैंक द्वारा कमज़ोर वर्गों को बकाया अग्रिम ₹ 13149 करोड़ था, जो निर्धारित का 10% मानदंड के प्रति एएनबीसी का 13.39% बनता है.

स्व–सहाय समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)

स्व–सहाय समूह (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) को अग्रिम देने की ओर बैंक ने प्राथमिकता दी. एसएचजी/ जेएलजी को प्रदान किए गए अग्रिमों का अतिदेयता स्तर 31.03.2016 में ₹ 682 करोड़ से यथा 31.03.2017 को ₹ 740.00 करोड़ रहा.

बैंक, विभिन्न राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग में दीनदयाल अंत्योदया योजना – राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के कार्यान्वयन में सक्रिया रूप से भाग ले रहा है. 24150 महिला स्व सहाय संघ को लाभान्वित करके डीएवाई–एनआरएलएम के अंतर्गत बैंक के अग्रिम ₹653 करोड़ रहा.

महिला हिताधिकारियों को ऋण

महिला हिताधिकारियों को अग्रिम, 22% की वृद्धि दर्शाते हुए मार्च 2016 के ₹ 7790 करोड की तुलना में मार्च 2017 में ₹ 9501 करोड़ रहा. समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के निर्धारित लक्ष्य 5% के प्रति एएनबीसी के 9.68% बैंक की उपलब्धि है.

अग्रणी बैंक योजना

हमारे बैंक को कर्नाटक राज्य के 3 जिलों अर्थात मण्ड्या, धारवाड और हावेरी जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है. सभी तीन जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक संबंधित जिले की सभी बैंक शाखाओं के साथ समन्वय करके वार्षिक ऋण योजना, सरकार द्वारा प्रायोजित योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), वित्तीय समावेशन, सोशल सुरक्षा योजनाएं, डिजिटल बैंकिंग, आधार सीडिंग, सीधा लाभ अंतरण योजना आदि के अधीन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं.

फसल बीमा

भारत सरकार ने कम बीमा प्रीमियम के साथ मौजूदा फसल बीमा योजनाओं के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की है. हमारे बैंक ने 2016 के खरीफ और रबी मौसम के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया और पीएमएफबीवाई के तहत 111672 किसानों को कवर किया.

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत उधार

बैंक लगातार सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने को महत्व देता आ रहा है. सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अधीन ऋण प्रवाह निम्नानुसार है:

क्रम सं.	योजनाएँ	हिताधिकारियों की संख्या	मार्च 2017 को बकाया ऋण राशि
1	डीएवाई–एनआरएलएम	24150	653
2	डीएवाई–एनयूएलएम	605	9
3	पीएमईजीपी	3211	140

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अग्रिम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को कुल अग्रिम मार्च 2016 के ₹ 1747 करोड़ के प्रति मार्च 2017 में ₹ 2011 करोड़ रहा.

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

मार्च 2017 को अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों की मात्रा ₹ 5574 करोड़ है और सरकारी मानदण्ड के 15% के प्रति यह कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 15.12% बनता है.

वीआईबीएसईटीआई (विजया बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थाएं)

बैंक ने कर्नाटक राज्य के मंड्या व हावेरी में और मध्यप्रदेश राज्य के इंदौर में विजया बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (वीआईबीएसईटीआई) की स्थापना की है. ये संस्थाएं विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन/जागरुकता कार्यक्रमों और उद्यमी विकास कार्यक्रम कार्यशालाएं आदि का आयोजन कर रही हैं. वर्ष 2015–16 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय(एमओआरडी), भारत सरकार ने सभी तीनों वीआईबीएसईटीआाई को उच्चतम ग्रेडिंग 'एए' ग्रेड दिया हैं.

चालू वर्ष 2016–17 के दौरान वीआईबीएसईटीआई द्वारा 98 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 2734 लाभार्थी प्रशिक्षित हुए. प्रारंभ में कुल 1548 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 52461 लाभर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया. लाभकारी स्व रोजगार उपक्रम के साथ प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का निपटान यथा 31.03.2017 को 69.41% रहा.

विजया ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीएफ)

विकास कार्यक्रमों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए तथा कृषि, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, सेवाएं आदि तथा अन्य ग्रामीण विकास क्षेत्रों जैसे साक्षरता, स्व रोजगार, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र में वैज्ञानिक, शैक्षिक और विकासात्मक गतिविधियों के लिए बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार गतिविधियों का संचालन करने के लिए वर्ष 1990 में बैंक द्वारा मंगलूर में विजया ग्रामीण विकास फाउंडेशन (वीआरडीएफ) स्थापित किया गया. वीआरडीएफ, विभिन्न विषयों को कवर करते हुए ग्राम विकास परिषद (वीडीसी) के माध्यम से विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है. 2016–17 के दौरान स्थास्पित 10 वीडीसी सहित वर्तमान में वीआरडी के अंतर्गत ऐसे 44 वीडीसी कार्य कर रहे हैं. फाउंडेशन की गतिविधियां दक्षिण कन्नड़, उडुपी, कासरगोड और उत्तरा कन्नड़ जिले के निकतवर्ती भागों में और हावेरी, धारवाड़ और मंड्या जैसे अन्य जिलों में फैले हैं जहां बैंक की अग्रणी बैंक ज़िम्मेदारी है.

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, वीआरडीएफ 13371 हिताधिकारियों को लाभान्वित करके 266 कार्यक्रमों का आयोजन किया है. मुक्त स्वास्थ्य कैम्प, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, विभिन्न फसल की खेती पहलुओं एवं पशुपालन गतिविधियों पर प्रशिक्षण आदि के अलावा, 2016–17 के दौरान निम्न प्रकार के नए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.

- सुपारी के पत्तों से प्लेट्स की तैयारी, जिसके लिए किसानों और वीडीसी सदस्यों से बहुत प्रशंसा मिली.
- प्रधानमंत्री मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना के साथ–साथ विशेष मिट्टी/फसल के लिए पोषक तत्व को सिफारिश तथा मिट्टी परीक्षण पर कार्यक्रम.
- आकाशवाणी, मंगलूर के माध्यम से 10वीं कक्षा के ग्रामीण स्कूल विद्यार्थियों के लिए गणित व अंग्रेजी में रेडियो सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उस क्षेत्र में विशेषज्ञ अध्यापकों ने सत्र लिया, जिसका ग्रामीण स्कूलों के छात्रों द्वारा सदुपयोग किया गया. वीआरडीएफ ने ग्रामीण सरकारी स्कूलों के लिए 100 रेडियो प्रदान किया.
- कृषि व संबद्ध गतिविधियों में रुचि लेने हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए 25 'भविष्य किसान क्लब' गठित किया गया. कुल 50 'भविष्य किसान क्लब' हैं. इन विद्यार्थियों को डेरी व्यवसाय, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेतीबाड़ी, कृषि मशीनीकरण आदि पर प्रशिक्षण दिया गया.
- विद्यार्थियों और वीडीसी सदस्यों को सब्जी के बीज का वितरण किया गया.

वित्तीय समावेशन

- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) मूल बैंक खाता, ₹ 1.00 लाख का दुर्घटना बीमा रक्षा के साथ रुपे कार्ड, ₹ 30000/– का जीवन बीमा और खाता में संतोषजनक लेनदेन के आधार पर ₹ 5000/– तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराते हुए देश के बिना बैंक की सुविधा वाले सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 28.08.2014 को शुरुआत की थी. बैंक को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में 3410 गांवों और 432 मुहल्ला को मिलाकर कुल 1151 उप सेवा क्षेत्र आबंटित किए गए हैं. बैंक ने 289 शाखाओं के जरिए और बाकी में बैंक मित्र (कारोबार संवाददाता एजेंट) के जरिए इन गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. बैंक ने आबंटित सभी एसएसए और मुहल्ले में सर्वेक्षण करवाया और कम से कम एक खाता के साथ सभी परिवारों को रक्षित किया.
- यथा दिनांक 31 मार्च 2017 को बैंक ने ₹ 191.41 करोड़ के कुल बचत के साथ पीएमजेडीवाई के अधीन 14.90 लाख आधार बचत बैंक जमा खाते खोले और सभी खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड उपलब्ध कराए गए. 12.93 लाख खातों में आधार संख्या दर्ज किया गया. बैंक ने 6107 पीएमजेडीवाई खाता धारकों को ₹ 104.81 लाख की राशि का ओवरड्राफ्ट सुविधा मंजूर की है.

मुख्य बातें

- सभी शाखाओं में ई–केवाईसी और हाथ वाली मशीन/सूक्ष्म एटीएम सक्षम किए गए हैं
- पीएमजेडी खाताधारकों को स्वतः ओवरड्राफ्ट सुविधा बैंक के सभी एटीम में सक्षम किया गया है.

- सभी बीसीए केंद्रों में दूसरे बैंकों के रुपे कार्ड से लेनदेन की सुविधा सक्षम की गई है.
- सभी सूक्ष्म एटीएम को परिचालित किया गया है .
- खाताधारकों द्वारा बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के बिना तीसरी पार्टी से बबैं खाते में नकद स्वीकार कराना सभी एचएचएम/कियोस्क में सक्षम किया गया है.
- हमने सभी 882 केंद्रों में बैंक मित्रों की नियुक्ति करते हुए 100% की नियुक्ति का लक्ष्य प्राप्त किया है.
- बैंक मित्रों को प्रशिक्षित किए गए हैं और आईआईबीएफ/योग्यता निर्माण के अधीन आंतरिक प्रशिक्षण द्वारा प्रमाणित किए गए हैं .

नए बचत बैंक खातों में आधार दर्ज करने का अभियान :

आधार संख्या दर्ज करने के लिए हमने मई 2016 से अभियान की शुरुआत की है. प्राप्त किया गया लक्ष्य यहां नीचे सारांशित है :

मानदंड	आधार दर्ज करना					
	मार्च 16		मार्च 17		प्रगति	
	पूर्ण संख्या	दर्ज करने का %	पूर्ण संख्या	दर्ज करने का %	पूर्ण संख्या	दर्ज करने का %
1) सक्रिय पीएमजेडीवाई खाते	894523	64	1293934	88	399411	24
2) केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय बबैं खाते	174662	51	250784	72	76112	21
3) सभी सक्रिय बबैं खाते	2679112	29	6484741	62	3805629	33

वित्तीय साक्षरता :

बैंक ने वित्तीय मामलों से संबंधित सभी शहरी व ग्रामीण जनता को साक्षरता उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ दिनांक 20.11.2015 को विजया वित्तीय साक्षरता न्यास (वीएफएलटी) की स्थापना की है. हमने 3 नए एफएलसी खोले हैं जिसे मिलाकर कुल 18 एफएलसी हैं जिसका प्रबंधन परामर्शदाता द्वारा किया जाता है जो सेवानिवृत्त अनुभवी बैंक कर्मचारी हैं.

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 'प्रधान मंत्री जन धन योजना' पर जागरूकता फैलाने के लिए बैंक ने खाते खोलने के लिए शिविर और अन्य साक्षरता कार्यक्रमों में दिखाए जाने के लिए क्षेत्रीय भाषा में ऑडियो फिल्म तैयार किया है. पीएमजेडीवाई खाता धारकों और अन्य ग्रामीण एवं शहरी जनता को वित्तीय साक्षरता की जानकारी देने के लिए शाखाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में वित्तीय साक्षरता सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है.

विद्यालयों में वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराने के लिए भाबैंसंघ के विद्यालय बैंक विजेता परियोजना शुरू की गई है जिसके अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में 431 विद्यालयों को जोड़ा गया है. डीएफएस के प्रारंभिक परियोजना के अधीन तीन राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के 51 विद्यालयों में विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता दी जा रही है. बैंक सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजा (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के प्रचार योजना के लिए सक्रियता से सहभागिता कर रहा है. एफएलसी आईटीआई और कौशल केंद्रों में सहभागिता भी करता हैं.

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

बैंक एलपीजी ग्राहकों के आधार संख्या को उनके खाते में दर्ज करते हुए भारत सरकार के संशोधित डीबीटीएल कार्यक्रम को सक्रियता से कार्यान्वित कर रहा है. विविध माध्यमों के जरिए उनके खाते में आधार संख्या दर्ज करने के लिए सभी ग्राहकों को सतत रूप से एसएमएस अलर्ट भी भेजा जाता है.

इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण

बैंक एक जिला एक बैंक मॉडल योजना के अधीन बैंक मित्रों के जरिए मंड्या जिला में दो लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रति माह ₹ 8.00 करोड़ से अधिक की राशि की सामाजिक सुरक्षा पेंशन/एमएनआरईजीए संवितरित करता है.

सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक, नए तकनीकी के आधार पर ग्राहकों को अपने उत्पाद व सेवा का प्रस्ताव रखने में हमेशा अग्रसर है. यह बैंक को ग्राहक का अनुभव व संतुष्टि को बढ़ाने में मदद करता है. वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने, उपलब्ध नए तकनीकी के अनुसार उत्पाद व सेवा की शुरुआत / अपग्रेड किया है. बैंक की सहजवृत्ति जैसे तकनीकी को अपनाना, नए उत्पादों का प्रस्ताव और ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना बैंक के उद्योग में प्रतिस्पर्धी बने रहने में सहायक होती है. वर्ष के दौरान बैंक द्वारा उठाए गए कुछ आईटी आधारित मुख्य पहल निम्नप्रकार है :

इंटरनेट बैंकिंग

हम हाल ही में हमारे इंटरनेट बैकिंग, वी-नेट बैंकिंग को अपग्रेड किया है, यह अब अनुक्रियाशील है अर्थात् लैपटॉप, मोबाइल या किसी हैण्ड-हेल्ड साधन पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. वी-नेट बैंकिंग, जिसमें खाता शेष पूछताछ, खाता विवरणी, एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए अंतर बैंक तथा अन्य बैंकों के साथ निधि अंतरण, एसएमएस अलर्ट से संबंधित लेनदेन, अप्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष कर का भुगतान, राज्य वाणिज्यिक कर, यूटिलिटी बिल भुगतान, मंदिरों को ऑनलाइन दान एवं प्रधान मंत्री राहत निधि के लिए ऑनलाइन दान तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध है. वी-नेट बैंकिंग में जोड़ दी गई विशेषताएं निम्नानुसार हैं.

- ऑनलाइन पर मीयादी जमा / आवर्ती जमा खाता खोलना.
- पासवर्ड को ऑनलाइन पुन: बनाया जा सकता है.
- यूजर आईडी व पासवर्ड ऑनलाइन पर सृजित किया जा सकता है.
- ग्राहक अपना पीपीएफ खाता देख सकते हैं तथा वी-नेट बैंकिंग सुविधा उपयोग करते हुए जुडे गए अपने परिचालनात्मक खाते से पीपीएफ खाते में निधि का अंतरण कर सकते हैं.
- लाभार्थी को जोडना / लेनदेन संबंधित ओटीपी / एसएमएस अलर्ट
- ग्राहक अपने विजया बैंक क्रेडिट कार्ड विवरण देख सकते हैं.
- ग्राहक आयात एवं निर्यात शीमा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.
- ग्राहक भाषा का विकल्प कर सकता है, अर्थात, हिंदी / अंग्रेजी
- आईडीबीआई कैपिटल के साथ समन्वय में ऑनलाइन ट्रेडिंग.
- कॉर्पोरेट वी-नेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के लिए थोक / वेतन अपलोड की सुविधा है.
- वी-नेट बैंकिंग लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए ग्राहक सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर टोकन चुन सकते हैं.
- ग्राहक फाइल की गई आयकर विवरणी का ई-फिलिंग कर सकते हैं.

मोबाइल बैंकिंग

बैंक द्वारा मोबाइल बैंकिंग सेवा 2009 में शुरु की गई. वी-मोबाइल बैंकिंग चैनल के जरिए बैंक, खाता शेष पूछताछ, खाता विवरणी, मोबाइल रीचार्ज, डीटीएच रीचार्च, एनईएफटी द्वारा अंतर बैंक व बैंक की शाखाओं के बीच निधि अंतरण, आदि प्रदान कर रहा है जो कि ग्राहक एसएमएस/ जीपीआरएस संप्रेषण मोड के जरिए हैंडसेट से कर सकते हें. तत्काल भुगतान सेवा एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) द्वारा शुरू की गई पहल है जिसे मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपयोग करनेवाले ग्राहक के लाभार्थ कार्यान्वित किया गया है. अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) (पी2पी- व्यक्ति से व्यक्ति को) जिसके जरिए 24×7 एमएमआईडी (मोबाइल मनी आइडेंटिफायर) का प्रयोग करके बैंक के अंदर व बैंकों के बीच लेनदेन कर सकते हैं. हमारी मौजूदा मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में आईएमपीएस (पी2ए- व्यक्ति से खाते को) कार्यान्वित है जहां हिताधिकारी का खाता संख्या तथा आईएफएससी कूट का प्रयोग करते हुए निधि अंतरण कर सकते हैं.

अब हमने वर्धित रूप और भावना के साथ मोबाइल बैंकिंग के नए रूपांतरण का शुभारंभ किया है, जिसमें अतिरिक्त सुविधाएं जैसे कि ग्राहक द्वारा बैंक से सूचनाएं प्राप्त की जाना, निधि आंतरण लेनदेन की टिप्पणी जोड़ना, स्वयं द्वारा आवेदन पासवर्ड सृजित किया जाना और ग्राहकों के अनुकूल अन्य विकल्प उपलब्ध हैं. मोबाइल बैंकिंग द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) रूप में उपलब्ध है.

हमारा मोबाइल बैंकिंग एमएमआईडी का उपयोग कर आईएमपीएस भुगतान के लिए सक्षम किया गया है, जहां ग्राहक, हिताधिकरी एमएमआईडी तथा मोबाइल नंबर के आधार पर लेनदेन की शुरुआत कर सकते हैं. हम आईएमपीएस व्यापारी भुगतान के दोनों विकल्प अर्थात पुश एण्ड पुल सक्षम किया है. हमारा मोबाइल बैंकिंग ग्राहक आईएमपीएस विकल्प के तहत अपना एमएमआईडी, मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग कर किसी भी बिल्लर साइट पर ऑनलाइन व्यापारी भुगतान करने में सक्षम होगा.

मिस्ड कॉल सेवाएं (फ्री बज्ज)

बैंक, अपने ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल सेवाएं उपलब्ध करा रहा है जिससे ग्राहक, खाता शेष व लघु विवरण प्राप्त कर सकते हैं. शून्य प्रभार से मिस्ड कॉल देने की सुगमता ग्राहकों के लिए बहुत ही लाभदायक है.

वी-फी हाईव

हमारी इन-हाउस सॉफ्टवेयर विकास टीम ने शैक्षिक संस्थाओं से शुल्क संग्रहण, अपार्टमेंट से मासिक रख-रखाव शुल्क संग्रहण तथा क्लबों द्वारा शुल्क संग्रहण के लिए एक विशेष एप्लिकेशन विकसित किया है. इसमें कुछ विशिष्टताएं हैं जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग आदि अन्य भुगतान चैनल को एकीकृत किया जा सकता है. प्रतिष्ठित संस्थाएं जैसे कि आईआईएम-कालीकट, आर्मी पब्लिक स्कूल- दिल्ली, एनपोया कालेज- मंगलूर, माऊंट कार्मेल कालेज-बेंगलूर इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं. डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम तकनीकी महाविद्यालय उत्तर प्रदेश, एसएसआरआईटी बेंगलूर, मोतिलाल नेहरू नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी और वासवी पर्ल अपार्टमेंट सहित इस साल में विभिन्न नई संस्थाओं के लिए आवेदन लागू किया गया था.

वी-ई पासबुक +:

हमारी इन-हाउस सॉफ्टवेयर विकास टीम ने मोबाइल एप्लिकेशन विकसित की है जिससे खाता विवरण/लेनदेन विवरण प्राप्त किया जा सकता है. इस एप्लिकेशन में अतिरिक्त ग्राहकोन्मुख विशिष्टताएं हैं जैसे प्रत्येक लेनदेन के लिए टिप्पणियां जोडने की सुविधा, विभिन्न वैयक्तिक खाता शीर्ष रखने की सुविधा तथा एक ही क्लिक से इन खातों में पासबुक लेनदेन जोड़ने की सुविधा, आदि. अद्यतन प्रस्तुतियां तथा सूचनाएं जैसे बैंक की ब्याज दर से युक्त पृष्ठ इसके जरिए बैंक की वेबसाइट में जाने की सुविधा तथा किसी दोस्त को परिचय कराने की सुविधा इस एप्लिकेशन में उपलब्ध है. आनलाइन पर पासवर्ड को रीसेट किया जाना, वित्तीय कैलेंडर बनाए रखना, हमारी शाखा/ एटीएम को पहचानना, हिन्दी/कन्नड भाषाओं में विवरण दर्शाया जाना, आदि जैसी आकर्षक विशेषताओं के साथ प्रचलित वर्ष के दौरान वी-ई पासबुक +2.00 का नया रूपांतरण जारी किया गया.

एसएमएस अलर्टस/ई-मेल

- बैंक एसएमएस अलर्ट सेवा भी प्रदान करता है. ₹ 1/- से अधिक सभी लेनदेन तथा चेक लौटाए जाने के संबंध में, चाहे राशि जितनी भी हो, संदेश भेजे जाते हैं. जिन खाताधारकों ने ई-मेल आईडी रजिस्टर किया है,

उनको ई–मेल के जरिए खातों की मासिक विवरणी भेजने का कार्य शुरू किया गया है. ₹ 1 करोड से अधिक जमाराशि बंद करने तथा खोलने के लिए ग्राहक के पंजीकृत ई–मेल आईडी (शाखा व क्षे.का) को अब मेल अलर्ट भी भेजा जा रहा है.

एसएमएस अलर्ट निम्न के लिए भी उपयोग किया जाता है –

- एसएमएस–ओटीपी (एक बारगी पासवर्ड) द्वारा हिताधिकारियों को वी–नेट बैंकिंग में जोड़ना.
- ऑनलाइन पर वी–नेट बैंकिंग एसएमएस–ओटीपी (एक बारगी पासवर्ड) रीसेट किया जा सकता है.
- अन्य सुरक्षा सुविधाओं के साथ–साथ खुदरा ग्राहक, एसएमएस–ओटीपी (एक बारगी पासवर्ड) द्वारा स्व–प्रयोक्ता बनाया जा सकता है.
- ग्राहकों को सलाहकार एसएमएस/मेल भेजे जाते हैं.
- समापन के संबंध में, जमाकर्ताओं को एसएमएस भेजे जाते हैं.

वी ज्ञानसागर :

वी ज्ञानसागर विजया बैंक द्वारा जनता के लिए वित्तीय साक्षरता के भाग के रूप में वित्तीय जानकारी प्रदान करने की एक अनूठी पहल है. वी ज्ञानसागर आंड्राय्ड मोबाइल अनुप्रयोग है, जो ग्राहक को वित्तीय, आर्थिक और बैंकिंग विषय पर दैनिक अद्यतन प्राप्त करने की सुविधा तथा वित्तीय और बैंकिंग शब्दों की व्याख्या प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है.

वी अबैकस :

एक मिस कॉल देकर खाता खोलना और टैब बैंकिंग के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा कार्यांवित की गई है.

जो ग्राहक शाखा में आकर खाता नहीं खोल सकते, उनके लिए यह सुविधा उपयोगी है.

वी क्विक पे :

वी क्विकपे हमारे बैंक की एक अनूठी पहल है और अगली पीढ़ी की बिल भुगतान सेवा है, जहां क्यूआर कोड की स्कैनिंग द्वारा बिल का भुगतान किया जाता है. ग्राहक को हम से इस सुविधा का लाभ उठाए व्यापारियों द्वारा उत्पन्न बिल के क्यूआर कोड का स्कैन करना है तथा पीओएस मशीन पर क्रेडिट / डेबिट कार्ड स्वाइप किए बिना बिल के भुगतान करना है. इसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड द्वारा और किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान करने की सुविधा है. यह उत्पाद एक नया बिल भुगतान चैनल है, जो अब तक भारतीय बैंकिंग उद्योग में किसी भी बैंक द्वारा प्रदान नहीं किया गया है.

वी ऑनलाइन बचत बैंक खाता :

हमारी वेबसाइट 'www.vijayabank.com' द्वारा ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने का विकल्प पेश किया गया था. ग्राहक खाते खोलने के लिए अपनी सुविधानुसार अपनी पसंद का स्थान चुनना है. ग्राहक के अनुरोध के संबंध में शाखा एक स्वचालित मेल प्राप्त करती है; शाखा ग्राहक को बुलायेगी और आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को सूचित करेगी. ग्राहक अपने द्वारा चुने दिनांक पर शाखा का दौरा करेंगे तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके खाता खोलते हैं.

विजया यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस)

यूपीआई ऐसी प्रणाली है, जिससे बहु बैंक खातों को एकल मोबाइल एप्लिकेशन में रख सकते हैं. 26 अगस्त 2016 को यूपीआई शुरू किया गया था, हमारे पास गूगल प्ले स्टोर में यूपीआई सक्षम एप्स हैं. यूपीआई की विशेषताएं निम्नानुसार है:

- मोबाइल साध द्वारा तुरंत निधि आंतरण 24*7 365 आधार पर.
- एकाधिक बैंक खातों के लिए एकल ऐप
- एक क्लिक से दो कारक अधिप्रमाणन .
- पुल एंड पुश के लिए ग्राहक का वर्चुअल पता वृद्धिशील सुरक्षा प्रदान करता है. ग्राहक को खाता संख्या, आईएफएससी, कार्ड विवरण आदि देने की आवश्यकता नहीं है.
- एकल मोबाइल एप्लिकेशन में बहु बैंक खाते.
- विजया बैंक या गैर–विजया बैंक के ग्राहक विजया बैंक के यूपीआई ऐप का उपयोग करके अपने बैंक खाते के विवरण जाने बिना पैसे भेज सकते हैं या पैसे मांग सकते हैं.
- वर्चुअल भुगतान पता (वीपीए) के लिए धन अंतरण
- खाता संख्या/आईएफएससी या मोबाइल संख्या/एमएमआईडी (मोबाइल मनी आइडेंटिफ़ायर) का उपयोग करके पैसे भेजने का विकल्प.
- केवल वर्चुअल भुगतान पता (वीपीए) का उपयोग करके लाभार्थी को तुरन्त जोड़ें. बैंक खाता संख्या और आईएफएससी याद रखने या दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है.
- लिंक किए गए बैंक खातों की शेष राशि की जांच कर सकते हैं.
- प्रेषक की वर्चुअल आईडी का उपयोग करने वाले किसी से धन का अनुरोध कर सकते हैं.
- ग्राहक दुरुपयोग के डर के बिना अन्य लोगों के साथ यूपीआई वित्तीय पते को स्वतंत्र रूप से साझा कर सकते हैं.
- ग्राहक बैंकों के कई खातों के लिए एकाधिक वर्चुअल पतों को बनाने का विकल्प कर सकते हैं.

- आईएमपीएस का उपयोग करके भुगतान करें और वसूल करें.
- निधि अंतरण तत्काल 24 * 7, 365 दिन उपलब्ध है और बिल्कुल नि:शुल्क है और पूरी तरह सुरक्षित तरीके से होता है.
- धन प्राप्त करने और भेजने के लिए एन वेतन (क्यूआर आधारित भुगतान समाधान) स्कैन करें.
- लेनदेन विवरण देख सकते हैं.
- ऐप संबंधी शिकायतें लॉग कर सकते हैं.

वीपेक्विक, मोबाइल वैलेट एप्लिकेशन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. वन-स्टॉप मोबाइल वॉलेट ऐप: वीपेक्विक एक पूर्ण मोबाइल भुगतान वैलेट है, जो शॉपिंग के लिए एकमात्र गंतव्य, त्वरित मोबाइल रिचार्ज स्टेशन, किसी भी समय बिल भुगतान समाधान, त्वरित टिकट बुकिंग एप और अधिक है.
2. मोबाइल टॉपअप विशेषताएं: प्रीपेड, पोस्टपेड और डाटा कार्ड के मोबाइल टॉपअप उपलब्ध हैं.
3. बिल भुगतान: डीटीएच रिचार्ज, लैंडलाइन बिल भुगतान, विद्युत भुगतान, गैस बिल भुगतान और बीमा भुगतान
4. ट्रैवल फीचर्स: बस टिकट, एयर टिकट (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस), होटल बुकिंग, कार रेंटल, हॉलिडे पैकेज, बैंकर का स्थानांतरण.
5. विविध विशेषताएं: पैसे भेजना, त्वरित वेतन, कूपन रिडेम्पशन, अनुरोध धन, मित्र को आमंत्रित करना, पुरस्कार अंक और कई और अधिक.
6. वीपेक्विक विभिन्न भुगतान कूपन, सौदों और ऑफ़र की पेशकश करता है जो प्रत्येक दिन भुगतान अनुभव को संपन्न करता है. ऑनलाइन रिचार्ज और बिल भुगतान सेवा रिवार्ड अंक प्रदान करता है, जो आकर्षक नकद वापस और छूट पेशकश है.

वी-ई-कनेक्ट +

एक ऐसा ऐप है जो बिन के विभिन्न ई-उत्पादों को जोड़ता है. यह ऐप ग्राहकों को विभिन्न ऑनलाइन उत्पादों के बारे में जानने के लिए और उपयोग करने के लिए एक प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है. ग्राहक इस माध्यम से सभी 7 मोबाइल ऐप को एक्सेस कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग और वेबसाइट, 2 मिस्ड कॉल सर्विसेज, 5 सोशल मीडिया साइट्स और 5 अद्वितीय विशेषताओं का उपयोग सर सकता है. अगर ग्राहक ने ई-उत्पादों का लाभ नहीं उठाया है तो, यह उपयोगकर्ता को इसे इंस्टाल करने और उसका उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करेगा. यह ऐप तीन भाषाओं में उपलब्ध है - अंग्रेजी, हिंदी तथा कन्नड़.

वी-ई-कनेक्ट + निम्नांकित विशेषताएं प्रदान करता है:

- **सभी मोबाइल एप के लिए त्वरित लिंक**
  - ✓ वी-मोबाइल बैंकिंग
  - ✓ वी-ई पासबुक+
  - ✓ वी-पेक्विक
  - ✓ विजया यूपीआई
  - ✓ वी-ज्ञानसागर
  - ✓ विजया *99#
  - ✓ वीनेट बैंकिंग साफ्ट टोकन (नेक्सस)
- **सभी वेबसाइट के लिए त्वरित लिंक**
  - ✓ वीनेट बैंकिंग
  - ✓ कार्पोरेट वेबसाइट
  - ✓ राजभाषा वेबसाइट
- **मिस्ड काल सेवाएं**
  - ✓ लघु विवरण
  - ✓ शेष राशि की पूछताछ
- **नेट बैंकिंग**
  - ✓ नेट बैंकिंग सक्षम/अक्षम बनाना
- **डेबिट कार्ड**
  - ✓ डेबिट कार्ड हाटलिस्ट करना
- **दर**
  - ✓ विदेशी विनिमय
  - ✓ जमाराशि
- **सोशल बैंकिंग**
  - ✓ फेसबुक
  - ✓ ट्विटर
  - ✓ लिंकेडिन
  - ✓ यूट्यूब
  - ✓ इंस्टाग्राम

- **हमारे बारे में जानें**
  - ✓ कैल्कुलेटर
  - ✓ जमाराशि
  - ✓ ऋण
- **छुट्टियां**
- **हमारे बारे में तथा हमें संपर्क करें**

आंतरिक नियंत्रण

बैंक ने आईटी व आईएस सुरक्षा, इन्टरनेट बैंकिंग नीति, आईटी खरीद नीति, इंटरनेट उपयोग नीति, ई-मेइल नीति, कारोबार निरंतरता नीति, डिसास्टर रिकवरी नीति, आउटसोर्सिंग नीति जैसी नीतियों पर दस्तावेज़ तैयार कर लिए हैं जिसमें कई प्रकार के क्षेत्र स्तर व प्रशासनिक स्तर के कार्य शामिल हैं. इस प्रकार के प्रत्येक कार्यों से जुडे जोखिमों को दूर करने हेतु पर्याप्त नियंत्रण भी तैयार किए गए हैं. वर्ष 2016-17 के दौरान आईटी नीति व आईएस नीति संशोधित की गयी. आईएस सुरक्षा के एक भाग के रूप में घटना प्रबंधन, भेद्यता व पेनट्रेशन परीक्षा के लिए भी नीतियाँ तैयार की गई हैं.

सुरक्षा परिचालन केंद्र

बैंक ने सुरक्षा सूचना व घटना प्रबंधन समाधान (एसआईईएम) एवं सह-संबंध टूल सहित सुरक्षा परिचालन केंद्र स्थापित किया, जो आक्रमण को क्रियात्मक रूप से रोकने/प्रशमन करने में बैंक को मदद कर रहा है. हमारे बैंक ने सामान्य आरएफपी के तहत भारत सरकार की नयी पहल के अनुसार सुरक्षा परिचालन केंद्र के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के 9 बैंकों के लिए सामान्य अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया है तथा उक्त परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण की गई है. इस परियोजना के भाग के रूप में, हमारे बैंक के सुरक्षा बुनियादी को मजबूत करने के लिए हमारे बैंक ने निम्नलिखित समाधान प्राप्त किया है, जो कार्यान्वयन के अंतर्गत है :

1. वेब एप्लिकेशन फायरवाल
2. डाटाबेस गतिविधि निगरानी समाधान
3. नेटवर्क व्यववहार विश्लेषण समाधान
4. विशेषाधिकृत पहचान प्रबंधन समाधान
5. विरोध उन्नतत निरंतर खतरा समाधान
6. आईटी गवर्नेन्स, जोखिम व अनुपालन

एनएसीएच (राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह)

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, कार्पोरेट तथा सरकार के लिए इंटरबैंक, अधिक मात्रा, इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन जो दोहराव और आवधिक प्रकृति में हैं, को सुविधाजनक बनाने के लिए वेब आधारित समाधान का कार्यान्वित किया है. एनएसीएच परियोजना के लिए आधार-मापर व ओएमसी डीबीटीएल (विकल्पर-2) फाइल का जेनरेशन के लिए स्वचालित प्रकिया कार्यान्वित किया है

आपदा उद्धार

बैंक ने एकीकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत खजाना प्रबंधन प्रणाली व एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित करके कोर बैंकिंग समाधान के साथ एकीकृत किया है. आईटीएमएस परियोजना मुम्बाई में डीआर सेटअप की स्थापना के साथ सभी उद्देश्यों् को पूरा किया है. एचआरएमएस भी मुम्बाई में डीआर सेटअप की स्थापना के साथ सभी उद्देश्यों को पूरा किया है.

सॉफ्टवेयर टोकन

विजया बैंक ने दोहरी प्रमाणीकरण (2एफए) के अतिरिक्त उपाय के रूप में सॉफ्टवेयर टोकन की शुरुआत की है. सॉफ्ट टोकन एक मोबाइल अप्लीकेशन है जो विजया बैंक इंटरनेट बैंकिंग में लेनेदेन के प्रमाणीकरण के लिए एसएमएस ओटीपी के बदले में एकबारगी पासवर्ड (ओटीपी) सृजित करता है. यह तत्क्षण ओटीपी सृजित करता है और एसएमएस ओटीपी की अनिवार्यता को समाप्त करता है. मोबाइल अप्लीकेशन एनईएक्यूएस टीआरयूआईडी आपके मोबाइल को अनाधिकृत रूप से रखने वाले व्यक्ति द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पिन संरक्षित है.

हार्डवेयर टोकन

बैंक उच्च मूल्यवान कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए हार्डवेयर टोकन प्रदान कर रहा है ग्राहकों, जो बटन पर क्लिक करके हार्डवेयर टोकन पर ओटीपी जेनरेट कर सकते हैं. यह ओटीपी लाभार्थी को जोड़ने, निधि आंतरण आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है.

टॉगल वी-नेट बैंकिंग

बैंक ने इसके उपयोग के सरलता पर समझौता किए बिना ग्राहकों की सुरक्षा के लिए अपना डिजिटल बैंकिंग उत्पाद में सुरक्षा विशेषताओं को जोड़ने का सदैव प्रयास किया है. ग्राहकों की ओर से इंटरनेट बैंकिंग (वी-नेट बैंक) को सक्षम और अक्षम बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए वी-नेट बैंकिंग टॉगल की शुरुआत की है. यह ग्राहक को मोबाइल में उपलब्ध अपने वी-कनेक्ट+ से अपने इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को लॉक करने की सुविधा प्रदान करता है.

यूएसएसडी-एनयूयूपी :

जिनके पास उच्च सुविधावाले हैंडसेट नहीं है, उन लोगों द्वारा यहां तक जबकि मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से प्रदान की जानेवाली बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना उनकी पहुंच से परे थी. अब सभी ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग सुलभ बनाने हेतु बुनियादी मोबाइल फोन पर भी मोबाइल बैंकिंग सेवाएं देने के लिए बैंक द्वारा टेल्कोस द्वारा प्रदान किए गए एनपीसीआई का असंरचित पूरक सेवा डाटा-यूएसएसडी-एनयूयूपी का उपयोग किया गया है. हमने उपयोगकर्ता को और अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से दो कीवर्ड

जोड़ा है, जिससे कोई व्यक्ती वीआईजेबी या वीजेबी एक्सेस कर सकता है. आईएमपीएस व्या पारी भुगतान के लिए ओटीपी का जेनरेट भी लागू किया है.

*99#

भारत सरकार, भा.रि.बैं. बैंक और एनपीसीआई के संयुक्त प्रयासों के साथ, यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा (99#) 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी. *99# सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) में एक आम संख्या है, जिससे मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित एक इंटरैक्टिव मेनू के माध्यम से दोनों वित्तीय (तत्काल निधि अंतरण) और गैर-वित्तीय (शेष राशि पूछताछ, लघु विवरण आदि) लेनदेन कर सकते हैं.

एनपीसीआई ने स्ट्रिंग आधारित डायलिंग भी सक्षम किया है जो हमारे ग्राहकों को निर्दिष्ट लेनदेन को सीधे करने की अनुमति देगा. उपलब्ध विकल्प निम्नानुसार हैं:

- शाखा में शेषराशि
- लघु विवरण
- एमएमआईडी का उपयोग करते हुए राशि भेज सकते हैं.
- आईएफएससी का उपयोग करते हुए राशि भेज सकते है.
- एमएमआईडी दर्शाएं.
- एमपीआईएन
- ओटीपी जनरेट करें.

बैंक का मल्टीमॉडल कूट *99 *64 है, हमारे ग्राहक ❊ 99 सेवा के तहत वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित स्ट्रिंग डायल कर सकते हैं:

- शेष राशि की पूछताछ के लिए - *99*64*1#
- लघु विवरण के लिए - *99*64*2#
- मोबाइल संख्या तथा एमएमआईडी के जरिए निधि अंतरण के लिए - *99*64*3#
- आईएफएससी तथा खाता संख्या के जरिए निधि अंतरण - *99*64*4#
- एमएमआईडी जानने के लिए *99*64*6#
- एमपीआईएन बदलने के लिए *99*64*7#
- ओटीपी जनरेट करने के लिए *99*64*8#

हमने विजया *99# < विजया बैंक विशिष्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन> लॉन्च किया है जो डेटा पैकेट के उपयोग के बिना यूएसएसडी नेटवर्क पर बैंकिंग लेनदेन के लिए एक अतिरिक्त चैनल के रूप में कार्य करेगा. हमने *99# के द्वारा एमपिन स्थापित करने का विकल्प भी सक्षम किया है.

विजया *99# ऐप में निम्नलिखित विशेषताएं उपलब्ध हैं

- **खाता संचालन**
  - खाता में शेष राशि
  - एमएमआईडी दर्शाएं
  - एमपिन बदलें
- **राशि भेजें**
  - लाभार्थि का चयन करें
  - नए लाभार्थी - खाता संख्या या मोबाइल संख्या के जरिए
- **आधार एवं ओडी स्थिति**
  - आधार से जुडे खाता की स्थिति
  - पीएमजेडीवाई खाते की स्थिति
- **अन्य**
  - ओटीपी जनरेट करें.
  - एप लागिन बदलें

एटीएम

अपने विशाल विस्तार वाले ग्राहक आधार और भौगोलिक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए, बैंक ने देश के विभिन्न हिस्सों में वर्ष 2016-17 के दौरान 350 नए एटीएम खोले है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 130% की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर दर्ज की गई थी. इसके साथ मार्च 2017 के अंत में कुल एटीएम की संख्या 2001 तक बढ गई. विमुद्रीकरण के दौरान बैंक के सभी मौजूदा एटीएम कम समय की अवधि में नई मुद्रा संरचना के लिए कैलिब्रेट किए गए थे और अधिकतम समय / उपलब्धता के साथ काम किया था. इससे लोगों को बड़े पैमाने पर मदद मिली है क्योंकि देश के सभी बैंकों के एटीएम में नकदी की कमी थी. इस पहल ने बैंक को अन्य बैंक के ग्राहक को हमारे बैंक में आकर्षित करने और बैंक के अधिग्रहणकर्ता (विजया बैंक के अन्य बैंक ग्राहकों) के लेनदेन आधार को आकर्षित करने में भी मदद की. विमुद्रीकरण के बाद, बैंक ने मोबाइल एटीएम वैन खरीदी और इसे चालू कर दिया, जो कि बेंगलूर शहर और आसपास के शहरों में और आसपास के सार्वजनिक स्थानों जैसे प्रदर्शनियों, मेला (उदाहरण के लिए डिजिटल धन मेला) आदि पर सफलतापूर्वक ग्राहक की नकदी जरूरतों को पूरा करता है. यह सेवा ग्राहकों की सेवा के लिए उच्च स्तर की लचीलेपन प्रस्तुत करता है.

बैंक ने अपने सीएसआर गतिविधियों के प्रत्येक सफल वित्तीय लेनदेन के लिए ₹ 0.50 साझा करके एक सामाजिक कारण के लिए बैंक को अपने समकक्ष बैंकों से एक कदम आगे बढ़ाया, जो सार्वजनिक रूप से हमारे बैंक के एटीएम को चुनने के लिए एक और बेहतर कारण जोडा. इससे जनता के बीच बैंक के ब्रांड नाम और छवि को बढ़ाने में मदद मिली. प्रति ग्राहक के लिए लागत तथा एटीएम का संचालन का समय कम करके एटीएम की दक्षता बढ़ाने के लिए सभी ऑनसाइट एटीएम को तदनुरूपी एटीएम को लाभ केंद्र के रूप में बनाते हुए, सीआरए (नकद प्रतिपूर्ति एजेंसी) से मूल शाखा को वापस लाए गए है. बैंक अपने सभी एटीएम पर अच्छी माहौल बनाए रखने के लिए भी सावधानी बरतते हैं, जिससे ग्राहकों के लिए सभी आवश्यक मार्गदर्शन और आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ इसे साफ और सुव्यवस्थित रखा जा सके जो ग्राहक अनुभव को बढ़ाने में मदद करता है.

आरटीजीएस एवं एनईएफटी सेवाएं

सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग समाधान के अधीन लाने के जरिए अब बैंक के ग्राहकों को आरटीजीएस व एनईएफटी सेवाएँ सभी शाखाओं में उपलब्ध है. चूँकि एसटीपी को आरटीजीएस व एनईएफटी में सक्षम किया गया है इसलिए ग्राहक तुरंत अंतर बैंक व बैंक के अंदर भी तुरंत निधि अंतरण सेवा का लाभ उठा सकते हैं. केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली जैसे कि तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के लिए संप्रति सिर्फ सीधी सदस्यता उपलब्ध है. भा.रि.बैं. ने एनईएफटी तथा आरटीजीएस प्रणालियों में भाग लेने हेतु उप-सदस्यता मार्ग को सभी लाइसेंसीकृत बैंकों को विस्तार करने का निर्णय लिया है. उप-सदस्य केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में अपने प्रायोजक बैंक के जरिए भाग लेंगे, जो केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के सीधे सदस्य हैं. बैंक ने शिम्षा सहकारा बैंक नियमिता, मद्दूर तथा लोकपावनी महिला सहकारी बैंक, मंड्या के साथ हमारी आरटीजीएस/एनईएफटी सेवाओं को उप-सदस्यों के रूप में प्रयोग करने के लिए व्यवस्था की है.

आईएमपीएस :

मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यम पूरे भारत में बैंकों के भीतर धन अंतरण के लिए आईएमपीएस एक प्रबल उपकरण है, यह केवल सुरक्षित नहीं मगर दोनों वित्तीय एवं गैर वित्तीय परिप्रेक्ष्य में किफायती भी है. यह सेवा 24×7 उपलब्ध है, रविवार व किसी भी बैंक अवकाश सहित सालभर है. आईएमपीएस प्रणाली ग्राहकों को मोबाइल व इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लेनदेन करने देता है और वी-मोबाइल व वी-नेट बैंकिंग के जरिए सभी ग्राहकों को उसी का प्रस्ताव रखता है.

व्यापारी नामांकन :

डिजिटलीकरण अपनाने के साथ, हमारे बैंक ने बड़ी संख्या में व्यापारियों को नामांकित किया है और वर्ष के दौरान 4343 मशीने स्थापित की हैं. 2016-2017 के वित्तीय वर्ष के अंत में स्थापित मशीनों की कुल संख्या 5774 है, जबकि 31.03.2016 में मशीनों की संख्या 1370 थी. बैंक तारारहित कार्ड स्वाइपिंग मशीन प्रदान कर रहा है और टर्मिनल ईएमवी / यूकेपीटी / टीएलई के अनुरूप हैं. हमारी सभी पीओएस मशीन आधार सक्षम हैं.

क्रेडिट कार्ड कारोबार

वित्तीय वर्ष के अंत में, बैंक द्वारा जारी किए गए कुल कार्ड 49098 थे. 31/03/2017 को क्रेडिट कार्ड की कुल रकम ₹ 993.49 करोड़ है, जो पिछले वर्ष के ₹585.64 करोड़ के कारोबार की तुलना में 70 % की वृद्धि है. बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नए कार्ड अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में चिप आधारित क्रेडिट कार्ड हैं.

कार्डधारकों को बेहतर और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए क्रेडिट कार्ड सिस्टम पारंपरिक प्रणाली से एक नई प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से किसी भी समय कार्ड लेनदेन को देखने, और ग्रीन पिन बनाने की सुविधा प्रदान करता है.

डेबिट कार्ड

हमारा बैंक वीसा और रुपे दोनों के सहयोग से डेबिट कार्ड जारी करता है. भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को हमारा समर्थन देने के अनुक्रम में, हमारे बैंक ने हमारे ग्राहकों के बीच भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के ब्रांड रुपे डेबिड कार्ड बढ़ावा देने का प्रबुद्ध निर्णय लिया है. बैंक हमारे उच्च निवल संपत्ति वाले ग्राहकों को रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी जारी कर रहा है और रुपे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटिनम डेबिट कार्ड को शुरू करने की प्रक्रिया में भी है.

हमारे बैंक ने हमारे ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य प्रयोजन पुनःलोड करने योग्य प्रीपेड कार्ड का शुभारंभ किया है.

हमारा डेबिट कार्ड व प्रीपेड कार्ड कारोबार में गत वित्तीय वर्ष 2015-16 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 87.75% की बढ़ोत्तरी हुई है. बैंक के डेबिट कार्ड व प्रीपेड कार्ड कार्ड में काफी हद तक बढ़ोत्तरी करके भारत सरकार के विमुद्रीकरण नीति डिजिटल इंडिया परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान डेबिट कार्ड की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोत्तरी हुई है. वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में जारी किए गए डेबिट कार्डों के विवरण नीचे दर्शाया गया हैः

जारी किए गए डेबिट कार्ड	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17
वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए कुल डेबिट कार्ड	10,76,029	14,46,281
प्रमंजधयो खातों को जारी डेबिट कार्ड	60,144	57,556
प्रमंजधयो खातों को जारी डेबिट कार्ड को छोड़कर डेबिट कार्ड की कुल संख्या	10,15,885	13,88,725

आंतरिक निरीक्षण व नियंत्रण प्रणाली

बैंक में सुपरिभाषित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति है, जिसमें जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए), समवर्ती लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा,एएमएल/केवाईसी अनुपालन, आदि शामील है. कार्यपालक की

लेखापरीक्षा समिति व मंडल की लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा व नियंत्रण कार्य का की देखरेख करती है सकारात्मक और समय पर मध्यपक्षेप के साथ प्रभावी प्रणाली का कार्यावयन तथा विकास में बैंक को मार्गदर्शन करती है.

क्षेत्रीय निरीक्षणालय, सांविधिक व नियामक आवश्यतकताओं के अनुसार शाखाओं तथा कार्यालयों द्वारा नीति व प्रक्रिया, आंतरिक नियंत्रण, प्रस्तुत प्रणाली का अनुपालन की जांच करता है. 2016-17 के दौरान, प्रस्तुत नीति एवं प्रणाली सभी 1437 शाखाओं / इकाईयों में आरबीआईए संचालित किया गया और 80% लेखापरीक्षित शाखाएं 'कम जोखिम' पाई गई है.

आरबीआईए, निरंतर आधार पर अधिक जोखिम और विशेष शाखाओं के समवर्ती लेखापरीक्षा के साथ पूरक बना है. वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 50% के प्रति, 492 शाखाएं / कार्यालय समवर्ती लेखा परीक्षा के अंतर्गत कवर किए गए थे, जो बैंक के कारोबार के 80% थे.

सभी सेवा शाखाओं और खुदरा आस्ति केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र ब (आरएसीपीसी) का सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा सीआईएसए योग्य अधिकारियों द्वारा की गई थी. बैंक के कर्मचारियों द्वारा 27 आउटसोर्स सेवा प्रदाताओं के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया था. इसके अलावा, सीआईएसए / डीआईएसए योग्य सनदी लेखाकारों से युक्त समवर्ती लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा 9 आउटसोर्स वित्तीय गतिविधियों की लेखा परीक्षा भी की गई थी. जांच व संतुलन में सुधार व देखरेख मजबूत करने के लिए बैंक ने प्रणाली निर्वाह लेखापरीक्षा का भी प्रारंभ किया है. वर्ष के दौरान 184 शाखाओं में निर्वाह लेखापरीक्षा की गई है. आगे, 129 शाखाओं में आकस्मिक निरीक्षण किया गया.

वेब आधारित लेखापरीक्षा (ईआरबीआईए)

वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने 1 अक्तूबर, 2016 से प्रभावी वेब आधारित लेखापरीक्षा (ईआरबीआईए) कार्यान्वित किया है. ई-आरबीआई के तहत, लेखा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया, जैसे कि लेखा परीक्षा योजना, आंतरिक लेखा परीक्षकों को शाखाओं का आबंटन, कार्य दिवस का निर्धारण, लेखापरीक्षा का वास्तविक संचालन, कारोबार के तहत मैट्रिक्स स्कोरिंग, नियंत्रण और समग्र जोखिम, शाखाओं का जोखिम मूल्यांकन, विस्तृत आरबीआई रिपोर्ट की तैयारी, खाता-वार विचलन और विचलन-वार खातों की पहचान, संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना, टिप्पणियों में सुधार, अंतिम सुधार प्रमाण पत्र (एफआरसी) की प्रस्तुती सिस्टम-आधारित हैं. यह अत्यधिक डेटा / ऑडिट अखंडता और कार्यदिवस में महत्वपूर्ण कमी सुनिश्चित करेगा. चूंकि वेब आधारित लेखापरीक्षा ऑन-लाइन लेखापरीक्षा है, टिप्पणियों के तत्काल हाजिर सुधार हेतु सभी संबंधितों द्वारा तत्काल आधार पर लेखापरीक्षा का पर्यवेक्षण किया जा सकता है. सभी शाखा प्रमुखों, एबीएम और क्षे.का. स्तर पर निरीक्षण विभाग संभालने वाले अधिकारियों के लिए ईआरबीआईए पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिए गए हैं.

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), धन शोधन निवारक (एएमएल) तथा आतंकवाद को वित्तीयन की रोकथाम (सीएफटी)

बैंक ने काले धन को वैध बनाने या आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा उपयोग किए जाने से बैंक को रोकने के उद्देश्य से केवाईसी, एएमएल और सीएफटी पर एक व्यापक नीति तैयार की है. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया व प्रणाली अपनाई गई हैं कि गुमनाम / फर्जी नाम या आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों द्वारा और/या आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क रखनेवाले व्यक्तियों द्वारा खाता नहीं खोला गया है. खाते खोलने में और परिचालन में प्रक्रियात्मक आवश्यकता का पालन सुनिश्चित करने हेतु 'अपने ग्राहक को जानिए मानक के लिए त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका' निकाला है.

स्टाफ के उपयोग हेतु बैंक ने ई-लर्निंग पोर्टल खोला है, जिसमें स्टाफ सदस्य, समवर्ती लेखा परीक्षक तथा क्षेत्र सतर्कता अधिकारी, दौरा करनेवाले कार्यपालक, सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य तथा इच्छुक ग्राहकों के ज्ञान वर्धन हेतु एफएक्यू के साथ केवाईसी/एएमएल पर विस्तृत परस्पर संवाद सत्र भी शामिल है. निर्धारित आवधिकता के अनुसार वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआईयू-आईएनडी) को प्रणाली सृजित रिपोर्ट प्रस्तुत करना है.

केन्द्रीय केवाईसी रिकार्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर)

बैंक ने केन्द्रीय केवाईसी रिकार्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर), कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए है, जिसमें सभी व्यक्तिगत ग्राहकों के केवाईसी विवरण ले सकते हैं तथा पता साक्ष्य, आईडी साक्ष्य, फोटो तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैन्ड प्रतियों के साथ सीईआरएसएआई में अपलोड कर सकते हैं तथा 14 अंक के विशिष्ट पहचान संख्या ग्राहक को दी जाएगी.

नियंत्रण इकाई

प्रका व क्षेत्रीय कार्यालय के नियंत्रण इकाई, 82 प्रमुख अलर्ट संकेतकों के अंतर्गत ग्राहक के लेनदने की निगरानी करता है. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के नियंत्रण इकाई के नोडल अधिकारियों तथा शाखाओं के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने हेतु वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालय में नियंत्रण व समीक्षा प्रक्रिया पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया.

नियंत्रण इकाई रिपोर्ट पोर्टल

बैंक ने आंतरिक लेखा परीक्षा एवं पर्यवेक्षण विभाग के ऑफसाइट निगरानी कक्ष के लिए 82 विभिन्न रिपोर्टों को बनाया है जहां कक्ष प्रारंभिक अवस्था में धोखाधड़ी और आय रिसाव की पहचान करने के लिए निर्दिष्ट अवधि के आधार पर आवश्यक रिपोर्ट तैयार कर सकता है.

धोखाधड़ी निगरानी कक्ष :

बैंक में एक स्वतंत्र धोखाधड़ी निगरानी कक्ष है, जो धोखाधडी - वर्गीकरण और प्रस्तुतीकरण से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करता है. वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 132.71 करोड मूल्य के 61 धोखाधडी भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए हैं. ₹ 1 लाख एवं उससे अधिक मूल्य के सभी धोखाधडी के मामलों को, कार्यप्रणाली व प्रणाली में कमी यदि कोई हो तो, के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से विश्लेषित किए जाते हैं और समय पर नियामक प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाते हैं. ऐसे सभी धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में पुलीस/सीबीआई मुकदमा

दर्ज किए जाते हैं. ₹ 1 लाख से अधिक मूल्य के धोखाधडी के मामले मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं तथा मंडल के अनुदेश/दिशानिर्देश को कार्यान्वित किया जाता है. धोखाधडी के मामले की तिमाही समीक्षा मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है. ₹ 1 करोड से अधिक के बडे मूल्य के धोखाधडीयों की समीक्षा आवधिक अंतराल पर मंडल की विशेष समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है. सभी धोखाधडी के मामलों में नवीनतम स्थिति/प्रगति के संबंध में त्रैमासिक आधार पर भा.रि.बैं को रिपोर्ट की जाती है. धोखाधडी रोकथाम के उपाय तथा प्रणाली में सुधार पर आवधिक दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए जाते हैं.

सतर्कता

प्रधान कार्यालय में सतर्कता विभाग की अध्यक्षता कार्यपालक स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी कर रहे हैं जो अब पंजाब एण्ड सिंध बैंक से प्रतिनियुक्त पर है. सतर्कता विभाग, बैंक का सारा सतर्कता कार्य केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार करता है. इसके अतिरिक्त, सतर्कता विभाग निवारक सतर्कता उपाय के रूप में शाखाओं का यादृच्छिक सतर्कता निरीक्षण भी करता है. ये क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित सतर्कता अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं. एक ही प्रकार की धोखाधड़ियों को बार-बार होने से रोकने और निवारक सतर्कता उपायों को सशक्त बनाने के लिए मौजूदा प्रणाली में कमियों को हटाने के सभी प्रयास किए जाते हैं.

विजया बैंक में 16 अगस्त, 2016 से इन-हाऊस साफ्टवेयर कार्यान्वित किया गया है. यह क्षेत्र स्तर के सतर्कता अधिकारियों को अपनी यादृच्छिक सतर्कता निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन पर प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनाता है. इससे सतर्कता विभाग में प्रसंस्करण समय और क्षे.का./शाखाओं में पाई गई कमियों को सूचित करने के समय के साथ साथ एफवीओ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में भी कम समय लगता है. इससे अनुपालन संस्कृति में भी सुधार हुआ है और इसके परिणामस्वरूप, बेहतर निगरानी के कारण, एफवीओ के दौरे के लिए अंतिम सुधार प्रमाण पत्र (एफआरसी) तुरंत प्राप्त हो रहे हैं.

विभाग ने नए सॉफ्टवेयर के विकास की शुरुआत की है जो जांच के आदेश करने के बाद सतर्कता विभाग/ 'आंतरिक लेखा परीक्षा और पर्यवेक्षण विभाग' / कार्मिक विभाग (औ.सं.प्र) से जुड़े अंतिम आदेशों को पारित करने तक प्रक्रिया को स्वचालित करेगा.

यादृच्छिक सतर्कता निरीक्षण रिपोर्ट की ऑनलाइन प्रस्तुती और प्रसंस्करण तथा कुल जांच प्रक्रिया की स्वचालन के लिए विकसित इन-हाउस सॉफ़्टवेयर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अद्वितीय है.

1 जुलाई, 2016 से सतर्कता के विषयों पर स्टाफ सदस्यों को सामयिक अंतराल पर नैतिक संदेश भेजे जा रहे हैं.

सीवीसी के निदेशों के अनुसार , बैंक द्वारा 31.10.2016 से 05.11.2016 तक सतर्कया जागरुकता सप्ताह मनाया गया. हमने 2001 जागरुकता ग्रामसभा का आयोजन किया है तथा स्टाफ सदस्यों और बैंक के विभिन्न ग्राहकों द्वारा 32679 ई-प्रतिज्ञा/सामूहिक प्रतिज्ञा ली गई. 10 राज्यों में 28 शहरों को कवर करते हुए 20 कालेजों में 1220 छात्रों के लिए तथा 35 स्कूलों में 2555 छात्रों के लिए निबंध लेखन, भाषण, चित्रलेखन, चर्चा कार्यक्रम और क्विज जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं.

विभाग ने विभिन्न विभागों में प्रणाली स्तर के परिवर्तन का सुझाव दिया है, जिनमें से कुछ सुझाव के कारण बैंक की आय में वृद्धि हुई है.

अनुपालन

मंडल अनुमोदित अनुपालन नीति, भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशानुसार अपेक्षित है तथा तदनुसार बैंक ने अनुपालन नीति अपनायी है तथा नीति में निदेशित अनुसार कार्य करता है. अनुपालन विभाग की अध्यक्षता मुख्य अनुपालन अधिकारी कर रहे हैं जो महा प्रबंधक स्तर के हैं. प्र.का. के सभी विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं में अनुपालन अधिकारियों को पहचानित किया गया है.

अनुपालन के महत्व पर प्रतिभागियों को शिक्षित करने के लिए सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक सत्र आवंटित किया गया है. अनुपालन विभाग, प्र.का. सुनिश्चित करता है कि वह भारत सरकार, भा.रि.बैं., भा.बैं.सं. तथा अन्य विनियामकों द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है. समय समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक तिमाही में अनुपालन परीक्षण किया जाता है. अनुपालन पहलुओं पर त्रैमासिक और वार्षिक समीक्षा मंडल के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है. अनुपालन विभाग, प्र.का. विनियामकों को समय पर विवरणियों की प्रस्तुती की निगरानी भी करता है तथा मुख्य अनुपालन अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जो 12 अक्तूबर 2005 को लागू हुआ. यह अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना को पाने / तक पहुंचने का हक प्रदान करता है. प्रशासन में तथा इससे संबंधित या प्रासंगिक मामले में खुलापन, पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाना ही इसका उद्देश्य है.

बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सभी शाखा प्रबंधकों को सहायक जन सूचना अधिकारी, सभी 32 क्षेत्रीय कार्यालयों की दूसरी पंक्ति के कार्यपालकों को सार्वजनिक सूचना अधिकारी तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों को अपील प्रधिकारियों के रूप में पदनामित किया है. प्र.का. में उप महा प्रबंधक को जन सूचना अधिकारी तथा महा प्रबंधक को अपील प्रधिकारी के रूप में पदनामित किया है. समग्र बैंक में, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 33 कार्यालयों को क्रमानुसार जन सूचना अधिकारी तथा अपील अधिकारी उपलब्ध कराए गए हैं. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार प्रधान कार्यालय स्तर पर वर्तमान जन सूचना अधिकारी और अपील प्राधिकारी की अनुपस्थिति में अत्यावश्यक/आपात स्थिति में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक वैकल्पिक जन सूचना अधिकारी और एक वैकल्पिक अपील प्राधिकारी भी उपस्थित रहेंगे.

आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत की जाती है. वर्ष 2016-17 के दौरान, इस सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बैंक को 320 आवेदन और 43 अपील प्राप्त हुए व निपटाए गए.

सुरक्षा व्यंवस्थाएं

बैंक सभी खतरों, उभरती चुनौतियों और विनियामक, सरकार और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के दिशानिर्देशों के आधार पर, प्रभावी, कुशल, निडरहित और प्रगतिशील रूप में आधुनिक सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए सभी शाखाओं, कार्यालयों, करेंसी चेस्ट और एटीएम में सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा कर रहा है. सुरक्षा विभाग की भौतिक सुरक्षा प्रक्रिया के संपूर्ण आकलन करने के बाद ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन (बीएसआई) ने पंजीकरण प्रमाण पत्र (666393) जारी किया है. चूंकि बीएसआई प्रबंधन प्रणालियों पर एक विश्वस्तरीय प्राधिकरण है, बैंक ने सुरक्षा और सुरक्षा नीतियों और आवश्यकता पर बीएसआई के साथ पंजीकरण करते हुए विश्व नेता के साथ सहयोग हासिल कर लिया है. निर्धारित नीतियों और आवश्यकताओं के अनुसार बैंक लगातार सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन को विकसित करने और सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है. वर्ष के दौरान सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित सक्रिय और निवारक उपायों की शुरुआत की गई:

- नई शाखाओं/चेस्टों को हाई रिसोलुशन आईपी कैमरा सहित डिजिटल सीसीटीवी सिस्टम दिए गए हैं.
- सभी शाखाओं को वायर और वायरलेस डिटेक्टरों के साथ हाइब्रिड अलार्म सिस्टम प्रदान किए गए हैं.
- सभी शाखाओं को बीबी क्लॉस सेफ और भारतीय रिजर्व बैंक के विनिर्देशन के अनुरूप स्ट्रांगरूम प्रदान किया गया है.
- सुरक्षा की बिन्दुं से कमजोर के रूप में वर्गीकृत शाखाओं को कार्य-समय के दौरान सशस्त्र सुरक्षा गार्ड प्रदान किए गए हैं.
- वास्तविक समय पर किसी भी संदिग्ध या विषम व्यवहार के सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्राधिकारियों को अलर्ट रखने के लिए बैंक के वाईड एरिया नेटवर्क के लिए एटीएम साइट और शाखाओं की सीसीटीवी प्रणाली को ई-निगरानी लिंक किया गया है.
- आवधिक समीक्षा का आयोजन, सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने हेतु सक्रिया उपायों को अपनाने के लिए और कमजोरियों का आकलन करने हेतु प्रका व क्षेत्रीय कार्यालय में सुरक्षा समिति का गठन किया है.
- बैंक कानून प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ निकट संपर्क बनाया रखता है और प्रचलित सुरक्षा जरूरतों को पूर्ण करने के लिए तैयार है.

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया बैंकिंग क्षेत्र में नवीनतम मंत्र है और इससे आने वाले दिनों में बैंकिंग संबंधों को महत्वपूर्ण तरीके से बदलने की उम्मीद है, जिससे ग्राहकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरों को पैसा भेजने की अनुमति मिल सके. सोशल मीडिया के सामरिक उपयोग से उत्पादों और सेवाओं के विपणन, उत्पाद / सेवा के डिजाइन, व्यापारिक पूर्वानुमान, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण और ग्राहक शिक्षा पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है.

ग्राहकों के साथ अर्थपूर्ण तरीके से सार्थक बनाने हेतु सोशल मीडिया का लाभ उठाने के लिए, हमारे उत्पादों और सेवाओं को लोकप्रिय बनाने और हमारे ग्राहक की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए, बैंक ने 29.06.2016 को फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने पृष्ठों का शुभारंभ किया.

बैंक की सोशल मीडिया की उपस्थिति ने बहुत ही कम समय में उल्लेखनीय प्रभाव सृजित किया है. सोशल समोसा - भारत की अग्रणी डिजिटल सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान किए गए रैंकिंग के अनुसार बैंक ने सोशल मीडिया पर शीर्ष 5 बैंकों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया. एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी आदि जैसे अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की तुलना में फेसबुक पर बैंक की सबसे तेजी से वृद्धि हुई है. 31 मार्च 2017 को हम अपने फेसबुक पेज पर 2 लाख फालोअर्स प्राप्त किए हैं, जो मील का पत्थर है.

हमने सोशल मीडिया के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं और हमारे ग्राहक अब ट्विटर बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक पंजीकरण, खाता शेष, मिनी स्टेटमेंट, निधि आंतरण और बिल भुगतान जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं.

विजया बैंक के अपने सभी सोशल मीडिया चैनलों पर एक मजबूत उपस्थिति है और जब से सोशल मीडिया शुरू करने की पहल की गई, तब से इसमें बहुत अधिक वृद्धि पाई गई है.

मानव संसाधन विकास

श्रमशक्ति

बैंक में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या मार्च 2016 के 14544 की तुलना में मार्च, 2017 में 15679 रही. कुल स्टाफ में से, 7978 अधिकारी, 5016 लिपिकीय कर्मचारी, 2685 कर्मचारी अधीनस्थ संवर्ग में है. मार्च 2017 के अंत तक महिला कर्मचारियों की संख्या 4234 रही जिसमें 2192 अधिकारी और 2042 एवार्ड स्टाफ हैं. मार्च 2017 के अंत तक दिव्यांग वर्ग में 331 कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक वर्ग में 929 कर्मचारी रहे.

भर्ती

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने की गई भर्ती के कुल 1830 संख्या में से 859 अधिकारियों तथा 935 लिपिकों और अधीनस्थ संवर्ग में 36 कर्मचारियों की भर्ती की.

पदोन्नतियां

वर्ष 2016-17 के दौरान की गयी पदोन्नतियां निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	से पदोन्नति	तक पदोन्नति	कुल पदोन्नत
1	उ.का.श्रे.वे- VI	उ.का.श्रे.वे- VII	3
2	व.प्र.श्रे.वे- V	उ.का.श्रे.वे- VI	15
3	व.प्र.श्रे.वे- IV	व.प्र.श्रे.वे-V	44
4	म.प्र.श्रे.वे-III	व.प्र.श्रे.वे-IV	59
5	म.प्र.श्रे.वे-II	म.प्र.श्रे.वे-III	195
6	क.प्र.श्रे.वे-I	म.प्र.श्रे.वे-II	291
7	लिपिकीय	क.प्र.श्रे.वे-I	176
8	अधीनस्थ कर्मचारी	लिपिक	130

डीओपीटी, कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए पदोन्नाति के मामले में 3 प्रतिशत की रिक्तियां विकलांग व्याक्तियों के लिए आरक्षित है, जिनमें से (1) अंधापन या कम दृष्टि (2) सुनने में क्षीणता और (3) हरकत का विकलांगता या मस्तिष्क पक्षाघात से पीडित व्यीक्तियों को हरेक विकलांगता के लिए पहचाने गए पद में प्रत्येक 1 प्रतिशत आरक्षित है.

उपरोक्त के अतिरिक्त, जिम्मेदारी नियोक्ता के रूप में, समान रोजगार अवसर को बढावा देने और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के विधिसम्मत कैरियर आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार से प्रेरणा प्रदान करने के लिए हमारे बैंक नई पदोन्नती नीति को तैयार की है, यह नीति बैंकिंग उद्योग में विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए पहली बार है. नई शुरू की गई पदोन्नतिनीति में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट है, जिससे पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को अपना कैरियर में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी. वर्ष 2016-2017 के दौरान 07 पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को लिपिकीय संवर्ग से कप्रश्रे वेतनमान-1 में पदोन्नत किया गया है और 05 पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को अधीनस्थ कर्मचारी से लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नत किया गया है.

प्रशिक्षण

बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली को अतिरिक्त सक्षम श्रमशक्ति के जरिए सुदृढ़ किया गया है. कर्मचारियों के लिए वर्तमान तथा भविष्य के समनुदेशों को संभालने तथा उत्तम प्रतिस्पर्धी तकनीकी आधारित ग्राहकोन्मुखी बैंकिंग वातावरण में अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को ठीक से निभाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को पुन: तैयार किया गया है. बैंक अपने कर्मचारियों को कुछ प्रतिष्ठित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कुछ विशेषीकृत क्षेत्र जैसे ऋण, फॉरेक्स, खजाना प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधन, विपणन आदि में भी प्रशिक्षण दिलवा रहा है. इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने 14424 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जो कि कुल कर्मचारियों का 91.99% बनता है. इनमें से 13468 कर्मचारियों को बैंक की अपनी संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाया गया, 956 को समुद्रपारीय संस्थाओं सहित प्रतिष्ठित बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाया गया.

कर्मचारी व्यस्तता सर्वेक्षण

जैसा कि कर्मचारियों के निष्पादन सीधे उनके कामकाज की डिग्री के लिए आनुपातिक होता है, 'कर्मचारी व्यस्तता सर्वेक्षण' एक नया पहल है और अनुकूलतम व्यस्तता के जरिये दक्षता और प्रभावशीलता को प्रबंधित करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया था. बैंक के सभी कार्यपालकों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था, जो एक आंख खोलने वाला था क्योंकि यह कारकों को प्रेरित करता है और कर्मचारियों को प्रेरित करता है, जिसके आधार पर सक्रिय और रणनीतिक उपायों को व्यस्तता के स्तर को बढ़ाने के लिए लिया जाता है और इस प्रकार संगठनात्मक उद्देश्यों को हासिल किया जाता है.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग के कर्मचारी

मार्च 2017 के अंत तक कुल 15679 स्टाफ में से 3169 अनुसूचित जाति वर्ग के थे, 1178 अनुसूचित जनजाति और 3806 अन्य पिछड़े वर्ग के थे.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष

अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष सभी 32 क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं तथा अ.जा./अ.ज.जा. के वरिष्ठ अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है. प्रधान कार्यालय में अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष मुख्य संपर्क अधिकारी के अधीन कार्यरत है.

अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करके उन पर तुरंत निवारक कार्रवाई की जाती है. मुख्य संपर्क अधिकारी अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी कल्याण संघ व उनके प्रनिधियों को प्रधान कार्यालय में मिलते हैं तथा यदि कुछ मामले हो तो प्र.का. के संबंधित विभाग को निवारण हेतु भेज देते हैं. इसी प्रकार क्षेत्रीय प्रमुख/संपर्क अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर शिकायतों का निवारण करते हैं.

आगे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और अ.जा./अ.ज.जा. प्रतिनिधियों के बीच तिमाही बैठक नियमित तौर पर सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाती है. इन बैठकों में, अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों से संबंधित यदि कोई शिकायत हो तो, अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है तथा निपटाया जाता है. सभी अभ्यावेदनों को एक रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है तथा प्रत्येक अभ्यावेदन पर की गयी कार्रवाई भी दर्ज की जाती है. रजिस्टर को समय-समय पर मुख्य संपर्क अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है. बैंक ने सामंजस्य पूर्ण औद्योगिक संबंध के रूप में अखिल भारतीय अ.जा / अ.ज.जा कर्मचारियों के संघ के साथ 100 वीं बैठक का आयोजन करके दूसरा मील का पत्थर हासिल किया है. यह उल्लेखनीय है कि पिछले 25 वर्षों से निर्बाध रूप से तिमाही बैठक आयोजित कर रहा है.

इसी प्रकार सभी 32 क्षेत्रीय कार्यालयों व प्रधान कार्यालय में ओबीसी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के अधीन, अलग से ओबीसी कक्ष कार्यरत है.

बैंक नियमित तौर से अ.जा/अ.ज.जा. व अ.पि.व. के लिए अर्थात अधीनस्थ कर्मचारी, लिपिक तथा वेतनमान III तक के अधिकारियों के लिए भर्ती-पूर्व/पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है.

पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के कल्याण के लिए, बैंक के प्रधान कार्यालय के साथ साथ क्षेत्रीय कार्यालय स्तर में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया. पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के विभिन्न शिकायतों के समाधान के लिए और उनके सुझाव मांगने के लिए और कार्यदशा और कार्यस्थल को बेहतर बनाने के लिए समिति की नियमित त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाती है.

हमारा बैंक अ.जा/अ.ज.जा., अ.पि.व. व अल्प संख्यक समुदाय के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार की सभी आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है जिसमें दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हैं.

स्टाफ संबंध

बैंक द्वारा व्यवहार्य एवं मानवीय दृष्टिकोण रखने के कारण बैंक को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए और बैंक प्रबंधन तथा बैंक के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से बैंक लगातार प्रगतिशील वृद्धि दिखा रहा है. वातावरण सकारात्मक है तथा इसका परिणाम मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की निरंतर वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुई. बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण तथा स्नेहपूर्ण रहा. वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा बैंक से संबंधित मुद्दों के लिए कोई आंदोलन अथवा अशान्ति नहीं रही. कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने तथा विवाद, यदि कोई, को सौहार्दपूर्ण तरीके से दूर करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित अंतरालों पर सलाहकार समिति बैठक तथा समझौता समिति बैठकें आयोजित की जाती है तथा इन बैठकों में बैंक के शीर्ष कार्यपालक उपस्थित होते हैं.

खेल-खूद गतिविधियां

वर्ष 2016-17 में बैंक के विभिन्न खेल-खूद टीम बहुत अच्छी तरह से निष्पादन किया है. बैंक के बास्केतटबॉल टीम स्टेट ओलंपिक बास्केटबॉल ईवेंट और स्टेट सीनियर डिवीजन लीग चैंपियनशिप 2016-17 में विजेता के रूप में उभरा है. बैंक के टीम कोयंबतूर, तमिलनाडु में खेले गए पीएसजी टेक अखिल भारतीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया है. बैंक ने अक्तूबर 2016 में श्री कंठीरवा स्टेडियम, बेंगलूर में तीसरा मुल्कि सुंदर राम शेट्टी अखिल भारतीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भी किया है. यह गर्व की बात है कि वर्ष 2016 में हमारे तीन खिलाड़ी श्री अरविंद ए, श्री राजेश प्रकाश उप्पार और अनिल कुमार बी के सीनियर इंडियन मेन्स बास्केटबाल टीम का प्रतिनिधित्व किए हैं. श्री अरविन्द ए को वर्ष 2016 के लिए खेल-खूद के श्रेणी में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा एकलव्या पुरस्कार प्रदान किया गया है.

वर्ष के दौरान बैंक के क्रिकेट टीम लगातार निष्पादन करता आ रहा है. उसने ग्रुप II डिवहजन I लीग चैंपियनशिप में तीसरा स्थाी हासिल किया है और गोकाक में आयोजित एलआरजे इंटर स्टेरट टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट में सेमिफाइनलिस्ट रहे थे. रणजी ट्रॉफी 2016-17 में श्री आर विनय कुमार, श्री सी एम गौतम, और श्री के गौतम कर्नाटक का प्रतिनिधित्व किए हैं. सैयद मुश्ताक अली इंटर स्टेट टी-20 टूर्नामेंट में श्री आर विनय कुमार, श्री सी एम गौतम और श्री के सी कारियप्पा कर्नाटक के प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं. विजय हजारे अखिल भारतीय एक दिवसीय टूर्नामेंट में श्री आर विनय कुमार, श्री के गौतम और श्री रोहन कदम कर्नाटक का प्रतिनिधित्व किए हैं.

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के कब्बडी टीम का निष्पादन असाधारण रहा है. यह टीम निम्नलिखित प्रतिष्ठित पांच टूर्नामेंट जीता है अर्थात नरसापुर, आंध्रप्रदेश के अखिल भारतीय कब्बडी टूर्नामेंट, सोमवारपेट के राज्यि स्तारीय कब्बडी टूर्नामेंट, आधिचुंचनगिरी के राज्यर स्तारीय कब्बडी टूर्नामेंट, कोलार के राज्य स्तररीय कब्बडी टूर्नामेंट और स्टेट ओलंपिक कब्बडी टूर्नामेंट.

स्टाफ कल्याण उपाय

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार निवल लाभ के 3%, अधिकतम ₹15.00 करोड़ तक की राशि को बैंक के कर्मचारियों के कल्याण हेतु आबंटित किया जाना है.

बैंक में विभिन्न स्टाफ कल्याण योजनाएं हैं जैसे :

1. कैंटीन अनुदान
2. समाचार पत्र प्रतिपूर्ति
3. वार्षिक स्वास्थ्य जांच
4. प्र. का. में स्थित स्वास्थ्य क्लीनिक
5. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वार्षिक चिकित्सा सहायता व वीआरएस विकल्पी जिनोने 60 साल की आयु पूरी की है.
6. रजत जयंती पुरस्कार प्रदान करना
7. मील का पत्थर का पुरस्कार प्रदान करना
8. अधीनस्थ सदस्यों के वार्डों के लिए लैप-टॉप प्रदान करने की नयी योजना
9. स्टाफ सदस्यों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नकद प्रोत्साहन
10. वी-शक्ति, वी-सुबोधिनी, वी-प्रगति के अधीन बालिकाओं के लिए ₹ 5,000.00 की छात्रवृत्ति प्रदान करना
11. विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए डायग्नोस्टिक (निदानार्थ) परीक्षण की प्रतिपूर्ति
12. महिला कर्मचारियों के लिए 3 साल तक के बच्चे के लिए क्रेच भत्ता की प्रतिपूर्ति

13. बैंक की महिला अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए साड़ी / सल्वार कमीज की खरीद हेतु व्यतय की प्रतिपूर्ति

उपरोक्त के अलावा, निवल लाभ के 3% की निर्धारित कोष से कल्याण योजनाएं अपनाई है, और सेवानिवृत्त सभी पू.का.स्वी /अं.का.स्वी के लिए भारतीय बैंक संघ की चिकित्सा बीमा योजना के प्रीमियम बैंक भर रहा है.

विजया बैंक स्टाफ कल्याण निधि न्यास

विजया बैंक स्टाफ कल्याण निधि न्यास को वर्ष 21.09.2002 से गठित किया है:

स्टाफ कल्याण निधि न्यास के अधीन बैंक की कई योजनाएं हैं जैसे

1. कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना
2. अस्पतालीकरण व्यय के दावे के शेष व्यय की प्रतिपूर्ति
3. चश्मे के व्यय की प्रतिपूर्ति
4. मृत कर्मचारी के आश्रितों को अंतिम संस्कार व्यय
5. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देना
6. मानसिक रूप से अक्षम /स्पास्टिक बच्चों के माता-पिता, जो हमारे कर्मचारी है, उनको सहायता/छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु योजना
7. शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों/उनके बच्चों को सहायता/कृत्रिम अंग /श्रवण उपकरण/बैसाखी आदि उपलब्ध कराने हेतु योजना
8. स्टाफ सदस्यों के लिए गोवा, शिमला, तिरुपति, जयपुर, दिल्ली, पुरी तथा शिरडी में हॉलिडे होम की सुविधा प्रदान की गई है.
9. पीडब्ल्यूडी स्टाफ सदस्यों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति देने की योजना
10. पीडब्ल्यूडी स्टाफ सदस्यों के स्कूल न जानेवाले विकलांग बच्चों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना
11. विवाह के समय पीडब्ल्यूडी स्टाफ सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना

बैंक, परिवार कल्याण योजना भी चला रहा है जिसके अधीन योजना के सदस्यों से एकत्रित राशि मृतक स्टाफ सदस्य के परिवार के सदस्यों (नामितियों) को वितरित की जाती है.

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक द्वारा पीडब्ल्यूडी स्टाफ सदस्यों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं अपनाए हैं :

1. नेत्रहीन कर्मचारियों के लिए सहायता जैसे स्मार्ट वाकिंग केन, टॉकिंग साफ्टवेयर, ब्रेल संलग्नक आदि
2. 64 नेत्रहीन कर्मचारी और 121 दिव्यांग कर्मचारियों के लिए वाहन सुविधा (ले आना व छोड़ना) दे दी गई है.
3. 58 नेत्रहीन (VI) कर्मचारियों के लिए ब्रेल घड़ियां प्रदान की गई हैं.

आंतरिक शिकायत समिति

कार्यस्थान पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 (आगे इसे अधिनियम कहा जाएगा) 09.12.2013 से लागू हो गया है.

यह अधिनियम, कार्यस्थान पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न के प्रति सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा यौन उत्पीड़न के मामलों से संबंधित शिकायतों के रोकथाम व निवारण तथा इस संबंधी या आनुषंगिक मामलों के लिए है.

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन के अनुरूप, बैंक द्वारा कार्यस्थान पर लिंग भेद तथा यौन उत्पीड़न से संबंधित स्टाफ सदस्यों से प्राप्त शिकायतों को निपटाने हेतु प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है.

प्रधान कार्यालय में गठित आंतरिक शिकायत समिति में निम्न सदस्य हैं:

1.	श्रीमती निर्मला श्रीधर, महाप्रबंधक	–	अध्यक्ष
2.	श्रीमती मणिमेखलई, महाप्रबंधक	–	सचिव
3.	श्री सेन्थिल नाथन	–	सदस्य
4.	श्रीमती रोशनी सी आर, वरिष्ठ प्रबंधक	–	संयोजक
5.	श्रीमती मिनी सी जी, वरिष्ठ प्रबंधक	–	सदस्य
6.	श्रीमती गीता मेनन – एनजीओ	–	सदस्य

उक्त अधिनियम की धारा 22 में निर्धारित किया गया है कि नियोजक द्वारा इस अधिनियम के अधीन फाइल किए गए मामले, यदि हो और निपटाये गये मामलों की संख्या को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाना है.

केंद्र सरकार ने भी इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यस्थान पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) नियम, 2013 तैयार की है. नियम 14 के अधीन नियोजक को वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी करते समय निम्न सूचना शामिल की जानी है:

तदनसुार, वर्ष अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों के विवरण नीचे दिर्शाय गया है.

क्र सं.	वर्ष में प्राप्त की गई यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	90 दिनों से अधिक के लिए लंबित मुकदमा की संख्या	आयोजित किए गए यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरुकता कार्यक्रम या कार्यशाला की संख्या	नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा ली गई कार्रवाई का प्रकार
1	2	2	कुछ नहीं	7	आंतरिक शिकायत समिति ने निष्कर्ष निकाला कि रिपोर्ट किए गए दोनों मामले यौन उत्पीडन के दायरे से बाहर है और तद्नुसार निपटाया गया है.

अन्य सेवाएं

सरकारी कारोबार

विभिन्न सरकारी कारोबार के अधीन बैंक अपनी 276 शाखाओं में प्रत्यक्ष कर वसूल कर रहा है. बैंक ने वी-नेट बैंकिंग के जरिए अपने सभी ग्राहकों के लिए अपनी सभी शाखाओं में सीबीडीटी व सीबीईसी के करों का ऑनलाइन भुगतान शुरू किया है. बैंक की 886 शाखाएं लोक भविष्य निधि खाते खोलने के लिए पदनामित हैं. हमें पीपीएफ कारोबार करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त 321 शाखाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसी अनुमोदन को प्राप्त किया जाना है. इसके अलावा, सभी शाखाएं केंद्रीय सिविल, रक्षा, टेलिकॉम पेंशन तथा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल व 4 मेट्रो शहरों के राज्य पेंशन संवितरित करने के लिए प्राधिकृत है. केंद्र सरकार पेंशनरों की पेंशन का केंद्रीकृत भुगतान करने के लिए प्र.का. में केंद्रीकृत पेंशन संसाधन कक्ष स्थापित किया गया है. अटल पेंशन योजना के लिए 1606 शाखाएं और सुकन्या समृद्धि योजना हेतु 888 शाखाओं को पदनामित किया गया है.

जीवन बीमा कारोबार

ग्राहकों की जीवन बीमा आवश्यकताओं के लिए बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी करार व्यवस्था की है.

सामान्य बीमा कारोबार :

ग्राहकों की गैर-जीवन बीमा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने यूनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लि. के साथ कार्पोरेट एजेन्सी करार किया है.

सरकारी सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना :

बैंक ने पात्र सभी खाता धारकों के लिए प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत बीमा कवर प्रदान करने के लिए मेसर्स भारतीय स्टेट बैंक जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है.

बैंक ने पात्र सभी खाता धारकों के लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत बीमा कवर प्रदान करने के लिए मेसर्स युनाईटेड इंडिया बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है.

यथा 31.03.2017, बैक ने निम्न प्रकार योजना के अंतर्गत बीमा प्रदान करने में सक्षम रहा है :

योजना	नामांकन की संख्या
पीएमजेजेबीवाई	4,30,760
पीएमएसबीवाई	15,38,968

निक्षेपागार भागीदारी खाता व ऑनलाइन ट्रेडिंग

विजया बैंक का निक्षेपागार भागीदारी (डीपी) खाता राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के साथ है.

विजया बैंक निम्न निक्षेपागार सेवाएं प्रदान करता है.

- खाता खोलना
- प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण (शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, आदि)
- एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के साथ जुडे स्टॉक विनिमयों में व्यापार का इलेक्ट्रॉनिक निपटान
- बैंक ऋण के प्रति अमूर्त प्रतिभूति की गिरवी/दृष्टिबंधक
- सार्वजनिक निर्गम में आबंटित प्रतिभूतियों की इलेक्ट्रॉनिक जमा
- जब कभी आवश्यक हो खातों का रोक लगाना ताकि खाते से नामे की अनुमति न हो
- अमूर्त खातों के लिए नामांकन सुविधा
- पते में परिवर्तन, बैंक खाता विवरण, आदि से संबंधित सेवाएं
- प्रतिभूतियों का प्रेषण करना
- एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा

बैंक ग्राहकों को निक्षेपागार सेवाएं प्रदान करता है तथा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रदान करने के लिए आईडीबीआई कैपिटल के साथ टाइ-अप किया है.

अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए)

बैंक एससीएसबी की सूची में शामिल है यह 01.02.2009 से प्रभावी है. अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए) के लिए डीपी कक्ष नियंत्रण शाखा है और सभी शाखाओं को एएसबीए का आवेदन स्वीनकार करने हेतु पदनामित किया गया है.

सरकारी कारोबार माड्यूल (जीबीएम)

सरकारी कारोबार माड्यूल को निम्न मॉड्यूलों के साथ कार्यान्वित किया गया हैं –

- ओल्टास माड्यूल, जो कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर तथा लिंक सेल, नागपुर के जरिए भा.रि.बैंक को कर राशि के प्रेषण का कार्य करता है.
- अटल पेंशन योजना / लोक भविष्य निधि/सुकन्या समृद्धि योजना – संबंधित योजना के लिए पदनामित शाखाओं में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं.

पेंशन का केंद्रीकृत भुगतान – प्रधान कार्यालय में एक समर्पित केंद्रीकृत पेंशन भुगतान संसाधन कक्ष की स्थापना की गई है. केंद्रीय, सिविल, दूरसंचार, रक्षा, न्यायाधीश तथा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन जैसे सभी प्रकार के पेंशन का भुगतान केंद्रीकृत रूप से सीपीपीसी कक्ष, प्रधान कार्यालय द्वारा किया जा रहा है.

बैंक में सरकारी मार्गनिर्देशों के अनुसार पदनामित शाखाओं में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना भी कार्यान्वित की गई है.

विपणन ढांचा

बैंक के प्र. का. में स्थित विपणन कक्ष देशभर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/ आरएसीपीसी व एमएसएमई कक्ष में कार्यरत सभी विपणन अधिकारियों की सक्रिय प्रतिभागिता से बैंक के विभिन्न उत्पादों के प्रचार व विपणन में सक्रिय रूप से कार्यरत है.

प्रचार तथा जनसंपर्क

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक व उसके उत्पादों की दृश्यता को संपूर्ण देश में बढ़ाने हेतु अंग्रेजी, हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं में प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में बैंक ने कई प्रमुख विज्ञापन अभियान आयोजित किए. 2016–17 के दौरान इस वर्ष बाह्य विज्ञापन मीडिया जैसे हवाई अड्डे, काचिगुडा एक्सईप्रेस व कोर्णाक एक्स प्रेस पर ट्रेन ब्रांडिंग, एम जी रोड, बेंगलूर में मेट्रो पिल्लर्स पर विज्ञापन आदि के जरिए प्रमुख प्रचार अभियान किए गए. मेट्रो शहरों में बाह्य विज्ञापन होर्डिंग लगाए गए, रेल्वे स्टेशन/बस स्टेशन में ग्लो साइन/साइन बोर्ड विज्ञापन के जरिए प्रचार किया गया.

राजभाषा कार्यान्वयन

राष्ट्रीयकरण से बैंक भारत सरकार की राजभाषा नीति को सही भावना से कार्यान्वयन कर रहा है. स्टाफ सदस्यों के प्रयास से बैंक ने यथा 31.03.2017 को हिन्दी पत्राचार में 'क'क्षेत्र में 100% लक्ष्य के प्रति 95.11%, 'ख' क्षेत्र में 90% लक्ष्य के प्रति 92.08% तथा 'ग' क्षेत्र में 55% लक्ष्य के प्रति 69.06% हासिल किया है.

बैंक को भारत सरकार के राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत राजभाषा हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन हेतु 'ग' क्षेत्र के तहत पुरस्कृत किया गया है और दि. 14.09.2016 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हमारे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ को शील्ड व प्रमाणपत्र प्रदान किया गया.

हैदराबाद में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में महामहिम राज्यपाल, तेलंगाना राज्य द्वारा दक्षिणी क्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर (दक्षिण) और क्षेत्रीय कार्यालय,बेंगलूर (उत्तर) के लिए क्रमश: पहला व तीसरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएं, राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन हेतु विभिन्न नराकास के द्वारा 25 पुरस्कारों को प्राप्त किए हैं, जिसमें क्षे.का, हासन और सोलन शाखा प्रथम पुरस्कार हासिल किया है.

वर्ष के दौरान राजभाषा पर संसदीय समिति ने हमारी मथुरा, पोरबंदर शाखा और प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया. दि. 04.10.2016 को श्री टेकचंद, उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), भारत सरकार,राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, बेंगलूर ने हमारे प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया और बैंक में राजभाषा के कार्यान्वियन की सराहना की.

बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा वीडियो कोनफेरेंस के जरिए शुरू की है जिसमें हमारे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के हर तिमाही के निष्पादन की समीक्षा की जाती है. महाप्रबंधक (रा.भा) के जरिए नियमित मासिक समीक्षा के साथ अनुवर्तन किया जाता है.

हमारे बैंक ने दिनांक 03.06.2016 को 'राजभाषा प्रयोग आपसी संवाद सार्थक दिशा' के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और 04.06.2016 को पुणे में डीएफएस की समीक्षा बैठक की मेजबानी की जिसका उद्घाटन श्री अनूप कुमार मिश्रा, सचिव (राजभाषा) द्वारा किया गया.

बैंक ने विशेष अवसर पर हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में एसएमएस भेजना शुरू किया है. और प्रत्येक तिमाही के दौरान हमारे शाखा / कार्यालयों के लिए हिन्दी में ई–मेल भेजने की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है और प्रका, क्षेका और शाखा के वर्ग के अंतर्गत अधिक मेल भेजनेवाले कर्मचारियों के लिए प्रत्येक से दो पुरस्कार प्रदान किया गया था.

राजभाषा अधिकारियों का सम्मेलन दिनांक 25 व 26 जुलाई, 2016 प्रधान कार्यालय में आयोजित किया गया, जो श्रीमती निर्मला श्रीधर, महा प्रबंधक द्वारा उद्घाटन किया गया था. दूसरा राजभाषा अधिकारियों का सम्मेलन दिनांक 18 और 19 अक्तूबर, 2016 क्षेत्र 'ग' के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था, जिसमें श्री केवल कृष्ण वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने राजभाषा अधिकारियों को संबोधित किया तथा क्यू पीआर के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण पर भी प्रकाश डाला व डॉ. एस ए करीम और डॉ. सुची, प्रोफेसर, केरल विश्वविद्यालयाने राजभाषा के महत्च को दोहराया. तीसरा राजभाषा सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया जिसमें डॉ रमाकांत गुप्ता, महा प्रबंधक, भा.रि.बैंक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे.

बैंक ने नवंबर 2016 के दौरान सभी बैंक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय स्तर की हिन्दीं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें हमने विभिन्न बैंकों से लगभग 60 प्रविष्टियां प्राप्त किया था. इन प्रविष्टियों में से श्रेष्ठ 24 निबंधों के चयन करके 'निबंध माला' के नाम पर पुस्तक प्रकाशित किया गया.

बैंक ने हैदराबाद में अखिल भारतीय अंतर बैंक सेमिनार का भी आयोजन किया था जिसका उद्घाटन संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने किया और कार्यक्रम में सभी बैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था.

वर्ष के दौरान बैंक ने दो हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन किया है जिसमें अखिल भारतीय सेमिनार और अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता के दौरान प्राप्त निबंधों का संग्रहण शामिल है. सितंबर 2016 के हिन्दी दिवस के दौरान 'मेक इन इंडिया' के नाम पर पहली पुस्तक का प्रकाशन किया गया और 'निबंध माला' के नाम दूसरी पुस्तक का प्रकाशन दि. 10.03.2017 को हैदराबाद में किया गया.

भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग शब्दावली की स्थायी समिति हेतु हमारे राजभाषा प्रभाग के मुख्य प्रबंधक को नामित किया गया था. सभी क्षेत्रीय कार्यालय अपने संबंधित नराकास के तत्वावधान में प्रतियोगिताएं और सेमिनार का आयोजन किए थे. 'वी -जेनयूथ' बैनर के अंतर्गत सभी 32 क्षेत्रीय कार्यालय और प्रधान कार्यालय वी-जेनयूथ हिन्दी गायन प्रतियोगिता / हिन्दी चित्रकला प्रतियोगिता /हिन्दी व्याख्यान प्रतियोगिता / हिन्दी निबंध प्रतियोगिता/ हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न शाखाओं में डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रसार पर विशेष अभियान का आयोजन किया गया. क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा ने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नए पेंशनभोगियों को शामिल करने और उसका नवीकरण हेतु फसल बीमा योजना को प्रोत्साहित करने के लिए कैम्प का आयोजन किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायक समूहों को भी कैम्पं का आयोजन किया गया.

वर्ष के दौरान, कार्यपालक / अधिकारी और लिपिकीय स्टाफ सदस्यों के लिए 139 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें 2996 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया. इन कार्यशालाओं में यूनिकोड का उपयोग के महत्व पर जोर दिया गया था.

क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूर, दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, पुणे और प्रधान कार्यालय - बेंगलूर ने कार्यपालकों के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया था. प्रका द्वारा आयोजित विशेष हिन्दी कार्यशाला में, 34 कार्यपालकों ने भाग लिए थे और श्री ईश्वर चन्द्र मिश्रा, सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, भारत सरकार, बेंगलूर ने कार्यपालकों को संबोधित किया और 'विस्तृत रूप से राजभाषा कार्यान्वयन में कार्यपालकों का योगदान' पर व्यांख्याान दिया गया.

डॉ. किशोर सांसी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अध्यक्षता में 17.09.2016 को प्रधान कार्यालय द्वारा हिन्दी दिवस मनाया गया.

वर्ष 2015-16 के लिए आंतरिक राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत प्रका विभाग वर्ग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रथम पुरस्कार, कार्मिक विभाग को द्वितीय पुरस्कार और योजना व विकास विभाग को तृतीय पुरस्कावर से सम्मानित किया गया. सर्वोत्तम क्षेत्र वर्ग के अंतर्गत कोलकाता, क्षे.का. को प्रथम पुरस्कार, दिल्ली को द्वितीय पुरस्कार और कोच्ची क्षेत्र को तृतीय पुरस्कार प्राप्त है.

ग्राहक सेवा

ग्राहक सेवा और शिकायतों का निपटान

- उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करना बैंक को स्पष्ट रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने का एकमात्र प्रभावी तरीका है. इससे बैंकिंग सेवाओं को कुशलतापूर्वक प्रदान करने, लाभदायक व्यवसाय मॉडल विकसित करने और प्रौद्योगिकी को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए नवीनतम और लागत प्रभावी तंत्र तैयार करने की आवश्यकता होती है. उचित सेवा प्रदान करना और समीक्षा तंत्र के माध्यम से ग्राहक शिकायतों को कम करना बैंक का उद्देश्य है. ग्राहक शिकायतों के त्वरित समाधान हेतु 'मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) अपनाई गई है. ग्राहक, बैंक वेबसाइट के जरिए एसपीजीआरएस पोर्टल में अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं तथा शिकायतों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाता है. अन्य माध्यम जैसे पत्र, ई-मेल और दूरभाष द्वारा प्राप्त शिकायतों को भी इस सामान्य प्लॉटफार्म में दर्ज कर सकते हैं. शिकायतों के समाधान हेतु सिस्टम इन शिकायतों को संबंधित शाखा/कार्यशील विभाग/कार्यालयों को प्रेषित करती है.

  शाखा स्तर ग्राहक सेवा समिति गठित की जाती है ताकि शाखा स्तर पर ग्राहकों और बैंक के बीच संप्रेषण के औपचारिक चैनल को प्रोत्साहित किया जा सके. शाखा स्तर की ग्राहक सेवा समिति जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनदारों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के ग्राहक शामिल होकर महीने में एक बार मिलते हैं. विचारों / सुझावों को एकत्रित कर, ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति के अध्यक्ष, अर्थात कार्यकारी निदेशक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिस समिति में गैर-अधिकारी उनके स्वतंत्र प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र सदस्यों के रूप में शामिल हैं. समिति तिमाही में एक बार मिलती है तथा बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है.

  प्रबंध निदेशक और सीईओ के नेतृत्ववाली मंडल की ग्राहक सेवा समिति में कार्यकारी निदेशक और मंडल के अन्य निदेशक तथा विशेषज्ञ और ग्राहकों के प्रतिनिधी आमंत्रितों के रूप में शामिल हैं, जो बैंक में कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना और बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के लिए नीतियां तैयार करने और आंतरिक रूप से अनुपालन का मूल्यांकन करने में बैंक को सक्षम बानाएंगे. बैंक में प्रचलित प्रथाओं और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए

शिकायत की मूल कारण के विश्लेषण के साथ-साथ शिकायत का प्रकार और वर्गयुक्त त्रैमासिक समीक्षा नोट मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है.

बैंक ने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, नई दिल्ली के निर्देशों का अनुपालन किया है, जिनमें शिकायतों के निपटान की स्थिति की समीक्षा पर प्रगति संवाद के दौरान माननीय प्रधान मंत्री के टिप्पणियों को अवगत कराया था और दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रबंध निदेशक और सीईओ द्वारा शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा करने की प्रणाली शुरू की गई, जिसके अनुसार समय सीमा का निर्धारण के मूल्यांकन तथा उत्तर की गुणवत्ता और की गई कार्रवाई का विवरण का आकलन किया जाता है और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जाता है.

बैंक ने महा प्रबंधक के रैंक के प्रधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है, जो पूरे बैंक में ग्राहक सेवा का कार्यान्वयन तथा शिकायत की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है. बैंक ने क्षेत्रीय प्रबंधकों को उनके नियंत्रणाधीन आनेवाली शाखाओं से संबंधित शिकायतों की निगरानी करने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है. नोडल अधिकारी(यों) के नाम तथा संपर्क विवरण शाखा के नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित किए जाते हैं.

भा.रि.बैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने ग्राहक की संतुष्टि के अनुसार समाधान नहीं की गई शिकायत तथा बैंक के आंतरिक शिकायत समाधान तंत्र में आंशिक रूप से निपटाई गई शिकायतों की जांच करने के लिए आंतरिक लोकपाल को नियुक्त किया है.

निम्नलिखित पहलुओं पर हमारे स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए हमारे स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा दिए जानेवाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राहक सेवा पर एक सत्र अनिवार्य कर दिया है:

- जब ग्राहक बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं तब ग्राहक को आरामदायक वातावरण प्रदान करने के लिए
- ग्राहकों को बनाए रखने के लिए उनकी संतुष्टि हेतु गुणवत्ता की सेवा प्रदान करना
- ग्राहक की सेवा पर जोर देने के लिए 'ग्राहक सेवा, बैंक के कारोबार की जरूरत है और सामाजिक सेवा नहीं है' इस आदर्श के साथ बदलना है.
- ग्राहकों के साथ अपना व्यवहार में सहानुभूति का महत्व के बारे में पहली पंक्ती के स्टाफ को प्रभावित करना

कॉल सेंटर :

कॉल सेंटर ग्राहकों के लिए संपर्क का पहला स्तंर के रूप में ब्रैंडिंग में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है. ग्राहक सहायता प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य के साथ तथा तीन विभिन्न स्थानों में कार्यरत 3 अलग कॉल सेंटर अर्थार्थ सामान्य बैंकिंग, नेट बैंकिंग और तीन विभिन्न स्थानों में कार्ड प्रभाग का कामकाज को एकरूप बनाने हेतु बैंक द्वारा प्रस्तुत सेवा तथा सभी उत्पाद के लिए समग्र सेवा समाधान ग्राहकों को प्रदान करने हेतु एक आउटसोर्स कॉल सेंटर में सभी कॉल को एकीकृत किया गया है. साथ ही, निर्बाध सेवा को आसान बनाने के लिए और शिकायतों को हल करने व दिन-रात के ग्राहकों के प्रश्नों पर ध्यान देने हेतु बैंक ने 24*7*365 की उपयोगिता के साथ अपनी आवक कॉल सेंटर सेवाओं को बढ़ाया गया है. ग्राहकों / शाखाओं द्वारा प्राप्त कॉल संभालने के अतिरिक्त, एफटीई, वी-नेट बैंकिंग व कार्ड हॉटलिस्टिंग से संबंधित ई-मेल का भी ध्यान रखता है. आगे, विशेष रूप से उल्लेख किए गए खाते का स्तर बढ़ाने के लिए बैंक ईएमआई की वसूली हेतु आवास ऋण तथा वाहन ऋण उधारकर्ताओं को कॉल करने की आउटबाउंड प्रक्रिया शुरू की है. इससे बैंक को खुदरा ऋण का बेहतर पता लगाने में और खाते एनपीए में फिसलने से रोकने के लिए सहायता होती है. यह प्रकिया बैंक के लिए बेहतर नियंत्रण, अच्छी तरह से निगाह रखने के लिए और परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने हेतु सुविधाजनक है. स्थापना के बाद से, बैंक के बढ़ रहे ग्राहक आधार के साथ तालमेल रखने के लिए कॉल सेंटर के अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है. बैंक द्वारा शुरू किए गए नए अभियानों और उत्पादों पर ग्राहक के प्रश्नों को अधिक कुशलतापूर्वक संभालने में मदद करने के लिए बैंक कॉल सेंटर कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दे रहा है.

भारतीय बैंकिंग संहिता व मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

बीसीएसबीआई का सदस्य होने के नाते बीसीएसबीआई द्वारा तैयार की गयी स्वैच्छिक संहिता को बैंक ने अपनाया है अर्थात (i) 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता 2014' (ii) 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता 2015' (संहिता). बैंक ने बीसीएसबीआई के मार्ग निर्देशानुसार कई नीतियों को भी तैयार किया है तथा उसका अनुपालन किया है. संहिताओं के अक्षरश: अनुपालन के उद्देश्य से स्टाफ सामान्य बैंकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संहिताओं के प्रावधानों को समाहित करते हुए ग्राहक सेवा पर एक सत्र को शामिल किया गया है. बीसीएसबीआई ने अगस्त 2015 में 'सूक्ष्म व लघु उद्यम के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता' को संशोधित किया है और बैंक द्वारा संशोधित दिशानिर्देशों को पालन करने हेतु कई कदम उठाये गये हैं. ग्राहकों के सरल संदर्भ हेतु संहिताएं बैंक के राजभाषा वेबसाइट में उपलब्ध है. ग्राहक हमारे किसी भी शाखा में इसका एक्सेस कर सकते हैं.

शाखा माहौल

शाखा में ग्राहकों के प्रत्येक आगमन में अनुभव और खुशी में सुधार के लिए, बैंक अद्यतन नोटिस बोर्ड और उत्पाद विवरण के साथ सभी शाखाओं और एटीएम में सभी शाखा / एटीएम परिसर को साफ रखने के द्वारा अच्छा माहौल प्रदान करने पर ध्यान दे रहा है. यह बैंक के ग्राहकों को एक सुखद बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है और गुणवत्ता सेवा के अनुसार बैंक की सद्भावना बढ़ाने में मदद करता है. शाखाओं में ग्राहकों को अच्छा माहौल

और सुखद बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए, एयर कंडीशन और अन्य सुविधाओं के साथ शाखाओं को अपग्रेड किया गया है. दिव्यांग ग्राहकों के आराम के लिए मेट्रो शाखाओं में रैंप उपलब्ध कराए जाते हैं. ग्राहकों का स्वागत करने और एक तेज सेवा प्रदान करने के लिए शाखा प्रबंधक / अधिकारी लॉबी प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं. वरिष्ठ नागरिक/ दिव्यांग/महिला ग्राहकों के लिए शाखाओं में प्राथमिकता के आधार पर सेवा प्रदान की जाती है.

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

बैंक की एक मजबूत सीएसआर नीति है जिसका लक्ष्य न्यायसंगत विकास, बुनियादी ढांचा सृजन, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण, समाज के कमजोर वर्गों का स्थाई आर्थिक सामाजिक विकास है. मंडल के निदेश के अनुसार, बैंक ने कतिपय क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर रूपरेखा तैयार किया है, जिसका सामाजिक प्रभाव है जैसे बालिका शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ, विद्यालयों में शौचालय, ग्रामीण विद्यालयों के बुनियादी ढांचे / आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालय, विशेष विद्यालय.

एटीएम लेनदेन – सीएसआर के अधीन सामाजिक कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली कार्य के लिए प्रति लेनदेन 0.50 पैसे योगदान की योजना अपने तरह का पहला, बैंक ने सीएसआर गतिविधि के साथ एटीएम लेनदेन को जोड़ने की अद्वितीय योजना 15 अगस्त, 2016 को शुरू किया. इस योजना के अधीन, बैंक अपने बैंक के एटीएम में हुए प्रत्येक वित्तीय लेनदेन के लिए 0.50 पैसे का योगदान करता है. इस तरह से जमा राशि को सामाजिक कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा. इस प्रकार से जमा राशि का उपयोग बैंक ने 100 डिजिटल गांव को गोद लेने के लिए और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उन्हें बदलने के लिए किया है.

हमारे महान संस्थापकों के सपने के अनुसार, बैंक ने एक दिन में 86 बालिकाओं को गोद लेने, स्टाफ सदस्यों द्वारा 860 यूनिट रक्तदान और 860 पौंधों का वृक्षारोपण करते हुए समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों के साथ अस्तित्व के 85 वर्ष का महत्वपूर्ण अवसर मनाया अर्थात बैंक का 86वां स्थापना दिया.

बालिका को गोद लेना

बैंक की एक महत्वपूर्ण योजना है समाज के वंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा देना, इसलिए वर्ष के दौरान बैंक की प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखा को एक बालिका को गोद लेना अनिवार्य बना दिया गया था और स्नातक स्तर की बजाय स्नातकोत्तर तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है. वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने 967 बालिकाओं को गोद लिया और गोद ली गई बालिकाओं की कुल संख्या 1163 है.

ग्रामीण स्वास्थ केंद्र

सुदूर, पिछड़े क्षेत्र में गरीब ग्रामीणों के लिए मूल स्वास्थ सेवा पहुंचाने के लिए बैंक ने योग्य चिकित्सकों की बहाली करते हुए विजया ग्रामीण स्वास्थ केंद्र की स्थापना की है और मरीजों को मुफ्त दवा की आपूर्ति भी करती है. बैंक ने वर्ष 2016-17 में 13 ग्रामीण स्वास्थ केंद्र खोले हैं, जो वर्तमान के 32 को मिलाकर विजया ग्रामीण स्वास्थ केंद्रों की संख्या यथा दिनांक 31.03.2017 को 45 हो गई है.

स्वच्छ विद्यालय – विद्यालयों को शौचालय की सुविधा

पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने और जल्दी विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों विशेषकर बालिकाओं को शौचालय की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ने पिछड़े क्षेत्र, जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, के सरकारी विद्यालय में बालिका और बालक के लिए अलग-अलग शौचालय ब्लॉक का निर्माण करवाया है. बैंक ने पिछड़े क्षेत्र के 60 स्कूलों में शौचालय ब्लॉक का निर्माण करवाया है. बैंक उसे साफ और सुरक्षित रखने के लिए मासिक अनुरक्षण खर्च का भी भुगतान करता है.

सरकारी विद्यालयों में दोपहर के भोजन की योजना के संबंध में दान

बैंक ने सरकारी विद्यालय के बच्चों के लिए दोपहर के भोजन देने की उनकी योजना के लिए अक्षयपात्र फाउण्डेंशन के साथ सामरिक भागीदारी के रूप में प्रति घंटे 20000 रोटी बनाने की क्षमता वाला रोटी बनाने की मशीन का दान किया है.

वाहनों का दान

बैंक ने चौपहिया वाहन - बस, वैन आदि गैर लाभ वाले धर्मार्थ संगठन, समाजसेवी संस्था, अनाथालय और विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति आदि जो कि अनाथ, वृद्ध, विकलांग, बीमार, बेसहारा, परित्यक्त, कमजोर और असहाय व्यक्तियों की सेवा में संलग्न हैं, का दान किया है.

चिकित्सा मूलभूत सुविधा बनाने के संबंध में दान

बैंक ने स्थाई मूलभूत सुविधा जैसे धर्मार्थ अस्पताल में बच्चों के वार्ड का निर्माण, मनोभ्रंश प्रभावित वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम में बड़े स्नानघर का निर्माण करवाया है. बैंक ने कैंसर अनुसंधान अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरण, गुर्दे की देखभाल वाले अस्पताल के लिए डायलिसिस मशीन, आंखों के अस्पताल के लिए शल्य चिकित्सा हेतु नेत्र माइक्रोस्कोप, विशेष जरूरतमंद व्यक्तियों/अंध बच्चों के लिए व्हीलचेयर, अस्पतालों के लिए बेड/स्ट्रेटर, अन्य बातों के साथ-साथ गरीब मरीजों के लिए प्रायोजित मुफ्त डायलिसिस के लिए भी दान किया है.

सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा

बैंक ने बेंगलूर में झुग्गीवासियों के लिए उत्क्रम असमस जल शुद्ध संयंत्र लगाया है, मध्य प्रदेश में बोरवेल की खुदाई / हैंडपंप की स्थापना को प्रायोजित किया है, विद्यालयों, विशेष विद्यालयों, अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल आदि में विविध जल शुद्धिकारक यंत्र की स्थापना की है.

ग्रामीण विद्यालयों को आवश्यक शिक्षा सामग्री

बैंक ने सरकारी विद्यालयों/विशेष विद्यालयों को आवश्यक शिक्षा मूलभूत सुविधा जैसा कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर, वाटर फिल्टर आदि दान किया है ताकि उन्हें मीण विद्यार्थियों के लिए ढांचागत सहायता प्रदान करने के लिए, दूरस्थट / पिछडे क्षेत्र में जहां स्कूलों में बुनियादी सुविधा नहीं है वहां बैंक ने वाटर प्यूरिफायर, कंप्यूटटर, प्रिन्ट्र, फर्नीचर, पंखा वर्दी, पुस्तक, जेनरेटर आदि दान दिया है ताकि उन्हें भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद समान अवसर प्राप्त हो सके.

वृद्धाश्रम, अनाथालय आदि को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति

बैंक ने पूरे देश के पिछड़े क्षेत्रों आदि में वृद्धाश्रम, अनाथालय, दिव्यांग के लिए विशेष विद्यालय, ब्रेल कंप्यूटर, जरूरतमंद विद्यालयों को आवश्यक और मूलभूत सुविधाओं जैसे फर्नीचर, जेनरेटर, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, कंप्यूटर, फ्रिज आदि का दान किया है. बैंक ने फुटपाथ पर जीवन बसर करने वाले कमजोर, वृद्ध और झुग्गीवासी जनता के लिए ठंड के मौसम का सामना करने के लिए कंबल आदि का दान किया है.

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बैंक का अपना गो–ग्रीन शुरुआत

पर्यावरण के संरक्षण की अनिवार्य आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सीएसआर रूपरेखा में ग्रीन शुरुआत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. वर्ष के दौरान, बैंक ने सार्वजनिक पार्क के मासिक अनुरक्षण सहित गतिविधियों जैसे हरियाली के लिए वृक्षारोपण, भूनिर्माण, फव्वारे, ट्रैफिक सर्कल का सौंदर्यीकरण व स्थापना आदि को बढ़ावा दिया है. बैंक ने पार्क के अनुरक्षण के लिए मशीन, बागवानी औजार, ई-रिक्शा, कचड़ा ढोनेवाली ट्राइसाइकिल और अन्य औजार आदि का भी दान किया है.

पुरस्कार व उपलब्धियां – ढेर सा पहचान

विभिन्न शुरुआत की स्वीकरन में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक पुरस्कार व उपलब्धियों के साथ सम्मानित किया गया है, जो निम्न प्रकार है:

संपूर्ण बैंक का निष्पादन

- ✶ वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस द्वारा सुपर अचीवर्स शीर्षक के तहत 'वर्ष का सीईओ'.
- ✶ इंडियन ब्रेवहार्ट्स द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार- 2016.
- ✶ एबीपी न्यूज़ ग्रुप द्वारा बैंकिंग और वित्तीय सेवा एवं उद्योग श्रेणी के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ बैंक – राष्ट्रीय पुरस्कार.
- ✶ एबीपी न्यूज़ द्वारा सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अभिमुखीकरण बैंक – बीएफएसआई में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार.

डिजिटल बैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ

- ✶ भारतीय बैंक संघ द्वारा वर्ष का आईबीए तकनीकी बैंक
- ✶ आईडीआरबीटी, हैदराबाद द्वारा मध्यम आकार के बैंकों के लिए पुरस्कार – इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक
- ✶ स्कॉच इनक्लूज़न अवार्ड 2016 – फीहाईव के लिए ऑर्डर ऑफ़ मेरिट (बैंक का अपना शुल्क भुगतान समाधान)
- ✶ एबीपी न्यूज़ ग्रुप द्वारा बैंकिंग और वित्तीय सेवा एवं उद्योग श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार- सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रदाता
- ✶ एबीपी न्यूज़ ग्रुप द्वारा बैंकिंग और वित्तीय सेवा एवं उद्योग श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार – सर्वश्रेष्ठ तकनीकी अभिमुखीकरण बैंक
- ✶ स्कॉच टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रोथ अवार्ड 2016 – टॉगल नेट बैंकिंग के लिए 'ऑर्डर ऑफ़ मेरिट' (बैंक का अपना ऐप)
- ✶ एबीपी न्यूज़ ग्रुप द्वारा बैंकिंग और वित्तीय सेवा एवं उद्योग श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार- सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पहल
- ✶ सुरक्षा प्रवर्तक – डेल ईएमसी2 द्वारा ट्रांसफॉर्मर पुरस्कार 2016
- ✶ एनपीसीआई द्वारा राष्ट्रीय भुगतान उत्कृष्टता पुरस्कार 2016
- ✶ प्रमुख मैगज़ीन इन्फोसेक्युरिटी द्वारा सीआईएसओ / इंफोसेक लीडर के लिए भारत का सर्वोत्तम अवार्ड सूचना सुरक्षा पुरस्कार ''इन्फोसेक मेस्ट्रो अवार्ड 2017''

जोखिम/आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

- ✶ बैंकिंग उद्योग में सर्वोत्तम आईएसएमएस प्रथाओं के लिए प्रतिष्ठित आईएसओ 27001: 2013 से सम्मानित किया गया है.
- ✶ इंस्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड

मानव संसाधन प्रबंधन

- ✶ बैंकिंग फ्रंटियर्स द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 'सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन प्रथा पुरस्कार'
- ✶ सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी संबंध प्रथाओं का संगठन के लिए ग्लोबल एचआर एक्सीलेंस अवार्ड
- ✶ एबीपी न्यूज़ द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा प्रबंधन के लिए मानव संसाधन और नेतृत्व पुरस्कार
- ✶ एम्प्लायर ब्रांडिंग पुरस्कार – सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2016-17 के लिए 'बिजनेस के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ एचआर रणनीति'
- ✶ विश्व एचआरडी कांग्रेस द्वारा पीएसबी श्रेणी के लिए 'ड्रीम कंपनीज टु वर्क फार' के लिए पुरस्कार

प्राथमिकता बैंकिंग

- ✶ 'कृषि बैंकिंग' के लिए एसोचैम सोशल बैंकिंग – एक्सीलेंस अवार्ड 2016
- ✶ 'सरकारी योजनाओं में सहभागिता' श्रेणी के अंतर्गत एसोचैम सोशल बैंकिंग – एक्सीलेंस अवार्ड, 2016

वित्तीय समावेशन

अग्रणी वित्तीय समावेश पहल बैंक – बीएफएसआई में उत्कृष्टता के लिए एबीपी न्यूज़ द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार

शिक्षा / आवास /एमएसएमई /अन्य ऋण संविभाग

- ✶ भारत सरकार द्वारा एमएसई क्षेत्र में उत्कृष्टता अवार्ड
- ✶ एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'एमएसई को ऋण में उत्कृष्टता' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार.
- ✶ 'आउटलुक मनी' द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा ऋण प्रदाता पुरस्कार
- ✶ 'आउटलुक मनी' द्वारा सर्वश्रेष्ठ आवास ऋण प्रदाता (द्वितीय पुरस्कार)
- ✶ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन पुरस्कार .
- ✶ चैंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई (सीआईएमएसएमई) द्वारा एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2016–17 में सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक अवॉर्ड– विजेता (उभरती श्रेणी)
- ✶ एएसएसओसीएचएएम द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ एसएमई उधार'
- ✶ भारतीय एमएसएमई चैंबर (सीआईएमएसएमई) द्वारा वित्तीय रूप से समावेशी बैंक – 2016–17 द्वितीय पुरस्कार
- ✶ जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा रत्न एवं ज्वेलरी पुरस्कार

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहल

- ✶ विश्व सीएसआर द्वारा सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रथाएं– के लिए ग्लोबल सीएसआर एक्सलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड
- ✶ आरोग्य वर्ल्ड इंडिया ट्रस्ट द्वारा आरोग्य विश्व स्वास्थ्य कार्यस्थल अवॉर्ड 2016 (गोल्ड लेवल)

राजभाषा

- ✶ 'ग' क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ निष्पायदन हेतु गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में द्वितीय पुरस्कार

मंडल की बैठकें व मंडल की अन्य उप–समितियों की बैठकें

वर्ष 2016–17 के दौरान, निदेशक मंडल की 13 बैठकें हुईं. समिति की बैठकों के विवरण निम्नानुसार है :

मंडल की समिति का नाम	बैठकों की सं.
प्रबंध समिति	11
लेखापरीक्षा समिति	06
अनुशासनिक मामलों एवं विश्वसनीयता पर समीक्षा समिति	04
निदेशकों की पदोन्नति समिति	01
जोखिम प्रबंधन समिति	04
अधिक मूल्य की धोखाधडियों की समीक्षा समिति	01
नामांकन समिति	01
ग्राहक सेवा समिति	04
हितधारक संबंध समिति	04
शेयर अंतरण समिति	04
प्रधान कार्यालय स्तर की ऋण अनुमोदन समिति	19
सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति	04
वसूली की निगरानी हेतु समिति	06
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति	04
इरादतन चूककर्ताओं के रूप में पहचानित उधारकर्ताओं के संबंध में समीक्षा समिति	05
मानव संसाधन समिति	02

निदेशक मंडल में परिवर्तन

वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नांकित नए निदेशक मंडल में कार्यग्रहण किए हैं :

1. श्री एस रघुनाथ, गैर–अधिकारी निदेशक ने दिनांक 25.04.2016 को बैंक के मंडल में कार्यग्रहण किया.
2. श्री जी.पी. बोरा, भा.रि.बैं. नामिती निदेशक ने दिनांक 13.01.2017 को बैंक के मंडल में कार्यग्रहण किया.

वर्ष 2016–17 के दौरान, निम्नांकित निदेशक , बैंक के मंडल में निदेशक नहीं रहे :

1. श्री मुरली कृष्ण वाई, कामगार निदेशक ने अपने कार्यकाल समाप्त होने पर दिनांक 01.11.2016 को कार्यालय छोड़ा.
2. श्रीमती सुमा वर्मा, भा.रि.बैं. नामिती निदेशक ने दिनांक 12.01.2017 को कार्यालय छोड़ा.

यथा दिनांक को बैंक के निदेशक मंडल में निम्नांकित निदेशक हैं –

1. श्री जी नारायणन, गैर–अधिकारी निदेशक एवं गैर कार्यकारी अध्यक्ष
2. डॉ. किशोर सांसी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
3. श्री बी. एस. रामा राव, कार्यकारी निदेशक
4. श्री नागेश्वर राव वाई, कार्यकारी निदेशक
5. श्री संजय कुमार, सरकारी नामिती निदेशक
6. श्री जी पी बोरा, भा.रि.बैं. नामिती निदेशक
7. श्री पी. वैद्यनाथन, शेयरधारक निदेशक
8. श्रीमती भारती राव, शेयरधारक निदेशक
9. श्री एम. भगवंत राव, गैर–अधिकारी निदेशक
10. श्री वी वी आर शास्त्री, गैर–अधिकारी निदेशक
11. श्री एस रघुनाथ, गैर–अधिकारी निदेशक

आभार

निदेशक मंडल संगठनात्मक विकास और उत्कृष्टता के प्रति ग्राहकों से प्राप्त संरक्षण, शेयरधारकों का सहयोग, सरकारी प्राधिकारियों और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग, समीक्षा वर्ष के दौरान अपने कार्यकाल को समाप्त किए निदेशकों को और सभी स्टाफ सदस्यों को अपने पूरे सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,

प्रधान कार्यालय, बेंगलूर
दिनांक :09.05.2017

डॉ. किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट

खंड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1	कंपनी का कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन) कंपनी की कार्पोरेट पहचान	लागू नहीं
2	कंपनी का नाम	विजया बैंक
3	पंजीकृत पता	41/2, एम.जी. रोड प्रधान कार्यालय बेंगलूरु - 56001
4	वेबसाइट	www.vijayabank.com
5	ई-मेल आईडी	planningdev@vijayabank.co.in
6	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2016-17
7	क्षेत्र जिसमें कंपनी संलग्न है (कूटवार औद्योगिक गतिविधि)	बैंकिंग व वित्त
8	तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं की सूची जो कंपनी तैयार करती है/उपलब्ध कराती है. (तुलन पत्र के अनुसार)	1. जमाराशि उत्पाद 2. ऋण उत्पाद 3. विप्रेषण
9	स्थान की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापार गतिविधियाँ की जाती है (क) अंतर्राष्ट्रीय स्थान की संख्या (मुख्य 5 के विवरण उपलब्ध कराएं)	शून्य
	(ख) राष्ट्रीय स्थान की संख्या	2031
10	कंपनी द्वारा सेवा प्राप्त बाजार - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय

खंड ख : कंपनी का वित्तीय विवरण

1	प्रदत्त पूंजी (₹)	₹ 998.85 करोड़
2	कुल कारोबार (₹)	₹ 2,29,833 करोड़ (कुल कारोबार)
3	कर के बाद कुल लाभ (₹)	₹ 750.48 करोड़
4	कर के बाद लाभ का प्रतिशत के रूप में कंपनी सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च	₹ 496.64 लाख 0.66%
5	गतिविधियों की सूची जो उपरोक्त 4 में खर्च किया गया है :-	
	क) बालिका को गोद लेना - अजा/अजजा/अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को उनके स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन तक की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है.	
	ख) ग्रामीण गरीबों को मुफ्त में प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता/ दवा की आपूर्ति करने के लिए पूरे भारत में पिछड़े/ ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है.	
	ग) शौचालय का निर्माण: बैंक ने सरकारी स्कूलों में शौचालय सुविधा प्रदान की है. बैंक उसका मासिक अनुरक्षण खर्च का भी भुगतान करता है.	
	घ) मिड डे मील स्कूल भोजन कार्यक्रम के लिए रोटी बनाने की मशीन का दान, धर्मार्थ अस्पताल में बच्चों के वार्ड का निर्माण, बुढ़ापे में मनोभ्रंश प्रभावित वृद्ध लोगों की देखभाल के लिए वृद्धाश्रम में स्नानघर का निर्माण, नेत्र चिकित्सा के लिए माइक्रोस्कोप का दान, कैंसर अस्पतालों में अधिक मूल्य के चिकित्सा उपकरणों, किड्नी अस्पताल, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कंबल इत्यादि दान के लिए करने के लिए पूंजी आस्तियों का सृजन.	

	ङ)	स्कूलों, दिव्यांगो के लिए विशेष स्कूलों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अंधों के लिए विद्यालयों, धर्मार्थ ट्रस्ट, अस्पतालों तथा वृद्ध, अनाथ, बीमार, बेसहारा, असहाय आदि की सेवा में लगे हुए गैर लाभ संगठनों के लिए वाहनों का दान तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना तथा उनके कल्याण के लिए बुनियादी आवश्यक वस्तुएं, फर्नीचर, कंप्यूटर, चिकित्सा उपकरण, जल शुद्धिकरण यंत्र, वर्दी आदि का दान.
	च)	बोर वेल ख,ोदने, लल शुध्दीकरण यंत्र स्थापित करने, पानी के भंडारण, पानी के शीतल संयंत्रों, फिल्टर आदि के लिए वित्तीय सहायता करते हुए गावों, गंदी बस्तियों, शूलों, सार्वजनिक जगहों आदि में, सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा प्रदान करना.
	छ)	**हरित पहल** – बैंक ने सोलार ट्रैफिक सिग्नल प्रदान किया है, ऊर्जा बचाने के लिए डिजिटल गांवों में एलईडी बल्ब वितरित किए हैं, सार्वजनिक पार्कों के रख–रखाव, वृक्षारोपण किया है, बागवानी उपकरण कचरा रिक्शा आदि दान किया है.

खंड ग : अन्य विवरण

1	क्या कंपनी का कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ है?	नहीं
2	क्या मूल कंपनी के व्यापार जिम्मेदारी पहल में सहायक कंपनी/ कंपनियाँ शामिल होती हैं ? यदि हां तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या सूचित करें.	लागू नहीं
3	क्या कोई अन्य कंपनी/कंपनियां (उदाहरण आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कंपनी के व्यापार जिम्मेदारी पहल में कंपनी सहयोग के साथ सहभागिता करती है? यदि हां तो ऐसी कंपनी/कंपनियों का प्रतिशत सूचित करें. [30% से कम, 30–60%, 60% से ज्यादा]	नहीं

खंड घ : व्यापार जिम्मेदारी सूचना

1. व्यापार जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के विवरण

(क) व्यापार जिम्मेदार नीति/नितियों के कार्यावयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के विवरण

1.	डीआईएन संख्या	
2.	नाम	श्री नागेश्वर राव वाई.
3.	पदनाम	कार्यकारी निदेशक

(ख) व्यापार जिम्मेदार प्रमुख के विवरण

सं.	**विवरण**	**ब्यौरे**
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो तो)	लागू नहीं
2	नाम	श्री ए. सी. स्वाईं
3	पदनाम	महा प्रबंधक
4	दूरभाष सं.	080–25584655
5	ई–मेल आईडी	acswain@vijayabank.co.in

2. सिद्धांतवार व्यापार जिम्मेदार नीति/नीतियाँ (एनवीजी के अनुसार)

(क) अनुपालन के ब्यौरे (हां/नहीं में जबाव दें)

सं.	**प्रश्न**	**पी 1**	**पी 2**	**पी 3**	**पी 4**	**पी 5**	**पी 6**	**पी 7**	**पी 8**	**पी 9**
1	.... के लिए कोई नीति/नीतियां है	हां*	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबद्ध हितधारकों के परामर्श से नीतियाँ तैयार की गई है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है ? यदि हां तो उल्लेख करें (50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
4	क्या नीति को मंडल द्वारा अनुमोदन प्राप्त है ? यदि हां तो प्रनि/मालिक/सीईओ/उचित निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कंपनी के पास मंडल/निदेशक/अधिकारी की विशिष्ट समिति है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	क्या नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बनाएं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7	क्या नीति संबंधी सूचना सभी संबद्ध आंतरिक और बाह्य हितधारकों को सूचित किया गया है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक संरचना है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों के शिकायतों को सुनने के लिए नीति/ नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10	क्या कंपनी ने इस नीति के कार्य की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन आंतरिक या बाह्य एजेंसी के द्वारा करवाई है ?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

बैंक की निगमित प्रशासन नीति, अनुपालन नीति, सतर्कता विभाग बैंक के व्यापार नीति के अच्छे आचरण को सुनिश्चित करती है. इसके अतिरिक्त, बीसीएसबीआई के 'ग्राहकों को बैंक की प्रतिबद्धता का कूट–2014(ii) 2015' (कूट), 'सूक्ष्म और लघु ईकाइयों को प्रतिबद्धता का कूट–अगस्त 2015' द्वारा घोषित मानक कूट के अनुसार बैंक अपने उत्पादों तथा सेवाओं का प्रस्ताव करता है.

(ख) यदि किसी भी सिद्धांत के प्रति क्रमांक संख्या 1 के प्रश्न का उत्तर नहीं हो तो कृपया क्यों का जवाब दें : (विकल्प 2 तक चिन्हित करें)

सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है	लागू नहीं								
2	कंपनी एक स्तर पर नहीं है जहां निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीति को तैयार और कार्यान्वयन करने की स्थिति में खुद को पाते हैं.									
3	कंपनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं है.									
4	अगले 6 महीने के अंदर इसे करने की योजना है									
5	अगले 1 वर्ष के अंदर इसे करने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें)									

1. व्यापार जिम्मेदारी से संबंधित अभिशासन

(क)	बारंबारता सूचित करें जिससे निदेशक मंडल, मंडल समिति या सीईओ कंपनी के व्यापार जिम्मेदारी निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं. 3 महीने के अंदर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक	जैसा कि व्यापार जिम्मेदारी प्रत्येक संबद्ध विभाग के बैंकिंग के समग्र विस्तार को समेटना होता है. नीतियाँ अलग अलग तैयार / नवीकृत की जाती है और मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है. इसके अतिरिक्त, मंडल बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करता है और मंडल की बैठक की दौरान जो प्रत्येक माह में आयोजित की जाती है, बैंक नीतियों के अनुपालन में, भारिबैंक/वित्त मंत्रालय/भाबैंसं से प्राप्त निदेशों के अनुपालन में बैंक का कारोबार करने के विविध पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं.
(ख)	क्या कंपनी व्यापार जिम्मेदारी या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट को देखने के लिए क्या लिंक है? इसके प्रकाशित होने की बारंबारता क्या है?	हां, व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट vijayabank.com पर देखा जा सकता है. यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है और यह बैंक के वार्षिक रिपोर्ट का भाग है.

खंड ङ : सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1

व्यापार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाता है .

1. क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को रक्षित है ? हां/ नहीं. क्या यह समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/अन्य के लिए भी यह लागू है?

   बैंक के पास निगमित प्रशासन और अनुपालन पर बेहतर नीति है. बैंक का सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग के सख्त दिशा-निर्देशों के अधीन कार्य करता है.

2. गत वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत तक संतोषजनक रूप से निपटाया गया ? यदि ऐसा है तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में प्रस्तुत करें.

   बैंक के पास ग्राहकों सहित हितधारकों से शिकायतों को निपटाने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध है. बैंक के पास मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) के जरिए शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है. ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करते हुए शाखा स्तर पर शिकायतों को कम करने के लिए बैंक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है और शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए अलग से कक्ष बनाया गया है. यह शिकायतों की संख्या कम करने और शिकायत को निपटाने में बैंक की मदद करता है.

   वर्ष के शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या : 37

   वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या : 5850

   वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या : 5848

   निपटाए गए शिकायतों का प्रतिशत : 99.34%

सिद्धांत 2

व्यापार वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराता है जो सुरक्षित है और उनके जीवन चक्र में स्थिरता के लिए योगदान करते हैं.

1. **अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिसकी रूपरेखा में सामाजिक या पर्यावरण संस्था, जोखिम और/या अवसरों को शामिल किया है.**

   क) **ऋण स्वैप योजना :** दोनों किसानों तथा माइक्रो उद्यमियों को कवर करते हुए उन्हें साहूकारों के पकड से बाहर लाने के लिए ₹ 1 लाख तक वृद्धि करते हुए योजना में संशोधन किया गया है. योजना के अंतर्गत बैंक साहूकारों से ऋण लिए किसानों तथा माइक्रो उद्यमियों को सक्रिय रूप से पहचानित कर रहा है तथा उनके अधिक लागत की उधारों की चुकौती के लिए उन्हें निम्नतम ब्याज दर में वित्त प्रदान करता है. पात्र उधारकर्ताओं को पहचानने के लिए, बैंक एसएचजी, गॉव के बुजुर्गों तथा पंचातय की सहायता लेता है. बैंक ने योजना के अंतर्गत 627 लाभांवितों को ₹ 4 करोड़ ऋण दिया है.

ख) **सोलार वाटर पंप योजना:** सोलार फोटो वोल्टानिक (एसपीवी) वाट पंपिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने नाबार्ड द्वारा अंतिम भाग में देय सहायिकी प्रदान कर रही है. 2016-17 के दौरान, बैंक ने 155 सोलार पंपसेट के लिए ₹ 5.58 करोड मूल्य का वित्त प्रदान किया है.

(ग) **हरित बैंकिंग –** बैंक ने कई पर्यावरण अनुकूल उपायों की शुरुआत की है जैसे कोर बैंकिंग समाधान, इंटरनेट बैंकिंग, टेली-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और कतिपय बैक ऑफिस परिचालन. इसके अतिरिक्त, बैंक ने उच्च तकनीकी बैंकिंग सुविधा सहित ई-लॉबी की स्थापना की है जैसे एटीएम, नकद जमा कियोस्क, पास बुक मुद्रण कियोस्क, इंटरनेट बैंकिंग आदि. बैंक सौर ऊर्जा व पवन चक्की परियोजनाओं को वित्त पोषित करते हुए हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है.

2. **प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक) संसाधन के प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराता है :**

(क) सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान कटौती की गई चूंकि गत वर्ष पूरे वर्ष की गई थी ?

लागू नहीं

(ख) ग्राहक (ऊर्जा, जल) के उपयोग द्वारा कटौती चूंकि गत वर्ष लक्ष्य हासिल किया गया था ?

लागू नहीं.

3. **क्या कंपनी के पास स्थाई सोर्सिंग (परिवहन सहित) के स्थान में अन्य प्रक्रिया अपनाई है ?**

लागू नहीं, बैंक वित्तीय सेवाओं और उत्पादों से मुख्य रूप से संबंधित है.

(क) यदि हां, आपके निविष्टियों का कितना प्रतिशत तक स्रोत बनाए रखा है ? लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण प्रस्तुत करें.

लागू नहीं.

4. **क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के चारों ओर के समुदायों सहित स्थानीय व छोटे उत्पादकों से वस्तुओं व सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है ?**

(क) यदि हां तो स्थानीय व छोटे व्यापारियों के क्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाया है ?

वस्तुओं की खरीद जो शाखाओं की स्थापना और शाखाओं के संचालन आदि के लिए आवश्यक है, नीलामी प्रक्रिया के जरिए नजदीक के व्यापारियों के जरिए कराई जाती है.

5. **क्या कंपनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट की पुनरावृत्ति के लिए कोई तंत्र है ? यदि हां तो उत्पादों और अपशिष्ट (अलग से ₹5%, 5-10%, 10%) के पुनरावृत्ति का क्या प्रतिशत है, लगभग 50 शब्दों में विवरण दें.**

लागू नहीं

सिद्धांत 3

व्यापार सभी कर्मचारियों की भलाई के लिए बढ़ावा देने हेतु

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या सूचित करें.**

कर्मचारियों की कुल संख्या 15679 है.

2. **कृपया अस्थायी/संविदागत/आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या सूचित करें.**

अस्थायी/संविदागत/आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या 1397 है.

3. **कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या सूचित करें.**

स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या 4234 है.

4. **कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या सूचित करें.**

दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या 331 है.

5. **क्या आपके पास कोई कर्मचारी संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?**

हां,

6. **इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी की कुल संख्या आपके स्थाई कर्मचारी की संख्या का कितना प्रतिशत है ?**

अधिकारी संघ	अभाविबैंअसं - 41.45%
कामगार संघ	1. विबैंकासं - 28.44 %
	2. विबैंकसं - 17.90 %

7. **कृपया गत वर्ष के बाल मजदूरी, बेगारी, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या और वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उसकी लंबित स्थिति सूचित करें.**

सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूरी/बेगारी/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन शोषण	2	0
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	लागू नहीं

8. **नीचे उल्लिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत को गत वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयणीकरण प्रशिक्षण दिया गया था ?**

(क)	स्थाई कर्मचारी	80 %
(ख)	स्थाई महिला कर्मचारी	68.99 %
(ग)	आकस्मिक/अस्थाई/संविदागत कर्मचारी	शून्य
(घ)	दिव्यांग कर्मचारी	75 %

सिद्धांत 4

सभी हितधारकों के संबंध में विशेषकर जिन्हें नुकसान हो रहा है को हित और हित के उत्तरदायी व्यापार

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों का खाका बनाया है? हां/नहीं**

हां, बैंक के हितधारक में सरकार, निवेशक, कर्मचारी और बैंक के ग्राहक शामिल हैं.

2. **उपरोक्त के अतिरिक्त, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों की पहचान की है ?**

हां

3. **क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों को शामिल करने के लिए की विशेष कदम उठाया है, यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रस्तुत करें.**

कर्मचारी : बैंक जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर किसी भेदभाव और पूर्वग्राह के बिना सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यावहार की नीति अपनाती है. बैंक सरकारी दिशा-निर्देश के अनुसार अजा/अजजा श्रेणी से संबंधित कर्मचारियों को समान लाभ/सुविधा/सहायता प्रदान करती है.

बैंकिंग उद्योग में पहली बार दिव्यांक कर्मचारियों के कल्याणार्थ दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अधिकारी और लिपिक में पदोन्नति हेतु अलग से पदोन्नति चैनल बनाया गया है. 25 नेत्रहीन और 25 शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों को वाहन सुविधा (लाना और पहुंचाना) प्रदान की गई है. उच्च शिक्षा (10वीं से स्नातकोत्तर) प्राप्त करने के लिए दिव्यांग कर्मचारियों के बच्चे हेतु ₹ 2000 प्र. व. से ₹ 5000 प्र. व. तक की छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना की शुरुआत की गई है. दिव्यांग कर्मचारियों के स्कूल नहीं जाने वाले अक्षम बच्चे को ₹ 5000/- तक की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है. दिव्यांग श्रेणी से संबंधित कर्मचारियों को विवाह के समय ₹ 10,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है. नेत्रहीन कर्मचारियों को पकड़ कर चलने वाली छड़ी, बातचीत करने वाला सॉफ्टवेयर, ब्रेल संलग्नक आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है. कार्यस्थल पर दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, बैंक पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को 'सक्षम भारत' के माध्यम से विकलांगता विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है.

ग्राहक : समाज में हाशिए पर रहने वाले श्रेणी की आवश्यकता को पूरा करने के अनुक्रम में, बैंक ने अन्य के साथ मूल बचत बैंक खाता योजना, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, स्व-सहाय दलों को ऋण, मनरेगा वेतन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण, विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन ऋण, महिला उद्यमियों को ऋण और सूक्ष्म व लघु ईकाइयों को समर्थन की शुरूआत की है.

सिद्धांत 5

पर्यावरण के सम्मान, सुरक्षा और बचाने के उपाय के लिए व्यापार

1. **क्या मानवाधिकार पर कंपनी की नीति केवल कंपनी की रक्षा करती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/एनजीओ/अन्य को बर्धित है ?**

   हां, बैंक को भारत के संविधान में निहित मानवाधिकार और संघ की स्वतंत्रता के संबध में जानकारी है. मानव संसाधन नीति केवल बैंकिंग परिचालन से रक्षित है. बैंक की मानव संसाधन नीति सभी कर्मचारियों के समान और स्वस्थ व्यवहार करता है और राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, उम्र, दिव्यांगता, कर्मचारी की समाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है. अपने परिसर के सिविल निर्माण/विद्युतीय/ अनुरक्षण कार्य के लिए ठेकेदारों की सेवाएं लेते समय श्रम कानून और मानवाधिकार से संबंधित अन्य नियमों का अनुपालन बैंक करता है.

2. **गत वित्तीय वर्ष में हितधारकों के कितने शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से सुलझाए गए शिकायतों का क्या प्रतिशत है ?**

   वर्ष के दौरान बैंक ने बैंक के विविध हितधारकों से 2183 शिकायत प्राप्त किए हैं और निपटाए गए शिकायतों की संख्या 100% हैं.

सिद्धांत 6

पर्यावरण के सम्मान, सुरक्षा और बचाने के उपाय के लिए व्यापार

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी की रक्षा करती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/एनजीओ/अन्य को वर्धित है ?**

   हां, यह नीति केवल बैंक को रक्षित है.

2. **क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्णता आदि के समाधान के लिए कोई रणनीति/पहल है? हां/नहीं. यदि हां तो कृपया वेबपेज आदि का लिंक प्रदान करें.**

   हां,

   बैंक की ऋण नीति निर्देशन के संदर्भ में, ओजोन क्षयकारी पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लूरोकार्बन - 11 (सीएफसी-11), सीएफसी-12, सीएफसी-11 और सीएफसी-12 का मिश्रण, सीएफसी-13, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफार्म, हालोन्स - 1211, 1301, 2402 का खपत/उत्पादन करने वाली नई कंपनियों के गठन के लिए बैंक कोई वित्त उपलब्ध नहीं कराता है.

3. **क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरण जोखिम की पहचान और आकलन करता है ? हां/नहीं**

   व्यापार की प्रकृति को देखते हुए बैंक एक महत्वपूर्ण स्तर पर पर्यावरण जोखिम के लिए भेद्य नहीं है .

   हां

4. **क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित किसी प्रकार की परियोजना है ? यदि ऐसा है तो, लगभग 50 शब्दों में विवरण उपलब्ध कराएं, यदि हां तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की जाती है ?**

   हां, बिना पेपर के बैंकिंग के प्रवर्तन के लिए कोर बैंकिंग समाधान, इंटरनेट बैंकिंग, टेली-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ई-लॉबी सहित बैंक द्वारा विविध हरित पहल की जाती है.

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल किया है, यदि हां तो कृपया वेबपेज के लिए लिंक प्रदान करें.**

   बैंक ने स्वच्छ तकनीकी और ऊर्जा दक्षता के प्रवर्तन के लिए कई कदम उठाया है. बैंक पर्यावरण अनुकूल हरित उत्पादों को महत्व व वरीयता देता है जो कार्बन क्रेडिट, पवन चक्की/सौर ऊर्जा परियोजनाओं का अर्जन करता है.

6. **क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दिए गए अनुमत सीमाओं के अधीन कंपनी द्वारा उत्पन्न किए गए उत्सर्जन/अपशिष्ट का रिपोर्ट किया जाता है ?**

   बैंक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है और इसलिए यह लागू नहीं है.

7. **सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओं/कानूनी नोटिस की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित है (अर्थात् संतोषजनक रूप से नहीं निपटाया गया).**

   - शून्य -

सिद्धांत 7

व्यापार जो सार्वजनिक नीति और विनियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल हो,

जिम्मेदार तरीके से ऐसा करते हों

1. **क्या कंपनी किसी भी व्यापार और मंडल या संघ के सदस्य है ? यदि हां तो प्रमुखता से नाम जिसके साथ कारोबार करते हैं :**

   (क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)

   (ख) एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)

   (ग) भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्था (आईआईबीएफ)

   (घ) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था (आईबीपीएस)

   (ङ) बैंकिंग कोड और भारतीय मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

2. **क्या आपने जनता की भलाई के लिए उन्नति या सुधार के लिए उपरोक्त संस्थाओं के साथ वकालत/पैरवी की है ? हां/नहीं; यदि हां तो व्यापक क्षेत्र का विवरण दें (ड्रॉप बॉक्स : शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत् व्यापार सिद्धांत, अन्य)**

   बैंक भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो देश के सभी क्षेत्रों और सभी श्रेणी की जनता को बैंकिंग सेवाओं का लाभ दिलाने के लक्ष्य से कार्य करता है. इसके अतिरिक्त, देश के सतत् विकास के लिए सहयोग करते हुए आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, समावेशी विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के क्षेत्र में समय समय पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी नीति निदेशों/नियामक दिशा-निर्देशों का अनुपालन बैंक करता है.

सिद्धांत 8

बैंकों को व्यापार समावेशी और समतुल्य विकास का समर्थन करता है

1. **क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुशीलन में निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजना है ? यदि हां तो उसका विवरण दें.**

   स्वयं सहायता समूह तथा संयुक्त देयता समूह को ऋण :

   ग्रामीण एवं शहरी गरीबों का ऋण आवश्यकताओं को पूरी करने में, एक सफल ऋण वितरण प्रणाली होने के नाते, बैंक एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में एसएचजी/जेएलजी को ऋण प्रदान कर रहा है. अब तक बैंक के पास ₹ 740 करोड़ के ऋण संबद्ध 30859 समूह हैं.

   ऋण संबद्ध एसएचजी/जेएलजी के लिए बडे पैमाने पर सीधे तथा कारोबार संपर्कदाता मॉडल के जरिए विशेष अभियानों का आयोजन किया गया. भारत सरकार के एनआरएलएम के तहत पात्र समूहों को ब्याज सहायता वितरित की गई.

   बैंक ने माइक्रो वित्तीय संस्थाओं (एमएफआई) को भी ₹ 575 करोड़ का ऋण प्रदान किया है, जो एसएचजी/जेएलजी तथा अन्य निम्न आय समूह के लिए है.

   अल्पसंख्यक के लिए दिए गए ऋण यथा मार्च 2017 को ₹ 5574 करोड़ है, जो सरकार के मानदंड के 15% के प्रति कुल प्राथमिकता क्षेत्र के 15.12% है.

2. **क्या आंतरिक टीम/स्व संस्था/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचना/अन्य किसी संगठन द्वारा कार्यक्रम/परियोजना आयोजित की गई?**

   नीचे कुछ अन्य पहल दी गई हैं, जिनमें लोगों और समाज की सेवा करने पर प्रभाव डालनेवाली परियोजनाएं शुरू करने के लिए बैंक शामिल है.

   I. **वीआईबीएसईटीआई (विजया बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्था) :** बैंक ने कर्नाटक के मंड्या और हावेरी तथा मध्य प्रदेश के इंदौर में विजया बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्था (वीआईबीएसईटीआई) की स्थापना की है. संस्था ने विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल उन्नयणीकरण/जागरुकता कार्यक्रम/उद्यमी विकास कार्यक्रम आदि का आयोजन किया है. सभी तीनों वीआईबीएसईटीआई को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए उच्चतम श्रेणीकरण श्रेणी 'एए' से पुरस्कृत किया गया है. वर्तमान वर्ष 2016-17 के दौरान 98 कार्यक्रम आयोजित किए गर हैं और 2734 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है. प्रारंभ से कुल 1548 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 52461 हिताधिकारियों को लाभ हुआ है. यथा दिनांक 31.03.2017 को लाभकारी स्व-रोजगार उद्यम के साथ प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का कुल प्रतिशत 69.41 % है.

II. **विजया ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीएफ)**

विकास कार्यक्रमों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए तथा कृषि, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, सेवाएं आदि तथा अन्य ग्रामीण विकास क्षेत्रों जैसे साक्षरता, स्व-रोजगार, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र में वैज्ञानिक, शैक्षिक और विकासात्मक गतिविधियों के लिए बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार गतिविधियों का संचालन करने के लिए वर्ष 1990 में बैंक द्वारा मंगलूर में विजया ग्रामीण विकास फाउंडेशन (वीआरडीएफ) स्थापित किया गया. वीआरडीएफ, विभिन्न विषयों को कवर करते हुए उत्तर कन्नड, निकटवर्ती ग्राम विकास परिषद (वीडीसी) के माध्यम से विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है. वर्तमान में वीआरडी के अंतर्गत ऐसे 44 वीडीसी कार्य कर रहे हैं. फाउंडेशन ने 10 वीडीसी स्थापित किया है. फाउंडेशन की गतिविधियां दक्षिण कन्नड़, उडुपी, कासरगोड और उत्तरा कन्नड़ जिले के निकटवर्ती भागों में और हावेरी, धारवाड़ और मंड्या जैसे अन्य जिलों में फैले हैं, जहां बैंक की अग्रणी बैंक ज़िम्मेदार है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, वीआरडीएफ 266 कार्यक्रमों का आयोजन किया तथा 13371 व्यक्ति लाभान्वित हुए. मुक्त स्वास्थ्य कैम्प, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, विभिन्न फसल की खेती पहलुओं एवं पशुपालन गतिविधियों पर प्रशिक्षण आदि के अलावा, 2016-17 के दौरान निम्न प्रकार के नए कार्यक्रम आयोजित किए गए.

- सुपारी के पत्तों से प्लेट्स की तैयारी, जिसके लिए किसानों और वीडीसी सदस्यों से बहुत प्रशंसा मिली.
- प्रधान मंत्री मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना के साथ साथ विशेष मिट्टी/फसल के लिए पोषक तत्व को सिफारिश तथा मिट्टी परीक्षण पर कार्यक्रम
- आकाशवाणी, मंगलूर के माध्यम से 10वीं कक्षा के ग्रामीण स्कूल विद्यार्थियों के लिए गणित व अंग्रेजी में रेडियो सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उस क्षेत्र में विशेषज्ञ अध्यापकों ने सत्र लिया, जिसका ग्रामीण स्कूलों के छात्रों द्वारा सदुपयोग किया गया. वीआरडीएफ ने ग्रामीण सरकारी स्कूलों के लिए 100 रेडियो प्रदान किया.
- कृषि व संबद्ध गतिविधियों में रुचि पाने हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए 25 'भविष्य किसान क्लब' गठित किया गया. इसके साथ कुल 50 'भविष्य किसान क्लब' हैं. इन विद्यार्थियों के डेरी व्यवसाय, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेतीबाड़ी, कृषि मशीनीकरण आदि पर प्रशिक्षण दिया गया.
- विद्यार्थियों और वीडीसी सदस्यों को सब्जी के बीज का वितरण किया गया.

3. **क्या आपने अपनी पहल के किसी प्रभावी आकलन किया है ?**

बैंक ने प्रमंजधयो के अधीन 15.45 लाख मूल बचत बैंक जमाराशि खाते खोले हैं जिसमें कुल बचत ₹ 158.35 करोड़ हैं और सभी खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं. 8.42 लाख खातों में आधार संख्या जोड़े गए हैं. बैंक ने 37304 प्रमंजधयो के खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा मंजूर की है और जिसकी कुल राशि ₹ 101.35 लाख है.

4. **सामुदायिक विकास परियोजना को आपकी कंपनी का सीधा अंशदान क्या है – राशि रुपए में और किये गए परियोजना का विवरण दें.**

वर्ष 2016-17 के दौरान, समाज के विभिन्न जैसे कि सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और भौगोलिक दृष्टि से दूर रहनेवाले वर्गों, के लिए बनाए रखने योग्य विकास हेतु योगदान देने के उद्देश्य से बैंक ने कई कार्य किया है. हमारा फोकस बालिका शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ, सुरक्षित पीने का पानी, सफाई, ग्रामीण विद्यालयों को मूलभूत सुविधा, पर्यावरण सुरक्षा, हाशिए पर, उपेक्षित, परित्यक्त, जरूरतमंद लोगों को संसाधन उपलब्ध कराने एवं पूरे देश के सभी भागों में फैली अपनी शाखाओं के द्वारा विशेष रूप से आवश्यकता प्राप्त व्यक्तियों को नकद और वस्तुओं के दान प्रदान करने पर है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने विभिन्न सामाजिक उपयुक्त गतिविधियों के लिए अपनी कंपनी सामाजिक दायित्व के अधीन अपनी सीएसआर रूपरेखा निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ₹ 496.64 लाख खर्च किया है.

- **बालिका को गोद लेना –** हमारे बैंक में वर्ष 2011 में शुरू की गई थी, जिसमें वर्ष 2016-17 के दौरान अजा/अजजा/अपिव/आकव के परिवारों से 967 बालिकाओं को गोद लिया गया और अब तक बैंक द्वारा गोद लिए गए बालिकाओं की कुल संख्या 1163 है.
- स्कूलों के लिए शौचालय व्यवस्था बैंक ने 60 विद्यालयों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय का निर्माण करवाया है जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है और जिसके लिए मासिक अनुरक्षण खर्च बैंक द्वारा वहन किया जाता है.

- **ग्रामीण स्वास्थ केंद्र:** बैंक ने योग्य चिकित्सकों को नियुक्त करते हुए 45 ग्रामीण स्वास्थ केंद्रों की स्थापना की है जिसमें मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और दवाएं मुफ्त दी जाती हैं.
- **दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बस/वाहन :** बैंक ने दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए धर्मार्थ अस्पताल, विशेष स्कूलों, अनाथालयों को बस और वैन का दान किया है.
- **ग्रामीण स्कूलों के लिए मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर :** बैंक ने सरकारी स्कूलों को शैक्षिक अपेक्षाएं/आवश्यकताओं का दान किया है, जैसेकि कंप्यूटर, जेनरेटर, स्कूल फर्नीचर, वर्दी, आदि, क्योंकि वहां के बच्चे समाज के सुविधा वंचित वर्ग के हैं.
- **रणनीतिक भागेदारी के रूप में मिड डे मील स्कूल भोजन कार्यक्रम** के लिए एक घंटे में 20000 रोटी बनाने की मशीन का दान.
- **चिकित्सा मूलभूत सुविधा में पूंजी आस्ति का सृजन :** बच्चों के वार्ड का निर्माण, मनोभ्रंश प्रभावित वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्नानघर का निर्माण, कैंसर अस्पताल के लिए अधिक मूल्य के चिकित्सा उपकरण, डायलिसिस मशीन, व्हीलचेयर,स्ट्रेचर, ट्राइसाइकिल, बिस्तर, फ्रिड्ज, आदि , ताकि बीमार, बेसहारा, दिव्यांग, असहाय लोगों, अस्पताल, वृद्धाश्रमों, विशेष स्कूलों, अंधों के लिए स्कूल में रहनेवाले असहात लोगों की सेवा में लगे हुए सरकारी अस्पताल, धर्मार्थ अस्पताल, ट्रस्ट, आदि, में बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान कर सकें.
- ग्रामों, गंदी बस्तियों, सरकारी स्कूलों, धर्मार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक स्थानों आदि में सुरक्षित पीने के पानी की व्यवस्था के लिए बैंक ने जल शुद्धिकारक यंत्र की स्थापना, वाटर प्यूरिफायर, बोरवेल की खुदाई , वाटर फिल्टर, पानी का संग्रहण टैंक आदि के लिए दान किया है.
- **हरित पहल** के अधीन बैंक ने सार्वजनिक पार्क का अनुरक्षण व विकास किया है और ट्रैफिक सर्कल सिग्नल की स्थापना की है, वृक्षारोपण किया है, एलईडी बल्ब वितरित किया है तथा बागवानी औजार आदि प्रदान किया है.
- **इन गतिविधियों के अलावा,** खेल कूद के लिए बढ़ावा देने के लिए तथा पूरे भारत में गरीबों, जरूरतमंद व्यक्तियों तथा समाज के बेसहाय वर्ग के कल्याण के लिए स्कूलों, धर्मार्थ ट्रस्टों तथा गैर लाभ संगठनों में तथा डिजिटल ग्रामों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए दान दिया है.

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि समुदाय विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाता है ? कृपया 50 शब्दों में विवरण दें.**

   हां, बैंक ने इन शुरुआतों को अपनी शाखाओं के जरिए कार्यान्वित किया. जिसके लिए निरंतर अंतःक्षेप चाहिए. निकटतम शाखाओं के माध्यम से धन की निगरानी और अंतिम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है. बैंक ऐसी गतिविधियां भी चलाती हैं जो दान जैसे प्रकृति में होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के सृजन, स्कूलों, वृद्धाश्रमों, अनाथालयों, दिव्यांग / निराश्रित घरों, धर्मार्थ अस्पतालों, आदि के लिए उनकी कठिनाई को कम करने और एक स्थायी आधार पर अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करते हुए उदारतापूर्वक दान किया हैं.

सिद्धांत 9

कारोबार किया जाना है तथा जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य प्रदान करना है

1. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ग्राहकों की शिकायत/उपभोक्ता मामले का कितने प्रतिशत लंबित है.

   वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के पास प्राप्त शिकायतों में से 39 लंबित हैं, अर्थात कुल शिकायतों का केवल 0.67%.

2. क्या कंपनी उत्पाद स्तर पर उत्पाद सूचना करती है जो स्थानीय कानून के अनुसार अनिवार्य है ? हां/नहीं/लागू नहीं /टिप्पणियाँ (अतिरिक्त सूचना)

   बैंक द्वारा प्रस्तावित उत्पाद और सेवाओं के बारे में सूचना पर्चे और विवरणिका के जरिए उपलब्ध कराया जाता है और यह बैंक के वेबसाइट में भी उपलब्ध है.

3. क्या गत पांच वर्षों के दौरान किसी भी हितधारक द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार से संबंधित कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है. यदि हां तो 50 शब्दों में विवरण दें.

   -शून्य-

4. क्या कंपनी द्वारा उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि रुझान के बारे में सर्वेक्षण किया गया है?

   हां, माह के दौरान सभी शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालय में ग्राहक सेवा समिति की बैठक आयोजित की जाती है, ग्राहक सेवा पर प्रतिक्रिया ली जाती है और ग्राहक सेवा में उजागर हुई कमियों को दूर करने के लिए सही समय पर सकारात्मक कार्रवाई की जाती है.

वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी शासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1. बैंक के कंपनी अभिशासन संबंधी सिद्धान्त

बैंक की परिभाषा में कंपनी अभिशासन से तात्पर्य है – मजबूत बुनियादी तत्वों के साथ दीर्घकालिक स्थिरता दर्शाना है. कंपनी अभिशासन का उद्देश्य बैंक के लिए मजबूत बुनियादी तत्वों का सृजन करना है. कंपनी अभिशासन पद्धतियों के बदलते आयामों के साथ बैंक के लिए भविष्य की विस्तृत दूरदृष्टि रखते हुए और अधिक क्रियाशील / गत्यात्मक तथा सशक्त संस्था के रूप में उभरने की आवश्यकता है. कंपनी अभिशासन में अनिवार्यतः कई हितधारकों जिसमें उसके शेयरधारक, प्रबंधन, ग्राहक, आपूर्तिकर्ताओं, वित्तीय संस्थाएं, सरकार तथा समुदाय शामिल हैं, के हित का संतुलन करना शामिल है. जबकि कंपनी अभिशासन कंपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराता है, वह व्यावहारिक रूप से प्रबंधन, कार्य योजना तथा आंतरिक नियंत्रण से निष्पादन मापन तथा कॉर्पोरेट प्रकटीकरण के प्रत्येक पहलू को समाहित करता है. एक अच्छा कंपनी अभिशासन का मूल तत्व बैंक तथा उसके सभी हितधारकों के बीच विश्वसनीय संबंध सुनिश्चित करना है. अतः, उत्तम अभिशासन में अनुपालन से बहुत अधिक शामिल होता है. एक उत्तम कंपनी अभिशासन स्थिरता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा प्रभावशाली संस्कृति तथा परिवेश है जो पूरे संगठन में फैलाता है.

बैंक अपने सभी स्तरों पर निष्पादन सुनिश्चित करते हुए शेयरधारकों के हित की सुरक्षा रखने तथा संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल करते हुए अधिकतम लाभ के साथ उनकी अहमियत बढाने में निरंतर सक्रिय है. बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है बल्कि स्वेच्छा से मजबूत कंपनी अभिशासन पद्धतियों को भी बनाता है तथा उनका अनुपालन करता है. बैंक अपने सभी क्षेत्र के गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु उन्नत स्तर के नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और अनुशासित दृष्टिकोण रखता है. बैंक अपने हितधारकों जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार और खास तौर पर समाज शामिल है, के हित को उत्तम सेवा प्रदान करने में हर संभव प्रयास कर रहा है. बैंक एक सूचीबद्ध इकाई है; यह एक कंपनी नहीं है बल्कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980 के अधीन एक निगमित निकाय है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है. बैंक की कंपनी अभिशासन नीतियां मंडल की जवाबदेही तथा उसके निर्णयों की महत्ता ग्राहकों, निवेशकों, कर्मचारियों तथा विनियामक प्राधिकारियों सहित सभी घटकों के प्रति सुनिश्चित करती है और दर्शाता है कि हमारे आर्थिक गतिविधियों के कारण और अंतिम हिताधिकारी शेयरधारक हैं.

कार्पोरेट कार्यों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा कार्पोरेट प्रशासन में शुरु की गई हरित पहल

कार्पोरेट कार्यों के मंत्रालय ने परिपत्र जारी कर शेयरधारकों को वार्षिक वित्तीय परिणामों की प्रतियां सहित दस्तावेज़/सूचनाएँ आदि भौतिक रूप से भेजने के बदले इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषित करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है. इससे समाज को, कागज की खपत कम किए जाने से लाभ पहुँचेगा और बदले में इससे वृक्षों की रक्षा होगी जिससे निरंतर हरित वातावरण का निर्माण हो सकेगा. इलेक्ट्रानिक माध्यम से दस्तावेज़/सूचनाएँ प्रेषित करने से समय पर सूचना पहुँचाने तथा इनके मार्गस्थ नष्ट होने से बचने को भी सुनिश्चित किया जा सकता है. हमने अपने सभी शेयरधारकों से अनुरोध किया है कि वे अपने ई–मेल पता हमारे पास पंजीकृत करवाएँ ताकि हम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हरित पहल का अनुपालन कर सकें.

2. निदेशक मंडल

अच्छा कार्पोरेट प्रशासन उच्च स्तर पर निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन वर्ग से शुरू होता है जो कि उचित निर्णय लेकर बैंक को उत्कृष्टता के उच्चतम मानक प्राप्त करने हेतु मार्गनिर्देश प्रदान करते हैं. बैंक के निदेशक मंडल और अन्य समितियों का गठन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980; बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 और राष्टीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 एवं इस संबंध में भा.रि.बैं. के निदेश / भारत सरकार के दिशानिर्देश / आईसीएआई लेखांकन मानक के अनुसार किया गया है.

2.1 यथा दिनांक 31.03.2017 को निदेशक मंडल की संरचना

कार्यकारी	3
गैर कार्यकारी	8
कुल	11

निदेशक, बैंक के विकास के लिए, अपने वैविध्य ज्ञान, अनुभव और अपने विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ अपना उत्कृष्ट योगदान देते रहे हैं.

2.2 यथा दिनांक 31.03.2017 को निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक–पद का स्वरूप	पद संभालने की तारीख
1.	श्री जी नारायणन	गैर कार्यपालक अध्यक्ष एवं गैर अधिकारी निदेशक	गैर – कार्यपालक	14.08.2015
2.	डॉ. किशोर सांसी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक	01.01.2015
3.	श्री बी.एस.रामा राव	कार्यकारी निदेशक	कार्यपालक	27.09.2013
4.	श्री नागेश्वर राव वाई	कार्यकारी निदेशक	कार्यपालक	22.01.2016
5.	श्री संजय कुमार	सरकारी नामिती	गैर – कार्यपालक	12.09.2014
6.	श्री जी पी बोरा* 1	भा.रि.बैं. नामिती	गैर – कार्यपालक	13.01.2017
7.	श्रीमती भारती राव	नामिती – शेयरधारक	गैर – कार्यपालक	08.08.2014
8.	श्री पी. वैद्यनाथन	नामिती – शेयरधारक	गैर – कार्यपालक	08.08.2014
9.	श्री एम भगवंत राव	गैर अधिकारी निदेशक	गैर – कार्यपालक	28.01.2016
10.	श्री वी वी आर शास्त्री	गैर अधिकारी निदेशक	गैर – कार्यपालक	28.01.2016
11.	श्री एस रघुनाथ* 2	गैर अधिकारी निदेशक	गैर – कार्यपालक	25.04.2016

वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति

*1 श्री जी पी बोरा को दिनांक 13.01.2017 से भा.रि.बैं. नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

*2 तश्री एस रघुनाथ को दिनांक 25.04.2016 से अंशकालिक गैर–अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

वर्ष के दौरान निदेशकों की कार्यकाल समाप्ति

श्रीमती सुमा वर्मा ने दिनांक 12.01.2017 को भा.रि.बैं. नामिती निदेशक का कार्यालय छोडा.

श्री वाई मुरलीकृष्णा, कामगार निदेशक दिनांक 01.11.2016 को उनके कार्यकाल अवधि समाप्ति पर बैंक के निदेशक नहीं रहें.

2.3 वर्ष 2016–17 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय

नाम	**श्री जी पी बोरा**
जन्म तिथि	17.07.1966
उम्र	51 वर्ष
अर्हता	एमबीए (बैंकिंग एवं वित्त), एलएलबी, सीएआईआईबी

निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	भा.रि.बैं. नामिती निदेशक श्री जी पी बोरा को, दि.13.01.2017 की अधिसूचना सं.एफ.सं.6/3/2011-बीओ.1 के ज़रिए राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 3 के उप-खंड (1) तथा खंड 8 के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अधीन भारत सरकार द्वारा बैंक के भा.रि.बैं.नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
अनुभव	श्री जी पी बोरा संप्रति भा.रि.बैं., क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई में मुख्य महा प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं. इन्होंने मार्च 1990 में पटना में अधिकारी के रूप में भा.रि.बैं. में कार्यग्रहण किया. वे भा.रि.बैं. के विभिन्न विभागों जैसे करेंसी प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, को-ऑपरेटिव व ग्रामीण ऋण क्षेत्र, बैंकिंग विनियमन व पर्यवेक्षण, सरकारी ऋण प्रबंधन व सरकारी कारोबार खंड तथा भुगतान व समझौता प्रणाली में कार्य किया है.
नाम	श्री एस रघुनाथ
जन्म तिथि	24.05.1957
उम्र	59 वर्ष
अर्हता	पीएच.डी.
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशक श्री एस रघुनाथ को, दि.25.04.2016 की अधिसूचना डीएफएस संदर्भ सं.एफ.सं.6/32/2015-बीओ.ख के ज़रिए राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 3 के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा 3(एच) व (3-ए) के अधीन भारत सरकार द्वारा बैंक के अंश कालिक गैर अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
अनुभव	श्री एस रघुनाथ आईआईएम, बेंगलूर में कॉर्पोरेट कार्यनीति व नीति के प्रोफेसर है. वे कार्यनीति नेतृत्व तथा कार्यनीति मैत्री, ई-कारोबार मॉडल व कार्यनीति के विशेषज्ञ हैं. वे मैत्री प्रबंधन, कार्यनीति नेटवर्क, कॉर्पोरेट कार्यनीति, माध्यम में ई कारोबार कार्यनीति तथा मॉडल व कार्यनीति प्रबंधन व मनोरंजन उद्योग में स्नातकोत्तर तथा डॉक्टोरल पाठ्यक्रम के अध्यापन करते हैं. वरिष्ठ नेतृत्व अनुशिक्षण, मैत्री में कार्यनीति समस्याएं, आउटसोर्सिंग, समझौता, सू.प्रौ. कंपनियों के कार्यनीति नेतृत्व तथा माध्यम तथा मनोरंजन उद्योग के लिए सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम के नेतृत्व करते हैं.

2.4 मंडल की बैठकें :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नीचे उल्लिखित तारीखों को मंडल की 13 बैठकें हुईं, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 12 के अंतर्गत न्यूनतम 6 बैठकें बुलाई जानी थी.

07.05.2016	12.05.2016	11.06.2016	23.06.2016	22.07.2016	23.09.2016	27.10.2016	21.01.2017
02.02.2017	14.12.2016	02.02.2017	06.03.2017	13.03.2017			

मंडल की बैठकों में से, बैंक ने वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 10.07.2012 के निदेशों के अनुरूप प्रमुख नीति तथा रणनीतियुक्त मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंडल की 4 विशेष बैठकों का आयोजन किया है.

निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुईं मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत है :

2.5 मंडल की बैठकों तथा पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति हां/नहीं
1	श्री जी नारायणन	01.04.2016-31.03.2017	13	13	नहीं
2	डॉ. किशोर सांसी	01.04.2016-31.03.2017	13	13	हां
3.	श्री बी.एस.रामा राव	01.04.2016-31.03.2017	13	13	हां
4.	श्री नागेश्वर राव वाई	01.04.2016-31.03.2017	13	13	हां
5	श्री संजय कुमार	01.04.2016-31.03.2017	13	6	नहीं
6	श्रीमती सुमा वर्मा	01.04.2016-12.01.2017	8	8	नहीं
7.	श्री जी पी बोरा	13.01.2017-31.03.2017	5	5	नहीं
8.	श्रीमती भारती राव	01.04.2016-31.03.2017	13	9	नहीं
9	श्री पी. वैद्यनाथन	01.04.2016-31.03.2017	13	10	हां
10.	श्री वाई. मुरलीकृष्णा	01.04.2016-01.11.2016	7	7	नहीं
11	श्री एम भगवंत राव	01.04.2016-31.03.2017	13	12	हां
12	श्री वी वी आर शास्त्री	01.04.2016-31.03.2017	13	13	नहीं
13.	श्री एस रघुनाथ	25.04.2016-31.03.2017	13	12	नहीं

3. मंडल की समितियां :

सेबी, भा.रि.बैं. और वित्त मंत्रालय की अपेक्षाओं/निदेशों के अनुरूप, मंडल ने निदेशकों की नीचे उल्लिखित समितियों का गठन किया है. ये समितियां, उनको सौंपे गए काम के अधीन आनेवाली गतिविधियों पर और निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार विशिष्ट व सकेंद्रित शासन प्रदान करती है :

1. प्रबंधन समिति
2. लेखापरीक्षा समिति
3. हितधारकों / संबंध समिति
4. शेयर अंतरण समिति
5. जोखिम प्रबंधन समिति
6. उच्च मूल्य के धोखाधड़ी की समीक्षा हेतु समिति
7. प्रधान कार्यालय स्तर की ऋण अनुमोदन समिति
8. निदेशकों की पदोन्नति समिति
9. अनुशासनिक मामले तथा विश्वसनीयता पर समीक्षा समिति
10. ग्राहक सेवा समिति
11. पारिश्रमिक समिति
12. नामांकन समिति
13. शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने की समिति
14. सू. प्रौ. रणनीति समिति
15. वसूली निगरानी हेतु समिति
16. अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचारियों द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु समिति
17. एपीएआर समीक्षा समिति
18. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति
19. इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति
20. मानव संसाधन समिति

3.1 मंडल की प्रबंध समिति :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 13 का अनुसरण करते हुए मंडल की प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. तात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कारोबार नई जमा योजनाएं शुरू करना, सीमाओं की मंजूरी चाहे निधि आधारित हो या गैर निधि आधरित हो, समझौता/बट्टे खाते डालने, पूंजीगत और राजस्व खर्च की मंजूरी, निवेश, दान संबंधी विभिन्न मामलों पर विचार करना मंडल की प्रबंधन समिति के गठन का उद्देश्य है. समिति उन अधिकारों का प्रयोग करती है जो, केंद्र सरकार के अनुमोदन से और भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से उसे मंडल द्वारा दिए जाते हैं.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी) की 11 बैठकें हुईं. वर्ष के दौरान हुईं, एमसीबी की बैठकों के ब्यौरे और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

07.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	14.07.2016	01.09.2016	23.09.2016	18.10.2016
28.11.2016	21.01.2017	06.03.2017	24.03.2017			

3.1.1 एमसीबी की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	इनके कार्यकाल में आयोजित बैठक	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. किशोर सांसी	अध्यक्ष	01.04.2016 - 31.03.2017	11	11
2	श्री बी.एस.रामा राव	सदस्य	01.04.2016 - 31.03.2017	11	11
3.	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य	01.04.2016 - 31.03.2017	11	10
4	श्रीमती सुमा वर्मा	सदस्य	01.04.2016 - 12.01.2017	8	7
5.	श्री जी पी बोरा	सदस्य	13.01.2017 - 31.03.2017	3	3
6.	श्रीमती भारती राव	सदस्य	27.08.2016 - 26.02.2017	5	5
7.	श्री एस रघुनाथ	सदस्य	27.08.2016 - 26.02.2017	5	4
8	श्री एम भगवंत राव	सदस्य	01.04.2016 - 26-08.2016 27.02.2017 - 31.03.2017	6	5
9	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य	01.04.2016 - 26-08.2016 27.02.2017 - 31.03.2017	6	6

3.2 निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सूची बनाने संबंधी करारनामों के अनुसार, मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया जाता है और उसके कामकाज तय किए जाते हैं. एसीबी, बैंक में लेखापरीक्षा से संबंधित सब प्रकार के कामकाज के संबंध में निर्देश देती है. इसमें शामिल हैं ; बैंक के अंदर आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का संगठनात्मक और गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण का अनुवर्तन. कंपनी के सभी सदस्यों को वित्त का अच्छा ज्ञान है.

अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति के कामकाज इस प्रकार हैं :

- बैंक की वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया पर निगरानी रखना तथा वित्तीय जानकारी सही, पर्याप्त और विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना.
- प्रबंधन वर्ग के साथ, तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना और इस सिलसिले में इन बातों पर विशेष बल देना जैसे ; लेखा नीतियां और प्रथाएं, वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा मानकों और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का पालन करना, लेखापरीक्षा में निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करना, वित्तीय संस्थाओं, संबंधित पार्टी के लेन-देन आदि के बारे में शेयर बाजार के मार्गनिर्देशों और कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति करना.
- उन मामलों में, जहां धोखाधडी का शक हो अथवा अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की नाकामी नजर आए, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना तथा नियंत्रण तंत्र मजबूत करने के लिए सुझाव देना.
- वार्षिक/अर्ध-वार्षिक और तिमाही खातों और रिपोर्टों के अंतिम रूप से पहले केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करना और खासकर लेखा नीतियों और परिपाटियों एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में परिवर्तनों पर खास ध्यान देना.

- प्रबंधन वर्ग के साथ सांविधिक व आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्य निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की पर्याप्तता की समीक्षा, किसी महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर आंतरिक लेखापरीक्षकों से चर्चा व उस पर अनुवर्तन.
- यह समिति खासकर इनके अनुवर्तन पर ध्यान देती है :

  क) अंतर शाखा समायोजन खाते

  ख) अंतर शाखा खातों और नोस्ट्रो खातों में काफी लंबे समय से मिलान न की गईं प्रविष्टियां

  ग) विभिन्न शाखाओं में बकाया पड़ा बहियों का संतुलन कार्य

  घ) धोखाधड़ी

  ङ) आंतरिक लेखा कार्य के प्रमुख क्षेत्र

बैंक ने, कंपनी शासन के बुनियादी तत्वों की कद्र करते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुसरण करते हुए, मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें कार्यकारी निदेशक, सरकारी नामिती निदेशक, भा.रि.बैंक नामिती निदेशक तथा गैर-कार्यकारी निदेशक हैं.

भा.रि.बैं. की अपेक्षानुसार, लेखापरीक्षा समिति की बैठकें सामान्यत: तिमाही में कम से कम एक बार और वर्ष में कम से कम छ: बार बुलायी जानी चाहिए. वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की नीचे उल्लिखित तारीखों में 6 बैठकें हुईं.

12.05.2016	22.07.2016	23.09.2016	27.10.2016	02.02.2017	17.02.2017

3.2.1 एसीबी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्रीमती भारती राव *	अध्यक्ष	01-04-2016-26-08-2016 27-02-2017-31-03-2017	2	0
2.	श्री पी. वैद्यनाथन	सदस्य	01.04.2016 - 31.03.2017	6	4
3.	श्री बी. एस. रामा राव	सदस्य	01.04.2016 - 31.03.2017	6	6
4.	श्री संजय कुमार	सदस्य	01.04.2016 - 31.03.2017	6	2
5.	श्रीमती सुमा वर्मा	सदस्य	01.04.2016 - 12.01.2017	4	4
6	श्री जी पी बोरा	सदस्य	13.01.2017 - 31.03.2017	2	2
7	श्री एस रघुनाथ	सदस्य	25.04.2016 - 26.08.2016 27.02.2017 - 31.03.2017	2	2
8	श्री एम भगवंत राव	सदस्य	27.08.2016 - 26.02.2017	4	3
9	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य	27.08.2016 - 26.02.2017	4	4

* श्रीमती भारती राव दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 26.08.2016 तक सदस्य रहीं तथा दिनांक 27.02.2017 से दिनांक 31.03.2017 तक अध्यक्ष रहीं.

3.3 हितधारक संबंध समिति

बैंक ने, शेयरधारकों और निवेशकर्ताओं की, उनके हित से जुडे मामलों पर शिकायतों का निवारण करने के इरादे से, शेयरधारक / निवेशकर्ता समिति का गठन किया है.

यह समिति, बैंक द्वारा जारी शेयरों के अंतरण, प्रेषण, शेयरों के विभाजन और समेकन के संबंध में शेयरधारकों की शिकायत तथा शेयरधारकों की किसी अन्य शिकायतों पर निगरानी रखती है. आगे, यह समिति निवेशकर्ताओं की शिकायतों के निवारण पर समयबद्ध ढंग से निगरानी रखती है.

सेबी (एलोडीआर) विनियमन 6(1) के अनुसार, श्रीमती के रेणु कंपनी सचिव हमारे बँक के अनुपालन अधिकारी हैं.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, समिति की नीचे उल्लिखित तारीखों को 4 बैठकें हुईं :

12.05.2016	22.07.2016	14.12.2016	02.02.2017

3.3.1 हितधारक संबंध समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री पी. वैद्यनाथन *1	अध्यक्ष	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
2.	श्री बी. एस. रामा राव	सदस्य	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
3.	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
4.	श्रीमती भारती राव *2	सदस्य	01.04.2016 - 31.03.2017	4	2
5.	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4

*1 श्री पी. वैद्यनाथन 01.04.2016 से दिनांक 26.02.2017 तक सदस्य रहें तथा दिनांक 27.02.2017 से दिनांक 31.03.2017 तक अध्यक्ष रहे.

* श्रीमती भारती राव दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 26.02.2017 तक अध्यक्ष रहीं तथा दिनांक 27.02.2017 से दिनांक 31.03.2017 तक सदस्य रहीं.

3.4 शेयर अंतरण समिति

शेयरधारकों/निवेशकर्ताओं की शिकायतों पर निदेशकों की उप-समिति के अलावा, बैंक ने, निदेशकों की शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसके सदस्यों के रूप में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा कार्यकारी निदेशक (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अनुपस्थिति में) और गैर-सरकारी निदेशक हैं. समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

07.05.2016	21.07.2016	27.10.2016	02.02.2017

3.4.1 शेयर अंतरण समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. किशोर सांसी	अध्यक्ष	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
2.	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
3.	श्री वाई. मुरलीकृष्णा	सदस्य	01.04.2016 - 01.11.2016	3	3
4.	श्री पी. वैद्यनाथन	सदस्य	27.02.2017 - 31.03.2017	0	0
5.	श्री एम भगवंत राव	सदस्य	27.02.2017 - 31.03.2017	0	0

3.5. जोखिम प्रबंधन समिति

डॉ. गांगुली समिति की सिफारिशों के अनुसार, बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए रणनीति बनाने व बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय करने के लिए बैंक ने 23.07.2003 को जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया.

अन्य बातों के साथ-साथ समिति के कामकाज इस प्रकार हैं :

1. जोखिम प्रबंधन नीति और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए रणनीति बनाना तथा बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय करना.
2. जोखिम को मापने के लिए नीतियां और मार्गनिर्देश बनाना.
3. जोखिम के समस्त क्षेत्रों में प्रबंधन और रिपोर्टिंग.
4. यह सुनिश्चित करना कि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया (लोग, पद्धति, परिचालन, सीमा और नियंत्रण सहित) से बैंक की नीति की तुष्टि होती है.
5. जोखिम आंकने के लिए वित्तीय मानकों को सदृढ़ बनाना और इस्तेमाल की जा रहीं समस्त पद्धतियों को कारगर बनाना.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

21.07.2016	23.09.2016	21.01.2017	06.03.2017

3.5.1 जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री जी नारायणन	अध्यक्ष	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
2.	डॉ. किशोर सांसी	सदस्य	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
3.	श्री बी एस रामा राव	सदस्य	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
4.	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
5.	श्रीमती भारती राव	सदस्य	01.04.2016 – 31.03.2017	4	3
6.	श्री पी. वैद्यनाथन	सदस्य	27.02.2017 – 31.03.2017	1	1
7.	श्री एम. भगवंत राव	सदस्य	01.04.2016 – 31.03.2017	4	3
8.	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
9.	श्री एस रघुनाथ	सदस्य	25.04.2016 – 27.02.2017	3	3

3.6. उच्च मूल्य की धोखाधड़ी से सबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए समिति

एक करोड़ रुपए व उससे अधिक रकम की धोखाधड़ी के मामलों पर निगरानी रखने पर विशेष ध्यान देने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, मंडल की समिति का गठन किया गया है.

अवधि के दौरान समिति की 1 बैठक दिनांक 22.01.2017 को हुई.

3.6.1 उच्च मूल्य की धोखाधडी से संबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री जी नारायणन	अध्यक्ष	01.04.2016 – 31.03.2017	1	1
2.	डॉ. किशोर सांसी	सदस्य	01.04.2016 – 31.03.2017	1	1
3.	श्री बी एस रामा राव	सदस्य	01.04.2016 – 31.03.2017	1	1
4.	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य	01.04.2016 – 31.03.2017	1	1
5.	श्री संजय कुमार	सदस्य	01.04.2016 – 31.03.2017	1	1
6.	श्री एम. भगवंत राव	सदस्य	त01.04.2016 – 31.03.2017	1	1
7.	श्री एस रघुनाथ	सदस्य	25.04.2016 – 26.02.2017	1	1
8.	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य	27.02.2017 –31.03.2017	0	0

3.7 प्रधान कार्यालय स्तर की ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसी) :

भारत सरकार द्वारा प्रेषित पत्र सं.13/1/2006–बी.ओ.I दिनांक 05.12.2011 के ज़रिए जारी निर्देश के अनुसार दि.28.12.2011 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने मंडल की ऋण अनुमोदन समिति के गठन का अनुमोदन किया है. उक्त अधिसूचना के अनुसार, ₹ 3.00 लाख करोड या उससे

ज्यादा कारोबारवाले वर्ग 'क' के बैंकों के मामले में ₹ 400.00 करोड़ तक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में ₹ 250.00 करोड तक के ऋण प्रस्तावों की मंजूरी के संबंध में समिति मंडल के अधिकारों का प्रयोग करेगी. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सहित बैंक के अधिकारियों के प्रत्यायोजित अधिकारों से अधिक ऋण प्रस्तावों को समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा. इस सीमा से अधिक ऋण प्रस्तावों को पहले की तरह निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति के समक्ष मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया जाएगा. ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने के अलावा (निधि व गैर-निधि आधारित) ₹ 4.00 करोड़ तक के ऋण समझौता/बट्टे खाते डालने के प्रस्तावों (धोखाधडी के मामलों को छोडकर जो कि पहले जैसा मंडल की प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे) को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

वर्ष के दौरान एचएलसीसी की 19 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित हुईं :

21.04.2016	11.05.2016	01.06.2016	24.06.2016	20.07.2016	29.07.2016	20.08.2016
17.09.2016	23.09.2016	05.11.2016	21.11.2016	14.12.2016	28.12.2016	12.01.2017
31.01.2017	16.02.2017	07.03.2017	24.03.2017	30.03.2017		

3.7.1 एचएलसीसी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. किशोर सांसी	अध्यक्ष	01.04.2016 - 31.03.2017	19	19
2.	श्री बी एस रामा राव	सदस्य	01.04.2016 - 31.03.2017	19	19
3.	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य	01.04.2016 - 31.03.2017	19	19
4.	श्री मुरली रामस्वामी महा प्रबंधक-ऋण (प) व महा प्रबंधक (लेखा)	सदस्य	01.04.2016 - 31.03.2017	19	18
5.	श्री जगन मोहन महा प्रबंधक - जो.प्र.वि.	सदस्य	01.04.2016 - 31.03.2017	19	17
6.	श्री ए.सी.स्वाईं वैकल्पिक महा प्रबंधक-कें.ले.वि.	सदस्य	20.07.2016 - 31.03.2017	15	11
7.	श्रीमती गायत्री देवी टी एस महा प्रबंधक-ऋण (प)	सदस्य	11.02.2017-31.03.2017	4	4

उपर्युक्त के अलावा, जब कभी आवश्यक हो ऋण (खुदरा व एमएसएमई), ऋण (प्राथमिकता) तथा ऋण (स व व) से संबंधित महा प्रबंधक उनके संबंधित प्रस्तावों के लिए उपस्थित थें.

3.8 अनुशासनिक मामले तथा विश्वसनीयता पर समीक्षा समिति

इस समिति का गठन निम्नलिखितों की निगरानी हेतु किया गया :

क. सतर्कता अनुशासनिक मामले तथा विभागीय जांच

ख. गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामले

ग. अधिकारी सेवा विनियमों के विनियम 19(2) के अधीन समीक्षा

समिति में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2. कार्यकारी निदेशक
3. भारत सरकार नामिती निदेशक तथा
4. भा.रि.बैं. नामिती

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

07.05.2016	23.09.2016	22.01.2017	06.03.2017

3.8.1 अनुशासनिक मामले तथा ईमानदारी पर समीक्षा समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ.किशोर सांसी	अध्यक्ष	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
2.	श्री बी एस रामा राव	सदस्य	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
3.	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य	01.04.2016 – 31.03.2017	4	4
4.	श्री संजय कुमार	सदस्य	01.04.2016 – 31.03.2017	4	3
5.	श्रीमती सुमा वर्मा	सदस्य	01.04.2016 – 12.01.2017	2	2
6.	श्री जी पी बोरा	सदस्य	13.01.2017 – 31.03.2017	2	2

3.9 निदेशकों की पदोन्नति समिति

समिति का गठन उ.का.श्रे.वे. VI से उ.का.श्रे.वे. VII में पदोन्नति तथा व.प्र.श्रे.वे. IV व उससे ऊपर के पदोन्नति के संबंध में अपील पर निगरानी हेतु किया गया.

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल है :

1 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

2 भा.रि.बैं. नामिति निदेशक

3 एक अंशकालिक गैर–अधिकारी निदेशक

समिति की एक बैठक दिनांक 11.02.2017 को हुई.

3.10 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुसरण करते हुए, मंडल ने, नीचे उल्लिखित सदस्यों के साथ दिनांक 08.09.2004 को ग्राहक सेवा समिति का गठन किया.

मंडल की ग्राहक सेवा समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह :

1. ग्राहक सेवाओं पर प्रक्रियाओं और निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में बैंक की तदर्थ समिति के कामकाज पर निगरानी रखें.
2. व्यापक जमा नीति बनाएं और उसमें इस तरह के मामले जोडें जैसे; जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उसका खाता चलाने की रीति, उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया, जमाकर्ताओं की संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण और इन सेवाओं की तीन वर्ष में एक बार लेखापरीक्षा.
3. ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बाने के लिए नवोन्मेषी उपाय करना और
4. हमेशा सब प्रकार के ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार लाना.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई :

21.07.2016	18.01.2017	20.02.2017	28.03.2017

3.10.1 ग्राहक सेवा समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति संबंधी ब्योरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. किशोर सांसी	अध्यक्ष	01.04.2016 -31.03.2017	4	4
2.	श्री बी एस रामा राव	सदस्य	01.04.2016 -31.03.2017	4	4
3.	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य	01.04.2016 -31.03.2017	4	4
4.	श्री वाई. मुरलीकृष्णा	सदस्य	01.04.2016 -01.11.2016	1	1
5.	श्री एम भगवंतराव	सदस्य	01.04.2016 -31.03.2017	4	3
6.	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य	01.04.2016 -31.03.2017	4	4
7.	श्री एस रघुनाथ	सदस्य	27.02.2017-31.03.2017	1	1

3.11 पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार निदेशकों को पारिश्रमिक दिया जाता है. दि.09.03.2007 के भारत सरकार के पत्रांक एफ.सं.20/1/2005-बीओ.1 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने दि.30.07.2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया है. यह समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशक अर्थात प्रबंध निदेशक एवं सीईओ व कार्यकारी निदेशक के निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के मूल्यांकन तथा संगत वर्ष के यथा 31 मार्च को पात्र प्रोत्साहन देने हेतु गठित की गयी है.

अवधि के दौरान समिति की बैठकें नहीं हुईं.

वर्ष 2016-17 के दौरान, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यकारी निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं :

विवरण	डॉ. किशोर सांसी (प्र.नि. एवं सीईओ)	श्री बी.एस.रामा राव (का.नि.)	श्री नागेश्वर राव वाई (का.नि.)
वेतन	26,63,971.95	23,61,700.80	22,49,654.86
सेवानिवृत्ति पर सा.छु. नकदीकरण	-	-	-
भत्ते	-	-	-
भ.नि. पर अंशदान	2,90,350.50	2,57,412.00	2,39,716.50
अन्य - निष्पादन से जुडा हुआ प्रोत्साहन	-	-	-
अन्य (छु.कि.रि., चिकित्सा, आदि)	42,102.00	98,213.70	22,367.00
अन्य अनुलाभ	19,200.00	19,200.00	19,200.00
कुल	**30,15,624.45**	**27,36,526.50**	**25,30,938.36**
स्टॉक विकल्प	-	-	-

गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार के निर्देशानुसार मंडल/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क, यात्रा व विराम व्यय को छोड़कर कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है. भारत सरकार के निदेशानुसार बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए गैर-कार्यकारी निदेशकों को प्रदत्त कुल बैठक शुल्क निम्नानुसार है :

गैर-कार्यकारी निदेशक का नाम	प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
श्री जी नारायणन	380,000
श्री पी वैद्यनाथन	350,000
श्रीमती भारती राव	300,000
श्री वाई मुरलीकृष्णा	200,000
श्री एम. भगवंत राव	520,000
श्री वी वी आर शास्त्री	660,000
श्री एस रघुनाथ	410,000
कुल	**28,20,000**

3.12 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01.11.2007 के पत्र सं डीबीओडी.सं बीसी.47/29.39001/2007-08 में दिए गए निदेशानुसार बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) (i) के तहत संप्रति चुने गए निदेशकों/निदेशकों के रूप में चुने जानेवाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त व उचित स्थिति' अध्यवसायी से निर्धारित करने के लिए मंडल की नामांकन समिति दिनांक 28.12.2007 को गठित की गयी. समिति में सदस्य के रूप में तीन निदेशक हैं.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 23.06.2016 को एक बार समिति की बैठक हुई तथा यह पाया गया कि चुने जाने वाले निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड अनुसार ' उपयुक्त व उचित'' हैं.

3.12.1 नामिती समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री जी नारायणन	अध्यक्ष	01.04.2016 -31.03.2017	1	1
2.	श्री संजय कुमार	सदस्य	01.04.2016 -31.03.2017	1	1
3.	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य	01.04.2016 -31.03.2017	1	1

3.13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा कंपनियों में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने की समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुरूप दि.31.05.2012 को आयोजित बैठक में मंडल ने शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने की समिति के गठन का अनुमोदन दिया, जहां बैंक ने इन कंपनियों के शेयरों में निवेश किया है.

समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

1. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ - समिति के अध्यक्ष
2. कार्यकारी निदेशक - सदस्य
3. एक गैर-अधिकारी निदेशक - सदस्य

वर्ष के दौरान ऐसी कोई घटना न होने के कारण, समिति की बैठक नहीं हुई.

3.14 सू.प्रौ. रणनीति समिति :

भा.रि.बैं. द्वारा जारी मार्गनिर्देशों तथा भा.बैं.सं. की सिफारिशों के अनुसार, निदेशक मंडल ने दि.18.02.2012 को अपनी बैठक में, सू.प्रौ. कार्यनीति समिति का गठन किया, जिसमें बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ विशेष अतिथि हैं.

अन्य बातों के साथ-साथ सू.प्रौ. कार्यनीति समिति के कार्य का ढांचा निम्नानुसार है :

1. सू.प्रौ. पर बैंक को रणनीतिक निर्देश देना तथा मंडल की ओर से सू.प्रौ. निवेशों की समीक्षा करना.
2. सू.प्रौ. रणनीति तथा नीति दस्तावेजों का अनुमोदन करना तथा कारोबार रणनीति को सू.प्रौ. रणनीति के साथ सरेखन सुनिश्चित करना.
3. यह पता लगाना कि प्रबंधन द्वारा उन प्रक्रिया तथा प्रणालियों का कार्यान्वयन किया गया है जो सुनिश्चित करता है कि सू.प्रौ. कारोबार में मूल्य प्रदान करता है.
4. रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सू.प्रौ. संसाधन को पहचानने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लायी गयी प्रणाली को मॉनिटर करना तथा सू.प्रौ. संसाधन उपलब्ध कराने व प्रयोग करने संबंधी उच्च स्तरीय निर्देश देना.
5. सू.प्रौ. कार्यान्वयन में सू.प्रौ. जोखिम व प्रबंधन के निष्पादन का प्रबंधन द्वारा मानिटरिंग की प्रभाविता का मूल्यांकन करना.
6. जोखिम संबंधी उच्च स्तरीय नीति मार्गनिर्देश जारी करनी- करना

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं :

21.07.2016	22.11.2016	14.12.2016	21.03.2017

निदेशकों के अलावा हमारे पास सू. प्रौ. विशेषज्ञ सदस्य के रूप में है तथा एक बैठक के लिए गणपूर्ति हेतु एक सू. प्रौ. विशेषज्ञ की उपस्थिति अनिवार्यतः आवश्यक है.

3.14.1 सू.प्रौ. रणनीति समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1	श्री जी नारायणन	अध्यक्ष	01.04.2016-31.03.2017	4	4
2	श्रीमती भारती राव	सदस्य	27.02.2017-31.03.2017	1	0
3	श्री बी.एस.रामा राव	सदस्य	01.04.2016-31.03.2017	4	4
4.	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य	01.04.2016-31.03.2017	4	4
5.	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य	01.04.2016-31.03.2017	4	4
6	श्री पी वैद्यनाथन	सदस्य	01.04.2016-26.02.2017	3	2
7.	श्री एम. भगवंत राव	सदस्य	01.04.2016-31.03.2017	4	3
8.	श्री एस रघुनाथ	सदस्य	25.04.2016-31.03.2017	4	4

3.15 वसूली निगरानी हेतु समिति

वित्त मंत्रालय के दि.21.11.2012 के पत्र अनुरूप मंडल द्वारा वसूली की निगरानी हेतु समिति का गठन किया गया है, जो सामान्यतया एनपीए तथा विशेषत: ₹ 1 करोड या उससे अधिक उच्च मूल्य खातों की वसूली/प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा/निगरानी करेगी.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति 6 बार मिली जिसका विवरण निम्नानुसार है :

07.05.2016	23.09.2016	22.01.2017	17.02.2017	20.02.2017	06.03.2017

3.15.1 वसूली निगरानी हेतु समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. किशोर सांसी	अध्यक्ष	01.04.2016 -31.03.2017	6	6
2.	श्री बी.एस.रामा राव	सदस्य	01.04.2016-31.03.2017	6	6
3.	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य	01.04.2016 -31.03.2017	6	6
4.	श्री संजय कुमार	सदस्य	01.04.2016 -31.03.2017	6	3
5.	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य	02.02.2017-31.03.2017	3	3

3.16 अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचारियों द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु समिति

कर्मचारियों के हित की संरक्षा हेतु प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के अंतिम आदेशों के प्रति कर्मचारी द्वारा दिए गए अपील पर विचार करने हेतु दिनांक 29.03.2010 को समिति का गठन किया गया. भारत सरकार के नामिति निदेशक, भा.रि.बैं. के नामिति निदेशक तथा गैर-कार्यकारी निदेशक (मंडल की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष) समिति के सदस्य हैं.

वर्ष के दौरान ऐसी कोई अपील न होने के कारण, समिति की बैठक नहीं हुई.

3.17 वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन (एपीएआर) समीक्षा समिति :

उ.का.श्रे.वे.-VII के कार्यपालकों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (एपीएआर) की समीक्षा/रेटिंग के उन्नयन के लिए दिनांक 14.09.2013 को एक समिति बनायी गयी जिसे 31.10.2014 को पुनर्गठित किया गया.

वर्ष के दौरान ऐसी कोई मामला न होने के कारण, समिति की बैठक नहीं हुई.

3.18 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति :

पिछले कुछ वर्षों से विजया बैंक ने समाज के अल्प सुविधा प्राप्त तथा उपेक्षित क्षेत्रों के जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव लाने के लिए स्वैच्छिक आधार पर कई सीएसआर पहल ली है. बैंक में ठोस सीएसआर नीति मौजूद है तथा राष्ट्रीय महत्व के कुछ प्रमुख क्षेत्र जैसे बालिका शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, एंब्यूलेंस / वाहनों का दान, पिछडे क्षेत्रों में स्कूलों / कॉलेजों को आधारभूत सहायता देना, पर्यावरण संरतक्षण, प्राकृतिक आपदाओं के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा अन्य पहल पर प्रति वर्ष ध्यान केंद्रित करते हुए सीएसआर गतिविधियों का दायित्व लेने के लिए नक्शा तैयार रखा है. बैंक ने ग्रामीण, पिछडे तथा दूरदराज क्षेत्रों में मूलभूत विकास हेतु अपरिमित योगदान दिया है. बैंक द्वारा सीएसआर पर दिए जा रहे अधिकतम महत्व पिछले वर्षों में बैंक द्वारा सीएसआर गतिविधियों की बढती संख्या, प्रचार तथा कार्यक्षेत्र से विदित है.

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों के कार्यक्षेत्र को उपर्युक्त के अनुरूप विस्तारित करने के लिए दिनांक 17.01.2014 को समिति का गठन किया गया.

अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नानुसार हुई :

07.05.2016	27.10.2016	21.01.2017	06.03.2017

3.18.1 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की बैठक में उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. किशोर सांसी	अध्यक्ष	01.04.2016 -31.03.2017	4	4
2.	श्री बी.एस.रामा राव	सदस्य	01.04.2016 -31.03.2017	4	4
3.	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य	01.04.2016 -31.03.2017	4	4
4.	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य	01.04.2016 -26.02.2017	3	3
5.	श्री एम भगवंत राव	सदस्य	01.04.2016 -26.02.2017	3	3
6.	श्री वाई.मुरलीकृष्णा	सदस्य	01.04.2016 -01.11.2016	2	2
7.	श्रीमती भारती राव	सदस्य	27.02.2017 -31.03.2017	1	1
8.	श्री पी वैद्यनाथन	सदस्य	27.02.2017-31.03.2017	1	1

3.19 इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति :

इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानित उधारकर्ताओं की शिकायतों की समीक्षा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र आरबीआई/2014-15/73 दिनांक 01.07.2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार 17.01.2015 को समिति का गठन किया गया. समिति का अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ है तथा दो गैर-कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य हैं.

अवधि के दौरान समिति की 5 बैठकें निम्नानुसार हुई :

23.06.2016	23.09.2016	14.12.2016	02.02.2017	06.03.2017

3.19.1 इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा समिति की बैठक में उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. किशोर सांसी	अध्यक्ष	01.04.2016-31.03.2017	5	5
2	श्री पी वैद्यनाथन	सदस्य	01.04.2016-26.02.2017	4	3
3	श्री एम भगवंत राव	सदस्य	01.04.2016-26.02.2017	4	4
4	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य	27.02.2017-31.03.2017	1	1
5	श्री एस रघुनाथ	सदस्य	27.02.2017-31.03.2017	1	1

3.20 मानव संसाधन समिति :

प्रमुख मानव संसाधन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 14.02.2015 को समिति का गठन किया गया.

समिति के कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है :

1) बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के साथ-साथ श्रमशक्ति योजना का विश्लेषण करना
2) प्रशिक्षण सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित/सिफारिश किए गए अनुसार कार्यकारी / क्षमता विकास कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विश्लेषण, समीक्षा तथा निगरानी करना
3) संगठन की सफलता हेतु कर्मचारी कार्य की पहल की समीक्षा तथा आकर्षित करना
4) स्टाफ संसाधन प्रवृत्तियों और मानव संसाधन मेट्रिक्स की समीक्षा करना
5) विभिन्न मानव संसाधन नीतियों एवं उत्तराधिकार योजना पर बैंक को मागदर्शन देना
6) समय समय पर पहचानित अन्य कोई संबंधित मामले अथवा मंडल द्वारा परामर्शानुसार

समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यकारी निदेशक तथा अन्य गैर अधिकारी निदेशक है.

अवधि के दौरान समिति की 2 बैठकें निम्नानुसार हुई :

07.05.2016	27.10.2016

3.20.1 मानव संसाधन समिति की बैठक में उपस्थिति के ब्यौरे :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	इनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1	श्री जी नारायणन	अध्यक्ष	01.04.2016-31.03.2017	2	2
2	डॉ. किशोर सांसी	सदस्य	01.04.2016-31.03.2017	2	2
3	श्री बी.एस.रामा राव	सदस्य	01.04.2016-31.03.2017	2	2
4	श्री नागेश्वर राव वाई	सदस्य	01.04.2016-31.03.2017	2	2
5	श्रीमती भारती राव	सदस्य	01.04.2016-31.03.2017	2	0
6	श्री एम भगवंत राव	सदस्य	01.04.2016-31.03.2017	2	2
7	श्री एस रघुनाथ	सदस्य	01.04.2016-31.03.2017	2	2
8	श्री वी वी आर शास्त्री	सदस्य	27.02.2017-31.03.2017	0	0

4. यथा 31.03.2017 को गैर कार्यकारी/शेयरधारक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
1	श्री जी नारायणन, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	कुछ नहीं
2	श्रीमती भारती राव, शेयरधारक निदेशक	100
3	श्री पी वैद्यनाथन, शेयरधारक निदेशक	1,100
4	श्री एम भगवंत राव, गैर अधिकारी निदेशक	कुछ नहीं
5	श्री वी वी आर शास्त्री, गैर अधिकारी निदेशक	कुछ नहीं
6	श्री एस रघुनाथ, गैर अधिकारी निदेशक	कुछ नहीं

5. आचार संहिता

बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियमन में निर्धारित आचार संहिता का पालन कर रहा है. तदनुसार, सभी निदेशकों/ उच्च प्रबंधन कार्यपालकों से वार्षिक आधार पर उसके अनुपालन संबंधी पुष्टीकरण प्राप्त की जाती है. आचार संहिता बैंक की वेबसाइट में दी गयी है.

6. सामान्य बैठक

पिछली तीन वार्षिक / असाधारण सामान्य बैठकों के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :

	विशेष संकल्प	दिनांक	समय	स्थान
14वीं बा.सा.बै.	हां	27.06.2014	सुबह 11.00 बजे	मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, एम.जी.रोड, बेंगलूर
15वीं बा.सा.बै.	हां	22.06.2015	सुबह 10.30 बजे	
16वीं बा.सा.बै.	हां	24.06.2016	सुबह 10.00 बजे	

सोलहवीं वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थें. इस बैठक में पूंजी जुटाने की योजना पर एक विशेष संकल्प पारित किया गया.

1.	डॉ. किशोर सांसी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2.	श्री बी एस रामा राव	कार्यकारी निदेशक
3.	श्री नागेश्वर राव वाई	कार्यकारी निदेशक
4.	श्री पी.वैद्यनाथन	शेयरधारक निदेशक तथा मंडल के लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष
5.	श्री एम भगवंत राव	गैर अधिकारी निदेशक

श्री एम एम दाव्ला, अवर सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार भी प्रेक्षक के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठक में उपस्थित थें.

7. **शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकर्ताओं की शिकायतों का निवारण**

हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के कार्यालय में शेयर अंतरण, लाभांश के भुगतान तथा निवेशकर्ता से संबंधित अन्य गतिविधियों पर गौर किया जाता है और उनका संसाधन किया जाता है. बैंक, यह सुनिश्चित करता है कि शेयरों के अंतरण का सारा काम, उनको प्रस्तुत किए गए दिन से निर्धारित अवधि के अंदर पूरा किया जाता है. मंडल ने, शेयरधारकों की शिकायतों के निवारण तथा शेयरों के अंतरण तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए शेयरधारक संबंध समिति और शेयर अंतरण के लिए आंतरिक कार्यकारी समिति का गठन किया है. ये समितियां नियमित अंतराल में मिलती हैं और शेयरों के अंतरण की पुष्टि करने के अलावा निवेशकर्ताओं की शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है.

बैंक ने अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है जिसका कर्तव्य है, शेयरों का अंतरण करना, लाभांश का भुगतान करना, शेयरधारकों की दरख्वास्त दर्ज करना तथा शेयरों को जारी करने से संबंधित दूसरी गतिविधियों में निवेशकर्ताओं की शिकायतों का संकल्प पारित करना. निवेशकर्ता, अपने अंतरण विलेख/दरख्वास्त/शिकायतें, रजिस्ट्रार के पास, नीचे उल्लिखित पते पर भेज सकते है

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी101, 247 पार्क, एल बी एस मार्ग, विक्रोली पश्चिम
मुंबई - 400 083
टेलिफोन: (022) 49186270
फैक्स: (022) 49186060
ईमेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in
वेबसाइट : www.linkintime.co.in http://www.linkintime.co.in

निवेशकर्ताओं की सहूलियत के लिए, शेयर अंतरण की उनकी दरख्वास्त तथा उनकी शिकायतें, बेंगलूरु स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भी स्वीकार की जाती है :

महा प्रबंधक

मंडल सचिवालय (शेयर प्रभाग)
विजया बैंक, प्रधान कार्यालय
41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूरु
कर्नाटक- 560 001
टेलीफोन: 080 25584066 विस्तार 514
फैक्स: 080 25594737
ई-मेल : digc@vijayabank.co.in
वेबसाईट : www.vijayabank.com

शेयरधारकों की शिकायतों पर तुरंत गौर करने और शिकायतों का फौरन निवारण करने पर बैंक, सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और उसे पूर्णतः सुनिश्चित भी करता है.

शेयर अंतरण प्रणाली :

बैंक के ईक्विटी शेयरों का अंतरण हमारे शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा किया जाता है. जब कभी उन्हें शेयर अंतरण के अनुरोध प्राप्त होते हैं तो उन्हें संवीक्षा कर तथा सही पाये जाने पर संसाधित कर, बैंक के प्रधान कार्यालय में अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है.

शेयर अंतरण/अमूर्तिकरण/पुन: मूर्तिकरण/विभाजन/पुन: स्थापन/समेकन इत्यादि संबंधी अनुरोध आंतरिक शेयर अंतरण समिति के समक्ष उनके अनुपालनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं. मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अंतरण, अमूर्तिकरण आदि करके शेयरधारकों को भेजता है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित समयावधि के अंतर्गत उसे विधिवत रूप से अंतरित किया जाता है.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुसार आर एंड टी एजेंट द्वारा किए गए शेयर अंतरण तथा शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित शेयर अंतरण पर रिपोर्ट, बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष सूचना के लिए प्रस्तुत की जाती है.

प्राप्त, निपटायी गयीं और लंबित शिकायतों की संख्या

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुबंई द्वारा शेयरधारक की सभी शिकायतें सीधे प्राप्त की जाती हैं और बैंक द्वारा प्राप्त सारी शिकायतें उनके पास भेजी जाती हैं. 2016-2017 के दौरान प्राप्त और निपटायी गयीं तथा 31.03.2017 को लंबित दरख्वास्तों / शिकायतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

विवरण	01.04.2016 को लंबित	प्राप्त	निपटाई गईं	31.03.2017 को लंबित
क) दरख्वास्तों की संख्या	कुछ नहीं	2183	2183	कुछ नहीं
ख) शिकायतों की संख्या	कुछ नहीं	1220	1220	कुछ नहीं

उक्त शिकायतों में से कोई भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नहीं रही. यथा 31.03.2017 को, शेयर अंतरण के संबंध में हमारे पास कोई दरख्वास्त लंबित नहीं थी.

8. **शेयरधारकों के साथ प्रकटीकरण, संप्रेषण और संबंध**

बैंक के प्रवर्तकों/निदेशकों, प्रबंध वर्ग, उसके सहयोगी संस्थाओं और/या उनके रिश्तेदारों के साथ बैंक का, तात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ऐसा कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है जिससे व्यापक रूप से बैंक के हितों को संभावित रूप से प्रभावित करे.

बैंक ने, पूंजी बाजार से संबंधित मामलों के बारे में समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति की है. बैंक ने, सांविधिक समय सीमा के अंदर वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित की और पात्र शेयरधारकों को लाभांश अदा किया.

हमारे स्वतंत्र निदेशक द्वारा भाग लिए गए परिचयात्मक कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है.

Investors Corner-----> Disclosures under SEBI (LODR)- <https://www.vijayabank.com/Investors-Corner/Disclosure-Under-SEBI-LODR>

बैंक ने भारत सरकार के मार्ग निर्देशानुसार विसिल ब्लोअर नीति तैयार की है तथा विसिल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान की गयी है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी निर्दिष्ट मार्गनिर्देश दिया है तथा बैंक उनका अनुपालन कर रहा है. भा.रि.बैं.के अनुसार, बैंक के लिए संबंधित पार्टी में उनके मूल / अनुषंगी / सहायिकी / संयुक्त उद्यम, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) तथा केएमपी के रिश्तेदार शामिल है. भारतीय बैंक के लिए केएमपी में पूर्णकालिक निदेशक आते हैं.

बैंक से संबंधित जानकारी, खास तौर पर वार्षिक रिपोर्टों के ज़रिए जिसमें अध्यक्ष का बयान, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा, नकदी प्रवाह विवरण और समेकित लेखा आदि होते हैं, उपलब्ध कराई जाती है. शेयरधारकों को तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक निष्पादन के बारे में जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशन, शेयर बाजारों को दी गई सूचना, प्रेस-विज्ञप्ति और वेबसाइट अर्थात् www.vijayabank.com तथा निवेशकों या विश्लेषकों के लिए उपलब्ध करा दी गयी पीपीटी द्वारा भी दी गयी.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अनुसार शेयर बाजारों को वित्तीय परिणाम तथा अन्य मूल्य संवेदात्मक सूचना प्रस्तुत की गयी है. वित्तीय वर्ष के दौरान, तिमाही परिणाम निम्नलिखित तालिकानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए. परिणाम, बैंक की वेबसाइट www.vijayabank.com में भी प्रदर्शित किए गए.

को समाप्त तिमाही	प्रकाशन दिनांक	समाचार पत्र	
		स्थानीय भाषा	राष्ट्रीय
30.06.2016	23.07.2016	विजया कर्नाटक (कन्नड)	बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) बिजनेस स्टैंडर्ड (हिन्दी)
30.09.2016	28.10.2016	विजया कर्नाटक (कन्नड)	बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) बिजनेस स्टैंडर्ड (हिन्दी)
31.12.2016	02.02.2017	उदयवाणी (कन्नड)	बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) फैनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) बिजनेस स्टैंडर्ड (हिन्दी)
31.03.2017	10.05.2017	उदयवाणी (कन्नड)	बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) मिंट (अंग्रेजी) बिजनेस स्टैंडर्ड (हिन्दी)

9. अधिदेशात्मक और गैर–अधिदेशात्मक अपेक्षाएं

9.1 बैंक ने, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियमन, 2015 में उपलब्ध समस्त लागू अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है.

9.2 गैर–अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी नीचे प्रस्तुत है :

	अपेक्षा	अनुपालन
9.2.1	**मंडल** एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष को कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय बनाए रखने के लिए हकदार होना चाहिए और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमत है.	हां
9.2.2	**शेयरधारक के अधिकार** पिछले छह महीने के महत्वपूर्ण घटनाओं का सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा, प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जानी चाहिए.	बैंक सभी शेयरधारकों को वर्ष के दौरान घटित महत्वपूर्ण प्रगति का सार के साथ वार्षिक वित्तीय परिणाम भेजता है. बैंक के तिमाही वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के बाद समाचार पत्रों, स्टॉक एक्सचेंजों तथा बैंक के वेबसाइट में प्रकाशित भी किए जाते हैं.
9.2.3	**लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय** कंपनी अनर्ह वित्तीय विवरणों का एक शासन की ओर स्थानांतरित कर सकती है.	दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं है.
9.2.4	**अध्यक्ष एवं सीईओ का अलग पद** कंपनी अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक / सीईओ के पद हेतु अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है.	भारत सरकार ने अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ पद के लिए प्रत्येक व्यक्तियों को नामित / नियुक्त किया है.
9.2.5	**आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है.	आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य / संदर्भ की अपनी शर्तें तथा मंडल के लेखापरीक्षा समिति की संरचना तथा संदर्भ की अपनी शर्तें विनियामक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों/ परिपत्रों द्वारा शासित है जिनका बैंक अनुपालन करता है.

10. शेयरधारकों की जानकारी के लिए :

बैंक, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु में है. यथा 31.03.2017 को देशभर में फैली हुई 2031 शाखाओं के जरिए बैंक ने अपनी मौजूदगी कायम की है. बैंक के शेयरों को नीचे उल्लिखित प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया गया है :

1) **बीएसई लिमिटेड**
कंपनी संबंध विभाग
पहली मंजिल, न्यू ट्रेडिंग रिंग
फिरोज जीजीबॉय टावर्स,
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट
मुंबई – 400 001
बीएसई कूट : 532401

2) **नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.**
एक्सचेंज प्लाजा, 5वां तल
प्लाट सं.सी/1, जी ब्लॉक
बांद्रा – कुर्ला कॉम्पलेक्स
बांद्रा(पूर्व), मुंबई – 400 051
एनएसई कूट : VIJAYA BANK

शेयर बाज़ारों को, सूचीबद्ध करने संबंधी वर्ष 2016–17 का वार्षिक शुल्क, नियत तारीख के अंदर अदा किया गया.

10.1 प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण

बैंकों के शेयरों का अमूर्तीकरण अनिवार्य नहीं है लेकिन बैंक ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड और केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण किया है. अमूर्त किए गए ईक्विटी शेयरों के लिए, बैंक को आईएसआईएन कूट सं. आईएनई705ए01016 आबंटित की गई है. चूंकि बैंक के शेयरों का व्यापार दो शेयर बाज़ारों में किया जाता है इसलिए चल–निधि सामान्य है. बैंक ने, दोनों निक्षेपागारों अर्थात; एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास कुल स्वीकृत पूंजी एवं बैंक की जारी तथा सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के लिए लेखापरीक्षा के संबंध में तथा अर्ह कंपनी सचिव द्वारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के निर्देशानुसार शामिल किए गए अन्य मामलों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की अपेक्षाओं की पूर्ति की है.

31.03.2017 को ईक्विटी शेयरधारकों द्वारा अमूर्त और मूर्त रूप में रखे गए शेयरों के ब्यौरे निम्नानुसार है :

	शेयरधारकों की सं.	**शेयरों की सं.**	**शेयर धारण का %**
अमूर्त			
भारत के राष्ट्रपति*	1	70,25,32,074	70.33
एनएसडीएल में अन्य	128137	25,17,57,722	25.20
सीडीएसएल में अन्य (* भारत सरकार द्वारा धारित शेयर सीडीएसएल के पास है)	54433	72,45,01,301	72.53
कुल – क	**182570**	**97,62,59,023**	**97.73**
मूर्त			
	69189	2,25,86,317	2.27
कुल – ख	**69189**	**2,25,86,317**	**2.27**
सकल योग (क+ख)	**2,51,759**	**99,88,45,340**	100

10.2 वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किया गया लाभांश :

वर्ष 2016–17 के दौरान बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के संबंध में कोई लाभांश की घोषणा नहीं की है.

10.3 बैंक की शेयर पूंजी

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 3(2ए) के अनुसार केंद्रीय सरकार भारिबैं के साथ परामर्श कर तथा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्राधिकृत पूंजी को जैसा वह उचित समझती है, बढा अथवा घटा सकती है, और ऐसी बढोत्तरी अथवा कमी के बाद प्राधिकृत पूंजी तीन हजार करोड रुपयों से अधिक अथवा एक हजार पांच सौ करोड रुपयों से कम नहीं होगी.

दि.10.11.2009 की अधिसूचना के ज़रिए भारत सरकार ने बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹ 1,500 करोड़ से ₹ 3,000 करोड़ वर्धित किया. तदनुसार, संप्रति बैंक की पूंजी ₹ 3,000 करोड़ है जिसे ₹ 10/– के 300 करोड़ पूर्ण प्रदत्त शेयरों में विभाजित किया है.

संप्रति, भारत सरकार के पास बैंक की ईक्विटी शेयर पूंजी का 70.33% हिस्सा है तथा वह बैंक का प्रमुख शेयरधारक है. तदनुसार, बैंक की मौजूदा प्रदत्त पूंजी निम्नानुसार है :

(₹ करोड)

प्राधिकृत पूंजी :	
₹ 10/– के 300 करोड़ शेयर	₹ 3,000.00
कुल प्रदत्त पूंजी :	
₹ 10/– के 99,88,45,340 ईक्विटी शेयर	₹ 998.85
कुल प्रदत्त पूंजी	**₹ 998.85**

सारणी 1 : यथा 31.03.2017 को शेयर धारण का संवर्गवार संवितरण :

	संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारण की प्रतिशतता
क	**प्रवर्तक का धारण**		
1.	प्रवर्तक		
	– भारतीय प्रवर्तक (भारत सरकार)	70,25,32,074	**70.33**
	– विदेशी प्रवर्तक	–	–
2.	सहमति द्वारा कार्य करने वाले व्यक्ति	–	–
	उप–कुल	**70,25,32,074**	**70.33**
ख	**गैर–प्रवर्तक का धारण**		
3.	संस्थागत निवेशक		
	क) म्यूचुअल फंड व यूटीआई	99,26,048	0.99
	ख) बैंक, वित्तीय संस्थाएं , बीमा कंपनियां (केंद्र/राज्य संस्थाएं/गैर–सरकारी संस्थाएं)	13,70,48,236	13.72
	ग) एफआईआई/एफएमएफ/एफपीआई	3,20,97,308	3.21
	उप–कुल	**17,90,71,592**	**17.92**

ग	**अन्य**		
	क) कॉर्पोरेट निकाय	1,28,89,541	1.29
	ख) भारतीय जनता	9,98,27,283	10.00
	ग) एनआरआई/ओसीबी	34,05,021	0.34
	घ) अन्य कोई (समाशोधन सदस्य व मार्केट मेकर)	11,19,829	0.12
	ड.) विदेशी नागरिक	–	–
	उप–कुल	**11,72,41,674**	**11.75**
	सकल योग	**99,88,45,340**	**100.00**

सारणी 2 : यथा 31.03.2017 को कुल विदेशी शेयर धारण :

क्रम सं.	विवरण	शेयरों की संख्या	शेयर धारण की प्रतिशतता
1	जीडीआर तथा एडीआर धारण	– शून्य –	– शून्य –
2	विदेशी प्रवर्तक	– शून्य –	– शून्य –
3	विदेशी संस्थागत निवेशक / विदेशी संविभाग निवेशक	32088542	3.21
4	विदेशी म्यूचुअल फंड	8766	0.009
5	एनआरआई	3405021	0.34
6	विदेशी बैंक	– शून्य –	– शून्य –
7	विदेशी राष्ट्रीय	– शून्य –	– शून्य –
	कुल	**35502329**	**3.56**

सारणी 3 : यथा 31.03.2017 को बैंक के 1% से अधिक ईक्विटी शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों की सूची :

क्रम सं.	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारण का प्रतिशतता	संवर्ग
1	भारत के राष्ट्रपति	702532074	70.33	भारतीय प्रवर्तक
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	129116293	12.92	सरकार द्वारा प्रायोजित वित्तीय संस्था

10.4 शेयर बाजार संबंधी आंकड़े

अप्रैल, 2016 से मार्च 2017 तक एनएसई और बीएसई में मासिक उच्च और निम्न कोटेशन और व्यापार किए गए शेयरों की मात्रा निम्नानुसार है :

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ऑफ इंडिया लिमिटेड

माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद (₹)	समाप्त तारीख	शेयरों के व्यापार की मात्रा	एनएसई निफ्टी
अप्रैल 2016	33.10	30.70	**31.70**	29.04.2016	6879827	7849.80
मई 2016	33.30	29.80	**30.35**	31.05.2016	7968769	8160.10
जून 2016	39.05	29.60	**37.55**	30.06.2016	18661370	8287.75
जुलाई 2016	45.90	37.10	**41.30**	29.07.2016	29266893	8638.50
अगस्त 2016	41.65	36.50	**38.60**	31.08.2016	9641872	8786.20
सितंबर 2016	43.30	37.50	**40.70**	30.09.2016	10785120	8611.15
अक्तूबर 2016	46.70	39.60	**43.75**	30.10.2016	17047475	8625.70
नवंबर 2016	54.40	37.10	**44.50**	30.11.2016	29811531	8224.50
दिसंबर 2016	50.35	43.70	**47.45**	30.12.2016	10868666	8185.80
जनवरी 2017	53.50	46.00	**52.40**	31.01.2017	10829881	8561.30
फरवरी 2017	74.00	52.20	**70.35**	28.02.2017	62819310	8879.60
मार्च 2017	72.35	61.55	**68.75**	31.03.2017	26916734	9173.75

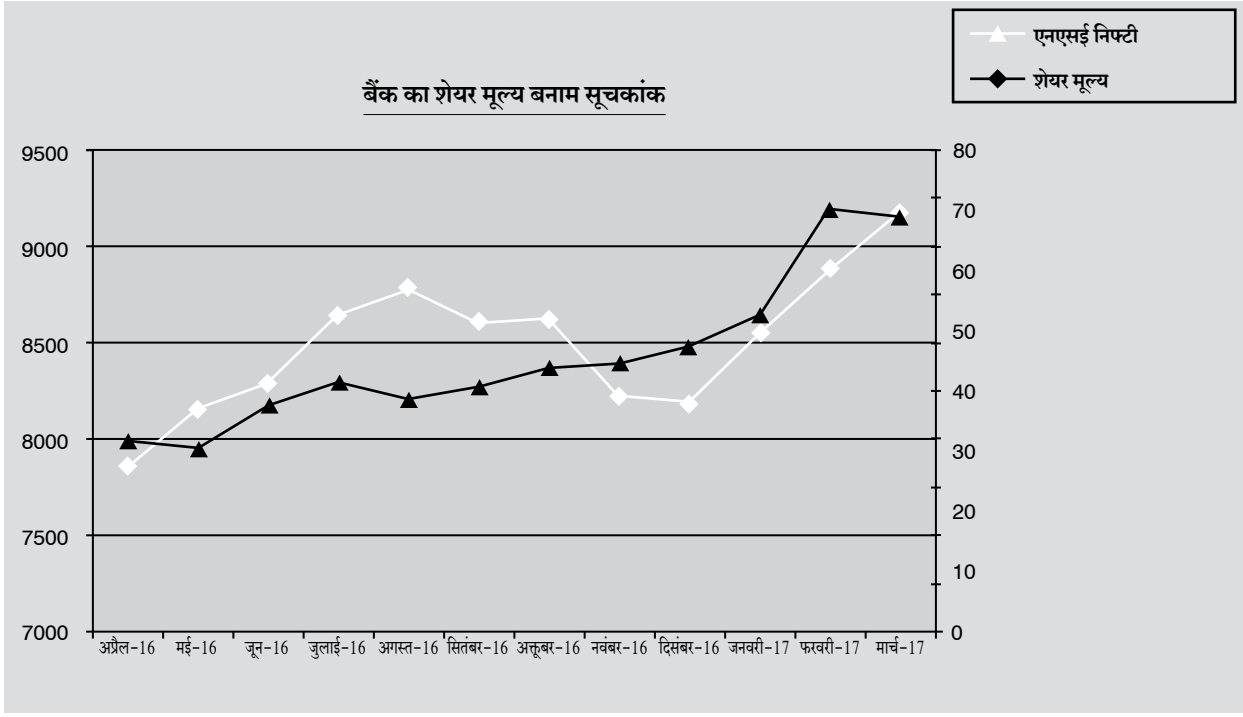

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)

माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद (₹)	समाप्त तारीख	शेयरों के व्यापार की मात्रा	एस एण्ड पी बीएसई सेंसेक्स
अप्रैल 2016	33.00	30.80	**31.75**	29.04.2016	33570548	25606.62
मई 2016	33.25	29.75	**30.55**	31.05.2016	38271855	26667.96
जून 2016	38.90	29.65	**37.50**	30.06.2016	108438350	26999.72
जुलाई 2016	45.95	37.10	**41.20**	29.07.2016	224143627	28051.86
अगस्त 2016	41.70	36.55	**38.60**	31.08.2016	50629084	28452.17
सितंबर 2016	43.40	38.10	**40.45**	30.09.2016	77778654	27865.96
अक्तूबर 2016	46.60	39.60	**43.90**	30.10.2016	100115855	27930.21
नवंबर 2016	54.45	38.10	**44.75**	30.11.2016	234223034	26652.81
दिसंबर 2016	50.50	43.65	**47.40**	30.12.2016	86055846	26626.46
जनवरी 2017	53.80	46.00	**52.25**	31.01.2017	76313064	27655.96
फरवरी 2017	73.90	52.10	**70.15**	28.02.2017	601106141	28743.32
मार्च 2017	72.40	61.75	**68.50**	31.03.2017	249757651	29620.50

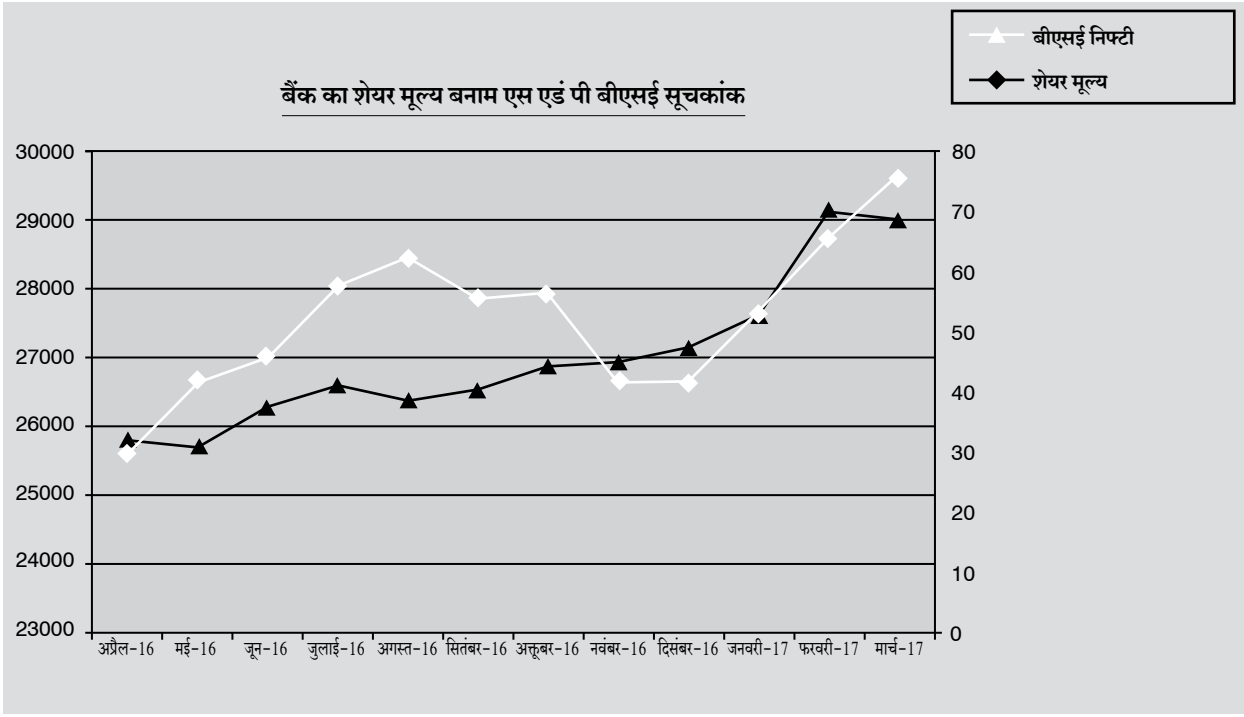

10.6 यथा 31.03.2017 को विजया बैंक के शेयरधारण का मूल्य–वार वितरण

अधिकृत मूल्य के शेयर	शेयरधारक		शेयर	
	संख्या	प्रतिशतता	राशि ₹ में	प्रतिशतता
1 से 5000	218899	86.9478	347746410	3.4815
5001 से 10000	21026	8.3516	182123800	1.8233
10001 से 20000	6914	2.7463	106311620	1.0643
20001 से 30000	1639	0.6510	42105220	0.4215
30001 से 40000	903	0.3587	33021410	0.3306
40001 से 50000	589	0.2340	28017110	0.2805
50001 से 100000	934	0.3710	69774870	0.6986
100001 व उससे अधिक	855	0.3396	9179352960	91.8996
कुल	**251759**	**100.00**	**9988453400**	**100.00**

जी नारायणन
अध्यक्ष

डॉ. किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

बी एस रामा राव
कार्यकारी निदेशक

नागेश्वर राव वाई
कार्यकारी निदेशक

संजय कुमार
निदेशक

जी पी बोरा
निदेशक

एम भगवंत राव
निदेशक

वी वी आर शास्त्री
निदेशक

एस रघुनाथ
निदेशक

भारती राव
निदेशक

पी वैद्यनाथन
निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 09.05.2017

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा घोषणा

मैं पुष्टि करता हूं कि मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए बैंक की आचार संहिता का अनुपालन करने की अभिपुष्टि दी है.

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 09.05.2017

डॉ. किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

कंपनी शासन के संबंध में लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में :

विजया बैंक के सदस्य,

हमने, संबद्ध भारतीय प्रतिभूति और विनिमय (एलओडीआर) 2015 यथा निर्दिष्ट 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए, विजया बैंक द्वारा कंपनी शासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है.

कंपनी शासन की शर्तों का अनुपालन, प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी है. हमारा परीक्षण, कंपनी शासन की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित था. यह न तो लेखा परीक्षा है न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिव्यक्त राय.

हम सूचित करना चाहते हैं कि निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति / अन्य समितियों का गठन, निदेशकों के पारिश्रमिक, मंडल क्रियाविधि / संबंधित पार्टी लेनदेन / विसिल ब्लोअर / प्रबंधन और अनुपालनों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम 2015 के संबंधित विनियमों के अधीन बैंक, जब कभी लागू हो, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ; राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश / भारत सरकार के दिशानिर्देश / आईसीएआई–लेखांकन मानक के अधीन निर्धारित प्रावधानों द्वारा शामिल होगा. अतः बैंक ऊपर उल्लिखित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम 2015 के संबंधित विनियमों में यथा निर्दिष्ट कंपनी अभिशासन की शर्तों का उस हद तक पालन किया है कि ये उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंधन नहीं करता है.

हम यह उल्लेख करते हैं कि हितधारक संबंध समिति द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों और बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट द्वारा यथा प्रमाणित बैंक के प्रति, एक महीने से अधिक समय के लिए कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है.

आगे हम उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन, बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में न कोई आश्वासन है न ही बैंक का कामकाज चलाने में प्रबंध वर्ग की दक्षता अथवा क्षमता का संकेत है.

कृते मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.003990एस / एस200018

राजेश्वरी एस
साझेदार
सदस्यता सं.024105

कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.011316एन

विक्रम जिंदल
साझेदार
सदस्यता सं.095464

कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेस्वरन
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001204एस

पी एस नरसिंहन
साझेदार
सदस्यता सं.020936

कृते मेसर्स ओ पी बाग्ला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000018एन

राकेश कुमार
साझेदार
सदस्यता सं.087537

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 09.05.2017

31 मार्च, 2017 का तुलन–पत्र

विवरण	अनुसूची संख्या	(₹ 000 छोड दिया गया है) 31.03.2017 की स्थिति	31.03.2016 की स्थिति
पूंजी और देयताएँ			
पूंजी	1	**998 84 54**	932 56 04
शेयर आवेदन राशि	1ए	**0**	220 00 00
आरक्षितियां और अधिशेष	2	**7152 64 25**	6472 16 34
जमाराशियां	3	**133011 95 21**	125440 72 29
उधार	4	**11061 79 67**	10300 57 18
अन्य देनदारियां तथा प्रावधान	5	**2656 33 92**	2042 72 24
जोड		**154881 57 59**	145408 74 09
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	6	**5770 42 12**	6268 34 99
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	**160 28 89**	351 20 09
विनिधान	8	**44424 55 13**	41842 48 95
अग्रिम	9	**94548 88 80**	88986 96 12
अचल आस्तियां	10	**1318 75 97**	1288 29 49
अन्य आस्तियां	11	**8658 66 68**	6671 44 45
जोड		**154881 57 59**	145408 74 09
आकस्मिक देयताएं	12	**15920 14 45**	17276 57 98
वसूली के लिए बिल			
लेखा नीतियां	17	**2281 21 22**	2165 67 27
लेखों पर टिप्पणियां	18		

ऊपर संदर्भित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ एवं अनुसूचियाँ तुलन–पत्र का एक अभिन्न भाग बनती हैं.

गोपालकृष्णन नारायणन
अध्यक्ष

डॉ. किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एव सीईओ

बी एस रामा राव
कार्यकारी निदेशक

नागेश्वर राव वाई
कार्यकारी निदेशक

संजय कुमार
निदेशक

जी पी बोरा
निदेशक

पी वैद्यनाथन
निदेशक

एम भगवंत राव
निदेशक

वी वी आर शास्त्री
निदेशक

एस रघुनाथ
निदेशक

मुरली रामस्वामी
महा प्रबंधक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.003990एस / एस200018

राजेश्वरी एस
साझेदार
सदस्यता स.024105

कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.011316एन

विक्रम जिंदल
साझेदार
सदस्यता स.095464

कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेस्वरन
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001204एस

पी एस नरसिंहन
साझेदार
सदस्यता स.020936

कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000018एन

राकेश कुमार
साझेदार
सदस्यता स.087537

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 09.05.2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

	विवरण	अनुसूची संख्या	(₹ 000 छोड दिया गया है) 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	12379 45 85	12083 57 90
	अन्य आय	14	1651 26 27	873 85 97
	जोड		14030 72 12	12957 43 87
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	8873 01 79	9322 74 47
	प्रचालन व्यय	16	2736 54 95	2085 82 41
	उपबंध और आकस्मिक व्यय		1670 66 87	1167 07 47
	जोड		13280 23 61	12575 64 35
III.	**लाभ / हानि**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ		750 48 51	381 79 52
	जोडे : आगे लाया गया लाभ		1337 24 27	1102 18 78
	जोड		2087 72 78	1483 98 30
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधि आरक्षिति में अंतरण		187 62 13	95 44 87
	आय कर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार विशेष आरक्षण में अंतरण		80 00 00	–
	पूंजी आरक्षिति में अंतरण		364 92 56	51 29 16
	सामान्य आरक्षिति में अंतरण		–	–
	अंतरिम लाभांश (कर सहित)		–	–
	प्रस्तावित लाभांश – ईक्विटी शेयर पूंजी (कर सहित)		180 32 85	0
	प्रस्तावित लाभांश अधिमान्य शेयर पूंजी (कर सहित)		–	–
	तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष		1274 85 24	1337 24 27
	जोड		2087 72 78	1483 98 30
	प्रति शेयर अर्जन			
	– बेसिक (रु. में)		7.57	4.44
	– डाइल्यूटेड (रु. में)		7.57	4.44
	लेखा नीतियां	17		
	लेखों पर टिप्पणियां	18		

ऊपर संदर्भित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ एवं अनुसूचियाँ लाभ व हानि लेखा का एक अभिन्न भाग बनती हैं.

गोपालकृष्णन नारायणन
अध्यक्ष

डॉ. किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एव सीईओ

बी एस रामा राव
कार्यकारी निदेशक

नागेश्वर राव वाई
कार्यकारी निदेशक

संजय कुमार
निदेशक

जी पी बोरा
निदेशक

पी वैद्यनाथन
निदेशक

एम भगवंत राव
निदेशक

वी वी आर शास्त्री
निदेशक

एस रघुनाथ
निदेशक

मुरली रामस्वामी
महा प्रबंधक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.003990एस / एस200018

राजेश्वरी एस
साझेदार
सदस्यता स.024105

कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.011316एन

विक्रम जिंदल
साझेदार
सदस्यता स.095464

कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेस्वरन
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001204एस

पी एस नरसिंहन
साझेदार
सदस्यता स.020936

कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000018एन

राकेश कुमार
साझेदार
सदस्यता स.087537

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 09.05.2017

तुलन पत्र व लाभ हानि लेखा की अनुसूचियाँ

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण	31.03.2017 की स्थिति	31.03.2016 की स्थिति
अनुसूची – 1 :		
पूंजी		
प्राधिकृत पूंजी	**3000 00 00**	3000 00 00
प्रति ₹ 10/- के 300,00,00,000 शेयर		
जारी, अभिदत्त और मांगी गयी पूंजी		
प्रति ₹ 10/- के 99,88,45,340 ईक्विटी शेयर		
(पिछले वर्ष प्रति ₹ 10/- के 93,25,60,315 ईक्विटी शेयर)	**998 84 54**	932 56 04
प्रदत्त पूंजी		
(क) केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रति ₹ 10/- के 70,25,32,074 ईक्विटी शेयर		
(पिछले वर्ष प्रति ₹ 10/- के 63,62,47,049 ईक्विटी शेयर)	**702 53 21**	636 24 71
(ख) सार्वजनिक और अन्य द्वारा धारित प्रति ₹ 10/- के 29,63,13,266 ईक्विटी शेयर		
(पिछले वर्ष प्रति 29,63,13,266 ईक्विटी शेयर)	**296 31 33**	296 31 33
जोड	**998 84 54**	932 56 04
दिनांक 13.05.2016 को भारत सरकार को ₹ 33.19 की दर पर 6,62,85,025 शेयर अधिमानी आधार पर आबंटित किया गया (अंकित मूल्यत ₹10/- ₹ 23.19 के प्रीमियम पर)		
अनुसूची – 1ए :		
शेयर आवेदन राशि	**0**	220 00 00
(दिनांक 30.03.2016 को भारत सरकार ने ₹ 220 करोड की शेयर आवेदन राशि लगायी है)		
जोड	**0**	220 00 00
अनुसूची – 2 :		
आरक्षितियां और अधिशेष		
I. सांविधिक आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**1543 02 07**	1447 57 20
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**187 62 13**	95 44 87
जोड	**1730 64 20**	1543 02 07
II. पूंजी आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**409 72 80**	358 43 64
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**364 92 56**	51 29 16
जोड	**774 65 36**	409 72 80

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण	31.03.2017 की स्थिति	31.03.2016 की स्थिति
अनुसूची – 2 : (जारी...)		
III. शेयर प्रीमियम		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**1831 78 86**	1679 39 85
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**153 71 50**	152 39 01
जोड	**1985 50 36**	1831 78 86
IV. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**873 85 98**	236 51 67
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**0**	684 50 14
घटाएं : लाभ व हानि खाते से समायोजित मूल्यह्रास के प्रति कटौती	**43 39 25**	47 15 83
जोड	**830 46 73**	873 85 98
V. राजस्व और अन्य आरक्षितियां		
(क) आय कर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अनुसार विशेष आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**463 72 74**	463 72 74
जोड : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**80 00 00**	0
जोड	**543 72 74**	463 72 74
(ख) सामान्य आरक्षिति		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**12 79 62**	12 79 62
जोड/(घटाएँ) : वर्ष के दौरान अंतरण	**–**	–
जोड	**12 79 62**	12 79 62
(ग) लाभ व हानि लेखा में शेष राशि	**1274 85 24**	1337 24 27
जोड	**1274 85 24**	1337 24 27
जोड (क+ख+ग)	**1831 37 60**	1813 76 63
जोड {I+II+III+IV+V}	**7152 64 25**	6472 16 34
अनुसूची – 3 :		
जमाराशि		
भारत में जमाराशि		
I. मांग जमा		
i) बैंकों से	**16 35 14**	17 89 94
ii) अन्य से	**8547 42 49**	6650 58 38
II. बचत बैंक जमाराशियां	**28834 56 99**	22456 27 67
III. सावधि जमाराशियां		
i) बैंकों से	**30 85**	2 22 27
ii) अन्य से	**95613 29 74**	96313 74 03
जोड	**133011 95 21**	125440 72 29

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण	31.03.2017 की स्थिति	31.03.2016 की स्थिति
अनुसूची – 4 :		
उधार		
I. **भारत में उधार**		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	**0**	0
ii) अन्य बैंक	**0**	0
iii) अन्य संस्था और अभिकरण	**7336 79 67**	6350 57 18
iv) गौण ऋण – बांड		
1) 9.25% की दर से 10 वर्षीय बांड 2016	**0**	250 00 00
2) 10.10% की दर से 15 वर्षीय बांड 2022	**0**	300 00 00
3) 9.50% की दर से 10 वर्षीय व 3 महीने के बांड 2017	**200 00 00**	200 00 00
4) 9.35% की दर से 10 वर्षीय व 4 महीने के बांड 2018	**200 00 00**	200 00 00
5) 9.45% की दर से 15 वर्षीय बांड 2023	**300 00 00**	300 00 00
6) 9.73% की दर से 10 वर्षीय बांड 2023	**250 00 00**	250 00 00
7) 9.15% की दर से 10 वर्षीय बांड 2024	**500 00 00**	500 00 00
8) 9.54% की दर से स्थाई अतिरिक्त टियर I बांड 2024	**100 00 00**	100 00 00
9) 8.62% की दर से 10 वर्षीय बांड 2025	**500 00 00**	500 00 00
10) 10.40% की दर से स्थाई अतिरिक्त टियर I बांड	**400 00 00**	400 00 00
11) 11.25% की दर से स्थाई अतिरिक्त टियर I बांड	**500 00 00**	500 00 00
12) 8.64% की दर से 10 वर्षीय बांड	**450 00 00**	450 00 00
13) 10.49% की दर से अतिरिक्त टियर I बेसिल III अनुरूप श्रृंखला IV	**325 00 00**	0
II. **भारत से बाहर उधार**	**0**	0
जोड	**11061 79 67**	10300 57 18
अनुसूची – 5 :		
अन्य देनदारियां व प्रावधान		
(i) देय बिल	**578 90 55**	467 99 76
(ii) प्रोद्भूत ब्याज	**389 46 43**	174 73 58
(iii) मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**516 63 53**	439 79 53
(iv) अन्य (प्रावधानों सहित)	**1171 33 41**	960 19 37
(v) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	**0**	0
(vi) आस्थगित कर देयता (निवल)	**0**	0
जोड	**2656 33 92**	2042 72 24
अनुसूची – 6 :		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोटों सहित)	**506 85 55**	554 59 70
II. चालू खाते में भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	**5263 52 38**	5713 70 41
III. अन्य खातों में भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	**4 19**	4 88
जोड	**5770 42 12**	6268 34 99

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण	31.03.2017 की स्थिति	31.03.2016 की स्थिति
अनुसूची – 7 :		
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
I. भारत में		
(i) बैंकों में शेष		
(क) चालू खातों में	**23 50 62**	103 83 34
(ख) अन्य जमा खातों में	**23**	17
(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
(क) बैंकों के साथ	**0**	0
(ख) अन्य संस्थाओं के साथ	**61 66 01**	30 16 12
जोड	**85 16 86**	133 99 63
II. भारत के बाहर*		
(क) चालू खातों में	**4 36 94**	5 76 94
(ख) अन्य जमा खातों में	**70 75 09**	211 43 52
जोड	**75 12 03**	217 20 46
जोड {I+II}	**160 28 89**	351 20 09
* नॉस्ट्रो प्रतिरूप शेष में असमायोजित मदें तथा विचाराधीन राशि शामिल है.		
अनुसूची – 8 :		
विनिधान		
भारत में विनिधान (सकल)	**44786 97 37**	42178 12 20
घटाएं : अवमूल्यन एवं गैरनिष्पादक निवेश के लिए प्रावधान	**362 42 24**	335 63 25
भारत में निवल विनिधान	**44424 55 13**	41842 48 95
विश्लेषण		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	**40042 60 57**	35163 24 39
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	**2 79 09**	2 72 75
iii) शेयर	**257 12 04**	180 01 29
iv) डिबेंचर और बांड	**3564 11 79**	6210 38 61
v) सह संस्थाओं में निवेश (ईक्विटी पद्धति पर)	**0**	0
vi) अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, म्यूचुअल फंड के यूनिट, उद्यम पूंजी निधि, आदि)	**557 91 64**	286 11 91
जोड	**44424 55 13**	41842 48 95

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण			31.03.2017 की स्थिति	31.03.2016 की स्थिति
अनुसूची – 9 :				
अग्रिम				
(क)	i)	खरीदे गए व भुनाए गए बिल	**1109 42 45**	1182 98 57
	ii)	नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर दिए ऋण	**35246 26 45**	32202 49 46
	iii)	सावधि ऋण	**58192 94 93**	55601 23 12
	iv)	कृषि ऋण छूट योजना – 2008 के अधीन प्राप्य दावे	**24 97**	24 97
		जोड	**94548 88 80**	88986 96 12
(ख)	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के प्रति अग्रिम शामिल हैं)	**84839 96 44**	75855 33 57
	ii)	बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा रक्षित	**298 45 27**	2707 61 80
	iii)	अप्रतिभूत	**9410 22 12**	10423 75 78
	iv)	कृषि ऋण छूट योजना – 2008 के अधीन प्राप्य दावे	**24 97**	24 97
		जोड	**94548 88 80**	88986 96 12
(ग)		भारत में अग्रिम		
	i)	प्राथमिकता क्षेत्र	**36319 34 56**	34011 93 03
	ii)	सार्वजनिक क्षेत्र	**2335 26 77**	2448 10 11
	iii)	बैंक	**46 17 26**	650 81 31
	iv)	अन्य	**55847 85 24**	51875 86 70
	v)	कृषि ऋण छूट योजना – 2008 के अधीन प्राप्य दावे	**24 97**	24 97
		जोड	**94548 88 80**	88986 96 12

अनुसूची – 10 :	**31.03.2017**	31.03.2016		
अचल आस्तियां				
I. परिसर				
सकल ब्लाक (लागत पर/पुनर्मूल्यांकित राशि)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**1320 21 52**	608 23 06		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**1 06 95**	711 98 46*		
वर्ष के दौरान कटौतियां	**–**	**–**		
	1321 28 47	1320 21 52		
* वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹68,45,014 हजार की वृद्धि सहित				
मूल्यह्रास				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**347 98 64**	296 40 02		
जोडें : वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास	**47 64 02**	51 58 62		
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	**–**	–		
अद्यतन मूल्यह्रास– पुनर्मूल्यांकन के निमित्त रु.32,78,142 हज़ार रकम सहित (पिछले वर्ष : 28,44, 217 हज़ार)	**395 62 66**	347 98 64		
अवलिखित मूल्य			**925 65 81**	972 22 88

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण			31.03.2017 की स्थिति	31.03.2016 की स्थिति
II. **अन्य अचल आस्तियां**				
(फर्नीचर तथा जुडनार सहित)				
सकल ब्लॉक (लागत पर)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**794 60 16**	728 61 89		
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**162 94 58**	155 77 41		
	957 54 74	884 39 30		
वर्ष के दौरान कटौतियां	**22 50 65**	89 79 14		
	935 04 09	794 60 16		
मूल्यह्रास				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**479 92 39**	473 80 45		
जोडें : वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास	**78 56 52**	67 06 41		
	558 48 91	540 86 86		
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	**15 17 21**	60 94 47		
अद्यतन मूल्यह्रास	**543 31 70**	479 92 39		
अवलिखित मूल्य			**391 72 39**	314 67 77
III. पूंजी चालू कार्य			**1 37 77**	**1 38 84**
जोड			**1318 75 97**	1288 29 49
अनुसूची 11 :				
अन्य आस्तियां				
i. प्रोद्भूत ब्याज			**868 53 93**	796 60 03
ii. अग्रिम रूप से प्रदत्त / स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान का निवल)			**2589 98 55**	2092 98 18
iii. आस्थगित कर आस्ति (निवल)			**344 12 40**	200 36 13
iv. लेखन सामग्री और स्टैम्प			**1 32 94**	1 38 31
v. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां			**7 62**	7 62
vi. अन्य (प्रावधान का निवल)			**5310 24 29**	4421 18 94
vii. अपरिशोधन-ग्रेच्युटी व पेंशन			**–**	–
viii. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)			**(–455 63 05)**	(–841 14 76)
जोड			**8658 66 68**	6671 44 45
अनुसूची 12 :				
आकस्मिक देयताएं				
i. बैंक के खिलाफ़ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है			**251 79 69**	299 49 37
ii. अंशत: प्रदत्त विनिधानों के लिए देयताएं			**–**	–
iii. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के प्रति देयताएं			**3959 84 81**	6420 84 27
iv. भारत में घटकों की ओर से दी गयी गारंटियां			**7104 97 73**	6877 95 62
v. प्रति-ग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं			**1342 93 84**	1332 37 45
vi. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है			**32546548**	2296 43 05
vii. निष्पादित किए जाने के लिए बाकी पूंजीगत करार			**5 92 90**	49 48 22
जोड			**159201445**	17276 57 98

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण		31.03.2017 की स्थिति	31.03.2016 की स्थिति
अनुसूची – 13 :			
अर्जित ब्याज			
i.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	**8734 80 06**	8847 46 23
ii.	विनिधानों पर आय	**3359 09 41**	2955 21 89
iii.	भारतीय रिज़र्व बैंक के शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	**44 05**	23 74
iv.	अन्य	**285 12 33**	280 66 04
	जोड	**12379 45 85**	12083 57 90
अनुसूची – 14 :			
अन्य आय			
i.	कमीशन, विनिमय और दलाली	**147 23 99**	133 15 35
ii.	विनिधानों के बिक्री पर लाभ	**920 08 27**	232 23 98
	घटाएं : विनिधानों के बिक्री से हानि	**151 09 58**	49 83 37
		768 98 69	182 40 61
iii.	विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ /(हानि)	**–**	–
	घटाएं : एचटीएम प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन	**–**	–
		–	–
iv.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के बिक्री पर लाभ	**15 82**	22 79
	घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के बिक्री से हानि	**2 52 75**	62 53
		(–2 36 93)	(– 39 74)
v.	विनिमय लेनदेन पर लाभ	**52 66 90**	58 75 98
	घटाएं : विनिमय लेनदेन पर हानि	**0**	0
		52 66 90	58 75 98
vi.	विविध आय	**684 73 62**	499 93 77
	जोड {i+ii+iii+iv+v+vi}	**1651 26 27**	873 85 97
अनुसूची – 15 :			
व्यय किया गया ब्याज			
i.	जमाराशियों पर ब्याज	**8039 25 47**	8682 93 63
ii.	भारतीय रिज़र्व बैंक /अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	**14 20 09**	12 30 08
iii.	अन्य	**819 56 23**	627 50 76
	जोड	**8873 01 79**	9322 74 47

(₹ 000 छोड दिया गया है)

विवरण			31.03.2017 की स्थिति	31.03.2016 की स्थिति
अनुसूची – 16 :				
परिचालन व्यय				
i. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान			**1747 88 58**	1246 96 88
ii. किराया, कर और रोशनी			**198 88 89**	177 82 21
iii. मुद्रण और लेखन सामग्री			**12 29 83**	13 09 45
iv. विज्ञापन और प्रचार			**7 02 67**	8 39 94
	31.03.2017	31.03.2016		
v. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	126 20 54	118 65 02		
घटाएं : पुनर्मूल्यन आरक्षिति से समायोजित मूल्यह्रास	43 39 25	47 15 82	**82 81 29**	71 49 20
vi. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय			**60 92**	44 04
vii. लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय शाखा लेखा परीक्षकों सहित			**13 19 45**	17 16 77
viii. विधि प्रभार			**65 36**	83 94
ix. डाक, तार, टेलिफोन आदि			**33 08 96**	27 92 67
x. मरम्मत और अनुरक्षण			**5 74 53**	6 26 05
xi. बीमा			**121 88 10**	119 50 66
xii. अन्य व्यय			**512 46 37**	395 90 60
जोड			**2736 54 95**	2085 82 41

गोपालकृष्णन नारायणन
अध्यक्ष

डॉ. किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

बी एस रामा राव
कार्यकारी निदेशक

नागेश्वर राव वाई
कार्यकारी निदेशक

संजय कुमार
निदेशक

जी पी बोरा
निदेशक

पी वैद्यनाथन
निदेशक

एम भगवंत राव
निदेशक

वी वी आर शास्त्री
निदेशक

एस रघुनाथ
निदेशक

मुरली रामस्वामी
महा प्रबधक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.003990एस / एस200018

राजेश्वरी एस
साझेदार
सदस्यता सं.024105

कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.011316एन

विक्रम जिंदल
साझेदार
सदस्यता सं.095464

कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेस्वरन
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001204एस

पी एस नरसिंहन
साझेदार
सदस्यता सं.020936

कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000018एन

राकेश कुमार
साझेदार
सदस्यता सं.087537

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 09.05.2017

अनुसूची–17
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 2016–17

क. तैयारी का आधार :

ऐतिहासिक लागत के अधीन, सतत आधार पर लेखांकन के उपार्जन आधार पर, अन्यथा उल्लिखित बातों को छोड़कर बैंक का वित्तीय विवरणी तैयार किया जाता है और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) से संबंध सभी पहुलओं जो कानूनी प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथा के अनुरूप है.

ख. अनुमान के उपयोग :

वित्तीय विवरणी की तैयारी वित्तीय विवरणी के यथा दिनांक और रिपोर्ट किए गए अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए आय और व्यय को आस्ति और देयताओं (आकस्मिक देयता सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में विचार किए गए अनुमान और मान्यता को प्रबंधन करने की आवश्यकता है. प्रबंधन यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणी को तैयार करने में प्रयोग किए गए अनुमान मितव्ययी और उचित हैं. भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं. अनुमान में कोई भी संशोधन, वर्ष में प्रगतिशील रूप से मान्यता प्राप्त है जिसमें वे ज्ञात / भौतिक हैं, जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो.

1) विदेशी मुद्रा लेनदेन

I. एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खाते के अलावा लेनदेन

(क) विदेशी मुद्रा आस्तियों या देयताओं तथा बकाया वायदा विनिमय संविदाओं तथा स्वैप का मूल्यांकन वर्षांत दरों से भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा निर्दिष्टानुसार किया गया है. परिणामी लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में दर्शाया गया है.

(ख) आय और व्यय मदों को, लेन–देन की तारीखों को विद्यमान विनिमय दरों के अनुसार रखा गया है.

(ग) विदेशी मुद्राओं में जारी गारंटियों और साख पत्रों सहित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य बाध्यताओं के निमित्त प्रासंगिक देयतओं का, जिन्हें तुलन–पत्र में दर्शाया गया है, वर्षांत में विद्यमान विनिमय दरों से मूल्यांकन किया गया है.

II. एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों से संबंधित लेन–देन :

उचित ब्याज सहित एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों में विदेशी मुद्रा जमाराशियों को तथा तदनुरूपी आस्तियों को बाज़ार से जुडी हुई काल्पनिक दरों के अनुरूप रखा गया है, जिनकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है. वर्षांत में आस्ति व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा निर्धारित भाव पर पुनर्मूल्येंकित किया जाता है. परिणामी लाभ/ हानि को आय/हानि के रूप में दर्शाया जाता है.

2) निवेश

क) सामान्य

सभी निवेश लेनदेन व्यापार दिनांक को दर्ज किया जाता है और भुगतान दिनांक को लेखांकन किया जाता है.

निवेश वर्गीकरण पर वर्तमान भारिबैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार निवेश का लेखांकन किया जाता है तथा निम्नलिखित छः समूहों के अधीन तुलनपत्र में दिखाया जाता है.

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर

घ) डिबेंचर और बांड

ङ) अनुषंगी संस्था/संयुक्त उद्यम में निवेश

च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, उद्यम पूंजी निधि आदि)

ख) निवेश का वर्गीकरण:

बैंक का निवेश संविभाग निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क) परिपक्वता तक धारित

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

ग) व्यापार के लिए धारित

वर्गीकरण का आधार:

i. निवेश जो कि बैंक परिपक्वता तक धारित करने का इरादा रखता है, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत है.

ii. निवेश जो कि क्रय के दिनांक से 90 दिनों के अंदर पुनः बिक्री के लिए मूल रूप से रखा गया है व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

iii. निवेश जो उपरोक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं है, बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) के रूप में वर्गीकृत है.

iv. अनुषंगी, संयुक्त उद्यम और सहभागी में निवेश एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

ग) मूल्यांकन का आधार

ख. सामान्य :

निवेश के अधिग्रहण लागत का निर्धारण करने में :

(क) निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को अग्रिम खर्च में रखा जाता है और इसे लागत से अलग किया जाता है.

(ख) ऋण लिखत पर प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि का ब्याज, ब्याज व्यय/आय के रूप में लिया जाता है और इसे लागत/बिक्री से अलग रखा जाता है.

(ग) एएफएस और एचएफटी तथा एचटीएम के अधीन निवेश के लिए भारित औसत लागत विधि पर लागत निर्धारित किया जाता है.

निवेश को उसके अधिग्रहण के समय एचटीएम, एचएफ़टी और एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसके बाद श्रेणियों के बीच अंतरण नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार किया जाता है:

एएफएस/एचएफटी श्रेणी से निवेशों का अंतरण और इसका व्युत्क्रम बही मूल्य या बाजार मूल्य के नीचे किया जाता है. उन मामलों में जहां अंतरण के समय बाजार मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है वहां वृद्धि को नकारा जाता है और प्रतिभूति बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है. उन मामलों में जहां बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है वहां इस प्रतिभूति के प्रति धारित मूल्यह्रास के प्रति प्रावधान (अतिरिक्त प्रावधान सहित यदि कोई हो तो, अंतरण दिनांक पर मूल्यांकन करने के आधार पर आवश्यकतानुसार) बाजार मूल्य से बही मूल्य को कम करके समायोजित किया जाता है और प्रतिभूति बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है.

एचटीएम से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में, यदि प्रतिभूति छूट पर एचटीएम श्रेणी के अधीन मूल रूप से खरीदा गया था तो यह अधिग्रहण मूल्य/बही मूल्य पर एएफएस/एचएफटी में अंतरित किया जाता है. अंतरण के बाद इसका तुरन्त पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उसके एवज में मूल्य ह्रास यदि कोई हो तो उपलब्ध कराया जाता है. यदि प्रतिभूति एचटीएम में मूल रूप से प्रीमियम पर खरीदा जाता है तो अमूर्त लागत पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है. अंतरण के बाद, इसका तुरन्त पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उसके एवज में मूल्य ह्रास यदि कोई हो तो उपलब्ध कराया जाता है.

एएफएस से एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूति का अंतरण या इसके व्युत्क्रम के मामले में, अंतरण के दिनांक को प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है.

क) परिपक्वता तक धारित

(i) इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन वर्षांत में अधिग्रहण लागत पर किया गया है परंतु जहां अधिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक हो वहां प्रीमियम को स्थिर लाभ प्रणाली के अनुसार अमूर्त किया जाता है.

(ii) अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उपक्रमों में विनिवेश के मामले में, मूल्य में कोई ह्रास होने पर अस्थाई से भिन्न विनिवेश को पहचाना गया है और अलग-अलग रूप से प्रत्येक विनिवेश के लिए प्रावधान किया गया है.

(iii) जोखिम पूंजी निधि में विनिवेश अधिग्रहण की लागत पर मूल्यांकित किया गया है.

(iv) इस श्रेणी में विनिधान के बिक्री पर अर्जित लाभ को पहले लाभ-हानि लेखा में लिया गया है और तदनंतर 'पूंजीगत आरक्षिति खाते' में विनियोजित किया गया है. बिक्री पर हुई हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणी :

एएफएस और एचएफटी श्रेणी के अधीन धारित निवेश नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य पर अलग-अलग पुनर्मूल्यांकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी (अर्थात (i) सरकारी प्रतिभूति (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूति (iii) शेयर (iv) बांड्स और डिबेंचर (v) अनुषंगी और संयुक्त उद्यम; और (vi) अन्य निवेश) का प्रत्येक समूह का केवल निवल मूल्यह्रास उपलब्ध कराया जाए और निवल मूल्यह्रास छोड़ दिया जाए. मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर अलग-अलग प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार को चिन्हित करने के बाद अपरिवर्तित रहता है.

	संघटक	मूल्यांकन प्रक्रिया
क	सरकारी प्रतिभूति i) केंद्र सरकार प्रतिभूति	आवधिक आधार पर भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य/ वाईटीएम पर
	ii) राज्य सरकार प्रतिभूति	आवधिक आधार पर भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य/ वाईटीएम पर
ख	केंद्र/राज्य सरकार पीएसयू बांड द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां (अग्रिम के स्वरुप में नहीं)	एफआईएमएमडीए/भारिबैंक के मार्गनिर्देशानुसार परिपक्वता आधार पर उचित आय पर
ग	खजाना बिल	ढुलाई लागत पर
घ	ईक्विटी शेयर	बाजार मूल्य पर, यदि भाव दिया जाता है, अन्यथा अद्यतन तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार शेयर के विच्छेदित मूल्य पर अन्यथा 1रु. प्रति कंपनी की दर से.

	संघटक	मूल्यांकन प्रक्रिया
ङ	अधिमान्य शेयर	यदि भाव दिया जाता है तो बाजार मूल्य पर, अन्यथा भारिबैंक/एफआईएमएमडीए के मार्गनिर्देशानुसार प्रतिदेय मूल्य से अधिक न होते हुए परिपक्वता आधार पर उचित आय पर. अधिमान्य शेयरों के मामले में जहां अधिमान्य लाभांश में बकाया हो, वहां संचित लाभांश के लिए कोई जमा नहीं लिया जाता है और यदि बकाया एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए हो तो वाइटीएम के अनुसार निर्धारित मूल्य में न्यूनतम 15% बट्टा लगाया जाता है. उपरोक्तानुसार गैर-निष्पादित शेयरों के मामले में जहां लाभांश बकाया हो निर्धारित किए गए मूल्यह्रास/प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को अन्य निष्पादित अधिमान्य शेयरों के वर्धन के प्रति समंजन नहीं किया जाता है.
च	बांड एवं डिबेंचर (अग्रिम के स्वरूप का नहीं)	यदि भाव दिया जाता है तो बाजार मूल्य पर, अन्यथा भारिबैंक/एफआईएमएमडीए के मार्गनिर्देशानुसार परिपक्वता आधार के प्रति उचित आय पर
छ	म्यूचुअल फंड की यूनिटें	यदि भाव दिया जाता है तो शेयर बाजार भाव दर पर, यदि भाव नहीं दिया जाता है तो पुनःखरीद मूल्य/एनएवी पर.
ज	वाणिज्यिक कागज़ात	ढुलाई लागत पर.
झ	प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूति रसीद (एसआर) जारी करने के प्रति प्रतिभूति कंपनी (एससी)/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए (वित्तीय आस्ति) की बिक्री के मामले में, एसआर में निवेश (i) वित्तीय आस्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात धारित प्रावधान के बाद बही मूल्य) और (ii) एसआर का मोचन मूल्य के निचले मूल्य पर मान्यता प्राप्त है. एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर गैर-एसएलआर लिखत को लागू दिशानिर्देशों के अनुसार महत्वपूर्ण है. तदनुसार, उन मामलों में जहां, एससी/एआरसी द्वारा जारी एसआर संबद्ध योजना में लिखत, निर्धारित वित्तीय आस्तियों के मूल प्राप्ति तक सीमित है, तो निवल आस्ति मूल्य एससी/एआरसी से प्राप्त किया जाता है, ऐसे निवेश का मूल्यांकन के लिए गणना किया गया है.
ञ	उद्यम पूँजी निधि	वीसीएफ द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर.
ट	सामरिक ऋण पुनर्गठन के अधीन हासिल ईक्विटी शेयर	बाजार मूल्य पर, यदि भाव दिया जाता है, अन्यथा अद्यतन तुलन पत्र(एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार शेयर के विच्छेदित मूल्य पर अन्यथा 1रु. प्रति कंपनी की दर से. एसडीआर के अधीन आबंटित ईक्विटी शेयर का मूल्यह्रास, ईक्विटी के रूपांतरण दिनांक से चार कैलेंडर तिमाही में बांटा गया है.
ठ	अन्य विनिवेश	ह्रास मूल्य घटाकर ढुलाई लागत पर.

रुपांतरण के जरिए अर्जित लिखतों का मूल्यह्रास चाहे वह मानक या एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, एएफएस श्रेणी के अधीन धारित किसी अन्य प्रतिभूति में मूल्यह्रास को समायोजित नहीं किया जाए.

एएफएस/एचएफटी में निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि को लाभ व हानि खाता में लिया जाता है.

III. विवेकपूर्ण मानदंड

(क) i) केंद्र सरकार की गारंटी सहित प्रतिभूतियों को मूल धन/ब्याज भुगतानों की बकाया राशि पर ध्यान न देते हुए निष्पादक निवेश माने जाते हैं. तथापि, यदि ब्याज 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए वसूल नहीं किया जाता है तो उसे केवल नकदी आधार पर आय के रूप में पहचाना जाएगा.

ii) प्रतिभूतियां जो राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं, जहाँ मूलधन/ब्याज देय है परन्तु 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अदा नहीं किए गए हैं, मदों को अनुपयोज्य निवेश माने जाते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशानुसार प्रावधान किया गया है. आगे, राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई प्रतिभूतियों के लिए जहाँ मूलधन/ब्याज देय है लेकिन 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रदत्त नहीं है, ब्याज को केवल नकद आधार पर पहचाना जाता है.

(ख) प्रतिभूतियां जो केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अधिमान्य शेयरों द्वारा गारंटीकृत नहीं है : मूलधन/ब्याज/निर्धारित देय है परन्तु वर्ष के अंत में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अदा नहीं किए गए हैं, मदों को अनुपयोज्य निवेश माने जाते हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक मार्गनिर्देशानुसार प्रावधान किया गया है.

(ग) डिबेंचरों/बांडों के मामले में जहां मूलधन/ब्याज बकाया है, अग्रिमों के मामले में प्रावधान किया गया है.

(घ) यदि बैंक से जारीकर्ता द्वारा किसी प्रकार का ऋण सुविधा उपभुक्त किया जाता है और वह एनपीए है, उसी जारीकर्ता

द्वारा किसी भी प्रतिभूति में निवेश को गैर–निष्पादक आस्ति और अधिमानी शेयर में निवेश को छोड़कर एनपीए होने को छोड़कर इसके व्युत्क्रम में व्यवहृत किया जाता है.

(ङ) गैर–निष्पादक निवेश के संबंध में अपेक्षित मूल्यह्रास/ प्रावधान अन्य निष्पादक निवेशों के संबंध में मूल्यवृद्धि के प्रति समायोजित नहीं किया गया है.

3) व्युत्पन्न से संबंधित लेनदेन

व्युत्पन्न करारों को प्रतिरक्षा और व्यापार के रूप में नामोद्दिष्ट कर निम्नानुसार लेखाबद्ध किया गया है:

क. प्रतिरक्षा विनिमय: बाजार मूल्य या कम लागत पर या वित्तीय विवरण बाजार मूल्य पर धारित आस्ति या देयता से संबंधित विनिमय को छोडकर, ब्याज युक्त आस्ति व देयताओं की प्रतिरक्षा हेतु ब्याजदर विनिमय को प्रोद्भवित आधार पर लेखाबद्ध किया गया है. ऐसी स्थिति में विनिमय बाज़ार को अंकित किया गया है एवं परिणामी लाभ व हानि का नामोद्दिष्ट आस्ति या देयता को बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में अभिलिखित किया गया है.

समाप्त की गई विनिमय के मामले में, लाभ व हानि को आस्थगित कर, विनिमय की शेष संविदागत अवधि या आस्ति/देयता की अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार माना गया है.

ख. प्रतिरक्षा मदों को पुनर्नामित करनाः यदि प्रतिरक्षा मदों को एक आस्ति/ देयता मद से दूसरे आस्ति/देयता मद के रूप में पुनर्नामोद्दिष्ट किया जाता है तो, उक्त कार्य को एक प्रतिरक्षा की समाप्ति एवं दूसरे का उपार्जन के रूप में लेखाबद्ध किया जाएगा. पुनर्नामोद्दिष्ट किए जाने की तारीख को विनिमय बाज़ार को अंकित किया जाता है और विनिमय की शेष अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार बाजार मूल्य के बही में अंकित करने के मूल्य परिशोधित किया जाता है. बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के प्रति संतुलन समायोजन को नए रूप से नामोद्दिष्ट आस्ति/देयता की प्रतिरक्षा पर प्राप्त या प्रदत्त प्रीमियम के रूप में माना जाएगा और पुनर्नामोद्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि या विनिमय की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार इनका परिशोधन किया जाएगा.

ग. **व्यापारी विनिमय :** व्यापारी विनिमय के संबंध में बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को आय विवरण में अभिलेखित किया जाता है. विनिमय की समाप्ति पर प्राप्त लाभ या हानि को तात्कालिक आय या व्यय के रूप में अभिलिखित किया जाता है.

4) अचल आस्तियां/मूल्यह्रास तथा परिशोधन

I) अचल आस्तियां

(क) बैंक परिसर में पूर्ण स्वमित्ववाली संपत्ति और पट्टा–धारित संपत्ति शामिल है. खरीदी गई और आबंटित भूमि और भवनों का, करारनामों/आबंटित पत्रों और वास्तविक कब्जों के आधार पर पंजीकरण किया गया है. अन्य अचल आस्तियें को उनके इस्तेमाल की तारीख से पूंजीकृत किया जाता है. मूल्यांकित परिसर और अन्य अचल आस्तियों को छोडकर परिसर और दूसरे अन्य अचल आस्तियों को उनकी ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है. ऐसी अचल आस्तियों को पुनर्मूल्यांकित रकम के आधार पर दर्शाया गया है.

(ख) पट्टे पर /किराए पर ली गई संपत्ति के संबंध में पूंजीगत आस्तियों के अभिग्रहण के लिए किए गए अग्रिम भुगतान को 'अन्य आस्तियों' के अंतर्गत रखा गया है.

II) मूल्यह्रास /परिशोधन

(क) कुछ संपत्तियों की सम्मिश्र लागत सहित जहां भूमि लागत का पृथककरण करना संभव नहीं है, कंप्यूटरों से भिन्न अचल आस्तियों का 'आय कर नियम 1961'के अंतर्गत ह्रासमान संतुलन पद्धति के आधार पर निर्धारित दर से मूल्यह्रास किया गया है. कंप्यूटरों का मूल्यह्रास, सीधी रेखा पद्धति के आधार पर 33.33% प्र.व. की दर से किया गया है. खरीद के वर्ष में अमूर्त आस्तियों के रूप में माने गए अन्य सॉफ्टवेयर खर्चों को जिसे अमूर्त आस्ति के रूप में माना जाता है, 100% पर परिशोधित किया गया है. वित्तीय वर्ष के दौरान अचल आस्तियों में किए गए जोड पर मूल्यह्रास, निर्धारित मूल्यह्रास दर के 100% की दर से किया गया है बशर्ते कि वर्ष के दौरान आस्तियों का 180 दिन व उससे अधिक दिनों के लिए उपयोग किया गया हो और निर्धारित मूल्यह्रास दर के 50% की दर से उपयोग किया गया है बशर्ते कि वर्ष के दौरान आस्तियों का 180 दिनों से कम समय तक उपयोग किया गया हो. बिक्री/निपटान वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है.

(ख) परिसरों के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि पर वृद्धिशील मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से समायोजित किया गया है तथा लाभ व हानि खाते में जमा किया गया है.

5) **पट्टे पर दी गई आस्तियां :**

लेखाकरण मानक 19 के अनुसार पट्टागत आस्तियों का लेखाकरण किया गया है. गैर- निष्पादक आस्तियों के संबंध में प्रावधान करते समय अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़व बैंक द्वारा निर्धारित आस्तियों के वर्गीकरण से संबंधित मानदंड अपनाए गए हैं.

6) **गैर–बैंकिंग आस्तियाँ**

गैर बैंकिंग आस्तियों को उनकी लागत पर दर्शाया गया है.

7) **अग्रिम**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, अग्रिमों का वर्गीकरण अब तक की गयी वसूलियों को ध्यान में रखते हुए मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानिपरक आस्तियों के रूप में किया जाता है. गैर–निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार किया जाता है.

(क) भारतीय रिजव बैंक के मार्गनिर्देशानुसार, मूल धनराशि/ब्याज की वसूली के आधार पर अग्रिमों का 'निष्पादक', 'गैर–निष्पादक' आस्तियों के रूप में वर्गीकरण किया गया है तथा अग्रिमों को अपचारिता संबंधी भा.रि.बैं द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ''गैर–निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकरण किया गया है. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के संबंध में खातों का गैर–निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने के मामले में गारंटी लागू करने की अपेक्षा को पृथक कर दिया गया है. गैरनिष्पादक आस्तियों को प्रावधान की संगणना करने के लिए अवमानक संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

तुलन–पत्र में दर्शाए गए अग्रिम (अस्थायी प्रावधानों सहित) गैर–निष्पादक आस्तियों, उचंत ब्याज तथा प्राप्त ईसीजीसी/डीआईसीजीसी, दावों के संबंध में निवल प्रावधान है.

(ख) अग्रिमों में प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्र (पीटीसी) में बैंक की सहभागिता/योगदान तथा/या अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ऋण आस्तियों के आस्ति समर्थित समनुदेशन जहां बैंक ने जोखिम सहभागी आधार पर कार्य किया है.

(ग) पूर्व वर्षों में बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के प्रति की गयी वसूली को लाभ व हानि खाते में डाला जाता है.

(घ) मानक अग्रिमों पर प्रावधान को ''अन्य देयताएं और प्रावधान'' के अंतर्गत दर्शाया गया है.

(ड.) अग्रिमों पर प्रावधान, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार किया गया है :

1. **मानक आस्तियाँ :** वर्तमान भारिबैंक दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है.
2. **अवमानक आस्तियाँ :** बकाया अग्रिम का 15%. तथापि, अवमानक आस्तियों के मामले में जिसकी पहचान शुरू से ''प्रतिभूति रहित निवेश''के रूप में की गई है बकाया शेष का 25% का प्रावधान किया गया है.
3. **संदिग्ध आस्तियाँ :** जितनी अवधि के लिए आस्तियां संदिग्ध रही हों उसके आधार पर प्रतिभूत अंश के 25% से 100% तक और डीआईसीजीसी योजना के संबंध में वसूल की गयी राशि का और ईसीजीसी/सीजीएसटीआई योजना के अंतर्गत रक्षित वसूल की गई/करने योग्य गारंटी का निवल निकालने के बाद बकाया शेष राशि के गैर–जमानती अंश का 100%.
4. **हानिपरक आस्तियाँ :** बकाया अग्रिम का100%.

च) **पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित खाते :**

पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रिम की पुनर्संरचना के सामान्य ढांचे के अनुसार पुनर्संरचित मूल्य के उचित मूल्य में ह्रास को दूर करने के लिए प्रावधान किए गए हैं.

उचित मूल्य में ह्रास का प्रत्येक तुलन–पत्र तारीख पर पुन:परिकलन किया जाता है जबकि सभी चुकौती बाध्यताएं संतोषजनक तरीके से पूरी की जाती है तथा बकाया राशि की पूरी चुकौती की जाती है ताकि आधार दर, सावधि प्रीमियम तथा उधारकर्ता के ऋण संवर्ग में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य पर हुए परिवर्तन को शामिल किया जा सके.

पुनर्संरचित खातों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार किया गया है.

8) **राजस्व निर्धारण**

नीचे उल्लिखित मामलों को छोडकर आय को उपचित आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :

(क) गैर–निष्पादक आस्तियों के मामले में, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार नकदी आधार पर आय का निर्धारण किया गया है. जहां अगर नियमन के रूप में एनपीए खातों की श्रेणी बढाने के लिए वसूली पर्याप्त न हो वहां ऐसी वसूली का सबसे पहले मूल धनराशि /बही शेषराशि के प्रति और बाद में ब्याज संबंधी देयताओं के प्रति विनियोग किया गया है. गैर–निष्पादक विनिवेश के संबंध में उपर्युक्त लेखाकरण प्रणाली अपनायी जाती है.

(ख) म्यूचुअल फंड यूनिटों, बीमा एवं निक्षेपागार सहभागी कारोबार पर कमीशन, व्यापारी बैंकिंग लेनदेन, सामान्य बीमा करोबार, मुद्रा अंतरण सेवाएं, म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री, लॉकर

किराया, सरकारी करोबार पर कमीशन आदि से प्राप्त आय को नकद/वसूली आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है.

(ग) गैर-निधि आधारित कारोबार से अर्जित कमीशन अर्थात साख पत्र तथा बैंक गारंटियों का परिकलन नकद आधार पर किया जाता है.

(घ) प्रतिभूतियों पर देय परंतु 90 दिनों के बाद भी अदत्त ब्याज का, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देश के अनुसार वसूली आधार पर निर्धारण किया गया है.

(ड) मुकदमा दायर खातों के मामलों में विधि प्रभार लाभ हानि खाते में डाला जाता है. इसी प्रकार ऐसे मुकदमा दायर खातों के मामलों में वसूला गया विधिक व्यय को आय के रूप में लिया जाता है.

(च) लाभांश को वर्ष में आय के रूप में पहचाना जाता है ताकि लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो.

9) निवल लाभ

निवल लाभ निर्धारित करने से पहले निम्नलिखित किए गए:

(क) सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आय कर और धन कर के लिए प्रावधान

(ख) अग्रिम/विनिवेश के लिए प्रावधान

(ग) विनिवेश के मूल्य में समायोजन

(घ) प्रावधान और आकस्मिक व्यय में अंतरण

(ड) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार छः माह से अधिक अवधि के लिए असमायोजित अंतर शाखा लेखों के लिए प्रावधान

(च) अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान

10) कर्मचारी संबंधी लाभ

(क) कर्मचारियों के संबंध में विवाद/समझौते से उत्पन्न होनेवाले दावों का अंतिम निपटान/निर्धारण वर्ष में लेखा किया जाता है.

(ख) जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना चुनी है, उनके संबंध में बैंक द्वारा भविष्य निधि को मान्यता देने हेतु निर्धारित यथानुपात अंशदान किया जाता है. दूसरों के मामले में, जिन्होंने पेंशन योजना अपनाई है उनके मामले में लेखाकरण मानक 15 के अनुसार, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पेंशन निधि में अंशदान किया जाता है.

(ग) उपदान निधि में अंशदान, लेखाकरण मानक 15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है.

(घ) छुट्टी नकदीकरण के संबंध में देयता, लेखा मानक 15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार साधिकार छुट्टी प्रदान किया जाता है.

विवरण निम्नानुसार है

दीर्घावधि कर्मचारी लाभः

दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (कर्मचारी की सेवाकाल की अवधि के समापन से बारह माह के अंत में देय लाभ) तथा पद नियोजन लाभ (सेवाकाल के समापन के बाद देय लाभ),परियोजित इकाई ऋण प्रणाली द्वारा वार्षिक तृतीय पक्ष वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर, बट्टागत आधार पर दिया जाता है. बैंक वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार निम्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ प्रदान करता है

1. **छुट्टी भुनाना:** प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त तृतीय पक्षकार वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित संबंधित कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है उस वर्ष में छुट्टी भुनाने के प्रति आस्थगित पात्रता के कारण उपचित देयता के लिए बैंक प्रावधान करता है.

2. **बीमारी छुट्टी :** बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है.

3. **पेंशन:** प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित पेंशन के लिए जिन कर्मचारियों ने विकल्प दिया है, के कारण उपचित देयता के लिए बैंक प्रावधान करता है.

4. **उपदान:** प्रत्येक वर्षांत तुलन पत्र तारीख को प्राप्त वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित उपदान देयता के लिए बैंक प्रावधान करता है.

पेंशन तथा उपदान अंशदान स्व-व्यवस्थित न्यासों में अंतरित है.

11) कर निर्धारण के लिए प्रावधान:

कर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल है. वर्तमान आय कर का परिकलन आय कर अधिनियम 1961 के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली अपेक्षित राशि से किया जाता है. आस्थगित आय कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच के समय वर्तमान वर्ष के समय अंतराल का प्रभाव तथा पूर्व वर्षों के समय अंतराल का प्रत्यावर्तन प्रतिफलित करता है. आस्थगित कर का परिकलन तुलन पत्र तारीख को अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों तथा कर कानून के आधार पर किया जाता है.

12) हानिः

प्रत्येक तुलन पत्र में बाह्य/आंतरिक तत्व पर आधारित हानि की कोई सूचना के लिए आस्तियों की ढुलाई गई राशि की समीक्षा की जाती है. जब भी किसी आस्ति की ढुलाई गई राशि अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो तो अनर्जक हानि होती है.

13) खंड रिपोर्टिंग :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशानुसार बैंक ने निम्नानुसार खंड रिपोर्टिंग शुरू की है.

1. **खजाना :** जिसमें सभी निवेश संविभाग, निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि, विदेशी विनिमय लेनदेनों पर लाभ/हानि, ईक्विटी, व्युत्पन्न तथा मुद्रा बाजार परिचालनों से आय शामिल है. इस खंड के व्यय में बाह्य स्रोतों व आंतरिक स्रोतों से उधार में लिए गए निधि पर ब्याज व्यय तथा परिपक्व होने तक धारित निवेश श्रेणी पर मूल्यह्रास/प्रीमियम का परिशोधन शामिल है.
2. कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग में कॉर्पोरेट ग्राहकों से उधार तथा जमाराशि तथा खंड के अभिज्ञप्त अर्जन तथा व्यय शामिल है.
3. खुदरा बैंकिंग में खुदरे ग्राहकों से उधार तथा जमाराशि तथा खंड के अभिज्ञप्त अर्जन तथा व्यय शामिल है.
4. अन्य बैंकिंग परिचालन में खजाना, थोक बैंकिंग तथा खुदरा बैंकिंग के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी परिचालन शामिल है.

14) प्रति शेयर आय:

प्रति शेयर अर्जन का परिकलन ईक्विटी शेयर धारकों के लिए निर्धारित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि (अधिमान्य लाभांश तथा उस पर योग्य कर की कटौती के बाद) का अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयर के भारित औसत संख्या से विभाजित करते हुए किया जाता है. प्रति ईक्विटी शेयर कम हुए अर्जन का परिकलन ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा वर्षांत में बकाया कम होने वाले संभावित ईक्विटी शेयर से किया जाता है.

15) आकस्मिक देयताएं व प्रावधान :

1. पूर्व घटना के फलस्वरूप हुए दायित्व के कारण प्रावधान को अभिज्ञप्त किया जाता है. यह एक संभावना है कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता है जिसके लिए विश्वस्त अनुमान लगाया जा सकता है. प्रावधानों का वर्तमान मूल्य से बट्टागत नहीं किया जाता है तथा तुलन पत्र तारीख को दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित सर्वोत्कृष्ट अनुमान के आधार पर परिकलन किया जाता है. प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्कृष्ट अनुमान परिलक्षित करने के लिए इनका समायोजन किया जाता है.
2. तुलन पत्र की तारीख को सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य में निपटान हेतु लंबित लेनदेनों को तुलन-पत्र के बाह्य मदों के रूप में आकस्मिक आस्तियों तथा देयताएं शीर्ष के अधीन दर्शाया गया है.

16) नकदी प्रवाह विवरणी

नकदी प्रवाह विवरणी में नकदी तथा नकदी समतुल्य राशि में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गयी शेषराशि तथा बैंकों में शेषराशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है.

17) बैंक ने विनियामक परिवर्तन सहित, यदि कोई है, के अधीन पिछले वर्षों के समान लेखांकन नीति का पालन किया है.

अनुसूची – 18 : लेखों पर टिप्पणियां

1. अंतर शाखा और अन्य लेखों में 31.03.2017 को बकाया प्रविष्टियों का समाधान कर दिया गया है. अंतर शाखा और अंतर बैंक लेखों, ड्राफ्ट लेखों, उचंत लेखों, शाखा समायोजन लेखों, समाशोधन लेन-देन, निधि अंतरण, प्रदत्त/प्रदेय लाभांश/ब्याज भुगतान आदेशों से संबंधित शेष राशियों, आस्तियों के अर्जन हेतु प्रदत्त अग्रिमों आदि सहित अंतर शाखा और अंतर बैंक लेखों में बकाया प्रविष्टियों के मिलान का कार्य 31.03.2017 तक समाप्त हो चुका है. बैंक की राय में राजस्व/आस्तियों/देयताओं पर ऊपर उल्लिखित बातों का परिणामी प्रभाव, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा.

2. बैंक द्वारा खरीदे गए कुछ परिसरों के संबंध में जिनकी लागत ₹ 3.96 करोड है (पिछले वर्ष ₹ 4.39 करोड) विविध विवाद या अन्य औपचारिकताओं के लंबित होते हुए प्रलेखन/पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है.

3. उन शाखाओं के संबंध में जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है, संबंधित शाखाएं जहां लेखा परीक्षा हुई है, वहां समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा पेश की गई विवरणियों/अग्रिमों का वर्गीकरण अपनाया गया है.

4. ईसीजीसीआई लि. के पास लंबित तथा विचारार्थ प्रेषित ₹ 98.80 करोड के दावे भी (₹ 53.82 करोड), प्रावधान के परिकलन करने की दृष्टि से वसूली योग्य समझे गए हैं.

5. बैंक के पक्ष में निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विवादास्पद कर देयताओं के संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए प्रावधानों को छोडक़र किसी अन्य प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है. आगे, प्राप्त विधिक मत के आधार पर आयकर अधिनियम के अधीन कुछ दावों के संबंध में कर प्रावधानों का परिकलन करते समय कुछ कटौतियों पर विचार किया गया है.

6. भारतीय बैंक संघ के पत्र सं.लीगल/सीआईआर दिनांक 03 मार्च, 2015 के अनुसार, कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने परामर्श दिया है कि जहां तक बैंक कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं है और राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व लागू नहीं होते, क्योंकि वे कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं है.

7. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए जाते हैं:

i) पूंजी (₹ करोडों में)

क्रम सं.	मद	31.03.2017	31.03.2016
1.	सीआरएआर (%)		
	बेसल II	**12.95**	12.90
	बेसल III*	**12.73**	12.58
2.	सीआरएआर – टियर I पूंजी (%)		
	बेसल II	**9.56**	9.47
	बेसल III*	**9.96**	9.45
3.	सीआरएआर – टियर II पूंजी (%)		
	बेसल II	**3.39**	3.43
	बेसल III	**2.77**	3.13

बेसल III टायर I और पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित सीआरएआर अनुपात यथा दिनांक 31.03.2016 को 0.625% एवं यथा दिनांक 31.03.2017 को 1.25% है

(₹ करोडों में)

क्रम सं.	मद	31.03.2017	31.03.2016
i)	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	**8.44**	8.31
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	**9.96**	9.45
iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	**2.77**	3.13
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	**12.73**	12.58
v)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	**70.33**	68.23
vi)	जुटाए गए ईक्विटी पूंजी की राशि (रु. करोडों में)	**–**	445.83*
vii)	जुटाए गए अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि जिनमें से		
	पीएनसीपीएस :	**0.00**	0.00
	पीडीआई :	**325.00**	500.00
	जुटाए गए टियर 2 पूंजी की राशि जिनमें से ऋण पूंजी लिखत (रु. करोडों में) :	**शून्य**	450.00
	अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)	**शून्य**	

*शेयर प्रीमियम सहित

निवेश

(रु. करोडों में)

क्रम सं.	मद	31.03.2017	31.03.2016
1.	निवेश का मूल्य**		
	निवेश का सकल मूल्य	**44786.97**	42178.12
	भारत में	**44786.97**	42178.12
	भारत के बाहर	**शून्य**	शून्य
	मूल्यह्रास तथा एनपीआई मूल्यह्रास के लिए प्रावधान*	**362.42**	335.63
	भारत में	**362.42**	335.63
	भारत के बाहर	**शून्य**	शून्य
	निवेश का निवल मूल्य	**44424.55**	41842.49
	भारत में	**44424.55**	41842.49
	भारत के बाहर	**शून्य**	शून्य
2.	निवेश पर मूल्यह्रास के प्रतिधारित प्रावधानों का उतार-चढाव		
	अथशेष	**265.04**	159.15
	जोड : i) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	**7.25**	105.89
	ii) निवेशों के शिफ्टिंग में कमी	**–**	–
	घटाएं : वर्ष के दौरान अधिक प्रावधान को अपलिखित करना/प्रतिलेखित करना	**–**	–
	इति शेष	**272.29**	265.04

यथा 31.03.2017 को निवेश के सकल मूल्य में रु. 300.00 करोड (पिछला वर्ष रु.4959 करोड) का बकाया एलएएफ रिपो तथा बकाया एमएसएफ रु.शून्य (पिछला वर्ष रु. 425 करोड), रु.6857.39 करोड का अमानक रेपो (पिछले वर्ष रु.817.69) करोड तथा बकाया सीबीएलओ रु.शून्य (पिछला वर्ष रु. रु.29.81 करोड) है.

* एनपीआई के रु.90.13 करोड (पिछला वर्ष रु. 70.59 करोड) के प्रावधान सहित

** आरआईडीएफ निवेशों को छोडकर.

ii) रिपो लेनदन के विवरण (एलएएफ रिपो के अधीन भा.रि.बैंक से प्राप्त सहित) निम्नानुसार हैं:

(₹ करोडों में)

ब्यौरे	वर्ष के दौरान बकाया			यथा 31.03.2017 को
	न्यूनतम	अधिकतम	दैनिक औसत	
रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	**1033.84**	**10235.75**	**5676.00**	**7157.39**
2) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	**0.00**	**2150.00**	**235.08**	**961.66**
2) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

(₹ करोडों में)

ब्यौरे	वर्ष के दौरान बकाया			यथा 31.03.2017 को
	न्यूनतम	अधिकतम	दैनिक औसत	
रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	144.23	7422.70	4104.98	6201.69
2) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
1) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	2442.70	382.81	30.16
2) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

गैर-एसएलआर निवेश संविभाग

गैर-एसएलआर निवेश की जारीकर्त्ता संरचना - 31.03.2017 (₹ करोडों में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन की सीमा	निवेश श्रेणी से निम्न प्रतिभूतियों की सीमा	श्रेणी रहित प्रतिभूतियों की सीमा	सूची रहित प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	2703.69	2358.33	687.03	1781.65	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थाएं**	499.15	295.94	10.00	74.60	0.00
(iii)	बैंक	419.97	113.30	10.00	50.52	0.00
(iv)	निजी कंपनी	719.02	544.12	89.03	184.11	19.30
(v)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	अन्य	387.74	387.74	0.00	387.74	0.00
(vii)	मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रति धारित प्रावधान	350.42	×××	×××	×××	×××
	कुल*	**4379.15**	**3699.43**	**796.06**	**2478.62**	**19.30**

नोट : (1)* कालम 3 के तहत कुल, तुलन पत्र की अनुसूची 8 में निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत शामिल कुल निवेशों से मेल खाना चाहिए.

क) शेयर

ख) डिबेंचर और बांड

ग) अनुषंगी / संयुक्त उद्यम

घ) अन्य

(2) उपरोक्त कॉलम 4, 5, 6 तथा 7 के अधीन रिपोर्ट की गयी राशि परस्पर अनन्य नहीं हो सकती हैं.

(3) निजी नियोजन के अंतर्गत आनेवाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बकाया राशि के संपरिवर्तन में आवंटित रु.1178.62 करोड के विशेष राज्य सरकार प्रतिभूति शामिल है.

(4) कालम (6) श्रेणीरहित प्रतिभूति में बकाया राशि के संपरिवर्तन में आवंटित रु.1414.98 करोड के विशेष राज्य सरकार प्रतिभूति, रु.344.39करोड की इक्विटी शेयर, रु. 20.05 करोड की उद्यम पूंजी, रु.5.00 करोड का म्यूचुअल फंड, रु.367.61 करोड़ की प्रतिभूति रसीद तथा रु. 286.43 करोड़ का डिस्कॉम बांड शामिल हैं.

** यथा दिनांक 31 मार्च 2017 आरआईडीएफ के अधीन रु. 3859.99 करोड का निवेश शामिल नहीं है.

iii) क) गैर निष्पादक गैर–एसएलआर निवेश (₹ करोडों में)

ब्यौरे	**31.03.2017**	**31.03.2016**
अथशेष	**123.39**	23.65
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**25.89**	101.71
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	**30.78**	1.97
इतिशेष	**118.50**	123.39
कुल धारित प्रावधान	**90.13**	70.59

ख) गैर–निष्पादक निवेश के लिए प्रावधान में उतार–चढाव (₹ करोडों में)

ब्यौरे	**31.03.2017**	31.03.2016
अथशेष	**70.59**	17.09
जोड : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**48.06**	55.47
घटाएं : अधिक प्रावधान को अपलिखित करना/प्रतिलेखन करना	**28.52**	1.97
इतिशेष	**90.13**	70.59

एचटीएम श्रेणी को / से बिक्री और अंतरण –

वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी के अधीन बेची गई प्रतिभूति का बही मूल्य वर्ष के शुरूआत में एचटीएम श्रेणी पर धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक है. यथा दिनांक 31.03.2017 को एचटीएम श्रेणी के विवरण यहां नीचे प्रस्तुत हैः

(₹ करोडों में)

क्रम सं.	**ब्यौरे**	**राशि**
1.	बाजार मूल्य	25,675.22
2.	बही मूल्य	25,046.17
3.	बाजार मूल्य पर बही मूल्य अधिक होने पर जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	शून्य

एचटीएम के अधीन धारित सभी एसएलआर प्रतिभूतियां एफआईएमएमडीए दरों के अनुसार मूल्य निर्धारित किया गया है.

iv) **व्युत्पन्न :**

क) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप (₹ करोडों में)

ब्यौरे		**31.03.2017**	**31.03.2016**
क.	स्वैप करार के आनुमानिक मूल धनराशि	**शून्य**	शून्य
ख.	इन करारों के अधीन यदि प्रतिपार्टियां अपने दायित्वों को नहीं निभाते हैं तो होने वाली हानि	**शून्य**	शून्य
ग.	स्वैप में प्रवेश करने के लिए बैंक को आवश्यक संपार्श्विक	**शून्य**	शून्य
घ.	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का केंद्रीकरण	**शून्य**	शून्य
ड.	स्वैप बही का उचित मूल्य	**शून्य**	शून्य

ख) विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न (₹ करोडों में)

क्रम सं.	**ब्यौरे**	**31.03.2017**	**31.03.2016**
i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानित मूल राशि (प्रपत्र-वार)	**शून्य**	शून्य
ii)	31 मार्च 2017 को बकाया विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानित मूल राशि (प्रपत्र-वार)	**शून्य**	शून्य
iii)	बकाया विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानित मूल राशि (प्रपत्र-वार) व 'अधिक प्रभावी' नहीं है (प्रपत्र-वार)	**शून्य**	शून्य
iv)	बकाया विनिमय व्यापारित ब्याज दर का बाज़ार मूल्य व जो 'अधिक प्रभावी' नहीं है (प्रपत्र-वार)	**शून्य**	शून्य

v) **व्युत्पन्न में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण**

क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंक ने मंडल द्वारा अनुमोदित, भा.रि.बैं. के मार्गनिर्देशों के अनुरूप जोखिम प्रतिरक्षा, व्यापार तथा ग्राहक सेवा के लिए व्युत्पन्न लेनदेन करने के लिए एक व्यापक व्युत्पन्न नीति तैयार की है. नीति में व्युत्पन्न लेनदेन के लिए समुचित सीमा सहित प्रकार, दायरा और प्रयोग संबंधी दिशानिर्देश दिए गए हैं. परिचालनात्मक दक्षता और जोखिम संबंधी चूक को मद्दे नज़र रखते हुए व्युत्पन्न कार्य फ्रंट ऑफिस,मिड ऑफिस और बैक ऑफिस में वर्गीकृत किया गया है तथा प्रत्येक का संविभाग स्पष्ट निर्धारित है.

ख) परिमाणात्मक प्रकटीकरण (₹ करोडों में)

क्रम सं.	**ब्यौरे**	**मुद्रा व्युत्पन्न**		**ब्याज दर व्युत्पन्न**	
		31.03.2017	**31.03.2016**	**31.03.2017**	**31.03.2016**
i)	**व्युत्पन्न (आनुमानिक मूल राशि)**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	शून्य
	क) प्रतिरक्षा के लिए	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	शून्य
	ख) व्यापार के लिए	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	शून्य
ii)	**बाजार स्थिति में अंकित (1)**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	शून्य
	क) आस्ति (+)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	शून्य
	ख) देयता (-)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	शून्य
iii)	**ऋण जोखिम (2)**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	शून्य
iv)	**ब्याज दर में 1% परिवर्तन होने पर संभावित प्रभाव (100 * पीवी 01)**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	शून्य
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	शून्य

	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	शून्य
v)	**वर्ष के दौरान पायी गयी अधिकतम व न्यूनतम 100 * पीवी 01**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	शून्य
	क) प्रतिरक्षा पर – अधिकतम न्यूनतम	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	शून्य
	ख) व्यापार पर – अधिकतम न्यूनतम	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	शून्य

v) आस्ति गुणवत्ता

क) गैर निष्पादक आस्ति (₹ करोडों में)

	ब्यौरे	**31.03.2017**	**31.03.2016**
i)	निवल अग्रिमों के प्रति निवल गै.नि.आ. (%)	**4.36**	4.80
ii)	गै.नि.आ. का आवाजाही (सकल)		
	अथशेष	**6027.07**	2443.21
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	**2893.44**	5835.63
	वर्ष के दौरान हुई कमी	**2538.73**	2251.77
	इतिशेष	**6381.78**	6027.07
iii)	गै.नि.आ. में आवाजाही (निवल)		
	अथशेष	**4276.82**	1659.71
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/कमी	**(158.66)**	2617.11
	इतिशेष	**4118.16**	4276.82
iv)	गै.नि.आ. के लिए प्रावधान का आवाजाही*		
	अथशेष	**1730.40**	769.75
	अधिक प्रावधान के लिए वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**1558.29**	1459.38
	बट्टा खाता डालना	**1061.36**	498.73
	इतिशेष	**2227.33**	1730.40

(* मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोडकर व अस्थिर प्रावधान को जोड कर)

ख) आस्ति वर्गीकरण में विचलन और गैर–निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान (₹ '000 में)

क्रम सं.	**ब्यौरे**	**राशि**
1.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार यथा दिनांक 31.03.2016 को सकल एनपीए	60270700
2.	भारिबैंक द्वारा आकलित किए गए अनुसार यथा दिनांक 31.03.2016 को सकल एनपीए	62563700
3.	सकल एनपीए में विचलन (2–1)	2293000
4.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार यथा दिनांक 31.03.2016 को निवल एनपीए	42768200
5.	भारिबैंक द्वारा आकलित किए गए अनुसार यथा दिनांक 31.03.2016 को निवल एनपीए	44427200
6.	निवल एनपीए में विचलन (2–1)	1659000
7.	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार यथा दिनांक 31.03.2016 को एनपीए के लिए प्रावधान	17304800
8.	भारिबैंक द्वारा आकलित किए गए अनुसार यथा दिनांक 31.03.2016 को एनपीए के लिए प्रावधान	18758800
9.	प्रावधान में विचलन (2–1)	1454000
10.	वर्षांत 31.03.2016 के लिए रिपोर्ट किए गए कर के बाद निवल लाभ (पीएटी)	3817900
11.	वर्षांत 31.03.2016 के लिए रिपोर्ट किए गए समायोजित (अनुमानिक) कर के बाद निवल लाभ (पीएटी)	2867100

ग) पुनर्संरचना हेतु ऋण आस्तियों के विवरण (₹ करोडों में)

	ब्यौरे	31.03.2017	31.03.2016
क.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु ऋण आस्तियों की कुल राशि	**1523.78**	2155.30
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**425.93**	425.99
ख.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु मानक आस्तियों की राशि	**1115.35**	2067.31
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**298.06**	392.76
ग.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु अवमानक आस्तियों की राशि	**105.26**	13.04
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**80.95**	0.00
घ.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत हेतु संदिग्ध आस्तियों की राशि	**303.18**	74.95
	उनमें से सीडीआर के अधीन	**46.92**	33.22
	नोट: (क = ख + ग + घ)		

एमएसएमई खातों के लिए ऋण पुनर्संरचना

		31.03.2017	31.03.2016
क	पुनर्संरचना के अधीन एमएसएमई की आस्तियों की कुल राशि (ख + ग + घ)	22.30	42.16
ख	पुनर्संरचना के अधीन एमएसएमई की मानक आस्तियों की राशि	6.58	26.53
ग	पुनर्संरचना के अधीन एमएसएमई की अवमानक आस्तियों की राशि	1.24	2.28
घ	पुनर्संरचना के अधीन एमएसएमई की संदिग्ध आस्तियों की राशि	14.48	13.35

घ) दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) के सतत् पुनर्संरचना के लिए योजना का प्रकटन

खातों की संख्या जहां एस4ए लागू किया गया है	बकाया कुल राशि		बकाया राशि		धारित प्रावधान
			भाग – क में	भाग – ख में	
	वित्त आधारित	गैर–आधारित			
मानक के रूप में वर्गीकृत (4 खाते)	283.60*	201.51			55.93
एनपीए के रूप मे वर्गीकृत (2 खाते)	150.14	–	परिवर्तित किया जाना है		31.31

* रु.41.03 करोड़ का बकाया शामिल है जहां कार्यान्वयन के लिए भारिबैंक से निर्धारित 180 दिनों से अधिक समय के विस्तार के लिए पूछा गया है.

च) वर्तमान ऋणों के नम्य पुनर्संरचना पर प्रकटन (₹ करोडों में)

अवधि	नम्य पुनर्संरचना के लिए लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	नम्य पुनर्संरचना के लिए ली गई राशि		नम्य पुनर्संरचना के लिए लिए गए ऋण का एक्सपोजर भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	नम्य पुनर्संरचना लागू करने के पूर्व	नम्य पुनर्संरचना लागू करने के बाद
31.03.2016	4	89.58	983.36	9.35 वर्ष	22.78 वर्ष
31.03.2017	7	898.79	–	10.50 वर्ष	18.66 वर्ष

छ . सामरिक ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटन (खाते जो वर्तमान में यथावत स्थिति की अवधि में हैं)

एसडीआर लागू किए गए खातों की संख्या	रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि		खातों जहां इक्विटी के लिए ऋण का संपरिवर्तन लंबित है, के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि		खातों जहां इक्विटी के लिए ऋण का संपरिवर्तन किया गया है, के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
2	51.10	–	30.77	–	20.33	

ज) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन (खाते जो वर्तमान में यथावत स्थिति की अवधि में हैं)

उन खातों की संख्या, जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि		खातों जहां इक्विटी के लिए ऋण का संपरिवर्तन/ ईक्विटी शेयरों की गिरवी लागू करना लंबित है, के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि		खातों जहां इक्विटी के लिए ऋण का संपरिवर्तन किया गया है / ईक्विटी शेयरों की गिरवी की गई है, के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि		खातों, जहां नए शेयर जारी करने या प्रवर्तकों की ईक्विटी की बिक्रि द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन परिकल्पित है, के संबंध में रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य								

झ) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटन (खाते जो वर्तमान में यथावत स्थिति की अवधि में हैं)

परियोजना ऋण खातों की संख्या , जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है			रिपोर्टिंग दिनांक पर बकाया राशि		
			मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचना के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य					

यथा मार्च 2017 को पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण* रुपए करोडों में

	सीडीआर तंत्र के तहत (भाग ग)							एसएमई ऋण पुनर्संरचना तंत्र के तहत					अन्य (भाग क व ख)					कुल				
	पुनर्संरचना का स्वरूप		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	आस्ति वर्गीकरण																					
	ब्यौरे																					
1	यथा 1 अप्रैल 2016 *कोपुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	15	0	6	0	21	83	7	1032	177	1299	2827	897	1937	177	5838	2925.00	904.00	2975.00	354.00	7158.00
		बकाया राशि	392.76	0.00	33.22	0.00	425.98	26.53	2.28	12.07	1.28	42.16	1648.02	10.76	26.10	2.26	1687.14	2067.31	13.04	71.39	3.54	2155.28
		उस पर प्रावधान	11.01																			
		(आर्थिक हानि)	0.00	0.00	0.00	11.01	0.53	0.00	0.04	0.00	0.57	15.97	0.24	0.13	0.00	16.34	27.51	0.24	0.17	0.00	27.92	
2	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान नए सिरे से पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	360	5	1	0	366	360.00	7.00	1.00	0.00	368.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	1.16	8.50	4.80	0.01	0.00	13.31	8.50	5.96	0.01	0.00	14.47
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09
3	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पुरर्संरचित मानक वर्ग के लिए उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	-48	-49	-6	0	103.00	-48.00	-49.00	-6.00	0.00
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.75	-98.57	-88.05	-0.13	0.00	186.75	-98.57	-88.05	-0.13	0.00
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	-0.09	-0.81	0.00	0.00	0.90	-0.09	-0.81	0.00	0.00
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिमों जो वित्तीय वर्ष 2016 के अंत तक अधिक प्रावधान तथा /या अतिरिक्त जोखिम भार आकर्षित न करता है और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है (31 मार्च 2015 से पहले पुनर्संरचित खाते)	उधारकर्ताओं की संख्या	10	0.00	0.00	0.00	10	52	0.00	0.00	0.00	52	1705	-0.09	-0.81	0.00	1705	1767.00	-0.09	-0.81	0.00	1766.10
		बकाया राशि	298.06	0.00	0.00	0.00	298.06	6.56	0.00	0.00	0.00	6.56	782.12	-0.09	-0.81	0.00	782.12	1086.74	-0.09	-0.81	0.00	1085.84
		उस पर प्रावधान	1.81	0.00	0.00	0.00	1.81	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	16.05	-0.09	-0.81	0.00	16.05	17.95	-0.09	-0.81	0.00	17.05
5	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्संरचित खाते का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-4	4	0	0	0	-16	4	11	1	0	-374	284	86	4	0	-394.00	292.00	97.00	5.00	0.00
		बकाया राशि	-80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	-3.18	0.02	3.15	0.01	0.00	-223.01	7.60	215.30	0.11	0.00	-307.14	88.57	218.45	0.12	0.00
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.41	0.02	0.39	0.00	0.00	-0.41	0.02	0.39	0.00	0.00
6	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	1.00	0.00	1.00	-2.00	0	14.00	5.00	250.00	-127.00	142	418.00	939.00	266.00	-428.00	1195	433.00	944.00	517.00	-557.00	1337.00
		बकाया राशि	13.75	0.00	-2.42	-11.28	0.05	16.77	2.22	3.35	-1.32	21.02	436.06	98.66	92.01	-1.83	624.90	466.58	100.88	92.94	-14.43	645.97
7	वित्तीय वर्ष 2017* के यथा 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	4	5	2	11	1	8	793	305	1107	587	295	1807	615	3304	588.00	307.00	2605.00	922.00	4422.00
		बकाया राशि	0.00	80.95	35.64	11.28	127.87	0.02	1.24	11.87	2.61	15.74	28.58	23.07	237.45	4.33	293.43	28.60	105.26	284.96	18.22	437.04
		उस पर प्रावधान	0.00	7.16	0.00	0.00	7.16	0.00	0.01	0.02	0.00	0.03	0.52	0.11	2.93	0.00	3.56	0.52	7.28	2.95	0.00	10.75
	*पुनर्संरचना की तारीख या दो साल से अधिक अधिस्थगन अवधि से पूरे किए गए मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आंकडों को छोडकर, यदि कोई हो तो																					

(झ) आस्तियां पुनर्निमाण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस सी) / पुननिर्माण कंपनी (आर सी) को बिक्री की गई आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

क्रम. सं	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1	खातों की संख्या	**शून्य**	शून्य
2	एससी / आरसी को बेचे गए खातों की कुल मूल्य (निवल प्रावधान)	**शून्य**	शून्य
3	कुल प्रतिफल	**शून्य**	शून्य
4	पिछले वर्षों की अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल	**शून्य**	शून्य
5	निवल बही मूल्य की कुल लाभ/ हानि	**शून्य**	शून्य

प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री :

तालिका (i)

क्रम.सं	विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी एस आर	पिछले 8 वर्षों के भीतर परन्तु 5 साल से अधिक जारी की गई एसआर	8 साल से अधिक जारी की गई एसआर
1	अंतर्निहित रूप में बैंकों द्वारा बिक्री की गई एनपीए समर्थित एसआर बही मूल्य	156.49	48.47	शून्य
	(1)* के प्रति धारित प्रावधान	14.79	12.33	शून्य
2	अंतर्निहित रूप में अन्य बैंकों /वित्तीय संस्था/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा बिक्री की गई एनपीए समर्थित एसआर की बही मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(2) के प्रति धारित प्रावधान	शून्य	शून्य	
	कुल (1+2)	**156.49**	**48.47**	**शून्य**

तालिका (ii)

क्रम. सं	विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी एस आर	पिछले 8 वर्षों में5 साल से अधिक जारी की गई एस	8 साल से पहले जारी की गई एस आर
1	अंतर्निहित रूप में बैंकों द्वारा बिक्री की गई मानक आस्तियां समर्थित एसआर बही मूल्य	162.66	शून्य	शून्य
	(1)* के प्रति धारित प्रावधान	16.26	शून्य	शून्य
2	अंतर्निहित रूप में अन्य बैंकों /वित्तीय संस्था/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा बिक्री की गई मानक आस्तियां समर्थित एसआर की बही मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(2) के प्रति धारित प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (1+2)	**162.66**	**शून्य**	**शून्य**

*तालिका (i) और (ii) के कॉलम (1) के प्रावधान के अतिरिक्त, बैंक 103.93 करोड़ रुपये का प्रावधान धारित करता है.

I) ऋण चूक स्वैप : शून्य

एम) गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के क्रय/ बिक्री का विवरण

i) गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के क्रय का विवरण

विवरण		**31.03.2017**	**1.03.2016**
1	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	**शून्य**	शून्य
	(ख) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य
2	(क) वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	**शून्य**	शून्य
	(ख) कुल बकाया	**शून्य**	शून्य

(ii) **बिक्री किए गए गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण** (रु. करोडों में)

विवरण	**31.03.2017**	**31.03.2016**
1. बिक्री किए गए खातों की संख्या	**शून्य**	शून्य
2. कुल बकाया	**शून्य**	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	**शून्य**	शून्य

ऐसा कोई मामला नहीं है, जहां बैंक ने दो साल से कमी पाई है.

ञ) मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान (₹ करोडों में)

विवरण	**31.03.2017**	**31.03.2016**
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**516.64**	439.80
कुल	**516.64**	439.80

ट) कारोबार अनुपात (₹ करोडों में)

विवरण	**31.03.2017**	**31.03.2016**
कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	**8.14%**	8.77%
गैर–ब्याज आय कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप में	**1.09%**	0.63%
परिचालनात्मक लाभ कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप में	**1.59%**	1.12%
औसत आस्तियों पर प्राप्तियां	**0.49%**	0.28%
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशियां + अग्रिम)	**14.17**	14.57
प्रति कर्मचारी निवल लाभ	**0.05**	0.03

(vii) आस्ति देयता प्रबंधन : आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरुप : (रु. करोडों में)

	1 दिन	2–7 दिन	8–14 दिन	15–30 दिन	31 दिनों से 2 महीने तक	2 महीनों से अधिक व 3 महीनों तक	3 महीनों से अधिक व 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक व 12 महीनेर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	354.37	5725.48	2012.83	4510.51	8059.95	8059.95	16840.72	32352.36	12547.31	31002.18	2334.18	125440.72
अग्रिम *	892.28	170.15	239.65	906.12	2539.00	2539.00	5320.19	7199.32	49779.02	10486.78	14477.39	94548.90
निवेश *	83.93	148.10	40.45	10.08	80.98	235.09	514.96	1209.20	6101.47	3738.51	32261.79	44424.56
उधार **	0.00	7157.39	0.00	0.00	0.00	0.07	0.25	250.43	303.79	7.58	3342.29	11061.80
विदेशी मुद्रा अस्तियां	22.64	355.91	9.14	20.14	55.19	15.36	135.71	19.86	21.54	52.40	29.47	737.37

विदेशी मुद्रा देयताएं	389.42	2.12	6.75	2.42	8.37	9.32	22.84	81.02	139.42	75.69	0.00	737.37

आस्तियों और देयताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार प्रबंधन द्वारा पालन किया गया है और लेखापरीक्षकों द्वारा इस पर विश्वास किया गया है.

* आंकडे स्थूल रूप से निवल प्रावधान है.

** भारत में उधार

(ii) संवेदनशील क्षेत्र को उधार

क) स्थावर संपदा क्षेत्र को उधार **(₹ करोडों में)**

क्र.सं	**विवरण**	**31.03.2017**	**31.03.2016**
1)	प्रत्यक्ष उधार		
	क. आवासी बंधक		
	(i) आवासीय संपदा पर बंधक के रूप में पूर्ण रूप से प्रतिभूत उधार जिसमें उधारकर्ता रहेगा या उसे किराए पर देगा	**11771.19**	11061.83
	(ii) प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र अलग-अलग आवास ऋण (उपरोक्त में शामिल किए गए)	**5889.23**	4278.51
	ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
	वाणिज्यिक संपदा पर बंधक के रूप में प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्य वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या भण्डार जगह, होटेल, भू-स्वाधीन, विकास तथा निर्माण आदि) जोखिम में गैर निधि आधारित सीमा (एनएफबी) भी शामिल होंगे.	**1925.24**	2157.92
	ग. अन्य उत्पन्न करनेवाली स्थावर संपदा	**2208.07**	2398.73
	घ. बंधक के रूप में दी गयी प्रतिभूतियां तथा अन्य प्रतिभूत जोखिम में निवेश		
	(i) आवासीय	**500.46**	289.15
	(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	**शून्य**	शून्य
2)	अप्रत्यक्ष उधार		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवासीय वित्तीय कंपनी (एचएफसी) पर निधि आधारित गैर-निधि आधारित उधार	**100.88**	1026.79
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल जोखिम		**16005.38**	**16645.27**

ख) पूंजी बाज़ार को उधार (₹ करोडों में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(i)	ईक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर व ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के यूनिट जिसकी मूल निधि का अनन्य रूप से कंपनी कर्ज में निवेश नहीं किया गया है.	**183.45**	175.69
(ii)	शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अग्रिम या निर्बंध आधार पर व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर व ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में निवेश करने के लिए अग्रिम.	**शून्य**	शून्य

(iii)	किसी भी अन्य कार्य के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	**शून्य**	शून्य
(iv)	किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए शेयर या परिवर्तनीय बाँड परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के जैसे संपार्श्विक प्रतिभूति से प्रतिभूत अग्रिम जहाँ शेयर/परिवर्तनीय बाँड/परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति से पूर्ण रूप से रक्षित नहीं है.	**शून्य**	शून्य
(v)	शेयर दलाल को प्रतिभूत व अप्रतिभूत अग्रिम एवं शेयर दलाल और शेयर संतुलनकर्ता की ओर से जारी गारंटी.	**25.30**	22.05
(vi)	संसाधन जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों के ईक्विटी में प्रवर्तक का अंशदान चुकाने के लिए निर्बंध आधार पर या शेयर/बांड/डिबेंचर के ज़मानत के प्रति कंपनियों को मंजूर ऋण.	**शून्य**	शून्य
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को तात्कालिक ऋण	**शून्य**	शून्य
(viii)	बैंकों द्वारा शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड यूनिटों के संबंध में ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	**शून्य**	शून्य
(ix)	मार्जिन व्यापार के लिए शेयर दलालों का वित्तपोषण.	**शून्य**	शून्य
(x)	जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत व पंजीकृत न की गई दोनों) को किए गए सब प्रकार के निवेश	**20.05**	23.06
	पूंजी बाज़ार को कुल निवेश	**228.80**	220.80

एसडीआर के तहत निवेश के लिए प्रकटन:

सामरिक ऋण पुनर्संरचना योजना पर मास्टर परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.101/21.04.132/2014-15 दिनांकित 8 जून 2015 के मद सं. 7 के अनुसरण में एसडीआर

तंत्र के तहत शेयरों के अधिग्रहण, पूंजी बाजार एक्सपोजर, पारा बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और अंतर समूह एक्सपोजर पर नियामक सीमा / प्रतिबंध से छूट दी गई है.

हमें एसडीआर तंत्र के अधीन मेसर्स लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड और बेल्होना एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड से कुल मिलाकर रु. 46.88 करोड के शेयर आवंटित किए गए हैं और यथा 31 मार्च 2017 को विवरण निम्नानुसार हैं:

कंपनी का नाम	**आवंटित शेयर**	**आवंटन मूल्य/ शेयर रू.**	बही मूल्य रु. करोड़ में
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	4,00,00,000	10.00	40.00
मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	20,00,000	34.20	6.84
बेल्होना एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड	36,140	10.00	0.04
कुल			**46.88**

ix) जोखिम वर्ग-वार देशी उधार

जोखिम का वर्ग	**31.03.2017 को उधार (निवल)**	**31.03.2017 को धारित प्रावधान**	**31.03.2016 को उधार (निवल)**	**31.03.2016 को धारित प्रावधान**
नगण्य	336.71	शून्य	267.37	शून्य
कम	292.72	शून्य	290.81	शून्य

मध्यम	19.92	शून्य	9.75	शून्य
अधिक	6.60	शून्य	1.07	शून्य
अत्यधिक	1.25	शून्य	0.00	शून्य
सीमित	0.00	शून्य	0.00	शून्य
ऋण से पृथक	0.00	शून्य	0.00	शून्य
कुल	**657.20**	**शून्य**	**569.00**	**शून्य**

प्रत्येक देश के साथ बैंक का विदेशी विनिमय लेन-देन के संबंध में दिए गए निवल निधिक उधार बैंक के कुल आस्तियों के 1% के अंदर होने के कारण उसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीवोडी/बीपी/बीसी.96/21.04.103/2003-04 दिनांकित 17.06.2004 के साथ पढे दिनांक 19.02.2003 के परिपत्र डीबीवोडी/बीपी/बीसी.71/21.04.103/2002-03 के अनुसार प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

x) ऋण निवेश के ब्यौरे जहां वर्ष के दौरान बैंक द्वारा विवेकपूर्ण निवेश से अधिक निवेश किया गया :

2016-17 : शून्य

2015-16 : शून्य

xi) जमाराशियों, अग्रिम, ऋण जोखिम तथा एनपीए का केंद्रीकरण

क) जमाराशियों का केंद्रीकरण (₹ करोडों में)

विवरण	**31.03.2017**	**31.03.2016**
20 बडे जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	**26490.55**	21579.98
बैंक की कुल जमाराशियों की तुलना में 20 बडे जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	**19.92%**	17.20%

ख) अग्रिमों का केंद्रीकरण (₹ करोडों में)

विवरण	**31.03.2017**	**31.03.2016**
20 बडे उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	**13156.81**	15504.66
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में 20 बडे उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	**13.59%**	17.08%

ग) जोखिमों का केंद्रण (₹ करोडों में)

विवरण	**31.03.2017**	**31.03.2016**
20 बडे उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल जोखिम	**16987.56**	15806.74
उधारकर्ताओं/गाहकों पर बैंक के कुल जोखिमों की तुलना में 20 बडे उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के जोखिम का प्रतिशत	**15.06%**	14.97%

घ) एनपीए का केंद्रीकरण (₹ करोडों में)

विवरण	**31.03.2017**	**31.03.2016**
कुल जोखिम की तुलना में शीर्ष 4 एनपीए खाते	**1317.46**	1328.60

xii) क्षेत्रवार अग्रिम (सकल) (₹ करोडों में)

क्रम सं.	क्षेत्र *	31.03.2017			31.03.2016		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए की प्रतिशतता	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए की प्रतिशतता
क	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	**12752.54**	**544.89**	**4.27**	10953.11	447.64	4.09
2	प्राथमिकता क्षेत्र उधार के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	**4554.50**	**305.89**	**6.72**	4098.67	256.26	6.25
3	सेवाएं	**11453.06**	**85.13**	**0.74**	12267.42	395.76	3.23
4	वैयक्तिक ऋण	**7973.53**	**480.46**	**6.03**	7078.55	114.24	1.61
	उप–कुल (क)	36733.63	1416.37	3.86	**34397.75**	**1213.91**	**3.53**
ख	**गैर–प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां	**0**	**0**	**0.00**	0.00	0.0	0.00
2	उद्योग	**27545.59**	**4316.43**	**15.67**	29550.93	4409.84	14.92
3	सेवाएं	**3329.60**	**51.82**	**1.56**	1940.96	403.32	20.78
4	वैयक्तिक ऋण	**29212.63**	**597.16**	**2.04**	24875.09	0	0
	उप–कुल (ख)	60087.82	4965.41	8.26	**56366.98**	**4813.16**	**8.54**
	कुल (क + ख)	96821.45	6381.78	6.59	**90764.73**	**6027.07**	**6.64**

xiii) एनपीए का चलन (₹ करोडों में)

विवरण	**31.03.2017**	**31.03.2016**
1 अप्रैल को सकल एनपीए (अथ शेष)	**6027.07**	2443.21
वर्ष के दौरान जोड (नए एनपीए)	**2893.44**	5835.63
उप–कुल (क)	**8920.51**	8278.84
घटाएं :		
(i) उन्नयन	**895.44**	1454.18
(ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों से की गयी वसूलियों को छोडकर)	**575.00**	287.72
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डालना	**1061.36**	498.73
(iv) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत के अलावा बट्टे खाते डालना	**6.93**	11.14
उप–कुल (ख)	**2538.73**	**2251.77**
31 मार्च को सकल एनपीए (क – ख)	**6381.78**	6027.07

(xiv) तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए और उस पर की गयी वसूलियां : **(₹ करोडों में)**

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से डाले गए बट्टे खातों का अथशेष	**2540.48**	2168.29
जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से डाले गए बट्टे खाते	**1061.36**	498.73
उप कुल	**3601.84**	**2667.02**
घटाएं : पहले ही तकनीकी/विववेकपूर्ण रूप से डाले गए बट्टे खातों से की गयी वसूलियां	**142.33**	126.54
इतिशेष	**3459.51**	**2540.48**

(xv) समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व : शून्य

(xvi) प्रायोजित तुलन पत्र से इतर एसपीवी प्रायोजित (जिनका लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	**समुद्रपारीय**
शून्य	शून्य

(xvii) प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) : 31 मार्च, 2017 को कवरेज अनुपात भा.रि.बैं. के मार्गनिर्देशानुसार 58.15% है (पिछले वर्ष 50.08% था). बैंक ने भारिबैं परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी. 87-21.048/2010-11 दिनांक 21.04.2011 के अनुसार कथित पीसीआर हासिल कर लिया है.

(xviii) अप्रतिभूत अग्रिम : बैंक में कोई अप्रतिभूत अग्रिम नहीं है जबकि अमूर्त प्रतिभूतियों को संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में लिया गया है.

(xix) वर्ष 2016 -17 के दौरान बैंक ने भारत में यूएसडी 312450542.90 राशि के निर्यात किए गए माल के संबंध में 518 आश्वासन पत्र जारी किए. ये आश्वासन पत्र बैंक के वित्तपोषण पर उससे पडनेवाले प्रभाव के विधिवत मूल्यांकन करने के बाद तथा बैंक के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किए गए. तुलन पत्र की तारीख को यूएसडी 123402405.50 (1 यूएसडी = रु. 64.85 की दर से लगभग रु. 800.26 करोड) के 193 आश्वासन पत्र बकाया है जिनका प्रबंधन के विचार से बैंक की वित्तीय स्थिति पर जिसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा.

(xx) **2016-17 के दौरान बीमा कारोबार से शुल्क/ पारिश्रमिक**

क्रम सं.	**आय का स्वरूप**	**2016-17 (₹ करोडों में)**	**2015 -16 (₹ करोडों में)**
1	जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	**2.17**	3.78
2	गैर-जीवन बीमा पालिसियों को बेचने के लिए	**4.64**	3.68
3	म्यूचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	**शून्य**	शून्य
4	अन्य (निर्दिष्ट करें)	**शून्य**	शून्य

8. कार्पोरेट कार्य के मंत्रालय द्वारा कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006 के अधीन अधिसूचित लेखाकरण मानकों के तहत प्रकटीकरण करने की सूचना का अनुपालन :

(i) पिछली अवधि की आय/व्यय से संबंधित ऐसी कोई भी मदें नहीं है जिसे एएस-5 के अनुसार प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है.

(ii) पिछली प्रथा के अनुसार, बैंक एएस-6 के तहत अपेक्षित, मूल्यह्रास संपत्ति के प्रत्येक वर्ग और संबंधित संचित मूल्यह्रास की सकल राशि के विवरण प्रदान नहीं करता है.

(iii) बैंक की लेखा नीति सं.10 के अनुसार कुछेक मदों को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है. लेकिन प्रबंधन की यही राय है कि नियोजित रकम नगण्य होने के कारण एएस-9 के अधीन उसे प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है.

(iv) बैंक द्वारा एएस 11 के अनुसार लेनदेन की तारीख की दर पर नहीं बल्कि एफईडीएआई द्वारा निर्धारित पिछले महीने के अंतिम सप्ताह की साप्ताहिक औसत दर पर विदेशी मुद्रा लेनदेनों का निरंतर रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है. प्रबंधन की यह राय है कि वर्ष के दौरान खातों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है.

(v) एएस–15 के अधीन निम्नलिखित जानकारी प्रकट की गयी है : (₹ करोडों में)

क्रम सं.	विवरण	पेंशन	पेंशन	पेंशन	पेंशन	पेंशन
		31.03.17	**31.03.16**	**31.03.15**	**31.03.14**	**31.03.13**
(I)	**मुख्य बीमांकित धारण**					
	बट्टागत दर	**7.50%**	8.00%	8.00%	8.50%	8.00%
	वेतन मूल्यवर्धन दर	**5.50%**	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	ह्रास दर	**1.00%**	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दर	**9.16%**	9.02%	8.95%	9.50%	8.70%
(II)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)**					
	अवधि के आरंभ में पीवीओ	**2602.03**	2407.14	2132.84	2009.65	1908.35
	ब्याज लागत	**184.70**	180.28	161.87	161.48	146.22
	चालू सेवा लागत	**341.24**	208.27	268.84	268.90	307.99
	प्रदत्त लाभ	**278.49**	(307.37)	(218.99)	(219.72)	(161.16)
	दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि (समतुलन आंकडे)	**432.60**	113.71	62.58	(87.47)	(191.75)
	अवधि के अंत में पीवीओ	**3282.08**	2602.03	2407.14	2132.84	2009.65
(III)	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**					
	अवधि के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**2542.70**	2347.50	2246.06	1963.99	1876.33
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**232.91**	211.74	201.02	186.58	163.24
	अंशदान	**560.58**	299.64	89.00	271.58	92.01
	प्रदत्त लाभ	**278.50**	(307.37)	(218.99)	(219.72)	(161.16)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**12.97**	(8.81)	30.40	43.64	(6.43)
	अवधि के अंत में योजना आस्तियों पर उचित मूल्य	**3070.66**	2542.70	2347.50	2246.06	1963.99
(IV)	**योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल**					
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**232.91**	211.74	201.02	186.58	163.24
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**12.97**	(8.81)	30.40	43.64	(6.43)
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**245.88**	202.93	231.43	230.22	156.81

V.	**अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)**					
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	**432.60**	(113.71)	(62.58)	87.47	191.75
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – योजना आस्तियाँ	**12.97**	(8.81)	30.41	43.64	(6.43)
	अवधि के लिए कुल लाभ/(हानि)	**419.63**	(122.52)	(32.17)	131.11	185.32
	अवधि में अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	**419.63**	(122.52)	(32.17)	131.11	185.32
VI.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि तथा संबंधित विश्लेषण**					
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	**3282.08**	2602.03	2407.14	2132.84	2009.65
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**3070.66**	2542.70	2347.50	2246.06	1963.99
	निधिक स्थिति (अधिक/(कमी))	**211.42**	(59.33)	(59.64)	113.22	(45.66)
	तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि	**211.42**	(59.33)	(59.64)	113.22	(45.66)
VII.	**लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय**					
	वर्तमान सेवा लागत	**341.24**	208.27	268.84	268.90	307.99
	ब्याज लागत	**184.70**	180.28	161.87	161.48	146.22
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**232.91**	(211.74)	(201.02)	(186.58)	(163.24)
	वर्ष में अभिज्ञप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**419.63**	122.52	32.17	(131.11)	(185.32)
	लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय	**712.68**	299.33	261.86	112.69	105.65
VIII.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त देयताओं में उतार–चढाव**					
	प्रारंभिक निवल देयता	59.33	59.64	(113.22)	45.66	32.02
	उपर्युक्तानुसार व्यय	**712.68**	299.33	261.86	112.70	105.65
	प्रदत्त अंशदान	**560.58**	(299.64)	(89.00)	(271.58)	(92.01)
	अंतिम निवल देयता	**211.42**	59.33	59.64	(113.22)	45.66
IX.	**चालू अवधि के लिए राशि**					
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	**3282.08**	2602.03	2407.14	2132.84	2009.65
	योजना आस्तियाँ	**3070.66**	2542.70	2347.50	2246.06	1963.99
	अधिक/(कमी)	**211.42**	(59.33)	(59.64)	113.22	(45.66)
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन – लाभ (हानि)	**(432.60)**	(113.71)	(62.58)	87.47	191.75
	योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन – लाभ/(हानि)	**12.97**	(8.81)	30.40	43.64	(6.43)

क्रम सं.	विवरण	ग्रेच्यूटी	ग्रेच्यूटी	ग्रेच्यूटी	ग्रेच्यूटी	ग्रेच्यूटी
		31.03.17	**31.03.16**	**31.03.15**	**31.03.14**	**31.03.13**
I.	**मुख्य बीमांकिक धारण**					
	बट्टागत दर	**7.50%**	8.00%	8.00%	8.50%	8.00%
	वेतन मूल्यवर्धन दर	**5.50%**	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	ह्रास दर	**1.00%**	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दर	**10.79%**	9.00%	8.81%	8.50%	8.50%
II.	**दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन**					
	अवधि के आरंभ में पीवीओ	**298.88**	298.16	315.93	343.85	392.95
	ब्याज की लागत	**20.64**	21.39	22.77	26.49	28.51
	चालू सेवा लागत	**24.77**	22.06	18.63	17.45	17.01
	प्रदत्त लाभ	**47.29**	(61.68)	(62.70)	(64.50)	(73.09)
	दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि (समतुलन आंकडे)	**35.16**	18.95	3.54	(7.36)	(21.53)
	अवधि के अंत में पीवीओ	**332.16**	298.88	298.17	315.93	343.85
III.	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**					
	अवधि के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**308.99**	326.30	354.14	368.24	402.80
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**33.34**	29.37	31.20	31.30	34.24
	अंशदान	**44.89**	16.00	0.00	21.00	31.50
	प्रदत्त लाभ	**47.29**	(61.68)	(62.70)	(64.50)	(73.09)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**(0.22)**	(1.00)	3.67	(1.90)	(27.21)
	अवधि के अंत में योजना आस्तियों पर उचित मूल्य	**339.71**	308.99	326.31	354.14	368.24
IV.	**योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल**					
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	**33.34**	29.37	31.20	31.30	34.24
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	**(0.22)**	(1.00)	3.67	(1.90)	(27.21)
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**33.12**	28.37	34.87	29.40	7.03

V.	**अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)**					
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	**(35.16)**	(18.95)	(3.54)	7.36	21.53
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – योजना आस्तियाँ	**(0.22)**	(1.00)	3.67	(1.90)	(27.21)
	अवधि के लिए कुल लाभ/(हानि)	(35.38)	(19.95)	0.13	5.46	(5.68)
	अवधि में अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	(35.38)	(19.95)	0.13	5.46	(5.68)
VI.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि तथा संबंधित विश्लेषण**					
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	332.16	298.88	298.17	315.93	343.85
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	339.72	308.99	326.31	354.14	368.24
	निधिक स्थिति (अधिक/(कमी))	7.54	10.12	28.14	38.21	24.39
	तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि	7.54	10.12	28.14	38.21	24.39
VII.	**लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय**					
	वर्तमान सेवा लागत	24.77	22.06	18.63	17.45	17.01
	ब्याज लागत	20.64	21.39	22.77	26.49	28.51
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	33.34	29.37	31.20	31.30	(34.24)
	वर्ष में अभिज्ञप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	35.38	19.95	(0.13)	(5.46)	5.68
	लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय	47.46	34.02	10.06	7.18	16.96
VIII.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त देयताओं में उतार–चढाव**					
	प्रारंभिक निवल देयता	(10.12)	(28.14)	(38.21)	(24.39)	(9.85)
	उपर्युक्तानुसार व्यय	47.46	34.02	10.06	7.18	16.96
	प्रदत्त अंशदान	(44.89)	(16.00)	–	(21.00)	(31.50)
	अंतिम निवल देयता	(7.54)	(10.12)	28.15	(38.21)	(24.39)
IX.	**चालू अवधि के लिए राशि**					
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	332.16	298.88	298.16	315.93	343.85
	योजना आस्तियाँ	339.72	308.99	326.30	354.14	368.24
	अधिक/(कमी)	7.54	10.12	28.14	38.21	24.39
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन – लाभ (हानि)	(35.16)	(18.95)	(3.54)	7.36	21.53
	योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन – लाभ/(हानि)	(0.22)	(1.00)	3.67	(1.90)	(27.21)

विवरण न मिलने के कारण, बीमांकित मान्यताओं से संबंधित प्रावधान नीचे दिया गया है :

ब्याज दर : 7.5% प्र.व.

वेतन मुद्रास्फीति: 5.50% प्र.व.

मृत्यु दर: एलआईसीआई 1994-96

ह्रास दर: प्रति हजार 10 प्र.व.

सूत्र: प्रत्याशित इकाई ऋण विधि

VI) **वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए एएस-15 के अनुसार किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं** (₹ करोडों में)

क्रम सं.	**अन्य दीर्घावधि लाभ**	**31.03.2017**	**31.03.2016**
1	पेंशन	**712.68**	299.33
2	छुट्टी नकदी	**(14.28)**	8.11
3	ग्रेच्युटी	**37.35**	34.03
4	बीमारी छुट्टी	**3.41**	0.00

*****नोट: वेतन एवं भत्ता खाते में नामे डालकर लाभ व हानि खाते में रु. 41.00 करोड (पिछले वर्ष ₹26.65 करोड) का वास्तविक व्यय अभिज्ञप्त लिया गया है.

vii) **खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)**

कारोबार खंड	खज़ाना		कंपनी/समग्र बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	31.03.17	**31.03.16**	**31.03.17**	**31.03.16**	**31.03.17**	**31.03.16**	**31.03.17**	**31.03.16**	**31.03.17**	**31.03.16**
राजस्व	**4182.90**	3221.84	**5560.09**	6092.44	**3540.34**	3046.82	**747.39**	596.34	**14030.72**	12957.44
परिणाम	**1067.80**	(15.12)	298.06	320.53	**857.12**	1115.27	**280.98**	199.69	**2503.96**	1620.37
अनाबंटित व्यय									**1589.48**	1462.01
कर पूर्व लाभ									**914.48**	158.36
कर के लिए प्रावधान									**164.00**	(223.44)
असाधारण लाभ/हानि									**शून्य**	शून्य
निवल लाभ									**750.48**	381.80
अन्य जानकारी										
खंड आस्तियां	**47466.57**	44567.02	**57498.55**	62548.56	**41358.83**	30594.62	**4304.81**	4116.91	**150628.71**	141827.11
अनाबंटित आस्तियां									**4252.87**	3581.64
कुल आस्तियां									**154881.57**	**145408.74**
खंड देयताएं	**45666.57**	43054.64	**56279.23**	60988.00	**40730.61**	30117.00	**3873.35**	3624.38	**146549.76**	137784.02
अनाबंटित देयताएं									**8331.81**	7624.72
कुल देयताएं									**154881.57**	145408.74

*एएस-17 की शर्तों के अनुसार खंड रिपोर्टिंग के लिए तथा भारिबैं मार्गनिर्देशों में निर्धारितानुसार बैंक के कारोबार को चार वर्गों में विखंडन किया गया है - (क) खज़ाना परिचालन (ख) कंपनी/थोक बैंकिंग (ग) खुदरा बैंकिंग व (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन विभाजन बैंक की वर्तमान नीति के आधार पर है

#*चूंकि बैंक की कोई समुद्रपारीय शाखा नहीं है, भौगोलिक खंड के अधीन कोई रिपोर्टिंग नहीं की गयी है.

#जहाँ कहीं, व्यय का खंड से, प्रत्यक्ष रूप से संबंध है, वहाँ उनका तदनुसार खंडों में आबंटन किया गया है और जहाँ कहीं प्रत्यक्ष संबंध नहीं है वहाँ खंड राजस्व के आधार पर आबंटन किया गया है.

#जहाँ कहीं आस्ति व देयता का खंड से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है वहाँ उनका तदनुसार खंडों में आबंटन किया गया है और जहाँ कहीं प्रत्यक्ष संबंध नहीं है वहाँ खंड राजस्व/खंड आस्ति अनुपात के आधार पर आबंटन किया गया है.

प्रधान कार्यालय में उपलब्ध आंकडों के आधार पर उपर्युक्त जानकारी संकलित की गयी है.

viii) **सापेक्ष्य पार्टी प्रकटन पर एएस–18 के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित को सापेक्ष्य पार्टी के रूप में अभिज्ञात किया है.**

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

क) डॉ किशोर सांसी, (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ)

ख) श्री बी.एस.रामा राव, (कार्यकारी निदेशक)

ग) श्री वाई नागेश्वर राव (कार्यकारी निदेशक)

वर्ष के दौरान संबंद्ध पार्टियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं :

क) i)) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को वर्ष के दौरान प्रदत्त मानदेय निम्नानुसार है :

डॉ किशोर सांसी, प्र.नि. एवं सीईओ (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	₹ 30,15,624/-
श्री बी.एस.रामा राव, का.नि. (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	₹ 27,36,526/-
श्री वाई नागेश्वर राव, का.नि (01.04.2016 से 31.03.2017 तक)	₹ 25,30,938/-

पिछले वर्ष के आंकडे

डॉ किशोर सांसी, प्र.नि. एवं सीईओ (01.04.2015 से 31.03.2016 तक)	₹ 22,98,606/-
श्री के.आर.शेणै, का.नि. (01.04.2015 से 31.10.2015 तक)	₹ 22,54,350/-
श्री बी.एस.रामा राव, का.नि. (01.04.2015 से 31.03.2016 तक)	₹ 23,89,174/-
श्री वाई नागेश्वर राव, का.नि (22.1.2016 से 31.03.2016 तक)	₹ 3,43,098/-

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ वर्ष के दौरान कोई लेनदेन नहीं हुआ है.

ग) अनुषंगी : शून्य

ix) पट्टे (एएस–19)

क) परिचालन पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टे किराए को संबंधित वर्ष के लाभ व हानि खाते के व्यय के रूप में पहचाना जाता है.

ख) परिचालन पट्टे के लिए देय भावी किराया : (रु. करोडों में)

विवरण	**31.03.2017**	**31.03.2016**
एक वर्ष के पहले	**153.06**	116.53
एक वर्ष के बाद परंतु 5 वर्ष के पहले	**696.66**	520.76
5 वर्षों के बाद	**765.75**	636.98
कुल	**1615.40**	**1274.27**
लाभ व हानि खाते को प्रभारित राशि	**151.29**	116.85

ग) भावी पट्टे किराए तथा किराए की वृद्धि सहमति शर्तों के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

घ) प्रारंभिक पट्टे की अवधि की समाप्ति पर सामान्यत: बैंक को भावी पूर्व निर्धारित अवधि के लिए पट्टे का विस्तारण करने का विकल्प है.

ङ) बैंक में कोई वित्तीय पट्टा नहीं है.

x) प्रति शेयर अर्जन (एएस–20)

बैंक, प्रति शेयर अर्जन पर लेखाकरण मानक 20 के अनुरूप प्रति ईक्विटी शेयर पर मूल अर्जन रिपोर्ट करता है. इस अवधि के लिए प्रति शेयर मूल अर्जन का परिकलन करने के लिए वर्ष के दौरान कर पश्चात निवल लाभ को बकाया ईक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से विभाजित किया जाता है.

मूल प्रति शेयर अर्जन का परिकलन/डाइल्यूटीव		**31.03.2017**	**31.03.2016**
क.	ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (रु. करोडों में)	**750.48**	381.80
ख.	भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या करोडों में)	**99.10**	85.93
ग.	मूल प्रति शेयर अर्जन/डाइल्यूटीव (रुपयों में)	**7.57**	4.44
घ.	प्रति शेयर का नाममात्र मूल्य (रुपयों में)	**10**	10

xi) आय पर कर के लिए लेखाकरण (एएस–22)

बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 22 ''आय पर कर के लिए लेखा'' के अनुपालन में आयकर के लिए लेखांकन किया है. तदनुसार आस्थगित आस्ति और देयता की पहचान की जाती है.

क) आस्थगित कर के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

(₹ करोडों में)

	समय में अंतर	**आस्थगित कर आस्ति**		**आस्थगित कर देयता**	
		31.03.2017	**31.03.2016**	**31.03.2017**	**31.03.2016**
1.	छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	**52.09**	56.94	**शून्य**	शून्य
2.	अचल आस्तियाँ	**0.55**	9.75	**शून्य**	0.88
3.	अपरिशोधित पेंशन	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
4.	अपरिशोधित ग्रेच्युटी	**शून्य**	शून्य	**शून्य**	शून्य
5.	पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	**3.98**	9.52	**शून्य**	शून्य
6.	आयकर अधिनियम की धारा 36(i)(VII) के अधीन विशेष आरक्षित निधि	**शून्य**	शून्य	**188.17**	160.49
7.	एनपीए के लिए प्रावधान	**475.67**	284.64	शून्य	शून्य
	कुल	**532.29**	360.85	**188.17**	160.49

चालू वर्ष से आईसीडीएस (आय की गणना और घोषणा मानक) के आवेदन को ध्यान में रखते हुए, एचटीएम वर्ग के तहत निवेश पर डीटीएल का पहलू नहीं उठता है.

ख) वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, बैंक ने आयकर अधिनियम की धारा 36(i)(vii)(क) के अधीन प्रयोज्य कटौती में अतिरिक्त के लिए किए गए प्रावधान के संबंध में बैंक ने डीटीए को पहचानित की है.

घ) वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान : (₹ करोडों में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
आयकर के लिए प्रावधान	307.76	शून्य
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	(143.76)	(223.44)

xii) प्रबंधन की राय में, लेखाकरण मानक-28, क्षतिग्रस्त आस्ति के अनुसार बैंक की कोई भी अचल आस्ति भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं है.

9. **i) ग्राहकों की शिकायतें :**

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
क.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं.	37	37
ख.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	5850	2990
ग.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	5848	2990
घ.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	39*	37

*निपटान के दिनांक से

ii) एटीएम लेनदेन से संबंधित शिकायत के विवरण :

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
क.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं.	98	34
ख.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	32148	27306
ग.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	32193	27242
घ.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	53	98

iii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित फैसले :

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
क.	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए फैसलों की सं.	शून्य	1
ख.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित फैसलों की सं.	12	शून्य
ग.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित फैसलों की सं.	12	1
घ.	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए फैसलों की सं.	शून्य	शून्य

iv) मार्च 2017 में बैंक ने भारत सरकार को प्रति रु.10/- के 6,62,85,025 ईक्विटी शेयर प्रति शेयर रु.23.19 प्रीमियम पर जारी किया है. मार्च 2016 में भारत सरकार ने रु.220 करोड की पूंजी दी है. यथा 31 मार्च 2016 को ईक्विटी शेयरों के लंबित आबंटन को शेयर आवेदन धन के रूप में लेखांकन किया गया है.

v) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भा.रि.बैं. ने रु.18.31 (पिछले वर्ष 5.68 लाख) लाख का जुर्माना लगाया है.

10. (i) प्रावधान व आकस्मिक व्यय के विस्तृत ब्यौरे (₹ करोडों में)

लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत 'प्रावधान व आकस्मिक व्यय' के विस्तृत ब्यौरे	**31.03.2017**	**31.03.2016**
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**44.97**	57.17
एनपीए के लिए प्रावधान	**1347.34**	1488.45
मानक आस्ति हेतु प्रावधान (पुनर्संरचित मानक सहित)	**58.27**	(241.01)
आयकर के लिए किए गए प्रावधान (निवल)		
i) चालू कर	**307.76**	0.00
ii) आस्थगित कर	**−143.76**	(223.44)
अन्य प्रावधान व आकस्मिक व्यय:		
i) आकस्मिक व्यय हेतु प्रावधान	**10.94**	55.30
ii) अन्य	**47.29**	30.60
iii) वापस लिया गया अधिक प्रावधान	**−2.14**	0.00
कुल	**1670.67**	1167.07

i) अस्थिर प्रावधान (₹ करोडों में)

विवरण		31.03.2017	31.03.2016
क.	आरंभिक शेष	71.35	142.71
ख.	वर्ष के दौरान किए गए अस्थिर प्रावधान	शून्य	शून्य
ग.	वर्ष के दौरान आहरित राशि	शून्य	71.36
घ.	अंतिम शेष	71.35	71.35

नोट : अस्थिर प्रावधान का इस्तेमाल अनर्जक अग्रिमों के लिए आवश्यक प्रावधान के परिकलन के लिए किया गया है.

11. अंत: समूह एक्सपोजर :

क) अंत: समूह एक्सपोजर की कुल राशि : शून्य

ख) उच्च-20 अंत: समूह एक्सपोजर की कुल राशि : शून्य

ग) उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक का कुल एक्सपोजर के प्रति अंत: समूह एक्सपोजर की प्रतिशतता : शून्य

घ) अंत: समूह एक्सपोजर पर सीमा तोडने के विवरण तथा उस पर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो : शून्य

12. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईएएफ) : (रु. करोडों में)

विवरण	**31.03.2017**	**31.03.2016**
डीईएएफ को अंतरित राशि का अथशेष	**87.53**	62.87
जोडें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	**30.54**	25.12
घटाएं : दावे के प्रति डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गयी राशि	**1.02**	0.47
डीईएएफ को अंतरित राशि का इतिशेष	**117.05**	87.53

13. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर :

(जहां तक बैंक ने उधारकर्ताओं से सुनिश्चित कर पाया है तथा बैंक द्वारा प्रमाणित किया गया तथा लेखापरीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया)

यथा 31.03.2017 को वृद्धिशील प्रावधानीकरण : रु.10.43 करोड

वृद्धिशील पूंजी आवश्यकता रु. 15.03 करोड

14. (क) चलनिधि प्रावरण अनुपात : (₹ करोडों में)

	एलसीआर प्रकटन टेंप्लेट		
		कुल अभारित मूल्य (औसतन)	**कुल भारित मूल्य (औसतन)**
उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)		25600.70
	नकद बहिर्गमन		
2	खुदरा जमा तथा छोटे कारोबार ग्राहकों से जमा, जिसमें से	**79256.70**	5821.82
(i)	स्थिर जमा	**42077.03**	2103.85
(ii)	कम स्थिर जमा	**37179.67**	3717.97
3	अप्रत्याभूत थोक निधीयन, जिसमें से	**18265.03**	9283.72
(i)	परिचालनात्मक जमा (सभी प्रतिपक्षकार)	**0.00**	0.00
(ii)	गैर–परिचालनात्मक जमा (सभी प्रतिपक्षकार)	**18265.03**	9283.72
(iii)	अप्रत्याभूत ऋण	**0.00**	0.00
4	प्रत्याभूत थोक निधीयन	**7157.39**	0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	**7438.53**	929.11
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोजर तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	**0.00**	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	**0.00**	0.00
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधा	**7438.53**	929.11
6	अन्य करारबद्ध निधीयन दायित्व	**1025.22**	1025.22
7	अन्य आकस्मिकताओं के निधीयन दायित्व	**8448.03**	286.53
8	**कुल नकदी बहिर्गमन**		17346.40
	नकद आगमन		
9	प्रत्याभूत उधार (उदा. प्रति पुनर्खरीद)	**961.66**	0.00
10	पूर्णत: निष्पादित एक्सपोजर से आगमन	**1447.78**	836.62
11	अन्य नकद आगमन	**1111.42**	555.71
12	**कुल नकद आगमन**	**3520.86**	1392.33

कुल समायोजित मूल्य			
21	**कुल एचक्यूएलए**		**25600.70**
22	**कुल निवल नकद बहिर्गमन**		**15954.07**
23	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		**160.47%**

14. (ख) एलसीआर से संबंधित गुणात्मक प्रकटन :

क. एलसीआर परिणाम के प्रमुख चालक और समय के साथ एलसीआर के गणना की निविष्टियों के योगदान का विकास ;

एलसीआर के प्रमुख चालक एचक्यूएलए है, स्वस्थ एचक्यूएलए से एलसीआर की प्रतिशतता में सुधार नहीं होगी साथ ही 30 दिनों तक तरलता आवश्यकता को पूरी करने हेतु बैंक की क्षमता में वृद्धि भी होगी.

ख. अंतर –अवधि परिवर्तन तथा समय के साथ परिवर्तन

लागू नहीं

ग. एचक्यूएलए की संरचना

एचक्यूएलए की संरचना को स्तर 1 आस्ति और स्तर 2ए स्तर 2बी में विभाजित किया गया है.

स्तर 1 आस्ति में निम्न शामिल हैं:

(i) नकद जिसमें आवश्यक सीआरआर से अधिक नकद आरक्षिति शामिल है.

(ii) न्यूनतम सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां.

(iii) अनिवार्य सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) आवश्यकता के अंतर्गत मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा (एमएसएफ) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) द्वारा अनुमत सरकारी प्रतिभूतियां .

(iv) विदेशी राज्यों द्वारा जारी या गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियां जो निम्न शर्तों को पूरा करती है:–

क. ऋण जोखिम के लिए बेसल खख मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन 0% जोखिम भार दिया जाता है.

ख. कम स्तर के केंद्रीकरण युक्त आस्तियां जिसे बडे, गहरे और सक्रिय रिपो और नकद बाजार में व्यापार किया जाता है; तथा तनावग्रस्त बाजार परिस्थितियों में भी बाजार (रिपो या बिक्री) में तरलता का विश्वसनीय स्रोत है.

ग. बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी या इनके कोई भी संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किया गया हो.

स्तर 2 आस्तियों (स्तर 2ए आस्तियां व स्तर 2बी आस्तियां शामिल है) को तरल आस्तियों के स्टॉक में शामिल की जा सकती है, बशर्ते कि हेयरकट लागू करने के बाद एचक्यूएलए के समग्र स्टॉक के 40% से अधिक न हो.

स्तर 2ए आस्तियों में निम्न शामिल है;

स्टॉक में धारित प्रत्येक स्तर 2ए आस्ति का वर्तमान बाजार मूल्य के लिए न्यूनतम 15% हेयरकट लागू करना है. स्तर 2ए आस्तियां निम्न तक ही सीमित है:

1. विपणनयोग्य प्रतिभूतियां जो विदेशी सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां (पीएई) या बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा गारंटीकृत दावा या पर दावे का प्रतिनिधित्व करता हो जिनको ऋण जोखिम के लिए बेसल खख मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन 20 % जोखिम भार समनुदेशित किया गया हो और जो बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी या इनके कोई भी संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किया गया हो.
2. कार्पोरेट बांड जो बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी या इनके कोई भी संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किया गया हो, जिन्हें पात्र ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा ए ए – या उससे अधिक रेटिंग दिया गया हो.
3. वाणिज्यिक पत्र जिसे बैंक/प्राथमिक डीलर (पीडी) / वित्तीय संस्था या इनके कोई भी संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किया गया हो जिन्हें पात्र ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा ए ए – या उससे अधिक बडी अवधि रेटिंग के समनुरूप लघु अवधि रेटिंग दिया गया हो .

स्तर 2बी आस्तियों में निम्न शामिल है;

स्टॉक में धारित प्रत्येक स्तर 2बी आस्ति के वर्तमान बाजार मूल्य के लिए न्यूनतम 50 % हेयरकट लागू करना है. और, स्तर 2बी आस्तियों में एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 15 % से अधिक नहीं होना है. इन्हें समग्र स्तर 2बी आस्तियों में भी शामिल किया जाना है. स्तर 2ए आस्तियां निम्न तक ही सीमित है:

(i) विपणनयोग्य प्रतिभूतियां जो विदेश, द्वारा गारंटीकृत दावा या पर दावे का प्रतिनिधित्व करता हो जिनका जोखिम भार 20% से अधिक हो परंतु 50 % से अधिक न हो अर्थात बेसल खखख – पूंजी विनियमन पर भा.रि.बैं का मास्टर परिपत्र के अनुसार बीबीबी से कम ऋण रेटिंग न हो.

(ii) सामान्य ईक्विटी शेयर जो निम्न शर्तों को पूरा करता हो:

क. जो बैंक/वित्तीय संस्था/एनबीएफसी या इनके कोई भी संबद्ध इकाइयों द्वारा जारी न किया गया हो;

ख. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस व पी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक में शामिल किया गया हो.

ग. निधीकरण स्रोतों का सकेंद्रण:

भा.रि.बैं /केंद्रीय बैंकों द्वारा प्राप्त की जानेवाली राशि

घ. डेरिवेटीव एक्सपोजर और संभाव्य संपार्श्विक कॉल ;

लागू नहीं

ङ. एलसीआर में मुद्रा बेमेल

लागू नहीं

च. तरलता प्रबंधन के केंद्रीकरण के स्तर तथा समूह की इकाइयों के बीच बातचीत का विवरण; और

खजाना प्रबंधन विभाग (टीएमडी) के निधि प्रबंधन डेस्क केंद्रीकृत तरलता प्रबंधन डेस्क है जो दो इकाइयों के बीच निधियों के प्रवाह का प्रबंधन करता है.

छ एलसीआर संगणना में अन्य आवा–जाही जिसे एलसीआर सामान्य टेंपलेट द्वारा कैप्चर नहीं किया गया है परंतु संस्था जिसे उनके तरलता प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक समझता है.

लागू नहीं

15. **भा.रि.बैं. परिपत्र संख्या डीबीआर. सं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015–16, दिनांक अप्रैल, 18, 2016 के अनुसार धोखाधड़ी के प्रावधानों से संबंधित प्रकटन निम्नानुसार है: –**

16. बैंक ने व्यपगत मांग ड्राफ्ट के भुगतान के लिए सामान्य आरक्षिति से रु.शून्य आहरण किया है (पिछले वर्ष रु. शून्य) जिसे भा.रि.बैं. के अनुमोदनानुसार पूर्व में सामान्य आरक्षिति में रखा गया था.

17. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन शामिल आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता के संबंध में बैंक के पास पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है. इस वजह से उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन प्रकट की जाने वाली अपेक्षित सूचना नहीं दी गयी है.

18. **आईएनडीएएस का कार्यान्वयन:**

बैंक आईएनडीएएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है. बैंक इस उद्देश्य के लिए बाहरी सलाहकारों की सेवाएं भी प्राप्त कर रहा है. सितंबर 16 को समाप्त अर्ध वर्ष के लिए प्रारूप वित्तीय विवरण समेकित किए गए और भा.रि.बैं. को प्रस्तुत किए गए हैं. बैंक को भरोसा है कि आईएनडीएएस के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित समयसीमा का पालन किया जाता है.

19. चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने हेतु पिछले साल के अंकों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुन: समूहन/पुन:वर्गीकृत/पुन:व्यवस्थित किया गया है.

20. परोक्ष पद्धति के उपयोग करते हुए नकद प्रवाह तैयार किया गया है.

गोपालकृष्णन नारायणन अध्यक्ष	**डॉ. किशोर सांसी** प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	**बी एस रामा राव** कार्यकारी निदेशक	**नागेश्वर राव वाई** कार्यकारी निदेशक
संजय कुमार निदेशक	**जी पी बोरा** निदेशक	**पी वैद्यनाथन** निदेशक	**एम भगवंत राव** निदेशक
वी वी आर शास्त्री निदेशक	**एस रघुनाथ** निदेशक		
मुरली रामस्वामी महा प्रबंधक			

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.003990एस / एस200018	**कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेस्वरन** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.001204एस
राजेश्वरी एस साझेदार सदस्यता सं.024105	**पी एस नरसिंहन** साझेदार सदस्यता सं.020936
कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.011316एन	**कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं.** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.000018एन
विक्रम जिंदल साझेदार सदस्यता सं.095464	**राकेश कुमार** साझेदार सदस्यता सं.087537

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 09.05.2017

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

विवरण	(रुपए 000 को छोड दिया गया)	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर के बाद निवल लाभ	750 48 51	381 79 52
अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान	82 81 29	71 49 20
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ	−2 36 93	- 39 74
चालू आस्थगित कर	−143 76 27	−223 44 07
आयकर के लिए प्रावधान	307 76 00	0
एमएटी ऋण हकदारी	0	0
गैनिआ / पुनर्संरचित अग्रिम के संबंध में प्रावधान	1328 77 13	1272 80 72
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	76 84 00	−25 36 00
निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	44 97 14	55 20 83
गौण बांड पर ब्याज का भुगतान / प्रावधान	369 96 54	295 07 30
अन्य मदों के लिए प्रावधान	56 08 88	87 86 00
उप कुल :–	2871 56 29	1915 03 76
परिचालन आस्तियों व देयताओं में निवल परिवर्तन में समायोजन		
निवेश में गिरावट / (वृद्धि)	−2627 03 32	−1141 55 03
अग्रिमों में गिरावट / (वृद्धि)	−6890 69 80	−3563 90 51
जमाराशियों में वृद्धि / (गिरावट)	7571 22 93	−902 62 77
उधार में वृद्धि / (गिरावट)	986 22 49	2322 37 82
अन्य आस्तियों में गिरावट / (वृद्धि)	−1346 45 60	1114 01 34
अन्य देयताओं / प्रावधानों मे वृद्धि / (गिरावट)	300 35 95	−673 60 69
कर (प्रदत्त) / वापसी	−804 76 37	−342 27 38
परिचालात्मक गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी (क)	60 42 57	−1272 53 46
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियां (निवल)	−154 30 10	−155 40 16
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी (ख)	−154 30 10	−155 40 16
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी का निर्गमन	66 28 50	73 44 10
शेयर आवेदन राशि	−220 00 00	220 00 00
शेयर प्रीमियम	153 71 50	152 39 01
जारी गौण बांड	325 00 00	950 00 00
अमोचित गौण बांड	−550 00 00	−250 00 00
गौण बांड पर ब्याज	−369 96 54	−295 07 30
प्रदत्त अधिमानी लाभांश व उस पर प्रदत्त कर	0	0
ईकिवटी लाभांश व उस पर प्रदत्त कर	0	−155 10 28
प्रदत्त अंतरिम लाभांश व उस पर प्रदत्त कर	0	0

विवरण	(रुपए 000 को छोड दिया गया)	
	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी (ग)	**–594 96 54**	695 65 53
निवल नकदी और नकदी समतुल्य राशि (क + ख + ग)	**–688 84 07**	–732 28 09
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य राशि	**6619 55 08**	7351 83 17
हाथ में नकदी	**554 59 71**	493 80 86
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि	**5713 75 28**	6040 48 61
बैंकों में शेष राशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**351 20 09**	817 53 70
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य राशि	**5930 71 01**	6619 55 08
हाथ में नकदी	**506 85 55**	554 59 71
भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि	**5263 56 57**	5713 75 28
बैंकों में शेष राशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**160 28 89**	351 20 09

बैंक के निदेशक मंडल ने दि.09.05.2017 को हुई बैठक में उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण को अभिलिखित किया.

गोपालकृष्णन नारायणन
अध्यक्ष

डॉ. किशोर सांसी
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

बी एस रामा राव
कार्यकारी निदेशक

नागेश्वर राव वाई
कार्यकारी निदेशक

संजय कुमार
निदेशक

जी पी बोरा
निदेशक

पी वैद्यनाथन
निदेशक

एम भगवंत राव
निदेशक

वी वी आर शास्त्री
निदेशक

एस रघुनाथ
निदेशक

मुरली रामस्वामी
महा प्रबंधक

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.003990एस / एस200018

राजेश्वरी एस
साझेदार
सदस्यता सं.024105

कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.011316एन

विक्रम जिंदल
साझेदार
सदस्यता सं.095464

कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेस्वरन
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001204एस

पी एस नरसिंहन
साझेदार
सदस्यता सं.020936

कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000018एन

राकेश कुमार
साझेदार
सदस्यता सं.087537

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 09.05.2017

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने यथा 31 मार्च 2017 को विजया बैंक के संलग्न वित्तीय विवरणों का निरीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2017 के तुलन पत्र तथा उस दिनांक को समाप्त लाभ-हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है. इसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 912 शाखाओं की विवरणियाँ समाविष्ट हैं. बैंक ने, हमारे द्वारा परीक्षित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार किया है. तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा में उन 1098 शाखाओं की विवरणियां सम्मिलित की गयी है, जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गयी है. ये गैर लेखा परीक्षित शाखाएं 9.91% अग्रिम का, 22.92% जमाराशियों का, 8.99% ब्याज पर आय और 23.63% ब्याज पर व्यय के बनते हैं.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन उत्तरदायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अनुसार इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है. इस उत्तरदायित्व में, वित्तीय विवरणियों की रूपरेखा, उसका कार्यान्वयन तथा विवरणियों को त्रुटिरहित, चाहे त्रुटि धोखाधडी से या गलती से हो, तैयार करने से संबंधी आंतरिक नियंत्रण का रख-रखाव शामिल है.

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

3. हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन विवरणियों पर राय जाहिर करना हमारी जिम्मेदारी है. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है. इन मानकों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा योजना तैयार करके लेखापरीक्षा करें ताकि वित्तीय विवरणियों के बारे में समुचित आश्वासन पर्याप्त हो कि इसकी सामग्रि में गलत विवरण नहीं है.

4. लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणियों में लिखित राशि तथा प्रकटीकरण के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त करने हेतु प्रक्रियाओं को शामिल करना है. चयन की गयी प्रक्रिया, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित है जिसमें वित्तीय विवरणियों की त्रुटियों के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है, चाहे वे धोखाधडी के कारण हो या गलती से हो. ऐसे जोखिम मूल्यांकन करते समय, लेखापरीक्षक, कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणियों की तैयारी व उचित प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं ताकि उस संदर्भ के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके. लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की समुचितता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किया गया लेखा प्राक्कलन की समुचितता तथा वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है.

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा जुटाए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे लेखापरीक्षा मत को दर्शाने हेतु पर्याप्त तथा उचित आधार है.

राय

6. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार :

   i) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नीतियें के अनुपालन करते हुए,टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र, पूर्ण एवं निष्पक्ष हैं, जिसमें आवश्यक सभी विवरण दिए गए हैं और इसे सही ढंग से तैयार किया गया है, ताकि 31 मार्च, 2017 तक बैंक के कारोबार का सही निष्पक्ष चित्र दर्शाया जा सके;

   ii) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुपालन करते हुए, टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि लेखा, लेखा से संबंधित वर्ष में अर्जित लाभ की सही शेष राशि दर्शाता है; तथा

   iii) नकदी प्रवाह विवरण, विवरण की अवधि के लिए नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाता है.

अन्य विधि तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

7. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है.

8. उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 5 तक में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की सीमा के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की अपेक्षानुसार और साथ ही उन बातों के अधीन, जिनको प्रकट करने पर इस अधिनियम में प्रतिबंध लगाया गया है, हम रिपोर्ट करते है कि :

क) हमने ऐसी सारी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उनको संतोषजनक पाया है.

ख) सरकारी विभाग तथा कार्पोरेट निकायों द्वारा खोले गए बचत बैंक खातों के सिवाय बैंक के जो लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के अंदर हैं.

ग) बैंक के कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त पायी गई हैं.

9. आगे, हम रिपोर्ट करते हैं कि

क) तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता, खाता बहियों तथा विवरणी के अनुसार हैं.

ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, की धारा 29 के अधीन बैंक के अन्य शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के खातों की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई हैं तथा इस रिपोर्ट की तैयारी में इसको उचित रूप से लिया गया है.

ग) हमारी राय में, आईसीएआई द्वारा संशोधित एएस 4 के तहत प्रस्तावित लाभांश और उस पर कर के लेखांकन से संबंधित खंड, जो भारतीय रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण हेतु लंबित है, को छोड़कर तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लागू लेखा मानक के अनुसार हैं.

कृते मेसर्स पीकेएफ श्रीधर एण्ड संतानम एलएलपी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.003990एस / एस200018

कृते मेसर्स जगन्नाथन एण्ड सरबेस्वरन
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.001204एस

राजेश्वरी एस
साझेदार
सदस्यता सं.024105

पी एस नरसिंहन
साझेदार
सदस्यता सं.020936

कृते मेसर्स शिव जिंदल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.011316एन

कृते मेसर्स ओ पी बग्ला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000018एन

विक्रम जिंदल
साझेदार
सदस्यता सं.095464

राकेश कुमार
साझेदार
सदस्यता सं.087537

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 09.05.2017

यथा 31 मार्च 2017 को बेसल प्रकटीकरण दस्तावेज़

तालिका डीएफ – 1 जो बैंक समूह यथा इकाइयां प्रकटन पर है, बैंक के लिए लागू नहीं.

तालिका डीएफ – 2

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण				
(क)	वर्तमान तथा भविष्य की गतिविधियों के समर्थन के लिए बैंक की अपनी पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण की पद्धति पर चर्चा का सारांश	भारिबैं के निदेशानुसार, हमारे बैंक ने 31.03.2009 से प्रभावी ऋण जोखिम के लिए 'मानकीकरण दृष्टिकोण', बाज़ार जोखिम के लिए 'मानकीकरण **अवधि** दृष्टिकोण' तथा परिचालन जोखिम के लिए 'मूल संकेत दृष्टिकोण' अपनाया है. मौजूदा तथा भविष्य के क्रियाकलापों के समर्थन हेतु अतिरिक्त पूंजी निर्धारण के लिए बैंक तैयार की गई आईसीएएपी नीति को अपनाता है. कारोबार के भविष्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सतत आधार पर नियामक न्यूनतम से अधिक पर्याप्त पूंजी के रख-रखाव हेतु आईसीएएपी की अर्ध वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है		
परिमाणात्मक प्रकटीकरण		**(₹ करोड़ों में)**		
(ख)	बेसल-II व बेसल-III के अधीन ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ			
	• मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभाग (10.25% के न्यूनतम सीआरएआर पर पूंजी की आवश्यकता)	7409.29 (अन्य आस्तियाँ सहित तथा प्रतिरूप पार्टी अरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम)		
	• प्रतिभूतिकरण जोखिम	**कुछ नहीं** - चूंकि प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत बैंक का कोई जोखिम नहीं है.		
(ग)	बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यतकताएं मानकीकरण अवधि दृष्टिकोण			
	बेसल-II के अधीन	**690.58**		
	• ब्याज दर जोखिम	631.18		
	• विदेशी विनिमय जोखिम	1.35		
	• ईक्विटी जोखिम	58.05		
	बेसल-III* के अधीन	**685.57**		
	• ब्याज दर जोखिम	630.85		
	• विदेशी विनिमय जोखिम	1.35		
	• ईक्विटी जोखिम	53.37		
	* ₹ 6.81 करोड प्रतिधारिता समायोजन के बाद			
(घ)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ- मूल सूचक दृष्टिकोण बेसल-II व बेसल-III	**475.49**		
			बेसल-II	**बेसल-III**
	आवश्यक पूंजी	**न्यूनतम पूंजी आवश्यकता**	**8575.36**	**8570.35**
	रखी गयी पूंजी	**पूंजी निधि (यथा 31.03.2017 को)**	**11242.68**	**11051.49**
(ङ)	कुल तथा टियर 1 पूंजी अनुपात			
	• शीर्ष समेकित समूह के लिए		**बेसल-II**	**बेसल-III**
		सीआरएआर (यथा 31.03.2017 को)	**12.95**	**12.73**
		सामान्य ईक्विटी टियर 1*	-	8.44
		टियर 1 पूंजी	9.56	9.96
		टियर 2 पूंजी	3.39	2.77
		* 1.25% का पूंजी संरक्षण बफर शामिल है		
	• महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों के लिए	लागू नहीं, चूंकि हमारे बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है.		

तालिका डीएफ – 3
ऋण जोखिम – सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण जिसमें शामिल है • पिछला अतिदेय तथा अनर्जक की परिभाषा (लेखाकरण कार्य के लिए) • बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा	बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, एक मज़बूत प्रणाली, कार्यपद्धतियां तथा नीति पर चलती है. जहाँ मंडल के निदेशक व जोखिम प्रबंधन समिति निदेश देती है वहीं प्रबंध निदेशक एवं मुख्यक कार्यकारी अधिकारी द्वारा संचालित ऋण जोखिम प्रबंधन समिति उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है. ऋण जोखिम प्रबंधन, संपार्श्विक प्रबंधन तथा ऋण जोखिम उपशामक (सीआरएम) दर निर्धारण आदि के लिए नीति दिशानिर्देश तैयार किये गए हैं जिसमें उद्देश्य, गुंजाइश तथा जोखिम रिपोर्ट करने का स्वरूप, उसकी माप प्रणालियाँ, नीतियाँ, सीआरएम के ज़रिए जोखिम का नियंत्रित/कम करने हेतु अपनाई जानेवाली रणनीतियाँ, प्रक्रियात्मक कदम, उपशामक के निरंतर प्रभाव के लिए विकास, संवीक्षा तथा पर्यवेक्षण यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी है. बेसल ।। मानदंडों के उच्चतर दृष्टिकोण तक जाने के लिए बैंक ने ऋण जोखिम निर्धारण, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम, एएलएम तथा एफटीपी के छ: समाधानों के माध्यम से एकीकरण जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन अपनाया है. **आईआरएसी मानदंड पर बैंक की नीति (आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण)** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर है. आस्तियों को निष्पादक तथा गैर निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकरण करने हेतु 90 दिनों के चूक मानदंड अपनाया जाता है. आईआरएसी के संपूर्ण आंकडे लेखा परीक्षा के अधीन है. मानक आस्ति (निष्पादक) तथा गैर निष्पादक आस्ति दोनों पर निर्धारितानुसार पर्याप्त प्रावधान किया गया है. इसके अलावा पुनर्रचित आस्तियों के लिए बैंक ने सामान्य अस्थाई प्रावधान तथा अतिरिक्त प्रावधान सुनिश्चित किया है. **अनर्जक आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण उद्देश्य के लिए)** कोई आस्ति गैर निष्पादक तब बनती है जब उससे बैंक को कुछ आय प्राप्त न हो जैसे (क) जब ऋण का ब्याज व/या किस्त 'अतिदेय' बनता है (*) मीयादी ऋण के संबंध में 90 दिनों के अधिक की अवधि के लिए (ख) खाता तब 'आउट आफ आर्डर' बनता है जब वह (#) नकद ऋण जैसी परिचालन सीमाओं के संबंध में 90 दिनों तक अप्रचलित हो (ग) खरीदे गए बिल/भुनाए गए बिल के संबंध में यदि बिल 'अतिदेय' बन जाते हैं (घ) किसी भी तिमाही में प्रभारित ब्याज को तिमाही के अंत से 90 दिनों के अंदर वसूल न किया गया है (ङ) अल्पावधि फसल ऋणों के मामले में मूल राशि का किश्त या उस पर ब्याज दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय हो तथा दीर्घावधि फसल ऋणों के मामले में मूल राशि का किश्त या उसपर ब्याज एक फसल मौसम में अतिदेय रहता हो (च) जब गैर निधि आधारित राशियों के परिणति की तारीख से 90 दिन समाप्त होने पर. * 'अतिदेय' का तात्पर्य है किसी ऋण सुविधा के अधीन बैंक को देय कोई राशि, यदि वह देय नियत दिनांक को या गैर निधि आधारित राशि के परिणत होने पर भुगतान नहीं किया जाता. # 'आउट आफ आर्डर' का तात्पर्य है बकाया शेष मंजूर सीमा/आहरण अधिकार से निरंतर रूप से अधिक रहता है या 90 दिन निरंतर रूप से आवश्यक राशि जमा नहीं की गयी या 90 दिनों से पहले नामे डाला गया ब्याज को प्रावरित करने हेतु खाते में काफी जमा न हो तो. **बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा :** बैंक ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का सूत्रपात किया है तथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, आदि जैसी विभिन्न समितियों को गठित किया है ताकि कई प्रबंधन तकनीकों को सुधारा जा सके जिससे ऋण जोखिम पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले बाह्य तथा आंतरिक घटकों को हिसाब में लेते हुए ऋण जोखिमों की पहचान, मापन, संवीक्षा व नियंत्रण करने में बैंक को मदद मिले. बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियाँ तथा उधार नीति को और सुचारू बनाया है. इसमें ऋण मूल्यांकन नाम जैसे बेंचमार्क/प्रमुख वित्तीय संकेतकों पर रोक अनुपात, आंतरिक अधिकतम सीमा, बडे ऋण प्रस्ताव के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, ऋण संकेद्रीकरण, ऋण समीक्षा संयंत्र/ऋण लेखा परीक्षा, उच्च मूल्य उधार खातों (व्यापक ऋण संवीक्षा रिपोर्ट) की विशेष समीक्षा, जोखिम, संकेंद्रीकरण/जोखिम दर निर्धारण के आधार पर अनुवीक्षण व लागत निर्धारण तथा जोखिम दर निर्धारण के आधार पर समीक्षा शामिल है तथा इसमें समूह, दर निर्धारण और संवेदनशील क्षेत्र जैसे पूंजी बाज़ार, भू संपदा तथा पण्य क्षेत्र के लिए जोखिम उच्चतम सीमा भी प्रावरित है. बैंक की व्यापक वसूली नीति भी तैयार की गयी है तथा समय-समय पर संशोधित किया गया है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण	सकल ऋण जोखिम				
(ख) सकल ऋण जोखिम – निधि आधारित व गैर निधि आधारित	निधि आधारित	सकल ऋण	: ₹	96821.45	करोड
		निवेश	: ₹	29616.38	करोड
		अन्य आस्तियां	: ₹	11206.41	करोड
	गैर निधि आधारित	बीजी/एलसी	: ₹	8448.03	करोड
		व्युत्पन्न तथा	: ₹	2907.02	करोड
	सीसीआइएल/एमसीएक्स	अनाहरित	: ₹	7438.52	करोड
	कुल		**: ₹**	**156437.81**	**करोड**
(ग) ऋण जोखिम का भौगोलिक संवितरण – निधि आधारित व गैर निधि आधारित अलग से	**समुद्रपारीय: निधि आधारित व गैर निधि आधारित: कुछ नहीं**				
	देशी :				
	निधि आधारित	सकल ऋण	: ₹	96821.45	करोड
• समुद्रपारीय		निवेश	: ₹	29616.38	करोड
		अन्य आस्तियां	: ₹	11206.41	करोड
• देशी	गैर निधि आधारित	बीजी/एलसी	: ₹	8448.03	करोड
		व्युत्पन्न तथा	: ₹	2907.02	करोड
		सीसीआइएल/ एमसीएक्स अनाहरित	: ₹	7438.52	करोड
	कुल		**: ₹**	**156437.81**	**करोड**

सकल ऋण, एनएफबी तथा एचटीएम निवेशों का भौगोलिक–वार संवितरण निम्नानुसार है : (₹ करोडों में)

राज्य	सकल ऋण	गैर–निधि आधारित	एचटीएम निवेश	कुल
अंडमान व निकोबार	41.91	6.29	0.00	48.20
आंध्र प्रदेश	3300.59	157.86	80.03	3538.48
अरुणाचल प्रदेश	166.86	71.28	0.00	238.14
असम	337.00	27.79	25.47	390.26
बिहार	331.36	17.05	0.00	348.41
चंडीगढ	177.35	17.03	0.00	194.38
छत्तीसगढ	405.09	18.97	43.69	467.75
दादर तथा नगर हवेली	17.91	0.00	0.00	17.91
दमन एवं दीव	1.95	0.00	0.00	1.95
दिल्ली	12082.56	1291.19	20856.63	34230.38
गोवा	273.12	4.70	0.00	277.82
गुजरात	3566.23	237.18	491.11	4294.52
हरियाणा	2539.08	46.16	211.63	2796.87
हिमाचल प्रदेश	78.65	0.66	0.00	79.31
जम्मू व कश्मीर	21.97	0.78	25.14	47.89
झारखंड	147.29	8.92	0.00	156.21

	राज्य	सकल ऋण	गैर–निधि आधारित	एचटीएम निवेश	कुल
	कर्नाटक	21378.94	1414.06	731.64	23524.64
	केरल	4171.93	135.85	90.62	4398.40
	मध्य प्रदेश	904.49	25.91	37.08	967.48
	महाराष्ट्र	26003.50	3324.42	980.78	30308.70
	मणिपुर	72.97	1.83	0.00	74.80
	मेघालय	59.87	26.80	0.00	86.67
	मिजोरम	74.56	1.86	0.00	76.42
	नागालैंड	119.54	1.58	0.00	121.12
	उडीसा	505.32	12.47	63.04	580.83
	पांडिचेरी	87.96	2.91	0.00	90.87
	पंजाब	1223.48	13.30	159.96	1396.74
	राजस्थान	1000.60	51.96	880.42	1932.98
	सिक्किम	19.05	1.47	0.00	20.52
	तमिलनाडु	6387.99	393.43	855.59	7637.01
	तेलंगाणा	5227.42	646.71	0.00	5874.13
	त्रिपुरा	33.85	8.46	0.00	42.31
	उत्तर प्रदेश	2450.10	199.61	143.53	2793.24
	उत्तरांचल	141.60	3.18	0.00	144.78
	पश्चिम बंगाल	3469.36	276.35	89.27	3834.98
	कुल	**96821.45**	**8448.03**	**29616.38***	**134885.86**

*** ₹ 9.25 करोड एनपीआई को छोडकर कुल एचटीएम ₹ 3859.99 करोड आरआईडीएफ शामिल हैं.**

(घ) ऋण (निधि आधारित तथा गैर–निधि आधारित) का उद्योगवार संवितरण निम्नानुसार है :

राशि (₹) करोडों में

उद्योग	**निधि आधारित**	**गैर–निधि आधारित**
ए. खनन और उत्खनन (ए.1 + ए.2)	**173.47**	**16.49**
ए.1 कोयला	100.21	0.35
ए.2 अन्य	73.27	16.14
बी. खाद्य प्रसंस्करण (बी.1 से बी.5 का कुल)	**220.06**	**25.59**
बी.1 चीनी	18.96	0.00
बी.2 खाद्य तेल और वनस्पति	25.11	3.02
बी.3 चाय	15.15	0.01
बी.4 कॉफी	0.00	0.00
बी.5 अन्य	160.84	22.56

राशि (₹) करोडों में

	उद्योग	निधि आधारित	गैर–निधि आधारित
सी.	**पेय पदार्थ (चाय और कॉफी को छोडकर) तथा तंबाकू (सी.1 और सी.2 का कुल)**	**189.13**	**0.50**
	सी.1 तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	143.83	0.05
	सी.2 अन्य	45.30	0.46
डी.	**वस्त्र (डी.1 से डी.6 का कुल)**	**909.76**	**28.07**
	डी.1 कपास	534.43	3.69
	डी.2 जूट	2.84	0.25
	डी.3 हस्तशिल्प / खादी (गैर–प्राथमिकता)	57.95	0.00
	डी.4 रेशम	0.00	0.00
	डी.5 ऊन	0.00	0.00
	डी.6 अन्य	314.54	24.13
घ	**(अर्थात कुल वस्त्र) में से कताई कारखाने को**	**0.00**	**0.00**
ई.	**चमडा और चमडा उत्पाद**	**45.62**	**1.38**
एफ.	**काष्ठ और काष्ठ उत्पाद**	**187.19**	**12.13**
जी.	**कागज और कागज उत्पाद**	**207.93**	**17.40**
एच.	**पेट्रोलियम (गैर–इंफ्रा), कोयला उत्पाद (गैर–खनन) तथा परमाणु ईंधन**	**49.63**	**0.08**
आई.	**रासायनिक और रासायनिक उत्पाद (रंग, पेंट, आदि) (आई.1.1 से आई.1.4 का कुल)**	**980.31**	**57.15**
	आई.1 उर्वरक	8.31	0.01
	आई.2 औषधि और दवा	214.93	6.01
	आई.3 पेट्रा–केमिकल्स (इंफ्रास्ट्क्चर के अधीन को छोडकर)	636.90	7.70
	आई4 अन्य	120.17	43.43
जे.	**रबड, प्लास्टिक और अन्य उत्पाद**	**25.38**	**3.64**
के.	**कांच और कांच के उत्पाद**	**9.16**	**0.47**
एल.	**सिमेंट और सिमेंट उत्पाद**	**303.49**	**84.20**
एम.	**मूल धातु और धातु उत्पाद (एम.1 + एम.2)**	**4172.59**	**616.77**
	एम.1 लोहा और इस्पात	3725.72	583.79
	एम.2 अन्यं धातु और धातु उत्पाद	446.87	32.97
एन.	**सभी इंजिनीयंरिंग (एन.1 + एन.2)**	**1900.21**	**524.39**
	एन.1 इलेक्ट्रोनिक्सि	824.36	198.94
	एन.2 अन्य	1075.86	325.45
ओ.	**वाहन, वाहन पुर्जे तथा परिवहन उपकरण**	**770.22**	**47.74**
पी.	**रत्न, और आभूषण**	**734.25**	**44.84**
क्यू.	**निर्माण**	**1861.11**	**1127.14**

		राशि (₹) करोडों में
उद्योग	**निधि आधारित**	**गैर–निधि आधारित**
आर. संरचना (आर.1 से आर.4 का कुल)	**21297.58**	**1076.06**
आर.1 परिवहन (आर.1.1 से आर 1.5 का कुल)	4296.84	2.00
आर.1.1 रेल	52.41	0.00
आर.1.2 सडकमार्ग	3506.37	2.00
आर.1.3 हवाई अड्डा	678.33	0.00
आर.1.4 जलमार्ग	59.73	0.00
आर.1.5 अन्य	0.00	0.00
आर.2 ऊर्जा (आर.2.1 से आर.2.4 का कुल)	11417.95	570.70
आर.2.1 विद्युत (सृजन–परिवहन और संवितरण)	11204.47	570.70
आर.2.1.1 राज्य विद्युत मंडल	6523.37	208.23
आर.2.1.2 अन्य	4681.10	362.47
आर.2.2 तेल (भंडारण तथा पाइपलाइन)	213.48	0.00
आर.2.3 गैस/एलएनजी (भंडारण तथा पाइपलाइन)	0.00	0.00
आर.2.4 अन्य	0.00	0.00
आर.3 दूरसंचार	483.95	9.58
आर.4 अन्यं (आर.4.1 से आर.4.3 का कुल)	5098.83	493.78
आर.4.1 पानी व स्वच्छता	1773.94	5.35
आर.4.2 सामाजिक तथा वाणिज्यिक संरचना	3324.89	488.43
आर.4.3 अन्य	0.00	0.00
एस. अन्य उद्योग	**741.31**	**147.75**
सभी उद्योग(ए से एस का कुल)	**34778.41**	**3831.80**
अवशिष्ट1 अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों के साथ मेल होना) (क+ख+ग)	62043.04	4616.23
क. शिक्षा ऋण	1357.96	0.00
ख. विमानन क्षेत्र	403.21	0.00
ग. अवशिष्ट अन्य अग्रिम	60281.87	4616.23
सकल कुल ऋण व अग्रिम	**96821.45**	**8448.03**

(ङ) यथा 31.03.2017 को आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

(₹ करोड़ों में)

अवधि	1 दिन	2–7 दिन	8–14 दिन	15–30 दिन	31 दिन–2 महीने	2 महीनों से 3 महीने तक	3 महीनों से 6 महीने तक	6 महीनों से 12 महीने तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
एफ.सी. आस्तियाँ	22.64	355.91	9.14	20.14	55.19	15.36	135.71	19.86	21.54	52.40	29.47	737.36
निवल अग्रिम	892.28	170.15	239.65	906.12	2539.00	2539.00	5320.19	7199.32	49779.02	10486.78	14477.39	94548.90
निवल निवेश	83.93	148.10	40.45	10.08	80.98	235.09	514.96	1209.20	6101.47	3738.51	32261.79	44424.56

31.03.2017 की स्थिति

(₹ करोडों में)

(च)	एनपीए की राशि (सकल)	6381.78
	• अवमानक	1726.39
	• संदिग्ध 1	2480.21
	• संदिग्ध 2	1867.58
	• संदिग्ध 3	271.01
	• हानि	36.59
(छ)	निवल एनपीए	4118.16
(ज)	एनपीए अनुपात	
	• सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	6.59
	• निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	4.36
(झ)	एनपीए का उतार-चढ़ाव (सकल)	
	• अथशेष	6027.07
	• परिवर्धन	2893.44
	• कटौतियाँ	2538.73
	• इतिशेष	6381.78
	एनपीए का उतार-चढ़ाव (निवल)	
	• अथशेष	4276.82
	• परिवर्धन/	-
	• कटौतियां	158.66
	• इतिशेष	4118.16
(ञ)	एनपीए हेतु प्रावधान का उतार-चढाव	
	• अथशेष	1730.40
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1558.29
	• बट्टे खाता डालना	1061.36
	• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
	• इतिशेष	2227.33
	(निपटाएं और भुगतान के लिए लंबित डीआईसीजीसी / ईसीजीसी दावें ₹ 36.28 करोड)	
(ट)	गैर-निष्पादन निवेशों की राशि	9.25
	(एचटीएम श्रेणी के अधीन)	
(ठ)	गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों की राशि	90.13
(ड)	गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव	
	• अथशेष	70.59
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	48.06
	• बट्टे खाता डालना	0.00
	• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	28.52
	• इतिशेष	90.13

तालिका डीएफ – 4
ऋण जोखिम – मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए	
• प्रयुक्त ऋण का दर्जा निर्धारण एजेंसी के नाम तथा परिवर्तन के लिए कारण	बैंक ने भारिबैं द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों जैसे सीआरआईएसआईएल/आईसीआरए/एफआईटीसीएच/एससीएआरई/एसएमईआरए/ब्रिकवर्क के ही दर निर्धारणों का उपयोग किया है. बाह्य दर निर्धारण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने तथा अपने निवेश के लिए ग्राहकों को बाह्य दर निर्धारण की माँग करने योग्य बनाने हेतु बैंक ने इन निर्धारण एजेंसियों के साथ एक अलग से समझौता करार किया है.
• ऋण जोखिम के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक ऐजेंसी का प्रयोग किया जाता है.	₹ 5 करोड से अधिक सभी कार्पोरेट ऋण जोखिम तथा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को ऋण जोखिम.
• सार्वजनिक निर्गम रेटिंग को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गयी प्रक्रिया का विवरण	बैंक ने केवल उन बैंक दर निर्धारणों का उपयोग किया है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है. इसके अलावा बैंक ने कोई सार्वजनिक निर्गम रेटिंग का उपयोग नहीं किया है.
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(ख) मानकीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात ऋण जोखिम की राशियों के लिए निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों और कटौती की गयी जोखिम राशि में बैंक की बकाया राशियाँ (रेटिंग सहित और रेटिंग रहित)	**ऋण जोखिम **** **(₹ करोडों में)**
• 100% जोखिम भार से नीचे ..	96785.23
• 100% जोखिम भार ..	34927.37
• 100% से अधिक जोखिम भार ..	12408.11
• कटौती की गयी – वित्तीय संपार्श्विक ..	12317.10
कुल ..	**156437.81**
** में निम्नलिखित तुलन पत्र के बाह्य जोखिम भी शामिल है	
एनएफबी जोखिम ₹ 8448.03 करोड	
अनाहरित अंश ₹ 7438.52 करोड	
सीसीआईएल व एमसीएक्स ₹ 302.35 करोड	
एनएफबी निवेश ₹ 2604.67 करोड	
अन्य आस्तियां ₹ 11206.41 करोड	

तालिका डीएफ – 5
ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में निम्न शामिल हैं :

- तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर बैंक द्वारा उपयोग करने की सीमा तक तथा नीति तथा प्रक्रिया के लिए.
- संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ.
- बैंक द्वारा ली गयी मुख्य प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों के विवरण.
- प्रतिपक्षी गारंटीकर्ता का मुख्य प्रकार तथा उनकी ऋण पात्रता.
- जोखिम न्यूनीकरण मदों के अंतर्गत अधिक जोखिम (बाज़ार या ऋण) संबंधी सूचना.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बेसल ।। अंतिम दिशानिर्देशों में सूचितानुसार ऋण जोखिम को कम करने के लिए सामान्य सिद्धांत जैसे विशिष्ट ग्रहणाधीकार रखना, आवश्यक न्यूनतम मार्जिन निर्धारण, मूल्यांकन, वैधिक निश्चितता, प्रलेखीकरण, आवधिक निरीक्षण, सुलभ तरलता आदि का उपयोग किया गया है. मुद्रा बेमेल तथा परिपक्वता बेमेल के लिए समायोजन सहित सभी निर्धारित मार्जिन लिए गए हैं. जोखिम भारिता को समनुदेशित करने से पहले ऋण जोखिम से उपलब्ध वित्तीय संपार्श्विकों को समायोजित किया जाता है. ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रभाव का दुहरी लेखाकरण नहीं किया जाता है.

सीआरएम के उद्देश्य के लिए वित्तीय संपार्श्विक में बैंक की अपनी सावधि जमाराशि, नकद मार्जिन, जीवन पॉलिसी, एनएससी, केवीपी, 99.99 शुद्धता आधार का सोना शामिल है. गारंटी दिए गए ऋण जोखिम में केंद्र/राज्य सरकार, ईसीजीसी, बैंक और सीजीटीएसआई द्वारा गारंटी शामिल है.

सीआरएम/गारंटी दिए गए ऋण जोखिम किसी भी बाज़ार उतार-चढाव के अधीन नहीं है तथा ये ऋण जोखिम विविधकृत हैं.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(ख) अलग से प्रकट किए गए प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर जहां कहीं लागू होने के बाद) जो कि मार्जिन लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा प्रावरित

(अन्य आस्तियों के जोखिम को छोडकर: ₹11206.41 करोड)

(ग) अलग से प्रकट किए गए प्रत्येक संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर जहां कहीं लागू होने के बाद) जो कि गारंटी/ऋण व्युत्पन्न द्वारा प्रावरित (जब कभी भा.रि.बैं. द्वारा विशेष रूप से अनुमत)

(अन्य. आस्तियों के जोखम को छोडकर: ₹ 11206.41 करोड)

* तुलन पत्र के बाह्य जोखिम सहित

** अनाहरित सहित

(₹ करोड़ों में)

ऋण जोखिम	ऋण व अग्रिम **	गैर-निधि आधारित	निवेश *	कुल
जोखिम	104259.97	8448.03	32523.40	145231.40
सीआरएम (वित्तीय संपार्श्विक)	10922.29	1117.82	0	12040.11
निवल ऋण जोखिम	93337.68	7330.21	32523.40	133191.29

(₹ करोड़ों में)

गारंटी की स्थिति	ऋण व अग्रिम**	गैर-निधि आधारित	निवेश* #	कुल
जोखिम	104259.97	8448.03	32523.4	145231.40
केंद्र/राज्य सरकार	6590.47	0	25721.66	32312.13
ईसीजीसी/बैंक/ सीजीटीएसआई	1905.69	0	0	1905.69
कुल गारंटी	8496.16	0	25721.66	34217.82
निवल जोखिम	95763.81	8448.03	6801.74	111013.58

इसमें केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी बांड/प्रपत्र तथा/या केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत शामिल है.

मानकीकृत पद्धति (निधि व गैर-निधि आधारित) के अधीन ऋण जोखिम संविभाग के लिए, जहां कहां लागू हो, आवेदन के बाद कुल पात्र वित्तीय संपार्श्विक माना जाता हैं.

तालिका डीएफ – 6

प्रतिभूतिकरण

मानकीकृत प्रक्रिया हेतु प्रकटीकरण

बैंक ने 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंकिंग बही या ट्रेडिंग बही में किसी भी आस्ति का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है.

तालिका डीएफ – 7

व्यापार बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) मानकीकृत पद्धति द्वारा प्रावरित संविभाग सहित बाजार जोखिम के लिए सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता	बाजार जोखिम ब्याज दर, ईक्विटी मूल्य, विदेशी मुद्रा, पण्य मूल्य में बाजार चलन की वजह से संभावित जोखिम है. बेसल–II में बाजार जोखिम के लिए दो पद्धतियों का प्रस्ताव है यथा **मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण तथा आंतरिक मॉडल प्रक्रिया**. संप्रति बैंक ने ''मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण'' लागू किया है तथा आंतरिक मॉडल प्रक्रिया लागू करने जा रहा है. मानकीकृत अवधि प्रक्रिया में निम्न विशेषताएं हैं. 1. मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पूंजी अपेक्षा का परिकलन ब्याज दर जोखिम, ईक्विटी मूल्य जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम तथा पण्य जोखिम के आधार पर किया जाता है. 2. सामान्य बाजार जोखिम का परिकलन संशोधित अवधि तथा आय में परिवर्तन के आधार पर किया जाता है. 3. विशेष जोखिम का परिकलन बाह्य जोखिम दर निर्धारण, प्रपत्र की अवधि आदि के आधार पर किया जाता है.
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	पूंजी प्रभार के परिकलन के उद्देश्य के लिए बैंक ने 'मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण' को अपनाया है जो निम्न प्रकार है: **यथा 31.03.2017 को बेसल–II के अधीन बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का मूल्य** ₹ करोडों में

(ख) निम्न के लिए पूंजी अपेक्षा

- ब्याज दर जोखिम
- ईक्विटी स्थिति जोखिम
- विदेशी विनिमय जोखिम

	जोखिम श्रेणी	**पूंजी प्रभार**
(क)	**एचएफटी के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार**	
	ब्याज दर (क + ख)	2.85
	क. सामान्य बाजार जोखिम	2.85
	(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	2.79
	(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.06
	(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00
	ख. विशिष्ट जोखिम	0.00
(ख)	**एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार**	
	ब्याज दर (क + ख)	628.33
	क. सामान्य बाजार जोखिम	557.67
	i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	556.64
	ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.32
	iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.70
	ख. विशिष्ट जोखिम	70.66
(ग)	**एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार**	**87.57**
	I. **ब्याज दर संबंधी लिखत क+(ख या ग जो भी अधिक हो)**	**631.18**
	II. **ईक्विटी (क+ख)**	**58.05**
	क. सामान्य बाज़ार जोखिम	25.80
	ख. विशिष्ट जोखिम	32.25
	III. **विदेशी विनिमय एवं स्वर्ण**	**1.35**
	IV. **बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार (I+II+III)**	**690.58**
	कुल जोखिम भारित आस्तियां	**8632.25**

यथा 31.03.2017 को बेसल–III के अधीन बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का कुल

(₹ करोडों में)

	जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार
(क)	**एचएफटी के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार**	
	ब्याज दर (क + ख)	2.85
	क. सामान्य बाजार जोखिम	2.85
	(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	2.79
	(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00
	(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00
	ख. विशिष्ट जोखिम	0.00
(ख)	**एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार**	
	ब्याज दर (क + ख)	630.14
	क. सामान्य बाजार जोखिम	557.67
	(i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	556.64
	(ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.32
	(iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.70
	ख. विशिष्ट जोखिम	72.47
(ग)	**एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार**	**89.95**
	I. **ब्याज दर संबंधी लिखत क+(ख या ग जो भी अधिक हो)**	**632.98**
	II. **ईक्विटी (क + ख)**	**58.05**
	क. सामान्य बाज़ार जोखिम	25.80
	ख. विशिष्ट जोखिम	32.25
	III. **विदेशी विनिमय एवं स्वर्ण**	**1.35**
	IV. **बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार** (I+II+III)	**692.38**
	कुल जोखिम भारित आस्तियां	**8654.75**
	प्रतिधारित प्रतिभूतियों के लिए समायोजन (पूंजी से बट्टे खाते डालना) – ₹ 6.81 करोड / 8%	**85.21**
	समायोजन के बाद कुल जोखिम भारित आस्तियां	8569.54
	₹ 6.81 करोड के समायोजित प्रतिधारण के बाद बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी	**685.57**

तालिका डीएफ – 8
परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण
बेसल ।। से संबंधित भारिबैं के अंतिम मार्गनिर्देशों में निर्धारित अनुसार 'मूल सूचक पद्धति' के अनुरूप परिचालन – जोखिम के लिए बैंक पूंजी प्रभार परिकलन अपना रहा है. बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की है जो सभी प्रकार के परिचालनात्मक जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी एवं नियंत्रण करेगी. साथ में यह समिति परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन (ओआरएम), लॉस डाटा, जोखिम व नियंत्रण स्व–मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम सूचक (केआरआई), परिदृश्य विश्लेषण (एसए), कारोबार स्थिति प्रस्तुतीकरण (बीएलएम) नीति, कारोबार निरंतरता नीति (बीसीजी), कारोबार निरंतरता व आपदा से उभरने की योजना, आउटसोर्सड गतिविधियां, नया उत्पाद व गतिविधियों की समीक्षा, केवाईसी मानदंड और धन शोधन निवारण आदि संबंधी विस्तृत नीतिगत मार्गनिर्देशों के अनुपालन से इस प्रकार के जोखिमों के न्यूनीकरण के उपाय करेगी.
आगे, बैंक परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन, नियंत्रण एवं न्यूनीकरण हेतु निम्न उपाय कर रहा है : ➢ अनुदेश पुस्तिका/मैनुअल आवधिक अंतरालों पर अद्यतन करने के अलावा नियमित/वार्षिक स्तर पर समीक्षा के बाद विविध नीतियों का संशोधन किया जाता है. ➢ त्रैमासिक आधार पर परिचालनात्मक जोखिम हानि (धोखाधडी सहित व रहित डाटा) की सूचना परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है. ➢ विभिन्न धोखाधड़ी पर प्रणालीगत अध्ययन किया जाता है और कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक कार्यालयों को उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जाता है. ➢ आईटी सुरक्षा नीति बैंक में बनाई गई है तथा विविध आईटी सुरक्षा समाधान जैसे डाटा केंद्र एवं शाखाओं को एण्टी वैरस, फायर वाल, एनक्रिप्शन तकनीकी, इनट्रूशन डिटेक्शन प्रणाली, वेब फ़िल्टरिंग समाधान, मजबूर पासवर्ड परिवर्तन, रौटर आधारित सुरक्षा नीति, नेटवर्क सुरक्षा नीति का अनुपालन किया. अप्लिकेशन एक्सेस नियंत्रण संबंधी नीति, पासवर्ड सुरक्षा, पासवर्ड का दुरुपयोग संबंधी मार्गनिर्देश आदि का कार्यान्वयन कोर बैंकिंग क्षेत्र में किया है. बैंक अपने नेटवर्क, डाटा केंद्र, डिसास्टर रिकवरी साइट, कारोबार सुविधा ईकाइयों के लिए सूचना सुरक्षा व नेटवर्क लेखापरीक्षा का आयोजन कर रहा है. बैंक महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के लिए भेद्यता मूल्यांकन तथा भेदन परीक्षण कर रहा है ताकि कोई कमी हो तो उसे ठीक करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएं. बैंक, तीसरी पार्टी के साफ्टवेयर अप्लिकेशन की आईएस लेखा परीक्षा कर रहा है ताकि गोपनीयता, समाकलन तथा इस के सभी आईटी स्रोतों की उपलब्धता में लगातार सुधार ला सकें. ➢ सिस्टम खराब होने की संभाव्यता को रोकने के लिए, जिसके कारण कारोबार में रुकावट हो सकती है, बैंक ने विविध स्तरों पर आपदा से उभरने एवं कारोबार की निरंतरता तंत्र एवं उपायों को कार्यान्वयन किया है, विशेषतया संवेदनशील अप्लिकेशन जैसे कोर बैंकिंग प्रणाली, नेटवर्क सुविधा, आईटीएमएस, आईआरएमएस, के लिए. ➢ ई– जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) समाधान सभी शाखाओं में कार्यान्वित किया गया है. ➢ बैंक ने प्रमुख परिचालनात्मक क्षेत्रों जैसे खुतदरा बैंकिंग, शाखा परिचालन, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम परिचालन, फारेक्स, करेन्सी चेस्ट, लॉकर, विप्रेषण, सूचना प्रौद्योगिकी, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड परिचालन, खजाना परिचालन, लेनदेन तथा बिक्री (एएफएस/एचएफटी), वित्तीय समावेशन, भुगतान तथा समझौता और वाणिज्यिक बैंकिंग के अधीन अपनी कारोबार ईकाईयों को आरसीएसए प्रक्रिया के अधीन डाला है. ➢ भारतीय रिजर्व बैंक को मानकीकृत दृष्टिकोण(टीएसए) के अधीन परिचालनात्मक जोखिम पूंजी को आकलित करने की अनुमति दी है –(पैरललरन मार्च 2016 से प्रभावी)

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

परिचालनात्मक जोखिम पर पूंजी प्रभार का परिकलन

पिछले 3 वर्षों के लिए सकल आय का औसतन

(₹ करोडों में)

क्रम सं.	विवरण	31–03–2014	31–03–2015	31–03–2016
1	निवल लाभ	415.91	439.41	381.79
	जोडें			
2	प्रावधान एवं आकस्मिताएँ	687.82	819.62	1167.07
3	परिचालन व्यय	1689.55	1912.21	2085.82
4	**उप–कुल**	**2793.28**	**3171.24**	**3634.68**
	घटाएँ			
5	एचटीएम संवर्ग में प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि	13.64	6.54	51.29
6	बीमा क्रियाकलाप तथा बैंक के पक्ष में बीमा दावें से प्राप्त आय	5.14	6.44	7.47
7	आय व व्यय की असाधारण/अनियमित मद	0.00	0.00	0.00
8	पिछले वर्ष के दौरान प्रावधान एवं बट्टे खाते में डाली गई राशि का इस वर्ष में प्रत्यावर्तन	0.00	0.00	0.00
9	चल व अचल संपत्ति मदों के निपटान से प्राप्त आय	–0.21	–0.50	–0.39
10	बैंक के पक्ष में कानूनी समझौतों से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00
11	**उपकुल**	18.57	12.48	58.37
12	**सकल आय (क्रम सं.4 – क्रम सं.11)**	**2774.71**	**3158.76**	**3576.31**

3 वर्षों की सकल आय का औसतन	=	**₹ 3169.93 करोड**
परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार	=	**सकल आय का औसतन * आल्फा (15%)**
	=	**₹ 475.49 करोड**
समान जोखिम भारित आस्तियाँ:	=	**₹ 5943.62 करोड**

तालिका डीएफ – 9
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
(आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

साधारण गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता में आईआरआरबीबी की प्रकृति एवं मुख्य पूर्व धारणा, ऋण के पूर्व भुगतानों के संबंध में एवं अपरिपक्व जमा का व्यवहार तथा आईआरआरबीबी के बारंबार मापन.

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

बैंक द्वारा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में कारोबार उद्देश्य, मुद्रा बाजार एवं ऋण पूंजी बाजार जिसमें बैंक के परिचालन होते हैं को समझना तथा इन मानदण्डों के संदर्भ में बाजार जोखिम के लिए अपनी तैयारी को पहचानना व निर्धारित करना शामिल हैं.

तुलन पत्र में होनेवाले ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए बैंक दो प्रक्रियाओं/दृष्टिकोणों को अपनाता है :

1) पहला दृष्टिकोण पारंपरिक गैप विश्लेषण परिणामों के आधार पर तुलन पत्र पर आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम). इस में ब्याज दर पर बैंक के नज़रिए पर आधारित होकर आस्ति एवं देयताओं का समतुलन/पुन:समतुलन सावधानी पूर्वक करना भी शामिल है ताकि जोखिम भरे ब्याज आय को दूर कर सकें. उचित प्रकार की (प्रकार एवं परिपक्वता) आस्तियों एवं देयताओं की धारणा करते हुए जोखिम को न्यूनतम कर सकने के अभ्यास के ज़रिए कथित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं तथा बैंक के कुछ लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं (जैसे लक्ष्य आय की प्राप्ति के साथ साथ जोखिम को कम करना).

2) बचाव व्यवस्था के जरिए तुलन पत्र से बाहर आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) करना दूसरा दृष्टिकोण है. बचाव व्यवस्था से तुलन पत्र के बाहर की स्थिति बनती है. ओटीसी व्युत्पन्नी उत्पाद जिसका प्रयोग बैंक द्वारा अपने व्यापार संविभाग की बचाव व्यवस्था के लिए किया जाता है एवं कुछ देयताएँ ब्याज दर के स्वैप होते हैं (आईआरएस).

तुलन पत्र प्रबंधन समूह बैठकों में विचार विमर्श के अलावा बाजार जोखिम प्रबंधन/आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एमआरएमसी/आल्को) अपनी मासिक बैठकों में आस्ति देयता प्रबंधन पद्धतियों पर विचार-विमर्श करती हैं.

बैंक द्वारा प्रयुक्त विश्लेषण

बैंक नियमित रूप से निवेश सूची की अवधि एवं आशोधित अवधि का विश्लेषण करता है तथा ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए अपनी निवेश सूची को पुन: संतुलन करता है. आल्को/एमआरएमसी द्वारा पाक्षिक अंतरालों पर तथा मंडल द्वारा मासिक अंतरालों पर कथित निवेश सूची के प्रबंधन की समीक्षा की जाती है.

वर्ष 1999 के आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी मार्गनिर्देशों के अनुसार ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर विवरणी (आईआरएस) पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है. संवेदनशील आस्तियों की प्रतिशतता विविध दर-वार संवेदन अंतरों की मासिक अंतरालों पर मंडल द्वारा निर्धारित छूट-सीमाओं के प्रति एमआरएमसी/आल्को द्वारा निगरानी रखी जाती है.

छूट सीमा के उल्लंघन पर संबंधित परिचालनीय तुलन पत्र की मदों के परिपक्वता प्रोफाइल की पुनर्संरचना के अनुदेश के साथ या बगैर एमआरएमसी/आल्को कथित उल्लंघन का अनुसमर्थन करता है. ब्याज दर एवं बाज़ार की स्थिति के मद्दे नज़र समानुपातिक है. ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी तैयार करते समय निम्न पर किये गये व्यावहारिक विश्लेषण के परिणामों को ध्यान में रखा गया :

i) बचत जमा के अस्थिर एवं कोर भाग

ii) सीसी/ओडी खातों की पुन: मूल्यनिर्धारण विशेषता

iii) निवेश सूची में अंत:स्थापन के विकल्प

जोखिम पर आय (ईएआर) :

3 महीने, 6 महीने तथा 1 वर्ष के समतल तक ब्याज दर संवेदनशील आस्ति देयता अंतरों की आय रेखा पर समांतर एवं असमांतर विचलन के कारण आय जोखिम की गणना की जाती है. यह विश्लेषण पाक्षिक आधार पर किया जाता है एवं एमआरएमसी/आल्को की मासिक बैठकों में और बाद में मंडल की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जाता है.

1 वर्ष तक गैप प्रोफाइल तथा बैंक की ब्याज दर के आधार पर, तुलन पत्र में या बाह्य बचाव सहित रणनीतियों के अनुसार आनेवाले जोखिम पर आय पर पाक्षिक आधार पर निगरानी रखी जाती है.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी दर के परिवर्तन के लिए आय एवं आर्थिक मूल्य (या प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्त मापन) में वृद्धि (अवनति) आईआरआरबीबी को मापने के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई पद्धति, मुद्रा के कारण छिन्न भिन्न हुआ (जहाँ कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त है)

जोखिम पर आय (ईएआर) :

100 आधार बिन्दु के लिए, ब्याज दर में पूर्व निर्धारित वृद्धि, एनआईआई पर 1 वर्ष अंतर के समतल के कारण प्रभाव	₹ 125.71 करोड

बैंक ने सहन सीमा को रु. 172 करोड में निर्धारित किया है

आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण

आर्थिक मूल्य यानि आर्थिक मूल्य पर 200 आधार बिन्दुओं पर ब्याज दर में परिवर्तन के कारण पूंजी निधि पर प्रभाव का मूल्यांकन, भा.रि.बैंक मार्गनिर्देशों के आधार पर संशोधित अवधि अंतर पद्धति के ज़रिए किया जाता है. विवेकपूर्ण उपाय के रूप में आस्ति व देयताओं की निवल अवधि अंतर के लिए एक सीमा निर्धारित की गई तथा भा.रि.बैंक से प्राप्त मार्गनिर्देशों के आधार पर नियमित अंतरालों पर इस की निगरानी की जाती है.

तालिका डीएफ – 10

काउंटर पार्टी ऋण जोखिम से संबंधित निवेशों के लिए सामान्य प्रकटन

<table>
<tr><td>गुणात्मक प्रकटीकरण</td><td></td></tr>
<tr><td>(क) व्युत्पन्न तथा सीसीआर से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकताओं में निम्नलिखित शामिल है :
• आर्थिक पूंजी के समनुदेशन के लिए प्रयुक्त पद्धति तथा काउंटर पार्टी ऋण जोखिम के लिए ऋण सीमाएं संबंधी चर्चा
• संपार्श्विक प्राप्त करने तथा ऋण की आरक्षितियां स्थापित करने के लिए नीतियों पर चर्चा
• गलत तरीके के ऋणों के जोखिमों के संबंध में नीतियों पर चर्चा
• ऋण के दर्जा निर्धारण कम हो जाने से बैंक द्वारा प्रावधान की जानेवाली संपार्श्विक राशि से पडनेवाले नुकसान के संबंध में चर्चा</td><td>बैंकिंग काउंटर पार्टियों के लिए काउंटर पार्टी ऋण जोखिम सीमाएं आंतरिक मॉडल पर आंकी जाती है जिसमें निम्नलिखित पैरामीटर पर विचार किया जाता है जो काउंटर पार्टियों का ऋण दर्जा निर्धारण तथा उनका निवल मूल्य, बैंक का निवल मूल्य तथा कारोबार की आवश्यकताएं. अन्य सभी मामलों में, काउंटर पार्टी ऋण जोखिम सीमा को बैंक द्वारा ऋण नीति व अनुदेश पुस्तिका में दी गयी नीति के अनुसार ऋण आकलन प्रक्रिया अपनायी जाती है. प्रत्येक ऋण के लिए सीसीआर की सीमाएं राशि तथा समय के आधार पर निर्धारित की जाती है. सीसीआर ऋण के लिए पूंजी मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर आकलित किया जाता है.
संप्रति बैंक के कोई ऋण व्युत्पन्न जोखिम नहीं है.</td></tr>
<tr><td>परिमाणात्मक प्रकटीकरण</td><td></td></tr>
<tr><td>(ख) संविदा के सकल सकारात्मक उचित मूल्य नेट्टिंग के लाभ, नेट चालू ऋण जोखिम, धारित संपार्श्विक (प्रकार को शामिल करते हुए जैसे नकद, सरकारी प्रतिभूतियां, आदि) तथा निवल व्युत्पन्न ऋण निवेश. सीईएम के अधीन चूक पर जोखिम या जोखिम राशि के लिए रिपोर्ट उपाय. ऋण व्युत्पन्न प्रतिरक्षा के काल्पनिक मूल्य तथा ऋण जोखिम के प्रकारों में चालू ऋण जोखिम का संवितरण.
(ग) सीसीआर को जोखिम सृजित करनेवाले ऋण व्युत्पन्न लेनदेन (काल्पनिक मूल्य), जिसे संगठन के अपने ऋण संविभाग तथा उसकी तत्काल गतिविधियों के लिए पृथक किया गया है जिसमें प्रयुक्त ऋण व्युत्पन्न उत्पाद के संवितरण शामिल है और इसे प्रत्येक उत्पाद समूह के अंतर्गत प्रतिरक्षा द्वारा विखंडित कर खरीदा व बेचा गया है.</td><td>बैंक द्विपक्षीय नेट्टिंग की पहचान नहीं करता है. व्युत्पन्न जोखिम मौजूदा जोखिम प्रणाली के आधार पर परिकलित किया जाता है तथा यथा 31.03.2017 को बकाया शेष नीचे प्रस्तुत है :
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>काल्पनिक राशि</th><th>(राशि ₹ करोडों में)
चालू निवेश</th></tr>
<tr><td>विदेशी विनिमय संविदाएं (अंतर बैंक)</td><td>2604.67</td><td>64.63</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

तालिका डीएफ–11 – सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट

(₹ मिलियन में)

31 मार्च 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट का उपयोग किया जाना चाहिए			संदर्भ सं.
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षितियां			
1	सीधे जारी किए गए अर्हक सामान्य शेयर पूंजी प्लस संबंधित स्टाक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	29843.49	ए=बी+सी
2	प्रतिधारित आय	12748.52	डी
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियां)	34355.30	ई=एफ+जी+ (एच*45%) +आई+जे
4	सीधे निर्गमित पूंजी बशर्ते कि सीईटी1 से चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाता है (केवल गैर–संयुक्त स्टाक कंपनियों पर लागू)	–	
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए सामान्य शेयर पूंजी तथा तीसरी पार्टियों द्वारा धारित (सीईटी 1 समूह में राशि अनुमत है)	–	
6	नियामक समायोजन के पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	76947.31	
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : नियामक समायोजनाएं			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	–	
8	सद्भाव (संबंधित कर देयता का निवल)	–	
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	–	
10	आस्थगित कर संपत्ति	3441.24	के
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षिति	–	
12	प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	–	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	–	
14	उचित मूल्य के देनदारियों पर खुद के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ एवं हानि	–	
15	निर्धारित–लाभ पेंशन निधि निवल संपत्तियां	0.00	=(एक्स+वाई)
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि पहले ही, रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र के प्रदत्त पूंजी का निवल नहीं किया गया तो)	–	
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारण	231.13	
18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं के पूंजी में, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, पात्र शार्ट पोजिशन के निवल में निवेश, जहां, बैंक, जारी शेयर पूंजी के 10% से अधिक का मालिक नहीं है (10% सीमा से ऊपर की राशि)	–	
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं, जो नियामक समेकन के दायरे से बाहर है, पात्र शार्ट पोजिशन के निवल के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश (10% सीमा से ऊपर की राशि)	–	
20	बंधक सेवा अधिकार (10% सीमा से ऊपर की राशि)	–	
21	अस्थायी अंतरों से सृजित आस्थगित कर संपत्ति (10% सीमा से ऊपर की राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	–	

(₹ मिलियन में)

	31 मार्च 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट का उपयोग किया जाना चाहिए		संदर्भ सं.
22	15% सीमा से अधिक की राशि	–	
23	जिनमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश	–	
24	जिनमें से : बंधक सहायक अधिकार	–	
25	जिनमें से : अस्थायी अंतरों से सृजित आस्थगित कर संपत्तियां	–	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	–	
26ए	जिनमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	–	
26बी	जिसमें से : असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	–	
26सी	जिसमें से : बहुसंख्या की स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाएं जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयी हैं, उनकी ईक्विटी पूंजी में कमी	–	
26डी	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	–	
27	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 को लागू विनियामक समायोजन	0.00	
28	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 के कुल विनियामक समायोजन**	**3672.37**	
29	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)**	**73274.94**	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत			
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी अर्हक अतिरिक्त टियर 1 लिखत + संबंधित शेयर अधिशेष (31+32)	13250.00	एल= एम1 + एम2 + एम3
31	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अधीन ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर)	–	
32	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अधीन देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)	13250.00	एल= एम1 + एम2 + एम3
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध तरीके के तहत प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखत	–	
34	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरी पार्टियों द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए) सीईटी 1 प्रपत्र (समूह एटी1 में अनुमत राशि)	–	
35	जिसमें से : चरणबद्ध तरीके से समाप्ति के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत	–	
36	**विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**13250.00**	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	–	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारण	51.12	
39	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में तथा पात्र शार्ट पोजिशन के निवल, में निवेश, जहां बैंक संस्था से जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का मालिक नहीं है (10% सीमा से अधिक की राशि)	–	

(₹ मिलियन में)

	31 मार्च 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट का उपयोग किया जाना चाहिए		संदर्भ सं.
40	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं में महत्वपूर्ण निवेश, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है (पात्र शार्ट पोजिशन के निवल)	–	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	–	
41ए	असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	–	
41बी	बहुसंख्या की स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाएं, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयी है, उनकी अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी	–	
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 को लागू विनियामक समायोजन	–	
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	**51.12**	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)**	**13198.88**	
45	**टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)**	**86473.82**	
टियर 2 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्ष रूप से जारी अर्हक टियर 2 लिखत + संबंधित स्टाक अधिशेष	17000.00	एन= ओ1 + ओ2 + ओ3 + ओ4
47	अतिरिक्त टियर 2 से चरणबद्ध तरीके से समाप्ति के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी लिखत	1900.00	पी= क्यू1 + क्यू2 + क्यू3 – बट्टा-करण व चरणबद्ध तरीके से हटाना
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरी पार्टियों द्वारा धारित टियर 2 की लिखतें (तथा पंक्ति 5 या 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 तथा एटी1 लिखत) (समूह टियर 2 में अनुमत राशि)	–	
49	जिसमें से : सहायक कंपनियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से समाप्ति के अधीन जारी लिखत	–	
50	प्रावधान	5270.63	आर=एस+टी
51	**विनियामक समायोजन के पूर्व टियर 2 पूंजी**	**24170.63**	
टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन			
52	खुद के टियर 2 लिखतों में निवेश	–	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारण	129.51	
54	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं के पूंजी में, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, पात्र शार्ट पोजिशन के निवल में निवेश, जहां, बैंक, संस्था से जारी सामान्य शेयर पूंजी के 10% से अधिक का मालिक नहीं है (10% सीमा से ऊपर की राशि)	–	
55	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं में महत्वपूर्ण निवेश, जो नियामक समेकन के दायरे से बाहर है (पात्र शार्ट पोजिशन के निवल)	–	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	–	
56ए	जिनमें से : असमेकित सहायक कंपनियों की टियर 2 पूंजी में निवेश	–	

(₹ मिलियन में)

	31 मार्च 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट का उपयोग किया जाना चाहिए		संदर्भ सं.
56 बी	जिसमें से : बहुसंख्या की स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाएं जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयी हैं, उनकी टियर 2 पूंजी में कमी.	–	
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	**129.51**	
58	**टियर 2 पूंजी (टी2)**	**24041.12**	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)**	**110514.94**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	**867989.26**	
60ए	जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	722857.66	यू
60बी	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	85695.40	
60सी	जिसमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारित आस्तियां	59436.20	
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	8.44%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	9.96%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	12.73%	
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 की आवश्यकता + पूंजी संरक्षण तथा प्रति चक्रीय आवश्यकताएं, जोखिम भारित आस्तियों के रूप में व्यक्त की गयी)	6.75%	
65	जिसमें से : पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	1.25%	
66	जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता	0.00%	
67	जिसमें से : जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00%	
68	बफर को पूरे करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित संपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में)	1.69%	
राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बेसल III से अलग है तो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल खखख से भिन्न हो)	6.75%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	8.25%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	10.25%	
कटौती के लिए सीमा से कम की राशियां (जोखिम भारित से पहले)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में नगण्य निवेश	–	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टाक में उल्लेखनीय निवेश	–	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	–	
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर संपत्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	3441.24	
टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू उच्चतम सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा को लागू करने के पूर्व)	5270.63	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए उच्चतम सीमा	9035.72	यू*1.25%

(₹ मिलियन में)

	31 मार्च 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट का उपयोग किया जाना चाहिए		संदर्भ सं.
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा को लागू करने से पूर्व)	लागू नहीं	
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए उच्चतम सीमा	लागू नहीं	
चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखत (31 मार्च 2017 से 31 मार्च 2022 के बीच केवल लागू)			
80	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन समाप्ति के शर्त पर सीईटी1 पर मौजूदा उच्चतर सीमा	लागू नहीं	
81	उच्चतर सीमा के कारण सीईटी1 में शामिल नहीं की गयी राशि (मोचन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतर सीमा से अधिक)	लागू नहीं	
82	चरणबद्ध व्यवस्थाओं के अधीन समाप्ति की शर्त पर एटी1 लिखतों पर मौजूदा उच्चतर सीमा	लागू नहीं	
83	उच्चतर सीमा के कारण एटी1 में शामिल नहीं की गयी राशि (मोचन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतर सीमा से अतिरिक्त राशि)	लागू नहीं	
84	चरणबद्ध व्यवस्थाओं के अधीन टी2 लिखतों पर मौजूदा उच्चतर सीमा	3300.	(यथा दि. 01.01.2013 को क्यू1+ क्यू2 + क्यू3) *50%
85	उच्चतर सीमा के कारण टी2 में शामिल नहीं की गयी राशि (मोचन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतर सीमा से अतिरिक्त राशि)	1500.	क्यू3*50%

टेम्प्लेट के लिए नोट

पंक्ति	विवरण	₹ मिलियन में
10	संचित हानि के साथ संबद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियां	0.00
	आस्थगित कर देयताओं के आस्थगित कर परिसंपत्ति (संचित हानि के साथ संबद्ध को छोड़कर)	3441.24
	पंक्ति 10 में निर्दिष्ट के अनुसार कुल	3441.24
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेश के लिए पूंजी से पूर्ण कटौती नहीं की जाती है और बदले में कटौती के लिए 10% की सीमा मानी जाती है, परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि होती है	0.00
	जिसमें से: सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से: टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0.00
26बी	यदि असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में निवेश की कटौती नहीं की जा रही है और इस प्रकार, तब जोखिम भारित:	0.00
	(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	(ii) जोखिम भारित परिसंपत्तियों में वृद्धि	0.00
50	टियर 2 पूंजी में सम्मिलित वांछनीय प्रावधान	5270.63
	सीईटी 1 पूंजी में सम्मिलित वांछनीय पुनर्मूल्यांकन भंडार (बेसल III पूंजी विनियमों में संशोधन के परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16, दिनांक 1 मार्च 2016 के अनुसार)	3737.10

तालिका डीएफ–12 – पूंजी की संरचना

(₹ मिलियन में)

पूंजी व देयताएं	यथा 31.03.2017 को समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	संदर्भ सं.
पूंजी		
ईक्विटी शेयर पूंजी	9988.45	बी
आरक्षितियां और अधिशेष		
I सांविधिक आरक्षिति	17306.42	एफ
II पूंजी आरक्षिति	7746.54	जी
III शेयर प्रीमियम	19855.04	सी
IV पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	8304.67	एच
V सामान्य आरक्षिति	127.96	आई
VI राजस्व और अन्य आरक्षितियां		
क निवेश अस्थिरता आरक्षिति	0.00	
ख विनिमय अस्थिरता आरक्षिति	0.00	
ग आस्थगित कर आरक्षिति	0.00	
घ विशेष आरक्षण धारा 36(1)(viii)	5437.28	जे
ङ लाभ व हानि लेखा	12748.52	डी
कुल पूंजी, आरक्षितियां और अधिशेष	**81514.88**	
कुल जमा	**1330119.52**	
उधार		
(i) भा.रि.बैं. से	0.00	
(ii) अन्य बैंकों से	0.00	
(iii) अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	1794.11	
(iv) रेपो खाता	68573.86	
(v) भारिबैंक रेपो खाता	3000.00	
(vi) टियर II बांड कुल		
123 महीने बांड 2017 – 9.50%	2000.00	क्यू1
124 महीने बांड 2018 – 9.35%	2000.00	क्यू2
180 महीने बांड 2023 – 9.45%	3000.00	क्यू3
120 महीने बांड 2023 – 9.73%	2500.00	ओ1
120 महीने बांड 2023 – 9.15%	5000.00	ओ2
120 महीने बांड 2025 – 8.62%	5000.00	ओ3
120 महीने बांड 2026 – 8.64%	4500.00	ओ4

(₹ मिलियन में)

पूंजी व देयताएं	यथा 31.03.2017 को समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	संदर्भ सं.
(vi) अतिरिक्त टियर I बांड		
पीडीआई 2024 -9.54%	1000.00	एम1
पीडीआई 2024 -10.40%	4000.00	एम2
पीडीआई 2024 -11.25%	5000.00	एम3
पीडीआई 2024 -10.49%	3250.00	एम4
कुल उधार	**110617.97**	
अन्य देयताएं और प्रावधान		
I देय बिल	5789.06	
II प्रोद्भूत ब्याज	3894.64	
IV वीआरएस बांड	0.00	
V मानक आस्तियों के लिए प्रति प्रावधान	5166.35	एस
VI यूएफसीई के लिए प्रावधान	104.28	टी
VII अन्य (प्रावधान सहित)	11609.06	
कुल अन्य देयताएं	**26563.39**	
देयताओं का सकल कुल	**1548815.76**	

₹ मिलियन में

आस्तियां	यथा 31.03.2017 को समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	संदर्भ सं.
भा.रि.बैं. में कुल नकद व बैंक शेष	**57704.21**	
बैंकों में कुल शेष और प्रतिदेय राशि	**1602.89**	
विनिधान	**444245.51**	
निवल अग्रिम	**945488.88**	
अचल आस्तियां	**13187.60**	
अन्य आस्तियां		
I अंतर कार्यालय समायोजन (नामे)	-4556.30	
II प्रोद्भूत ब्याज	8685.39	
III अग्रिम रूप से प्रदत्त कर	25899.86	
IV निवल आस्थगित कर आस्तियां	3441.24	के
V लेखन सामग्री और स्टैम्प	13.29	
VI गैर बैंकिंग आस्तियां	0.76	
VII ग्रेच्युटी परिशोधन	0.00	एक्स
पेंशन परिशोधन	0.00	वाई
VIII अन्य	53102.43	
कुल अन्य आस्तियां (अनुसूची 11)	**86586.67**	
आस्तियों का सकल कुल	**1548815.76**	

तालिका डीएफ–13 यथा 31.03.2017 को विनियामक पूँजी लिखित की प्रमुख विशिष्टाएँ

क्रम सं.	विवरण	ईक्विटी शेयर	एटी 1 बांड बेसल III एस1	एटी 1 बांड बेसल III एस2	एटी 1 बांड बेसल III एस3	एटी 1 बांड बेसल III एस4	अप्पर टियर II एस2	लोअर टियर II एस6	लोअर टियर II एस7	टियर II एस8 बेसल III	टियर II एस9 बेसल III	टियर II एस10 बेसल III	टियर II एस11 बेसल III
1	जारीकर्ता	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक	विजया बैंक
2	विशेष पहचानकर्ता	आईएनई 705ए01016	आईएनई 705ए08045	आईएनई 705ए08060	आईएनई 705ए08086	आईएनई 705ए08094	आईएनई 705ए09100	आईएनई 705ए09084	आईएनई 705ए09092	आईएनई 705ए08029	आईएनई 705ए08037	आईएनई 705ए08052	आईएनई 705ए08052
3	लिखतों पर नियमन करनेवाली विधि	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवश्यकताएं	लागू भारतीय संविधि व विनियामक आवशयकताएं
विनियामक उपचार													
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	संक्रमणकालीनोत्तर बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अनर्ह	अनर्ह	अनर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह
6	एकल/समूह में अर्ह	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	सामान्य शेयर	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में पहचानित राशि (यथा 31.03.2017 को रु. मिलियन में)	9988.45	1000	4000	5000	3250	1500	0	400	2500	5000	5000	4500
9	लिखत का सम मूल्य (रु. करोडों में)	9988.45	1000	4000	5000	3250	3000	2000	2000	2500	5000	5000	4500
10	लेखाकरण वर्गीकरण	ईक्विटी पूंजी	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
11	जारी करने का मूल दिनांक	विभिन्न	02-02-2015	27-03-2015	30-03-2016	17-01-2017	17-03-2008	31-07-2007	31-12-2007	23-12-2013	30-10-2014	18-02-2015	22-01-2016
12	बेमियादी अथवा दिनांकित	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता दिनांक	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	17-03-2023	31-10-2017	30-04-2018	23-12-2023	30-10-2024	18-02-2025	22-01-2026
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता की मांग	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग दिनांक, अनुषंगी मांग दिनांक तथा मोचन राशि	लागू नहीं	02-02-2020	27-03-2020	30-03-2021	17-01-2022	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग दिनांक, यदि लागू हो तो	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कूपन / लाभांश													
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	लागू नहीं	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन	स्थिर कूपन
18	कूपन दर तथा कोई संबंधित सूचकांक	लागू नहीं	9.54%	10.40%	11.25%	10.49%	9.45%	9.50%	9.35%	9.73%	9.15%	8.62%	8.64%
19	लाभांश रोककर्ता की मौजूदगी	लागू नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अंशतः विवेकाधिकार	अंशतः विवेकाधिकार	अंशतः विवेकाधिकार	अंशतः विवेकाधिकार	अंशतः विवेकाधिकार	अंशतः विवेकाधिकार	अंशतः विवेकाधिकार

क्रम सं.	विवरण	ईक्विटी शेयर	एटी 1 बांड बेसल III एस1	एटी 1 बांड बेसल III एस2	एटी 1 बांड बेसल III एस3	एटी 1 बांड बेसल III एस4	अप्पर टियर II एस2	लोअर टियर II एस6	लोअर टियर II एस7	टियर II एस8 बेसल III	टियर II एस9 बेसल III	टियर II एस10 बेसल III	टियर II एस11 बेसल III
21	मोचन के लिए स्टेप-अप अथवा अन्य कोई प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी अथवा संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन के उत्प्रेशरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्ण अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनयोग्य लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन किए जानेवाले लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशिष्टता	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां
31	यदि अवलेखन हो तो, अवलेखन के उत्प्रेरक	लागू नहीं	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर
32	यदि अवलेखन हो तो, पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	पूर्ण अथवा आंशिक	पूर्ण अथवा आंशिक	पूर्ण अथवा आंशिक	पूर्ण अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पूर्ण अथवा आंशिक	पूर्ण अथवा आंशिक	पूर्ण अथवा आंशिक	पूर्ण अथवा आंशिक
33	यदि अवलेखन हो तो, स्थायी अथवा अस्थाई	लागू नहीं	अस्थायी व स्थायी	अस्थायी व स्थायी	अस्थायी व स्थायी	अस्थायी व स्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अस्थायी व स्थायी	अस्थायी व स्थायी	अस्थायी व स्थायी	अस्थायी व स्थायी
34	यदि अवलेखन हो तो, अवलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	बेसल III के अनुसार	बेसल III के अनुसार	बेसल III के अनुसार	बेसल III के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बेसल III के अनुसार	बेसल III के अनुसार	बेसल खखख के अनुसार	बेसल III के अनुसार
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के उच्च आसन्न लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	बेमियादी ऋण लिखत	जमाकर्ताओं, सामान्य लेनदारों के दावों तथा बैंक के गौण ऋण के अधीन	जमाकर्ताओं, सामान्य लेनदारों के दावों तथा बैंक के गौण ऋण के अधीन	जमाकर्ताओं, सामान्य लेनदारों के दावों तथा बैंक के गौण ऋण के अधीन	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता	बैंक के अन्य सभी लेनदार तथा जमाकर्ता
36	गैर-अनुपालन संक्रमणकालीन विशिष्टताएं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हां तो, गैर-अनुपालन विशिष्टताएं निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	हानि आमेलन विशिष्टताएं नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तालिका डीएफ–14

विनियामक पूंजी लिखत के सभी निबंधन एवं शर्तें

हमारी वेबसाइट पर विनियामक प्रकटन खंड के अंतर्गत अलग से प्रदर्शित

तालिका डीएफ–15

पारिश्रमिक के लिए प्रकटन की आवश्यकता

निदेशक मंडल और उच्च कार्यपालकों की पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है. रिजर्व बैंक ने बेसल III दिशानिर्देश के संदर्भ में भारत में परिचालनरत सभी निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों को संबोधित दिनांक 13 जनवरी 2012 के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीसी.72/29.67.001/2011–12 द्वारा जारी पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों / अन्य जोखिम लेने वालों की क्षतिपूर्ति पर दिशा–निर्देश जारी किए हैं. चूंकि ये दिशा–निर्देश निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों पर लागू है, अतः यह प्रकटीकरण हमारे बैंक पर लागू नहीं है.

तालिका डीएफ–16

ईक्विटी – बैंकिंग बही स्थितियों के लिए प्रकटीकरण

निवेशों को परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जो बैकों द्वारा निवेश फोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार है. पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित ईक्विटी प्रतिभूतियों को बैंकिंग बही के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

यथा दिनांक 31.03.2017 को बैंक ने अपने एचटीएम पोर्टफोलियो में अनुषंगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों की ईक्विटी धारित नहीं की है. अतः यह प्रकटन हमारे बैंक के लिए लागू नहीं है.

तालिका डीएफ–17

लेखांकन आस्तियों के प्रति लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय की सारांश तुलना

क्रम सं.	यथा दिनांक 31.03.2017 को मद विवरणी	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	1513152.46
2	बैंकिंग, वित्त, बीमा या वाणिज्यिक इकाइयों में निवेशों के लिए समायोजन जो लेखांकन उद्देश्यों से समेकित की गई है लेकिन विनियामक समेकन की व्याप्तियों से बाहर है.	0.00
3	तुलनपत्र पर पहचान की गई न्यासी आस्तियों के लिए समायोजन परिचालनगत लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसार लेकिन लिवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय से अलग किए गए	0.00
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	26046.70
5	प्रतिभूति वित्तीय लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात् रेपो और उसके समान प्रतिभूति उधार)	9616.60
6	तुलन पत्रोतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन पत्रोतर एक्पोजर के ऋण समान राशियों का रूपांतरण)	64485.22
7	अन्य समायोजन	–282.26
8	लिवरेज अनुपात एक्सपोजर	1613018.72

तालिका डीएफ–18
लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टेम्पलेट

यथा दिनांक 31.03.2017 को विवरण		(₹ मिलियन में)
	तुलन पत्र एक्सपोजर	
		सकल मूल्य
1)	तुलन पत्र की मदें (डेरिवेटिव और एसएफटी के अलावा लेकिन संपार्श्विक सहित)	15,13,152.46
2)	(बेसल III टियर I पूंजी के निर्धारण में काटी गई आस्ति राशियां)	–282.26
3)	**कुल तुलन पत्र एक्सपोजर (डेरिवेटिव और एसएफटी को छोड़कर) (क्रम सं. 1 और 2 का योग)**	**1512870.20**
	डेरिवेटिव एक्सपोजर	
4)	सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबद्ध प्रतिस्थापन लागत (अर्थात् पात्र नकदी परिवर्तन का निवल)	26,046.70
5)	सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबद्ध पीएफई के लिए वर्धित राशियां	–
6)	परिचालन लेखांकन ढ़ांचा के अनुसार तुलनपत्र आस्तियों से जहां कहीं कटौती की गई हो, वहां डेरिवेटिव संपार्श्विक की सकल वृद्धि	–
7)	(डेरिवेटिव लेनदेनों में प्रदान किए गए नकदी परिवर्तन मार्जिन के लिए प्राप्ति योग्य आस्तियों की कटौती)	–
8)	(ग्राहक–समाशोधित व्यापार एक्सपोजर के छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	–
9)	लिखित ऋण डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि	–
10)	(लिखित ऋण डेरिवेटिव के लिए प्रभावी आनुमानिक ऑफसेट और वर्धित कटौतियां समायोजित)	–
11)	**कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (क्रम सं. 4 से 10 का कुल योग)**	**26046.70**
	प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोजर	
12)	सकल एसएफटी आस्तियां (निवल राशि ज्ञात करने की पहचान के बिना), बिक्री लेखांकन लेनदेनों के लिए समायोजन के पश्चात	9,616.60
13)	(सकल एसएफटी आस्तियों की भुगतान योग्य नकदी और प्राप्ति योग्य नकदी की निवल ज्ञात की गई राशि)	–
14)	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	–
15)	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	–
16)	**कुल प्रतिभूति वित्तीय लेनदेन एक्सपोजर (क्रम सं. 12 से 15 का कुल योग)**	**9616.60**
	अन्य तुलन पत्रोतर एक्सपोजर	
17)	सकल आनुमानिक राशि पर तुलन पत्रोतर एक्सपोजर	84,479.16
18)	(ऋण समान राशियों के रूपांतरण के लिए समायोजन)	–19,993.94
19)	**तुलनपत्रोतर मदें (क्रम सं. 17 से 18 का कुल)**	**64485.22**
	पूंजी और कुल एक्सपोजर	
20)	**टियर 1 पूंजी**	**86473.81**
21)	**कुल एक्सपोजर (क्रम सं. 3, 11, 16 और 19 का कुल)**	**1613018.72**
	लीवरेज अनुपात	
22)	**बेसल III लीवरेज अनुपात**	**5.36%**

यादगार घटनाओं की झलक – पुरस्कार
GLIMPSES OF MEMORABLE EVENTS - AWARDS

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (क्षेत्र ग में द्वितीय पुरस्कार) प्राप्त करते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ डॉ. किशोर सांसी.

Dr. Kishore Sansi, MD & CEO of the Bank receiving 'Rajbhasha Kirti Puraskar' (Second Prize in Region-C) from Hon'ble President of India, Sri Pranab Mukherjee.

श्री वेंकय्या नायडु, केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री से प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) – सीएलएसएस के अधीन आवास क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त करते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ डॉ. किशोर सांसी.

Dr. Kishore Sansi, MD & CEO of the Bank receiving Award for 'Outstanding Contribution in Housing Sector under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)-CLSS' from Sri Venkaiah Naidu, Union Minister of Housing and Urban Poverty Alleviation.

श्री तपेश्वर चंद गहलौत, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से 'एनबीसीएफडीसी की पुनर्वित्त योजना के अधीन पिछड़ा वर्ग के हिताधिकारियों को वित्तीयन के लिए बेहतर निष्पादन पुरस्कार' प्राप्त करते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ डॉ. किशोर सांसी

Dr. Kishore Sansi, MD & CEO of the Bank receiving 'Best Performance Award for Financing Backward Class beneficiaries under Refinance Scheme of NBCFDC' from Sri. Thawar Chand Gehlot, Minster of Social Justice and Empowerment.

श्री हरिभाई प्रतिभाई चौधरी, गृह राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु व मध्यम ईकाई से 4थी एसोचैम एसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 का 'बेहतर एसएमई ऋण पुरस्कार' प्राप्त करते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ डॉ. किशोर सांसी.

Dr. Kishore Sansi, MD & CEO of the Bank receiving 'Best SME Lending' Award at 4th ASSOCHAM SMEs Excellence Award 2016, from Shri. Haribhai Prathibhai Chaudhary Minister of State for Home Affairs, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises

यादगार घटनाओं की झलक
GLIMPSES OF MEMORABLE EVENTS

वेलटेक यूनिवर्सिटी, चेन्नै द्वारा साहित्य में डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ डॉ. किशोर सांसी.

Dr. Kishore Sansi, MD & CEO of the Bank being conferred Doctorate of Literature by Veltech University, Chennai.

डॉ. किशोर सांसी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री बी एस रामाराव और श्री वाई नागेश्वर राव, बैंक के कार्यकारी निदेशक प्रधान कार्यालय, बेंगलूर में भारतीय सोने का सिक्का योजना का शुभारंभ करते हुए.

Dr. Kishore Sansi MD & CEO, Shri. B S Rama Rao and Shri. Y Nageswara Rao, Executive Directors of the Bank, launching India Gold Coin Scheme at Head Office, Bengaluru.

डॉ. किशोर सांसी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री बी एस रामाराव और श्री वाई नागेश्वर राव, बैंक के कार्यकारी निदेशक, श्री ए. सी. स्वाईं, महा प्रबंधक, अखिल भारतीय सेमिनार के दौरान प्राप्त निबंधों के संकलन 'मेक इन इंडिया' का विमोचन करते हुए.

Dr. Kishore Sansi, MD & CEO of the Bank, Shri. B S Rama Rao, Shri. Y Nageswara Rao Executive Directors, and Shri. A C Swain, General Manager releasing 'Make in India', a collection of essays received during All India Seminar.

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अधीन हिताधिकारियों को मुद्रा ऋण संवितरित करते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ डॉ. किशोर सांसी.

Dr. Kishore Sansi, MD & CEO of the Bank distributing Mudra Loans to the beneficiaries under Prathan Mantri Mudra Yojana Scheme.

यादगार घटनाओं की झलक
GLIMPSES OF MEMORABLE EVENTS

डॉ. किशोर सांसी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री बी एस रामाराव और श्री वाई नागेश्वर राव, बैंक के कार्यकारी निदेशक, श्री गोविन्द एन डोंगरे, महा प्रबंधक के साथ श्री इयूगेने ई कार्तक, क्षेत्रीय निदेशक, भारिबैंक डिजिटल गांव चंदगालु, मंड्या के उद्घाटन समारोह में दीप प्रज्वलित करते हुए.

Shri. Eugene E Karthak, Regional Director, RBI, lighting the lamp at the inaugural function of Digital Village, Chandagalu Mandya, along with Dr. Kishore Sansi, MD & CEO, Shri. B S Rama Rao, Shri. Y Nageswara Rao Executive Directors, and Shri. Govind N Dongre, General Manager

श्री टी. श्रवण कुमार, विधायक के साथ बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री बी एस रामाराव पलडुगु, विजयवाड़ा क्षेत्र के डिजिटल गांव का उद्घाटन करते हुए.

Shri. B S Rama Rao, Executive Director of the bank along with Shri. T Shravankumar, MLA, Inaugurating Digital Village at Paladugu, Vijayawada Region.

श्री वाई नागेश्वर राव, कार्यकारी निदेशक, दुपल्ली, हैदराबाद क्षेत्र में डिजिटल गांव का उद्घाटन करते हुए

Shri. Y Nageswara Rao Executive Director, inaugurating Digital Village at Dupalli, Hyderabad Region.

श्रीमती मधुरा एम छत्रपति, मुख्य अतिथि के साथ डॉ. किशोर सांसी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ महिला दिवस समारोह के अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए.

Dr. Kishore Sansi, MD & CEO, lighting the lamp on the occasion of Women's Day Celebration along with Smt. Madhura M Chatrapathy, Chief Guest of the event.

बैंक के उच्च कार्यपालकों के साथ प्रतिष्ठित 31वीं राज्य स्तरीय अंतर उच्च विद्यालय वी जेनयूथ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेता संत पाल इंग्लिश स्कूल, बेंगलूर के छात्र.

Students of St. Paul's English School, Bengaluru, the winners of the prestigious 31st State Level Inter-High School VGenUth Quiz completion with Top Executives of the Bank.

बेंगलूर में आयोजित तीसरी मुल्की सुंदर राम शेट्टी अखिल भारतीय बास्केट बॉल टुर्नामेंट के विजेता बैंक के बास्केट बॉल टीम के साथ डॉ. किशोर सांसी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ.

Dr. Kishore Sansi, MD & CEO with the Basketball Team of the Bank, after winning the 3rd Mulki Sunder Ram Shetty All India Basket Ball Tournament conducted in Bengaluru.

यादगार घटनाओं की झलक – सीएसआर गतिविधियां
GLIMPSES OF MEMORABLE EVENTS - CSR ACTIVITIES

बैंक की 86 वीं स्थापना दिवस समारोह के एक अंश के रूप में बालिका को गोद लेते हुए डॉ. किशोर सांसी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ.

Dr. Kishore Sansi, MD & CEO, Shri. G Narayanan, Chairman, and Shri. B S Rama Rao adopting 86 Girl Children as part of Bank's 86th Foundation Day Celebrations.

नारायण सेवा संस्थान, जयपुर को बस दान करते हुए डॉ. किशोर सांसी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ.

Dr. Kishore Sansi, MD & CEO of the Bank donating bus to Narayan Seva Sansthan, Jaipur.

जिमनास्टिक के क्षेत्र में सुश्री दीपा कर्मकार की उपलब्धता के लिए ओलंपिक खेल में सहभागिता के लिए उन्हें नकद पुरस्कार प्रदान करते हुए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, डॉ. किशोर सांसी

Dr. Kishore Sansi, MD & CEO of the Bank presenting a Cash Award to Ms. Dipa Karmakar Olympic Games participant for her achievements in the field of gymnastics.

यूनिवर्सल पीस फाउण्डेशन, कोयंबत्तूर के बच्चों को दान देते हुए डॉ. किशोर सांसी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ साथ में हैं श्री वाई नागेश्वर राव, कार्यकारी निदेशक और श्री ए सी स्वाईं, महा प्रबंधक.

Dr. Kishore Sansi, MD & CEO, giving donations to the Children of Universal Peace Foundation, Coimbatore along with Sri. Y Nageswara Rao, Executive Director and Sri A C Swain, General Manager.

चिंतागुम्पल्ली, विजयवाड़ा में बालिका को गोद लेते हुए बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री बी. एस. रामाराव

Shri. B S Rama Rao, Executive Director of the Bank adopting a Girl Child at Chinthagumpalli, Vijayawada.

विवेक विद्या संस्था, मंड्या को जल शुद्धिकरण यंत्र देते हुए श्री वाई. नागेश्वर राव, कार्यकारी निदेशक

Shri. Y Nageswara Rao, Executive Director distributing Water Purifier to the Viveka Vidya Smasthe, Mandya.

VIJAYA BANK

Head Office: Bengaluru-560001

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the Vijaya Bank (Shares and Meetings) Regulations 2008 that the Seventeenth Annual General Meeting of the Shareholders of VIJAYA BANK will be held on **Friday, the 23rd June 2017 at 10 A.M.** at the Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium, Vijaya Bank Head Office, M. G. Road, Bengaluru-560001, to transact the following :

ORDINARY BUSINESS

Item No. 1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2017, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2: To declare dividend on the shares of the Bank for the Financial Year 2016-17.

SPECIAL BUSINESS

Item No. 3: To consider and if thought fit, pass with or without modifications the following resolution as Special Resolution:

RESOLVED THAT pursuant to Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 ("the Act"), Banking Regulations Act, 1949 ("the Regulation Act"), Vijaya Bank (Shares and Meetings Amendment) Regulations 2008 (Bank's Regulations), the applicable provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 ("FEMA"), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirement) Regulations, 2009 ("SEBI ICDR Regulations"), the Foreign Exchange Management (Transfer of Issue of securities by a person resident outside India) Regulations 2000, as amended from time to time and in accordance with applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications issued by Government of India ("GOI"), Reserve Bank of India ("RBI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and/or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Listing Agreements entered into by the Bank with Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, any approval, consent, permission or sanction of Central Government and / or RBI and /or SEBI as, applicable and required, approvals, consents, permissions or sanctions of other concerned authorities as may be required in this regard, within or outside India, and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board", which term shall include any Committee constituted by the Board), consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board to create, offer, issue and allot by way of Qualified Institutional Placement (QIP) in terms of Chapter VIII of SEBI ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers (QIB) as defined under Chapter VIII of SEBI ICDR Regulations, whether or not such investors are existing members of the Bank, through one or more placements; or by way of Rights Issue or Follow-on Public Offer as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, to raise an amount not exceeding ₹ **1000 Crore (Rupees One Thousand Crore)** at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and / or underwriter(s) and / or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate."

"RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares issued shall rank pari passu in all respect with existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declarations."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations:

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."

b) the Bank is pursuant to provision to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby authorized on behalf of the Bank to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalization and approval of the draft as well as final offer document (s) determining the form and manner of the Issue, including the class of investors to whom the Equity Shares are to be issued and allotted, number of Equity Shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may be in its absolute discretion deem necessary or desirable and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilization of the Issue proceeds as it may in its absolute discretion deem necessary or desirable without being required to seek any further consent or approval of the members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to engage / appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued on the stock exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to form a Committee of Directors to delegate all or any of its powers to Committee of Directors / Managing Director & Chief Executive Officer and in his absence Executive Director(s) to give effect to the aforesaid Resolutions and is authorized to take such steps and to do all such acts, deeds, matters and things and accept any alteration(s) or amendment(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question or difficulty that may arise in regard to Issue and allotment of equity Shares including but not limited to:

- Approving the draft / final offer documents and filling the same with any other authority or persons as may be required;
- Approving the Issue price, the number of Equity Shares to be allotted, Issue time lines, the basis of allocation and allotment(s) of Equity Shares;
- Arranging the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments as may be required or desirable in connection with the Issue of Equity Shares;
- Opening such Bank accounts as may be required for the offering;
- To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction.
- To make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory fillings in this regard.
- Making applications for listing of the Equity Shares of the Bank on the stock exchange(s)

where the equity shares of the Bank are listed.

By order of the Board of Directors
For VIJAYA BANK

Sd/-

Place: Bengaluru **Dr. KISHORE SANSI**

Date: 09.05.2017 **MANAGING DIRECTOR & CEO**

NOTES

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No 3 is annexed hereto

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. HOWEVER, THE PROXY SO APPOINTED WILL NOT HAVE ANY RIGHT TO SPEAK AT THE MEETING. NO PERSON SHALL BE APPOINTED AS A PROXY WHO IS AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF VIJAYA BANK. THE PROXY FORM IN ORDER TO BE EFFECTIVE, MUST BE DEPOSITED/ LODGED AT THE HEAD OFFICE OF THE BANK WITH THE COMPANY SECRETARY, VIJAYA BANK, BOARD SECRETARIAT, 41/2, M.G. ROAD, BENGALURU 560 001, ATLEAST FOUR DAYS BEFORE THE DATE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING I.E. ON OR BEFORE THE CLOSING HOURS I.E. **05.00 PM OF SATURDAY, THE 17th JUNE, 2017.**

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the Meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/ her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Vijaya Bank, Board Secretariat, H.O., Bengaluru - 560 001 atleast Four days before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours i.e. **5.00 PM OF SATURDAY, the 17th JUNE, 2017.**

3. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/ Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorized Representative of a shareholder should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as **"Proxy"** or **"Authorized Representative"** as the case may be.

4. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS:

Pursuant to Clause 12 of Vijaya Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday the 17th June 2017 to friday the 23rd June 2017 (both days inclusive) in connection with the Seventeenth Annual General Meeting

5. VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut - off Date i.e. Friday, 16th June 2017, shall have one vote for each share held by him.

As per Regulation 10 of the Vijaya Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

6. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide Remote e-Voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. A separate communication/ Notice is being sent to all the shareholders to enable them to cast their votes through e-Voting.

The remote E- voting period begins on 20.06.2017 (Tuesday) at 10.00 AM and ends on 22.06.2017 (Thursday) 5.00 PM. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on 16th June 2017, being the Cut off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

7. PAYMENT OF DIVIDEND:

The dividend, as recommended by the Board, and declared at the Annual General Meeting, will be paid within 30 days of declaration thereof, to those shareholders who stand registered on the Bank's Register of Members:

a) As Beneficial Owners as at the end of business hours on 16th June 2017 as per the list to be furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of shares held in dematerialized form.

b) As Shareholders whose names are registered in the Register of Members of the Bank as on Friday 16th June, 2017.

The dividend warrants to such shareholders would be mailed or credited through ECS or other approved electronic mode by the Bank through the Share Transfer Agent, viz., M/s Link Intime India Pvt Limited, Mumbai, within 30 days from the date of declaration, i.e., within 22nd July 2017.

8. Payment of dividend through National Electronic Clearing Services (NECS)

In case shareholder who have not already sent the NECS/Bank Account particulars to our Registrar, M/s Link Intime India Private Limited or to Depository Participant (in case of demat holdings) we would request to provide the said particulars in the format annexed to facilitate prompt, safe and correct payment of dividend.

9. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/ not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for the same

Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of the declaration, if any shareholder has not encashed/ claimed the dividend, such amounts lying in the Bank Dividend Account, shall be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of Vijaya Bank for the year…."

As per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or to the IEPF

(The Unpaid/Unclaimed Dividend for the year 2009-10 lying with the Bank shall be transferred to IEPF on 13.08.2017 as per Govt of India Guidelines. Reminder letters have been sent to all concerned shareholders requesting them to send their claims by 15-07-2017. If not claimed the balance remaining outstanding in this account will be transferred to IEPF account and thereafter no claim in respect thereof shall be available to the shareholders in terms of existing statutory provisions)

10. REQUESTS TO THE SHAREHOLDERS

10.1 COPIES OF BALANCE SHEET:

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at their registered addresses.

10.2 DEMATERIALISATION OF SHARES:

Shareholders who are still holding their share certificates in physical form are requested to get their shares dematerialized as SEBI has included the name of the Bank for the purpose of compulsory dematerialized trading of shares.

10.3 NOTIFYING CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders are requested to notify immediately of any change in address/ change in Bank Account numbers to:

a) Their respective Depository Participant in respect of holding of shares in dematerialized form.

b) The Share Transfer Agent, M/s Link Intime India Pvt Limited, Unit: Vijaya Bank, C101,247 Park L B S Marg, Vikhroli West, Mumbai 400083 in respect of shares held in physical form.

c) Shareholders holding shares in physical form are also requested to register/ update their e-mail address with the Bank / R&T Agent to enable the Bank to send all communications/ notices/ Annual Reports etc through e-mail. Those shareholders holding shares in demat form are requested to update their e-mail address with their Depository Participants. This is as per Bank's plan to implement the Green initiative in Corporate Governance initiated by Ministry of Corporate Affairs (MCA).

10.4 CONSOLIDATION OF FOLIOS:

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send the share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India Pvt Limited, Mumbai for consolidation into a single folio.

10.5 RECORDING OF CHANGE OF STATUS:

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India Pvt Limited, Mumbai immediately of:

a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, and account type, account number, IFSC Code, MICR Code and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

10.6 INFORMATION ON THE ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank at least one week before the date of the Annual General Meeting to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

11. OTHER INFORMATION:

11.1 In support of the green initiative, the Bank has decided to send the annual report through email to those shareholders who have registered their email id with their depository participant/ Bank's registrar & share transfer agent.

11.2 Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board of Directors
For VIJAYA BANK

Sd/-
Dr. KISHORE SANSI
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place: Bengaluru
Date: 09.05.2017

EXPLANATORY STATEMENT

ITEM NO. 3:

CAPITAL RAISING PROGRAMME OF THE BANK

i. The Bank is in the Business of the Banking and related activities. At present the Authorised Capital of the Bank is ₹ 3000 Crore and the paid up Equity Share Capital of the Bank as on date is 998.85 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank (CRAR) under Basel III as on March 31st 2017 is 12.73% which is well above the 10.25% stipulated by the Reserve Bank of India.

ii. In order to meet the growing capital requirement of funds in terms of Basel III Capital Regulations

and consequent Capital Charge and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds to improve the Capital Adequacy of the Bank and to fund general business needs of the Bank.

iii. The proposed special resolution seeks the enabling authorization of the Members of the Bank to the Board of Directors(Board), without the need of any further approval from the members, to create offer, issue and allot equity shares/preference shares by way of follow on public offer, Rights Issue, Qualified Institutional Placement.

iv. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 will obtain requisite approval of Reserve Bank of India and Ministry of Finance, Government of India for increasing the paid up capital of the Bank. The Bank proposes for issue of upto ₹ 1000 Crore equity share capital (including premium) on Preferential/ QIP basis at a price determined as per SEBI [ICDR] Regulations in such a way that GOI holding does not reduce below 52%.

v. The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro rata basis to the existing shareholders.

vi. The Special Resolution as contained in the item No.3 to the Notice seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares to persons including to non-shareholders of the Bank through various modes including to QIBs through Qualified Institutional Placement.

vii. The approval of the General Body at the 16th Annual General Meeting of the Bank for raising capital under various options including Rights issue/FPO/QIPs (Qualified Institutional Placements) with QIBs (Qualified Institutional Buyers) was obtained. As per the guidelines, the validity of the resolutions is restricted to one year for such issue. Keeping in view the future requirements, the approval of the General Body is sought once again.

viii. In terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "relevant Date".

ix. "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

x. The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

xi. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations. The Resolution seeks to give the Board/ Issue Committee powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit. For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to give us adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

xii. The equity shares issued, shall rank pari-passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend the resolution as set out in Item no. 3 of the Notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS: 2016-17

Business Growth

- Total Business reached an all-time high level of ₹ 2,29,833 Crore.
- Total Deposits increased from ₹ 125441 Crore as on 31.03.2016 to ₹ 1,33,012 Crore as on 31.03.2017, up by 6.04%.
- Savings Bank deposits recorded robust growth of 28.41% to reach 28,835 Crore as on 31.03.2017.
- Current Account deposits registered a robust growth of 28.41% to reach to ₹ 8,564 Crore as on 31.03.2017.
- CASA deposits increased to ₹ 37,398 Crore, up by 28.41%.
- The percentage of CASA deposits to Total Deposits improved from 23.22% to 28.12%.
- The Retail Term Deposits increased from ₹ 44,269 Crore as on 31st March, 2016 to ₹ 47,514 Crore as on 31st March, 2017, up by 7.30%.
- Total advances increased from ₹ 90,765 Crore as on 31.03.2016 to ₹ 96,821 as on 31.03.2017, up by 6.67%.
- Retail Advances increased from ₹ 23,593 Crore as on 31.03.2016 to ₹ 29,335 Crore as on 31.03.2017, up by 24.33%.
- The percentage of Retail Advances to Total Advances increased from 26% as on 31.03.2016 to 30.29% as on 31.03.2017.
- Housing Loans and Education Loans recorded a robust growth of 29.09% and 21.35% respectively during the Financial Year 2016 -17.
- The Credit Deposit Ratio improved to 72.79% as on 31.03.2017.

Income and Profitability

- Operating Profit increased to ₹ 2421.15 Crore from ₹ 1548.87 Crore, up by 56.32%.
- Net profit increased by 96.56% to ₹ 750.48 Crore from ₹ 381.80 Crore.
- Fee Based Income increased to ₹ 714.30 Crore from ₹ 528.66 Crore, up by 35.12%.
- Net Interest Income increased to ₹ 3506.44 Crore against ₹ 2760.83 Crore, up by 27.01%.
- Net Interest Margin improved from 2.27% to 2.77%, up by 50 bps.
- Total Other Income increased from ₹ 873.86 Crore to ₹ 1651.26 Crore, up by 88.96%.

Asset Quality

- Bank's Gross NPA ratio improved to 6.59% as at March 2017 from 6.64% as at March 2016.
- Net NPA ratio improved to 4.36% as at March 2017 from 4.81% as at March 2016.
- Provision coverage ratio increased to 58.15%.

Priority Sector Operations

- Priority Sector portfolio increased from ₹ 38,003 Crore as on 31.03.2016 to ₹ 40,594 Crore as on 31.03.2017.
- The Bank has achieved Priority Sector Target by taking the portfolio to 41.35% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC).
- During the Financial Year, the Agriculture lending of the Bank has increased by 13.51% to ₹ 15632 Crore.
- Advances to Weaker Section stood at ₹ 13149 Crore which constitutes 13.39% of the ANBC against the norm of 10%.
- Advances to Women beneficiaries stood at ₹ 9500 Crore as at March 2017 as against ₹ 7790 Crore as at March 2016, registering a growth of 22%. The Bank achieved 9.68% of ANBC against the stipulated target of 5% of ANBC.

Financial Inclusion

- The Bank has formed its own "Vijaya Financial Literacy Trust" (VFLT) for imparting financial literacy to rural people. During the FY 2016-17, the Bank opened 3 New Financial Literacy Centers (FLCs) taking the total number to 18 FLCs.

- During the year, the Bank launched Aadhar Seeding Campaign to add Aadhar details to all type of its SB Accounts. As at the end of the FY 2016-17, the Bank has achieved 88% of Operative PMJDY Accounts, 72% Operative SB Accounts in Union Territories and 62% in all SB operative Accounts.
- Automation of Overdraft facility to PMJDY account holders has been enabled in all the ATMs of the Bank.
- E-KYC has been enabled in all the branches and also in Hand Held Machines/Micro ATMs.
- Bank has opened 14.90 Lakh Basic Savings Bank Deposit accounts under PMJDY with a total savings of ₹ 191.41 Crore and all the account holders are provided with RuPay debit cards. Aadhaar numbers have been seeded in 12.93 Lakh accounts. Bank has sanctioned Overdraft facility to 6107 PMJDY account holders amounting to ₹ 104.81 Lakh.

InfoTech Progress

- During the year, Bank has introduced many IT based products like Software Token – an additional mode of two factor authentication, Toggle V-Net Banking, to provide the facility of disabling and enabling of Internet banking (V-Net bank) from customer end point.
- The Bank entered into social media banking with its presence in facebook, twitter, linked-in, Youtube and Instagram.
- Keeping abreast with advances in the digital banking segment, Bank has launched Digital Villages and we are one of the first in the industry to start this initiative.
- Debit Card & Prepaid Card Business has increased by 87.75% in FY2016-17
- The Bank has issued Total Debit Cards to the tune of 14.46 Lakh in FY 2016-17 compared to 10.76 Lakh cards during previous Financial Year.

Capital Adequacy

- Bank complied with Basel III norms and the overall Capital Adequacy Ratio as at 31.03.2017 at 12.73% (Tier I – 9.96%, Tier II – 2.77%) against minimum regulatory capital of 10.25%.
- Bank has also complied with Basel II norms and the overall Capital Adequacy Ratio as on 31.03.2017 stood at 12.95%, which is above the minimum stipulated norm of 9%.
- During the financial year 2016-17, the Bank has its augmented capital position by raising Additional Tier- I Capital of ₹ 325 Crore through Basel III Compliant Additional Tier I Bonds and by internal accruals has retained earnings (reckoned for regulatory capital) to the tune of ₹ 420.12 Crore.
- Bank's Liquidity Coverage Ratio (LCR) stood at 160.47% as on 31.03.2017 against the minimum LCR of 80% as on 31.03.2017 and Bank's Leverage Ratio stood at 5.36% as on 31.03.2017 against the RBI's indicative ratio of 4.50%.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

PERFORMANCE AT A GLANCE

(₹ in Crore)

KEY PARAMETERS	2014-15	2015-16	2016-17
Number of Branches	1618	1863	**2031**
Number of ATMs	1383	1651	**2001**
Reserves & Surplus	5301	6472	**7153**
Gross Profit	1259	1549	**2421**
Net Profit	439	382	**750**
Total Deposits	126343	125441	**133012**
Growth %	6.39	3.50	**6.04**
CASA Deposits	25721	29125	**37398**
Growth %	12.52	13.23	**28.41**
% to Total Deposit	20.37	23.22	**28.12**
Gross Credit	87692	90765	**96821**
% Growth	6.39	3.50	**6.67**
Total Business	214035	216206	**229833**
% growth	3.47	1.01	**6.30**
Gross NPA	2443	6027	**6382**
(%)	2.78	6.64	**6.59**
Net NPA	1660	4277	**4118**
(%)	1.92	4.81	**4.36**
Investments	40934	42178	**44425**
Advances to Priority Sector	30714	38003	**40594**
% to ANBC	35.97	41.54	**41.35**
Total Staff	13617	14544	**15679**
Business per Employee	14.96	14.58	**15.51**
KEY RATIOS (%)			
Cost of Deposits	8.10	7.34	**6.50**
Yield on Advances	11.34	10.52	**9.89**
Net Interest Margin	1.93	2.27	**2.77**
Return on Assets	0.33	0.28	**0.49**
Capital Adequacy Ratio % (Basel III)	11.43	12.58	**12.73**

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN TO SHAREHOLDERS

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors and the Management of Vijaya Bank, it is my pleasure to share with you the progress and performance of the Bank during the year 2016-17.

The recovery of global economy remained weak with lower growth in the backdrop of depressed commodity prices and volatile financial markets. The global economy also faced uncertainties in the form of unprecedented geopolitical shifts, as evident in the United Kingdom's decision to leave the European Union and the outcome of US Presidential Election. Several advanced and emerging economies showed subdued performance during the year.

In the context of slower growth in the global economy, India performed better with a predictable and steady growth despite several challenges and downward pressures. The second Advance Estimates (AE) released by the Central Statistical Organization (CSO), the economy was estimated to register a growth rate of 7.1% in 2016-17. For the Banking sector, 2016-17 was a year of stress and Challenges, Banks' asset quality showed increased stress impacting the profitability. Several banks showed significant losses after setting aside huge provisions for non performing loans.

Vijaya Bank could meet these challenges adopting a business strategy of measured growth with prudent policies aimed at operational efficiency, driving growth to meet our objectives. The Bank has taken a considered and disciplined approach towards cost, growth and managing risk

Against the challenging business scenario, we have focused on strengthening and developing our processes, promote innovation and operational transformation which have resulted in a positive and eventful year for the Bank achieving several significant milestones.

During the year 2016-17, the Bank had taken several initiatives to strengthen its business portfolio, to improve its presence across the country and to increase the clientele base. We have strengthened the network, increase our business, profitability and enhanced corporate value through technological advancements.

Total Business of the Bank reached all time high of ₹ 2,29,833 Crore as at March 31, 2017. During the year, the Bank has made significant strides in building profitable retail business portfolio on both asset and liability segments. The retail advances portfolio of the Bank has moved from strength to strength and continued to outperform the market with a healthy growth of 24.33% and Retail Credit accounted for 30.29% of Gross Credit. Savings Deposits and Current Account Deposits grew by a robust 28.41% and 28.41% respectively and y-o-y CASA ratio improved by 4.90% to reach 28.12%.

The Bank showed consistent profits in every quarter while the banking industry was under severe stress due to impaired asset quality and subdued business growth. Operating profit before provisions increased by 56.32% year-on-year to ₹ 2421 Crore. Net profit for the year reached ₹ 750.48 Crore, showing an increase of 96.56% as compared to the previous year. The Bank had made positive strides on the profitability front with impressive improvements in several profitability parameters, such as Net Interest Margin, Return on Assets etc.

As a proactive risk measure, the Bank continued its vigilance over high risk sectors and timely remedial measures were taken to maintain the quality of assets. Credit policies and procedures were reviewed and updated regularly to align with the overall risk management strategy of the Bank. The Bank carefully diversified credit exposures across various sectors and maintained the regulatory ceiling.

On the asset quality front, the Bank had taken several measures to improve the quality of credit portfolio and remedial measures for recovery of non-performing advances. As a result, the Bank's asset quality remained stable successfully bucking the market trend. Net non performing loans to total loans in percentage terms has came down to 4.36% from 4.81% at the end of last year.

The Bank also maintained its strong liquidity and capital positions, demonstrating its financial strength. The Bank is well capitalized with a capital adequacy ratio of 12.73% as per Basel III, which is well above the minimum regulatory requirements.

During the year, organizational structures are streamlined to strengthen the administrative efficiency and the Bank had taken measures to enhance the digital capabilities to strengthen the online and mobile technology platforms. The Bank has taken comprehensive human development initiatives to enhance staff engagement levels and to deliver superior products and services. The Bank also consciously engaged itself in various socially responsible activities under the corporate social obligations during the year, for which gained wide acclaim from various quarters.

Despite the complex macro situations, the Bank maintained its quality growth momentum, showed a good performance and could meet the market expectations.

FY 2017-18 comes with challenges and opportunities. The outlook on growth and macroeconomic stability for India is positive and favourable. Banking business will continue to be challenging. Managing asset quality and finding capital to support business growth and regulatory prescriptions will be the major challenges. Competition from new entrants with cutting edge technology would pose new threat in retaining market share. Perhaps Indian banks would be entering a transformative change to meet these challenges and a road map for consolidation may bring in a radical transformation in the Indian banking scenario. Only the fit and efficient ones adopting quickly to the changes would survive.

Going forward, we will continue with our prudent strategy to sustain our growth momentum. The major goals and objectives of the Bank are aimed at building a profitable business model, greater customer orientation, leveraging brand equity and providing support in terms of greater technology application. The Bank is committed to the process of updating technology to improve efficiency and to make the customer's experience at various touch points convenient and user friendly. The Bank has drawn comprehensive plans to strengthen its retail banking operations along with its expansion plans, its commitment to enhance its financial solvency and the quality of its asset portfolio. The Business strategy also remains focused on effective control over risks and maintaining a long term growth to meet the expectations of all stakeholders.

I am confident that Vijaya Bank will be able to take advantage of these plans with concerted efforts on innovative and novel approach.

The Board of Directors expresses their sincere gratitude and appreciation to the Bank's esteemed shareholders, valued clients and other stakeholders for their confidence and support. I would like to take this opportunity to express my sincere thanks to the Bank's Management and Staff for their efforts and dedication towards the growth of the Bank.

G. Narayanan

Chairman

MESSAGE FROM THE MANAGING DIRECTOR & CEO TO SHAREHOLDERS

It is my pleasure to share with you a review on the key economic developments that have taken place in Indian economy and especially in banking sector, which have shaped our Bank's operating environment and the performance of our Bank during the financial year 2016-17.

During 2016-17, global economy slowed down further, reflecting a more subdued performance in many advanced as well as emerging economies. International financial markets have passed through high volatility during the year due to a number of factors including a strong US Dollar, increase in commodity prices and unprecedented geopolitical shifts.

India's economic conditions during FY 2016-17 have been influenced by the cumulative impact of global uncertainties and continued slowdown in various economic sectors. While Indian economy remained as the fastest growing economy in the world, GDP growth moderated to 7.1% from 7.9% last year. Basic economic indicators, such as, Index of Industrial Production (IIP), Exports and Imports growth, Gross Fixed Capital Formation etc. showed a moderate growth.

Inflation showed a downward trend during the year and Consumer Price Inflation remained comfortably within RBI's target of 5% for March 2017. Retail inflation stood at 3.81% in March 2017 compared to 4.83% recorded in the corresponding month last year. However, there has been a trend reversal in headline inflation, from a low of (-) 0.45% in March 2016 to 5.70% at end-March 2017, mainly driven by the increase in prices of fuel and manufactured products.

Banks in India are expected to play a vital role in the economic revival and to promote growth and development across the broad spectrum of economic activities. However, Indian banking sector had to face a number of challenges during FY 2016-17 as a result of subdued economic activity.

During 2016-17, the Reserve Bank of India has taken an accommodative monetary policy stance to support the growth momentum. During FY 2016-17, Scheduled Commercial Bank's Credit growth showed deceleration while Aggregate Deposits have witnessed significant increase.

During 2016-17, the deterioration in quality of assets of the banking sector has continued with gross non-performing assets of banks registering a sharp increase as a result of the continued slowdown in various economic sectors. As a result, the financial year 2016-17 saw India's Banking sector focusing on supporting the quality of credit portfolios and maintaining huge level of provisions to respond to the challenges. The large number of defaults and high level of NPAs affected the profitability of several Banks.

For Vijaya Bank, the main challenges during Financial Year 2016-17 were to stay competitive in a challenging business environment by capitalizing on its strengths to grow faster and stronger. Over the course of the year, the Bank focused on its strengths, continued to improve systems and processes, expanding delivery channels to meet the customer's needs to maintain its reputation as a premier nationalized bank in India.

Against this background, I would like to place before you the highlights of the Bank's performance during the year 2016-17.

FY 2016-17 was an excellent year for Vijaya Bank, marked by major achievements and number of key milestones. The Bank responded to the challenging economic environment with its prudent approach and focused on its solid and steady businesses model to ensure that the Bank emerges strongly against the adverse macro environment.

During the year, despite challenging economic conditions, our operating performance continued to display a sound momentum characterized by progress, quality, innovations and stability. The Bank has taken several initiatives to further strengthen its business portfolio and made active efforts to strengthen the balance sheet with disciplined and prudent strategy, structure optimization, operational transformation and a cautious approach to risk.

The operational performance of the Bank demonstrates its strength in solidifying its position as a leading financial institution in India. Continued buoyancy in core business operations and efficient management of non-interest income pool helped the Bank to sustain and enhance the topline earnings while maintaining a stronger bottomline.

The robust financial and operational performance registered by the Bank was driven by exceptional performance demonstrated across all business

segments. We continued to deliver strong levels of operating profitability which is evident from 56.32% growth in operating profit and reaching an all time high level of ₹ 2421.15 Crore. The Bank recorded profits every quarter during the year and Net Profit of the Bank increased by 96.56% to ₹ 750.48 Crore as at March 31, 2017, the highest in Bank's history.

The Bank has made significant improvements on profitability front. The soundness in profitability is well reflected in improvement in several profitability parameters such as, Net Interest Income (Increased by 27.01% to ₹ 3506.44 Crore), NIM (improved from 2.27% in March 2016 to 2.77% in March 2017) and RoA (improved from 0.28% in March 2016 to 0.49% in March 2017).

The difficult external business environment had an impact on the Bank's business growth. However, the Bank's Total Business reached all time high level of ₹ 2,29,833 Crore as at March 31, 2017.

The Bank successfully managed and improved its liquidity, reduced deposit mobilizing costs and made significant progress in improving the deposit mix. Total deposits of the Bank as at 31st March 2017 stood at ₹ 1,33,012 Crore. The Bank's current account deposits grew by 28.41% in FY 2016-17 to reach ₹ 8564 Crore and Savings Bank deposits recorded a robust growth of 28.41% to reach ₹ 28835 Crore. The share of CASA deposits in aggregate deposits moved up by 490 basis points to reach 28.12% in March 2017. The proportion of Bulk deposits with preferential interest rate and CDs to total deposits has brought down significantly to 3.70% as on 31st March 2017.

The Bank's credit portfolio increased to ₹ 96821 Crore with a y-o-y growth of 6.67% with the credit-deposit ratio stood at 72.79%. The Bank's diversified credit portfolio includes all productive segments of the economy like agriculture, industry, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), corporate, infrastructure segments and retail.

During the year, Bank took several measures for quality growth of retail advances portfolio, as a result outstanding advances under the category increased to ₹ 29335 Crore, thereby accounting for 30.29% of the gross credit, this achievement is one of the highest among Public Sector Banks. Housing Loan portfolio grew by an impressive 29.09% to reach ₹ 11306 Crore, Vehicle Loan portfolio grew by 29.86% to reach ₹ 2714 Crore and Education Loan portfolio grew by 21.35% to reach ₹ 1358 Crore.

On the Priority Sector advances front, total Priority Sector Advances have increased by 6.82%, from ₹ 38003 Crore as at March 2016 to ₹ 40594 Crore as at March 2017. The Priority Sector advances constituted 41.35% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC), as against the target of 40%. Agricultural Advances of the Bank have increased by 13.51% to ₹ 15632 Crore from ₹ 13771 Crore last year.

Despite macro headwinds, the Bank ended the year with better asset quality. During the year, the Bank took measured steps and multi-pronged approaches to manage and address asset quality issues and to strengthen day-to-day management of credit exposures. Towards this, the Bank has laid emphasis on diligent monitoring of the health of credit portfolio and recovery of the non-performing assets. The Bank ensured a better and efficient NPA management by checking the inflow to NPA segment and recovery of non-performing assets. The gross NPA level of the Bank stood at ₹ 6382 Crore at a ratio of 6.59% as at March 2017. The net NPA level was ₹ 4118 Crore and the net NPA ratio was at 4.36%. The Provision Coverage Ratio improved to 58.15% as at March 2017 compared to 50.08% as at March 2016.

Keeping customer convenience at the forefront and in tune with the Bank's strategic focus, delivery channels have been further expanded to strengthen the Bank's position. The Bank added 170 branches in FY 2016-17, and the branch network crossed the 2000 milestone mark to reach 2031 branches. Strategies have been put in place for balanced growth under alternate delivery channels. During the year the Bank added 350 new ATMs and as at 31st March 2017 the Bank had 2001 ATMs. Various measures taken by the Bank to improve mobile banking has resulted in Mobile banking user base to cross 13 Lakh mark, showing a growth of 162%, year-on-year. Bank's internet banking customer base crossed 8 Lakh mark and the Internet Banking Module upgraded with latest and responsive features.

The year 2016-17 also witnessed the Bank capitalising on its digital banking strategy. The Bank made important decisions like entering into social media banking with its presence in facebook, twitter, linked-in, Youtube and Instagram. Keeping abreast with advances in the digital banking segment, Bank has launched Digital Villages and we are one of the first in the industry to start this initiative.

In line with the country's inclusive growth framework, the Bank has been actively pursuing the agenda of Financial Inclusion. The Bank's initiatives in this direction aim at financial empowerment and reaching banking services to the rural masses. During demonetization of ₹ 1000 and ₹ 500 Bank Notes, the Bank has demonstrated an exceptional level of commitment and has displayed exemplary dedication in deftly handling the situation. For this, we have received good public opinion and accolades from all strata of the community PAN India.

The Bank has developed prudent risk management architecture to include global best practices for effective implementation of risk management practices consistent with the Basle frameworks and RBI guidelines. Notwithstanding the enhanced risk weights assigned to select loan segments, the Bank's Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) as on March 31, 2017 stood at 12.73% (Basel III) and it is well above the regulatory benchmark. During the year, the Bank has also strengthened and developed internal systems and processes to create an efficient operational environment.

As a responsible corporate citizen, the Bank undertook social responsibility by making significant contributions towards social priorities and active contributions to the development of the nation. Bank has continued with its mission of educating girl children and was so far adopted 1163 girl children. We have linked every ATM transaction to CSR activities and contributed 50 Paise towards a social cause, for every transaction at our bank's ATMs. We have also provided material assistance to institutions working for the welfare of the less privileged, assistance to government schools and operationalized rural health clinics.

The success of the Bank is also creating jobs and opportunities for youngsters from all walks of life and we have recruited over 1800 employees last year.

The various efforts and initiatives during the year culminated in raising the Bank's profile and made it financially stronger to face any future challenges and to achieve the desired levels of growth.

The market recognized our progress, as shown by the significant increase in our share price in 2016-17. The impressive performance of the Bank was well recognized by various industry bodies as well as regulatory authorities. It culminated in Bank conferred with more than 40 awards.

Moving forward, the Bank will continue to focus on sustainable business and build on a strong foundation in order to accelerate growth across all key business verticals. For the financial year 2017-18, we have envisaged a sound business model based on profitability, operational efficiency, asset quality, risk management and expanding the reach. Attention will be given for further improving service levels through selective introduction of products and constant up gradation of technology. We propose to increase the network by adding 100 new branches and more number of ATMs and other customer touch points. We will continue the retail centric focus in our business mix so as to ensure a profitable growth trajectory. We also plan to continue investing resources in improving our digital capabilities and product offerings.

On the asset quality front, our corporate goal is to progressively bring down gross non-performing assets, amount-wise and percentage-wise.

There are great opportunities and significant challenges in 2017-18. Despite challenges, we believe that the overall economic and business environment presents opportunities for selective growth for the Banks in India. Vijaya Bank will benefit from the expected improvements in corporate business confidence and I am confident that we are uniquely placed to unlock the exciting opportunities for the banking sector. The Bank has a clear growth strategy in place to capitalize on the opportunities. I will remain committed to attain our business objectives of the coming year. With your continued support and patronage, I am confident that our Bank would reach greater heights during the current year.

I am fortunate that the Bank has a very professional Board and I am grateful for their timely guidance and contributions to our stellar performance during 2016-17. I record my sincere appreciation for valuable guidance extended by the Government of India, the Reserve Bank of India and other regulators.

I sincerely thank all valued shareholders for their continued support and trust.

With Best Wishes

Yours Sincerely,

Dr. Kishore Sansi
Managing Director & CEO

DIRECTORS' REPORT 2016-17

The Board of Directors have pleasure in presenting the 37th Annual Report of the Bank along with the audited Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2017.

Macro Scenario 2016-17

Global economic growth slowed down slightly and global uncertainties increased during 2016 as a combined impact of weak global demand, lower investment levels, dwindling world trade growth, rising tendency towards protectionism, flagging productivity growth and high levels of debt. Investment growth has slowed significantly in many of the major developed and emerging economies as well as in economies in transition. According to International Monetary Fund (IMF), global economy witnessed a moderate growth of 3.1% in 2016, as compared with 3.4% in 2015. While advanced economies grew by 1.7% in 2016 compared to 2.1% in 2015, emerging economies growth moderated to 4.1% in 2016 from 4.2% in 2015. World trade volumes expanded by just 1.2% in 2016, the third-lowest rate in the past three decades. Global commodity prices have come off their lows during the year and average global inflation edged up slightly to an estimated rate of 2.4% in 2016 from 2.1% in 2015. International financial markets witnessed increased turbulence mainly on concerns on political risks such as Brexit roadmap, uncertainty on economic policies especially in the United States and a persistently weak global recovery.

For Indian Economy, Financial Year 2016-17 was an eventful year. The year was marked by major historic policy developments initiated by Government of India and Reserve Bank of India to improve the fundamentals of the economy. Indian economy operated steadily in general. The acceleration of structural reforms and low commodity prices have provided good growth impetus during the year and Indian economy recoded as the fastest-growing major economy in the world. The implementation of demonetization scheme to curb black money and to eradicate fake currency, measures taken to create cashless economy, implementation of various Government Schemes for inclusive growth, etc took through unusual paths which it never traversed. However, the economy was faced with downward pressures and many difficulties. As per the second Advance Estimates (AE) released by the Central Statistical Organization (CSO), the Indian economy is estimated to register a GDP growth rate of 7.1% in 2016-17 compared to 7.9% growth recorded last year.

The industrial sector growth as measured by new series of Index of Industrial Production (IIP) witnessed a growth of 5% during 2016-17 compared to 3.4% in 2015-16. Capital formation has showed decelerating trend with the rate of investment in the economy depicted by the Gross Fixed Capital Formation is seen to be declining at 26.6% of GDP compared to 29.3% of GDP in FY 2015-16.

Inflation measured by wholesale price and retail price traversed the envisaged path set by the Reserve Bank of India during the year. CPI inflation has been around the RBIs target level of 4% with a band of +/-2%. Retail inflation stood at 3.81% in March 2017 compared to 4.83% recorded in the corresponding month last year. However, WPI inflation increased from (-) 0.45% in March 2016 to 5.70% at end-March 2017, mainly driven by the increase in prices of fuel and manufactured products.

In the external sector, the trade deficit reduced slightly from USD 117.1 billion in FY 2015-16 to USD 105.9 billion in FY 2016-17. Merchandise exports have shown an increase during FY 2016-17. As per the data released by the Department of Commerce, Government of India, during April-March 2016-17, merchandise exports of India increased by 4% to US $276.6 billion and merchandise imports declined by 0.17% to US$ 380.4 billlion.

The financial markets in India responded to the overall developments witnessed in the global and domestic front. During the year, domestic financial markets were mainly impacted by demonetisation and the US presidential election results. The Union Budget announcements and the shift in the monetary policy stance of the Reserve Bank and have also influenced market movements. The growth in money supply (M3)

has declined from 10% for the financial year 2015-16 to 7.3% by end-March 2017 mainly as a result of demonetization and subsequent reduction in the currency circulation in the economy.

Net capital/financial flows both in terms of quantum and quality improved considerably during 2016-17. Foreign Direct Investment (FDI) inflows into the country touched a new high of $60.08 billion in 2016-17. Inflows grew by 8% over the previous high of $55.6 billion posted in 2015-16. India's foreign exchange reserves increased to US$ 369.94 billion at end March 2017.

The exchange rate of the rupee has experienced series of sharp volatility during 2016-17, triggered by heightened uncertainty in global financial markets and pressures on the exchange rate on account of external developments. The rupee moved in a narrow range against the US dollar and appreciated against the euro and pound sterling in the second half of FY 2016-17. Factors such as, low current account deficit, the emphasis of monetary policy on the 4% inflation target, the transient impact of demonetisation on economic activity and the commitment to fiscal prudence announced in the Union Budget provided stability to the exchange rate towards the end of the financial year 2016-17.

Banking Scenario

The Financial Year 2016-17 was a challenging year for Indian banking industry. The banking sector experienced a slowdown in balance sheet growth and the profitability of public sector banks (PSBs) diminished with their RoA declining significantly. The deterioration in the asset quality of banks continued during the year with rise in volume and proportion of stressed assets. Gross non-performing advances of scheduled commercial banks as a percentage of total advances showed substantial increase during the year.

The Reserve Bank of India has taken an accommodative monetary policy stance in most part of the Financial Year 2016-17 to support the growth momentum. The RBI has changed the interest rates on two occasions during FY 2016-17- in April 2016 and October 2016. The declining trend in price inflation has been the major factor behind these decisions. However, in its sixth bi-monthly Monetary Policy Statement, RBI changed its stance from accommodative to neutral to further access the effects of demonetization on inflation.

During FY 2016-17, Scheduled Commercial Bank's deposits grew by 11.8% compared to 9.1% a year ago. However the year experienced historical low in credit growth. Bank credit growth during FY 2016-17 has been lower at 5.1% as against 10.3% in the corresponding period last year. There was a slowdown in credit growth in agriculture, retail and services segments which however had positive growth rates. In case of industry there was a decline in growth in credit. A slowdown in economic activity and Demonetization had an unfavorable impact on credit growth.

Liquidity conditions have remained broadly comfortable during 2016-17. However, systemic liquidity in the banking system has continued to increase in the face of demonetisation-led surge in cash deposits and strong foreign portfolio inflows. The increased liquidity has facilitated faster policy rate transmission to bank deposit and lending rates.

Outlook

Global growth prospects expected to strengthen in the year 2017 after a prolonged period of unconvincing growth. The immediate outlook for global growth remains positive, notwithstanding heighted geo-political risks. Global growth will be backed by expected healthy consumer spending and stronger business investment, across both advanced economies and emerging markets. The International Monetary Fund, in its World Economic Outlook for April 2017, projected global growth at 3.5% for 2017 and 3.6% for 2018. The emerging economies are expected to do better than the advanced ones with India expected to register the highest growth rates in both 2017 and 2018. However, global economic prospects remain subject to significant uncertainties and risks mainly from financial market instability, monetary policy actions in major economies and heightened geo-political uncertainties.

India's economic growth momentum is expected to strengthen during FY 2017-18. Improving discretionary consumer demand held back by demonetization and sharp improvement in transmission of past policy rates

are expected to translate consumption and investment demand. Implementation of the Goods and Services Tax (GST) and the measures taken in the Union Budget to boost the rural economy, infrastructure, micro, small and medium enterprises (MSMEs) and low cost housing will help to invigorate domestic demand. The Indian economy will also be benefited from the likelihood of normal monsoons, increase in foreign capital inflows, fairly stable currency, narrowing trade deficit and current account deficit, lower interest rate regime, supportive policies and initiatives of the government including the adoption of fiscal discipline.

The Monetary Policy Committee (MPC) set a goal of achieving 4% consumer price index target for the medium term. The focus on inflation control can bring more predictability to policymaking as well and result in a stable and low inflation environment. However, the increasing global commodity prices will be a cause of concern during FY 2017-18. Indian economy in 2017-18 is continue to be the bright spot in the global landscape and continue to be the fastest-growing major emerging market economies in the world. The major challenges during 2017-18 emanate from factors like inadequate support from the global economy, limited pick-up in investment demand in major sectors, weaknesses in corporate balance sheets and the continued stress in the banking system.

Indian Banking sector is expected to recover further in 2017-18 in view of the favourable policy environment, positive domestic outlook and the opportunities available for selective growth. The steady acceleration in services sector, expected turnaround in industrial growth, clearance of stalled projects, plans announced by the Government in the Union Budget to step up infrastructure investment and improvements in overall business climate would result in higher credit growth during 2017-18. The move towards a less cash economy will incentivize increased digital mode of transactions and the enactment of the national bankruptcy law are other significant factors which will help the progress of banking sector. The asset quality of banks is also expected to improve with the positive developments in the macroeconomic conditions.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK DURING THE YEAR 2016-17

Capital, Reserve & Net worth

The Authorized Capital of the Bank at present is ₹3000 Crore divided into 300 Crore shares of ₹10 each. At present, Government of India holds 70.33% Equity Share Capital of the Bank. The total paid up (equity share) capital of the Bank is ₹ 998.84 Crore. In March 2017 the Bank has allotted 6,62,85,025 equity shares of ₹ 10 each to GOI at a premium of ₹ 23.19 per share on preferential basis with total inflow of ₹ 220 Crore. For the year ended 31.03.2017, The total Reserves and Surplus is ₹ 7152.64 Crore. The Net Worth of the Bank increased from ₹ 6550.50 Crore to ₹ 6976.90 Crore this year.

Dividend

Taking into consideration the overall profitability, the Board of Directors has recommended a final dividend of ₹ 1.50 per share (15%), for the year 2016-17. The total amount of equity dividend including dividend tax for 2016-17 is ₹ 180.32 Crore.

Working Results

Net profit for the year 2016-17 increased from ₹ 382 Crore as on 31.03.2016 to ₹ 750 Crore as on 31.03.2017, by registering a Y-o-Y growth rate of 96.56%. The Operating Profit of the Bank has increased from ₹ 1549 Crore as on 31.03.2016 to ₹ 2421 Crore as on 31.03.2017, there by recording a growth rate of 56.32%. The Total Deposits of the Bank grew from ₹ 125441 Crore as on 31.03.2016 to ₹133012 Crore as on 31.03.2017. The Retail Term Deposits of the Bank increased from ₹ 44269 Crore as on 31.03.2016 to ₹ 47517 Crore as on 31.03.2017. The Gross Advances of the Bank increased from ₹ 90,765 Crore as on 31.03.2016 to ₹ 96821 Crore as on 31.03.2017. The Retail Advance of the Bank grew from ₹ 23,593 Crore as on 31.03.2016 to ₹ 29335 Crore as on 31.03.2017. The Total Business of the Bank grew from ₹ 2,16,206 Crore as on 31.03.2016 to ₹ 2,29,833 Crore as on 31.03.2017. The cost of deposits decreased from 7.34% in 2015-16 to 6.50% in 2016-17. The Net Interest Margin of the Bank improved from 2.27% as on 31.03.2016 to 2.77% as on 31.03.2017.

The trend in financial results of the Bank is as under

(₹ in Crore)

Sl. No.	Item	2015-16	2016-17	Annual increase (%)
1	Interest Income	12083.58	12379.46	2.45%
2	Interest Expenditure	9322.74	8873.02	-4.82%
3	Net Interest Income (1-2)	2760.84	3506.44	27.01%
4	Non-interest income	873.86	1651.26	88.96%
	i. Profit on sale of investments	182.41	768.99	321.57%
	ii. Other non-interest income	691.45	882.27	27.60%
5	Net Total Income (3+4)	3634.70	5157.70	41.90%
6	Operating expense	2085.82	2736.55	31.20%
	i. Staff Expenses	1246.97	1747.89	40.17%
	ii. Other operating expenses	838.85	988.66	17.86%
7	Operating profit	1548.89	2421.15	56.32%
8	Operating profit (excl. Treasury profit)	1366.46	1652.17	20.91%
9	Provisions and Contingencies	1167.07	1670.67	43.15%
10	Net Profit	381.80	750.48	96.56%

Important Profitability Ratios

Sl. No.	Item	2015-16 (%)	2016-17 (%)
1	Yield on funds	8.77	8.14
2	Cost of funds	6.77	5.83
3	Interest spread (1-2)	2.00	2.31
4	Yield on advances	10.52	9.89
5	Cost of deposits	7.34	6.50
6	Yield on investments (excluding RIDF)		
	excluding Trading Profit	7.60	7.65
	including Trading Profit	8.07	9.32
7	Other operating expenses to Average Working Funds	0.61	0.65
8	Cost-Income Ratio	57.39	53.06
9	Establishment cost to average working funds	0.91	1.15

Deposit mobilization

During the financial year 2016-17, CASA deposits of the Bank grew from ₹ 29,125 Crore as at 31.03.2016 to ₹ 37,398 Crore as at 31.03.2017, recording a growth rate of 28.41%, Y-o-Y. Out of CASA, Saving Bank deposits increased to ₹ 28,835 Crore and Current Account Deposits increased to ₹ 8,564 Crore, marking robust growth rates of 28.41% and 28.41% respectively. The percentage of CASA Deposits to Total Deposits improved from 23.22% as at 31.03.2016 to 28.12% as at 31.03.2017. The Total Deposits of the Bank grew from ₹ 1,25,441 Crore to ₹ 1,33,012 Crore as on 31.03.2017 and the Retail Term Deposit increased from ₹ 44,269 Crore to ₹ 47,517 Crore as on 31.03.2017, grew by 6.01% and 7.34% respectively.

Employees & Branch Productivity

Business per employee increased from ₹14.58 Crore as on 31.03.2016 to ₹15.51 Crore as on 31.03.2017. Business per Branch stood at ₹113.22 Crore as on 31.03.2017. Profit per employee improved from ₹ 2.62 Lakh as at 31.03.2016 to ₹ 4.79 Lakh as at 31.03.2017. Business per branch stood at ₹ 113.34 Crore as at 31.03.2017.

Branch Network

During the financial year 2016-17, the Bank has opened 170 branches across the country and merged one Corporate Banking Branch and one Special Micro Finance Branch taking the total network of branches to 2031. The Bank has 13 Extension Counters as at 31.03.2017. The Bank has opened 1 new Regional Office at Ludhiana, taking the total number of Regional Offices to 32.

Retail Credit

Retail lending continues to be the thrust area for credit expansion in view of its inherent advantages such as, risk spread, better yield and scope for cross selling of products.

The outstanding balance under retail credit reached a level of ₹ 29335 Crore as at the end of March, 2017 recording a growth rate of 24.34%. The retail credit portfolio accounted for 30.29% of the Bank's gross credit thereby surpassing the KPI (Key Performance Indicator) target of 29%.

Housing loan and vehicle loan portfolio recorded robust growth rates of 29.09% and 29.82% respectively with outstanding level Housing loans reaching ₹ 11306 Crore and Vehicle loans reaching ₹ 2714 Crore as at 31.03.2017.

Fresh sanctions during the year under housing loan amounted to ₹ 3848 Crore comprising of 22004 number of borrowers and ₹ 1391 Crore under vehicle loans comprising of 36529 number of borrowers.

Special Campaigns were conducted for various products during the year to create competitive spirit amongst the field functionaries and to garner more business.

New retail loan products viz., V-Combo Loan, Vijaya Home Loan Plus, V- Elite Home Loan and V-Auditor were launched during the year to cater to the requirements of target segments.

Under PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojna) - CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) - Housing for All scheme for Economically Weaker sections/ Low Income group, the bank has disbursed ₹ 23.71 Crore to 301 beneficiaries. Bank was recognized by HUDCO for its outstanding contribution under the scheme on 25.04.2017.

Education Loan

Utmost importance is given to extend education loans to deserving meritorious students. The Education loan portfolio grew by ₹ 239 Crore to reach a level of ₹ 1358 Crore as on 31-03-2017 recording a growth rate of 21.32%.

Performance under Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector:

Bank is giving thrust to the growth of MSME sector by launching innovative products in alignment with Govt. of India initiatives like Make in India, Start-up India, Pradhan Mantri Mudra Yojana, Stand-up India etc. During the year, the Bank launched two new MSME products 'V-Mudra Weavers' Card' & 'V-Cabs' to create employment generation and to meet credit needs of weavers' and taxi drivers.

The Bank is the first bank to sign MoU with SIDBI for co-financing/refinancing of loans under MSMEs. The Bank has reduced the lending rates for sanction of working capital to MSEs at 1 year MCLR rate under co-financing arrangement with SIDBI under this MoU.

In spite of reclassification of food processing units from MSME to Agriculture as per revised RBI guidelines and impact of demonetization, MSME advances recorded a growth rate of 6.69% with outstanding level reaching to ₹ 19811 Crore as at the end of March 2017. Outstanding advances under Micro and Small Enterprise (MSE) sector reached a level of ₹ 16126 Crore as on March 2017, recording 8.66% growth. The performance under Prime Minister's Task Force as at the end of March 2017 is as under.

Sl. No.	Particulars	Achievement as at March 2017
Target 1	60% of total lending to MSE sector as on preceding March 31st to Micro enterprises	54.25%
Target 2	10% y-o-y growth in number of Micro enterprises	13.55%
Target 3	20% y-o-y growth in credit to MSE Sector	8.66%

The Bank has successfully implemented the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) Scheme with a disbursement of ₹ 2067 Crore in FY 2016-17 covering 1.23 lac entrepreneurs as against target of ₹ 2300 Crore, thus achieving 89.86% of the target.

The Bank showed remarkable performance Under Stand-Up India scheme also with disbursement of ₹ 159 Crore to 858 entrepreneurs during the financial year which include 706 women entrepreneurs.

CREDIT EXPANSION

During the year, the Gross Credit of the Bank has registered a growth of 6.67% from ₹ 90765 Crore as at 31.03.2016 to ₹ 96821 Crore as at 31.03.2017, despite conversion of aggregate debt of ₹ 1246 Crore pertaining to DISCOMs into bonds under 'Ujwal Discom Assurance Yojana' of the Central Government. Considering the challanging economic environment, the Bank had been very selective in the approval of big ticket credit proposals. The Bank has put in place a perfect due diligence mechanism for screening of

credit proposals and implementing the guidelines received from Department of Financial Services, Ministry of Finance and Reserve Bank of India. In terms of extant guidelines from Ministry of Finance, the Bank is following Committee Approach for disposing credit approvals at Regional Office and Head Office levels. The Committees meet as frequently as possible to reduce turnaround time for credit decision.

The Bank has continued with its strategy to recruit professionals from CA/ICWA/CS/MBA streams during 2016-17 for ensuring qualitative credit processing.

Bank's Credit Department is accredited with ISO/ IEC 27001:2013 certification for Information Security Management system by British Standard Institute (BSI).

In tune with market trends, Bank has come up with various new loan products and also fine tuned existing ones to suit the needs of customers.

Large & Mid Corporate

The Bank's 14 new Corporate Banking Branches (CBBs) at different geographical locations has facilitated in exercising better control and supervision over large advances besides reducing turnaround time in the delivery of Corporate Credit. In addition, the Bank has SME branches spread across the country, catering to the needs of mid-corporate and SME clients by offering services including cash management, forex, treasury products, trade finance, deposits, retail banking etc.

Bank's Corporate/SME Banking Division offers an array of loan products and services such as, Term Loans, Demand Loans, Corporate Loan, Short-Term Loans, Working Capital Facilities (FB+NFB), Trade Finance Products, Bridge Loans, Syndicated Loans, Infrastructure Loans, Foreign Currency Loans, Loan Against Future Rent Receivables etc., to its corporate clients depending upon their needs.

The Bank has set up MSME cells at all important centres to improve the flow of credit to MSME sector. During the year, the Bank has strengthened the healthy business relations with several multinationals, domestic business houses and prime public sector companies.

The Bank has evolved a strategy to focus on well rated corporates, Government Undertakings etc. Accordingly a database of Government Undertakings has been created and provided to the field functionaries to establish a liaison and explore for a banking relationship with these entities.

During the year, Bank has attended the meeting of Committee on Subordinate Legislation, Rajyasabha held at Bangalore from 07.01.2017 to 09.01.2017 on the subject, 'Sustainable Structuring of Stressed Assets [S4-A] scheme.

During the year, Bank has consciously reduced its exposure to high value advances i.e. loans with sanctioned limit of ₹ 50.00 Crore and above by 8.69% compared to FY 2016 and focus was given to increase the exposure to loans with sanctioned limits up to ₹ 50.00 Crore which has gone up by 22.20% compared to FY 2016.

Infrastructure Finance

In view of the various challanges faced by the Infrastructure sector, Bank has adopted cautious approach while financing to this sector. However, good and viable projects are extended with necessary finance. Total outstanding infrastructure advances sector stood at 21.99% of gross advances and total exposure under infrastructure is well within the prescribed sectoral exposure cap of 32%.

Training in Credit Matters

With the retirement and elevation of earlier credit officers, the requirement for well trained credit officers has been felt by the Bank. In the above direction, in order to build a pool of trained credit officers in the Bank, Bank has initiated three months intensive credit training programme starting from 2015-16 to the Officers selected from different branches and controlling offices spread across the country. Similar exercises were conducted during the year 2016-17 also. During 2015-16, Sixty six officers and during 2016-17 forty four Officers were trained in the intensive training programme for credit.

Cancellation of Undrawn Exposure

In our efforts to enhance conservation of capital under the Basel-III Capital Adequacy Framework, the Bank is focussing on cancellation of large value undrawn

exposures. Such an approach will have a two-pronged effect, i.e., reduced capital allocation and availability of resources for investment in profitable ventures.

TREASURY AND INTERNATIONAL OPERATIONS

Treasury Department performs the crucial function of interacting with dynamic market forces, understanding them and transforming such understanding into profits for the Bank. Treasury provides crucial market inputs and insights to enable Bank to manage its market risk, liquidity risk and asset and liability mismatch.

Treasury maintains the statutory reserves of CRR and SLR prescribed by RBI, meets short term liquidity requirements of the Bank in domestic and foreign currencies effectively, manages the SLR and Non -SLR investment book of the Bank, trades in interest rate, equity and forex instruments, utilizes arbitrage opportunities available across markets and also provides crucial market related inputs in asset liability management of the Bank.

Treasury is functionally separated into Front Office, Back-Office and Mid-Office. Front office carries the dealing and borrowing / lending activities, while Back office carries out the function of accounting, valuation and reconciliation of front office transactions. Mid-Office monitors the dealing activities of Treasury to ensure that they are conducted as per laid down Investment policy and regulatory guidelines. To ensure independence in monitoring, mid-office, reports to Head of Risk Management Department.

A brief of the treasury operations during 2016-17 is given below:

Market Scenario:

Interest rate scenario was benign for the most part of 2016-17 with the rate cuts delivered by RBI, the accommodative stance of the monetary policy and the easy liquidity caused by de-monetization. The 10 year bench mark bond rate dipped to a low of 6.18% on 25/11/2016 from 7.46% as on 31st March 2016. The uncertainity about the Fed rate hike and RBI measures to suck the excess liquidity through incremental CRR as well as CMBs had paused the market in the range of 6.20% to 6.45% during the year. The change in policy stance by RBI in its February 2017 policy caused hardening of yields to a high of 6.90 - 6.95%. The market sentiments have improved during the later part of the year and with the improved FII flows, which has caused the 10 year bond yield to close at 6.69%.

Indian stock markets have touched all time peak during the year, fuelled by the domestic liquidity, Net FII flows and positive business sentiments arising, delivering a return of 18% during the 12 month period. The news of Brexit and Geo-political uncertainities as well as the lagging effects of demonetization have been taken a stride in the market.

Rupee witnessed a range of ₹ 66.40 to ₹ 67.50 againest the US Dollar till November 2016. However the Geo-political developements and the demonetization effect caused the rupee to crash down and touch a low of ₹ 68.80s, as USD climbed higher globally with market going to risk averse modes. Rupee claimed off its lows, and stayed in the range of 67.50 and 68.50 during December 2016 and January 2017 with the effects of Global Geo-political developements. Rupee was also aided by a lesser than expected hawkishness from US Fed. The Rupee closed at 64.85 as at 31.03.2017.

Investment Book

A sizeable chunk of Bank's resources are managed by Treasury, which is evident from the average investment deposit ratio of 35.89% during FY 2016-17.

The Investment book size increased from ₹ 42,178.12 Crore as on 31.03.2016 to ₹ 44,786.97 Crore as on 31.03.2017. SLR investments increased from ₹ 35,166.04 Crore to ₹ 40,057.39 Crore, while Non-SLR investments decreased from ₹ 7,012.18 Crore to ₹ 4,729.58 Crore during the period. The decrease in Non-SLR investments is mainly due to reduction in Special State Securities issued under UDAY scheme from ₹ 4,029.17 Crore as on 31.03.2016 to 1,414.98 Crore as on 31.03.2017

Average investment was ₹ 44,275.16 Crore in 2016-17 compared to ₹ 38,866.93 Crore in 2015-16.

Yield on Investments

Yield on investments during FY 2016-17 was 7.59%, compared to the yield of 7.60% in FY 2015-16. Bank has been able to maintain the yield on its investment portfolio, through a judicious selection of Gilts and

SDL in its SLR portfolio, as well as optimal mix of high yielding Special SDL and other bonds and debentures in its Non-SLR portfolio.

Interest Income from the Treasury Operations

Interest income from the Treasury operations increased from ₹ 2,955.23 Crore in FY 2015-16 to ₹ 3,359.09 Crore in FY 2016-17, commensurate with the increase in the investment portfolio.

Profit from the Treasury Operations

During 2016-17, the treasury profits witnessed a quantum jump of 268.64% vis-à-vis the previous year. Treasury profits of the Bank reached ₹ 794.71 Crore during the financial year from its trading activities in G-Sec, equity and forex desks, compared to ₹ 215.58 Crore during FY 2015-16. The Bank has taken full advantage of the benign interest rate scenario to churn its portfolio and achieve higher profits, while ensuring that the portfolio is resilient to the hardening of yields, to the maximum extent possible.

Dividend Income from Equity

The Bank has earned dividend of ₹ 2.82 Crore during the FY 2016-17 from its equity investments vis-à-vis ₹ 3.70 Crore in FY 2015-16.

Funding Activities

The average net borrowing during FY 2016-17 was ₹ 6,962 Crore at a rate of 6.27% compared to ₹ 4,315.83 Crore at a rate of 7.01% during FY 2015-16. The borrowing cost has come down due to the reduction in policy rates by 50 bps in FY 2017 as well as the liquidity influx from demonetization. In addition to leveraging its excess SLR portfolio, Bank was also able to borrow against its special SDL holdings, to raise resources from the money market at a cheaper cost, thus augmenting the bottom line.

CRR / SLR Maintenance

Bank has complied with the CRR / SLR requirements including the incremental CRR requirements imposed by RBI during the year.

Market Risk

The capital charge for market risk stood at ₹ 700 Crore as on 31st March 2017 with RWA at ₹ 8,750 Crore, vis-à-vis ₹ 586 Crore as on 31st March 2016 with RWA at ₹ 7,319 Crore. The increase is RWA is due to the increase in the investment portfolio.

International Banking

Bank's export credit registered a Y-o-Y growth of 4.65% and stood at ₹ 1649.22 Crore as at 31.03.2017. This growth has been registered in spite of global slowdown and slowdown in export growth of the country as a whole. Out of the above, quantum of export credit extended by the Bank in foreign currency was USD 37.99 million. As at March 31, 2017, foreign exchange business turnover of the Bank stood at ₹ 25144.25 Crore, recording a growth of 13.24% over the previous financial year.

Bank's total NRI deposits as at 31.03.2017 stood at ₹ 4015.22 Crore as against ₹ 3658.32 Crore as at the end of previous financial year, thereby recording a growth of 9.76%. During the financial year 2016- 17, the Bank has continued to extend 'Speed/Flash Remittance' facility to UAE Exchange Centre LLC, Al Ansari Exchange UAE, Wall Street Exchange, UAE and Al Bader Exchange, UAE to enable the NRIs from Gulf Countries to electronically remit funds to their account with our branches anywhere in India. In addition to the above, the Bank also has Rupee Drawing Arrangement (RDA) with Oman United Company LLC, Oman to facilitate rupee remittances to the accounts in India. NRI Customer Cell set up at Head Office, Bangalore is exclusively catering to the requirements of our NRI customers.

Bank has successfully upgraded various technological support systems by way of integration of process flow of forex transactions into CBS through DMS Software, enhancement in EDPMS Portal of RBI, implementation of IDPMS for capturing and monitoring import related transactions etc. Further, cyber security related issues in SWIFT operations have been addressed and made foolproof.

Besides catering to the entire forex business requirements of Pan-India based customers through Centralized Forex Processing Cell at Head Office with prompt and efficient delivery of transactions, department is also ensuring optimum compliance check in executing such complex and diverse nature of transactions.

ASSET QUALITY

The Bank continued its focus on maintaining quality assets along with thrust on preventing fresh slippages. The Bank has initiated and continued to emphasize various measures in this direction, including the following:

- Accounts showing signs of stress / likely default in dues are identified and treated as Special Mention accounts and are closely monitored. Wherever feasible, such assets are restructured on merits, with additional need-based credit limits considered in deserving cases. Viability studies are conducted in respect of SME accounts slipped to NPA and are brought under nursing wherever feasible within a time frame.
- Special Recovery Cells are formed at Regional Offices for systematic follow up of NPA accounts. Centres wherever Debt Recovery Tribunals (DRT's) are functioning, nodal officers are designated, who keep regular liaison with the presiding officer and the bank's advocate for speedy disposal of the cases.
- Declaration of willful defaulters and taking stringent recovery measures, including legal actions like Securitization and submitting the names to RBI are done.
- Services of Lok Adalats are resorted for speedy recoveries of impaired assets and 746 accounts were settled in Lok Adalats.
- Business Correspondents were engaged for recovery of NPA accounts under agriculture and priority sector in rural areas and recovery was made in 2632 accounts amounting to ₹ 11.46 Crore.
- Four Recovery Centres were established at Hassan, Hubli, Kalaburgi and Mysore with 1 Centre in Charge and 3 Recovery officers in each centre.
- All NPA accounts of ₹ 10.00 Lakh and above are reviewed by the Top Management through video conference with the Regional Heads and guiding them for the speedy recovery.
- As per the Recovery Policy of the Bank, 'Vijaya Adalats' were regularly conducted at various centres for speedy recovery involving a cluster of branches having large number of NPA accounts and accounts are settled in the Adalats on the spot. During the year, Bank could settle ₹ 146.79 Crore in 2504 accounts by way of settlements till 31.03.2017.
- The services of retired officials of the Bank/PSU banks are also engaged for recovery of the dues of the Bank as per the policy of the Bank.
- A special OTS scheme was devised exclusively for recovery of MSME sector NPAs which was in force till 31.03.2017.
- Appointment of Recovery Agents in respect of NPA accounts other than those covered under SARFAESI Act.
- Action initiated under SARFAESI was taken to the logical end either by recovery or upgradation of the account. During the year, Bank could recover ₹ 396.20 Crore in 2559 accounts till 31.03.2017.
- To speed up the recovery in small value NPAs, 10 recovery officers have been posted at identified centers with large number of NPA accounts.
- Special liberalised OTS Scheme for agricultural loans with sanctioned limits upto ₹ 5 Lakhs has been extended in the Financial year 2016-17 also and fresh Agricultural Loans are considered on merits to such farmers.
- The exclusive wing, NPA War Room which was started with 10 officials has been further strengthened to 13 officials for the effective follow up of soft as well as old NPAs.

The gross Non-Performing Assets of the Bank as on March 2017 stood at 6.59% of total advances, while net NPA ratio was 4.36% to net advances. During the year 2016-17, Bank could effect total cash recovery of ₹ 863.80 Crore (including interest) and upgraded NPAs amounting to ₹ 895.44 Crore. Further, the Bank also made provision of ₹ 2121.23 Crore for the unexpected defaults, apart from having a floating provision of ₹ 71.35 Crore as on March 31, 2017. The Provision Coverage Ratio (including PWO) as at March 2017 worked out to 58.15%.

RISK MANAGEMENT

Vijaya Bank has in place a well defined and robust Risk Management framework. The Risk Management function partners with the Business functions to ensure that capital is used efficiently while driving value, with an appropriate tradeoff between risk and returns. The Risk Management function is divided on the basis of principle risks defined under Basel II Guidelines i.e Credit Risk, Market Risk, Operational risk and Liquidity risk.

The Bank has implemented the New Capital Adequacy Framework as per the timelines prescribed by RBI. While the Bank, to start with, has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration method for market risk and Basic Indicator approach for Operational risk, the initiatives so far undertaken/ envisaged are geared towards enabling the Bank to comply with the standards set out for more advanced capital measurement approaches in the Basel guidelines. The Risk Management Department of the Bank has been bestowed with prestigious ISO 27001:2013 for best ISMS practices in Banking Industry.

As part of further strengthening of Risk Management, the Bank has introduced the following new initiatives during the financial year 2016-17.

- Bank leverages capital optimization techniques to align with the goals and risk profile of the Bank with a focus on Retail portfolios.
- Continuous Improvement in Coverage of Eligible Externally Rated accounts.
- Churning of low quality loan portfolio for better quality loan portfolio.
- Measures such as enforcing individual exposure ceilings for single and group borrowers, maintaining sectorial caps.
- Limiting exposures to stressed sectors.
- Risk Based pricing for loan accounts.
- External and Internal Validation of Rating Models for strengthening of rating models
- Sensitisation of field functionaries on Risk Management by means of Training and e- learning.
- Safeguard Banks assets by recommending for appropriate Risk Mitigation measures such as Insurance cover, new safety measures.
- Improvement of systems and procedures by deployment of corrective action plans.
- The risk measurement system is also put in place for all treasury related products i.e derivatives, equity, G-Sec, forex etc approved in treasury policy.
- The stress testing is regularly conducted for trading book as per stress testing framework of RBI and the bank has also created its own scenarios for stress testing as part of IMA guidelines of RBI.
- The backtesting is regularly conducted for all VaR models such as Historical Simulation Approach, Variance covariance approach and Monte Carlo Simulation Approach.
- Bank is in the continuous process of implementing Information Security and Cyber security practices by enforcing regulatory guidelines & international best practices to create more secure environment for customers.

Credit Risk

Bank has put in place a Comprehensive lending Policy as well as Credit Risk Management Policy which encompass various aspects such as risk appetite, risk based pricing, risk diversification / mitigation strategy, prudential limit, substantial exposure ceiling, group exposure ceiling, Rating wise exposure ceiling, preferred sector growth strategies, credit approval process, documentation and security standards, security valuation etc. These policies are revised periodically based on corporate goal and business plans of the Bank.

The stress tests for Credit Risk are carried out on half yearly basis which covers scenarios such as credit portfolio to stress like increase in NPAs, slippage of restructured standard accounts, downgrade in Counter-party rating, depletion in collateral, etc.

Further, Bank has put in place a comprehensive risk rating/ scoring system which serves as a single point indicator of diverse risk factors on the counterparty

and to facilitate execution of proper and consistent credit decisions. Bank has evolved separate risk scoring models for Housing /other Retail lending sectors and endeavors higher coverage in risk rating exercise. Rating migration analysis in respect of credit exposures of ₹ 1.00 Crore and above is conducted on half yearly basis. Bank is conducting risk rating of all retail and non retail loans by using CRISIL RAM software which is Basel II compliant. The software facilitates Bank to maintain the credit quality and also to support efforts of the Bank in translation towards advanced approach of Basel II by ensuring that prior to sanction of loans, all type of exposures is covered under risk rating process. Bank has taken the required initiatives to move towards FIRB (Foundation Internal Rating Based) approach in credit risk. In this regard, validation of the rating models has been done for credit risk and the Bank is in the process of calibrating the parameters for various risk grades.

Asset Liability Management (ALM) and Market Risk

ALM and Market Risk of the Bank is managed by the Asset Liability Management Committee (ALCO) and Market Risk Management Committee (MRMC) respectively. Appropriate tolerance limits have been stipulated for mismatches in different time buckets, both for managing liquidity and interest rate risks. These are being monitored at fortnightly intervals and also appraised to the Board of Directors.

The market risk exposure is measured by tools like VaR (Value at Risk), AGL (Aggregate Gap Limit), and Duration gap analysis. Exposure limits for all countries have been put in place to manage and monitor the country risk. Mid-office closely monitors the treasury transactions on regular basis to monitor compliance and advises for taking corrective actions.

The Bank has applied to RBI, seeking their approval to implement Internal Model Approach (Advanced Approach) for Market Risk.

The Duration Gap Analysis is implemented for assessing the possible impact on market value of equity (net worth) using 200 basis points shock on interest rate curve.

Interest Rate Risk on entire portfolio is identified and measured through Earnings at Risk (EAR). Sensitivity analysis is also conducted and reviewed by the top management. Contingency Funding Plans, Prudential Ratios / Limits have been set and actual position is monitored as part of Liquidity Risk Management. Stress Test on Interest Rate Risk, Liquidity Risk, Forex risk, etc on different scenarios are carried out on quarterly basis and appraised to Asset Liability Committee (ALCO). To monitor short term liquidity, the Bank is preparing the ALM statement of Structural Liquidity on daily basis.

The Funds Transfer Pricing, a new technology on transfer pricing mechanism, has been implemented for assessment of branch profitability in a scientific manner.

Bank is calculating Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Leverage ratio at prescribed intervals. Bank's Liquidity Coverage Ratio (LCR) stood at 160.47% as on 31.03.2017 against the minimum LCR of 80% as on 31.03.2017 and Bank's Leverage Ratio stood at 5.36% as on 31.03.2017 against the RBI's indicative ratio of 4.50%.

Operational Risk

Bank has put in place a well defined Operational Risk Management Framework to effectively identify, measure, manage and address Operational risks. The Bank has also put in place a framework required for implementation of The Standardized Approach (TSA). The governance of Operational Risk Management is monitored by Operational Risk Management Committee (ORMC), which reviews the operational risk loss event data, new products, processes and systems adopted by the Bank and provides suggestions for taking corrective/preventive measures to strengthen the internal system and procedures. In order to mitigate Operational risks, several thematic studies have been conducted for frauds committed in loan and deposit portfolios, so as to identify systemic deficiencies from Risk Management angle. Further, in order to move towards advanced approaches, Bank has put in place frameworks for Risk Control Self Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRIs). Bank has been taking steps to strengthen the RCSA and KRI by reviewing the same and improving the coverage area for management of Operational risk. The risk drivers and the root cause for operational risk loss events are identified and appropriate risk mitigation plans are

devised and informed to stakeholders for compliance.

The Bank is one of the founding members of M/s Cordex India Pvt Ltd, a loss data consortium formed under the aegis of IBA with the sole aim to enrich Bank's internal loss database.

The Bank has been permitted by RBI to assess Operational risk capital under The Standardized Approach (TSA) - (Parallel run w.e.f March 2015).

Basel-II & Basel III Compliance

In compliance with the RBI guidelines, Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration Gap for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. Bank has complied with Basel III norms and the overall Capital Adequacy Ratio as on 31st March 2017 stood at 12.73% (including CCB), which is above the minimum stipulated norm of 10.25% including Capital Conservation Buffer (CCB). Further, Bank has also complied with Basel II norms and the overall Capital Adequacy Ratio as on 31st March 2017 stood at 12.95%, which is above the minimum stipulated norm of 9%.

The Bank has formulated its Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy which is revised from time to time based on the modification in RBI guidelines, industry best practices and external validation of the ICAAP documents. The ICAAP Document is compiled and submitted to RBI on half yearly basis. The external validation for ICAAP framework is conducted and recommendation of the external agency is incorporated as part of the Bank's endeavor to leverage best practices in the Industry.

Integrated Risk Management System (IRMS) Project

In order to facilitate smooth and effective compliance of Basel-II norms, the Bank has taken up implementation of Integrated Risk Management System (IRMS).

The unique IRMS Project consists of six solutions, viz. Credit Risk Management (CRM), Market Risk Management (MRM), Operational Risk Management (ORM), Credit Risk Rating Solution (CRR) (Retail & Non-Retail), Asset Liability Management (ALM) and Funds Transfer Pricing (FTP) Solution.

As part of the implementation and ongoing awareness drive for risk management, Bank has identified nodal officers for 32 Regions who are instrumental in implementation of risk management initiatives. The nodal officers have been sensitized on various dimensions of risk management through train the trainer concept.

Basel III and Capital Adequacy

The Bank is well capitalized with a CRAR ratio of 12.73% under Basel III against a minimum regulatory capital of 10.25%. During the financial year 2016-17, the Bank has augmented its capital position by raising Additional Tier- I Capital of ₹ 325 Crore through Basel III Compliant Additional Tier I Bonds and by internal accruals has retained earnings (reckoned for regulatory capital) to the tune of ₹ 420.12 Crore. The Capital Adequacy Ratio improved to 12.95% (as on 31.03.2017) as compared to 12.90% (as on 31.03.2016) under Basel II norms. Further, the capital adequacy under Basel III has improved from 12.58% as on 31.03.2016 to 12.73% as on 31.03.2017. The relative components of the capital are furnished as under:

(₹ in Crore)

Basel III	31.03.2016		31.03.2017	
	Amount	Ratio	Amount	Ratio
Common Equity Tier I Capital*	6973.50	8.31%	7327.49	8.44%
Additional Tier I Capital	955.84	1.14%	1319.89	1.52%
Tier I Capital*	7929.34	9.45%	8647.38	9.96%
Tier II Capital	2621.07	3.13%	2404.11	2.77%
Total Capital*	**10550.41**	**12.58%**	**11051.49**	**12.73%**
Risk Weighted Assets	83883.21		86798.93	

* includes Capital Conservation Buffer (CCB) of 0.625% as on 31.03.2016 & 1.25% as on 31.03.2017.

NATIONAL PRIORITY

Priority Sector Lending

Total Priority Sector advances of the Bank stood at ₹ 40590 Crore as at the end of March 2017, constituting 41.34% of the Adjusted Net Bank Credit against the

RBI norm of 40%. Total Priority Sector Advances has increased by ₹ 2587 Crore over March-2016.

Agricultural Finance

Agricultural advances of the Bank as at March 2017 stood at ₹ 15632 Crore, constituting 15.92% of the Adjusted Net Bank Credit. Agriculture credit has shown y-o-y growth of 13.51%, with an absolute increase of ₹ 1861 Crore.

Kisan Credit Card Scheme

The outstanding level of advances under Vijaya Kisan Card (VKCs) stood at ₹ 2868 Crore through 160947 accounts as at 31.03.2017. The Bank's Kisan Cards are ATM enabled under RuPay platform.

Advances to Weaker Sections

As at March 2017, the outstanding weaker section advances of the Bank stood at ₹ 13149 Crore, which constitutes 13.39% of the ANBC against the norm of 10%.

Self Help Groups (SHGs)/Joint Liability Group (JLGs)

Bank has accorded top priority to lending to SHGs/ JLGs. Outstanding level under lending to SHG/JLG has increased from ₹ 682 Crore as at 31.03.2016 to ₹ 740 Crore as at 31.03.2017.

Bank is actively participating in implementation of Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) in coordination with various State Rural Livelihood Missions. Bank's advance under DAY-NRLM stands at ₹ 653 Crore benefitting 24150 Women SHGs.

Credit to Women Beneficiaries

Advances to Women beneficiaries stood at ₹ 9501 Crore as at March 2017 as against ₹ 7790 Crore as at March 2016, registering a growth rate of 22%. Against the stipulated target of 5% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC), the Bank's achievement stood at 9.68% of ANBC.

Lead Bank Scheme

Bank is having Lead Bank responsibility in three districts i.e. in Mandya, Dharwad and Haveri districts of Karnataka State. All the Lead District Managers have been effectively coordinating with all Bank branches in their Districts to ensure achievement of targets under Annual Credit Plan, Govt sponsored schemes, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), Financial Inclusion, Social Security Schemes, Digital Banking, Aadhaar Seeding, Direct Benefit Transfer Scheme etc.

Crop Insurance

Government of India has introduced Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) by replacing existing Crop Insurance schemes with reduced insurance premium. The Bank has actively participated in the Scheme during Kharif and Rabi 2016 Seasons and covered 111672 farmers under PMFBY.

Lending under Govt. Sponsored Schemes

The credit flow under various Govt. sponsored schemes is as under:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Schemes	No of beneficiaries	Loan amount outstanding as at March 2017
1	DAY-NRLM	24150	653
2	DAY-NULM	605	9
3	PMEGP	3211	140

Advances to SC / STs

Total advances to SC / STs stood at ₹ 2011 Crore as at March 2017, against ₹ 1747 Crore as at March 2016.

Credit to Minority Communities

Advances to Minority Communities stood at ₹ 5574 Crore as at March 2017, constituting 15.12% of total Priority Sector advances as against the Government norm of 15%.

VIBSETIs (Vijaya Bank Self-Employment Training Institutes)

The Bank has established Vijaya Bank Self Employment Training Institutes (VIBSETIs) at Mandya and Haveri in Karnataka state and at Indore in Madhya Pradesh. These Institutes have been conducting various vocational training / skill upgradation / awareness programmes / Entrepreneur Development

Programmes etc. All the three VIBSETIs have been graded 'AA', highest grading, for the year 2015-16 by Ministry of Rural Development (MoRD), GoI.

During the financial year 2016-17, VIBSETIs have conducted 98 programmes and trained 2734 beneficiaries. Since inception, totally 1548 programmes have been conducted benefitting 52461 beneficiaries. Settlement of trained candidates with gainful self-employment ventures is 69.41% as at 31.03.2017.

Vijaya Rural Development Foundation (VRDF)

Vijaya Rural Development Foundation (VRDF) was promoted by the Bank in the year 1990 at Mangalore to provide a platform for developmental programmes and conducting extension activities in rural areas promoting and fostering scientific, educational and extension activities in the field of agriculture, animal husbandry, Rural industries, services etc and also other rural development fields like literacy, self-employment, health & hygiene. VRDF has been conducting various awareness programmes covering a wide range of subjects through the Village Development Councils (VDC). At present, 44 such VDCs are functioning under VRD including 10 VDCs formed during FY 2016-17. The activities of the Foundation are spread over Dakshina Kannada, Udupi, Kasargod and adjacent parts of Uttara Kannada district and to Haveri, Dharwad and Mandya, where the Bank has Lead Bank Responsibility.

During the financial year 2016-17, VRDF has conducted 266 programmes benefiting 13371 persons. Apart from Free Health camps, Scholarship to meritorious students, Training on cultivation aspects of various crops and animal husbandry activities etc., the following novel programmes were conducted during 2016-17.

- Preparation of Arecanut plates, which gave lot of appreciation from farmers and VDC members.
- Programmes on Soil testing and recommending the nutrients for the particular soil/crop which is in tune with Prime Minister Soil Health Card Scheme.
- Arranged Radio classes to 10th Class rural school students in Mathematics, English and Science through Akashavani Mangalore, wherein sessions were taken by expert teachers in the field, which is well received by the students of rural schools. VRDF has provided 100 radio sets to rural Government schools.
- Formed 25 "Future Farmers Clubs" to encourage the students to take interest in agriculture and allied activities, totalling to 50 "Future Farmers Clubs". Training on Dairying, Honey bee rearing, Mushroom Cultivation, Farm Mechanization etc., were imparted for these students.
- Distribution of vegetable seeds to students and VDC members.

FINANCIAL INCLUSION

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) was launched by the Hon'ble Prime Minister on 28.08.2014 with the objective of bringing all unbanked households/ families of the country into banking fold by providing them with Basic Bank Accounts, RuPay cards with accidental insurance coverage of ₹ 1.00 Lakh, life insurance coverage of ₹ 30,000/- and overdraft facility up to ₹ 5000/- based on the satisfactory transactions in the account. Bank has been allotted with 1151 Sub Service Areas comprising of 3410 villages and 432 wards on a Pan India basis to provide banking facilities. Bank has provided Banking Facilities to these villages through 289 branches and the remaining through Bank Mitras (Business Correspondent Agents). Bank has conducted household survey in all allotted SSAs and Wards and covered all the households with at least one bank account.

As on 31st March 2017, Bank has opened 14.90 Lakh Basic Savings Bank Deposit accounts under PMJDY with a total savings of ₹ 191.41 Crore and all the account holders are provided with RuPay debit cards. Aadhaar numbers have been seeded in 12.93 Lakh accounts. Bank has sanctioned Overdraft facility to 6107 PMJDY account holders amounting to ₹ 104.81 Lakhs.

Highlights of the financial inclusion activities are as under:

- E-KYC has been enabled in all the branches and also in Hand Held Machines/Micro ATMs.
- Automation of Overdraft facility to PMJDY account holders has been enabled in all the ATMs of the Bank.
- RuPay card Off Us transactions has been implemented at all the BCA Locations.
- All Micro ATMs are interoperable.

- Cash receipt to SB accounts from third parties without biometric authentication by the account holders has been enabled in all the HHMs/Kiosks
- The Bank has deployed Bank Mitrs in all the 882 locations thus achieving 100% deployment.
- Bank Mitrs are trained and certified by IIBF/In-house under capacity building

Aadhaar Seeding Campaign in New Savings Bank Accounts

The Bank has launched a campaign during the financial year for seeding of Aadhaar number. The progress achieved is summarized as under:

Parameter		Aadhaar seeding					
		March 2016		March 2017		Progress	
		Absolute Nos	% of seeding	Absolute Nos	% of seeding	Absolute Nos	% of seeding
1)	Operative PMJDY Accounts	894523	64	1293934	88	399411	24
2)	Operative SB Accounts in Union territories	174662	51	250784	72	76112	21
3)	All operative SB accounts	2679112	29	6484741	62	3805629	33

Financial Literacy

The Bank has set up **"Vijaya Financial Literacy Trust"** (VFLT) on 20-11-2015 with the objective of imparting literacy to all the Urban & Rural masses regarding financial matters. The Bank has opened 3 new Financial Literacy Centres (FLCs) totaling to 18 FLCs which are managed by the counsellors who are retired experienced Bankers.

To create awareness on 'Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana' in Rural and Urban areas, Bank has prepared an Audio Film in regional languages for screening at account opening camps and other literacy programmes. Financial literacy materials in regional languages are also provided to branches to impart financial literacy to PMJDY account holders and other rural and urban masses.

Imparting of financial literacy in schools has been introduced under School Bank Champ Project of IBA, wherein 431 schools have been mapped with branches in rural areas. Under the Pilot project of DFS, financial literacy is imparted to students in 51 schools of three states-ie Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat. Bank is actively participating in promoting social security schemes, such as Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Atal Pension Yojana (APY). FLCs are also participating in Finanacial literacy camps at ITI s and Skill centers.

Direct Benefit Transfer

Bank is actively implementing the modified DBTL programme of Govt. of India, by seeding Aadhaar number of LPG consumers into their accounts. SMS alerts are also sent to all the customers regularly for seeding Aadhaar numbers into their accounts through various modes.

Electronic Benefit Transfer

Bank is disbursing Social Security Pensions / MNREGA amounting to more than ₹ 8.00 Crore per month to more than two Lakh beneficiaries in Mandya District through Bank Mitrs under "One District One Bank Model" scheme.

INFORMATION TECHNOLOGY

The Bank is always in forefront to offer its products and services to the customers based on latest technology. This helps the Bank to increase the customer experience and satisfaction. During the financial year 2016-17, the Bank has introduced / upgraded its product and services as per the latest available technology. The Bank's instinct to adopt technology and to offer latest products and facilities to customers helps the Bank to stay competitive in the industry. The following are some of the IT based main initiatives taken by the Bank during the year.

Internet Banking

The Bank has upgraded its internet banking, V-Net Banking and it is now responsive i.e. it can be seamlessly used on laptop, mobile or any hand-held device. V-Net Banking is providing services like balance enquiry, account statement, intra-bank and inter-bank fund transfers through RTGS/NEFT/IMPS, transactions related SMS alerts, payment of Indirect / Direct taxes, State commercial Taxes, utility bill payments, online temple donations & online donations to Prime Ministers Relief Fund (PMRF) and others. The add-on features of V-net banking are:

- Online FD/RD account opening.
- Password can be reset online.
- Creation of User-id and Password credentials online.
- Customers can view their PPF account and transfer funds to PPF Account from their linked operative accounts using V-Net Banking facility.
- Customer can View their Vijaya Bank Credit Card statement.
- Customer can pay Import & Export custom duties.
- Customer can prefer the language i.e., Hindi/ English.
- Online Trading in Co-ordination with IDBI Capital.
- Corporate V-Net Banking users have the facility of Bulk / Salary upload.
- Customer can choose Software / Hardware Token to secure the V-Net Banking transactions.
- Customer can perform e-filling of the income tax returns filed.
- Customer can block and unblock V-Net banking by sending SMS to NETB / NETU.

Mobile Banking

Mobile Banking services were introduced by the Bank in the year 2009. V-Mobile Banking, the channel of the Bank for performing banking activities like balance enquiry, account statement, mobile recharge, intra and interbank funds transfer using NEFT, Mobile Recharge, DTH recharge etc., with their mobile handset using GPRS mode of communication. "Immediate Payment Service" - IMPS (P2P-Person to Person), an initiative from NPCI (National Payment Corporation of India) has been implemented for the benefit of the customers using Mobile Banking services to perform the transactions 24x7 within and across the banks using beneficiary's mobile number and MMID (Mobile Money Identifier). IMPS (P2A - Person to Account) is implemented in Bank's existing Mobile Banking services, wherein the customers can do funds transfer using beneficiary's A/c No. and IFSC.

The Bank has launched new version of Mobile Banking with enhanced look and feel, and additional features like facility for customers to receive notifications from the Bank, add remarks to fund transfer transactions, to generate application password by themselves, and a host of other customer friendly options. The mobile banking is made available in bilingual (Hindi & English).

The Bank has also enabled both the options of IMPS merchant payment i.e PUSH and PULL. Bank's Mobile Banking offers the facility to do online merchant payment on any biller site under IMPS options using their MMID, Mobile Number and OTP.

Missed Call Services (FreeBuzz)

Bank is providing missed call services to the customers and enable them to know the account balance and mini statement. The ease of giving missed calls with zero charges provides a huge advantage to the customers.

V-Fee Hive

Bank's in-house software development team has developed a unique application for collection of fees for Educational Institutions, collection of monthly maintenance fee by Apartments and collection of fees by Clubs, etc. It is equipped with unique features like integration of other payment channels like debit card, credit card and internet banking. Prestigious institutions like IIM-Calicut, Army Public School- Delhi, Yenepoya College- Mangalore and Mount Carmel College - Bangalore are availing this service. The application was implemented for various new institutions in the year including Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University Uttar Pradesh, MSRIT Bangalore, Motilal Nehru National Institute of Technology and Vasavi Pearl Apartment.

V-epassbook+

The Bank's in-house software development team has developed mobile application for accessing account details / to view transaction details. The application is loaded with additional customer friendly features like facility to add notes to each transaction, facility to maintain various personal account heads and to add pass book transactions to these accounts on a single click, etc. A Page with latest offerings and information like interest rate of the Bank with links to reach the website of the Bank and facility to refer us to a friend is also available in this application. New version of the software V-ePassbook+2.0 with attractive features like reset of password online, maintain financial calendar, locate our branch/ATMs, display details in Hindi/Kannada languages etc. released during the current year.

SMS alerts/e-mail

The Bank also offers SMS alert service. Messages are sent for all transactions of ₹ 1 and above and when cheques are returned with, irrespective of the amount. Monthly statement of account through e-mail to account holders who have registered the e-mail ID has been implemented. Transaction alert mails are also now being sent to the registered email ID of the customer with a copy to branch and corresponding regional office while opening or closing deposits of ₹ 1 Crore and above.

SMS alert facility is also used for

- Adding beneficiaries in V-Net Banking through SMS - OTP(One Time Password).
- Online Resetting of Password in V-Net Banking SMS - OTP.
- Self User Creations for Retail Customers using SMS - OTP along with other security features.
- Advisory SMS/mails to customers
- SMS to deposite holders about closures

V-GyanSagar

V-Gyansagar is an unique initiative by the Bank to impart financial information to the public as part of financial literacy. V-Gyansagar is an Android mobile application which provides the subscriber a facility for getting daily updates on Financial, Economic and Banking news and also explanation of Financial and Banking terms.

V-Abacus

A facility to open account by giving a missed call and opening of account through Tab Banking was implemented.

This will be useful for the customers who could not come to branch and open an account.

V-QuickPay

V-QuickPay is an unique initiative of the Bank and is the next generation bill payment service where the Bill payment is made by scanning of QR code. Customer has to scan the QR code on the Bill generated by the merchant who has availed this facility from us, and proceed with the payment of the bill without having to swipe the Credit/Debit card on the POS machines. It facilitates Payment by way of Credit and Debit Cards and also net banking of any Bank. This product introduces a new bill payment channel, hitherto not provided by any Bank in the Indian Banking Industry.

V-Online SB a/c

An option to open online SB account was introduced through the Bank's website 'WWW.VIJAYABANK.COM' Customer has to choose account opening at his/her place of choice and at his/her convenience. Branch receives an automated mail with regard to the customer's request; branch will call the customer and inform the required documents and procedures. Customer will visit the branch on his/her chosen date and submits the necessary documents and opens the account.

VIJAYA UPI (Unified Payment Interface)

UPI is a system that powers multiple bank accounts into a single mobile application (of any participating bank). UPI was launched on 26th August 2016, we have the UPI enabled Apps on Google Play store.

Some of the features of UPI are:

- Immediate money transfer through mobile device round the clock 24*7 and 365 days.
- Single mobile application for accessing different bank accounts.

- Single click Two Factor authentication.
- Virtual address of the customer for Pull & Push provides for incremental security, customer need not provide the account number, IFSC, card details etc,.
- One single App for Multiple Bank Accounts.
- Vijaya Bank or Non Vijaya Bank customers can send money or ask for money using the Vijaya Bank UPI app, without knowing their bank account details.
- Transfer funds to a Virtual Payment Address (VPA).
- Option to send money using Account No/ IFSC or Mobile Number/ MMID (Mobile Money Identifier)
- Add beneficiary instantly by just using Virtual Payment Address (VPA). No need to remember or enter the bank account number and IFSC
- Check balance of linked bank accounts.
- Request money from anyone using the sender's Virtual ID.
- Customer can freely share the UPI financial address with others without fear of misuse.
- Customer can choose to create multiple virtual addresses for multiple accounts across banks.
- PAY and collect using IMPS.
- Fund transfers are instant, 24*7, 365 days and absolutely free of cost and take place in a completely safe and secure way.
- Scan N Pay (QR based payment solution) to receive and send money.
- View Transaction History.
- Log App related grievances / complaints.

VPAYQWIK

The Salient features of the V-PAYQWIK, mobile wallet application, are:

1. **One-Stop Mobile Wallet App:** VPAYQWIK is a complete mobile payment wallet which is one-stop destination for shopping, quick mobile recharge station, anytime bill payment solution, instant ticket booking app and lot more.
2. **Mobile Topup features:** Mobile Topup of Prepaid, Postpaid and Data Card are available.
3. **Bill Payments:** DTH Recharge, Landline Bill Payment, Electricity Payment, Gas Bill Payment and Insurance Payment.
4. **Travel Features:** Bus Tickets, Air Tickets (Domestic and International Airlines), Hotel Booking, Car Rentals, Holiday Packages Bank Transfer.
5. **Miscellaneous Features:** Send Money, Quick Pay, Coupon Redemption, Request Money, Invite Friend, Reward Points and many more.
6. **VPAYQWIK** offers various coupons, deals and offers to make payment experience rich every day. Online recharge and bill payment service provides reward points, which is a lucrative cash back and discount offer.

V-eConnect+

V-eConnect+ is a single app which aggregates various e-products of the Bank. This app acts as an entry point for customer to know about and use various online products. Customer can access all 7 mobile apps, internet banking & websites, 2 Missed Call Services, 5 Social Media Sites and 5 unique features through this single app. If the customer has not availed e-products, this will guide the user to install and make use of it. This app is available in three languages - English, Hindi & Kannada.

V-eConnect+ offers following features

- Quick Links to all Mobile Apps
  - √ V-Mobile Banking
  - √ V-ePassbook+
  - √ V-PayQwik
  - √ Vijaya UPI
  - √ V-GyanSagar
  - √ Vijaya *99#
  - √ VNet Banking Soft Token [Nexus]

- Quick Links to all Websites
  - √ VNet Banking
  - √ Corporate WebSite
  - √ Rajbhasha Website
- Missed Call Services
  - √ Mini Statement
  - √ Balance Inquiry
- Net Banking
  - √ Enable/Disable NetBanking
- Debit Card
  - √ Hotlisting Debit Card
- Rates
  - √ Forex
  - √ Deposit
- Social Banking
  - √ Facebook
  - √ Twitter
  - √ LinkedIn
  - √ YouTube
  - √ Instagram
- Locate Us
- Calculators
  - √ Deposit
  - √ Loans
- Holidays
- About us & Contact Us

Internal Control

The Bank has well documented policies like IT & IS Security, Internet Banking Policy, IT Procurement Policy, Internet usage Policy, e-mail policy, Business Continuity Policy, Disaster Recovery Policy, Outsourcing Policy etc. covering wide range of functions at the field and administrative levels. Adequate controls are also built in to mitigate the risks associated with each of the activities. IT policy and IS policy was revised during 2016-17. Separate policies have been brought out for Incident management, Vulnerability and penetration test as part of IS Security policy.

Security Operation Center

Bank established Security Operation Center with Security Information and Event Management Solution (SIEM) & Correlation tool, to help the Bank in blocking / mitigating the attacks procedurally. Bank has finalized the Common procurement process for 9 Public Sector Banks for implementation of SOC as per the new initiative of GOI under common RFP and the project has been successfully completed. As a Part of this project, Bank has procured the below solutions to strengthen the Security Infrastructure.

1. Web Application Firewall
2. Database Activity Monitoring Solution
3. Network Behavior Analysis Solution
4. Privileged Identity Management Solution
5. Anti- Advanced Persistent Threat Solution
6. IT Governance, Risk & Compliance

NACH (National Automated Clearing House)

National Payments Corporation of India (NPCI) has implemented “National Automated Clearing House (NACH)” for Banks, Financial Institutions, Corporates and Government a web based solution to facilitate interbank, high volume, electronic transactions which are repetitive and periodic in nature. The Bank has implemented Automated Process for generation of Aadhaar-Mapper and OMC DBTL (Option-2) files for NACH Project.

Disaster Recovery

The Bank has implemented Integrated Human Resources Management System, Integrated Treasury Management System and Integrated Risk Management System and are integrated with the Core Banking System. ITMS project has met all the objectives with the setting up a DR in Mumbai. HRMS has also met most of the objectives with setting up a DR set up in Mumbai.

Software Token

The Bank has introduced Software token as an additional mode of two factor authentication [2FA]. Soft token is a mobile application which generates one time password (OTP) in lieu of SMS OTP, for authenticating transactions in Vijaya Bank Internet Banking. It generates OTP instantaneously and eliminates the need for SMS OTP. The mobile application is PIN protected to prevent its misuse by unauthorized person possessing your mobile.

Hardware Token

Bank is providing Hardware Token to high valued corporate customers, who can generate the OTP on the Hardware Token by just a click on the button. The OTP can be used for beneficiary addition, fund transfer etc.

Toggle V-Net Banking

The Bank always trying to add security features to its digital banking products for the protection of the customer without compromising on the simplicity of its usage. Toggle V-Net banking introduced to provide the facility of disabling and enabling of Internet banking (V-Net banking) from customer end point. This facilitate the customer to lock his internet banking facility from its V-Connect+ app available on the mobile of the customer.

USSD-NUUP

Availing some of the basic banking services provided through Mobile Banking was beyond the reach of the people who did not possess a high end handset. Now NPCI's Unstructured Supplementary Services Data (USSD) - National Unified USSD Platform (NUUP) offered by Telcos has been exploited by the bank to give mobile banking services even on a basic mobile phone, making Mobile Banking accessible to all customers. In order to make more user friendly we have added two keyword by which anyone can access i.e. VIJB or VJB. Generation of OTP has also enabled for IMPS Merchant payment.

***99#**

With the joint initiatives of Government of India, RBI, Banks and NPCI; an USSD based mobile banking service (*99#) was launched on 28th August 2014. *99# is a common number across all Telecom Service Providers (TSPs) that facilitates both financial (Instant Money Transfer) & non-financial (Balance Enquiry, Mini Statement etc.) transactions through an interactive menu displayed on the mobile screen.

NPCI has also enabled string based dialing which will allow our customers to perform the specific transaction directly. Options available are

- Account Balance
- Mini Statement
- Send Money Using MMID
- Send Money Using IFSC
- Show MMID
- MPIN
- Generate OTP

Bank's Multimodal Code is *99*64#, our customers can dial the following strings for availing financial and non-financial transactions under *99# service:

- *99*64*1# for Balance Inquiry
- *99*64*2# for Mini Statement
- *99*64*3# for Fund Transfer - Using Mobile No. & MMID
- *99*64*4# for Fund Transfer - Using Account No. & IFSC
- *99*64*6# for Know MMID
- *99*64*7# for Change M-PIN
- *99*64*8# for Generate OTP

The Bank launched Vijaya *99# <Vijaya Bank specific android application> which will act as an additional channel for banking transactions on USSD network without the usage of data packets. The Bank has also enabled set MPIN option through *99#.

Following Features are available in Vijaya *99# app

- Manage Account
    - o Account Balance

- o Mini Statement
- o Show MMID
- o Change MPIN

- Send Money
  - o Select Beneficiary
  - o New Beneficiary using account no or mobile no
- Aadhaar & OD Status
  - o Aadhaar Linked Account Status
  - o PMJDY A/C Overdraft Status
- Others
  - o Generate OTP
  - o Change App Login

ATMs

To reach out its vast expanding customer base and geographical area, the Bank has opened 350 new ATMs during the year 2016 -17 at various parts of the country, recorded a Y-o-Y growth rate of 130% compared to the last financial year. With this the total number of ATMs increased to 2001 as at the end of March 2017. During demonetization all the existing ATMs of the Bank were calibrated for new currency denominations in short span of time and worked with maximum uptime/availability. This has helped the public in a big way as there was cash shortage across all Bank's ATMs in the country. This initiative also helped the Bank to attract other bank's customer to Vijaya Bank and increased Bank's Acquirer (Other Bank Customers in Vijaya Bank) transactions base. Post demonetization, Bank procured mobile ATM Van and made it operational which is successfully catering to customer's cash requirements at public places, like exhibitions, Melas (e.g. Digital Dan Mela) etc. in and around Bangalore city and nearby towns. This service is offering high level of flexibility to serve the customers.

Bank took one step ahead of its peer banks in helping for a social cause by sharing ₹ 0.50 for every successful financial transaction towards the CSR activities of the bank which added one more fine reason to choose our bank ATMs by public. This helped to increase bank's brand name and image in the public. To increase the efficiency of ATMs by reducing cost and operational time of ATMs per customer, all Onsite ATMs have been brought back from CRA (Cash Replenishment Agency) to the base branch making the corresponding ATMs as profit centre. The bank also take care to maintain good ambience at all its ATMs by keeping it clean & neat with all necessary guidance for customers and with necessary security measures which helps to increase the customer experience.

RTGS & NEFT Services

Having brought all branches under Core Banking Solution, RTGS and NEFT services are available to the Bank's customers from all its branches. Since STP has been enabled in RTGS and NEFT, the customers can enjoy the benefit of immediate inter-bank and intra bank fund transfer facility. The centralized payment systems, viz. Real Time Gross Settlement System (RTGS) and National Electronic Funds transfer (NEFT), currently provide for only direct membership. It has been decided by the RBI to expand the sub-membership route to enable all licensed banks to participate in NEFT and RTGS systems. The sub-member/s would participate in the centralized payment systems through their sponsor bank which is a direct member of the centralised payment system. Bank has entered into an agreement with Shimsha Sahakara Bank Niyamitha, Maddur and Lokapavani Mahila Sahakari Bank, Mandya for using our RTGS/NEFT services as sub-members.

IMPS

IMPS is an emphatic tool to transfer money instantly within banks across India through mobile, internet etc which is not only safe but also economical both in financial and non-financial perspectives. This service is available 24x7, throughout the year including Sundays and any bank holiday. IMPS system allows customers to carry out transactions through mobile and internet banking, the same is being offered through V-Mobile and V-Net Banking to all customers.

Merchant Enrolment:

In line with the move for digitization, the Bank has enrolled large number of merchants and installed 4343

PoS machines during the year. The total number of PoS Machines installed at the end of the financial year 2016-2017 stood at 5774 as against 1370 machines in 31.03.2016. The Bank is also providing cordless card swiping machines and the terminals are EMV/UKPT/ TLE compliant. All PoS machines of the Bank are Aadhar enabled.

Credit Card

At the end of the financial year, the total cards issued by the bank stood at 49098. The Credit Card turn over for 31.03.2017 is ₹ 993.49 Crore as against the turnover of ₹ 585.64 Crore in the previous year, recording 70% growth. All the new cards being issued by the Bank are chip based credit cards for additional security.

To provide better & value added services to cardholders the credit card systems were migrated from the legacy system to a new system which also facilitates viewing of card transactions, and generation of Green pins at any time through a dedicated portal.

Debit Card

The Bank is issuing Debit Cards in association with both VISA & RuPay. In order to express our support to the Make in India campaign of Govt. of India, the Bank has taken a conscious decision to promote RuPay Debit Cards, a brand of National Payments Corporation of India (NPCI) amongst the Bank's customers. Bank is also issuing RuPay Platinum Debit Cards to it's high net worth customers and is also in the process of launching RuPay International Platinum Debit Cards.

The Bank has also launched General Purpose Re-loadable Prepaid cards to cater to the requirements of it's customers.

The Bank's Debit Card & Prepaid Card Business has increased by 87.75% in FY2016-17 as against the previous financial year FY 2015-16. The Demonetization Policy and the Digital India project of Govt. of India has contributed to a great extent in increasing the Debit Card & Prepaid Card business of the Bank.

There has been considerable increase in the number of Debit Cards during FY 2016-17. The details of debit cards issued in the financial year 2015-16 and 2016-17 are as furnished below.

Debit Cards Issued	FY 2015-16	FY 2016-17
Total Debit Cards Issued during the financial year	10,76,029	14,46,281
Debit Cards issued to PMJDY accounts	60,144	57,556
Total number of debit cards excluding those issued to PMJDY accounts	10,15,885	13,88,725

Internal Inspection & Control System

The Bank has a well-defined Internal Audit Policy covering Risk Based Internal Audit (RBIA), Concurrent Audit, Information System Audit, AML/ KYC Compliance, etc. The Audit Committee of Executives and the Audit Committee of the Board oversee the internal audit and control functions and guide the Bank in developing and implementing effective systems with positive and timely interventions.

The Regional Inspectorates examine adherence to the laid down Systems, Internal Controls, Policy and Procedures by branches and offices in accordance with statutory and regulatory requirements. During 2016-17, RBIA was conducted in 1437 branches / units and 84% of the audited branches have secured "Low Risk".

RBIA is supplemented with Concurrent Audit of special branches and high risk areas on a continuous basis. During the year, 492 branches / offices, encompassing 80% of Bank's business, were covered under Concurrent Audit against 50% stipulated by RBI.

Information Security Audit of all service branches and Retail Asset Central Processing Centres (RACPC) was conducted by CISA qualified officials. Performance evaluation of 27 outsourced service providers was carried out by the staff of the Bank. Besides, audit of 9 outsourced financial activities was also carried out by the concurrent audit firms having CISA / DISA qualified chartered accountants. Bank has also introduced a system of Sustenance Audit to strengthen oversight and improve checks and balances. During the year, Sustenance audit was conducted in 184 branches. Further, surprise inspection was conducted in 129 branches.

Web Based Audit (eRBIA):

During the year 2016-17, the Bank has implemented web based audit (eRBIA) with effect from 1st October 2016. Under e-RBIA, the entire audit process such as audit planning, allotment of branches to Internal Auditors, fixing of mandays, actual conduct of the audit, scoring matrix under Business, Control & Composite Risks, Risk Rating of branches, preparation of detailed RBIA Report, identification of account-wise deviations & deviation-wise accounts, preparation of synoptic report, rectification of comments, submission of Final Rectification Certificates (FRC) are made system-driven. This will also ensure very high data / audit integrity and significant reduction in mandays. Since the Web Based Audit is an on-line audit, the audit observations can be viewed by all concerned on a real-time basis for immediate spot rectification of comments. Hands on training for all the Branch Heads, ABMs and officers handling inspection department at RO level have been imparted on eRBIA

Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (AML) and Combating of Financial Terrorism (CFT)

Bank has formulated a comprehensive policy on KYC, AML and CFT with an objective of preventing the Bank from being used by unscrupulous elements for money laundering or terrorist financing activities. Procedures and systems have been put in place to ensure that no account is opened in anonymous / fictitious names or by persons with a criminal background and/ or having connections with terrorist organisations. A 'Quick Reference Guide to Know Your Customer Norms' has been brought out to ensure that procedural requirements are adhered to for opening/ operations in accounts.

The bank has launched e-learning portal wherein detailed interactive session on KYC/AML is also included with FAQs to enhance the knowledge levels of the staff. Implementation of KYC norms and AML guidelines is being checked by Internal Inspectors. Concurrent Auditors and Field Vigilance Officers, visiting Executives, ex-staff members and Decoy customers. System generated reports are submitted to Financial Intelligence Unit - India (FIU - IND) as per the prescribed periodicity.

Central KYC Records Registry (CKYCR)

The Bank has taken steps to implement Central KYC Records Registry (CKYCR), wherein KYC details of all individual customers are captured and uploaded to CERSAI along with the scanned copies of address proof, id proof, photograph and specimen signature and 14 digit unique CKYC identifier number will be given to the customer.

Control Unit

The Control Units at Head Office and all Regional Offices monitor customer transactions under 82 major alert indicators. Workshops on Control and Review Mechanism were conducted during the year at all Regional Offices to sensitise the officials at branches and for Nodal Officers of Control Units of all Regional Offices.

Control Unit Reports Portal

Bank developed 82 various reports for the Offsite Surveillance Cell of Internal Audit & Supervision Department where the Cell can generate the required reports depending on the periodicity specified to identify the frauds at early stage and income leakage.

Fraud Monitoring Cell

Bank has an independent Fraud Monitoring Cell, which is functioning as per the RBI guidelines on Frauds Classification and Reporting. During the financial year, 61 frauds amounting to ₹ 132.71 Crore were reported to RBI. All frauds involving ₹ 1.00 Lakh and above are systematically analysed in terms of modus operandi and system lacuna, if any, and reports are submitted to the RBI in time. Police / CBI cases are filed in respect of all such fraud cases. Fraud cases involving ₹ 1.00 Lakh and above are placed before the Board and Board instructions / guidelines are implemented. Quarterly review of fraud cases is made by the Audit Committee of the Board. A review of large value frauds of ₹ 1.00 Crore and above is placed before the Special Committee of the Board at periodical intervals. Latest position / progress in all the fraud cases are reported to RBI on quarterly basis. Periodical guidelines / instructions are issued on fraud prevention measures and system improvements.

Vigilance

The Vigilance Department at Head Office is headed by Chief Vigilance Officer of the rank of Executive Director who is presently on deputation from Punjab & Sind Bank. The Vigilance Department oversees all vigilance functions of the Bank as per the guidelines given by Central Vigilance Commission. In addition, Vigilance Department carries out random vigilance inspection of branches and Controlling Offices, concentrating on preventive vigilance through Field Vigilance Officers stationed at Regional offices. All efforts are made to plug the loopholes in the existing systems to prevent recurrence of similar frauds and to strengthen the preventive vigilance.

In-house software has been developed and implemented during the year by the Bank with effect from 16th August 2016. It enables the Field Vigilance Officers to submit their random vigilance inspection reports online. This has considerably reduced the time of submission of the reports by the FVOs, besides processing time at Vigilance Department and communication of the deficiencies observed to ROs/ branches. This has also improved the compliance culture and as a result of it, due to better monitoring, Final Rectification Certificates (FRCs) for the FVO visits are being received promptly.

The Bank has initiated development of new software which will automate the total Investigation process right from ordering an enquiry till passing of Final Orders involving Vigilance Dept./Internal Audit & Supervision Dept./Personnel Dept.(IRD).

The in-house softwares developed for online submission & processing of random vigilance inspection reports and automation of total investigation process is unique among the Public Sector Banks

Ethical messages to staff members on vigilance matters are being sent at periodical intervals commencing from 1st July 2016.

As per the directions of CVC, Vigilance Awareness Week was observed by the Bank from 31.10.2016 to 05.11.2016. Bank has conducted 2001 Awareness Gram Sabhas and 32679 E-pledge/Mass pledges were taken by staff members and various customers of the Bank. Activities were held in 20 colleges with 1220 students and 35 schools with 2555 students participating in competitions like essay writing, elocution, drawing, debate, and quiz covering 28 cities in 10 states.

The Department has suggested system level changes to various departments, some of which have yielded in increasing the income of the Bank.

Compliance

Board approved Compliance Policy is a requirement under the extant RBI guidelines and accordingly, the Bank has adopted Compliance Policy and functions as directed in the Policy. The Compliance Department is headed by the Chief Compliance Officer who is in the Rank of a General Manager. Compliance Officers have been identified at all the Departments at Head Office, Regional Offices and Branches.

A session has been allotted in all the in-house Training Programs to educate the participants on the importance of Compliance. Compliance Department at Head Office, ensures compliance with various guidelines issued by the Government of India, Reserve Bank of India, IBA and other Regulators. Compliance Tests are conducted every quarter on the guidelines issued from time to time. Quarterly and Annual review on compliance aspects are placed before the Board. Compliance Department Head Office, also monitors timely submission of Returns to the Regulators and places report to the Chief Compliance Officer.

Right to Information Act 2005

Government of India enacted Right to Information Act, 2005 which came into force on October 12, 2005. The Act provides right to every citizen to secure/access to information under the control of Public Authorities. It aims to promote openness, transparency and accountability in administration and in relation to matter connected therewith or incidental thereto.

Bank has designated all the Branch Mangers as Assistant Public Information Officers, Second line Executives of all the 32 Regional Offices as Public Information Officers and Regional Head as Appellate Authorities under the Right to Information Act, 2005. At Head Office, a Deputy General Manager is designated as Public Information Officer and a General Manager

of the Bank as Appellate Authority. Bank as a whole, 33 offices are provided with Public Information Officer and Appellate Authority respectively under Right to information Act 2005. At Head Office level, one Alternate Public Information Officer and one Alternate Appellate Authority have also been instituted in the absence of present Public Information Officer and Appellate Authority in case of exigency/emergency for discharging the duties as per the RTI Act 2005.

Information sought under the RTI Act 2005 is being provided within the prescribed time frame. During 2016-17, Bank as a whole has received and disposed of 320 Applications and 43 Appeals under the RTI Act 2005.''

Security Arrangements

Bank is constantly reviewing the security arrangements at all branches, offices, currency chests and ATMs to provide effective, efficient, unobtrusive and progressively modern security solutions based on threat perceptions, emerging challenges and guidelines of regulatory, government and law enforcement authorities. British Standard Institution (BSI) after a thorough assessment of physical security process of Security Dept. has issued a certificate of Registration (No.666393), since BSI is a world authority on management systems, the Bank has gained association with a world leader by registering to safety & security policies and requirement with BSI. The Bank is continuously striving to develop and improve the safety and security management in terms of stipulated policies and requirements. The following pro-active and preventive measures to strengthen security measures were initiated during the year:

- Digital CCTV systems with high resolution IP cameras are being provided to new branches/ chests.
- Hybrid Alarm System with wired and wireless detectors are being provided at all branches.
- Strong rooms conforming to RBI specification and BB Class Safes are being provided to all branches.
- Branches categorized as vulnerable from security point of view are provided with armed security guards during working hours.
- E-surveillance to link CCTV systems at branches/ ATM sites to bank's wide area network, to alert security authorities of any suspicious or anomalous behavior on real time.
- Security Committees have been formed at Head Office and Regional Offices to assess vulnerabilities, take proactive measures to further strengthen security arrangements and conduct periodical reviews.
- Bank maintains close liaison with the law enforcement agencies and is fully geared to meet the prevailing security needs.

Social Media

Social media is the latest buzzword in the banking sector and is expected to transform banking relationships in significant ways in the coming days, from improving customer service to allowing users to send money to others via online platforms. Strategic use of social media can also significantly impact marketing of products and services, designing of product/service, business forecasting, competitive analysis and customer education.

In order to leverage social media for engaging meaningfully with the customers, to popularize our products and services and to meet our customer's banking needs, the Bank launched its pages on Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and Youtube on 29.06.2016.

The Bank's Social Media presence has created a noticeable impact in a very short period of time. The Bank featured 2nd on the list of top 5 Banks on Social Media as per the ranking provided by Social Samosa - India's leading digital Social Media news platform. The bank's following on Facebook has grown at the fastest pace among nationalised banks. As on March 31st, 2017, the Bank have reached a milestone of 2 Lakh followers on its Facebook Page.

The Bank has launched Banking services through Social Media and customers of the Bank can now access features such as Customer registration, account balance, mini statement, Fund transfers and Bill payment through Twitter Banking.

Bank has a robust presence on all its social media

channels and has seen tremendous growth ever since it took the initiative of stepping into the social media space.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Manpower

The total staff strength of the Bank stood at 15679 in March 2017 as compared to 14544 in March 2016. Of the total staff, 7978 are Officers, 5016 Clerical Staff and 2685 are employees in the subordinate cadre. The number of women employees as at the end of March 2017 stood at 4234 consisting of 2192 Officers and 2042 Award Staff. As at the end of March 2017, there were 331 employees belonging to Persons With Disabilities (PWD) category and 929 employees belonging to Ex-Servicemen Category.

Recruitment

During the financial year 2016-17, the Bank has recruited a total number of 1830 employees comprising of 859 Officers, 935 Clerks and 36 subordinate staff.

Promotions

The promotions effected during the year 2016-17 are furnished hereunder:

Sl. No.	Promotion from	Promotion to	Total promoted
1	TEGS-VI	TEGS-VII	3
2	SMGS-V	TEGS-VI	15
3	SMGS-IV	SMGS-V	44
4	MMGS-III	SMGS-IV	59
5	MMGS-II	MMGS-III	195
6	JMGS-I	MMGS-II	291
7	Clerical	JMGS-I	176
8	Sub staff	Clerk	130

In terms of DOPT, Ministry of Personnel, "Three percent of the vacancies in case of Promotion to Group D and Group C is reserved for persons with disabilities of which one per cent each is reserved for persons suffering from (i) blindness or low vision (ii) hearing impairment and (iii) locomotor disability or cerebral palsy in the post identified for each disability".

In addition to the above, as a responsible employer, to promote equal employment opportunity and fulfil the legitimate career aspirations of the PWD employees, thereby providing motivation, Bank has a promotion policy, a first of its kind in the Banking industry exclusively for PWD employees. The eligibility norms for PWD employees are relaxed in the newly formulated promotion policy, which enable the PWD employees to go up in the career ladder. 7 PWD employees have been promoted from Clerical cadre to Officer cadre in JMGS-I and 5 PWD employees have been promoted from Sub-Staff to Clerical cadre during the year 2016-17.

Training

The training system in the Bank has been strengthened by providing additional competent manpower. The courses have been redesigned keeping in mind the essential inputs required for the employees to effectively handle the present & future assignments and to perform their duties and responsibilities effectively in the highly competitive tech-based customer-driven banking environment. The Bank is also imparting training to its employees through reputed external training institutions in certain specialized areas like Credit, FOREX, Treasury Management, Risk Management, HR, Marketing, etc. During the financial year, the Bank has imparted training to 14424 employees, which is 91.99 percent of the total employee strength. Out of which, 13468 employees had undergone training in the Bank's own establishments and 956 were trained at the reputed external training institutions including some overseas institutions.

Employee Engagement Survey

As performance of employees is directly proportional to the degree of their engagement to their work, a novel initiative of 'Employee Engagement Survey' was undertaken to increase productivity by managing the efficiency and effectiveness through optimum engagement. All the Executives of the Bank were covered under this program, which was an eye opener as it conveyed the factors that motivate and engage employees, based on which proactive and strategic measures are being taken to enhance levels of engagement and thereby achieve organizational objectives.

SC/ST/OBC Employees

Out of the total manpower of 15679 as at the end of March-2017, 3169 employees belong to SC category, 1178 to ST category and 3806 to OBC category.

SC/ST/OBC/PWD Cell

SC/ST cell has been functioning at all the 32 Regional Offices and a Senior Officer belonging to SC/ST is designated as Liaison Officer. At Head Office, the Cell is functioning under the control of Chief Liaison Officer.

The grievances of SC/ST employees are looked into and prompt remedial action is taken. The Chief Liaison Officer meets the SC/ST Employees Welfare Association and their representatives to hear their grievances at Head Office and refers the matters if any, to the concerned department at Head Office for redressal. Similarly, Regional Heads/Liaison Officers are attending to their grievances at Regional Office Level.

Further, Quarterly meeting of SC/ST representatives with the Managing Director & CEO of the Bank are held regularly in terms of Govt. guidelines. In these meetings, the grievances, if any, pertaining to SC/ST employees are discussed with the representatives of the SC/ST Welfare Association and sorted out. All the representations received are entered in a Register showing therein the action taken on each representation. The Register is inspected by the Chief Liaison Officer periodically. Another milestone was achieved in the harmonious industrial relations, as the Bank celebrated conducting of 100th meeting with All India SC/ST Employees' Association. It is notable that this quarterly meeting is being conducted uninterruptedly for the last 25 years.

In the similar manner, OBC Cell is also functioning separately at all the 32 Regional Offices & at Head Office under the control of Chief Liaison Officer appointed separately for OBCs.

Bank is arranging pre-promotion training for SCs/STs & OBCs regularly (i.e for sub-staffs, clerks and officers up to scale-III).

For the welfare of the PWD employees, Bank has also formed Grievance Redressal Committee for Persons with Disabilities at Head Office Level as well as at Regional Level. Regular quarterly meetings of the Committee are held to address various grievances of PWD employees and to seek their suggestions and ideas to better the working conditions and to make the workplace more accessible.

Bank is complying with all the Policy Guidelines laid down by the Govt. of India pertaining to reservation of posts for SC/ST employees, OBC & Minority employees including Persons with Disability.

Staff Relation

The pro-active and humanistic approach undertaken by the Bank has yielded positive results and the Bank is showing progressive growth consistently with the collective efforts of the management and employees of the Bank. The climate is positive and the same is echoed in the form of continuous growth of the Bank during the financial year ending March 2017. The industrial relations in the Bank have been cordial and harmonious. There was no agitation or unrest during the year by the employees relating to issues pertaining to the Bank. The consultative committee meetings were held with the representatives of the recognized unions at regular intervals to sort out the grievances of the employees and settle the disputes, if any, amicably and the said meetings are attended by the top executives of the Bank.

Sports Activities

Bank's various sports teams have performed exceedingly well in the year 2016-17. The Bank's Basketball team emerged winners at State Olympics Basketball Event and State Senior Division League Championship 2016-17. The Bank's team secured third place in the PSG Tech All India Basketball Tournament held at Coimbatore, Tamil Nadu. Bank had also organized the 3rd Mulki Sunder Ram Shetty All India Basketball Tournament at Sree Kanteerava Stadium, Bangalore in October 2016. It is a matter of pride that three of bank's players, Shri. Arvind A., Shri. Rajesh Prakash Uppar and Anil Kumar B. K. represented the Senior Indian Men's Basketball team in 2016. Shri. Arvind A. was conferred with the Ekalavya award by the Karnataka State Government in the category of sports for the year 2016.

The Bank's Cricket team has also been performing

consistently during the year. It has secured third place in the Group II Division I League Championships and was a semifinalist in the LRJ Inter State T-20 Cricket Tournament held at Gokak. Shri. R. Vinay Kumar, Shri. C.M.Gautam and Shri. K. Gowtham represented Karnataka in the Ranji Trophy 2016-17. Shri. R. Vinay Kumar, Shri. K. Gowtham and Shri. K.C.Cariappa represented Karnataka in the Syed Mushtaq Ali Inter State T-20 Tournament. Shri. R. Vinay Kumar, Shri. K. Gowtham and Shri. Rohan Kadam, represented Karnataka in the Vijay Hazare All India One Day Tournament.

The performance of the Bank's Kabaddi team has been exceptional during 2016-17. It has won five reputed tournaments viz., All India Kabaddi Tournament at Narasapura, Andhra Pradesh, State Level Kabaddi Tournament at Somawarpet, State Level Kabaddi Tournament at Adichunchanagiri, State Level Kabaddi Tournament at Kolar and State Olympic Kabaddi Tournament.

Staff Welfare Measures

As per the directions of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Government of India, 3% of net profit with the maximum ceiling of ₹ 15 Crore is to be earmarked for the welfare of its employees.

The Bank is having various staff welfare schemes such as:

1. Canteen Subsidy
2. Newspaper reimbursement
3. Annual Health Checkup
4. Health Clinic at HO, Bangalore.
5. Annual Medical Aid to the employees retired on superannuation & VRS optees who have completed 60years of age.
6. Grant of Silver Jubilee awards
7. Grant of Milestone Award
8. Novel scheme for providing laptops to wards of sub-staff members
9. Cash incentive to meritorious wards of staff
10. Awarding scholarship of ₹ 5000/- for the girl children under V-Shakti, V-Subodhini, V- Pragati.
11. Reimbursement of diagnostic tests exclusively for women employees.
12. Reimbursement of crèche allowance for women employees with children up to 3 years.
13. Reimbursement of expenses for purchase of Saree/ Salwar Kameez to female substaff of the Bank.

In addition to the above welfare measures undertaken from the earmarked corpus of 3% of the net profit, the Bank is also bearing the premium of IBA's medical insurance scheme for all retired FTS/PTS.

The Vijaya Bank Staff Welfare Fund Trust

Vijaya Bank Staff Welfare Fund Trust has been formed since 21.09.2002:

Various welfare schemes implemented under the Trust are:

1. Awarding scholarships to the wards of the employees
2. Reimbursement of residual claim of hospitalization expenses
3. Reimbursement of cost of spectacles
4. Funeral expenses to the family members on death of the employees
5. Cash incentives to retirees on superannuation
6. Scheme for providing assistance /scholarships to the parent employees of mentally challenged /spastic children
7. Scheme for providing artificial limbs /hearing aid / crutches to physically challenged staff members/ their children
8. Holiday Homes at at Shimla, Tirupathi, Jaipur, Goa, Puri, Delhi and Shirdi is being extended to staff members.
9. Scheme for providing scholarship for the wards of PWD employees
10. Scheme for providing annual financial aid to the non-school going disabled children of PWD employees
11. Scheme for providing financial assistance to

PWD employees at the time of marriage

The Bank is also administering Family Welfare Scheme under which amounts collected from the members of the scheme are distributed among the family members (nominees) of deceased employees.

In addition to the above, some of the welfare measures undertaken by the Bank for PWD employees include:

1. Aids like Smart walking canes, talking software, Braille attachments, etc. to visually impaired employees.
2. Conveyance facility (pickup & drop) has been provided to 64 visually impaired and 121 orthopedically challenged employees.
3. Braille watches provided to 58 Visually Impaired (VI) employees.

Internal Complaints Committee

The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, prohibition and Redressal) Act, 2013 (hereinafter called the Act) has come into force with effect from 09.12.2013.

This Act is to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto.

In compliance with Section 4 of the Act, Bank has constituted the Internal Complaints Committee (ICC) at the Head Office and at all the Regional Offices of the Bank to deal with the complaints received from staff members pertaining to gender discrimination and sexual harassment at workplace.

The ICC constituted at Head Office consists of the following members:-

1. Smt. Nirmala Sridhar, GM - Chairperson
2. Smt. Mani Mekhalai A, GM - Secretary
3. Shri. Senthil Nathan- AGM-Member
4. Smt. Mini CG SM- Member
5. Smt. Roshni CR, SM - Convener
6. Smt. Geeta Menon - NGO - Member.

Section 22 of the said Act stipulates the employer to include in its annual report the number of cases filed, if any and the disposal of cases under the Act.

The Central Govt. in exercise of its powers conferred under the Act has also formulated "Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Rules, 2013" Rule 14 of which provide the employer to include the information on the complaints received by the committee during the year in the Annual Report. Accordingly, the details of the complaints received by the Committee for the year April 2016 to March 2017 is furnished below.

Sl No	No. of Complaints of sexual harassment received in the year	No. of complaints disposed of during the year	No. of cases pending for more than 90 days	No. of workshops or awareness programme against sexual harassment carried out	Nature of action taken by the employer or District Officer
1	2	2	Nil	7	Internal Complaint Committee concluded that both the cases reported are outside the purview of sexual harassment and have been disposed accordingly.

OTHER SERVICES

Government Business

The Bank is designated to collect Direct tax through 276 branches. The Bank has introduced online payment of taxes of CBDT&CBEC through V-net banking for all customers of all branches. 886 branches of the Bank are designated to open Public Provident Fund accounts. The Bank received approval for additional 321 branches from Ministry of Finance for doing PPF business. Approval for the same is yet to be received from RBI. Besides, all the branches are authorized to disburse Central Civil, Defence, Telecom pensions and State pensions in the states of Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala and four Metro Cities. A separate cell called Centralized Pension Processing Center/CPPC has been set-up at Head Office for centralized payment of pensions of Central Government pensioners. 1606 branches are designated for Atal Pension Yojana and 888 branches of the Bank are authorized for handling Sukanya Samriddhi Yojana.

Life Insurance Business

The Bank has entered into the Corporate Agency agreement with M/s. LIC of India ltd to cater to the life insurance needs of the customers.

General Insurance Business

The Bank has entered into the Corporate Agency agreement with M/s. United India Insurance Co. Ltd. to cater to the non-life insurance needs of the customers.

Government Social Security Insurance Schemes

The Bank has a tie up with M/s. SBI Life Insurance Co. ltd. to provide insurance cover under Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), to all eligible account holders.

The Bank has a tie up with M/s. United India Insurance Co. ltd. to provide insurance cover under Prime Minister Suraksha Bima Yojana (PMSBY) to all eligible account holders.

As on 31.03.2017, the Bank has been able to provide insurance cover under the schemes as follows:

Scheme	No. of Enrolments
PMJJBY	4,30,760
PMSBY	15,38,968

Depository Participant Account and Online Trading

Vijaya Bank is a Depository Participant (DP) with National Securities Depository Limited.

Vijaya Bank's DP offers the following depository services.

- Account Opening
- Dematerialization of securities (shares, Debentures, Mutual funds etc.,)
- Electronic settlement of trades in stock exchanges connected to NSDL and CDSL
- Pledge/hypothecation of demat security holdings against bank loan
- Electronic credit of securities allotted in public issues
- Freezing of accounts whenever required so that debits from the account are not permitted
- Nomination facility for demat accounts
- Services related to change of address, bank account details etc.,
- Effecting transmission of securities
- NSDL IDeAS facility

The Bank provides Depository Services to customers and has a tie up with IDBI Capital for providing Online Trading.

Application Supported by Blocked Amount (ASBA)

The Bank is included in the list of SCSBs effective from 01.02.2009. DP Cell is the controlling branch for Application Supported by Blocked Amount (ASBA) and all Branches are designated for accepting ASBA application.

Government Business Module (GBM)

Government Business module is implemented with the following modules.

- OLTAS Module deals with Direct and Indirect Taxes and remittance of tax amount to RBI through link cell, Nagpur.
- Atal Pension Yojana/Public Provident Fund/

Sukanya Samriddhi Yojana - Applications are being accepted at the designated branches of the Bank for the respective schemes.

Centralized Payment of Pension - A dedicated Centralized Pension payment processing cell has been created at HO. All types of pension like Central, Civil, Telecom, Defence, Judges and Freedom Fighters pension is being paid centrally by the CPPC cell at HO.

Senior Citizens Savings Scheme as per the government guidelines is also implemented in the Bank through designated branches.

Marketing Setup

Marketing Cell at the Bank's Head Office with active involvement of all Marketing Officers posted across the country in various Regional Offices/ RACPCs & MSME Cell is actively engaged in popularizing and marketing of Bank's various products.

Publicity and Public Relations

During the FY 2016-17, the Bank has carried out several major advertisement campaigns in Print & Electronic media in English, Hindi and in Regional Languages throughout the country to elevate the visibility of the Bank and its products. During 2016-17, major Publicity Campaigns were carried out thorough outdoor advertisement media such as translites at airports, train branding on Kacheguda Express and Konark Express, etc. Outdoor Advertisement hoardings were taken in metro cities, glow sign/sign board advertisements at Railway Stations/Bus Stands..

Implementation of Official Language

Bank is implementing the Government's Official Language Policy in letter and spirit since Nationalization. With the efforts of staff members, Bank could achieve Hindi correspondence of 95.11% in Region "A" against the target of 100%, 92.08% in Region "B" against the target of 90% and 69.06% in Region "C" against the target of 55% as on 31.03.2017.

For Best Performance in implementing Official Language Hindi, our Bank was awarded with Second Prize in 'C' Region under Rajbhasha Kirthi Purskar of Govt. of India and the Shield & Certificate were awarded to the Bank's MD & CEO by Hon. President of India at Rastrapathi Bhavan, New Delhi on 14th Sept, 2016.

The Bank's Regional Office, Bangalore (South) and Regional Office, Bangalore (North) were awarded with First and Third Prize respectively for implementation of O.L. by Govt. of India for Southern Region and the prizes were awarded by Secretary (O.L) at Hyderabad in Regional Rajbhasha Sammelan.

Various Regional Offices & Branches of the Bank also bagged 25 prizes from different TOLICs for Best Performance under Official Language in which Regional Office, Hassan, Solan Branch has received first prizes.

The Parliamentary Committee on O.L. inspected our Mathura, Porbandar branches and Head Office during the year. Shri. Tekchand, Deputy Director, Regional Implementation Office (South), Govt. of India, O.L. Department, Ministry of Home Affairs, Bangalore has also inspected our Head Office on 04.10.2016 and appreciated the O.L. implementation in the Bank.

The Bank started review of O.L. Implementation of Regional Offices through Video Conference in which our Managing Director & CEO reviewed the performance of ROs every quarter which was followed up with regular monthly reviews by General Manager (O.L.).

The Bank hosted All India Rajbhasha Sammelan of Department of Financial Services under 'Rajbhasha Prayog Aapasi Samvaad Sarthak Disha" on 03.06.2016 and O.L. Review meeting of DFS on 04.06.2016 at Pune, which was inaugurated by Secretary (OL), Sri. Anup Kumar Mishra.

Bank started sending SMS in Hindi and other Indian Languages during special occasions. Bank also conducted E-mail sending Competition in Hindi for our Branches/ Offices during every quarter and 2 prizes each were awarded to highest mails sending employees under Head Office, Regional Office and Branch category.

O.L. Officers' Conference was held on 25th and 26th of July, 2016 at Bank's Head Office, which was inaugurated by Smt. Nirmala Shridhar, General Manager. The second O.L. Officers' Conference was held on 18th and 19th of October, 2016 at Thiruvanthapuram in Region

'C' in which Mr. Keval Krishna, Sr. Director (Technical), Ministry of Home Affairs, Dept. of O.L. addressed the O.L. Officers and highlighted online submission of QPR & Dr. S. A. Karim and Dr. Suchit, Professor, Kerala University has reiterated the importance of O.L. The third O.L. Conference was held at Hyderabad in which Dr. Ramakanth Gupta, General Manager, RBI was the Chief Guest of the function.

Bank conducted an All India Level Hindi Essay Competition for all Bank employees during November 2016 wherein we have received around 60 entries from various banks. Best 24 essays selected out of this were published as book under the name 'NIBANDH MALA'.

Bank also conducted an All India Inter Bank Hindi Seminar at Hyderabad which was inaugurated by Joint Secretary, Dept. of O.L. from Ministry of Home Affairs, which was attended by representatives of all banks.

During the year Bank also published two Hindi Books, both containing collection of essays received during All India Seminar and All India Essay Writing competition. First book was published during Hindi Day in September 2016 in the name of 'Make in India' and the second one named 'Nibandh Mala' was released on 10.03.2017 at Hyderabad.

Chief Manager (O.L) of Bank's Official Language Division was nominated to the Standing Committee of Banking Glossary at Reserve Bank of India. All Regional Offices conducted competitions/seminar under the aegis of their respective TOLICs. Under the banner of "V-Gen Uth" all 32 Regional Offices & Head Office has conducted V-GenUth Hindi Singing Competition/Hindi Drawing Competition/Hindi Elocution Competition/ Hindi Essay Competition/Hindi Quiz Competition etc. Every Regional Office has organized special Campaign on publicity of Digital Payment System in different branches. The Regional Office/Branch has organized camps for encouraging Crop Insurance Scheme, to include new pensioners under Atal Pension Scheme and its renewal and also organized camps for Self Help Groups in rural areas.

During the year, 139 Hindi workshops were conducted for Executives / Officers and clerical staff employees in which 2996 staff members were trained. Importance of use of Unicode was stressed in these workshops.

Special Hindi Workshops for executives were conducted by the Regional Offices-Bangalore, Delhi, Kolkata, Mumbai, Pune & Head Office, Bangalore. 34 executives participated in the Special Hindi Workshop conducted at Head Office, and Shri. Ishwar Chandra Mishra, Asst. Director, Central Translation Bureau, Govt. of India, Bangalore addressed executives and lectured on 'Contributions of Executives in O.L. Implementation elaborately'.

Hindi Day was celebrated at Head Office on 17.09.2016 under the Chairmanship of Dr. Kishore Sansi, Managing Director & CEO.

Under the Bank's Internal Rajbhasha Shield Scheme for the year 2015-16, DIT was awarded I Prize, Personnel Department was awarded II Prize and Planning & Development Department was awarded III Prize under HO Department Category for effective implementation of Official Language. Under Best Region Category Kolkata was awarded I Prize, Delhi Region II Prize and Kochi III Prize.

CUSTOMER SERVICE

Customer Service and Redressal of Complaints

Providing excellent customer service is the only effective way of making the Bank distinctly more competitive. This necessitates designing of innovative and cost-effective mechanisms of delivering banking services efficiently, developing profitable business models and leveraging technology optimally. Bank aims at minimum instances of customer complaints and grievances through proper service delivery and review mechanism. To ensure prompt redressal of customer complaints and grievances, Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS) has been put in place. The customers can lodge their grievances in the SPGRS portal through Bank's website and the grievances are redressed in a timebound manner. The complaints received through other channels viz, letters,mails,phone etc are also lodged in this common platform. The system directs the complaints to the concerned branches/functional departments/offices for redressal and resolution of the complaint.

Branch Level Customer Service Committee is constituted to encourage a formal channel of

communication between the customers and the bank at the branch level. The Branch Level Customer Service Committee consisting of customers from various cross sections of the society including senior citizens and pensioners meets once a month. The views / suggestions are collated and presented before the Standing Committee on Customer Service chaired by the Executive Director which comprises of non officials as its members for having independent feedback. The committee meets at quarterly intervals and submits its report to the Customer Service Committee of the Board.

The Customer Service Committee of the Board headed by the Managing Director and CEO includes Executive Directors and Other Directors of the Board and experts and representatives of customers as invitees to enable the Bank to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the corporate governance structure in the Bank and also to bring about ongoing improvements in the quality of customer service provided by the Bank. A quarterly review note comprising the nature and category of complaints along with root cause analysis of the complaints is placed before the Board to review the practice and procedures prevalent in the Bank and take necessary corrective action.

The Bank has complied with the directions of the Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, which had conveyed the observations of the Hon'ble Prime Minister during the PRAGATI interaction on the review of the status of disposal of grievances and as per the directions, a system of conducting weekly review of grievances by MD&CEO is introduced to assess the timelines as well as the quality of the replies and details of action taken are furnished periodically to the Dept of Administrative Reforms and Public Grievances, New Delhi.

Bank has appointed Principal Nodal Officer of the rank of General Manager, who will be responsible for the implementation of customer service and complaint handling for the entire bank. The bank has designated the Regional Managers as Nodal Officers to handle complaint/grievances in respect of branches following under their control. The name and contact details of nodal officer (s) are displayed on branch notice boards.

In terms of RBI guidelines, the Bank has appointed Internal Ombudsman to examine the grievances which are not resolved to the satisfaction of the customers or partially resolved in the internal grievance redressal mechanism of the Bank.

A session on customer service has been made mandatory in all the trainings imparted in the Staff Training College to sensitize the staff members on the following aspects:-

- To provide the customers with a comfortable environment when they access banking services
- To retain the customers by offering a quality service to their satisfaction.
- To shift the emphasis on customer service from the lips to the heart with a motto that "Customer Service is a business need of the Bank and not a Social Service"
- To impress upon the frontline staff on the importance of showing empathy in their dealings with customers.

Call Centre

Call Centre does an important job in branding as it is the first level of contact for the customers. With the purpose of improving customer support system, the Bank had integrated 3 different call centers viz. general banking, net banking and card division functioning at three different places, to one outsourced call center to provide customers with a one stop solution for all the products and services offered by the Bank. Also, to facilitate an uninterrupted service and cater to the complaints and queries of the customers round the clock, the Bank had extended its inbound call center services with 24X7X365 availability. Besides handling the calls from customers/branches, the FTEs also take care of the emails related to V-Net banking and Card Hotlisting. Further, to keep an eye on increasing level of special mention accounts, the Bank has also started the outbound process for calling the Housing Loan and Vehicle Loan borrowers for recovery of EMI. This helps the Bank to have better control, improved tracking of Retail Loans and prevents slippage of these accounts to NPA category. Since inception, the Bank has been continuously increasing the number of call

center executives to keep pace with Bank's expanding customer base. The Bank has also been regularly training the call center staff on the new campaigns and products launched by the Bank to help them handle customer queries more efficiently.

Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI)

The Bank, being a member of BCSBI, has adopted the voluntary Codes formulated by BCSBI i.e. (i) 'Code of Bank's Commitment to Customers 2014' (ii) 'Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises 2015' (Codes). Bank has formulated and complied with several policies as per the guidelines of BCSBI. A session on Customer Service incorporating the provisions of the Codes has been included in the staff general banking training programmes in order to comply with the Codes in true letter and spirit. BCSBI has revised 'Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises' in August 2015 and the bank has taken several steps to abide with most of the revised guidelines. The Codes are made available on official website of the bank for the easy reference of the customers. The customer can also access the same at any of Bank's Branches.

Branch Ambience

To improve customer experience and happiness during their each and every visit to branch, the Bank is taking care to offer good ambience at the branches and ATMs by keeping all branch / ATM premises neat and clean with updated notice board and product details. This offers a pleasant banking experience to the bank's customers and helps to increase the goodwill of the Bank in terms of quality service. All the branches are upgraded with Air Conditioning and other facilities. The ramps are made available at metro branches for the comfort of differently abled customers. Senior Citizens / differently abled / women customer are being treated on a priority basis at the branches.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank has a robust CSR policy which aims at equitable development, infrastructure creation, employment generation, environment protection, sustainable socio economic development of the weaker sections of the society. As directed by the Board, Bank prepared a CSR Roadmap for the year 2016-17 with special focus on certain areas which have lasting social impact viz, girl child education, rural health, sanitation to schools, creation of infrastructure/ supplying essentials to rural schools, hospitals, old age home, orphanages, special schools.

- ATM transactions - scheme for contributing 0.50 Paise per transaction to be utilized for a social cause under CSR. In a first of its kind, Bank has launched a unique scheme on 15th August, 2016 linking ATM transactions with CSR activity. Under the scheme, Bank contributes 0.50 paise for every financial transaction at our Bank's ATMs. The amount accrued thus will be utilized for a social cause. Bank has utilized this amount for adopting 100 Digital villages and transforming them into digital villages.
- In line with the vision of our Founding Fathers, Bank celebrated its 85 years of existence by sharing the momentous occasion with the underprivileged and needy sections of the society by undertaking 86 Girl Child Adoptions, Donation of 86 wheelchairs, Blood Donation of 860 Units by staff and Tree plantation of 860 Saplings on a single day viz Bank's 86th Foundation Day.

Bank has put in place its own CSR schemes which have long term transformational impact on the standard of life of the poor and needy.

- **Girl Child Adoption:** A flagship Scheme of the Bank to promote girl child education amongst the underprivileged sections of the society, it was made mandatory to adopt one girl child at every rural and semi urban branch of the Bank during the year and financial assistance extended for education upto post graduation level instead of graduation level. During 2016-17, Bank adopted 967 girl children taking the overall tally of Girl Child adoptions to 1163.
- **Rural Health Centres:** To bring basic healthcare within the reach of rural poor in remote, backward areas, Bank has set up Vijaya Rural Health Centres by engaging qualified doctors and supplying medicines free of cost to the patients.

Bank has added 13 RHCs during 2016-17 to the existing 32 taking the total number of Vijaya Rural Health Centres to 45 as on 31.03.2017.

- **Swachch Vidayalaya - Sanitation facility to schools:** To provide sanitation facility to ensure conducive learning atmosphere and reduce early school drop-out especially amongst girl children, Bank has constructed separate toilet blocks for girls and boys in govt. schools in backward areas where such facility was nonexistent. Bank has constructed toilet blocks in 60 schools in backwards areas. Bank also pays for their monthly maintenance to ensure upkeep and cleanliness.
- **Donation towards mid-day meals scheme to Govt. schools:** Bank has donated a Roti making machine having a capacity of 20,000 rotis per hour as part of strategic partnership with Akshaypatra Foundation in their mid-day meal school feeding programme for Govt. school children.
- **Donation of vehicles:** Bank has donated four-wheeler vehicles- buses, vans etc. to non-profit, charitable organizations, spastic society, orphanages and persons with special needs etc. which are engaged in serving the orphaned, aged, disabled, sick, destitute, abandoned, weak and helpless persons.
- **Donation towards creation of medical infrastructure:** Bank has made donations towards creation of permanent infrastructure like construction of a children's ward to a charitable hospital, large bathrooms to old age home for dementia affected aged persons. Bank has also donated medical equipment to cancer research hospital, dialysis machine to renal care hospital, surgical opthalmic microscope to an eye hospital, wheelchairs to persons with special needs/ spastic children, hospital beds/ stretchers to hospitals, sponsored free dialysis for poor patients among other things.
- **Facilitating safe drinking water:** Bank has donated towards a Reverse Osmosis water purifying plant for slum dwellers in Bangalore, sponsored digging of borewells /installed handpumps in Madhya Pradesh, donated several water purifiers to schools, special schools, orphanages, old age homes, hospitals etc.
- **Essential educational aids to rural schools:** Bank has donated essential educational infrastructure to Govt. schools/ special schools like computers, smart classrooms, furniture, water filters, etc. to provide equal learning opportunities irrespective of geographical location.
- **Supply of Essentials to old age homes, orphanages etc.:** Bank has donated essentials and basic amenities and like furniture, generators, wheelchairs, tricycles, computers, refrigerators etc. to old age homes, orphanages, special schools for the disabled, Braille computers, equipment to needy schools in backward areas etc. all over the country. Bank has donated woollen blankets to pavement dwellers, sick, old and to people living in slum areas in cold regions to face the winter season.
- **Bank's own Go-green initiatives for environment protection:** Recognizing the imperative need to conserve environment, green initiatives are one of the focus areas in its CSR Roadmap. During the year, Bank has promoted activities such tree plantation to increase green cover, taken up landscaping, beautification and installation of fountains, traffic circles etc. alongwith monthly maintenance in public parks. Bank has donated park maintenance equipment, gardening implements, e-rickshaws, garbage pickup tricycles and other tools etc.

AWARDS & ACCOLADES: RECOGNITION GALORE

In recognition of varied initiatives, the Bank was conferred with several awards and accolades during the financial year 2016-17, as under.

OVERALL BANK'S PERFORMANCE

- 'CEO of the year' under the title Super Achievers by World Marketing Congress.
- National Gaurav Award - 2016 by Indian Bravehearts, presented at Vigyan Bhawan New Delhi.

- Best Bank in Public Sector - National Award by ABP News Group under Banking and Financial Service & Industry category.
- Bank with Best Customer Orientation - National Awards For Excellence In BFSI - By ABP News.

DIGITAL BANKING EXCELLENCE

- IBA Technology Bank of the Year, by Indian Banks' Association.
- Best Bank for Electronic Payments among Mid-Size Banks award from IDRBT, Hyderabad.
- SKOCH Inclusion Award 2016 - Order-of-Merit for FeeHIVE (Bank's own Fee Payment Solution).
- Best Internet Banking Service Provider - National Award by ABP News Group under Banking and Financial Service & Industry category.
- Best Security Initiative - National Award by ABP News Group under Banking and Financial Service & Industry category.
- Bank with Best Technology Orientation - National Award by ABP News Group under Banking and Financial Service & Industry category.
- SKOCH Technologies for Growth Award 2016 - 'Order-of-Merit' for Toggle Net Banking (Bank's own App).
- Security Transformers - Transformers Award 2016 by DELL EMC2.
- National Payment Excellence Awards 2016 by NPCI.
- Information Security Award "Infosec Maestros Award 2017 - India's top most honour for CISOs/ Infosec leaders" by Leading Magazine "Infosecurity".

RISK / ASSET QUALITY MANAGEMENT

- Bestowed with prestigious ISO 27001:2013 for best ISMS practices in Banking Industry.
- Golden Peacock Award for Risk Management instituted by Institute of Directors.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

- 'Best HR Practices Award' in Public Sector Banks Category by Banking Frontiers.
- Global HR Excellence Award for - Organization With Best Employee Relations Practices.
- HR & Leadership Award for Best Talent Management by ABP NEWS.
- Employer Branding Awards - Best Employer 2016-17 for 'Best HR Strategy In Line With Business'.
- Award for 'Dream Companies to Work for' - PSB Category by World HRD Congress.

PRIORITY BANKING

- ASSOCHAM Social Banking Excellence Award 2016 for Agriculture Banking.
- ASSOCHAM Social Banking Excellence Award 2016 for Participation in Government Scheme.

FINANCIAL INCLUSION

- Bank with Leading Financial Inclusion Initiatives - National Awards for Excellence in BFSI - by ABP News.

EDUCATION / HOME / RETAIL / MSME / OTHER LOAN SEGMENT

- Excellence in MSE Sector awarded by Government of India.
- National Award for 'Excellence in Lending to MSE' by Ministry of MSME, Govt. of India.
- 'Best Education Loan Provider Award by 'Outlook Money'.
- Best Home Loan provider (Runner-up) by 'Outlook Money'.
- Best Performance Award among Public Sector Banks for the year 2016-17 by National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC), Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India.

- Best MSME Bank Award- Winner (Emerging category) in MSME Banking Excellence Awards 2016-17 by Chamber of Indian MSME (CIMSME).
- 'Best SME Lending' Award by Associated Chamber of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM).
- Financially Inclusive Bank Award-Runner Up 2016-17 by Chamber of Indian MSME (CIMSME).
- Gem & Jewellery Award by Gem Jewellery Export Promotion Council of India.

CSR INITIATIVE

- Global CSR Excellence & Leadership Awards for Best Corporate Social Responsibilities Practices by World CSR.
- Arogya World Healthy Workplace Award 2016 (Gold Level) by Arogya World India Trust.

OFFICIAL LANGUAGE

- Second Prize in Rajbhasha Keerthi Puraskar for implementation of Official language in Region C by Ministry of Home Affairs.

BOARD MEETING AND MEETING OF OTHER SUB COMMITTEES OF THE BOARD

During the year 2016-17, the Board of Directors met 13 times. The details of Committee Meetings are as under:-

Name of the Committee of the Board	No. of Meetings
Management Committee	11
Audit Committee	06
Review Committee on Disciplinary Matters and Probity	04
Directors' Promotion Committee	01
Risk Management Committee	04
Committee to review Large Value Frauds	01
Nomination Committee	01
Customer Service Committee	04
Stakeholders' Relationship Committee	04
Share Transfer Committee	04
Head Office Level Credit Approval Committee	19
I.T Strategy Committee	04
Committee for Monitoring of Recovery	06
Corporate Social Responsibility Committee	04
Review Committee in respect of Borrowers identified as Willful Defaulters	05
HR Committee	02

Changes in the Board of Directors

During the year 2016 -17, the following New Directors have joined the Board.

1. Shri. S Raghunath, Non-Official Director joined the Board of the Bank on 25.04.2016.
2. Shri. G P Borah, RBI Nominee Director joined the Board of the Bank on 13.01.2017.

During the year 2016 -17, the following Directors have ceased to be Director on the Board of the Bank.

1. Shri. Murali Krishna Y Workmen Director demitted the office on his completion of Period on 01.11.2016.
2. Smt. Suma Varma RBI Nominee Director demitted the office on 12.01.2017.

The Bank's Board as on date consists of the following Directors:-

1. Shri. G Narayanan, Non-Official Director & Non-Executive Chairman
2. Dr. Kishore Sansi, Managing Director & CEO
3. Shri. B S Rama Rao, Executive Director
4. Shri. Nageswara Rao Y, Executive Director
5. Shri. Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director
6. Shri. G P Borah, RBI Nominee Director

7. Shri. P. Vaidyanathan, Shareholder Director
8. Smt. Bharati Rao, Shareholder Director
9. Shri. M Bhagavantha Rao, Non-Official Director
10. Shri. V V R Sastry, Non-Official Director
11. Shri. S Raghunath, Non-Official Director

Acknowledgement

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their patronage, to the share holders for their support, to the Government authorities and Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors who completed their tenure during the financial year and to all staff members for their full support in the pursuit of organizational growth and excellence.

For and on behalf of the Board of Directors

Head Office, Bengaluru — **Dr. Kishore Sansi**
Date: 09.05.2017 — Managing Director & CEO

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1 Corporate Identity Number (CIN) of the Company :- NA

2 Name of the Company :- VIJAYA BANK

3 Registered address :- No.41/2, MG Road, Head Office, Bengaluru - 560001

4 Website :- www.vijayabank.com

5 E-mail id :- planningdev@vijayabank.co.in

6 Financial Year reported :- 2016-17

7 Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise) :- Banking and Finance

8 List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet) :-

1. Deposit Products
2. Loan Products
3. Remittances

9 Total number of locations where business activity is undertaken by the Company :-

(a) Number of International Locations
(Provide details of major 5) Nil

(b) Number of National Locations 2031

10 Markets served by the Company - Local/State/National/International :- National

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1 Paid up Capital (INR) :- ₹ 998.85 Crore

2 Total Turnover (INR) :- ₹ 2,29,833 Crore (Total Business)

3 Total profit after taxes (INR) :- ₹ 750.48 Crore

4 Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%) :-
₹ 496.64 Lakh 0.66%

5 List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred :-

a) **Girl Child Adoption** from SC/ST/OBC/Minority/EWS familes under which financial support is extended for education upto Post Graduation level studies.

b) **Rural Health Centres** set up in backward/ rural areas across the country to provide free primary healthcare/medicines to the rural poor.

c) **Construction of toilet blocks** to provide sanitation facility in Govt. schools. Bank also pays for their monthly maintenance.

d) **Creation of capital assets** such as donation of roti making machine for mid-day meal school feeding programme, construction of children's ward in charitable hospital, construction of bathrooms in old age

home caring for the dementia affected aged people, donation of ophthalmic surgical microscope, high end medical equipment to cancer hospitals, kidney care hospital, wheel chairs, tricycles, blankets etc.

e) **Donation of vehicles/basic amenities** to schools, special schools for the disabled, orphanages, old age homes, blind schools, charitable Trusts, hospitals, non profit organizations etc. engaged in serving the aged, orphaned, sick, destitute, abandoned, helpless etc. and basic essentials, furniture, computers, medical equipment, water purifiers, uniforms etc. for their welfare.

f) **Facilitating safe drinking water** in villages, slums, schools, public places etc. by financing bore wells, installation of water purifying plants, water storage tanks, water chilling plants, water filters etc.

g) Go green initiatives, Bank has provided solar traffic signal, distributed LED bulbs in Digital Villages to save energy, undertaken maintenance of public parks, tree plantation, donated gardening tools, garbage rickshaws etc.

SECTION C: OTHER DETAILS

1 Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies? :- No

2 Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s) : NA

3 Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%] :- NO

SECTION D: BR INFORMATION

1. Details of Director/Directors responsible for BR

(a) Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/policies

1. DIN Number :-
2. Name :- Shri. Y Nageswara Rao
3. Designation :- Executive Director

(b) Details of the BR head

No	Particulars	Details
1	DIN Number (if applicable)	N A
2	Name	Shri. A C Swain
3	Designation	General Manager
4	Telephone number	080-25584655
5	E-Mail ID	acswain@vijayabank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies

(a) Details of compliance (Reply in Y/N)

No	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1	Do you have a policy/ policies for....	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

No	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
3	Does the policy conform to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/ policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

*Bank's Corporate Governance Policy, Compliance Policy, Vigilance Department etc ensure the well conduct of Business ethics in the bank. Apart from this, bank is subject to offer its products and services as per the standard codes announced by the BCSBI in its (i) 'Code of Bank's Commitment to Customers 2014' (ii) 'Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises 2015' (Codes)

(b) If answer to the question at serial number 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

No	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1	The company has not understood the Principles	NA								
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)									

1. Governance related to BR

(a)	Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year	As the Business Responsibility encompasses a whole spectrum of Banking of each department relevant Policies are framed / renewed individually and Board's approval is obtained. Further the Board assess the performance in the Bank and discuss various aspects of conducting bank business in compliance of bank Policies / directions from RBI / Ministry of Finance / IBA etc. during the Board Meeting which is being held almost every month.
(b)	Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	Yes, The BR Report can be viewed at vijayabank.com. The report is published annually and is part of the Bank's Annual Report

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1

Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability.

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs /Others?

The bank has well defined policy on Corporate Governance and compliance. The bank's Vigilance department is functioning under strict guidelines of Central Vigilance Commission.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

The bank has a hassle free mechanism to deal with the complaints from its stake holders including customers. Bank has provided online facility to lodge complaints through Standardized Public Grievance Redressal System (SPGRS). The bank takes the pro-active approach to reduce the complain level at branch by providing a good customer service and separate cell has been framed to resolve the complaints in a faster way. This helps the bank to bring down the number of complaints and to resolve the complaints.

No. of Complaints pending at the beginning of the year: 37

No. of Complaints received during the year: 5850

No. of Complaints redressed during the year: 5848

% of complaints resolved: 99.34%

Principle 2

Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

(a) Debt swap Scheme: The scheme has been revised with limit enhanced to ₹ 1 Lakh covering both famers and micro entrepreneurs to bring them out of the clutches of money lenders. Under the scheme Bank is proactively identifying farmers and micro entrepreneurs indebted to money lenders and extends finance to them at lowest RoI to clear their high cost borrowings. In identifying the eligible borrowers, Bank takes the assistance of SHGs, village elders and panchayats. The Bank has financed 627 beneficiaries involving ₹ 4 Crore under the scheme.

(b) Solar Water pump scheme: In order to encourage famers to install Solar Photo Voltaic (SPV) water pumping system for irrigation purpose, GoI is extending back end subsidy through NABARD. During the year 2016-17, Bank has financed 155 solar pumpsets amounting to ₹ 5.58 Crore.

(c) Green Banking: The Bank is taking special care for an environmental friendly banking by reducing usage of papers, power, wastages, etc., The Bank has taken many eco-friendly steps in this direction. The core banking solutions, internet banking, Tele-banking, mobile banking, ATMs, etc,. helps to reduce usage of papers, power, wastages in its daily banking activities. Further the bank has setup E-Lobby with high-tech banking facilities like ATM, Cash Deposit Kiosk, Pass Book printing kiosk, internet banking etc.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):

(a) Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

Not Applicable

(b) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

Not Applicable

3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?

Not Applicable, The Bank mainly deals with Financial Services and Products.

(a) If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable

4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

(a) If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

The procurement of goods which requires for setting up of branches and operation of branches etc are done through nearby vendors through bidding process.

5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable

Principle 3

Business should promote the wellbeing of all employees

1. Please indicate the Total number of employees.

   The total number of employees is **15679**

2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.

   The number of employees hired temporary / contractual / casual basis is **1397**

3. Please indicate the Number of permanent women employees.

   The number of permanent women employee is **4234**

4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities

   The Number of permanent employees with disabilities is **331**

5. Do you have an employee association that is recognized by Management?

   Yes

6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?

Officers Association	AIVBOA - 41.45%
Workmen Association	1. VBWO - 28.44%
	2. VBEA - 17.90%

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

No	Category	No of complaints filed during the financial year	No of complaints pending as on end of the financial year
1	Child labour/forced labour/involuntary labour	Nil	Nil
2	Sexual harassment	2	0
3	Discriminatory employment	Nil	NA

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

(a) Permanent Employees :- 80%

(b) Permanent Women Employees :- 68.99%

(c) Casual/Temporary/Contractual Employees :- Nil

(d) Employees with Disabilities :- 75%

Principle 4

Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders especially those who are disadvantages

1. **Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No**

   Yes, The stakeholders of the bank include Government, investors, employees and the customers of the Bank.

2. **Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?**

   Yes

3. **Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

   Employees: The bank practices the policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The bank extends certain equal benefits / facilities / assistance to employees belonging to SC/ST category as per government guidelines.

   With respect to the welfare of PWD employees for the first Time in the banking industry, a separate promotion channel for promotion to officers and clerks has been formulated for PWD Employees. Conveyance facility (pickup & drop) has been provided to 25 visually impaired and 25 orthopedically challenged employees. Introduced a scheme for providing scholarship ranging from ₹ 2000/- pa to ₹ 5000/- pa for the wards of PWD employees for pursuing higher studies (10th Std to P.G). Scheme for providing annual financial aid of ₹ 5000/- to non-school going disabled children of PWD employees. Scheme for providing financial assistance of ₹ 10000/- at the time of marriage to the employees belonging to PWD category. Visually impaired employees, are provided with aids like Smart walking canes, talking software, Braille attachments, Braille watches etc. To enhance efficiency and effectiveness at workplace, Bank is imparting disability specific training to PwD employees through 'Enable India'.

   Customers: In order to cater to the needs of marginalized segments of the society, bank has introduced among others, Basic Savings Bank Account Scheme, Kisan Credit Card for farmers, loans to self-help groups, electronic benefit transfer for payment of MGNREGA wages and social security pension, loan under differential interest rate scheme, Loans to women entrepreneurs and support to Micro and Small enterprises.

Principle 5

Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

1. **Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?**

   Yes. The bank is aware of the Human Rights content of the constitution of India and respects the freedom of associations. The HR related policies cover the operations of the Banking only. The HR policies of the bank are well laid out with equal and fair treatment of all the employees and no discrimination is made based on nationality, religion, gender, age disabilities, social and economic status of the employees. While engaging the services of the contractors for the civil construction / electrical / maintenance works at its premises, the bank follows the labour laws and other related human rights.

2. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?**

   During the year the bank has received 2183 number of complaints from the various stake holders of the bank and resolved 100% number of complaints.

Principle 6

Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. **Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/others.**

   Yes, the policy covers only the Bank

2. **Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.**

   Yes.

   In terms of the Bank's Lending policy guidance, the Bank is not extending finance for setting up of new units consuming / producing Ozone depleting substances such as Chloroflurocarbon - 11 (CFC-11), CFC-12, Mixtures of CFC-11 and CFC-12, CFC-113 Carbon Tectrachloride, Methyl chloroform, Halons - 1211, 1301, 2402.

3. **Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N**

   Given the nature of business, the bank is not vulnerable for environmental risk in a significant level.

   Yes

4. **Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?**

   Yes, various green initiatives undertaken by the bank include core banking solutions, internet banking, Tele-banking, mobile banking, ATM, E-Lobby to promote paperless banking.

5. **Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.**

   Bank has undertaken a number of initiatives to promote clean technology and energy efficiency. Bank gives due weightage and preference to environment friendly green products which earn the carbon credits, wind mills / solar power projects.

6. **Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/ SPCB for the financial year being reported?**

   The bank is engaged in providing financial services and hence not applicable.

7. **Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.**

   -NIL-

Principle 7

Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. **Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:**

   a) Indian Banks' Association (IBA)

   b) Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM).

c) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)

d) Institute of Banking Personnel selection (IBPS)

e) Banking Codes and Standard Board of India (BCSBI)

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

The bank being one of the Public Sector Banks of India, is driven by Total Objective of obtaining the benefits of the banking services to all regions of the country and to all classes of people. Further, the bank is adhering to all the policy directions / regulatory guidelines issued by Government of India and Reserve bank of India from time to time in the area of economic and financial sector reforms, inclusive growth, national priorities contributing to sustainable development of the country.

Principle 8

Business should support inclusive growth and equitable development.

1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

Lending to Self Help Groups and Joint Liability Group:

Being a successful credit delivery system in meeting the credit needs of rural and urban poor, the Bank is pursuing lending to SHGs/JLGs as one of the thrust areas. The Bank has so far credit linked 30859 groups with ₹ 740 Crore.

The special campaigns are conducted for credit linking SHGs/JLGs on a large scale directly and also through Business Correspondent model. Interest subvention benefit under GoI's NRLM is passed on to the eligible groups.

The Bank has also financed Micro Finance Institutions (MFIs) involving credit to the tune of ₹ 575 Crore which is onlent to SHGs/JLGsn and other Low Income Group.

Advances to Minority Communities stood at ₹ 5574 Crore as at March 2017, constituting 15.12% of total Priority Sector advances as against the Government norm of 15%.

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/ government structures/any other organization?

Following are the other initiatives wherein bank is involved for taking up of the projects which have created an impact in serving the people and the society.

i. **VIBSETIs (Vijaya Bank Self-Employment Training Institutes):** The Bank has established Vijaya Bank Self Employment Training Institutes [VIBSETIs] at Mandya and Haveri in Karnataka State and at Indore in Madhya Pradesh. The Institutes have been conducting various vocational training/skill upgradation /awareness programmes/Entrepreneur Development Programmes etc. All the three VIBSETIs have been graded 'AA', highest grading, for the year 2015-16 by Ministry of Rural Development (MoRD), GoI.

During the Financial Year 2016-17, VIBSETIs have conducted 98 programmes and trained 2734 beneficiaries. Since inception, totally 1548 programmes have been conducted benefitting 52461 beneficiaries. Settlement of trained candidates with gainful self-employment ventures is 69.41% as at 31.03.2017.

ii. **Vijaya Rural Development Foundation (VRDF):** Vijaya Rural Development Foundation (VRDF) was promoted by the Bank in the year 1990 at Mangalore to provide a platform for developmental programmes and conducting extension activities in rural areas promoting and fostering scientific, educational and extension activities in the field of agriculture, animal husbandry, Rural industries, services etc and also other rural development fields like literacy, self-employment, health & hygiene. VRDF has been conducting various awareness programmes covering a wide range of subjects through the Village Development Councils (VDC). At present, 44 such VDCs are functioning under VRD, during FY 2016-17, Foundation has formed 10 VDCs. The Foundation activities are spreadover Dakshina Kannada, Udupi, Kasargod and adjacent parts of Uttara Kannada district and to other districts like Haveri, Dharwad and Mandya, where the Bank has Lead Bank Responsibility.

During the financial year 2016-17, VRDF has conducted 266 programmes benefiting 13371 persons. Apart from Free Health camps, Scholarship to meritorious students, Training on cultivation aspects of various crops and animal husbandry activities etc., the following novel programmes were conducted during 2016-17:

- Preparation of Arecanut plates, which gave lot of appreciation from farmers and VDC members.
- Programmes on Soil testing and recommending the nutrients for the particular soil/crop which is in tune with Prime Minister Soil Health Card Scheme.
- Arranged Radio classes to 10th Class rural school students in Mathematics, English and Science through Akashavani Mangalore, wherein sessions were taken by expert teachers in the field, which is well received by the students of rural schools. VRDF has provided 100 radio sets to rural Government schools.
- Formed 25 “Future Farmers Clubs” to encourage the students to take interest in agriculture and allied activities, totaling to 50 “Future Farmers Clubs”. Training on Dairying, Honey bee rearing, Mushroom Cultivation, Farm Mechanization etc., were imparted for these students.
- Distribution of vegetable seeds to students and VDC members.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

Bank has opened 15.45 Lakh Basic Savings Bank Deposit accounts under PMJDY with a total savings of ₹ 158.35 Crore and all the account holders are provided with Rupay debit cards. Aadhaar numbers have been seeded in 8.42 Lakh accounts. Bank has sanctioned Overdraft facility to 37304 PMJDY account holders amounting to ₹ 101.35 Lakhs.

4. What is your company’s direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken.

During the year 2016-17, Bank has undertaken several activities aimed at sustainable development of the neglected, socially backward, economically weak and geographically distant sections of the society. Our attention is focused especially in the realm of girl child education, rural healthcare, safe drinking water, sanitation, creation of medical infrastructure, infrastructure development in rural schools, environment protection and providing access to resources to the marginalized, neglected, abandoned and the needy and these activities are undertaken/monitored through Bank’s own pan-India branch network.

During the year 2016-17, Bank has spent ₹ 496.64 Lakh by undertaking various socially useful activities as per its CSR Roadmap for year as given below:

- **Girl Child Adoption** - Tthe Scheme was introduced by our Bank in 2011 under which girl children from SC/ST/OBC/Minority/EWS families are extended financial support for their education upto Post Graduate level. During 2016-17, 967 girl children were adopted, taking the total number of girl children adopted by the Bank to 1163.
- **Sanitation to Schools -** Bank has constructed toilet blocks for boys and girls in 60 schools/ organizations, all over the country mostly in rural/ backward areas, for which Bank also pays monthly maintenance charges for proper upkeep/maintenance.
- **Rural Health Centres -** Bank has established 45 Rural Health Centres to give access to primary healthcare to rural poor all over the country, by engaging qualified doctors where consultation/ medicines are provided free of cost to all.
- **Buses**/**Vehicles for the disabled -** Bank has donated buses and vans to charitable hospitals, special schools/ orphanages to help the disabled.
- **Basic infrastructure to rural schools -** Bank has also donated educational aids/essentials to Govt. Schools like computers, generators, school furniture, uniforms etc. as students there mostly come from underprivileged sections of the society.
- **As a strategic partnership in the mid-day meal school feeding program in Govt.** schools, Bank has donated a roti making machine having a capacity of 20,000 rotis per hour.
- **Creating capital assets in medical infrastructure** by undertaking construction of children's ward in hospital, large bathrooms for the dementia affected old persons, donation of high end medical equipment to cancer hospital, dialysis machines, wheelchairs, tricycles, stretchers, beds, refrigerators, etc. so as to provide better medical facilities in Govt. hospitals, charitable hospitals, Trusts, etc. which are engaged in serving the sick, destitute, abandoned, aged, orphaned, disabled, helpless people in orphanages, old age homes, special schools, blind schools, hospitals etc.
- **Facilitating safe drinking water** in villages, slums, Govt. schools, charitable hospitals, public spaces etc, Bank has donated to install water purifying plants, digging bore wells, water purifiers, water filters, water storage tanks etc.
- **Go-green initiatives** were undertaken by way of installing solar traffic signal, maintenance of public parks, distribution of LED bulbs, tree plantation, supplying gardening implements, landscaping of public gardens, traffic circles etc.
- **Other donations** were undertaken apart from aforementioned activities such as promotion of sports, basic amenities to digital villages and providing of basic necessities/ amenities etc. to schools, charitable trusts and non-profit organizations directly for the welfare of the disabled, poor, needy and the underprivileged in order to provide succor and relief to the suffering.

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

Yes. Apart from the Bank's own initiatives which require continuous intervention through in its pan India network of branches. Monitoring and end use of funds are ensured through the nearest branches. Bank also undertakes activities that are one-off in nature such as donations and has donated liberally towards creation of infrastructure, supply of essentials to schools, old age homes, orphanages, homes for disabled/destitute, charitable hospitals, etc. to reduce their hardship and raise their standard of living on a sustainable basis.

Principle 9

Business should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.

The total number of customer complaints pending with the bank is 39 out of total complaints of 5887 i.e. only 0.67% of total complaints.

2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)

The information about the products and services offered by the bank are made available in the branches through pamphlets and brochuers and is also made available in the bank's website.

3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

-Nil-

4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

Yes, during the month of customer service committee meeting being conducted at all branches / Regional Offices, feedback on customer service is elicited and necessary and time bound corrective actions are taken to improve customer service in the deficient.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE FY 2016-17

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

Bank defines the philosophy of Corporate Governance as one which spells out the long term sustainability with strong fundamentals. Corporate Governance is a mission intended to create strong fundamentals for the bank. With changing dimensions of corporate governance practices bank need to transform into much more dynamic and forceful entity setting a broad vision for the future. Corporate governance essentially involves balancing the interests of the many stakeholders - these include its shareholders, management, customers, suppliers, financiers, government, regulators and the community. Since corporate governance also provides the framework for attaining a company's objectives, it encompasses practically every sphere of management, from action plans and internal controls to performance measurement and corporate disclosure. The essence of good corporate governance is ensuring trustworthy relations between the Bank and all its stakeholders. Therefore, good governance involves a lot more than compliance. Good corporate governance is a culture and a climate of Consistency, Responsibility, Accountability, Fairness, Transparency, and Effectiveness that is deployed throughout the organization

The Bank continues its endeavour to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels and maximizing returns with optimal use of resources. The Bank complies with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulates and adheres to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is striving hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large. The Bank is a listed entity; it's not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. Bank's corporate governance policies recognize the accountability of the Board and the importance of its decisions to all constituents, including customers, investors, employees and the regulatory authorities and demonstrates that the shareholders are the cause of and ultimate beneficiaries of our economic activities.

Green Initiatives in Corporate Governance taken by Ministry of Corporate Affairs (MCA)

Ministry of Corporate Affairs has issued circulars giving clarification regarding service of documents/ notices including copies of Annual Financial Results to shareholders in electronic form rather than sending through physical mode. This will benefit the society at large through reduction in paper consumption and in turn protect our trees which would contribute towards a sustainable greener environment. Sending of documents / communications through electronic mode also ensures prompt communication and avoids their loss in transit. We have requested all our shareholders to register their e-mail address with us to enable us to comply with the Green Initiatives envisaged by the GOI.

2. BOARD OF DIRECTORS

Good Corporate Governance starts at the top, with the Board of Directors and the Top Management who take appropriate decision and guide the Bank in achieving highest standards of excellence. Constitution of Board of Directors and other committees in respect of our Bank are governed under the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Banking Regulation Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and RBI Directives/GOI Guidelines/ICAI-Accounting.

2.1. Composition of Board of Directors as on 31.03.2017

Executive	3
Non-Executive	8
TOTAL	**11**

The Directors have been contributing their diversified knowledge, experience and expertise in respective areas of their specialization for the development of the Bank.

2.2. Composition of Board of Directors as on 31.03.2017:

Sl. No.	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Assuming Office
1.	Shri. G Narayanan	Non Executive Chairman & Non Official Director	Non Executive	14.08.2015
2.	Dr. Kishore Sansi	Managing Director & CEO	Executive	01.01.2015
3.	Shri. B S Rama Rao	Executive Director	Executive	27.09.2013
4.	Shri. Nageswara Rao Y	Executive Director	Executive	22.01.2016
5.	Shri. Sanjay Kumar	Government Nominee	Non Executive	12.09.2014
6.	Shri. G P Borah*[1]	RBI Nominee	Non Executive	13.01.2017
7.	Smt. Bharati Rao	Nominee-Shareholders	Non Executive	08.08.2014
8.	Shri. P. Vaidyanathan	Nominee-Shareholders	Non Executive	08.08.2014
9.	Shri. M Bhagavantha Rao	Non Official Director	Non Executive	28.01.2016
10.	Shri. V V R Sastry	Non Official Director	Non Executive	28.01.2016
11.	Shri. S Raghunath*[2]	Non Official Director	Non Executive	25.04.2016

Appointment of Directors during the year

*1 Shri. G P Borah, has been appointed as RBI Nominee Director w.e.f. 13.01.2017

*2 Shri. S Raghunath, has been appointed as Part time Non Official Director w.e.f. 25.04.2016.

Cessation of Directors during the year

Smt. Suma Varma, has demitted the office of RBI Nominee Director on 12.01.2017

Shri. Y Muralikrishna, Workmen Director has ceased to be Director of the Bank on completion of his term on 01.11.2016

2.3 Profile of Directors Appointed During the Year 2016-2017

NAME	Shri. G P Borah
DATE OF BIRTH	17-07-1966
AGE	51 Years
QUALIFICATIONS	MBA (Banking & Finance) LLB, CAIIB

NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	RBI Nominee Director Shri. G P Borah was appointed as RBI Nominee Director of the Bank by Government of India, under clause (c) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub clause (1) of clause 3 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980, vide notification No F.No.6/3/2011-BO.1 dated 13th January 2017.
EXPERIENCE	Shri. GP Borah is presently working as Chief General Manager in RBI Regional Office, Mumbai. He joined RBI, as an officer in Patna during March 1990. He has worked in various departments of RBI which include Currency Management, Foreign Exchange Management, Co-operative and Rural Credit Sector, Banking Regulation and Supervision, Government Debt Management & Government Business Segment and Payment & Settlement Systems.

NAME	Shri. S Raghunath
DATE OF BIRTH	24.05.1957
AGE	59 Years
QUALIFICATIONS	Ph.D
NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Part Time Non Official Director Shri. S Raghunath was appointed as Part time Non Official Director of the Bank by Government of India, sub section 3(h) and (3-A) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub clause (1) of clause 3 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980 vide notification DFS ref No F.No.6/32/2015-BO.I dated 25th April 2016.
EXPERIENCE	Shri. S Raghunath is a Professor of Corporate Strategy and Policy at IIM Bangalore. He specializes in Strategic Leadership and Strategic Alliances, E business models and strategies. He teaches Post-Graduate and doctoral courses in Alliance Management, Strategic Networks, Corporate Strategy, E Business Strategies and Models and Strategic Management in the media and Entertainment Industry, leads IIMB executive programmes on Senior Leadership coaching, strategic issues in Alliances, outsourcing, Negotiations, Strategic Leadership of IT companies and General management programme for Media and Entertainment Industry.

2.4. Board Meetings:

During the year under review, 13 Board Meetings were held on following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

07.05.2016	12.05.2016	11.06.2016	23.06.2016	22.07.2016	23.09.2016	27.10.2016	21.01.2017
02.02.2017	14.12.2016	02.02.2017	06.03.2017	13.03.2017			

Out of the above Board Meetings, 4 were Special Board Meetings held as per the directions of the Ministry of Finance vide their letter dated 10.07.2012 for discussing major policy and strategic issues

The details of attendance of the Directors at the Board Meetings including Special Board Meetings held during their respective tenure are as under.

2.5. Details of Attendance of the Directors at the Board Meetings and Last AGM:

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure	Attendance in last AGM
1.	Shri. G Narayanan	01.04.2016-31.03.2017	13	13	NO
2.	Dr. Kishore Sansi	01.04.2016-31.03.2017	13	13	YES
3.	Shri. B S Rama Rao	01.04.2016-31.03.2017	13	13	YES
4.	Shri. Nageswara Rao Y	01.04.2016-31.03.2017	13	13	YES
5.	Shri. Sanjay Kumar	01.04.2016-31.03.2017	13	6	NO
6.	Smt. Suma Varma	01.04.2016-12.01.2017	8	8	NO
7.	Shri. G P Borah	13.01.2017-31.03.2017	5	5	NO
8.	Smt. Bharati Rao	01.04.2016-31.03.2017	13	9	NO
9.	Shri. P. Vaidyanathan	01.04.2016-31.03.2017	13	10	YES
10.	Shri. Y Muralikrishna	01.04.2016-01.11.2016	7	7	NO
11.	Shri. M Bhagavantha Rao	01.04.2016-31.03.2017	13	12	YES
12.	Shri. V V R Sastry	01.04.2016-31.03.2017	13	13	NO
13.	Shri. S Raghunath	25.04.2016-31.03.2017	13	12	NO

3. COMMITTEES OF BOARD

In line with the requirements/ directions of SEBI, RBI and Ministry of Finance, the Board has constituted the following Committees of Directors. These Committees provide specific and focused governance for the activities falling within their terms of reference and as per the stipulated guidelines.

1. Management Committee
2. Audit Committee
3. Stakeholders Relationship Committee
4. Share Transfer Committee
5. Risk Management Committee
6. Committee to Review High Value Frauds
7. Head Office Level Credit Approval Committee
8. Directors Promotion Committee
9. Review Committee on Disciplinary Matters & Probity
10. Customer Service Committee
11. Remuneration Committee
12. Nomination Committee

13. Committee to decide on supporting candidates in election of shareholder directors
14. IT Strategy Committee
15. Committee For Monitoring of Recovery
16. Committee to consider appeals preferred by employees against final orders by the Managing Director & CEO as Disciplinary Authority
17. APAR Review Committee
18. Corporate Social Responsibility Committee
19. Review of Wilful Defaulters Committee
20. HR Committee

3.1. Management Committee of Board:

The Management Committee of the Board is constituted in pursuance of Clause 13 of Nationalized Banks' (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, read with the directives of the Ministry of Finance, Government of India. Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance, sanction of limits whether fund based or non fund based, compromise/ write-off, sanction of capital and revenue expenditure, investments, donations etc. The Committee exercises such powers as may be delegated to it by the Board with the approval of Central Government and concurrence of Reserve Bank of India.

During the period under review, the Management Committee of the Board (MCB) met 11 times. The details of meetings of MCB held during the year & the attendance of Director Members are as detailed below:

07.05.2016	31.05.2016	23.06.2016	14.07.2016	01.09.2016	23.09.2016	18.10.2016	28.11.2016
21.01.2017	06.03.2017	24.03.2017					

3.1.1 Details of Attendance of the Directors at the MCB Meetings:

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Dr. Kishore Sansi	Chairman	01.04.2016 - 31.03.2017	11	11
2.	Shri. B S Rama Rao	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	11	11
3.	Shri. Nageswara Rao Y	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	11	10
4.	Smt. Suma Varma	Member	01.04.2016 - 12.01.2017	8	7
5.	Shri. G P Borah	Member	13.01.2017 - 31.03.2017	3	3
6.	Smt. Bharati Rao	Member	27.08.2016 - 26.02.2017	5	5
7.	Shri. S Raghunath	Member	27.08.2016 - 26.02.2017	5	4
8.	Shri. M Bhagavantha Rao	Member	01.04.2016 - 26-08.2016 27.02.2017 - 31.03.2017	6	5
9.	Shri. V V R Sastry	Member	01.04.2016 - 26-08.2016 27.02.2017 - 31.03.2017	6	6

3.2 Audit Committee of the Board

The directives of Reserve Bank of India, provisions of Companies Act, 2013 and Listing Agreements govern the formation and functioning of Audit Committee of the Board (ACB). The ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank comprising the organization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up the statutory/external audit of the Bank and inspections of Reserve Bank of India. All the members of the Committee are financially literate.

The functions of Audit Committee include inter-alia, the following:

- Overseeing the Bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
- Reviewing with the Management, Quarterly Financial Statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning financial statements, qualifications in the audit report, compliance with stock Exchange and legal requirements concerning financial institutions, related party transactions etc.
- Reviews the findings of investigation by the internal auditors into matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control system is observed and suggests strengthening of control mechanism.
- Interacts with Statutory Central Auditors before the finalization of the annual / half yearly and quarterly accounts and reports, focusing on the changes in accounting policies and practices, qualification in the draft Audit Report etc.
- Reviewing with the management, the performance of statutory and internal auditors and adequacy of internal control system, discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on.
- The Committee specially focuses on the follow up on:
    - a) Inter Branch Adjustment Accounts
    - b) Unreconciled long standing entries in Inter Branch Accounts & NOSTRO Accounts
    - c) Arrears in balancing of books at various branches.
    - d) Frauds
    - e) Major areas of house keeping.

The Bank in its appreciation of the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of Reserve Bank of India has constituted an Audit Committee of the Board comprising of Executive Director, Government Nominee Director, RBI Nominee Directors and Non-Executive Directors

As per the requirements of RBI, the meetings of the Audit Committee should ordinarily be held at least once in a quarter and not less than six times in a year. During the year, the Audit Committee met 6 times on the following dates:

12.05.2016	22.07.2016	23.09.2016	27.10.2016	02.02.2017	17.02.2017

3.2.1. Details of Attendance of the Directors at the ACB Meetings:

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Smt. Bharati Rao*	Chairperson	01-04-2016 - 26-08-2016 27-02-2017 - 31-03-2017	2	0
2.	Shri. P. Vaidyanathan	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	6	4
3.	Shri. B S Rama Rao	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	6	6
4.	Shri. Sanjay Kumar	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	6	2
5.	Smt. Suma Varma	Member	01.04.2016 - 12.01.2017	4	4
6.	Shri. G P Borah	Member	13.01.2017 - 31.03.2017	2	2
7.	Shri. S Raghunath	Member	25.04.2016 - 26.08.2016 27.02.2017 - 31.03.2017	2	2
8.	Shri. M Bhagavantha Rao	Member	27.08.2016 - 26.02.2017	4	3
9.	Shri. V V R Sastry	Member	27.08.2016 - 26.02.2017	4	4

* Smt. Bharati Rao was Member from 01.04.2016 to 26.08.2016 and Chairperson from 27.02.2017 to 31.03.2017

3.3 Stakeholder's Relationship Committee:

The Shareholder's/Investors' Committee was constituted by the Bank with the purpose of redressal of Shareholders' and Investors' complaints on matters of their interest.

The Committee monitors the shareholders' grievances with respect to transfers, transmission, splitting and consolidation of shares issued by the bank and any other grievances of the shareholders. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

In terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations 2015, Smt. K Renu Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank.

The Committee met 4 times during the year under review on the following dates.

12.05.2016	22.07.2016	14.12.2016	02.02.2017

3.3.1. Details of Attendance of the Directors at the Stakeholder's Relationship Committee:

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri. P. Vaidyanathan*1	Chairman	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
2.	Shri. B S Rama Rao	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
3.	Shri. Nageswara Rao Y	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
4.	Smt. Bharati Rao*2	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	4	2
5.	Shri. V V R Sastry	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4

*1 Shri. P. Vaidyanathan was Member from 01.04.2016 to 26.02.2017 and Chairman from 27.02.2017 to 31.03.2017

*2 Smt. Bharati Rao was Chairperson from 01.04.2016 to 26.02.2017 and Member from 27.02.2017 to 31.03.2017.

3.4. Share Transfer Committee:

Besides the Directors' Sub Committee on Share holders'/ Investors' Grievances, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of Directors with Managing Director & CEO or Executive Director (in the absence of MD & CEO) and non-executive Directors as its members. The Committee met 4 times during the period under review with details as under.

07.05.2016	21.07.2016	27.10.2016	02.02.2017

3.4.1. Details of Attendance of the Directors at the Share Transfer Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Dr. Kishore Sansi	Chairman	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
2.	Shri. V V R Sastry	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
3.	Shri. Y Muralikrishna	Member	01.04.2016 - 01.11.2016	3	3
4.	Shri. P Vaidyanathan	Member	27.02.2017 - 31.03.2017	0	0
5.	Shri. M Bhagavantha Rao	Member	27.02.2017 - 31.03.2017	0	0

3.5. Risk Management Committee:

In terms of the recommendations of Dr. Ganguly Committee, the Risk Management Committee of the Board was constituted on 23.07.2003, to devise Bank's Risk Management Policies and strategies for Integrated Risk Management and to co-ordinate with different Risk management Committees in the Bank

Functions of the Committee interalia include the following-

1. To devise the Risk Management Policies and strategies for Integrated Risk Management and to co-ordinate with the different Risk Management Committees in the Bank.
2. Framing policies and guidelines for risk measurement.
3. Management and reporting in all the areas of risk.
4. Ensuring that risk management process (including people, system, operation, limit and control) satisfies Bank's policy.
5. Ensuring robustness of financial models and the effectiveness of all systems used to calculate risk.

The Committee met 4 times during the period under review with details as under.

21.07.2016	23.09.2016	21.01.2017	06.03.2017

3.5.1. Details of Attendance of the Directors at the Risk Management Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri. G Narayanan	Chairman	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
2.	Dr. Kishore Sansi	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
3.	Shri. B S Rama Rao	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
4.	Shri. Nageswara Rao Y	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
5.	Smt. Bharati Rao	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	4	3
6.	Shri. P. Vaidyanathan	Member	27.02.2017 - 31.03.2017	1	1
7.	Shri. M Bhagavantha Rao	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	4	3
8.	Shri. V V R Sastry	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
9.	Shri. S Raghunath	Member	25.04.2016 - 26.02.2017	3	3

3.6. Committee to Review High Value Frauds

With a view to provide focused attention on monitoring of frauds involving amounts of Rupees one Crore and above, a Committee of the Board was constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India.

The Committee met 1 time during the period on 22.01.2017

3.6.1 Details of Attendance of the Directors at the Committee to Review High Value Fraud Cases

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri. G Narayanan	Chairman	01.04.2016 - 31.03.2017	1	1
2.	Dr. Kishore Sansi	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	1	1
3.	Shri. B S Rama Rao	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	1	1
4.	Shri. Nageswara Rao Y	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	1	1
5.	Shri. Sanjay Kumar	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	1	1
6.	Shri. M Bhagavantha Rao	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	1	1
7.	Shri. S Raghunath	Member	25.04.2016 - 26.02.2017	1	1
8.	Shri. V V R Sastry	Member	27.02.2017 -31.03.2017	0	0

3.7 HEAD OFFICE LEVEL CREDIT APPROVAL COMMITTEE (HLCC)

Board of Directors in its meeting held on 28.12.2011 had approved the constitution of Credit Approval Committee of the Board as per the direction of Government of India vide communication bearing reference no 13/1/2006-BO.1 dated 5th December, 2011. As per the notification, the Committee shall exercise powers of Board with regard to sanction of credit proposals upto ₹ 400 Crore in case of category 'A' Banks having business of ₹ Three Lakh Crore or more and credit proposals upto ₹ 250 Crore in case of other nationalized Banks. Credit proposals exceeding the delegated powers of Officials of the Bank including MD & CEO shall be placed to this Committee for approval. Credit proposals above this limit shall continue to be placed before the Management Committee of the Board for sanctions. Besides sanctioning the credit proposals (funded and non funded), loan compromise/ write off proposals upto an amount of ₹ 4 Crore (excluding fraud cases which will continue to be placed to the MCB) will also be placed to this Committee.

During the year 19 meetings of HLCC were held on the following dates:

21.04.2016	11.05.2016	01.06.2016	24.06.2016	20.07.2016	29.07.2016	20.08.2016
17.09.2016	23.09.2016	05.11.2016	21.11.2016	14.12.2016	28.12.2016	12.01.2017
31.01.2017	16.02.2017	07.03.2017	24.03.2017	30.03.2017		

3.7.1 Details of Attendance of the Members in HLCC meetings:

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Dr. Kishore Sansi	Chairman	01.04.2016 - 31.03.2017	19	19
2.	Shri. B S Rama Rao	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	19	19
3.	Shri. Nageswara Rao Y	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	19	19
4.	Shri. Murali Ramaswami General Manager Credit (O) and General Manager Accounts	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	19	18
5.	Shri. Jagan Mohan General Manager RMD	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	19	17
6.	Shri. A C Swain Alt General Manager CAD	Member	20.07.2016 - 31.03.2017	15	11
7.	Smt. Gayathri Devi T S General Manager Credit (O)	Member	11.02.2017-31.03.2017	4	4

Apart from the above, the concerned General Manager for Credit (Retail & MSME), Credit (Priority) and Credit (R&R) were present for their respective proposals, whenever required.

3.8 Review Committee on Disciplinary Matters and Probity

The Committee was formed to oversee the following

a. Vigilance Disciplinary Cases and Departmental Enquiries

b. Non Vigilance Disciplinary Cases

c. Review under Regulation 19(2) of Officers Service Regulations

The Committee consists of

1. Managing Director & CEO
2. Executive Directors
3. GOI Nominee Director
4. RBI Nominee

The Committee met 4 times during the period under review as under:

07.05.2016	23.09.2016	22.01.2017	06.03.2017

3.8.1 Details of Attendance of the Directors at the Review Committee on Disciplinary Matters and Probity

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Dr. Kishore Sansi	Chairman	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
2.	Shri. B S Rama Rao	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
3.	Shri. Nageswara Rao Y	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	4	4
4.	Shri. Sanjay Kumar	Member	01.04.2016 - 31.03.2017	4	3
5.	Smt. Suma Varma	Member	01.04.2016 - 12.01.2017	2	2
6.	Shri. G P Borah	Member	13.01.2017 - 31.03.2017	2	2

3.9 Directors Promotion Committee

The Committee was formed to oversee the following Promotions from TEGS VI to TEGS VII

Appeal in respect of Promotion to SMGS IV & Above.

Committee consists of the following members-

1. MD & CEO
2. RBI Nominee Director
3. One Part Time Non Official Director

Committee met once on 11.02.2017

3.10 Customer Service Committee

Pursuant to directives of RBI, Customer Service Committee has been constituted by the Board on 08.09.2004.

The Customer Service Committee of the Board is expected to:

1. Oversee the functioning of the Bank's Adhoc Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services.
2. Address the formulation of a Comprehensive Deposit Policy, incorporating issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his account, product approval process, annual survey of depositor satisfaction and triennial audit of such services.
3. Introduce innovative measures for enhancing the quality of customer service and
4. Improve the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times.

The Committee met 4 times during the period under review as under:

21.07.2016	18.01.2017	20.02.2017	28.03.2017

3.10.1 Details of Attendance of the Directors at the Customer Service Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Dr. Kishore Sansi	Chairman	01.04.2016 -31.03.2017	4	4
2.	Shri. B S Rama Rao	Member	01.04.2016 -31.03.2017	4	4
3.	Shri. Nageswara Rao Y	Member	01.04.2016 -31.03.2017	4	4
4.	Shri. Y Muralikrishna	Member	01.04.2016 -01.11.2016	1	1
5.	Shri. M Bhagavantha Rao	Member	01.04.2016 -31.03.2017	4	3
6.	Shri. V V R Sastry	Member	01.04.2016 -31.03.2017	4	4
7.	Shri. S Raghunath	Member	27.02.2017-31.03.2017	1	1

3.11. REMUNERATION COMMITTEE

Remuneration to Whole Time Directors is paid as per Government of India guidelines. In terms of the GOI letter F.No.20/1/2005-BO.1 Dt.09.03.2007, Board of Directors of the Bank constituted the Remuneration Committee on 30.07.2007.The Committee is formed to evaluate the performance linked incentives to whole time Directors, viz., Managing Director & CEO and the Executive Director, and to award eligible incentive as on 31st March of the relevant year.

The Committee did not meet during the period.

The details of remuneration to Managing Director & CEO and ED's during the year 2016-2017 are as detailed below:

Particulars	Dr. Kishore Sansi (MD & CEO)	Shri. B. S. Rama Rao (ED)	Shri. Nageswara Rao Y (ED)
Salary	26,63,971.95	23,61,700.80	22,49,654.86
PI Encashment on Retirement	-	-	-
Allowances	-	-	-
Contribution on PF	2,90,350.50	2,57,412.00	2,39,716.50
Other-performance			
Linked Incentive	-	-	-
Other (LFC, Medical, etc.)	42,102.00	98,213.70	22,367.00
Other Perquisites	19,200.00	19,200.00	19,200.00
Total	**30,15,624.45**	**27,36,526.50**	**25,30,938.36**
Stock Option	-	-	-

The Non Executive Directors are not being paid any remuneration, except the Sitting Fees, traveling and halting expenses for attending the meetings of the Board / Committees as per the guidelines of Government of India. The sitting fees paid as per Government of India directives.

The Total Sitting Fees paid to the Non Executive Directors for the financial year 2016-17 is as under-

Name of the Non - Executive Director	Sitting Fees paid (₹)
Shri. G Narayanan	380,000
Shri. P Vaidyanathan	350,000
Smt. Bharati Rao	300,000
Shri. Y. Muralikrishna	200,000
Shri. M Bhagavantha Rao	520,000
Shri. V V R Sastry	660,000
Shri. S Raghunath	410,000
Total	**28,20,000**

3.12 NOMINATION COMMITTEE

As directed by the Reserve Bank of India, vide their letter DBOD.No.BC.No.47/29.39001 /2007-08 dated 01.11.2007, the Nomination Committee of the Board was constituted on 28.12.2007, to undertake the process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected Directors/the persons to be elected as Directors under Sec.9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980. The Committee consists of three Directors as members:

The Committee met once during the period under review on 23.06.2016 and found that the persons elected as Directors fulfill the 'fit and proper' criteria stipulated by the Reserve Bank of India.

3.12.1 Details of Attendance of the Directors at the Nomination Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri. G Narayanan	Chairman	01.04.2016 -31.03.2017	1	1
2.	Shri. Sanjay Kumar	Member	01.04.2016 -31.03.2017	1	1
3.	Shri. V V R Sastry	Member	01.04.2016 -31.03.2017	1	1

3.13 COMMITTEE TO DECIDE ON SUPPORTING CANDIDATES IN ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS IN PSBS, FIS AND PUBLIC SECTOR INSURANCE COMPANIES

In line with the Ministry of Finance, GOI directives, the Board in its meeting held on 31.05.2012, approved the constitution of the committee, to take a decision on supporting candidates in the election of shareholder directors, where the Bank has invested in the shares of those companies.

The committee consists of the following members:

1. Managing Director & CEO- Chairman of the Committee
2. Executive Director/s- Member
3. One Non-Official Director- Member

During the year the committee did not meet since there was no such event.

3.14 IT STRATEGY COMMITTEE:

In line with the guidelines issued by the RBI and IBA recommendations, Board of Directors at its meeting held on 18.02.2012 has constituted the IT Strategy Committee with an outside technical expert as a special invitee.

Scope of the functions of the IT Strategy Committee inter-alia is as under:-

1. To advise the Bank on strategic direction on IT and to review IT investments on Board's behalf.
2. To approve IT Strategy and Policy documents and ensure that Business Strategy is aligned to IT Strategy.
3. To ascertain that management has implemented processes and practices that ensures that IT delivers value to the business.
4. Monitoring the method the management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing and use of IT resources.
5. To evaluate effectiveness of management's monitoring of IT risks and management's performance in IT implementation.
6. Issuing high level policy guidance related to risk.

During the year the Committee met 4 times as under:

21.07.2016	22.11.2016	14.12.2016	21.03.2017

Besides the Directors we have IT Experts as member and quorum for the meeting mandatorily requires the presence of One IT Expert

3.14.1 Details of Attendance of the Directors at the IT Strategy Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri. G Narayanan	Chairman	01.04.2016-31.03.2017	4	4
2.	Smt. Bharati Rao	Member	27.02.2017-31.03.2017	1	0
3.	Shri. B S Rama Rao	Member	01.04.2016-31.03.2017	4	4
4.	Shri. Nageswara Rao Y	Member	01.04.2016-31.03.2017	4	4
5.	Shri. V V R Sastry	Member	01.04.2016-31.03.2017	4	4
6.	Shri. P Vaidyanathan	Member	01.04.2016-26.02.2017	3	2
7.	Shri. M Bhagavantha Rao	Member	01.04.2016-31.03.2017	4	3
8.	Shri. S Raghunath	Member	25.04.2016-31.03.2017	4	4

3.15 COMMITTEE FOR MONITORING OF RECOVERY

In line with the Ministry of Finance letter dated 21.11.2012; the Board has constituted the committee for Monitoring of recovery to monitor / review the progress in recovery/ management of NPAs in general and of high value accounts of ₹ 1 Crore and above in particular.

The Committee met 6 times during the period under review, as under:

07.05.2016	23.09.2016	22.01.2017	17.02.2017	20.02.2017	06.03.2017

3.15.1 Details of Attendance of the Directors at the Committee for Monitoring of Recovery

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Dr. Kishore Sansi	Chairman	01.04.2016 -31.03.2017	6	6
2.	Shri. B S Rama Rao	Member	01.04.2016-31.03.2017	6	6
3.	Shri. Nageswara Rao Y	Member	01.04.2016 -31.03.2017	6	6
4.	Shri. Sanjay Kumar	Member	01.04.2016 -31.03.2017	6	3
5.	Shri. V V R Sastry	Member	02.02.2017-31.03.2017	3	3

3.16 COMMITTEE TO CONSIDER APPEALS PREFERRED BY EMPLOYEES AGAINST FINAL ORDERS BY THE MANAGING DIRECTOR & CEO AS DISCIPLINARY AUTHORITY

The Committee was formed on 29.03.2010 to consider appeals from employees against final order by the Managing Director & CEO as Disciplinary Authority to protect the interest of employees. The committee consists of GOI Nominee Director, RBI Nominee Director and Non official Director (Chairman of the Audit Committee of the Board)

During the year the committee did not meet since there was no such appeal.

3.17 APAR REVIEW COMMITTEE:

The Committee was formed on 14.09.2013 for reviewing/upgrading the rating in Annual Performance Appraisal Reports (APAR) for Executives in TEGS-VII and the same was reconstituted on 31.10.2014.

During the year the committee did not meet since there was no such matter.

3.18 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE:

Vijaya Bank has, over the years, taken up several CSR initiatives on a voluntary basis to bring about long term impact on the lives of the underprivileged and neglected sectors of the society. Bank has a robust CSR policy and put in place a Roadmap for undertaking CSR activities every year by focusing on some important areas of national importance such as girl child education, rural healthcare, sanitation, facilitating safe drinking water, donation of ambulance/ vehicles, infrastructural support to schools/colleges in backward areas, environmental conservation, extending financial aid in times of natural calamities and other initiatives. Bank has contributed immensely to infrastructural development in rural, backward and remote regions. The increasing emphasis laid on CSR by the Bank is evident by the increasing number, spread and scope of CSR activities of the Bank over the years.

The CSR Committee was formed on 17.01.2014 for enhancing the scope of work on Corporate Social Responsibility in line with the above

The Committee met 4 times during the period as under

07.05.2016	27.10.2016	21.01.2017	06.03.2017

3.18.1 Details of Attendance of the Corporate Social Responsibility Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Dr. Kishore Sansi	Chairman	01.04.2016 -31.03.2017	4	4
2.	Shri. B S Rama Rao	Member	01.04.2016 -31.03.2017	4	4
3.	Shri. Nageswara Rao Y	Member	01.04.2016 -31.03.2017	4	4
4.	Shri. V V R Sastry	Member	01.04.2016 -26.02.2017	3	3
5.	Shri. M Bhagavantha Rao	Member	01.04.2016 -26.02.2017	3	3
6.	Shri. Y Muralikrishna	Member	01.04.2016 -01.11.2016	2	2
7.	Smt. Bharati Rao	Member	27.02.2017 -31.03.2017	1	1
8.	Shri. P Vaidyanathan	Member	27.02.2017-31.03.2017	1	1

3.19 REVIEW OF WILFUL DEFAULTERS COMMITTEE

The Committee was formed on 17th January 2015 as per the guidelines of the RBI issued vide Master circular RBI/2014-15/73 dated 1st July 2014, to review the grievances of those borrowers identified as Willful defaulters. The committee comprises of MD & CEO as the Chairman and two Non Executive Directors as Members.

The Committee met 5 times during the period as under

23.06.2016	23.09.2016	14.12.2016	02.02.2017	06.03.2017

3.19.1 Details of Attendance of the Review of Wilful Defaulters Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Dr. Kishore Sansi	Chairman	01.04.2016-31.03.2017	5	5
2.	Shri. P Vaidyanathan	Member	01.04.2016-26.02.2017	4	3
3.	Shri. M Bhagavantha Rao	Member	01.04.2016-26.02.2017	4	4
4.	Shri. V V R Sastry	Member	27.02.2017-31.03.2017	1	1
5.	Shri. S Raghunath	Member	27.02.2017-31.03.2017	1	1

3.20 HR COMMITTEE:

The Committee was formed on 14th February 2015 to address the critical HR issues.

The Scope of the Committee is as under-

1) To analyze the manpower plan vis - a- vis the goals set by the Bank
2) To analyze, review and monitor Executive/Capability development programmes and training programmes as approved/ recommended by the training advisory committee.
3) To review and draw employee engagement initiatives to drive organization success.
4) To review staff resourcing trends and Human Resources Metrics
5) To guide the Bank on various HR Policies and in Succession Planning.
6) Any other relevant matters identified from time to time, or advised by the Board.

The committee comprises of the Chairman, MD & CEO, Executive Directors and other Non Official Directors.

The Committee met 2 times during the period as under

07.05.2016	27.10.2016

3.20.1 Details of Attendance of the HR Committee

Sl. No.	Name of Director	Designation	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended during the tenure
1.	Shri. G Narayanan	Chairman	01.04.2016-31.03.2017	2	2
2.	Dr. Kishore Sansi	Member	01.04.2016-31.03.2017	2	2
3.	Shri. B S Rama Rao	Member	01.04.2016-31.03.2017	2	2
4.	Shri. Nageswara Rao Y	Member	01.04.2016-31.03.2017	2	2
5.	Smt. Bharati Rao	Member	01.04.2016-31.03.2017	2	0
6.	Shri. M Bhagavantha Rao	Member	01.04.2016-31.03.2017	2	2
7.	Shri. S Raghunath	Member	01.04.2016-31.03.2017	2	2
8.	Shri. V V R Sastry	Member	27.02.2017-31.03.2017	0	0

4. Particulars of Shareholdings of Non-Executive/Shareholder Directors as on 31.03.2017:

Sl. No.	Name of Director	Number of shares held
1.	Shri. G Narayanan, Non Executive Chairman	NIL
2.	Smt. Bharati Rao, Shareholder Director	100
3.	Shri. P Vaidyanathan, Shareholder Director	1,100
4.	Shri. M Bhagavantha Rao, Non Official Director	NIL
5.	Shri. V V R Sastry, Non Official Director	NIL
6.	Shri. S Raghunath, Non Official Director	NIL

5. CODE OF CONDUCT:

Bank has been following the Code of Conduct as stipulated in the SEBI (LODR) Regulations. Accordingly, confirmation has been obtained from all Directors/ top management personnel on an annual basis for compliance of the same. The code of conduct is also hosted in Bank's Website.

6. GENERAL BODY MEETING

The details of the last three Annual General Meeting held are furnished below:

	Special Resolution	Date	Time	Venue
14th AGM	YES	27.06.2014	11.00 A M	Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium, Vijaya Bank, M.G. Road, Bengaluru.
15th AGM	YES	22.06.2015	10:30 A M	
16 th AGM	YES	24.06.2016	10.00 A M	

The following Directors were present during the Sixteenth Annual General Meeting. There was one Special Resolution on capital raising plan which was passed in the meeting:

1.	Dr. Kishore Sansi	Managing Director & CEO
2.	Shri. B S Rama Rao	Executive Director
3.	Shri. Nageswara Rao Y	Executive Director
4.	Shri. P Vaidyanathan	Shareholder Director & Chairman of ACB
5.	Shri. M Bhagavantha Rao	Non Official Director

Shri. M M Dawla, Under Secretary, Ministry of Finance, Government of India was also present at the Meeting as an Observer of the Government of India.

7. Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

Share transfers, dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Share Transfer Agent. The Bank ensures that all transfer of shares is duly effected within the stipulated period from the date of their lodgments. The Board has constituted Stakeholder's Relationship Committee and In- house Executive Committee for Share Transfer to redress shareholders' grievances and to consider transfer of shares and other related matters. The Committees meets at regular intervals and reviews the status of Stakeholders Grievances besides confirming transfer of shares.

The Bank has appointed M/s Link Intime India Pvt Limited as its Registrar & Share Transfer Agent whose duty is to process share transfers, dividend payments, recording of shareholders' requests, and resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. The Investors may lodge their transfer deeds/requests/complaints with the Registrar at the following address:

M/s Link Intime India Private Limited

M/S Link Intime India Private Limited
C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai 4000 83

Tel : 022 – 49186270
FAX: 022 – 49186060
Email : rnt.helpdesk@linkintime.co.in
Website : www.linkintime.co.in

For the convenience of investors, requests for the share transfers and grievances / complaints from shareholders are also accepted at the Bank's Head Office in Bengaluru at the following address:

General Manager,
Board Secretariat (Shares Division)
Vijaya Bank, Head Office,
41/2, M. G. Road, Bengaluru
Karnataka - 560 001

Telephone : 080 25584066 Extn.514
Fax : 080 25594737
e-mail : sdigc@vijayabank.co.in
website : www.vijayabank.com

The prompt response and immediate redressal of grievances of shareholders is the utmost concern of the Bank and is fully ensured.

Share Transfer System:

The transfers of Bank's Equity Shares are effected by our Share Transfer Agent- M/s Link Intime India Private Limited, Mumbai. The share transfer requests, as and when received by them, are scrutinized and if found in order, are processed and sent to Bank's Head Office for approval.

The lists of requests for share transfers/ dematerialization/ rematerialization/ split/ replacement/ consolidation etc., are placed before the In House Share Transfer Committee for approval. After getting the approval from the Committee, M/s Link Intime India Private Limited effects the transfers, demat etc., and sends it to the shareholders. The Bank ensures that all transfers of shares are duly effected within the stipulated period from the date of their lodgment.

As per the SEBI (LODR) Regulations, 2015, a report on share transfers effected by the R & T Agent and approved by the Share Transfer Committee is placed before the Board of Directors of the Bank for information.

Number of Complaints received, resolved and pending

All the complaints from shareholders are received directly by M/s. Link Intime India Private Limited, Mumbai and those received by the bank are forwarded to them. The details of requests / complaints received and resolved during 2016-2017 and pending as on 31.03.2017 are as follows:

Particulars	Pending As on 01.04.2016	Received	Resolved	Pending As on 31.03.2017
a) No. of Requests	NIL	2183	2183	NIL
b) No. of Complaints	NIL	1220	1220	NIL

None of the above complaints were pending for more than one month. As on 31.03.2017, no share transfer requests were pending at our end.

8. Disclosure, Communication and Relationship with Shareholders

There are no materially significant Related Party Transactions of the Bank with its Promoters/ Directors, Management, their Subsidiaries and/or Relatives that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters. The Bank has conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.

The details of familiarization programmes imparted to our Independent Directors can be viewed at the following link.

Investors Corner-----> Disclosures under SEBI (LODR)→ https://www.vijayabank.com/Investors-Corner/Disclosure-Under-SEBI-LODR

The Bank has drawn whistle blower policy as per the GOI guidelines and the protection has been extended to the Whistle Blower.

Reserve Bank of India has given specific guidelines regarding the related party disclosures and the Bank has been complying with the same. As per RBI, related parties for a Bank are its Parents/ Subsidiaries/ Associates/ Joint Ventures, Key Managerial Personnel (KMP) and relatives of KMP. For an Indian Bank, KMP are the Whole Time Directors.

Information relating to Bank is sent mainly through the Annual Report which includes the Chairman's Statement, the Directors Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements etc. The shareholders are also intimated on the quarterly, half yearly and annual performances through publication in news papers,

intimation to stock exchanges, press releases and also through Bank's website www.vijayabank.com as also through PPTs made to the investors or the analysts.

In terms of Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations 2015, Financial Results and other price sensitive information's are furnished to the Stock Exchanges. During the financial year the quarterly financial results were published in the following newspapers as mentioned below table. The results are also displayed on the web site of the bank www.vijayabank.com

Quarter Ended	Date of Publication	Newspaper	
		Vernacular	National
30.06.2016	23.07.2016	Vijaya Karnataka (Kannada)	Business Line (Engilsh) Business Standard (Hindi)
30.09.2016	28.10.2016	Vijaya Karnataka (Kannada)	Business Line (English) Business Standard (Hindi)
31.12.2016	02.02.2017	Udayavani (Kannda)	Business Line (English) Financial Express (English) Business Standard (Hindi)
31.03.2017	10.05.2017	Udayavani (Kannada)	Business Line (English) Mint (English) Business Standard (Hindi)

9. Mandatory and non-mandatory requirements

9.1 The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (LODR) Regulations, 2015.

9.2 The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder.

	REQUIREMENT	COMPLIANCE
9.2.1.	**The Board** A Non-Executive Chairman should be entitled to maintain the Chairman's office at the company's expense and also be allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Yes
9.2.2.	**Shareholder Rights** The half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, should be sent to each household of shareholders.	The Bank sends yearly financial results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders. Bank's quarterly financial results are published through Newspapers, Stock Exchanges and also through Bank's Website, after approval of the same by the Board of Directors.
9.2.3.	**Modified Opinion (s) in Audit Report** Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	There is no qualification in Auditors report of the Bank for the year ended 31.03.2017

9.2.4.	**Separate Posts of Chairman and CEO** The Company may appoint separate persons to the post of Chairman and Managing Director/CEO	The Government of India has nominated/appointed separate persons to the post of Chairperson and MD & CEO.
9.2.5.	**Reporting of Internal Auditor** The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	The Internal Audit function/ its terms of reference and composition of the Audit Committee of the Board & its terms of reference are governed through the guidelines/circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India, which the Bank comply.

10. Shareholders' Information:

The Bank is a Scheduled Commercial Bank having its Head Office at Bengaluru. The Bank has its presence in all parts of the country with 2031 network of Branches as on 31.03.2017. The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges:

1) BSE Limited
Corporate Relationship Department,
1st Floor, New Trading Ring,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001
BSE CODE: 532401

2) National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400051
NSE CODE : VIJAYA BANK

The annual listing fees to the Stock Exchanges for the year 2016-17 have been paid within prescribed due dates.

10.1 Dematerialisation of Securities:

Dematerialization of shares of the Bank is not compulsory but the Bank has its shares Dematerialized with National Securities Depository Ltd and Central Depository Services (India) Limited. Bank has been allotted ISIN Code No. INE705A01016 for the Dematerialized Equity Shares. There is normal liquidity as the shares of the Bank are dealt with at two Stock Exchanges. Bank has complied with SEBI requirements with regard to Share Capital Audit for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both the depositories i.e. NSDL and CDSL and the total issued and listed capital of the Bank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI, is certified by a practising Company Secretary

Particulars of shares held in Demat and Physical form held by the Equity Shareholders as of 31.03.2017 are as under:

	No of share holders	No. of shares	Percentage Shareholding
DEMAT			
President of India*	1	70,25,32,074	70.33
Others in NSDL	128137	25,17,57,722	25.20
Others in CDSL (* Shares held by GOI is held with CDSL)	54433	72,45,01,301	72.53
Total - A	**182570**	**97,62,59,023**	**97.73**
Physical			
	69189	2,25,86,317	2.27
Total - B	**69189**	**2,25,86,317**	**2.27**
Grand Total (A+B)	**2,51,759**	**99,88,45,340**	**100**

10.2 Dividend paid by the Bank during the year 2015-2016:

During the year 2016-17, Bank has not declared any dividend pertaining to the financial year 2015-16.

10.3 Share Capital of the Bank:

As per section 3 (2A) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1980, the Central Government, may after consultation with RBI and by notification in the Official Gazette, increase or reduce the Authorized Capital as it thinks fit, and after such increase or reduction, the Authorized Capital shall not exceed three thousand Crore of rupees or should not be less than one thousand five hundred Crore of rupees.

The Government of India vide notification dated 10/11/2009 increased the Authorized Capital of the Bank from ₹ 1500 Crore to ₹ 3000 Crore. Accordingly Authorized Capital of the Bank at present is ₹ 3000 Crore divided into 300 Crore fully paid shares of ₹ 10 each.

At present, Government of India holds 70.33% Equity Share Capital of the Bank and is the major shareholder of the Bank. The details of present Paid up Capital of the Bank is as follows:

(₹ Crore)

Authorised Capital:

300 Crore Shares of ₹ 10 each ₹ 3000.00

Paid up Capital:

99,88,45,340 Equity Shares of ₹ 10 each ₹ 998.85

Total Paid up Capital ₹ **998.85**

Table 1 : Category wise Distribution of Equity Shareholding as on 31.03.2017

	Category	No. of Shares held	Percentage of Shareholding
A	**Promoter's Holding**		
1	Promoters		
	- Indian Promoters(Govt Of India)	70,25,32,074	70.33
	- Foreign Promoters	-	-
2	Persons Acting In Concert	-	-
	Sub-Total	**70,25,32,074**	**70.33**
B	**Non-Promoters Holding**		
3	Institutional Investors		
	a) Mutual Funds & UTI	99,26,048	0.99
	b) Banks, Financial Institutions, Insurance Companies, (Central/state Institutions/Non-Government Institutions)	13,70,48,236	13.72
	c) FIIs/FMFs	3,20,97,308	3.21
	Sub-Total	**17,90,71,592**	**17.92**
C	**Others**		
	a) Corporate Bodies	1,28,89,541	1.29
	b) Indian Public	9,98,27,283	10.00
	c) NRIsssss	34,05,021	0.34
	d) Any Other (Clg Member & Market Maker)	11,19,829	0.12
	e) Foreign Nationals	-	-
	Sub-Total	**11,72,41,674**	**11.75**
	GRAND TOTAL	**99,88,45,340**	**100.00**

Table 2 : Total Foreign shareholding as on 31.03.2017

Sl. No.	Particulars	Number of Shares	Percentage of Shareholding
1	GDR & ADR holding	Nil	Nil
2	Foreign Promoters	Nil	Nil
3	Foreign Institutional Investors / Foreign Portfolio Investor	32088542	3.21
4	Foreign Mutual Funds	8766	0.009
5	NRIs	3405021	0.34
6	Foreign Banks	Nil	Nil
7	Foreign National	Nil	Nil
	Total	**35502329**	**3.56**

Table 3 : List of Shareholders holding more than 1% of equity shares of the bank as on 31.03.2017

Sl. No.	Name of share Holders	No. of shares Held	Percentage of Shareholding	Category
1	President of India	702532074	70.33	Indian promoter
2	LIC of India	129116293	12.92	Govt. Sponsored Financial Institution

10.4 Stock Market Data

The monthly high & low quotations and the volume of shares traded on for NSE and BSE for the period April 2016 to March 2017 are as follows:

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE)

Month		High (₹)	Low (₹)	Close (₹)	Close Date	Volume of Shares Traded	NSE NIFTY
April	2016	33.10	30.70	**31.70**	29.04.2016	6879827	7849.80
May	2016	33.30	29.80	**30.35**	31.05.2016	7968769	8160.10
June	2016	39.05	29.60	**37.55**	30.06.2015	18661370	8287.75
July	2016	45.90	37.10	**41.30**	29.07.2016	29266893	8638.50
August	2016	41.65	36.50	**38.60**	31.08.2016	9641872	8786.20
September	2016	43.30	37.50	**40.70**	30.09.2016	10785120	8611.15
October	2016	46.70	39.60	**43.75**	30.10.2016	17047475	8625.70
November	2016	54.40	37.10	**44.50**	30.11.2016	29811531	8224.50
December	2016	50.35	43.70	**47.45**	30.12.2016	10868666	8185.80
January	2017	53.50	46.00	**52.40**	31.01.2017	10829881	8561.30
February	2017	74.00	52.20	**70.35**	28.02.2017	62819310	8879.60
March	2017	72.35	61.55	**68.75**	31.03.2017	26916734	9173.75

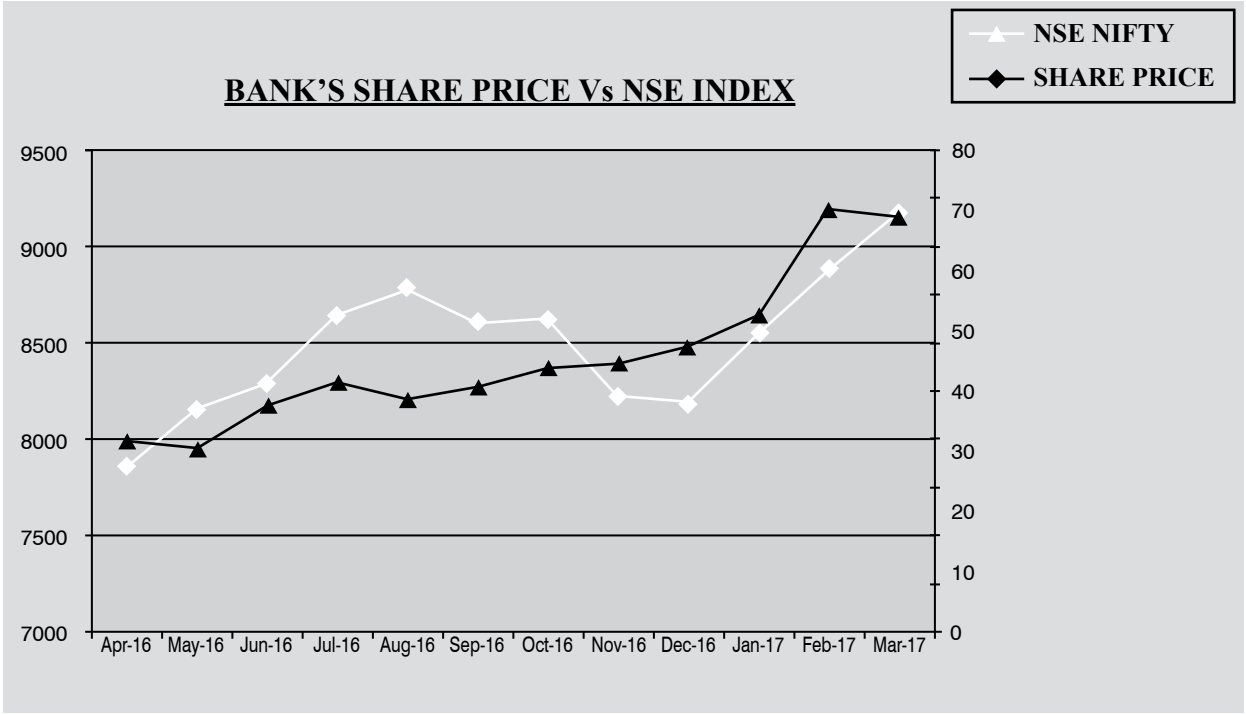

BSE LIMITED (BSE)

Month		High (₹)	Low (₹)	Close (₹)	Close Date	Volume of Shares Traded	NSE NIFTY
April	2016	33.00	30.80	**31.75**	29.04.2016	33570548	25606.62
May	2016	33.25	29.75	**30.55**	31.05.2016	38271855	26667.96
June	2016	38.90	29.65	**37.50**	30.06.2016	108438350	26999.72
July	2016	45.95	37.10	**41.20**	29.07.2016	224143627	28051.86
August	2016	41.70	36.55	**38.60**	31.08.2016	50629084	28452.17
September	2016	43.40	38.10	**40.45**	30.09.2016	77778654	27865.96
October	2016	46.60	39.60	**43.90**	30.10.2016	100115855	27930.21
November	2016	54.45	38.10	**44.75**	30.11.2016	234223034	26652.81
December	2016	50.50	43.65	**47.40**	30.12.2016	86055846	26626.46
January	2017	53.80	46.00	**52.25**	31.01.2017	76313064	27655.96
February	2017	73.90	52.10	**70.15**	28.02.2017	601106141	28743.32
March	2017	72.40	61.75	**68.50**	31.03.2017	249757651	29620.50

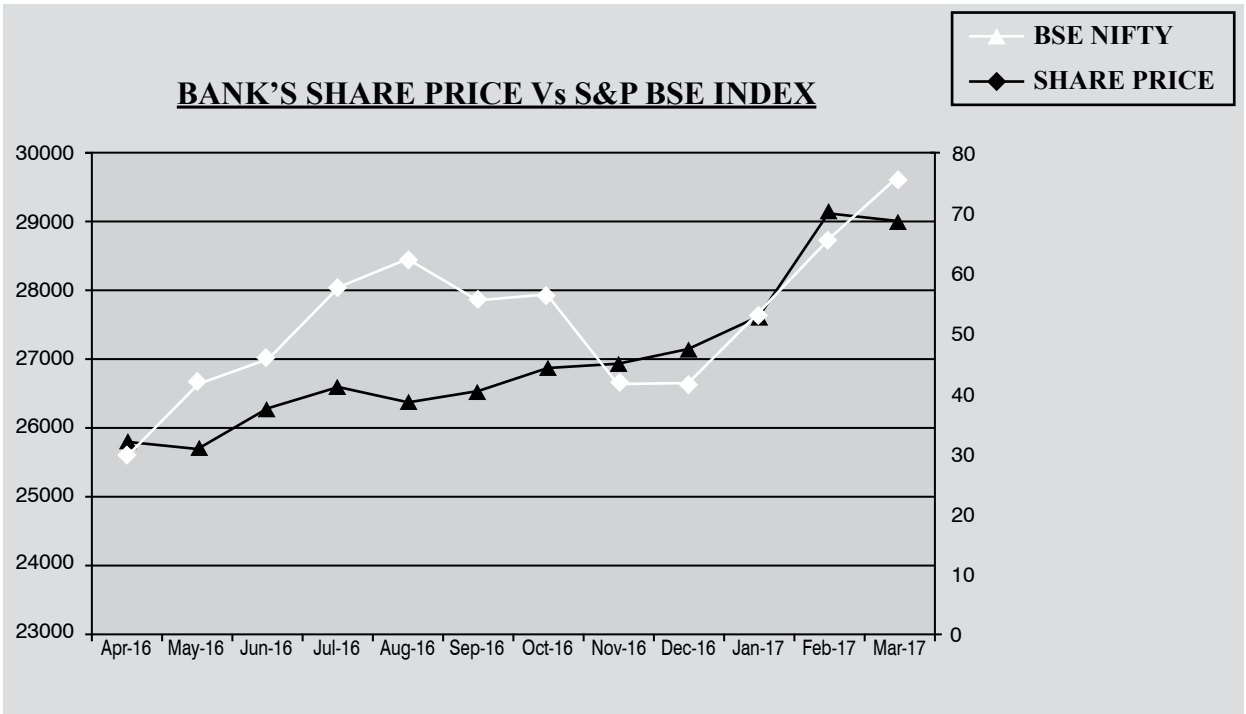

10.5. Value wise Distribution of Share holding of Vijaya Bank as on 31.03.2017

Shareholding of Nominal value ₹	Shareholders		Shares	
	Nos.	Percentage	Amt in ₹	Percentage
1 to 5000	218899	86.9478	347746410	3.4815
5001 to 10000	21026	8.3516	182123800	1.8233
10001 to 20000	6914	2.7463	106311620	1.0643
20001 to 30000	1639	0.6510	42105220	0.4215
30001 to 40000	903	0.3587	33021410	0.3306
40001 to 50000	589	0.2340	28017110	0.2805
50001 to 100000	934	0.3710	69774870	0.6986
100001 and above	855	0.3396	9179352960	91.8996
TOTAL	**251759**	**100.00**	**9988453400**	**100.00**

G. Narayanan	**Dr. Kishore Sansi**	**B. S. Rama Rao**
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director
Y. Nageswara Rao	**Sanjay Kumar**	**G P Borah**
Executive Director	Director	Director
M. Bagavantha Rao	**V. V. R. Sastry**	**S Raghunath**
Director	Director	Director
Bharati Rao	**P. Vaidyanathan**	
Director	Director	

Place : Bengaluru

Date : 09.05.2017

DECLARATION BY MD & CEO

I Confirm that all Board Members and Senior Management have affirmed Compliance with the Banks Code of Conduct for the Financial Year 2016-17.

Bengaluru
09.05.2017

Dr. Kishore Sansi
Managing Director & CEO

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of Vijaya Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by VIJAYA BANK for the year ended on 31st March 2017, as stipulated in the relevant regulations of SEBI (LODR) 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

We wish to bring to your notice that in respect of "Constitution of Board of Directors, Audit Committee/ other Committees, Remuneration of Directors, board procedures /Related Party Transactions/ Whistle Blower/ Management and Compliance", as stipulated under relevant regulations of SEBI (LODR) Regulations of 2015, the Bank is governed by the provisions stipulated under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Banking Regulation Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and RBI Directives/GOI Guidelines/ ICAI-Accounting Standards whenever applicable. The Bank has therefore complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned SEBI (LODR) Regulations 2015 to the extent these do not violate the above guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month, against the Bank, as per the records maintained by the Stakeholder's Relationship Committee and as certified by the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For M/s PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
Registration No: 003990S/S200018

[RAJESHWARI S]
Partner
Membership No: 024105

For M/s JAGANNATHAN & SARABESWARAN
Chartered Accountants
Registration No: 001204S

[P S NARASIMHAN]
Partner
Membership No: 020936

For M/s SHIV JINDAL & CO
Chartered Accountants
Registration No: 011316N

[VIKRAM JINDAL]
Partner
Membership No:095464

For M/s OP BAGLA & CO
Chartered Accountants
Registration No: 000018N

[RAKESH KUMAR]
Partner
Membership No: 087537

Place: Bengaluru

Date: 09.05.2017

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2017

PARTICULARS	Schedule No.	[₹ 000's omitted]	
		As on 31.03.2017	As on 31.03.2016
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	**998 84 54**	932 56 04
Share Application Money	1A	**0**	220 00 00
Reserves and Surplus	2	**7152 64 25**	6472 16 34
Deposits	3	**133011 95 21**	125440 72 29
Borrowings	4	**11061 79 67**	10300 57 18
Other Liabilities and Provisions	5	**2656 33 92**	2042 72 24
TOTAL		**154881 57 59**	145408 74 09
ASSETS			
Cash and Balance with Reserve Bank of India	6	**5770 42 12**	6268 34 99
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**160 28 89**	351 20 09
Investments	8	**44424 55 13**	41842 48 95
Advances	9	**94548 88 80**	88986 96 12
Fixed Assets	10	**1318 75 97**	1288 29 49
Other Assets	11	**8658 66 68**	6671 44 45
TOTAL		**154881 57 59**	145408 74 09
Contingent Liabilities	12	**15920 14 45**	17276 57 98
Bills for Collection		**2281 21 22**	2165 67 27
Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

Significant Accounting Policies and the Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

GOPALAKRISHNAN NARAYANAN
Chairman

DR. KISHORE SANSI
Managing Director & CEO

B. S. RAMA RAO
Executive Director

NAGESWARA RAO Y
Executive Director

SANJAY KUMAR
Director

G. P. BORAH
Director

P VAIDYANATHAN
Director

M. BHAGAVANTHA RAO
Director

V. V. R. SASTRY
Director

S. RAGHUNATH
Director

MURALI RAMASWAMY
General Manager

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
Registration No: 003990S/S200018

RAJESHWARI S.
Partner
Membership No: 024105

For M/s JAGANNATHAN & SARABESWARAN
Chartered Accountants
Registration No: 001204S

P. S. NARASIMHAN
Partner
Membership No: 020936

For M/s SHIV JINDAL & CO
Chartered Accountants
Registration No: 011316N

VIKRAM JINDAL
Partner
Membership No: 095464

For M/s O P BAGLA & CO
Chartered Accountants
Registration No: 000018N

RAKESH KUMAR
Partner
Membership No: 087537

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2017

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

[₹ 000's omitted]

	PARTICULARS	Schedule No.	For the year ended 31.03.2017	For the year ended 31.03.2016
I.	**INCOME**			
	Interest Earned	13	**12379 45 85**	12083 57 90
	Other Income	14	**1651 26 27**	873 85 97
	TOTAL		**14030 72 12**	12957 43 87
II.	**EXPENDITURE**			
	Interest Expended	15	**8873 01 79**	9322 74 47
	Operating Expenses	16	**2736 54 95**	2085 82 41
	Provisions and Contingencies		**1670 66 87**	1167 07 47
	TOTAL		**13280 23 61**	12575 64 35
III.	**PROFIT / LOSS**			
	Net Profit for the year		**750 48 51**	381 79 52
	Add: Profit brought forward		**1337 24 27**	1102 18 78
	TOTAL		**2087 72 78**	1483 98 30
IV.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to Statutory Reserve		**187 62 13**	95 44 87
	Transfer to Special Reserve in terms of Sec. 36 (1) (viii) of the Income Tax Act		**80 00 00**	-
	Transfer to Capital Reserve		**364 92 56**	51 29 16
	Transfer to General Reserve		**-**	-
	Interim Dividend (inclusive of tax)		**-**	-
	Proposed Dividend - Equity Share Capital (inclusive of tax)		**180 32 85**	0
	Proposed Dividend Preference Share Capital (inclusive of tax)		**-**	-
	Balance carried forward to Balance Sheet		**1274 85 24**	1337 24 27
	TOTAL		**2087 72 78**	1483 98 30
	Earnings Per Share - Basic (in ₹)		**7.57**	4.44
	- Diluted (in ₹)		**7.57**	4.44
	Accounting Policies	17		
	Notes on Accounts	18		

Significant Accounting Policies and the Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

GOPALAKRISHNAN NARAYANAN — Chairman
DR. KISHORE SANSI — Managing Director & CEO
B. S. RAMA RAO — Executive Director
NAGESWARA RAO Y — Executive Director
SANJAY KUMAR — Director
G. P. BORAH — Director
P VAIDYANATHAN — Director
M. BHAGAVANTHA RAO — Director
V. V. R. SASTRY — Director
S. RAGHUNATH — Director
MURALI RAMASWAMY — General Manager

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
Registration No: 003990S/S200018

RAJESHWARI S.
Partner
Membership No: 024105

For M/s JAGANNATHAN & SARABESWARAN
Chartered Accountants
Registration No: 001204S

P. S. NARASIMHAN
Partner
Membership No: 020936

For M/s SHIV JINDAL & CO
Chartered Accountants
Registration No: 011316N

VIKRAM JINDAL
Partner
Membership No: 095464

For M/s O P BAGLA & CO
Chartered Accountants
Registration No: 000018N

RAKESH KUMAR
Partner
Membership No: 087537

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2017

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AND PROFIT & LOSS ACCOUNT

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2017	As on 31.03.2016
SCHEDULE - 1 :		
CAPITAL		
AUTHORISED CAPITAL	**3000 00 00**	3000 00 00
300,00,00,000 Shares of ₹ 10/- each		
ISSUED, SUBSCRIBED AND CALLED UP CAPITAL		
99,88,45,340 Equity Shares of ₹ 10/- each (Previous year 93,25,60,315 Equity shares of ₹ 10/- each)	**998 84 54**	932 56 04
PAID UP CAPITAL		
(a) Held by Central Government 70,25,32,074 Equity Shares of ₹ 10/- each (Previous year 63,62,47,049 Equity shares of ₹ 10/- each)	**702 53 21**	636 24 71
(b) Held by the Public and Others 29,63,13,266 Equity Shares of ₹ 10/- each (Previous year 29,63,13,266)	**296 31 33**	296 31 33
TOTAL	**998 84 54**	932 56 04
(6,62,85,025 shares alloted on preferential basis to GOI on 13.05.2016 at a price of ₹ 33.19/- (face value ₹ 10/- at premium of ₹ 23.19/-)		
SCHEDULE - 1A :		
SHARE APPLICATION MONEY	**0**	220 00 00
(Govt. of India have infused share application money of ₹ 220 Crore on 30.03.2016)		
TOTAL	**0**	220 00 00
SCHEDULE - 2 :		
RESERVES AND SURPLUS		
I. STATUTORY RESERVE		
Balance as per last Balance Sheet	**1543 02 07**	1447 57 20
Add : Additions during the year	**187 62 13**	95 44 87
TOTAL	**1730 64 20**	1543 02 07
II. CAPITAL RESERVE		
Balance as per last Balance Sheet	**409 72 80**	358 43 64
Add : Additions during the year	**364 92 56**	51 29 16
TOTAL	**774 65 36**	409 72 80
III. SHARE PREMIUM		
Balance as per last Balance Sheet	**1831 78 86**	1679 39 85
Add : Additions during the year	**153 71 50**	152 39 01
TOTAL	**1985 50 36**	1831 78 86

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2017	As on 31.03.2016
IV. REVALUATION RESERVE		
Balance as per last Balance Sheet	**873 85 98**	236 51 67
Add : Additions during the year	**0**	684 50 14
Less : Deduction on account of depreciation adjusted from Profit & Loss Account	**43 39 25**	47 15 83
TOTAL	**830 46 73**	873 85 98
V. REVENUE AND OTHER RESERVES		
[a] Special Reserve in terms of Sec.36 (1) (viii) of the Income Tax Act		
Balance as per last Balance Sheet	**463 72 74**	463 72 74
Add : Additions during the year	**80 00 00**	0
TOTAL	**543 72 74**	463 72 74
[b] General Reserve		
Balance as per last Balance Sheet	**12 79 62**	12 79 62
Add/(Less) : Transfer during the Year	**-**	-
TOTAL	**12 79 62**	12 79 62
[c] Balance in Profit & Loss Account	**1274 85 24**	1337 24 27
TOTAL	**1274 85 24**	1337 24 27
TOTAL [A+B+C]	**1831 37 60**	1813 76 63
TOTAL {I+II+III+IV+V}	**7152 64 25**	6472 16 34
SCHEDULE - 3 :		
DEPOSITS		
DEPOSITS IN INDIA		
I. Demand Deposits		
i) From Banks	**16 35 14**	17 89 94
ii) From Others	**8547 42 49**	6650 58 38
II. Savings Bank Deposits	**28834 56 99**	22456 27 67
III. Term Deposits		
i) From Banks	**30 85**	2 22 27
ii) From Others	**95613 29 74**	96313 74 03
TOTAL	**133011 95 21**	125440 72 29

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2017	As on 31.03.2016
SCHEDULE - 4 :		
BORROWINGS		
I. BORROWINGS IN INDIA		
i) Reserve Bank of India	**0**	0
ii) Other Banks	**0**	0
iii) Other Institutions & Agencies	**7336 79 67**	6350 57 18
iv) Sub-ordinated Debts - Bonds		
1) 10 Years Bonds 2016 @ 9.25%	**0**	250 00 00
2) 15 Years Bonds 2022 @ 10.10%	**0**	300 00 00
3) 10 Years & 3 months Bonds 2017 - 9.50%	**200 00 00**	200 00 00
4) 10 Years & 4 Months Bonds 2018 - 9.35%	**200 00 00**	200 00 00
5) 15 Years Bonds 2023 - 9.45%	**300 00 00**	300 00 00
6) 10 Years Bonds 2023 - 9.73%	**250 00 00**	250 00 00
7) 10 Years Bonds 2024 - 9.15%	**500 00 00**	500 00 00
8) Perpetual Additional Tier I Bonds - 9.54%	**100 00 00**	100 00 00
9) 10 Years Bonds 2025 - 8.62%	**500 00 00**	500 00 00
10) Perpetual Additional Tier I Bonds - 10.40%	**400 00 00**	400 00 00
11) Perpetual Additional Tier I Bonds - 11.25%	**500 00 00**	500 00 00
12) 10 Years Bonds 2026 - 8.64%	**450 00 00**	450 00 00
13) Additional Tier 1 Basel III compliant Series IV - 10.49%	**325 00 00**	0
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	**0**	0
TOTAL	**11061 79 67**	10300 57 18
SCHEDULE - 5 :		
OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
(i) Bills Payable	**578 90 55**	467 99 76
(ii) Interest Accrued	**389 46 43**	174 73 58
(iii) Provision against standard assets	**516 63 53**	439 79 53
(iv) Others [including Provisions]	**1171 33 41**	960 19 37
(v) Inter Office Adjustments [net]	**0**	0
(vi) Deferred Tax Liablity (Net)	**0**	0
TOTAL	**2656 33 92**	2042 72 24
SCHEDULE - 6 :		
CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. Cash in Hand [including foreign currency notes]	**506 85 55**	554 59 70
II. Balances with Reserve Bank of India in Current Accounts	**5263 52 38**	5713 70 41
III. Balances with Reserve Bank of India in Other Accounts	**4 19**	4 88
TOTAL	**5770 42 12**	6268 34 99

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2017	As on 31.03.2016
SCHEDULE - 7 :		
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. IN INDIA		
(i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	**23 50 62**	103 83 34
b) in Other Deposit Accounts	**23**	17
(ii) Money at Call and Short Notice		
a) with Banks	**0**	0
b) with Other Institutions	**61 66 01**	30 16 12
TOTAL	**85 16 86**	133 99 63
II. OUTSIDE INDIA *		
a) in Current Accounts	**4 36 94**	5 76 94
b) in Other Deposit Accounts	**70 75 09**	211 43 52
TOTAL	**75 12 03**	217 20 46
TOTAL {I+II}	**160 28 89**	351 20 09
*Includes pipeline and unadjusted items in Nostro Mirror Balances		
SCHEDULE - 8 :		
INVESTMENTS		
INVESTMENTS IN INDIA [GROSS]	**44786 97 37**	42178 12 20
Less : Provision for Depreciation and Non Performing Investments	**362 42 24**	335 63 25
NET INVESTMENTS IN INDIA	**44424 55 13**	41842 48 95
Break up :		
i) Government Securities	**40042 60 57**	35163 24 39
ii) Other Approved Securities	**2 79 09**	2 72 75
iii) Shares	**257 12 04**	180 01 29
iv) Debentures & Bonds	**3564 11 79**	6210 38 61
v) Investments in Associates (on Equity Method)	**0**	0
vi) Others (Commercial Paper, Units of Mutual Funds, Venture Capital Fund etc.)	**557 91 64**	286 11 91
TOTAL	**44424 55 13**	41842 48 95
SCHEDULE - 9 :		
ADVANCES		
[A] i) Bills Purchased & Discounted	**1109 42 45**	1182 98 57
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans Repayable on Demand	**35246 26 45**	32202 49 46
iii) Term Loans	**58192 94 93**	55601 23 12
iv) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme - 2008	**24 97**	24 97
TOTAL	**94548 88 80**	88986 96 12

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS			As on 31.03.2017	As on 31.03.2016
[B]	i)	Secured by Tangible Assets [includes advance against book debts]	**84839 96 44**	75855 33 57
	ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	**298 45 27**	2707 61 80
	iii)	Unsecured	**9410 22 12**	10423 75 78
	iv)	Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme - 2008	**24 97**	24 97
		TOTAL	**94548 88 80**	88986 96 12
[C]	Advances in India			
	i)	Priority Sector	**36319 34 56**	34011 93 03
	ii)	Public Sector	**2335 26 77**	2448 10 11
	iii)	Banks	**46 17 26**	650 81 31
	iv)	Others	**55847 85 24**	51875 86 70
	v)	Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme 2008	**24 97**	24 97
		TOTAL	**94548 88 80**	88986 96 12

SCHEDULE - 10 :	**31.03.2017**	31.03.2016		
FIXED ASSETS				
I. PREMISES				
Gross Block [at cost/re-valued amount]				
As per last Balance Sheet	**1320 21 52**	608 23 06		
Additions during the year	**1 06 95**	711 98 46*		
Deductions during the year	**-**	-		
	1321 28 47	1320 21 52		
* includes addition of ₹ 68,45,014 thousands on account of Revaluation during the year.				
Depreciation				
Balance as per last Balance Sheet	**347 98 64**	296 40 02		
Add : Depreciation charged during the year	**47 64 02**	51 58 62		
Less : Deduction during the year	**-**	-		
Depreciation to date - includes on account of revaluation ₹ 32,78,142 thousands (Previous year : 28,44,217 thousands)	**395 62 66**	347 98 64		
Written Down Value			**925 65 81**	972 22 88
II. OTHER FIXED ASSETS				
[including Furniture & Fixture]				
Gross Block (at cost)				
As per last Balance Sheet	**794 60 16**	728 61 89		
Additions during the year	**162 94 58**	155 77 41		
	957 54 74	884 39 30		

[₹ 000's omitted]

PARTICULARS			As on 31.03.2017	As on 31.03.2016
Deductions during the year	**22 50 65**	89 79 14		
	935 04 09	794 60 16		
Depreciation				
Balance as per last Balance Sheet	**479 92 39**	473 80 45		
Add : Depreciation charged during the year	**78 56 52**	67 06 41		
	558 48 91	540 86 86		
Less : Deduction during the year	**15 17 21**	60 94 47		
Depreciation to date	**543 31 70**	479 92 39		
Written Down Value			**391 72 39**	314 67 77
III. CAPITAL WORK IN PROGRESS			**1 37 77**	1 38 84
TOTAL			**1318 75 97**	1288 29 49
SCHEDULE - 11 :				
OTHER ASSETS				
i. Interest accrued			**868 53 93**	796 60 03
ii. Tax paid in Advance/Tax Deducted at Source [net of provision]			**2589 98 55**	2092 98 18
iii. Deferred Tax Asset (Net)			**344 12 40**	200 36 13
iv. Stationery & Stamps			**1 32 94**	1 38 31
v. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims			**7 62**	7 62
vi. Others [net of provision]			**5310 24 29**	4421 18 94
vii. Unamortisation-Gratuity & Pension			**-**	-
viii. Inter-office adjustments (Net)			**(455 63 05)**	(841 14 76)
TOTAL			**8658 66 68**	6671 44 45
SCHEDULE - 12 :				
CONTINGENT LIABILITIES				
i. Claims against the Bank not acknowledged as debts			**251 79 69**	299 49 37
ii. Liability for Partly Paid Investments			**-**	-
iii. Liability on account of Outstanding Forward Exchange Contracts			**3959 84 81**	6420 84 27
iv. Guarantees given on behalf of Constituents- in India			**7104 97 73**	6877 95 62
v. Acceptances, Endorsements and Other Obligations			**1342 93 84**	1332 37 45
vi. Other items for which the Bank is contingently liable			**3254 65 48**	2296 43 05
vii. Capital contracts remaining to be executed			**5 92 90**	49 48 22
TOTAL			**15920 14 45**	17276 57 98

[Rupees 000's omitted]

PARTICULARS		For the year ended 31.03.2017	For the year ended 31.03.2016
SCHEDULE - 13 :			
INTEREST EARNED			
i.	Interest/Discount on advances/bills	**8734 80 06**	8847 46 23
ii.	Income on Investments	**3359 09 41**	2955 21 89
iii.	Interest on Balances with Reserve Bank of India & other Inter-bank funds	**44 05**	23 74
iv.	Others	**285 12 33**	280 66 04
	TOTAL	**12379 45 85**	12083 57 90
SCHEDULE - 14 :			
OTHER INCOME			
i.	Commission, Exchange & Brokerage	**147 23 99**	133 15 35
ii.	Profit on Sale of Investments	**920 08 27**	232 23 98
	Less: Loss on Sale of Investments	**151 09 58**	49 83 37
		768 98 69	182 40 61
iii.	Profit/(Loss) Net on revaluation of Investments	**-**	-
	Less: Amortisation of premium on HTM securities	**-**	-
		-	-
iv.	Profit on Sale of Land, Building & Other Assets	**15 82**	22 79
	Less: Loss on Sale of Land, Building & Other Assets	**2 52 75**	62 53
		(2 36 93)	(39 74)
v.	Profit on Exchange Transactions	**52 66 90**	58 75 98
	Less: Loss on Exchange Transactions	**0**	0
		52 66 90	58 75 98
vi.	Miscellaneous Income	**684 73 62**	499 93 77
	TOTAL {I+II+III+IV+V+VI}	**1651 26 27**	873 85 97
SCHEDULE - 15 :			
INTEREST EXPENDED			
i.	Interest on Deposits	**8039 25 47**	8682 93 63
ii.	Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank borrowings	**14 20 09**	12 30 08
iii.	Others	**819 56 23**	627 50 76
	TOTAL	**8873 01 79**	9322 74 47

[Rupees 000's omitted]

PARTICULARS			For the year ended 31.03.2017	For the year ended 31.03.2016
SCHEDULE - 16 :				
OPERATING EXPENSES				
i. Payments to and provisions for employees			**1747 88 58**	1246 96 88
ii. Rent, Taxes and Lighting			**198 88 89**	177 82 21
iii. Printing & Stationery			**12 29 83**	13 09 45
iv. Advertisement and Publicity			**7 02 67**	8 39 94
	31.03.2017	31.03.2016		
v. Depreciation on Banks' Property	**126 20 54**	118 65 02		
Less:Depreciation adjusted from Revaluation Reserve	**43 39 25**	47 15 82	**82 81 29**	71 49 20
vi. Directors' Fees, Allowances & Expenses			**60 92**	44 04
vii. Auditors' Fees & Expenses [inclusive of Branch Auditors]			**13 19 45**	17 16 77
viii. Law charges			**65 36**	83 94
ix. Postage, Telegrams, Telephones etc.,			**33 08 96**	27 92 67
x. Repairs and Maintenance			**5 74 53**	6 26 05
xi. Insurance			**121 88 10**	119 50 66
xii. Other Expenditure			**512 46 37**	395 90 60
TOTAL			**2736 54 95**	2085 82 41

SCHEDULE - 17 :

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2016-17

A. Basis of Preparation:

The Bank's financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting and on going-concern basis, unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI) including special dispensations announced from time to time, Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the practices prevalent in the banking industry in India.

B. Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision in the estimates is recognised prospectively in the year in which they are known/ materialised, unless otherwise stated.

1) FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

I. Transactions other than FCNR/EEFC/ RFC Accounts

a) Foreign Currency assets and liabilities and outstanding forward exchange contracts and swaps are translated at the year end rates as quoted by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). The resultant profit/ loss is included in the Profit and Loss Account.

b) Income and expenditure items have been translated at the exchange rates ruling on the dates of the transactions.

c) Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees and Letters of Credit issued in Foreign Currencies, shown in the Balance Sheet are valued at the exchange rates prevailing at the year end.

II. Transactions relating to FCNR/EEFC/ RFC accounts

Foreign Currency Deposits in FCNR/EEFC/ RFC accounts including interest accrued thereon and also the corresponding assets are recorded at market related notional rates, which are periodically reviewed. Assets and Liabilities at the year end are revalued at rates quoted by Foreign Exchange Dealers' Association of India. The resultant profit / loss is shown as income / loss.

2) INVESTMENTS

A) General

All the investment transactions are recorded on trade date and accounted on settlement date.

Investments are accounted for in accordance with the extant RBI guidelines on investment classification and , shown in the Balance Sheet under the following six groups:

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures and Bonds

e) Investments in Subsidiaries/Joint Ventures

f) Others (Commercial Paper, Units of Mutual Fund, Venture Capital Funds etc.)

B) Classification of investments:

The Investment portfolio of the Bank is classified into the following three categories:

a) Held to Maturity
b) Available for Sale
c) Held for Trading

Basis of classification:

i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)".

ii. Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading (HFT)".

iii. Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as "Available for Sale (AFS)".

iv. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as HTM.

C) Basis of Valuation:

I. General:

In determining the acquisition cost of an investment:

(a) Brokerage, Commission, Securities Transaction Tax (STT) etc., paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

(b) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/ income and is excluded from cost/sale consideration.

(c) Cost is determined on the weighted average cost method for investments under AFS and HFT and HTM Category.

An investment is classified as HTM, HFT or AFS at the time of its acquisiton and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines as follows:.

Transfer of scrips from AFS/HFT category to HTM category and vice versa is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored and the security is transferred at the book value. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security (including the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer) is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

In the case of transfer of securities from HTM to AFS/HFT category, if the security was originally placed under the HTM category at a discount, it is transferred to AFS/HFT category at the acquisition price/book value. After transfer, it is immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided. If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is transferred to the AFS/HFT category at the amortised cost. After transfer, the security is immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer.

a) Held to Maturity

(i) Investments classified under this category are valued at the year end at the acquisition cost, except where the acquisition cost is more than the face value, in which case the premium is amortized on constant yield method.

(ii) In the case of investments in subsidiaries/joint ventures, any diminution in value, other than temporary, is recognized and provided for each investment individually.

(iii) Investments in venture capital funds are valued at cost of acquisition.

(iv) Profit on sale of investments in this category is first taken to Profit and Loss Account and there after appropriated to the "Capital Reserve Account". Loss on sale is recognised in the Profit and Loss Account.

b) Available for Sale and Held for Trading categories:

Investments held under AFS and HFT categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines, and only the net depreciation of each group for each category (viz., (i) Government securities (ii) Other Approved Securities (iii) Shares (iv) Bonds and Debentures (v) Subsidiaries and Joint Ventures; and (vi) others) is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market.

II. Valuation :

	Constituents	Valuation procedure
A	Govt. Securities i) Central Govt Securities	At market prices / YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) on periodical basis.
	ii) State Govt Securities	At market prices / YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) on periodical basis.
B	Securities guaranteed by Central / State Govt. PSU Bonds (Not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA / RBI guidelines.
C	Treasury Bills	At carrying cost
D	Equity Shares	At market price, if quoted, otherwise at breakup value of the shares as per latest balance sheet (Not more than one year old), otherwise at ₹ 1/- per company
E	Preference Shares	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI / FIMMDA guidelines. In case of preference shares, where preference dividends are in arrears, no credit is taken for accrued dividends and the value determined on YTM is discounted by at least 15% if the arrears are for 1 year and more. The depreciation/ provision requirement arrived at in the above manner in respect of non-performing shares where dividends are in arrears and is not set off against appreciation on other performing preference shares.
F	Bonds and Debentures (Not in the nature of advance)	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity as per RBI / FIMMDA guidelines.
G	Units of mutual funds	As per Stock Exchange quotation, if quoted; at repurchase price / NAV, if unquoted.
H	Commercial Papers	At carrying cost

	Constituents	Valuation procedure
I	Security Receipts	In case of sale of NPA (financial asset) to Securitisation Company (SC)/ Asset Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts (SR), investment in SR is recognised at lower of: (i) Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provisions held) of the financial asset; and (ii) Redemption value of SR. SRs issued by an SC/ ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the SC/ ARC, is reckoned for valuation of such investments.
J	Venture Capital Funds	At net asset value (NAV) declared by the VCF.
K	Equity shares acquired under Strategic Debt Restructuring	These shares are valued at market value if quoted, otherwise at breakup value of the shares as per latest Balance Sheet (Not more than one year old) otherwise at Re. 1/- per company. The depreciation in equity shares allotted under SDR is distributed over four calendar quarters, from the date of conversion of equity, except in cases which are under " stand still" clause.
L	Other Investments	At carrying cost less diminution in value.

Depreciation on the instruments acquired by way of conversion, whether classified as standard or NPA, is not offset against the appreciation in any other securities held under the AFS category

Profit/Loss on sale of investments in AFS/HFT category is recognised in Profit and Loss Account.

III. Prudential Norms

(a) i) Securities with guarantees of the Central Government are treated as performing investments, notwithstanding arrears of principal/interest payments. However, interest if not realized for more than 90 days is recognized as income only on cash basis.

ii) Securities guaranteed by the State Government, where the principal/interest is due but not paid for a period of more than 90 days, are treated as Non Performing Investments and provided for as per the RBI guidelines. Further, for securities guaranteed by the State Governments, where the principal/interest is due but not paid for a period of more than 90 days, interest is recognized as income only on cash basis.

(b) Preference Shares/Securities not guaranteed by the Central Government/State Governments: Where the Principal/Interest/Fixed Dividend is due but not paid for a period of more than 90 days are treated as Non Performing Investments and provided for as per the Reserve Bank of India guidelines.

(c) In the case of debentures/bonds where principal/ interest is in arrears, provision is made as in the case of advances.

(d) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is NPA, investments in any of the securities issued by the same issuer is also treated as Non

Performing Investments and vice versa, except in the case of investment in preference shares, becoming NPA.

(e) The depreciation/provision requirement in respect of non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

3) TRANSACTIONS RELATING TO DERIVATIVES

Derivative contracts are designated as hedging or trading and accounted for as follows:

a) Hedge Swaps: The interest rate swaps which hedges interest bearing assets and liabilities are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements. In such cases the swaps are marked to market with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value of designated asset or liability.

The gain or loss on the terminated swaps is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

b) Re-designation of Hedge items: If a hedge is redesignated from one item of asset/ liability to another item of asset/liability, such redesignation is accounted for as the termination of one hedge and acquisition of another. On the date of redesignation, the swap is marked to market and the mark to market value is amortized over the shorter period of the remaining life of the swap or remaining life of the asset/liability. The offsetting mark to market entry adjustments would be treated as premium received or paid for hedge on the newly designated item of asset/liability and this would be amortized over the life of the redesignated asset/liability or remaining term of the swap whichever is shorter.

c) Trading Swaps: The trading swaps are marked to market with the resulting gain or loss recorded in the income statement. Gain or loss on termination of the swap is recorded as immediate income or expense.

4) FIXED ASSETS/DEPRECIATION & AMORTIZATION

I) Fixed Assets

a) Premises of the bank include free hold as well as lease hold properties. Land and buildings purchased or allotted have been capitalised based on agreements/letters of allotment and physical possession. Other Fixed Assets are capitalized on the date of put to use. Premises and other Fixed Assets are stated at their historical cost, except those which have been re-valued. Such Fixed Assets are stated on the revalued amount.

b) Advance payments made for acquisition of capital assets and deposits made in respect of properties taken on lease/rent are included under 'Other Assets'.

II) Depreciation / Amortization

a) Fixed Assets (other than computers and software) including leasehold land and building are depreciated at the rates prescribed under the rules framed under 'Income Tax Act 1961' on reducing balance method, including on the composite cost of certain properties, where it is not possible to segregate the land cost. Computers (including operating software) are depreciated on Straight Line Method at the rate of 33.33% per annum as per RBI guidelines. Other software expenses, treated as intangible assets are amortized at 100% in the year of acquisition. Depreciation on additions to Fixed Asset during the financial year is provided at 100% of the rate of depreciation prescribed, if the asset is put to use for 180 days and above during the year and at 50% of the rate of depreciation prescribed, if the asset is put to use for less than 180 days during the year. No depreciation is

provided in the year of sale/disposal of fixed assets.

b) Incremental depreciation on revalued amount in respect of premises is adjusted from Revaluation Reserve account and credited to Profit and Loss account.

5) LEASED OUT ASSETS

Accounting for leased assets is done as per Accounting Standard 19. Provision in respect of non-performing assets, is made by applying the asset classification norms prescribed by the RBI for advances.

6) NON BANKING ASSETS

Non-Banking assets are shown at cost.

7) ADVANCES

Advances are classified as per the RBI guidelines into standard, sub-standard, doubtful and loss assets after considering subsequent recoveries to date. Provision for non-performing assets is made in conformity with the guidelines issued by RBI from time to time.

a) In terms of the guidelines of the Reserve Bank of India, advances are classified as "Performing" and "Non-Performing" assets based on recovery of principal/interest and advances are classified as "Non Performing Assets" as per the delinquency norms stipulated by RBI. In case of State Government Guaranteed advances, requirement of invocation of the Guarantee has been de-linked for classification of an account as NPA. Non Performing Advances (NPAs) are categorized as Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets for the purpose of computing provision requirements.

Advances shown in the Balance Sheet are net of provisions [including floating provisions other than provision on standard assets] in respect of non-performing advances, interest suspense and ECGC/ DICGC claims received.

b) Advances include the Bank's participation in/ contributions to Pass through Certificates (PTCs) and /or to the asset-backed assignment of loan assets of other banks / financial institutions where the Bank has participated on risk-sharing basis.

c) Amounts recovered against bad debts written off in earlier years are recognised in the Profit and Loss account.

d) Provisions on Standard Advances are shown under "Other Liabilities and Provisions".

e) Provision on advances is made as per the RBI guidelines as under:

1. **Standard Assets:** provision is made as per the extant RBI guidelines.
2. **Sub Standard Assets:** 15% of the outstanding advances. However, in case of sub standard assets which are identified ab-initio as "unsecured exposures" provision at 25% of the outstanding balance is made.
3. **Doubtful Assets:** 25% to 100% as applicable on the secured portion of advances, depending upon the period for which the asset has remained doubtful and 100% of the unsecured portion of the outstanding advance after netting realized amount in respect of realized/realizable amount of guarantee cover under the ECGC/ CGSTI Schemes.
4. **Loss Assets:** 100% of the outstanding advances.

f) Restructured / rescheduled accounts:

In case of restructured / rescheduled accounts provision is made for the sacrifice against erosion/ diminution in fair value of restructured loans, in accordance with the general framework of restructuring of advances issued by RBI.

The diminution in the fair value is recomputed on each balance sheet date till satisfactory completion of all repayment obligations and full repayments of the outstanding, so as to capture the changes in the fair value on account of changes in base rate, term premium and credit category of the borrower.

The restructured accounts are classified in accordance with RBI guidelines.

8) REVENUE RECOGNITION

Income is accounted on accrual basis except in the following cases:

a) In the case of Non Performing Assets, income is recognized on cash basis, in terms of guidelines of the Reserve Bank of India. Where recovery is not adequate to upgrade the Non Performing Asset accounts by way of regularization, such recovery is being appropriated towards the principal/ book balance in the first instance and towards interest dues thereafter. In respect of Non Performing Investments, the same accounting treatment, as above, is followed.

b) Income from Units of Mutual Funds, Commission on Insurance and Depository Participant business, Merchant Banking transactions, General Insurance business, Money transfer services, Sale of Mutual Fund products, Locker Rent, Commission on Government business, etc. are accounted on cash/realisation basis.

c) Commission earned from Non-fund based business viz., Letter of Credits and Bank Guarantees is accounted on cash basis.

d) Interest on securities which is due and not paid for a period of more than 90 days is recognized on realisation basis as per RBI guidelines.

e) In the case of suit filed accounts, legal expenses are charged to the profit and loss account. Similarly, at the time of recovery of legal expenses in respect of such suit filed accounts, the amount recovered is accounted as income.

f) Dividend is recognised as income in the year the right to receive the dividend is established.

9) NET PROFIT

The net profit is arrived at after

a) Provisions for Income Tax in accordance with statutory requirements

b) Provision on advances/investments

c) Adjustments to the value of investments

d) Transfers to provisions and contingencies

e) Provision for Inter Branch accounts lying unadjusted for more than six months as per RBI norms

f) Other usual and necessary provisions

10) EMPLOYEE BENEFITS

a) Expenses arising out of claims in respect of employee matters under dispute/ negotiation are accounted during the year of final settlement/determination.

b) In respect of employees who have opted for Provident Fund scheme, matching contribution as applicable is made by the Bank to the recognised Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund is made based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15.

c) Contribution to Gratuity Fund is made based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15.

d) Liability towards leave encashment, privilege leave and sick leave is provided based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15.

Details are as under:

Long term employee benefits:

Long term employee benefits (benefits which are payable after the end of twelve months from the end of the period in which employees render service), and post employment benefits (benefits which are payable after completion of employment), are measured on a discounted basis by the projected Unit Credit Method, on the basis of annual third party actuarial valuations. The bank provides for the following long term employee benefits as per actuarial valuation:

1. **Leave encashment:** The Bank provides for liability accruing on account of deferred entitlement towards leave encashment in the year in which the employees concerned render their services based on third party actuarial valuation obtained as of each year end balance sheet date.

2. **Sick Leave :** Provision for sick leave is non-funded.

3. **Pension:** The Bank provides for liability accruing on account of the employees who have opted for pension based on the actuarial valuation obtained as of each year end balance sheet date.

4. **Gratuity:** The Bank provides for gratuity liability based on the actuarial valuation obtained as of each year end balance sheet date.

The pension and gratuity contributions are transferred to self-managed trusts.

11) PROVISION FOR TAXATION

Tax expenses comprise current and deferred taxes. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961. Deferred taxes reflect the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date.

12) IMPAIRMENTS

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal/external factor. An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

13) SEGMENT REPORTING:

In accordance with the guidelines issued by RBI, Bank has adopted Segment Reporting as under:

1. Treasury includes all investment portfolio, profit/ loss on sale of investments, profit/ loss on foreign exchange transactions, equities, income from derivatives and money market operations. The expenses of this segment consist of interest expenses on funds borrowed from external sources as well as internal sources and depreciation / amortisation of premium on Held to Maturity category investments.

2. Corporate/ Wholesale Banking includes lending and deposits from corporate customers and identified earnings and expenses of the segment.

3. Retail Banking includes lending and deposits from retail customers and identified earnings and expenses of the segment.

4. Other Banking Operations includes all other operations not covered under Treasury, Wholesale Banking and Retail Banking.

14) EARNINGS PER SHARE:

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders (after deducting preference dividend and attributable taxes thereto) by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

15) CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS:

1. A provision is recognised when there is an obligation as a result of past event if it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

2. Transactions in Government securities and others which were pending for settlement on the balance sheet date are shown as off balance sheet items under contingent liabilities head.

16) CASH FLOW STATEMENT

Cash and cash equivalents in the cash flow statement comprise cash and balances with RBI and balances with banks and money at call and short notice.

17) The Bank has followed the same accounting policies as in the previous year's subject to regulatory changes, if any.

SCHEDULE - 18 : NOTES ON ACCOUNTS

1. Reconciliation of entries outstanding as on 31.03.2017 in the inter-branch and other accounts has been done. Matching of entries outstanding in inter-branch and inter-bank accounts including balances in drafts accounts, suspense accounts, branch adjustment accounts, clearing transactions, funds transfers, balances pertaining to dividends / interest / refund orders paid / payable accounts, advances paid for acquisition of assets, etc. is complete up to 31.03.2017. In the opinion of the Bank, consequential effect of the above on the revenue / assets / liabilities is not material.

2. In respect of certain premises acquired by the Bank having written down value of ₹ 3.96 Crore (PY ₹ 4.39 Crore) documentation / registration are yet to be completed pending legal or other formalities.

3. In the case of un-audited branches, the returns / classification of advances as reported by the concerned branches/by the concurrent auditors have been adopted.

4. Claims pending and to be preferred with ECGCI Limited amounting to ₹ 98.80 Crore (₹ 53.82 Crore) have been considered as realisable for the purpose of computing provisions.

5. No provision other than those made, has been considered necessary by the Management in respect of disputed tax liabilities in view of the judgements in favour of the Bank. Further, certain deductions have been considered while working out tax provisions in respect of some claims under Income Tax Act based on the legal opinions obtained.

6. As per Indian Banks' Association (IBA) communication vide letter ref no LEGAL/CIR dt March 03rd 2015, Ministry of Company Affairs (MCA) has advised that in so far as Banks not registered as companies and nationalized banks are concerned, provisions relating to CSR do not apply as they are not registered under the Companies Act.

7. In terms of the guidelines issued by the Reserve Bank of India, the following disclosures are made:

i) Capital

Sl. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
1.	CRAR (%)		
	Basel II	**12.95**	12.90
	Basel III*	**12.73**	12.58
2.	CRAR - Tier I Capital (%)		
	Basel II	**9.56**	9.47
	Basel III*	**9.96**	9.45
3.	CRAR - Tier II Capital (%)		
	Basel II	**3.39**	3.43
	Basel III	**2.77**	3.13

*Basel III Tier I and CRAR ratios include Capital Conservation Buffer (CCB) 1.25% as on 31.03.2017 and 0.625% as on 31.03.2016.

Sl. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	**8.44**	8.31
ii)	Tier 1 capital ratio (%)	**9.96**	9.45
iii)	Tier 2 capital ratio (%)	**2.77**	3.13
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	**12.73**	12.58
v)	Percentage of the shareholding of Government of India in the bank	**70.33**	68.23
vi)	Amount of Equity capital raised (₹ In Crore)	**-**	445.83*

Sl. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
vii)	Amount in ₹ Crore of Additional Tier 1 capital raised; of which:-		
	i. PNCPS:	**0.00**	0.00
	ii. PDI:	**325.00**	500.00
	Amount of Tier 2 capital raised; of which		
	Debt capital instrument (₹ In Crore):	**NIL**	450.00
	Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)/ Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)/ Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	**NIL**	NIL

*Including Share Premium.

Investments (₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
1.	Value of Investments**		
	Gross value of investments	**44786.97**	42178.12
	In India	**44786.97**	42178.12
	Outside India	**NIL**	NIL
	Provisions for depreciation and NPI Dep.*	**362.42**	335.63
	In India	**362.42**	335.63
	Outside India	**NIL**	NIL
	Net value of investments	**44424.55**	41842.49
	In India	**44424.55**	41842.49
	Outside India	**NIL**	NIL
2.	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	Opening balance	**265.04**	159.15
	Add: i) Provision made during the year	**7.25**	105.89
	ii) Diminution on shifting of investments	**-**	-
	Less: Write back of excess provisions	**-**	-
	Closing balance	**272.29**	265.04

Gross value of investments includes LAF Repo of ₹ 300.00 Crore (PY ₹ 4,959 Crore), MSF of ₹ NIL (PY ₹ 425 Crore), Non-standard Repo of ₹ 6857.39 Crore (PY ₹ 817.69 Crore) and CBLO of NIL (PY ₹ 29.81 Crore) outstanding as on 31.03.2017.

*Includes provision of ₹ 90.13 Crore (PY ₹ 70.59 Crore) made on NPI.

**excluding RIDF Investments.

ii) The particulars of repo transactions (including those from RBI under LAF Repo) are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Outstanding during the year			As on 31.03.2017
	Minimum	Maximum	Daily average	
Securities sold under Repos				
1) Govt. Securities	**1033.84**	**10235.75**	**5676.00**	**7157.39**
2) Corporate debt securities	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NII**
Securities purchased under reverse Repos				
1) Govt. Securities	**0.00**	**2150.00**	**235.08**	**961.66**
2) Corporate debt securities	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**

(₹ in Crore)

Particulars	Outstanding during the year			As on 31.03.2016
	Minimum	Maximum	Daily average	
Securities sold under Repos				
1) Govt. Securities	144.23	7422.70	4104.98	6201.69
2) Corporate debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse Repos				
1) Govt. Securities	0.00	2442.70	382.81	30.16
2) Corporate debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL

Non-SLR Investment Portfolio

Issuer composition of Non-SLR Investments -31.03.2017

(₹ in Crore)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	2703.69	2358.33	687.03	1781.65	0.00
(ii)	FIs**	499.15	295.94	10.00	74.60	0.00
(iii)	Banks	419.97	113.30	10.00	50.52	0.00
(iv)	Private Corporate	719.02	544.12	89.03	184.11	19.30
(v)	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	Other	387.74	387.74	0.00	387.74	0.00
(vii)	Provision held towards depreciation and NPI	350.42	XXX	XXX	XXX	XXX
	Total *	**4379.15**	**3699.43**	**796.06**	**2478.62**	**19.30**

Note:

(1) *Total under column 3 should tally with the total of Investments included under the following categories in Schedule 8 to the balance sheet:

a) Shares
b) Debentures & Bonds
c) Subsidiaries/joint ventures
d) Others

(2) Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

(3) PSUs under private placement includes Special State Government Securities of ₹ 1178.62 Crore allotted in conversion of discom dues.

(4) The column (6) "Unrated Securities" mainly include Special State Government securities of ₹ 1414.98 Crore allotted in conversion of Discom dues, Equity shares of ₹ 344.39 Crore, Venture Capital ₹ 20.05 Crore, mutual fund ₹ 5.00 Crore, Security Receipt of ₹ 367.61 Crore and DISCOM bonds of ₹ 286.43 Crore.

** Excludes the investment under RIDF of ₹ 3,859.99 Crore outstanding as on Mar 31, 2017.

iii) a) Non performing Non-SLR investments

(₹ in Crore)

Particulars	**31.03.2017**	**31.03.2016**
Opening balance	**123.39**	23.65
Additions during the year	**25.89**	101.71
Reductions during the above period	**30.78**	1.97
Closing balance	**118.50**	123.39
Total provisions held	**90.13**	70.59

b) Movement in provision for Non Performing Investments

(₹ in Crore)

Particulars	**31.03.2017**	**31.03.2016**
Opening balance	**70.59**	17.09
Add: Provision made during the year	**48.06**	55.47
Less: Write off/write back of excess provisions	**28.52**	1.97
Closing balance	**90.13**	70.59

Sale and Transfer to/from HTM category -

During the year the book value of securities sold under HTM category exceeds 5% of the book value of investments held on HTM category as at the beginning of the year. The details of HTM category on 31.03.2017 are furnished hereunder:

(₹ in Crore)

Sl. No.	**Particulars**	**Amount**
1	Market Value	25,675.22
2	Book Value	25,046.17
3	Excess of book value over market value for which provision is not made	NIL

All SLR securities held under HTM have been valued as per FIMMDA rates

iv) Derivatives:

a) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2017	31.03.2016
a.	The notional principal of swap agreements	**NIL**	NIL
b.	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	**NIL**	NIL
c.	Collateral required by the bank upon entering into swaps	**NIL**	NIL
d.	Concentration of credit risk arising from the swaps	**NIL**	NIL
e.	The fair value of the swap book	**NIL**	NIL

b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	**NIL**	NIL
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2017 (instrument-wise)	**NIL**	NIL
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	**NIL**	NIL
(iv)	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument -wise)	**NIL**	NIL

v) Disclosures on risk exposure in derivatives

a) Qualitative Disclosure

Bank has put in place Board approved derivative policy for undertaking derivative transactions for hedging, trading and for catering to customer requirements as per RBI guidelines. The policy lays down the type, scope and usage with appropriate limits for derivative transactions. From the view point of operational efficiency and risk oversight the derivative desk is segregated into Front Office, Mid Office and Back office with clear segregation of functions.

b) Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

Sl No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
(i)	**Derivatives (Notional Principal Amount)**	**NIL**	NIL	**NIL**	NIL
	a) For Hedging	**NIL**	NIL	**NIL**	NIL
	b) For Trading	**NIL**	NIL	**NIL**	NIL

(₹ in Crore)

Sl No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
		31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
(ii)	**Marked to Market Positions(1)**	**NIL**	NIL	**NIL**	NIL
	a) Asset(+)	**NIL**	NIL	**NIL**	NIL
	b) Liability(-)	**NIL**	NIL	**NIL**	NIL
(iii)	**Credit Exposure(2)**	**NIL**	NIL	**NIL**	NIL
(iv)	**Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)**	**NIL**	NIL	**NIL**	NIL
	a) On hedging derivatives	**NIL**	NIL	**NIL**	NIL
	b) On trading derivatives	**NIL**	NIL	**NIL**	NIL
(v)	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year**	**NIL**	NIL	**NIL**	NIL
	a) On hedging Maximum Minimum	**NIL**	NIL	**NIL**	NIL
	b) On trading Maximum Minimum	**NIL**	NIL	**NIL**	NIL

vi) Asset Quality

a) Non Performing Asset

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2017	31.03.2016
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	**4.36**	4.80
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	Opening balance	**6027.07**	2443.21
	Additions during the year	**2893.44**	5835.63
	Reductions during the year	**2538.73**	2251.77
	Closing balance	**6381.78**	6027.07
(iii)	Movement of NPAs (Net)		
	Opening balance	**4276.82**	1659.71
	Additions /(reductions) during the year	**(158.66)**	2617.11
	Closing balance	**4118.16**	4276.82
(iv)	Movement of provisions for NPAs*		
	Opening balance	**1730.40**	769.75
	Provisions made during the year	**1558.29**	1459.38
	Write-off / Write back of excess provision	**1061.36**	498.73
	Closing balance	**2227.33**	1730.40

(*excluding provisions on standard assets and including floating provision)

b) Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

(₹ in '000)

Sl. No.	Particulars	Amount
1.	Gross NPA as on 31.03.2016 as reported by the Bank	60270700
2.	Gross NPA as on 31.03.2016 as assessed by RBI	62563700
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	2293000
4.	Net NPA as on 31.03.2016 as reported by the Bank	42768200
5.	Net NPA as on 31.03.2016 as assessed by RBI	44427200
6.	Divergence in Net NPA (5-4)	1659000
7.	Provision for NPAs as on 31.03.2016 as reported by the Bank	17304800
8.	Provision for NPAs as on 31.03.2016 as assessed by RBI	18758800
9.	Divergence in Provisioning (8-7)	1454000
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended 31.03.2016	3817900
11.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended 31.03.2016 after taking into account	2867100

c) Details of Loan Assets subjected to Restructuring

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2017	31.03.2016
a.	Total amount of loan assets subjected to restructuring, re-scheduling, re-negotiation	**1523.78**	2155.30
	Of which under CDR	**425.93**	425.99
b.	The amount of Standard assets subjected to restructuring, re-scheduling, re-negotiation	**1115.35**	2067.31
	Of which under CDR	**298.06**	392.76
c.	The amount of sub-standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	**105.26**	13.04
	Of which under CDR	**80.95**	0.00
d.	The amount of doubtful assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	**303.18**	74.95
	Of which under CDR	**46.92**	33.22
	Note: (a=b+c+d)		

Debt restructuring for MSME accounts

Particulars		31.03.2017	31.03.2016
a.	Total amount of assets of MSMEs subjected to restructuring (b+c+d)	**22.30**	42.16
b.	Amount of standard assets of MSMEs subjected to restructuring	**6.58**	26.53
c.	Amount of sub-standard assets of MSMEs subjected to restructuring	**1.24**	2.28
d.	Amount of doubtful assets of MSMEs subjected to restructuring	**14.48**	13.35

d) Disclosure on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets(S4A)

(₹ in Crore)

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding		Amount Outstanding		Provision held
			In Part A	In Part B	
	FB	NFB			
Classified as Standard (4 accounts)	283.60*	201.51	-		55.93
Classified as NPA (2 accounts)	150.14	-	Yet to be converted		31.31

*Includes outstanding of ₹ 41.03 Crore where extension of time beyond the prescribed 180 days has been sought from RBI for implementation.

e) Disclosure on Flexible Structuring of Existing Loans

(₹ in Crore)

Period	No. of Borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
31.03.2016	4	89.58	983.36	9.35 yrs	22.78 yrs
31.03.2017	7	898.79	-	10.50 yrs	18.66 yrs

f) Disclosure on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in Crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
2	51.10	-	30.77	-	20.33	-

g) Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in Crore)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
NIL								

h) Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in Crore)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as Standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
NIL			

i) Particulars of Standard Restructured Accounts attracting higher restructuring provision:

Disclosure of Restructured Accounts as at March 2017*

(₹ in Crore)

Sl. No	Type of Restructuring →		Under CDR Mechanism (Part C)					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others (Part A & B)					Total				
	Asset Classification →		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
1	Restructured Accounts as on April 1, 2016*	No. of borrowers	15	0	6	0	21	83	7	1032	177	1299	2827	897	1937	177	5838	2925	904	2975	354	7158
		Amount outstanding	392.76	0.00	33.22	0.00	425.98	26.53	2.28	12.07	1.28	42.16	1648.02	10.76	26.10	2.26	1687.14	2067.31	13.04	71.39	3.54	2155.28
		Provision thereon (Economic loss)	11.01	0.00	0.00	0.00	11.01	0.53	0.00	0.04	0.00	0.57	15.97	0.24	0.13	0.00	16.34	27.51	0.24	0.18	0.00	27.93
2	Fresh restructuring during the FY 2016-17	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	360	5	1	0	366	360	7	1	0	368
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	1.16	8.50	4.80	0.01	0.00	13.31	8.50	5.96	0.01	0.00	14.47
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09
3	Up gradations to restructured standard category during the FY 2016-17	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	-48	-49	-6	0	103	-48	-49	-6	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.75	-98.57	-88.05	-0.13	0.00	186.75	-98.57	-88.05	-0.13	0.00
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	-0.09	-0.81	0.00	0.00	0.90	-0.09	-0.81	0.00	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and/or additional risk weight at the end of the FY 2016 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2016-17 (accounts restructured before 31st March,2015)	No. of borrowers	10	0	0	0	10	52	0	0	0	52	1705	0	0	0	1705	1767	0	0	0	1767
		Amount outstanding	298.06	0.00	0.00	0.00	298.06	6.56	0.00	0.00	0.00	6.56	782.12	0.00	0.00	0.00	782.12	1086.74	0.00	0.00	0.00	1086.74
		Provision thereon	1.81	0.00	0.00	0.00	1.81	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	16.05	0.00	0.00	0.00	16.05	17.95	0.00	0.00	0.00	17.95
5	Down gradations of restructured accounts during the FY 2016-17	No. of borrowers	-4	4	0	0	0	-16	4	11	1	0	-374	284	86	4	0	-394	292	97	5	0
		Amount outstanding	-80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	-3.18	0.02	3.15	0.01	0.00	-223.01	7.60	215.30	0.11	0.00	-307.14	88.57	218.45	0.12	0.00
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.41	0.02	0.39	0.00	0.00	-0.41	0.02	0.39	0.00	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2016-17	No. of borrowers	1	0	1	-2	0	14	5	250	-127	142	418	939	266	-428	1195	433	944	517	-557	1337
		Amount outstand- ing	13.75	0.00	-2.42	-11.28	0.05	16.77	2.22	3.35	-1.32	21.02	436.06	98.66	92.01	-1.83	624.90	466.58	100.88	92.94	-14.43	645.97
7	Restructured Accounts as on March 31 of FY 2017*	No. of borrowers	0	4	5	2	11	1	8	793	305	1107	587	295	1807	615	3304	588	307	2605	922	4422
		Amount outstanding	0.00	80.95	35.64	11.28	127.87	0.02	1.24	11.87	2.61	15.74	28.58	23.07	237.45	4.33	293.43	28.60	105.26	284.96	18.22	437.04
		Provision thereon	0.00	7.16	0.00	0.00	7.16	0.00	0.01	0.02	0.00	0.03	0.52	0.11	2.93	0.00	3.56	0.52	7.28	2.95	0.00	10.75

*Excluding the figures of Standard Restructured Advances which have completed two years from the date of restructure or two years plus moratorium period, if any.

j) Details of Assets sold to Securitisation Company (SC) / Reconstruction Company (RC), for Assets Reconstruction -

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
1	Number of accounts	**NIL**	NIL
2	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	**NIL**	NIL
3	Aggregate consideration	**NIL**	NIL
4	Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	**NIL**	NIL
5	Aggregate gain / loss over net book value	**NIL**	NIL

k) Sale of Financial Assets to Securitisation Company/Reconstruction Company

Table (i)

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
1	Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	156.49	48.47	NIL
	Provision held against (1)*	14.79	12.33	NIL
2	Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/ non-banking financial companies as underlying	NIL	NIL	NIL
	Provision held against (2)	NIL	NIL	NIL
	Total (1+2)	**156.49**	**48.47**	**NIL**

Table (ii)

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
1	Book value of SRs backed by standard assets sold by the bank as underlying	162.66	NIL	NIL
	Provision held against (1)*	16.26	NIL	NIL
2	Book value of SRs backed by standard assets sold by other banks/financial institutions/non-banking financial companies as underlying	NIL	NIL	NIL
	Provision held against (2)	NIL	NIL	NIL
	Total (1+2)	**162.66**	**NIL**	**NIL**

*Other than provision against column (1) of Table (i) and (ii), bank is holding an additional provision of ₹ 103.93 Crore

l) Credit Default Swaps : NIL

m) Details of non-performing financial assets purchased/sold

i) Details of non-performing financial assets purchased

(₹ in Crore)

Particulars			**31.03.2017**	**31.03.2016**
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	**NIL**	NIL
	(b)	Aggregate outstanding	**NIL**	NIL
2	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	**NIL**	NIL
	(b)	Aggregate outstanding	**NIL**	NIL

ii) Details of non-performing financial assets sold

(₹ in Crore)

Particulars		**31.03.2017**	**31.03.2016**
1.	No. of accounts sold	**NIL**	NIL
2.	Aggregate outstanding	**NIL**	NIL
3.	Aggregate consideration received	**NIL**	NIL

There was no case where the bank had spread the shortfall over two years.

n) Provision on Standard Asset

(₹ in Crore)

Particulars	**31.03.2017**	**31.03.2016**
Provisions towards Standard Assets	**516.64**	439.80
Total	**516.64**	**439.80**

o) Business Ratios

(₹ in Crore)

Particulars	**31.03.2017**	**31.03.2016**
Interest Income as a percentage to Working Funds	**8.14%**	8.77%
Non-interest income as a percentage to Working Funds	**1.09%**	0.63%
Operating Profit as percentage to Working Funds	**1.59%**	1.12%
Return on Average Assets	**0.49%**	0.28%
Average Business [Deposits + Advances] per employee	**14.17**	14.57
Net profit per employee	**0.05**	0.03

vii) Asset Liability Management : Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(₹ in Crore)

	1 day	2-7 days	8-14 days	15-30 days	31 days and upto 2 months	More than 2 months and upto 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 12 months	Over 1 year to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	354.37	5725.48	2012.83	4510.51	8059.95	8059.95	16840.72	38425.54	9962.43	37522.22	1537.95	133011.95
Advances*	892.28	170.15	239.65	906.12	2539.00	2539.00	5320.19	7199.32	49779.02	10486.78	14477.39	94548.90
Investments*	83.93	148.10	40.45	10.08	80.98	235.09	514.96	1209.20	6101.47	3738.51	32261.79	44424.56
Borrowings**	0.00	7157.39	0.00	0.00	0.00	0.07	0.25	250.43	303.79	7.58	3342.29	11061.80
Foreign Currency Assets	22.64	355.91	9.14	20.14	55.19	15.36	135.71	19.86	21.54	52.40	29.48	737.37
Foreign Currency Liabilities	389.42	2.12	6.75	2.42	8.37	9.32	22.84	81.02	139.42	75.69	0.00	737.37

Assets and Liabilities are classified as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India, compiled by the management and relied upon by the auditors.

* Figures are broadly net of provision

** Borrowings in India

viii) Lending to Sensitive Sectors

a) Exposure to Real Estate Sector

(₹ in Crore)

Particulars	**31.03.2017**	**31.03.2016**
1) Direct exposure		
a. Residential mortgages		
(i) Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**11771.19**	11061.83
(ii) Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances (included in the above)	**5889.23**	4278.51
b. Commercial Real Estate		
Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure also includes non-fund based (NFB) limits:	**1925.24**	2157.92
c. Income Producing Real Estate	**2208.07**	2398.73
d. Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -		
i) Residential	**500.46**	289.15
ii) Commercial Real Estate	**NIL**	NIL
2) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**100.88**	1026.79
Total exposure to real estate sector	**16005.38**	16645.27

b) Exposure to Capital Market

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**183.45**	175.69
(ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds.	**NIL**	NIL
(iii)	Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	**NIL**	NIL
(iv)	Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e., where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**NIL**	NIL
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers.	**25.30**	22.05
(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**NIL**	NIL
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues.	**NIL**	NIL
(viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	**NIL**	NIL
(ix)	Financing to stock brokers for margin trading.	**NIL**	NIL
(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**20.05**	23.06
	Total exposure to capital market	**228.80**	**220.80**

Disclosure for investments under SDR :-

Pursuant to the master circular DBR.BP.BC.No.101/21.04.132/2014-15 dated June08, 2015, on Strategic Debt Restructuring Scheme, Point No. 7, acquisition of shares under SDR mechanism is exempted from regulatory ceilings/restrictions on Capital Market Exposures, investment in Para-Banking activities and intra-group exposure.

We have been allotted shares of M/s Lanco Teesta Hydro Power Limited, Monnet Ispat & Energy Limited and Bellona Estate Developers Ltd aggregating to ₹ 46.88 Crore under SDR mechanism and details of the same as on 31st March 2017, are as under:

Name of Company	Shares allotted	Allotment price/ share in ₹	Book value ₹ in Crore
LancoTeesta Hydro Power Limited	4,00,00,000	10.00	40.00
Monnet Ispat and Energy Limited	20,00,000	34.20	6.84
Bellona Estate Developers Ltd	36,140	10.00	0.04
Total			**46.88**

ix) Risk Category-wise Country Exposure:

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2017	Provision held as at 31.03.2017	Exposure (net) as at 31.03.2016	Provision held as at 31.03.2016
Insignificant	336.71	NIL	267.37	NIL
Low	292.72	NIL	290.81	NIL
Moderate	19.92	NIL	9.75	NIL
High	6.60	NIL	1.07	NIL
Very High	1.25	NIL	0.00	NIL
Restricted	0.00	NIL	0.00	NIL
Off credit	0.00	NIL	0.00	NIL
Total	**657.20**	**NIL**	**569.00**	**NIL**

The net funded exposure of the Bank in respect of foreign exchange transactions with each country is within 1% of the total assets of the Bank and hence no provision is required to be made as per the Reserve Bank of India Circular DBOD. BP.BC.71/21.01.103/2002-03 dated 19.02.2003 read with DBOD. BP.BC.96/21.04.103/2003-04 dated 17.06.2004.

x) Details of Credit Exposures where the Bank had exceeded the Prudential Exposure during the year : -

2016-17 : NIL

2015-16 : NIL

xi) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

a) Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Deposits of twenty largest depositors	**26490.55**	21579.98
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	**19.92%**	17.20%

b) Concentration of Advances

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Advances of twenty largest borrowers	**13156.81**	15504.66
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	**13.59%**	17.08%

c) Concentration of Exposures -

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	**16987.56**	15806.74
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	**15.06%**	14.97%

d) Concentration of NPAs -

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Total Exposure of top four NPA accounts	**1317.46**	1328.60

xii) Sector-Wise advances (Gross) -

(₹ In Crore)

Sl. No.	Sector	31.03.2017			31.03.2016		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**12752.54**	**544.89**	**4.27**	10953.11	447.64	4.09
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	**4554.50**	**305.89**	**6.72**	4098.67	256.26	6.25
3	Services	**11453.06**	**85.13**	**0.74**	12267.42	395.76	3.23
4	Personal Loans	**7973.53**	**480.46**	**6.03**	7078.55	114.24	1.61
	Sub-total (A)	**36733.63**	**1416.37**	**3.86**	**34397.75**	**1213.91**	**3.53**
B	**Non-Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**NIL**	**NIL**	**NIL**	NIL	NIL	NIL
2	Industry	**27545.59**	**4316.43**	**15.67**	29550.93	4409.84	14.92
3	Services	**3329.60**	**51.82**	**1.56**	1940.96	403.32	20.78
4	Personal Loans	**29212.63**	**597.16**	**2.04**	24875.09	0	0.00
	Sub-total (B)	**60087.82**	**4965.41**	**8.26**	**56366.98**	**4813.16**	**8.54**
	Total (A+B)	**96821.45**	**6381.78**	**6.59**	**90764.73**	**6027.07**	**6.64**

xiii) Movement of NPAs -

(₹ in Crore)

Particulars	**31.03.2017**	**31.03.2016**
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	**6027.07**	2443.21
Additions (Fresh NPAs) during the year	**2893.44**	5835.63
Sub-total (A)	**8920.51**	**8278.84**
Less:-		
(i) Up gradations	**895.44**	1454.18
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	**575.00**	287.72
(iii) Technical/Prudential Write-off	**1061.36**	498.73
(iv) Write-offs Other than those under (iii) above	**6.93**	11.14
Sub-total (B)	**2538.73**	**2251.77**
Gross NPAs as on 31st March (A-B)	**6381.78**	6027.07

xiv) Technical write off and recoveries made thereon: -

(₹ in Crore)

Particulars	**31.03.2017**	**31.03.2016**
Opening balance of technical/prudential write-off accounts	**2540.48**	2168.29
Add: Technical/Prudential write off during the year	**1061.36**	498.73
Sub Total	**3601.84**	**2667.02**
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written off accounts during the year	**142.33**	126.54
Closing balance	**3459.51**	**2540.48**

xv) Overseas Assets, NPAs and Revenue : NIL

xvi) Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
NIL	NIL

xvii) Provision coverage ratio (PCR): Provision Coverage ratio as of 31.03.2017 is 58.15 % (previous year 50.08%) as per RBI guidelines. The Bank has achieved the PCR as envisaged in RBI circular DBOD. No.BP.BC.87-21.048/2010-11 dt. 21.04.2011.

xviii) Unsecured advances: : The Bank has no unsecured advances wherein intangible securities have been taken as collateral securities.

xix) During the year 2016-17 the Bank had issued 518 Letters of Comfort (LoC) amounting to USD 312450542.90 covering imports of goods into India. These Letters of Comfort have been issued after due assessment of its financial impact on the Bank and with the approval of the competent authorities. As on the date of balance sheet 193 Letters of Comfort amounting to USD 123402405.50(approximately ₹ 800.26 Crore @ USD 1 = ₹ 64.85) are outstanding which, in the opinion of the management, will not have any significant impact on the Bank's financial position.

xx) Fees / remuneration from insurance business during 2016-17

Sl. no.	Nature of Income	2016-17 (₹ Crore)	2015-16 (₹ Crore)
1	For selling life insurance policies	**2.17**	3.78
2	For selling non-life insurance policies	**4.64**	3.68
3	For selling mutual fund products	**NIL**	NIL
4	Others (Specify)	**NIL**	NIL

8. Compliance with information to be disclosed under Accounting Standards notified by the Ministry of Corporate Affairs under Companies(Accounting Standards) Rules, 2006:

i) There were no material prior period income/ expenditure required to be disclosed as per AS -5.

ii) As per the past practice, the bank does not provide details for the gross amount of each class of depreciable asset as and related accumulated depreciation as required under AS-6.

iii) In terms of accounting policy No.8 of the Bank, some items are recognised on cash basis. However, the management is of the view that since the amount involved is not material, it does not require any disclosure under AS-9.

iv) The Bank is revaluing foreign currency transactions consistently at the weekly average rate of the last week of the preceding month, prescribed by FEDAI, instead of the rate at the date of the transaction as per AS 11. The management is of the view that there is no material impact on the accounts for the year.

v) The following information is disclosed under AS-15 - Employee benefits :-

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	Pension 31.03.17	Pension 31.03.16	Pension 31.03.15	Pension 31.03.14	Pension 31.03.13
I.	**Principal Actuarial Assumptions**					
	Discount Rate	**7.50%**	8.00%	8.00%	8.50%	8.00%
	Salary escalation rate	**5.50%**	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	Attrition rate	**1.00%**	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	Expected rate of return on Plan Assets	**9.16%**	9.02%	8.95%	9.50%	8.70%
II.	**Changes in the Present Value of the Obligation (PVO)**					
	PVO as at the beginning of the period	**2602.03**	2407.14	2132.84	2009.65	1908.35
	Interest Cost	**184.70**	180.28	161.87	161.48	146.22
	Current Service Cost	**341.24**	208.27	268.84	268.90	307.99
	Benefits Paid	**278.49**	(307.37)	(218.99)	(219.72)	(161.16)
	Actuarial (gain) / loss on obligation (balancing figure)	**432.60**	113.71	62.58	(87.47)	(191.75)
	PVO as at the end of the period	**3282.08**	2602.03	2407.14	2132.84	2009.65
III.	**Changes in the Fair Value of Plan Assets**					
	Fair Value of Plan Assets as at the beginning of the period	**2542.70**	2347.50	2246.06	1963.99	1876.33
	Expected return on Plan Assets	**232.91**	211.74	201.02	186.58	163.24
	Contributions	**560.58**	299.64	89.00	271.58	92.01
	Benefits Paid	**278.50**	(307.37)	(218.99)	(219.72)	(161.16)
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	**12.97**	(8.81)	30.40	43.64	(6.43)

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	Pension	Pension	Pension	Pension	Pension
		31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13
	Fair Value of Plan Assets as at the end of the period	**3070.66**	2542.70	2347.50	2246.06	1963.99
IV.	**Actual Return on Plan Assets**					
	Expected return on Plan Assets	**232.91**	211.74	201.02	186.58	163.24
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	**12.97**	(8.81)	30.40	43.64	(6.43)
	Actual return on Plan Assets	**245.88**	202.93	231.43	230.22	156.81
V.	**Actuarial gain / (loss) recognised**					
	Actuarial gain / (loss) for the period - Obligation	**432.60**	(113.71)	(62.58)	87.47	191.75
	Actuarial gain / (loss) for the period - Plan Assets	**12.97**	(8.81)	30.41	43.64	(6.43)
	Total gain / (loss) for the period	**419.63**	(122.52)	(32.17)	131.11	185.32
	Actuarial gain / (loss) recognised in the period	**419.63**	(122.52)	(32.17)	131.11	185.32
VI.	**Amounts recognised in the Balance Sheet and related analysis**					
	Present Value of the obligation	**3282.08**	2602.03	2407.14	2132.84	2009.65
	Fair Value of Plan Assets	**3070.66**	2542.70	2347.50	2246.06	1963.99
	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	**211.42**	(59.33)	(59.64)	113.22	(45.66)
	Amount recognised in the Balance Sheet	**211.42**	(59.33)	(59.64)	113.22	(45.66)
VII.	**Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss**					
	Current Service Cost	**341.24**	208.27	268.84	268.90	307.99
	Interest Cost	**184.70**	180.28	161.87	161.48	146.22
	Expected return on Plan Assets	**232.91**	(211.74)	(201.02)	(186.58)	(163.24)
	Net Actuarial (gain) / loss recognised in the year	**419.63**	122.52	32.17	(131.11)	(185.32)
	Expenses recognised in the statement of Profit and Loss	**712.68**	299.33	261.86	112.69	105.65
VIII.	**Movements in the liability recognised in the Balance Sheet**					
	Opening net liability	**59.33**	59.64	(113.22)	45.66	32.02
	Expense as above	**712.68**	299.33	261.86	112.70	105.65
	Contribution Paid	**560.58**	(299.64)	(89.00)	(271.58)	(92.01)
	Closing Net Liability	**211.42**	59.33	59.64	(113.22)	45.66
IX.	**Amount for the Current Period**					
	Present Value of obligation	**3282.08**	2602.03	2407.14	2132.84	2009.65
	Plan Assets	**3070.66**	2542.70	2347.50	2246.06	1963.99
	Surplus / (Deficit)	**211.42**	(59.33)	(59.64)	113.22	(45.66)
	Experience adjustments on Plan Liabilities - gain / (loss)	**(432.60)**	(113.71)	(62.58)	87.47	191.75
	Experience adjustments on Plan Assets - gain / (loss)	**12.97**	(8.81)	30.40	43.64	(6.43)

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	Gratuity	Gratuity	Gratuity	Gratuity	Gratuity
		31.03.17	31.03.16	31.03.15	31.03.14	31.03.13
I.	**Principal Actuarial Assumptions**					
	Discount Rate	**7.50%**	8.00%	8.00%	8.50%	8.00%
	Salary escalation rate	**5.50%**	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	Attrition rate	**1.00%**	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	Expected rate of return on Plan Assets	**10.79%**	9.00%	8.81%	8.50%	8.50%
II.	**Changes in the Present Value of the Obligation (PVO)**					
	PVO as at the beginning of the period	**298.88**	298.16	315.93	343.85	392.95
	Interest Cost	**20.64**	21.39	22.77	26.49	28.51
	Current Service Cost	**24.77**	22.06	18.63	17.45	17.01
	Benefits Paid	**47.29**	(61.68)	(62.70)	(64.50)	(73.09)
	Actuarial (gain) / loss on obligation (balancing figure)	**35.16**	18.95	3.54	(7.36)	(21.53)
	PVO as at the end of the period	**332.16**	298.88	298.17	315.93	343.85
III.	**Changes in the Fair Value of Plan Assets**					
	Fair Value of Plan Assets as at the beginning of the period	**308.99**	326.30	354.14	368.24	402.80
	Expected return on Plan Assets	**33.34**	29.37	31.20	31.30	34.24
	Contributions	**44.89**	16.00	0.00	21.00	31.50
	Benefits Paid	**47.29**	(61.68)	(62.70)	(64.50)	(73.09)
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	**(0.22)**	(1.00)	3.67	(1.90)	(27.21)
	Fair Value of Plan Assets as at the end of the period	**339.71**	308.99	326.31	354.14	368.24
IV.	**Actual Return on Plan Assets**					
	Expected return on Plan Assets	**33.34**	29.37	31.20	31.30	34.24
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	**(0.22)**	(1.00)	3.67	(1.90)	(27.21)
	Actual return on Plan Assets	**33.12**	28.37	34.87	29.40	7.03
V.	**Actuarial gain / (loss) recognised**					
	Actuarial gain / (loss) for the period - Obligation	**(35.16)**	(18.95)	(3.54)	7.36	21.53
	Actuarial gain / (loss) for the period - Plan Assets	**(0.22)**	(1.00)	3.67	(1.90)	(27.21)
	Total gain / (loss) for the period	**(35.38)**	(19.95)	0.13	5.46	(5.68)
	Actuarial gain / (loss) recognised in the period	**(35.38)**	(19.95)	0.13	5.46	(5.68)

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	Gratuity 31.03.17	Gratuity 31.03.16	Gratuity 31.03.15	Gratuity 31.03.14	Gratuity 31.03.13
VI.	**Amounts recognised in the Balance Sheet and related analysis**					
	Present Value of the obligation	**332.16**	298.88	298.17	315.93	343.85
	Fair Value of Plan Assets	**339.72**	308.99	326.31	354.14	368.24
	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	**7.54**	10.12	28.14	38.21	24.39
	Amount recognised in the Balance Sheet	**7.54**	10.12	28.14	38.21	24.39
VII.	**Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss**					
	Current Service Cost	**24.77**	22.06	18.63	17.45	17.01
	Interest Cost	**20.64**	21.39	22.77	26.49	28.51
	Expected return on Plan Assets	**33.34**	29.37	31.20	31.30	(34.24)
	Net Actuarial (gain) / loss recognised in the year	**35.38**	19.95	(0.13)	(5.46)	5.68
	Expenses recognised in the statement of Profit and Loss	**47.46**	34.02	10.06	7.18	16.96
VIII.	**Movements in the liability recognised in the Balance Sheet**					
	Opening net liability	**(10.12)**	(28.14)	(38.21)	(24.39)	(9.85)
	Expense as above	**47.46**	34.02	10.06	7.18	16.96
	Contribution Paid	**(44.89)**	(16.00)	-	(21.00)	(31.50)
	Closing Net Liability	**(7.54)**	(10.12)	28.15	(38.21)	(24.39)
IX.	**Amount for the Current Period**					
	Present Value of obligation	**332.16**	298.88	298.16	315.93	343.85
	Plan Assets	**339.72**	308.99	326.30	354.14	368.24
	Surplus / (Deficit)	**7.54**	10.12	28.14	38.21	24.39
	Experience adjustments on Plan Liabilities - gain / (loss)	**(35.16)**	(18.95)	(3.54)	7.36	21.53
	Experience adjustments on Plan Assets - gain / (loss)	**(0.22)**	(1.00)	3.67	(1.90)	(27.21)

Actuarial assumptions relating to provisions for compensated absence are given below :

Interest rate :- 7.50% p.a

Salary inflation:-5.50% p.a

Mortality :- LICI 1994-96

Attrition rate :- 10 per thousand p.a

Formula :- projected unit credit method

vi) Details of Provisions as per AS-15 made for various Long Term Employee Benefits during the year are as follows:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Other Long Term Benefits	31.03.2017	31.03.2016
1.	Pension	**712.68**	299.33
2.	Leave Encashment*	**(14.28)**	8.11
3.	Gratuity	**37.35**	34.03
4	Sick Leave	**3.41**	0.00

* Note: Actual expenditure of ₹ 41 Crore (Previous year ₹ 26.65 Crore) has been recognized in P&L Account by debiting salary & allowance A/c.

vii) Segment Reporting (AS-17)

(₹ in Crore)

Business Segments #	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
	31.03.17	**31.03.16**	**31.03.17**	**31.03.16**	**31.03.17**	**31.03.16**	**31.03.17**	**31.03.16**	**31.03.17**	**31.03.16**
Revenue	**4182.90**	3221.84	**5560.09**	6092.44	**3540.34**	3046.82	**747.39**	596.34	**14030.72**	12957.44
Result	**1067.80**	(15.12)	**298.06**	320.53	**857.12**	1115.27	**280.98**	199.69	**2503.96**	1620.37
Unallocated Expenses									**1589.48**	1462.01
Profit Before Taxes									**914.48**	158.36
Provision for Taxes									**164.00**	(223.44)
Extraordinary Profit/Loss									**NIL**	NIL
Net Profit									**750.48**	381.80
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	**47466.52**	44567.02	**57498.55**	62548.56	**41358.83**	30594.62	**4304.81**	4116.91	**150628.71**	141827.11
Unallocated Assets									**4252.86**	3581.63
Total Assets									**154881.57**	145408.74
Segment Liabilities	**45666.57**	43054.64	**56279.23**	60988.00	**40730.61**	30117.00	**3873.35**	3624.38	**146549.76**	137784.02
Unallocated Liabilities									**8331.81**	7624.72
Total Liabilities									**154881.57**	145408.74

For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e., a) Treasury Operations (b) Corporate/ Wholesale Banking, (c) Retail Banking and (d)Other Banking Operations. Segmenting is based on the current policy of the bank.

Since the Bank does not have any Overseas branch, reporting under geographic segment is not applicable.

Expenses wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of segment revenue.

Assets/liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of segment revenue/segments assets ratio.

The above information has been compiled based on data available at Head Office.

viii) The Bank has identified the following as related party as per AS-18 on Related Party Disclosures -

a) Key Management Personnel :

a. Dr. Kishore Sansi, (M.D & CEO)

b. Shri. B. S. Rama Rao, (Executive Director)

c. Shri. Y Nageswara Rao (Executive Director)

The transactions with Related parties during the year are as under:

a) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year

Dr. Kishore Sansi, M.D & CEO (01.04.2016 to 31.03.2017)	₹ 30,15,624/-
Shri. B. S. Rama Rao, ED (01.04.2016 to 31.03.2017)	₹ 27,36,526/-
Shri. Y Nageswara Rao, ED (01.04.2016 to 31.03.2017)	₹ 25,30,938/-

Previous year figures (2015-16)

Dr. Kishore Sansi, M.D & CEO (01.04.2015 to 31.03.2016)	₹ 22,98,606/-
Shri. K. R. Shenoy, EX-ED (01.04.2015 to 31.10.2015)	₹ 22,54,350/-
Shri. B. S. Rama Rao, ED (01.04.2015 to 31.03.2016)	₹ 23,89,174/-
Shri. Y Nageswara Rao, ED (22.01.2016 to 31.03.2016)	₹ 3,43,098/-

b) There has been no transaction with the relatives of the Key Management Personnel during the year.

c) Associates: NIL

ix) Leases (AS -19)

a) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss Account in the year to which it relates.

b) Future Lease Rent Payable for operating lease :

(₹ in Crore)

Particulars	**31.03.2017**	**31.03.2016**
Not Later than 1 year	**153.06**	116.53
Later than 1 year but not Later than 5 years	**696.66**	520.76
Later than 5 years	**765.75**	636.98
Total	**1615.40**	**1274.27**
Amount Charged to P&L	**151.29**	116.85

c) Future lease rents and escalation in the rent are determined on the basis of agreed terms.

d) At the expiry of initial lease term, generally the Bank has an option to extend the lease for a further pre-determined period.

e) The Bank does not have any financial lease.

x) Earning Per Share (AS-20)

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on "Earnings per Share". Basic earnings per share for the period is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Calculation of Basic EPS/ Dilutive		31.03.2017	31.03.2016
a.	Net Profit after tax available for equity share holders (₹ in Crore)	**750.48**	381.80
b.	Weighted average number of equity shares (Numbers in Crore)	**99.10**	85.93
c.	Basic EPS/ Dilutive (in rupees)	**7.57**	4.44
d.	Nominal Value per share (in rupees)	**10**	**10**

xi) Accounting for Taxes on Income (AS-22)

The Bank has accounted for Taxes on Income in compliance with Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" issued by the ICAI. Accordingly, deferred tax assets and liabilities are recognised.

a) The components of deferred tax are as under:

(₹ in Crore)

Timing Difference	Deferred Tax Asset		Deferred tax liability	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
1. Provision for leave encashment	**52.09**	56.94	**NIL**	NIL
2. Fixed Assets	**0.55**	9.75	**NIL**	NIL
3. Unamortized pension	**NIL**	NIL	**NIL**	NIL
4. Unamortized gratuity	**NIL**	NIL	**NIL**	NIL
5. Provision for Restructured Advances	**3.98**	9.52	**NIL**	NIL
6. Special Reserve u/s 36(i)(viii) of IT Act	**NIL**	NIL	**188.17**	160.49
7. Provision for NPA	**475.67**	284.64	**NIL**	NIL
Total	**532.29**	360.85	**188.17**	160.49

In view of the application of ICDS (Income Computation and Disclosure Standards) from the year 2016-17, provisions of AS 22 in respect of DTL on Investments under HTM category are not applicable.

b) During the financial year 2016-17, the Bank has recognised DTA in respect of provision made in excess of deduction allowable u/s 36(i)(vii)(a) of the Income Tax Act.

c) Amount of provisions made for Income Tax during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Provision for Income Tax	**307.76**	NIL
Provision for Deferred Tax	**(143.76)**	(223.44)

xii) In the opinion of the Management, there is no material impairment of any of the Fixed Assets of the Bank as per Accounting Standard 28 - Impairment of Assets.

9. i) Customer Complaint

Sl. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	**37**	37
(b)	No. of complaints received during the year	**5850**	2990
(c)	No. of complaints redressed during the year	**5848**	2990
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	**39***	37

*Since redressed

ii) Complaint details related to ATM transactions.

Sl. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
1	No. of issues pending at the beginning of the year	**98**	34
2	No. of issues received during the year	**32148**	27306
3	No. of issues resolved during the year	**32193**	27242
4	No. of issues pending at the end of the year	**53**	98

iii) Awards passed by the Bank's ombudsman

Sl. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	**NIL**	1
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	**12**	NIL
(c)	No. of Awards implemented during the year	**12**	1
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	**NIL**	NIL

iv) The Government of India had infused share application money of ₹ 220 Crore on 30.03.2016 In May 16 the Bank allotted 6,62,85,025 equity shares of ₹ 10 each to Govt of India at a premium of ₹ 23.19 per share on preferential basis.

v) During the current financial year RBI has levied penalty of ₹ 18.31 lacs (Previous year ₹ 5.68 lacs)

10. (i) Break up of provisions and contingencies

(₹ in Crore)

Break up of 'Provisions and contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss A/c	31.03.2017	31.03.2016
Provision for depreciation on investment	**44.97**	57.17
Provisions towards NPA	**1347.34**	1488.45
Provisions towards Standard Assets (including Restructured Std.)	**58.27**	(241.01)
Provisions made towards Income Tax (net):		
i) Current Tax	**307.76**	0.00
ii) Deferred Tax	**(143.76)**	(223.44)
Other Provision and Contingencies :		
i) Provision for Contingencies	**10.94**	55.30
ii) Others	**47.29**	30.60
iii) Excess Provision written back	**(2.14)**	0.00
Total	**1670.67**	1167.07

(ii) Floating Provisions

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(a) Opening balance	**71.35**	71.35
(b) Floating provisions made during the year	**NIL**	NIL
(c) Amount withdrawn during the year	**NIL**	NIL
(d) Closing balance	**71.35**	71.35

11. Intra Group Exposure: -

a) Total Amount of Intra group Exposures: NIL

b) Total amount of top-20 intra group exposures: NIL

c) Percentage of intra group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers: NIL

d) Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any: NIL

12. Transfers to Depositor Education and awareness Fund (DEAF): -

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Opening balance of amounts transferred to DEAF	**87.53**	62.87
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	**30.54**	25.12
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	**1.02**	0.47
Closing balance of amounts transferred to DEAF	**117.05**	87.53

13. Un hedged Foreign Currency Exposure:

(To the extent bank has been able to ascertain from borrowers and as certified by bank and relied upon by auditors)

Incremental provisioning as on 31.03.2017: ₹ 10.43 Crore
Incremental capital requirement: ₹ 15.03 Crore

14. (a) Liquid Coverage Ratio:

(₹ in Crore)

LCR Disclosure Template			
		Total Unweighted Value (average)	**Total Weighted Value (average)**
High Quality Liquid Assets			
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		25600.70
Cash Outflows			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	79256.70	5821.82
	(i) Stable deposits	42077.03	2103.85
	(ii) Less stable deposits	37179.67	3717.97
3	Unsecured wholesale funding, of which:	18265.03	9283.72
	(i) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00
	(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	18265.03	9283.72
	(iii) Unsecured debt	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	7157.39	0.00
5	Additional requirements, of which	7438.53	929.11
	(i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00
	(ii) Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00
	(iii) Credit and liquidity facilities	7438.53	929.11
6	Other contractual funding obligations	1025.22	1025.22
7	Other contingent funding obligations	8448.03	286.53
8	**TOTAL CASH OUTFLOWS**		17346.40
Cash Inflows			
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	961.66	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	1447.78	836.62
11	Other cash inflows	1111.42	555.71
12	**TOTAL CASH INFLOWS**	3520.86	1392.33
Total Adjusted Value			
13	**TOTAL HQLA**		25600.70
14	**TOTAL NET CASH OUTFLOWS**		15954.07
15	**LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)**		**160.47%**

(b) Qualitative disclosures around LCR:

(a) The main drivers of their LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation over time;

The main drivers of the LCR is HQLA, the involvement of healthy HQLA not only improve the LCR percentage but also increase the ability of the bank to meet the liquidity requirement upto 30 days.

(b) Intra-period changes as well as changes over time;

Not Applicable

(c) The composition of HQLA;

The composition of HQLA is divided into Level 1 Asset and Level 2A & Level 2B.

Level 1 Asset includes:

i. Cash including cash reserves in excess of required CRR.

ii. Government securities in excess of the minimum Statutory Liquidity Ratio(SLR) requirement.

iii. Within the mandatory Statutory Liquidity Ratio(SLR) requirement, Government securities to the extent allowed by Reserve Bank of India (RBI), under Marginal Standing Facility (MSF).

iv. Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns satisfying all the following conditions:-

(a) Assigned a 0% risk weight under the Basel II standardized approach for credit risk;

(b) Traded in large, deep and active repo or cash markets characterised by a low level of concentration; and proven record as a reliable source of liquidity in the markets (repo or sale) even during stressed market conditions.

(c) Not issued by a bank/financial institution/NBFC or any of its affiliated entities.

Level 2 assets (comprising Level 2A assets and Level 2B assets) can be included in the stock of liquid assets, subject to the requirement that they comprise no more than 40% of the overall stock of HQLAs after haircuts have been applied.

Level 2A and Level 2B assets would comprise of the following:

Level 2A Assets includes;

A minimum 15% haircut should be applied to the current market value of each Level 2A asset held in the stock. Level 2A assets are limited to the following:

1) Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by sovereigns, Public Sector Entities (PSEs) or multilateral development banks that are assigned a 20% risk weight under the Basel II Standardised Approach for credit risk and provided that they are not issued by a bank/ financial institution/NBFC or any of its affiliated entities.

2) Corporate bonds, not issued by a bank/financial institution/NBFC or any of its affiliated entities, which have been rated AA- or above by an Eligible Credit Rating Agency.

3) Commercial Papers not issued by a bank/ Primary dealers (PD)/financial institution or any of its affiliated entities, which have a short-term rating equivalent to the long-term rating of AA- or above by an Eligible Credit Rating Agency.

Level 2B Assets includes:

A minimum 50% haircut should be applied to the current market value of each Level 2B asset held in the stock. Further, Level 2B assets should comprise no more than 15% of the total stock of HQLA. They must also be included within the overall Level 2 assets. Level 2B assets are limited to the following:

i. Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by sovereigns having risk weights higher than 20% but not higher than 50%, i.e., they should have a credit rating not lower than BBB- as per RBI Master Circular on 'Basel III - Capital Regulations'.

ii. Common Equity Shares which satisfy all of the following conditions:

a) not issued by a bank/financial institution/NBFC or any of its affiliated entities;

b) included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index.

c) Concentration of funding sources;

Amount to be received by RBI / Central banks.

(e) Derivative exposures and potential collateral calls;

Not Applicable

(f) Currency mismatch in the LCR;

Not Applicable

(g) A description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units; and

The Fund Management desk in Treasury Management Department (TMD) is centralized liquidity management desk that manages the flow of funds between the two units.

(h) Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile.

Not Applicable

15. As per RBI circular no. DBR.NO.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18th 2016 on disclosures pertaining to Provisions for frauds is as follows:-

Sl. No.	₹Particulars	Amt in ₹
1	No. of Frauds reported	61
2	Amount involved in such frauds	1,32,71,90,962
3	Quantum of Provisions during the year (net of recoveries)	1,05,76,20,013
4	Quantum of unamortized Provision debited to other reserves	NIL

16. The bank has drawn down a sum of ₹ NIL/- (Previous year ₹ NIL) from General Reserve on account of payment of Lapsed Demand Drafts which were taken to general reserve earlier as per RBI approval.

17. Bank is not having adequate information in respect of Suppliers/Service providers covered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. In view of this, information required to be disclosed u/s 22 of the said Act is not given.

18. Implementation of INDAS:

The Bank is in the process of implementation of IND AS. The Bank is also availing services of external consultants for this purpose. Proforma financial statements for the half year ended Sep'16 have been compiled and submitted to RBI. The Bank is confident of complying with the timelines prescribed by RBI for implementation of INDAS.

19. Previous year's figures have been re-grouped / re-classified / re-cast wherever necessary to conform to current year's classification.

20. Cash flow has been prepared using Indirect method.

GOPALAKRISHNAN NARAYANAN Chairman	**DR. KISHORE SANSI** Managing Director & CEO	**B. S. RAMA RAO** Executive Director	**NAGESWARA RAO Y** Executive Director
SANJAY KUMAR Director	**G. P. BORAH** Director	**P VAIDYANATHAN** Director	**M. BHAGAVANTHA RAO** Director
V. V. R. SASTRY Director	**S. RAGHUNATH** Director		
MURALI RAMASWAMY General Manager			

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP Chartered Accountants Registration No: 003990S/S200018	**For M/s JAGANNATHAN & SARABESWARAN** Chartered Accountants Registration No: 001204S
RAJESHWARI S. Partner Membership No: 024105	**P. S. NARASIMHAN** Partner Membership No: 020936
For M/s SHIV JINDAL & CO Chartered Accountants Registration No: 011316N	**For M/s O P BAGLA & CO** Chartered Accountants Registration No: 000018N
VIKRAM JINDAL Partner Membership No: 095464	**RAKESH KUMAR** Partner Membership No: 087537

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2017

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017

Particulars	[₹ 000's omitted] For the year ended 31.03.2017	For the year ended 31.03.2016
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit after tax	**750 48 51**	381 79 52
Provision for depreciation on fixed assets	**82 81 29**	71 49 20
Profit on sale of Fixed Assets	**(2 36 93)**	(39 74)
Current Deferred Tax	**(143 76 27)**	(223 44 07)
Provision for income tax	**307 76 00**	0
Mat Credit Entitlement	**0**	0
Provision in respect of NPA/restructured adv.	**1328 77 13**	1272 80 72
Provision for Standard Assets	**76 84 00**	(25 36 00)
Provision for Diminution in the value of Investments	**44 97 14**	55 20 83
Payment/Provision for interest on Subordinate Bonds	**369 96 54**	295 07 30
Provision for other Items	**56 08 88**	87 86 00
Sub total:-	**2871 56 29**	1915 03 76
Adjust ment for net change in operating assets and liabilities		
Decrease/(Increase) in Investment	**(2627 03 32)**	(1141 55 03)
Decrease /(Increase) in Advances	**(6890 69 80)**	(3563 90 51)
Increase / (Decrease) in Deposits	**7571 22 93**	(902 62 77)
Increase/ (Decrease) in Borrowings	**986 22 49**	2322 37 82
Decrease/(Increase) in other Assets	**(1346 45 60)**	1114 01 34
Increase/(Decrease) in other Liabilities & Provisions	**300 35 95**	(673 60 69)
Tax (paid)/ Refund	**(804 76 37)**	(342 27 38)
Net Cash from operating Activities (A)	**60 42 57**	(1272 53 46)
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Fixed Assets (net)	**(154 30 10)**	(155 40 16)
Net cash from investing activities (B)	**(154 30 10)**	(155 40 16)
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Issue of share capital	**66 28 50**	73 44 10
Share Application Money	**(220 00 00)**	220 00 00
Share Premium	**153 71 50**	152 39 01
Subordinate bonds issued	**325 00 00**	950 00 00
Subordinate bonds Redeemed	**(550 00 00)**	(250 00 00)
Interest on subordinate bonds	**(369 96 54)**	(295 07 30)
Preference dividend paid & tax paid thereon	**0**	0
Equity dividend & Tax paid thereon	**0**	(155 10 28)
Interim dividend paid & tax paid thereon	**0**	0

Particulars	[₹ 000's omitted]	
	For the year ended 31.03.2017	For the year ended 31.03.2016
Net cash from financing activities (C)	**(594 96 54)**	695 65 53
Net cash & cash Equivalents (A+B+C)	**(688 84 07)**	(732 28 09)
Cash & Cash equivalents at the begning of the year	**6619 55 08**	7351 83 17
Cash in Hand	**554 59 71**	493 80 86
Balances with Reserve bank of India	**5713 75 28**	6040 48 61
Balances with banks and money at call and short notice	**351 20 09**	817 53 70
Cash & Cash equivalents at the end of the year	**5930 71 01**	6619 55 08
Cash in Hand	**506 85 55**	554 59 71
Balances with Reserve bank of India	**5263 56 57**	5713 75 28
Balances with banks and money at call and short notice	**160 28 89**	351 20 09

The above cash flow statement has been taken on record by the Board of Directors of the Bank at its meeting held on 09.05.2017.

GOPALAKRISHNAN NARAYANAN
Chairman

DR. KISHORE SANSI
Managing Director & CEO

B. S. RAMA RAO
Executive Director

NAGESWARA RAO Y
Executive Director

SANJAY KUMAR
Director

G. P. BORAH
Director

P VAIDYANATHAN
Director

M. BHAGAVANTHA RAO
Director

V. V. R. SASTRY
Director

S. RAGHUNATH
Director

MURALI RAMASWAMY
General Manager

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
Registration No: 003990S/S200018

RAJESHWARI S.
Partner
Membership No: 024105

For M/s JAGANNATHAN & SARABESWARAN
Chartered Accountants
Registration No: 001204S

P. S. NARASIMHAN
Partner
Membership No: 020936

For M/s SHIV JINDAL & CO
Chartered Accountants
Registration No: 011316N

VIKRAM JINDAL
Partner
Membership No: 095464

For M/s O P BAGLA & CO
Chartered Accountants
Registration No: 000018N

RAKESH KUMAR
Partner
Membership No: 087537

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2017

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India/ Members,

Report On the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Vijaya Bank as at 31st March, 2017, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2017, and Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 912 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss account are the returns from 1098 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.91 per cent of advances, 22.92 per cent of deposits, 8.99 per cent of interest income and 23.63 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements.

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India guidelines and recognized accounting policies and practices including Accounting Standards issued by ICAI as applicable. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2017 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in as per provisions of Section 29 of the Banking regulation Act, 1949.

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. We further report

(a) that the balance sheet and profit and loss account are in agreement with the books of account and returns.

(b) The reports on the accounts of the branches audited by other branch auditors of the bank under section 29 of the Banking Regulation Act1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

(c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards except clause relating to accounting of proposed dividend and tax thereon under AS 4 as amended by ICAI, pending clarification from RBI.

For M/s PKF SRIDHAR & SANTHANAM LLP
Chartered Accountants
Registration No: 003990S/S200018

RAJESHWARI S
Partner
Membership No: 024105

For M/s JAGANNATHAN & SARABESWARAN
Chartered Accountants
Registration No: 001204S

P S NARASIMHAN
Partner
Membership No: 020936

For M/s SHIV JINDAL & CO
Chartered Accountants
Registration No: 011316N

VIKRAM JINDAL
Partner
Membership No:095464

For M/s O P BAGLA & CO
Chartered Accountants
Registration No: 000018N

RAKESH KUMAR
Partner
Membership No: 087537

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2017

BASEL DISCLOSURES DOCUMENT AS AT 31ST MARCH 2017

TABLE DF-1 on group entities disclosures is not applicable to the Bank.

TABLE DF-2
CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures				
(a)	A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities	As per RBI directives, our Bank has adopted 'Standardised Approach' for Credit Risk, 'Standardised Duration Approach' for Market risk and 'Basic Indicator Approach' for Operational risk w.e.f. 31.03.2009. For assessment of additional Capital to support the current and future activities, the Bank follows ICAAP policy, put in place by the Bank. ICAAP is being reviewed on a half yearly basis in order to maintain adequate capital above the regulatory minimum on a continuous basis taking care of the future growth in business.		
Quantitative Disclosures		**(₹ in Crore)**		
(b)	Capital requirements for Credit Risk under Basel II & Basel III:			
	• Portfolios subject to standardized approach (Capital requirement at minimum CRAR of 10.25%	**7409.29** (including other assets and counterparty un-hedged foreign currency exposure)		
	• Securitization exposures	**NIL -** as the Bank has no exposure under securitization.		
(c)	Capital requirements for Market Risk Standardised duration approach:			
	Under Basel II:	**690.58**		
	• Interest rate risk	631.18		
	• Foreign Exchange Risk	1.35		
	• Equity Risk	58.05		
	Under Basel III:*	**685.57**		
	• Interest rate risk	630.85		
	• Foreign Exchange Risk	1.35		
	• Equity Risk	53.37		
	* After Cross holding Adjustment of ₹ 6.81 Crore.			
(d)	Capital requirements for Operational Risk - Basic Indicator Approach Basel II & III	**475.49**		
			Basel II	**Basel III**
	Capital required:	**Min. Cap Required:**	**8575.36**	**8570.35**
	Capital Maintained:	**Capital Funds:**		
		(as on 31.03.2017)	**11242.68**	**11051.49**
(e)	Total and Tier 1 Capital Ratio			
	• For the top consolidated group		**Basel II**	**Basel III**
		CRAR as on 31.03.2017:	**12.95**	**12.73**
		Common Equity Tier I:*	-	8.44
		Tier 1 Capital:	9.56	9.96
		Tier 2 Capital:	3.39	2.77
		*Includes 1.25% Capital Conservation Buffer		
	• For significant Bank subsidiaries	Not applicable, as our Bank has no subsidiary.		

TABLE DF-3
CREDIT RISK - GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures	
(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to Credit Risk, including • Definitions of past due and impaired (for accounting purposes) • Discussion on the Bank's Credit Risk Management Policy	The Credit Risk Management Process of the Bank is driven by sound system, procedures and policies. While the Board of Directors & Risk Management Committee of the Board gives directions, the Credit Risk Management Committee headed by Managing Director & Chief Executive Officer ensures its implementation. Policy guidelines for Credit Risk Management, Collateral Management and Credit Risk Mitigants (CRM), Ratings etc. are put in place, wherein the set of objectives, scope and nature of risk reporting, its measurement systems, policies, strategies to be adopted in containing / minimizing the risk through CRM, processing steps, developing monitoring and supervision mechanisms for the continuing effectiveness of mitigants have been detailed. To move towards advanced approach of Basel II norms, the Bank has taken up implementation of integrated Risk Management System through six solutions for Credit Risk Rating, Credit Risk, Market Risk, Operation Risk, ALM & FTP. **The Bank's policy on IRAC (Income Recognition & Asset Classification) norms** is in tune with guidelines issued by the Reserve Bank of India, as amended from time to time. Ninety days delinquency norm is being followed in classifying the assets as 'performing' & 'non-performing' assets. The entire IRAC data has been subjected to audit. Adequate provisions as prescribed have been made on both Standard Assets (performing) and Non-Performing Assets. Apart from these, the Bank has created a general floating provision and additional provision for restructured assets. **Definition of impaired assets (for accounting purposes):** An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the Bank when (a) interest and/or installment of the loan remains 'overdue' (*) for a period of more than 90 days in respect of term loan (b) the account remains 'out of order' (#) for a period of more than 90 days, in respect of operative limits such as Cash Credit (Hyp./Misc.) (c) the bill remains 'overdue' for a period of more than 90 days in cases of bills purchased /discounted (d) the interest charged during any quarter, not fully serviced within 90 days from the end of the quarter (e) the installment of principal or interest thereon remains overdue for 2 crop seasons in the case of short duration crop loans and if installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season in the case of long duration crop loans, as far as agricultural loans are concerned (f) 90 days from the date of crystallization of non-fund based commitments expire. * 'overdue' means any amount due to the Bank under any credit facility, if not paid on the due date fixed, or on crystallization of non fund based commitment. # 'out of order' means the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power or if there are no requisite amount of credits continuously for 90 days or where credits in the account are not enough to cover the interest debited prior to 90 days. **Discussions on Bank's Credit Risk Management Policy:** The Bank has formulated a comprehensive Credit Risk Management Policy and constituted various committees such as Credit Risk Management Committee etc. to address host of management techniques which help the Bank in identifying, measuring, monitoring and controlling of credit risks by

	taking into account both external and internal factors affecting the credit risk. The Bank has fine-tuned the Risk Management Policies & Lending Policy, to include credit appraisal standard like benchmark/hurdle ratios on key financial indicators, internal ceilings, prudential norms for large credit proposals, standards for loan collateral, portfolio management, credit concentration, Loan Review Mechanism / Credit Audit, special review of high value borrowal accounts (Comprehensive Credit Monitoring Report), risk concentration / monitoring and pricing based on risk ratings, and review based on risk ratings etc, besides covering exposure ceiling for groups, ratings and sensitive sectors such as capital market, real estate and commodity sector. A comprehensive Recovery Policy of the Bank is also put in place and revised from time to time.					
Quantitative Disclosures	**Gross Credit risk exposure :**					
(b) Total gross Credit Risk exposures - fund based & non-fund based	Fund based	Gross Credit	: ₹	96821.45	Crore	
		Investments	: ₹	29616.38	Crore	
		Other Assets	: ₹	11206.41	Crore	
	Non Fund based	BG/ LC	: ₹	8448.03	Crore	
		Derivatives & CCIL/MCX	: ₹	2907.02	Crore	
		Undrawn	: ₹	7438.52	Crore	
	Total		**: ₹**	**156437.81**	**Crore**	
(c) Geographical distribution of exposures -fund based & non fund based separately	**Overseas: Fund based & Non fund based: NIL**					
	Domestic:					
	Fund based	Gross Credit	: ₹	96821.45	Crore	
		Investments	: ₹	29616.38	Crore	
• Overseas		Other Assets	: ₹	11206.41	Crore	
• Domestic	Non Fund based	BG/ LC	: ₹	8448.03	Crore	
		Derivatives & CCIL/MCX	: ₹	2907.02	Crore	
		Undrawn	: ₹	7438.52	Crore	
	Total		**: ₹**	**156437.81**	**Crore**	

Geographic distribution of Gross credit, NFB and HTM investments is as under: (₹ in Crore)

State	Gross credit	Non Fund Based	HTM Investments	Total
Andaman & Nicobar	41.91	6.29	0.00	48.20
Andhra Pradesh	3300.59	157.86	80.03	3538.48
Arunachal Pradesh	166.86	71.28	0.00	238.14
Assam	337.00	27.79	25.47	390.26
Bihar	331.36	17.05	0.00	348.41
Chandigarh	177.35	17.03	0.00	194.38
Chattisgarh	405.09	18.97	43.69	467.75
Dadra & Nagar Haveli	17.91	0.00	0.00	17.91
Daman & Diu	1.95	0.00	0.00	1.95
Delhi	12082.56	1291.19	20856.63	34230.38
Goa	273.12	4.70	0.00	277.82

State	Gross credit	Non Fund Based	HTM Investments	4294.52
Gujarat	3566.23	237.18	491.11	4294.52
Haryana	2539.08	46.16	211.63	2796.87
Himachal Pradesh	78.65	0.66	0.00	79.31
Jammu & Kashmir	21.97	0.78	25.14	47.89
Jharkhand	147.29	8.92	0.00	156.21
Karnataka	21378.94	1414.06	731.64	23524.64
Kerala	4171.93	135.85	90.62	4398.40
Madhya Pradesh	904.49	25.91	37.08	967.48
Maharashtra	26003.50	3324.42	980.78	30308.70
Manipur	72.97	1.83	0.00	74.80
Meghalaya	59.87	26.80	0.00	86.67
Mizoram	74.56	1.86	0.00	76.42
Nagaland	119.54	1.58	0.00	121.12
Orissa	505.32	12.47	63.04	580.83
Pondicherry	87.96	2.91	0.00	90.87
Punjab	1223.48	13.30	159.96	1396.74
Rajasthan	1000.60	51.96	880.42	1932.98
Sikkim	19.05	1.47	0.00	20.52
Tamil Nadu	6387.99	393.43	855.59	7637.01
Telangana	5227.42	646.71	0.00	5874.13
Tripura	33.85	8.46	0.00	42.31
Uttar Pradesh	2450.10	199.61	143.53	2793.24
Uttaranchal	141.60	3.18	0.00	144.78
West Bengal	3469.36	276.35	89.27	3834.98
TOTAL	**96821.45**	**8448.03**	***29616.38**	**134885.86**

***Total HTM investment included ₹ 3859.99 Crore RIDF amount and excluding ₹ 9.25 Crore NPI.**

(d) Industry type distribution of credit (Fund Based and Non Fund Based) is as under:

Amount in (₹) Crore

Industry	Fund Based	Non-Fund Based
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	**173.47**	**16.49**
A.1 Coal	100.21	0.35
A.2 Others	73.27	16.14
B. Food Processing (Sum of B.1 to B.5)	**220.06**	**25.59**
B.1 Sugar	18.96	0.00
B.2 Edible Oils and Vanaspati	25.11	3.02
B.3 Tea	15.15	0.01
B.4 Coffee	0.00	0.00
B.5 Others	160.84	22.56

		Amount in (₹) Crore	
	Industry	**Fund Based**	**Non-Fund Based**
	C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco (Sum of C.1 & C.2)	**189.13**	**0.50**
	C.1 Tobacco and tobacco products	143.83	0.05
	C.2 Others	45.30	0.46
	D. Textiles (Sum of D.1 to D.6)	**909.76**	**28.07**
	D.1 Cotton	534.43	3.69
	D.2 Jute	2.84	0.25
	D.3 Handicraft/Khadi (Non Priority)	57.95	0.00
	D.4 Silk	0.00	0.00
	D.5 Woolen	0.00	0.00
	D.6 Others	314.54	24.13
	Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0.00	0.00
	E. Leather and Leather products	**45.62**	**1.38**
	F. Wood and Wood Products	**187.19**	**12.13**
	G. Paper and Paper Products	**207.93**	**17.40**
	H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	**49.63**	**0.08**
	I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (Sum of I.1 to I.4)	**980.31**	**57.15**
	I.1 Fertilisers	8.31	0.01
	I.2 Drugs and Pharmaceuticals	214.93	6.01
	I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	636.90	7.70
	I.4 Others	120.17	43.43
	J. Rubber, Plastic and their Products	**25.38**	**3.64**
	K. Glass & Glassware	**9.16**	**0.47**
	L. Cement and Cement Products	**303.49**	**84.20**
	M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	**4172.59**	**616.77**
	M.1 Iron and Steel	3725.72	583.79
	M.2 Other Metal and Metal Products	446.87	32.97
	N. All Engineering (N.1 + N.2)	**1900.21**	**524.39**
	N.1 Electronics	824.36	198.94
	N.2 Others	1075.86	325.45
	O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment's	**770.22**	**47.74**
	P. Gems and Jewellery	**734.25**	**44.84**
	Q. Construction	**1861.11**	**1127.14**

	Amount in (₹) Crore	
Industry	**Fund Based**	**Non-Fund Based**
R. Infrastructure (Sum of R1 to R.4)	**21297.58**	**1076.06**
R.1 Transport ((Sum of R.1.1 to R.1.5)	4296.84	2.00
R.1.1 Railways	52.41	0.00
R.1.2 Roadways	3506.37	2.00
R.1.3 Airport	678.33	0.00
R.1.4 Waterways	59.73	0.00
R.1.5 Others	0.00	0.00
R.2 Energy (Sum of R.2.1 to R.2.4)	11417.95	570.70
R.2.1 Electricity (generation-transportation and distribution)	11204.47	570.70
R.2.1.1State Electricity Boards	6523.37	208.23
R.2.1.2 Others	4681.10	362.47
R.2.2 Oil (storage and pipeline)	213.48	0.00
R.2.3 Gas/LNG (storage and pipeline)	0.00	0.00
R.2.4 Others	0.00	0.00
R.3 Telecommunication	483.95	9.58
R.4 Others (Sum of R.4.1 to R.4.3)	5098.83	493.78
R.4.1 Water sanitation	1773.94	5.35
R.4.2 Social & Commercial Infrastructure	3324.89	488.43
R.4.3 Others	0.00	0.00
S. Other Industries	**741.31**	**147.75**
All Industries (Sum of A to S)	34778.41	3831.80
Residuary Other Advances (to tally with gross advances) [a+b+c]	62043.04	4616.23
a. Education Loan	1357.96	0.00
b. Aviation Sector	403.21	0.00
c. Other Residurary Advances	60281.87	4616.23
Gross total Loans and Advances	**96821.45**	**8448.03**

(e) Residual maturity breakdown of assets as at 31.03.2017:

(₹ in Crore)

Period	1 day	2-7 days	8-14 days	15-30 days	31 days - 2 months	Over 2 months to 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 12 months	Over 1 year to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
FC Assets	22.64	355.91	9.14	20.14	55.19	15.36	135.71	19.86	21.54	52.40	29.47	**737.36**
Net Advances	892.28	170.15	239.65	906.12	2539.00	2539.00	5320.19	7199.32	49779.02	10486.78	14477.39	**94548.90**
Net Investments	83.93	148.10	40.45	10.08	80.98	235.09	514.96	1209.20	6101.47	3738.51	32261.79	**44424.56**

Position as on 31.03.2017

(₹ in Crore)

(f)	Amount of NPAs (Gross)	6381.78
	• Substandard	1726.39
	• Doubtful 1	2480.21
	• Doubtful 2	1867.58
	• Doubtful 3	271.01
	• Loss	36.59
(g)	Net NPAs	4118.16
(h)	NPA Ratios	
	• Gross NPAs to gross advances	6.59
	• Net NPAs to net advances	4.36
(i)	Movement of NPAs (Gross):	
	• Opening balance	6027.07
	• Additions	2893.44
	• Reductions	2538.73
	• Closing balance	6381.78
	Movement of NPA (Net)	
	• Opening balance	4276.82
	• Additions	-
	• Reductions	158.66
	• Closing balance	4118.16
(j)	Movement of provisions for NPAs	
	• Opening balance	1730.40
	• Provisions made during the period	1558.29
	• Write off	1061.36
	• Write back of excess provisions	0.00
	• Closing balance	2227.33
	(DICGC/ECGC claims settled & pending for payment = ₹ 36.28 Crore)	
(k)	Amount of Non-Performing Investments	9.25
	(Under HTM Category)	
(l)	Amount of provisions for depreciation on Non Performing Investments (NPI)	90.13
(m)	Movement of provisions for depreciation on Non Performing Investments (NPI):	
	• Opening balance	70.59
	• Provisions made during the period	48.06
	• Write off	0.00
	• Write back of excess provisions	28.52
	• Closing balance	90.13

TABLE DF-4

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures	
(a) For portfolios under the standardised approach:	
• Names of credit rating agencies used plus reasons for any changes	The Bank has used ratings given by RBI approved external credit rating agencies, viz CRISIL / ICRA / India Ratings / CARE/SMERA/Brickwork Rating only. In order to facilitate the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposure, the Bank has entered into a separate MOU with the credit rating agencies.
• Types of exposure for which each agency is used	All Corporate exposure above ₹ 5 Crore and exposure to public sector entities.
• A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book	Bank has used only bank ratings which are available in public domain. Further the Bank has not used any public issue ratings.
Quantitative disclosures	
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardised approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	**Credit exposure ** (₹ in Crore)**
• Below 100% risk weight ..	96785.23
• 100% risk weights ..	34927.37
• More than 100% risk weight ..	12408.11
• Deducted - Financial collaterals ..	12317.10
Total ..	**156437.81**
** Includes following off B/S exposure	
NFB Exposure ₹ 8448.03 Crore	
Undrawn Portion ₹ 7438.52 Crore	
CCIL & MCX ₹ 302.35 Crore	
NFB Investments ₹ 2604.67 Crore	
Other assets ₹ 11206.41 Crore	

TABLE DF-5

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures

(a) The general qualitative disclosure require- ment with respect to credit risk mitigation including:

- Policies and processes for and an indication of the extent to which the Bank makes use of, on and off balance sheet netting.
- Policies and processes for collateral valuation and management.
- A description of the main types of collateral taken by the bank.
- The main type of guarantor counterparty and their creditworthiness.
- Information about (market or credit) risk concentration within the mitigation taken.

The general principles, like having a specific lien, requisite minimum margin stipulation, valuation, legal certainty, documentation, periodical inspection, easy liquidity etc. as enumerated in Basel II final guidelines of RBI has been used for credit risk mitigation techniques. All the prescribed haircuts with adjustments for currency mismatch & maturity mismatch are done. The financial collaterals available are netted out of the credit exposure before assigning the risk weights. The effect of Credit Risk Mitigation (CRM) is not double counted.

The financial collaterals taken for the purpose of CRM mainly includes Bank's own term deposits, cash margin, life policies, NSCs, KVPs and gold benchmarked to 99.99 purity.

Guaranteed exposure includes those guaranteed by Central / State Governments, ECGC, Bank and CGTSI.

The CRM / Guaranteed exposure are not subject to any market fluctuation and these exposures are well diversed.

Quantitative disclosures

(b) For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.

(Excluding exposure of other assets: ₹ 11206.41 Crore)

(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)

(Excluding exposure of other assets: ₹ 11206.41 Crore)

* Including off balance sheet exposure

** Including Undrawn

₹ in Crore

Credit risk exposure	Loans & advance **	Non fund based	Investment *	Total
Exposure	104259.97	8448.03	32523.40	145231.40
CRM (fin. collaterals)	10922.29	1117.82	0	12040.11
Net exposure	**93337.68**	**7330.21**	**32523.40**	**133191.29**

₹ in Crore

Guarantee status	Loans & Advance **	Non fund based	Investment * #	Total
Exposure	104259.97	8448.03	32523.40	145231.40
Central/ State Govt.	6590.47	0	25721.66	32312.13
ECGC/BANK / CGTSI	1905.69	0	0	1905.69
Guarantee total	**8496.16**	**0**	**25721.66**	**34217.82**
Net exposure	**95763.81**	**8448.03**	**6801.74**	**111013.58**

this includes bonds/instruments issued by the Central/State Government and/or guaranteed by Central Government.

For the credit risk portfolio under the Standardised approach (fund & non-fund based), the total eligible financial collaterals are reckoned after the application of haircuts wherever applicable.

TABLE DF-6

SECURITISATION
DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH

The Bank has not securitized any asset during the year ending 31.03.2017 either in Banking book or in trading book.

TABLE DF-7

MARKET RISK IN TRADING BOOK

<table>
<tr><td>Qualitative disclosure</td><td></td></tr>
<tr><td>(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach</td><td>Market Risk is the potential risk due to market movements in interest rates, equity prices, foreign currencies and commodity prices.
Basel-II proposes two approaches for Market Risk viz Standardized Duration Approach and Internal Model Approach. At present, the bank has implemented “Standardized Duration Approach” and moving forward to implement Internal Model Approach. The Standardized Duration Approach has got following features.
1. The capital requirement under standardized approach is calculated based on Interest rate risk, Equity price risk, Foreign Exchange risk and Commodity risk.
2. The general Market risk is calculated based on modified duration and change in yield.
3. The specific risk is calculated based on external risk rating and type of issuers such as Central and state Govt., bank bonds and corporate bonds etc.</td></tr>
<tr><td>Quantitative disclosures</td><td>For the purpose of calculation of capital charge, the bank has adopted ‘Standardised Duration Approach’, as detailed below:
Aggregation of the capital charge for Market Risk under Basel-II as on 31.03.2017 ₹ in Crore</td></tr>
<tr><td>(b) The capital requirement for
• Interest rate risk
• Equity position risk
• Foreign Exchange risk</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Risk Category</th><th>Capital charge</th></tr>
<tr><td>(A)</td><td>Capital Charge for Market Risk for securities held under HFT</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Interest Rate (a+b)</td><td>2.85</td></tr>
<tr><td></td><td>a. General Market Risk</td><td>2.85</td></tr>
<tr><td></td><td>(i) Net position (parallel shift)</td><td>2.79</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii) Horizontal disallowance (curvature)</td><td>0.06</td></tr>
<tr><td></td><td>(iii) Vertical disallowance (basis)</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Specific risk</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>(B)</td><td>Capital charge for Market Risk for securities held under AFS</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Interest Rate (a+b)</td><td>628.33</td></tr>
<tr><td></td><td>a. General Market Risk</td><td>557.67</td></tr>
<tr><td></td><td>(i) Net position (parallel shift)</td><td>556.64</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii) Horizontal disallowance (curvature)</td><td>0.32</td></tr>
<tr><td></td><td>(iii) Vertical disallowance (basis)</td><td>0.70</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Specific risk</td><td>70.66</td></tr>
<tr><td>(C)</td><td>Alternative total capital charge for securities held under AFS</td><td>87.57</td></tr>
<tr><td></td><td>I. Interest rate related instruments {A+(B or C whichever is more)}</td><td>631.18</td></tr>
<tr><td></td><td>II. Equity (a+b)</td><td>58.05</td></tr>
<tr><td></td><td>a. General market risk</td><td>25.80</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Specific risk</td><td>32.25</td></tr>
<tr><td></td><td>III. Foreign Exchange & Gold</td><td>1.35</td></tr>
<tr><td></td><td>IV. Total capital charge for Market Risks (I+II+III)</td><td>690.58</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Risk Weighted Assets</td><td>8632.25</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Aggregation of the capital charge for Market Risk under Basel-III as on 31.03.2017

₹ in Crore

	Risk Category	Capital charge
(A)	**Capital Charge for Market Risk for securities held under HFT**	
	Interest Rate (a+b)	2.85
	a. General Market Risk	2.85
	(i) Net position (parallel shift)	2.79
	(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.00
	(iii) Vertical disallowance (basis)	0.00
	b. Specific risk	0.00
(B)	**Capital charge for Market Risk for securities held under AFS**	
	Interest Rate (a+b)	630.14
	a. General Market Risk	557.67
	(i) Net position (parallel shift)	556.64
	(ii) Horizontal disallowance (curvature)	0.32
	(iii) Vertical disallowance (basis)	0.70
	b. Specific risk	72.47
(C)	**Alternative total capital charge for securities held under AFS**	**89.95**
	I. Interest rate related instruments {A+(B or C whichever is more)}	**632.98**
	II. Equity (a+b)	**58.05**
	a. General market risk	25.80
	b. Specific risk	32.25
	III. Foreign Exchange & Gold	**1.35**
	IV. Total capital charge for Market Risks (I+II+III)	**692.38**
	Total Risk Weighted Assets	**8654.75**
	Adjustment for Cross holding securities (written off from capital) - ₹ 6.81 Crore / 8%	85.21
	Total Risk Weighted Assets after adjustment	**8569.54**
	Total Capital Charge for Market Risk after adjusted Cross holding of ₹ 6.81 Crore	**685.57**

TABLE DF-8

OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures
As stipulated in the RBI final guidelines on Basel II, the Bank is adopting Capital charge calculations for Operational Risk as per 'Basic Indicator Approach'. The Bank has set up Operational Risk Management Committee (ORMC) to identify, assess, monitor and control all operational risks apart from measures to mitigate such risks, by putting in place detailed policy & guidelines on Operational Risk Management(ORM), Loss Data, Risk & Control Self Assessment(RCSA),Key Risk Indicator (KRI), Scenario Analysis (SA), Business Line Mapping (BLM) policy, Business Continuity Policy(BCP), Business Continuity & Disaster Recovery Plan, Outsourced Activities, New Product & Activities Review, KYC norms and Anti-Money Laundering etc.
Further, the Bank has put in place the following measures to manage, control and mitigate operational risks:- ➢ Book of Instructions/Manuals are being updated at periodic intervals besides revising various policies on review at regular/annual interval. ➢ Operational Risk losses (Fraud & Non-fraud data) are being reported to Operational Risk Management Committee on quarterly basis. ➢ Systemic Studies on various frauds are conducted and remedial measures are suggested to Administrative offices for implementation. ➢ The Bank has put in place IT Security Policy and has implemented various IT security related solutions like Anti Virus for Data Centre and Branches, Fire Walls, Encryption Technologies, Intrusion Detection Systems, Web filtering solution, forced password change, Router based security policies, Network Security Policies. The Bank has implemented policies relating to application access controls, password security, guidelines to avoid misuse of passwords, etc. in the Core Banking scenario. The Bank has been conducting information security & network audit for its network, Data Centre, Disaster Recovery Site, Business Units facilities. The Bank has been conducting vulnerability assessment and penetration testing for Critical Service like Internet Banking, Mobile Banking, Core Banking Solution to find the loop holes if any and taking corrective steps. The Bank has been conducting all its third party software applications to the process of IS audit to continuously improve the confidentiality, integrity, and availability of all its IT resources. ➢ In order to mitigate the probability of system disruptions resulting in the business discontinuity, the Bank has implemented various levels of disaster recovery and business continuity mechanisms/measures especially for critical applications like Core Banking System, Network Facilities, ITMS, and IRMS. ➢ E- Risk Based Internal Audit (RBIA) solution has been implemented across the Branches. ➢ Bank has put business units under RCSA exercise in important operational areas viz. Retail Banking, Branch Operations, Internet Banking, ATM operation, Forex, Currency Chest, Lockers, Remittances, Information Technology, Debit Card & Credit Card operation, Treasury Operations, Trading & Sales (AFS/ HFT), Financial Inclusion, Payment & Settlement and Commercial Banking. ➢ The Bank has been permitted by RBI to assess Operational risk capital under The Standardized Approach (TSA) - (Parallel run w.e.f March 2016).

Quantitative disclosures:

Calculation of capital charge on Operational Risk

AVERAGE OF GROSS INCOME FOR THE LAST 3 YEARS

(₹ in Crore)

Sl. No.	Description	31-03-2014	31-03-2015	31-03-2016
1	Net Profit	415.91	439.41	381.79
	ADD			
2	Provisions & Contingencies	687.82	819.62	1167.07
3	Operating Expenses	1689.55	1912.21	2085.82
4	**Sub-Total**	**2793.28**	**3171.24**	**3634.68**
	LESS			
5	Realised profit / loss from the sale of securities in the HTM category	13.64	6.54	51.29
6	Income from insurance activities and insurance claims in favour of Bank	5.14	6.44	7.47
7	Extraordinary / Irregular item of income and expenditure	0.00	0.00	0.00
8	Reversal during the year in respect of provisions and write offs made during the previous year	0.00	0.00	0.00
9	Income from the disposal of items of movable and immoveable property	-0.21	-0.50	-0.39
10	Income from legal settlements in favour of the Bank	0.00	0.00	0.00
11	**Sub-Total**	18.57	12.48	58.37
12	**GROSS INCOME (SL.NO.4 - SL.NO.11)**	**2774.71**	**3158.76**	**3576.31**

Average of 3 years gross income	=	**₹ 3169.93 Crore**
CAPITAL CHARGE FOR OPERATIONAL RISKS	=	**Average of gross Income * alpha (15%)**
	=	**₹ 475.49 Crore**
Equivalent Risk weighted Assets:	=	**₹ 5943.62 Crore**

TABLE DF-9

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The general qualitative disclosure requirement including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits and frequency of IRRBB measurement.

Interest Rate Risk Management:

The process of Interest rate risk management by the bank involves determination of the business objectives, understanding the money markets and debt capital markets in which it operates and within the context of these parameters, recognizing and quantifying its appetite for market risk.

The Bank uses two techniques/approaches to manage interest rate risks inherent in the Balance sheet:

1) The first approach is the on-balance sheet Asset Liability Management (ALM) using the results of the Traditional Gap analysis. This involves careful balancing/rebalancing of assets and liabilities, based on the interest rate view of the bank, so as to eliminate the interest earnings at risk. This is achieved through an exercise towards minimizing exposure to risks by holding the appropriate combination (type and maturity) of assets and liabilities so as to meet certain objectives of the bank (such as achieving targeted earnings while simultaneously minimizing risk).

2) The second approach is off-balance sheet Asset Liability Management (ALM) through hedging. Hedging creates off-balance sheet positions. The OTC derivative product used by the Bank to hedge its trading portfolio and certain liabilities are the Interest Rate Swaps (IRS).

   The Asset Liability Management techniques are deliberated by the Market Risk Management/Asset Liability Committee (MRMC/ALCO) in its monthly meetings, in addition to the discussions in the Balance Sheet Management Group meetings.

Analytics used by the Bank:

The Bank regularly analyses the Duration and Modified duration of Investment portfolio and rebalances the portfolio to minimize interest rate risk. This portfolio management technique is reviewed by the ALCO/MRMC and the Board at monthly intervals.

The Interest Rate Sensitivity (IRS) Gap statement based on the 1999 Guidelines on Asset Liability Management is prepared on a fortnightly basis. The bucket-wise rate sensitive gaps as a percentage of the rate sensitive assets are monitored by the MRMC/ALCO, at monthly intervals, against the Board stipulated Tolerance limits.

In the event of the tolerance limit breach, the MRMC/ALCO ratifies the breach with or without directing the operational departments to restructure the maturity profile of the Balance sheet items. This is commensurate with the view on interest rates and the market scenario. While preparing the Interest Rate Sensitivity statement, the Bank takes into account the results of the behavioral analysis conducted on the following:

(i) Volatile and Core portion of Savings deposits.

(ii) Re pricing character of CC/OD accounts.

(iii) Embedded options in the investment portfolio.

Earnings at Risk (EaR):

The Earnings at Risk (EaR) due to parallel and non-parallel shifts in the yield curve on the interest rate sensitive asset liability gaps up to the 3 months, 6 months and 1 year horizon is calculated. This analysis is conducted on a fortnightly basis and placed before the MRMC/ALCO in the monthly meetings and later to the Board in its monthly meetings.

Based on the gap profile up to 1 year and the Bank's interest rate view, the EaR amount that should trigger on or off balance sheet hedging strategies, is tracked on a fortnightly basis.

Quantitative disclosure:

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5% of the total turnover):

Earnings at Risk (EaR):

For a 100 basis point assumed increase in interest rates, the impact on NII for a 1 year gap horizon	₹ 125.71 Crore

The Bank has fixed the tolerance limit at ₹ 172 Crore.

Economic value approach:

The economic value, i.e. impact on Capital Fund due to change in interest rate by 200 bps is assessed through Modified Duration Gap method based on RBI guidelines. As a prudential measure limits have been fixed for net duration gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals based on RBI guidelines.

TABLE DF - 10

GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

<table>
<tr><td>Qualitative disclosures</td><td></td></tr>
<tr><td>(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to derivatives and CCR, including:
• Discussion of methodology used to assign economic capital and credit limits for counterparty credit exposures;
• Discussion of policies for securing collateral and establishing credit reserves;
• Discussion of policies with respect to wrong-way risk exposures;
• Discussion of the impact of the amount of collateral the bank would have to provide given a credit rating downgrade.</td><td>Counterparty Credit Risk (CCR) Limits for the banking counterparties are assessed based on an internal model that considers the parameters viz. credit rating and net worth of counterparties, net worth of the Bank and business requirements. In all other cases, CCR limit is approved based on credit assessment process followed by the Bank as per the Credit Policy and Procedural Manual. CCR limits are set on the amount and tenor while fixing the limits to respective counterparties with distinct limits for each type of exposure. Capital for CCR exposure is assessed based on Standardised Approach.
The Bank does not have any credit derivatives exposure at present.</td></tr>
<tr><td>Quantitative disclosures</td><td></td></tr>
<tr><td>(b) Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.
(c) Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group</td><td>The Bank does not recognize bilateral netting. The derivative exposure is calculated using Current Exposure Method (CEM) and the balance outstanding as on 31.03.2017 is given below.
(₹ in Crore)
<table><tr><th>Particulars</th><th>Notional Amount</th><th>Current Exposure</th></tr><tr><td>Foreign exchange contracts (Inter-Bank)</td><td>2604.67</td><td>64.63</td></tr></table></td></tr>
</table>

TABLE DF - 11 : COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	29843.49	a=b+c
2	Retained earnings	12748.52	d
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	34355.30	e=f+g+ (h*45%)+i+j
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	76947.31	
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	-	
9	Intangibles (net of related tax liability)	-	
10	Deferred tax assets	3441.24	k
11	Cash-flow hedge reserve	-	
12	Shortfall of provisions to expected losses	-	
13	Securitisation gain on sale	-	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	=(x+y)
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	231.13	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-	
22	Amount exceeding the 15% threshold	-	

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	-	
24	of which: mortgage servicing rights	-	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	-	
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	-	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	-	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	-	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**3672.37**	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**73274.94**	
Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	13250.00	I=m1+m2 +m3
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	13250.00	I=m1+m +m3
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	-	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**13250.00**	
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	-	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	51.12	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-	

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**51.12**	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**13198.88**	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**86473.82**	
Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	17000.00	n=o1+o2 +o3+o4
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	1900.00	p=q1+q2 +q3 - Discounting & Phase-out
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-	
50	Provisions	5270.63	r=s+t
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**24170.63**	
Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	-	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	129.51	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	-	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	-	

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**129.51**	
58	**Tier 2 capital (T2)**	**24041.12**	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**110514.94**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**867989.26**	
60a	of which: total credit risk weighted assets	722857.66	u
60b	of which: total market risk weighted assets	85695.40	
60c	of which: total operational risk weighted assets	59436.20	
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.44%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.96%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	12.73%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.75%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.25%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	1.69%	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.75%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.25%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.25%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	-	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	-	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	-	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	3441.24	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	5270.63	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	9035.72	u*1.25%

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used from March 31, 2017		Ref No.
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	N.A.	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	N.A.	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	N.A.	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A.	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	3300.	(q1+q2+q3 as on 01.01.2013) *50%
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	1500.	q3*50%

Notes to Template

Row	Particular	(₹ in Million)
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	3441.24
	Total as indicated in row 10	3441.24
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0.00
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	(ii) Increase in risk weighted assets	0.00
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	5270.63
	Eligible Revaluation Reserves included in CET 1 capital (in accordance with the revision in Basel III Capital Regulations vide circular DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 dated March 1, 2016)	3737.10

TABLE DF - 12 - COMPOSITION OF CAPITAL

(₹ in Million)

CAPITAL & LIABILITIES	Balance sheet as in consolidated financial statements as on 31.03.2017	Ref. No.
CAPITAL		
Equity Share Capital	9988.45	b
Reserves and Surplus		
I Statutory Reserve	17306.42	f
II Capital Reserve	7746.54	g
III Share Premium	19855.04	c
IV Revaluation Reserve	8304.67	h
V Genereal Reserve	127.96	i
VI Revenue and Other Reserves		
A Investment Fluctuation Reserve	0.00	
B Exchange Fluctuation Reserve	0.00	
C Deferred Tax Reserve	0.00	
D Special Reserve Sec.36(1)(Viii)	5437.28	j
E Profit & Loss Account	12748.52	d
Total Capital, Reserves and Surplus	**81514.88**	
Total Deposits	**1330119.52**	
Borrowings		
(i) From R.B.I.	0.00	
(ii) Other Banks	0.00	
(iii) From Other Institutions & Agencies	1794.11	
(iv) Repo Account	68573.86	
(v) RBI Repo Account	3000.00	
(vi) TIER II BONDS TOTAL		
123 MONTHS BONDS 2017 - 9.50%	2000.00	q 1
124 MONTHS BONDS 2018 - 9.35%	2000.00	q 2
180 MONTHS BONDS 2023 - 9.45%	3000.00	q 3
120 MONTHS BONDS 2023 - 9.73%	2500.00	o 1
120 MONTHS BONDS 2023 - 9.15%	5000.00	o 2
120 MONTHS BONDS 2025 - 8.62%	5000.00	o 3
120 MONTHS BONDS 2026 - 8.64%	4500.00	o 4

(₹ in Million)

CAPITAL & LIABILITIES	Balance sheet as in consolidated financial statements as on 31.03.2017	Ref. No.
(vii) Additional TIER I BOND		
PDI 2024 - 9.54%	1000.00	m 1
PDI 2024 - 10.40%	4000.00	m 2
PDI 2024 - 11.25%	5000.00	m 3
PDI 2024 - 10.49%	3250.00	m 4
TOTAL BORROWINGS	**110617.97**	
OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I Bills Payable	5789.06	
Ii Interest Accrued	3894.64	
Iii Vrs Bonds	0.00	
Iv Provision For Standard Assets	5166.35	s
V Provision For Ufce	104.28	t
Vi Others (Including Provisions)	11609.06	
Total Other Liabilities	**26563.39**	
Grand Total Of Liabilities	**1548815.76**	

(₹ in Million)

ASSETS	Balance sheet as in consolidated financial statements AS ON 31.03.2017	Ref. No.
Cash & Bank Bal With RBI	**57704.21**	
Bal With Banks & Money At Call	**1602.89**	
Investments	**444245.51**	
Net Advances	**945488.88**	
Fixed Assets	**13187.60**	
Other Assets		
I Inter Office Adjustment (DR)	-4556.30	
II Interest Accrued	8685.39	
III Tax Paid In Advance	25899.86	
IV net Deferred Tax Assets	3441.24	k
V Stationery And Stamps	13.29	
VI Non Banking Assets	0.76	
VII Gratuity Amortization	0.00	x
Pension Amortization	0.00	y
VII Others	53102.43	
Total Other Assets(Schedule - 11)	**86586.67**	
Grand Total Of Assets	**1548815.76**	

TABLE DF - 13 - MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS AS ON 31.03.2017

Sl.	Particulars	Equity Shares	AT 1 Bonds Basel III S1	AT 1 Bonds Basel III S2	AT 1 Bonds Basel III S3	AT 1 Bonds Basel III S4	Upper Tier II S2	Lower Tier II S6	Lower Tier II S7	Tier II S8 Basel III	Tier II S9 Basel III	Tier II S10 Basel III	Tier II S11 Basel III
1	Issuer	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank	Vijaya Bank
2	Unique Identifier	INE705A01016	INE705A08045	INE705A08060	INE705A08086	INE705A08094	INE705A09100	INE705A09084	INE705A09092	INE705A08029	INE705A08037	INE705A08052	INE705A08052
3	Governing Laws of the Instrument	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements	Applicable Indian statutes and regulatory requirements
Regulatory Treatment													
4	Transitional Basel III Rules	Common Equity Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III Rules	Common Equity Tier 1	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible
6	Eligible at Solo/ Group	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument Type	Common Shares	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount Recognised in Regulatory Capital (₹ in mn. As on 31.03.2017)	9988.45	1000	4000	5000	3250	1500	0	400	2500	5000	5000	4500
9	Par Value of Instrument (₹ in Crore)	9988.45	1000	4000	5000	3250	3000	2000	2000	2500	5000	5000	4500
10	Accounting Classification	Equity Capital	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	Various	02-02-2015	27-03-2015	30-03-2016	17-01-2017	17-03-2008	31-07-2007	31-12-2007	23-12-2013	30-10-2014	18-02-2015	22-01-2016
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	Not Applicable	No	No	No	No	17-03-2023	31-10-2017	30-04-2018	23-12-2023	30-10-2024	18-02-2025	22-01-2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable	02-02-2020	27-03-2020	30-03-2021	17-01-2022	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable	Yes	Yes	Yes	Yes	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Sl.	Particulars	Equity Shares	AT 1 Bonds Basel III S1	AT 1 Bonds Basel III S2	AT 1 Bonds Basel III S3	AT 1 Bonds Basel III S4	Upper Tier II S2	Lower Tier II S6	Lower Tier II S7	Tier II S8 Basel III	Tier II S9 Basel III	Tier II S10 Basel III	Tier II S11 Basel III
Coupons/ dividends													
17	Fixed or floating dividend/coupon	Not Applicable	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon	Fixed Coupon
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable	9.54%	10.40%	11.25%	10.49%	9.45%	9.50%	9.35%	9.73%	9.15%	8.62%	8.64%
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary
21	Existence of step-up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	PONV Trigger	PONV Trigger	PONV Trigger	PONV Trigger	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	PONV Trigger	PONV Trigger	PONV Trigger	PONV Trigger
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	full or partial	full or partial	full or partial	full or partial	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	full or partial	full or partial	full or partial	full or partial

Sl.	Particulars	Equity Shares	AT 1 Bonds Basel III S1	AT 1 Bonds Basel III S2	AT 1 Bonds Basel III S3	AT 1 Bonds Basel III S4	Upper Tier II S2	Lower Tier II S6	Lower Tier II S7	Tier II S8 Basel III	Tier II S9 Basel III	Tier II S10 Basel III	Tier II S11 Basel III
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Temporary and Permanent	Temporary and Permanent	Temporary and Permanent	Temporary and Permanent	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Temporary and Permanent	Temporary and Permanent	Temporary and Permanent	Temporary and Permanent
34	If write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	As per Basel III	As per Basel III	As per Basel III	As per Basel III	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	As per Basel III	As per Basel III	As per Basel III	As per Basel III
35	Position in subordination heirarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Perpetual Debt Instruments	Subordinated to claims of depositors, general creditors and Subordinated debt of the bank	Subordinated to claims of depositors, general creditors and Subordinated debt of the bank	Subordinated to claims of depositors, general creditors and Subordinated debt of the bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank	All other creditors and Depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	No loss absorption features	No loss absorption features	No loss absorption features	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

TABLE DF-14

FULL TERMS AND CONDITION OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENT

Disclosed separately under Regulatory Disclosure Section on our website.

TABLE DF-15

DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR REMUNERATION

The remuneration of Board of Directors and Top executives are decided by the Government of India. RBI's Basel III Guidelines refer to the Guidelines on Compensation of Whole Time Directors / Chief Executive Officers / Other Risk Takers issued vide circular DBOD.No.BC.72/29.67.001/2011-12 dated January 13, 2012 addressed to all private sector and foreign banks operating in India. As the guideline is applicable to private sector and foreign banks, this disclosure is not applicable to our Bank.

TABLE DF-16

EQUITIES - DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Investments are classified into Held to Maturity (HTM) category in line with the RBI master circular - "Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks". For capital adequacy purpose, as per the RBI guidelines, equity securities held under HTM category are classified under banking book.

As on 31.03.2017, Bank is not holding equity of subsidiaries or joint ventures in its HTM portfolio (Banking Book). Therefore, this disclosure is not applicable to our Bank.

TABLE DF-17

SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE

S. No.	Item Statement as on 31.03.2017	(₹ in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	1513152.46
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	0.00
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0.00
4	Adjustments for derivative financial instruments	26046.70
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	9616.60
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	64485.22
7	Other adjustments	-282.26
8	Leverage ratio exposure	**1613018.72**

TABLE DF-18

LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

Statement as on 31.03.2017		(₹ in Millions)
	On-balance sheet exposures	
		Gross Value
1)	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	15,13,152.46
2)	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier I capital)	-282.26
3)	**Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)**	**1512870.20**
	Derivative exposures	
4)	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	26,046.70
5)	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	-
6)	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7)	(Deductions of receivable assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	-
8)	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-
9)	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10)	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11)	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	26046.70
	Securities financing transaction exposures	
12)	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	9,616.60
13)	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14)	CCR exposure for SFT assets	-
15)	Agent transaction exposures	-
16)	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**9616.60**
	Other off-balance sheet exposures	
17)	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	84,479.16
18)	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-19,993.94
19)	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**64485.22**
	Capital and total exposures	
20)	**Tier 1 capital**	86473.81
21)	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	**1613018.72**
	Leverage ratio	
22)	**Basel III leverage ratio**	**5.36%**

विजया बैंक

41/2, एम. जी. रोड, बेंगलूरु - 560 001
प्रधान कार्यालय - बेंगलूर
*****

प्रिय शेयरधारक,

विषय : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं (एनईसीएस) के जरिए लाभांश का भुगतान

अगर आपने, हमारे रजिस्ट्रार, मेसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा आपके निक्षेपागार सहभागी (डीमैट धारण के मामले में) को एनईसीएस/बैंक खाते के विवरण न भेजे हों तो, हमारा अनुरोध है कि आप, नीचे दिए गए प्रारूप में उक्त विवरण उपलब्ध कराएं जिससे कि वक्त पर, सुरक्षित ढंग से और सही तरीके से, लाभांश का घोषित होते ही भुगतान किया जा सके.

कृपया सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रार/ निक्षेपागार सहभागी को प्रस्तुत किए गए आपके ब्यौरे सही हों, क्योंकि उसमें कोई गलती होने पर संभव है कि लाभांश की रकम गलत खाते में जमा हो जाए.

एनईसीएस के जरिए और/अथवा नामोद्दिष्ट बैंक खाते में, जो लाभांश वारंट पर दिखाई देगा, लाभांश का भुगतान करने से लाभांश वारंटो में धोखाधडी से भुनाई नहीं हो सकेगी.

कृपया हमें, आपकी बेहतर सेवा करने का मौका दें.

भवदीय,
कृते विजया बैंक

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एनईसीएस आदेश/बैंक खाते के विवरण के लिए फार्म

मैं/हम,..... विजया बैंक को प्राधिकार देता हूं/देते हैं कि वह

- मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित ब्यौरे छपाए
- मेरी लाभांश रकम, एनईसीएस के जरिए सीधे मेरे बैंक खाते में जमा करें

(* जो लागू न हो उसे काट दें) मेरा/हमारा फोलियो नं.: .....

डीपीआईडीनं.:.....ग्राहकआईडीसं.:.....

बैंक खाते के विवरण

क. बैंक का नाम : .....

ख. आईएफएससी कूट सहित शाखा का नाम : .....

पता (केवल आदेश के लिए) : .....

ग. एमआईसीआर चेक पर दिखाई देनेवाली बैंक तथा शाखा की 9 अंकवाली कूट सं. : .....

घ. खाते का प्रकार (बचत/चालू) : .....

ङ. चेक बुक में दिखाई देनेवाली खाता संख्या: : .....

च. शेयरधारक की एसटीडी कूट तथा टेलीफोन सं. : .....

अगर एनईसीएस को अमल में न लाया जा सका अथवा किसी वजह से बैंक, एनईसीएस को बंद कर दे तो, मैं/हम बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ ठहराएंगे.

इस पते पर भेजें .....

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : विजया बैंक, सी101, 247 पार्क, एल बी एस मार्ग,
विक्रोली पश्चिम, मुंबई - 400 083, महाराष्ट्र

.....
शेयरधारक के हस्ताक्षर

नौ अंकोंवाली कूट संख्या की यथातथ्यता का सत्यापन करने के लिए, कृपया आपके उक्त खाते से संबंधित आपके बैंक द्वारा जारी चेक की फोटो प्रति अथवा रद्द किए गए चेक संलग्न करें.

आपके पास अमूर्त रूप में शेयर हों तो, कृपया अपने निक्षेपागार सहभागी से कहे कि वह, आपके बैंक खाते के विवरण/ एनईसीएस आदेश को नोट करें.

VIJAYA BANK

41/2, M G ROAD, BENGALURU-560001

HEAD OFFICE - BENGALURU

*****

Dear Shareholder (s)

Re.: Payment of dividend through National Electronic Clearing Services (NECS)

In case you have not already sent the NECS/Bank Account particulars to our Registrar, M/s Link Intime India Private Limited or to your Depository Participant (in case of demat holdings) we would request you to provide the said particulars in the format given below to facilitate prompt, safe and correct payment of dividend as soon as it is declared.

Please ensure that the details submitted by you to the Registrars/ Depository Participant are correct as any error therein could result in the dividend amount being credited to wrong account.

Payment of dividend through NECS and /or to the designated Bank Account which appear on the dividend warrant will help to prevent fraudulent encashment of dividend warrants.

Kindly help us in our endeavor to serve you better.

Yours faithfully

For Vijaya Bank

Authorized Signatory

FORM FOR NECS MANDATE /BANK ACCOUNT PARTICULARS

I/We..... do hereby authorize Vijaya Bank

- Print the following details on my /our dividend warrant
- Credit my dividend amount directly to my Bank account by NECS

(* Strike out whichever is not applicable) My /our Folio No.: .....

DPID No.: ..... Client ID No.: .....

Particulars of Bank Account

A. Bank Name : .....

B. Branch Name with IFSC Code : .....

Address (for Mandate only) : .....

C. 9 Digit Code No. of the Bank & Branch as appearing on the MICR Cheque : .....

D. Account Type (Saving/Current) : .....

E. Account No. as appearing in the Cheque Book : .....

F. STD Code & Telephone No. of Shareholder : .....

I/We shall not hold the Bank responsible if the NECS could not be implemented or the Bank discontinues the NECS for any reason.

Mail to .....

Link Intime India Pvt. Limited.
Unit : Vijaya Bank C 101, 247 Park, L B S Marg,
Vikhroli West Mumbai - 400083 Maharastra

.....

Signature of the Shareholder

Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the nine digit code number.

In case you are holding shares in demat form, kindly advice your Depository Participant to take note of your Bank Account particulars/NECS mandate.

विजया बैंक

41/2, एम. जी. रोड, बेंगलूरु - 560 001
प्रधान कार्यालय - बेंगलूर

वार्षिक सामान्य बैठक के लिए उपस्थिति–सह–प्रवेश पर्ची

शेयरधारक/प्रॉक्सी का
नाम व पता

दिनांक : 23 जून, 2017 समय : सुबह 10.00 बजे

स्थान : मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह,
विजया बैंक, प्रधान कार्यालय,
41/2, एम.जी.रोड,
बेंगलूर - 560 001

धारित कुल शेयर	पंजीकृत फोलियो सं. : (अगर अमूर्तीकरण न किया गया हो तो)	डीपीआईडी सं. (अगर अमूर्तीकरण किया गया हो तो)	ग्राहक आई.डी. सं. (अगर अमूर्तीकरण किया गया हो तो)

मैं एतद्वारा, विजया बैंक, प्र.का., एम.जी.रोड, बेंगलूर - 560 001 में 23 जून, 2017 को होनेवाली बैंक की 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति अभिलिखित करता/करती हूं.

शेयरधारक/प्रॉक्सी धारक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

.....

शेयरधारक का नाम: .....

प्रवेश पर्ची

फोलियो/ग्राहक आई.डी. सं. : .....**क्रम सं. :** .....**शेयरों की सं. :** .....

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सभागृह में प्रवेश पाने के लिए विधिवत् हस्ताक्षरित इस उपस्थिति–सह–प्रवेश पर्ची को दिखाएं. प्रवेश पर्ची का हिस्सा, शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटाया जाएगा जिसे उनको बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना होगा. लेकिन प्रवेश पाते समय ऐसा अतिरिक्त सत्यापन/जांच भी की जा सकती है जो आवश्यक समझी जाए. सभागृह के प्रवेश स्थान में, किसी भी हालत में, कोई डूप्लिकेट उपस्थिति–सह–प्रवेश पर्ची नहीं दी जाएगी.

VIJAYA BANK

41/2, M G ROAD, BENGALURU-560001

HEAD OFFICE - BENGALURU

*****

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS FOR ANNUAL GENERAL MEETING

Name & Address of the Shareholder/Proxy

Date : 23rd June, 2017 Time: 10.00 A.M.

Place : Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium,
Vijaya Bank, HO,
41/2, M G Road,
Bengaluru-560001

No. of Shares held	Regd. Folio No. (If not dematerialized)	DPID No. (If dematerialized)	Client ID No. (If dematerialized)

I hereby record my presence at the Seventeenth Annual General Meeting of the Bank held on 23rd June 2017, at Vijaya Bank, HO, M. G. Road, Bengaluru-560001.

Signature of the Share holder /
Proxy Holder / Representatives : .....

Name of shareholder : .....

ENTRY PASS

Folio/Client ID No. ..... **Sr. No.** ..... **No. of Shares** .....

Shareholders/proxy holders/Representatives are requested to produce this attendance slip-cum-entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The entry pass portion will be handed back to the shareholders/proxy holders/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subjected to further verifications/ checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate attendance slip cum entry pass be issued at the entrance to the meeting hall.

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय : 41/2, एम. जी. रोड, बेंगलूरु – 560 001

फार्म 'ख'

प्रॉक्सी फार्म

(शेयर धारक द्वारा भरा जाए एवं हस्ताक्षर किए जाए)

पंजीकृत फोलियो सं. : . . . . .   (अगर अमूर्तीकरण न किया गया हो तो)
डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. : . . . . .   (अगर अमूर्तीकरण किया गया हो तो)
धारित शेयरों की सं.

मैं/हम, _____ निवासी _____,
ज़िला _____, राज्य _____,
विजया बैंक का/के शेयर धारक हूँ/हैं, श्री/श्रीमती _____
निवासी _____, जिला _____,
राज्य _____ को या उनके न होने पर श्री/श्रीमती _____
निवासी _____जिला _____, राज्य
_____, **मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु में शुक्रवार,** 23 जून, 2017 को संपन्न होने वाली बैंक के शेयर धारकों की सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक में और उस पर किसी प्रकार के कार्यस्थगन पर, मेरी/हमारी ओर से, मेरे/हमारे लिए वोट देने हेतु, प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं.

_____ के दिन, _____ 2017 को हस्ताक्षरित

(प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर)

कृपया एक रुपया का राजस्व टिकट चिपकाएं

(प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर)

नाम : _____

पता : _____

_____

_____

नोट : पूर्ण रूप से भरे तथा स्टैम्प्ड व हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फार्म विजया बैंक, शेयर प्रभाग, प्र.का., एम.जी.रोड, बेंगलूरु – 560 001 में बैठक की दिनांक से 4 दिन पूर्व अर्थात शनिवार 17 जून, 2017 को सायं 5.00 बजे तक कारोबार समाप्ति से पूर्व पहुंच जाने चाहिए.

VIJAYA BANK

41/2, M G ROAD, BENGALURU-560001

HEAD OFFICE - BENGALURU

*****

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No:. ..... (If not Dematerialized)
DP ID / Client ID No. ..... (If Dematerialized)
No. of Shares Held

I/We,.....residentof.....
in the District of ..... in the state of ....., being a shareholder/shareholders of Vijaya Bank, hereby appoint Shri/Smt.....resident of.....
in the District of ..... in the State of ..... or failing him, Shri/Smt- ..... resident of .....
in the district of ..... in the State of ..... as my/our proxy to vote for me/us and on/my/our behalf at the SEVENTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on Friday the 23rd June, 2017, at the MULKI SUNDER RAM SHETTY AUDITORIUM, VIJAYA BANK, H.O, Bengaluru and at any adjournment thereof.

Signed this ..... Day of 2017

Please affix One Rupee Revenue Stamp

....

(Signature of the Proxy) (Signature of the first holder/sole holder)

Name : .....

Address : .....

.....

.....

Note: Proxy forms duly filled in stamped & signed should reach Vijaya Bank, Shares Division, H.O. M G Road, Bengaluru-560001 not later than 4 days prior to the date of meeting i.e. on or before the business hour at 5 PM on Saturday, the 17th June 2017.

श्री जी एस नारंग
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Shri G S Narang
Chief Vigilance Officer

महा प्रबंधक
General Managers

श्री मुरली रामस्वामी
Shri Murali Ramaswami

श्री विजय दुबे
Shri Vijay Dube

श्री अनंत चरण स्वाईं
Shri Ananta Charan Swain

श्रीमती निर्मला श्रीधर
Smt. Nirmala Sridhar

श्री सतीश बल्लाल सी
Shri Satish Ballal C

श्री गोविंद एन. डोंग्रे
Shri Govind N Dongre

श्रीमती मणिमेखलै ए
Smt. Manimekhalai A

श्री अजय के.खुराना
Shri Ajay K Khurana

श्री रमेश कुमार मिगलानी
Shri Ramesh Kumar Miglani

श्री सिद्देश्वर पात्रा
Shri Sidheswar Patra

श्री जगन मोहन एम
Shri Jagan Mohan M

श्री राजेंद्रन के
Shri Rajendran K

श्री सुदर्शन एस ए
Shri Sudarshan S A

श्रीमती गायत्री देवी टी एस
Smt. Gayathri Devi T S

उप महा प्रबंधक Deputy General Managers

श्री सीताराम शेट्टी एम
Shri Seetharama Shetty M

श्री मुकुंदन एस
Shri Mukundan S

श्री हरि मोहन अग्रवाल
Shri Hari Mohan Aggarwal

श्री सुधांशु कुमार सिंह
Shri Sudhanshu Kumar Singh

श्री नागराज एम जे
Shri Nagaraja M J

श्री सुब्रत कुमार
Shri Subrat Kumar

श्री राजीव कुमार
Shri Rajeev Kumar

श्री नीलब चंद्र रॉय
Shri Nilab Chandra Roy

श्री अनिल कुमार
Shri Anil Kumar

श्रीमती शालिनी एस शेट्टी
Smt. Shalini S Shetty

श्री गोपालकृष्णन नायर के
Shri Gopalakrishnan Nair K

श्री इनुमेल्ला वी एल श्रीधर
Shri Inumella V L Sridhar

श्री अंजय्या एन
Shri Anjaiah N

श्री नरेंद्र सिंह
Shri Narendra Singh

श्री रामकृष्णन आर एस
Shri Ramakrishnan R S

श्री वेंकटेश सेट्टी वाई
Shri Venkatesh Setty Y

श्री चंद्रशेखर बी वाई
Shri Chandrashekar B Y

श्री अजय के.खोसला
Shri Ajay K Khosla

श्री गोपाल कृष्णा आर
Shri Gopala Krishna R

श्री नीरज कुमार खन्ना
Shri Neeraj Kumar Khanna

श्री विजय कुमार बसेठा
Shri Vijay Kumar Basetha

श्री विनोद कुमार रेड्डी पी
Shri Vinod Kumar Reddy P

श्री गिरीश सी डालाकोटी
Shri Girish C Dalakoti

श्री देवेंद्र के.मिश्र
Shri Devendra K Mishra

श्री रामगोपाल जे
Shri Ramagopal J

श्री सर्वेश के रस्तोगी
Shri Sarvesh K Rastogi

श्री सुधाकर डी नायक.ए
Shri Sudhakara D Nayak A

श्री नरेंद्र आर भट्ट
Shri Narendra R Bhat

श्री सत्यनारायण राजु के
Shri Satyanarayana Raju K

श्री बसवराज अलगवाडी
Shri Basavaraj Alagawadi

श्री महेश्वर रथ
Shri Maheswar Rath

श्री विनायक.एम भिशिकर
Shri Vinayak M Bhishikar

श्री विजय कुमार वी
Shri Vijay Kumar V

श्री नरसिंह राव एम आर एल
Shri Narasimha Rao M R L

श्री सोमनाथ नंदा
Shri Somanath Nanda

श्री सेट्टिपल्ली धीरेंद्र
Shri Settipalli Dheerendra

श्री मुरली कृष्णा ए
Shri Murali Krishna A

श्री सैम एम मोहन
Shri Sam M Mohan

श्री कल्याण वी
Shri Kalyan V

श्री दास डी
Shri Das D

श्री सिवय्या के
Shri Sivaiah K

श्री श्रीधर मूर्ति ए
Shri Sridhara Murthy A

श्री प्रदीप कुमार नायक
Shri Pradip Kumar Nayak

श्री श्रीनिवास रेड्डी पोलूरी
Shri Srinivasa Reddy Poluri

VIJAYA BANK
A friend you can bank upon
UPI

Vijaya *99#
App enables the user to access Mobile Banking without Internet, anytime and anywhere.

GIFT / PREPAID CARD

V-ECONNECT+

विजया बैंक के डिजिटल उत्पाद

CREDIT CARDS

Vnet Banking

Vijaya Bank's Digital Offerings

VPAY QWIK

VMOBILE SIMPLIFY BANKING

POS

DEBIT CARDS

विजया बैंक
VIJAYA BANK
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
A friend you can bank upon

प्रधान कार्यालय
41/2, एम. जी. रोड, बेंगलूर -560 001
फ़ोन : 080-25584066 (20 लाईन),
फॅक्स: 080-25598040
टोल फ्री: 1800 425 5885
वेबसाइट : www.vijayabank.com

Head Office:
41/2, M.G. Road, Bangalore- 560 001.
Ph: 080 2558 4066 (20 lines),
Fax: 080 2559 8040
Toll Free : 1800 425 5885
Website : www.vijayabank.com

www.sapprints.com